लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....62.....
Dated....28.NOV.2008

(खण्ड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 25, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 8, बुधवार, 07 मार्च, 2007/16 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	121 से 124 और 128 से 129	3-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	125 से 127 और 130 से 140	39-71
अतारांकित प्रश्न संख्या	1046 से 1275	72-473
सभा पटल पर रखे गए पत्र		473-484
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
बीसवां प्रतिवेदन		485
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)		485
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
2 मार्च, 2007 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य		485-486
अध्यक्ष द्वारा घोषणा		
सभा का कार्य		486-487
कार्य मंत्रणा समिति		
चौंतीसवां प्रतिवेदन		487
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नए जिलों को सम्मिलित किया जाना।		
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह		488-496
(दो) 4 मार्च, 2007 को नक्सली हमले में श्री सुनील कुमार महतो, संसद सदस्य की दुःखद हत्या		
श्री शिवराज वि. पाटील		496-511

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (जम्मू और कश्मीर तक विस्तार) विधेयक, 2007—पुर:स्थापित 511

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) 'मेव' जाति को पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 512

(दो) कुल्हाण गांव, डोना और दुदु बसंतगांव, ऊधमपुर के लोगों को पुलिस बल में भर्ती किए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह 512

(तीन) मशीनरी और शल्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए करेंसी सिक्कों की डिफेसिंग/पिघला जाना रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री बाडिगा रामकृष्णा 513

(चार) बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार . 513

(पांच) "अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन तथा पौधारोपण विकास निगम लि." के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को ऋण स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त 514

(छह) स्वजलधारा कार्यक्रम के लिए गुजरात को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 515

(सात) राजस्थान के चुरू जिले में रेल समपार पर चौकीदार तैनात किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 515

(आठ) हिमालयी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री किरेन रिजीजू . 516

विषय		कॉलम
(नौ)	बिहार के गुलाबबाग, पूर्णिया से दरभंगा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-57 पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुकदेव पासवान	516
(दस)	उत्तर प्रदेश के बरेली में बंद पड़ी सिंथेटिक केमिकल फैक्ट्री का अधिग्रहण करने और उसे चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री संतोष गंगवार	517
(ग्यारह)	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती सी.एस. सुजाता	517
(बारह)	बुन्देलखंड क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की बेहतरी के लिए शुरू की गयी केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शामिल करने और इसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजनारायन बुधौलिया	518
(तेरह)	बिहार के पटना शहर में एम्स की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम कृपाल यादव	519
(चौदह)	तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदूर में पुलिकट झील का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए. कृष्णास्वामी	519
(पंद्रह)	लौह अयस्क के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	520
(सोलह)	कोंकण क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	520
(सत्रह)	हस्तनिर्मित बीड़ी पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. अप्पादुरई	521

विषय	कॉलम
(अठारह) एथनॉल के उत्पादन के लिए एक ठोस नीति घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	521
(उन्नीस) महाराजगंज-मशरक रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	522
(बीस) दक्षिण तमिलनाडु में माचिस इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	523
(इक्कीस) कन्नड़ फिल्मों के प्रतिष्ठित कलाकार डा. राजकुमार को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	523
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	
श्री भर्तृहरि महताब	524-528
डा. राजेश मिश्रा	529-534
श्री अनंत कुमार	534-548
श्री ई.जी. सुगावनम	548-562
श्री रघुनाथ झा	562-567
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	567-576
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	576-584
प्रो. एम. रामदास	584-587
श्री हरिकेवल प्रसाद	587-589
श्री वी.के. दुग्गर	589-592
श्री मुन्शीराम	592-595
श्री सनत कुमार मंडल	595-598
श्रीमती रंजीत रंजन	598-602
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	602-609

विषय	कॉलम
श्री शैलेन्द्र कुमार	609-614
श्रीमती वी. राधिका सेल्वी	614-615
श्री अधीर चौधरी	615-621
श्री तापिर गाव	621-626
श्री फ्रांसिस फैन्थम	626-628
श्री किन्जरपु येरननायडु	628-633
श्री रविन्दर नाइक धारावत	633-636
श्री असादूद्दीन ओवेसी	636-640
श्री एस.के. खारवेनथन	640-644
श्रीमती करुणा शुक्ला	644-648
एडवोकेट सुरेश कुरूप	648-651
डा. सी. कृष्णन	651-653
डा. वल्लभभाई कथीरिया	653-656
श्री एम. शिवन्ना	656-659
श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली	659-668
श्री अब्दुल रशीद शाहीन	668-676
श्री कीरेन रिजीजू	677-680
श्रीमती झांसी लक्ष्मी 'बोचा'	680-684
श्री पी.सी. थामस	684-687
श्री अविनाश राय खन्ना	687-690
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	690-693
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	693-698
श्री इकबाल अहमद सरडगी	699-703
श्री मणि चारेनामै	703-705
डा. टोकचोम मैन्या	705-707

विषय	कॉलम
श्री पी. मोहन	707-711
श्री प्रहलाद जोशी	711-720
श्री आलोक कुमार मेहता	720-723
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	723-726
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	726-730
चौधरी लाल सिंह	730-732
श्री वीरेन्द्र कुमार	732-736
डा. अरुण कुमार शर्मा	736-740
डा. करण सिंह यादव	740-742
श्रीमती किरण माहेश्वरी	742-748
डा. के.एस. मनोज	749-751
श्री नन्द कुमार साय	751-752
श्री मंजुनाथ कुन्नुर	752-754
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	755-756
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	756-764
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	765-766
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	765-768

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 7 मार्च, 2007/16 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव, अब श्री नवजोत सिंह सिद्धू को शपथ लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री नवजोत सिंह सिद्धू (अमृतसर)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका पुन: स्वागत है। इस बार इन्होंने सिद्धू शैली नहीं दिखाई।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : उन्हें सत्र में भाग लेने का भी ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सीधे बल्ले से भी खेलना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके लीडर की बात सुनेंगे, आप पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिए, यह तरीका नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, संविधान के मुताबिक जो सदस्य भारत का नागरिक नहीं है, वह इस सदन का सदस्य नहीं हो सकता। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पहले कोई सूचना आने दीजिए फिर मैं विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आप एक प्रीविलेज कमेटी बना दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। पहले कोई सचूना मेरे पास आने तो दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : जो इस बात को देख ले, क्योंकि किसी भी सदस्य का, जो भारत का नागरिक न हो। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में तब तक कुछ नहीं कह सकता हूं जब तक कि कोई सूचना मेरे पास नहीं आ जाती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : जैसे आपने कहा, वैसी ही कार्यवाही इसके अंदर भी करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मामला मेरे पास आता है तो मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० राम गोपाल यादव जी, क्या आप इस पर दोपहर 12 बजे चर्चा कर सकते हैं। इस सत्र में अब तक हम प्रश्न काल पर चर्चा नहीं कर पाये हैं।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस प्रश्न-काल सस्पैंड करने का दिया है। मसला यह है कि जैसा हमेशा से कांग्रेस का रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, हम बोल रहे हैं कि हम आपकी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं। मुझे पता है कि आपको एक महत्वपूर्ण विषय उठाना है। मैं केवल यही कह रहा हूं कि आप इसे 55 मिनट बाद उठा सकते हैं। इस सत्र में हमने प्रश्न काल पर चर्चा नहीं कराई है। अत: मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं।

प्रो० राम गोपाल यादव : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। मैं वास्तव में आपका आभारी हूं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न संख्या 121, श्री अनन्त नायक – उपस्थित नहीं। श्री असादुद्दीन ओवेसी।

रूस के राष्ट्रपति का दौरा

+

***121. श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ चर्चा किये गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इस चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस दौरे के दौरान देश में नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना सहित किन्हीं द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपरोक्त समझौते के अंतर्गत देश में राज्य-वार कुल कितने नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना की जाएगी;

(च) यह संयंत्र कब तक स्थापित किये जाएंगे;

(छ) क्या रूस नाभिकीय ईंधन आपूर्तिकर्त्ता समूह (एन०एस०जी०) से छूट प्राप्त करने में भारत की सहायता करने के लिए भी सहमत है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने में रूस कितनी सहायता करेगा?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (झ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। रूस के राष्ट्रपति ने 25-26 जनवरी, 2007 के बीच भारत की यात्रा की।

(ख) दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित-चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश में सहयोग के प्रमुख मुद्दों के विचार-विमर्श किया गया। इन चर्चाओं के परिणामों की रूपरेखा 25 जनवरी, 2007 को जारी 'भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामान्य श्री ब्लादीमीर वी० पुतिन की आधिकारिक यात्रा के निष्कर्ष पर संयुक्त वक्तव्य' में दी गई है जो सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध है।

(ग) और (घ) उक्त यात्रा के दौरान अनेक द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए किन्तु नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना संबंधी किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए। कुदानकुलम तथा नए स्थलों पर अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण पर चर्चाएं आयोजित की गई और इससे संबंधित आशयज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 25 जनवरी, 2007 को

''परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त वक्तव्य'' जारी किया गया। इस संयुक्त वक्तव्य में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

जिन अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, वे निम्नानुसार हैं:–

(1) भारत में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की आधिकारित यात्रा के निष्कर्षों पर संयुक्त वक्तव्य;

(2) वर्ष 2007-09 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम;

(3) वर्ष 2008 में ''भारत में रूस का वर्ष'' और वर्ष 2009 में ''रूस में भारत का वर्ष'' के आयोजन पर प्रोतोकोल;

(4) शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए रूसी वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली ग्लोनॉस के नौवहन संकेतों तक भारतीय पक्षकार को शामिल करने पर करार;

(5) रूसी वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली ग्लोनॉस रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक भाग तक भारतीय पक्षकार को शामिल करने पर करार;

(6) संयुक्त उपग्रह परियोजना 'यूथसैट' में सहयोग पर करार; और

(7) भारत गणराज्य तथा रूसी परिसंघ के बीच सामानों और वाहनों की आवाजाही पर सूचना के आदान-प्रदान पर प्रोतोकॉल।

(ङ) और (च) पूर्व पैरा में संदर्भित आशय-ज्ञापन में भारत के कुदानकुलम स्थल पर चार अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्र इकाइयों के निर्माण के साथ-साथ नए स्थल पर रूसी डिजाइन के नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। नये नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संख्या या स्थल और संभावित समय-सीमा के संबंध में अभी तक कोई अन्य विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) से (झ) रूस, तमिलनाडु के कुदानकुलम में 1000 एम०डब्ल्यू० क्षमता के नाभिकीय रिएक्टरों की दो इकाइयों के निर्माण में भारत के साथ सहयोग कर रहा है। रूस, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में भारत के साथ वृहत्तर सहयोग का समर्थ है और यह स्वीकार करता है कि नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक सुरिक्षत, पर्यावरण अनुकूल तथा दीर्घकालिक स्रोत है। रूस और भारत संयुक्त रूस से अपनी-अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं एवं राष्ट्रीय विधायनों के अनुसरण में नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग को बढ़ावा देने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। विशेष रूप से, भारत के साथ पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए नाभिकीय ईंधन आपूर्तिकर्त्ता समूह (एन०एस०जी०) के प्रतिभागी सरकारों के साथ उसके दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त करने में रूस को निरन्तर कार्य करने की आशा है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदय, हालांकि हमने आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि चूंकि भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा बहुत अधिक है अत: इस व्यापार घाटे या अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या भारत सखालीन तीन परियोजना में निवेश करने जा रहा है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक व्यापार का संबंध है यह सत्य है कि भारत और रूस के बीच व्यापार का वर्तमान स्तर 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के आस-पास है; यह निर्णय लिया गया है कि 2010 तक इसे 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक किया जाए। नए तेल क्षेत्रों जैसे सखाली तीन में निवेश के संबंध में माननीय सदस्य तथ्यों से शायद अवगत होंगें। हमने सखालीन एक में पहले ही निवेश किया हुआ है हम दो अन्य क्षेत्रों में भी इच्छुक हैं। बातचीत चल रही है परन्तु अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : दूसरा मुद्दा वीजा समझौते के बारे में है। हमारे भारतीय व्यापारी कठिन समस्या का सामना कर रहे हैं विशेषकर जब वे रूस जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत पुन: प्रवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है सरकार क्या कर रही है चूंकि रूस समझौते पर हस्ताक्षर करने पर जोर दे रहा है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 1, 2 और 3 समझौते के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि रूस के साथ हमारा परमाणु समझौता है।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय जहां तक अंतिम प्रश्न का संबंध है नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु नागरिक परमाणु कार्यक्रमों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 123 समझौते पर हस्ताक्षर करने और रूस के साथ हमारे कार्यक्रम के बीच कोई संबंध नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य और पूरे देश को पता है कुडानकुलम में रूस के समर्थन से हमारे यहां दो परमाणु विद्युत संयंत्र पहले से ही

हैं और कुडानकुलम तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में और अधिक परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है, हालांकि इन क्षेत्रों के बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिय रूस के साथ नागरिक उपयोगों हेतु परमाणु सहयोग कार्यक्रम निरंतर चलने वाला और दीर्घावधि कार्यक्रम हैं।

वीजा समझौते के संबंध में रूस द्वारा पुन: प्रवेश समझौते के साथ वीजा सुविधा समझौता पर जोर देने के संबंध दोनों पक्ष इस मुद्दे का समाधान करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं इस समस्या से अवगत हूं कि हमारी व्यापारी और पेशेवरों द्वारा कभी-कभी रूस सहित कुछ देशों द्वारा प्रतिबंधात्मक वीजा नीतियों का पालन करने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

श्री खारबेल स्वाईं : क्या रूस आई०ए०ई०ए० अथवा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की अनुमति के बिना कुडानकुलम में अतिरिक्त परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकता है? क्या रूस ने ऐसी एजेन्सियों से स्वीकृत ली है क्या ऐसे संयंत्रों को स्थापित करने के लिए ऐसे अभिकरणों से भविष्य में स्वीकृति लेनी पड़ेगी?

श्री प्रणब मुखर्जी : किसी परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के साथ कई मुद्दे जुड़े होते हैं। केवल विद्युत संयंत्र की स्थापना करने और रियेक्टर खरीद लेने से बात समाप्त नहीं होती है। इसके लिए हमें ईंधन की निरंतर आपूर्ति चाहिए होती है और ईंधन की आपूर्ति एन०एस०जी० दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है। रूस भी इस पर हस्ताक्षर करने वाला देश या इसका हिस्सा है। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु ईंधन की आपूर्ति होती रहे एन०एस०जी० दिशानिर्देशों को संशोधित करने के भी प्रयास किए गए हैं। ये सभी बातें आपस में संबंधित हैं और जब तक हमें ईंधन आपूर्ति का आश्वासन नहीं मिलता हम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कोई समझौता नहीं कर सकते।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय, 'ख', 'ग' और 'घ' के उत्तर में 3, 4, 5 और 6 वक्तव्य भारत की शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु रूसी सैटेलाइट तक पहुंच से संबंधित हैं। क्या माननीय मंत्री जी उन क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं जहां हमें इस पहुंच से लाभ होगा? क्या हमें संचार के क्षेत्र में या सैटेलाइट सर्वेक्षण करने या इन सभी में लाभ हो रहा है?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु हमें इस समझौते से रूसी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनोस्स रेडिया फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के नेविगेशन सिग्नल्स प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ये वही सुविधाएं हैं जो हमें प्राप्त होने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, नवीन सटे हेतु संयुक्त सैटेलाइट परियोजना में सहयोग पर समझौता हेतु बातचीत चल रही है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : महोदय, कुडाकुलम में परमाणु संयंत्रों पर रूस के साथ समझौता और सहयोग भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले का था। मैं जानना चाहूंगा कि इस पर कैसे हस्ताक्षर हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी। इस प्रक्रिया में तीसरे चरण में इसमें स्थानीय और घरेलू थोरियम भी डाला जाएगा। यदि ऐसा है तो हमें क्यों नहीं इसे थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु समझौते का वास्तविक लाभ क्या है जब इस पर रूस के साथ काफी पहले हस्ताक्षर किया जा सकता था?

अध्यक्ष महोदय : आज, इस सत्र का पहला प्रश्न काल है। इसलिए, मैंने आपके दो अनुपूरक प्रश्नों को अनुमति दी परन्तु आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछने के हकदार हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है यह सही है कि हमारे यहां से दो कार्यक्रम भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौता होने पर पहले से चल रहे थे। अब चार विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। जहां तक थोरियम, का संबंध है यह हमारे तीन सूत्री परमाणु विद्युत कार्यक्रम का हिस्सा है परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं इसके पूर्ण वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी का विकास अभी किया जाना है और इसमें कुछ समय लगेगा। इसे ध्यान में रखते हुए हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं।

जहां तक भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौते का संबंध है यह बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य इच्छुक हैं तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं और मैं इस पर पूर्ण चर्चा के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

'एम्स' जैसी सस्थाएं

+

*122. **श्री अनवर हुसैन** :
श्रीमती नीता पटैरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में 'एम्स' (ए०आई०आई०एम०एस०)

जैसी छः संस्थाओं की स्थापना के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या 'एम्स' की तर्ज पर राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण अस्पतालों को "विशेषज्ञता प्राप्त केन्द्र" घोषित करने और उन्हें अत्याधुनिक क्षेत्रीय अनुसंधान अस्पताल बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव आपके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश) राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी एक-एक संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकारों ने न्यूनतम 100 एकड़ भूमि प्रदान की है। उनको इन नई संस्थाओं के लिए बिजली और पानी की सुविधाएं विकसित करने का अनुरोध किया गया है। सभी स्थलों के चारों ओर चार-दीवारी के निर्माण-कार्य को पूरा कर लिया गया है। वापकोस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्था के स्थलों का पर्यावरणिक प्रभाव (ई०आई०ए०) के अध्ययन और निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। सभी स्थलों पर मार्च, 2007 के अंत तक निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी छह संस्थाएं स्थापित करने हेतु परियोजना परामर्शदाता के चयन के लिए पहले प्राप्त बोलियों (बिड्स) को तकनीकी आधार पर नामंजूर कर दिया गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि छह संस्थाओं में प्रत्येक संस्था के लिए अलग-अलग बोलियां (बिड्स) मांगी जाएं। टर्नकी आधार पर ई०पी०सी० (अभियांत्रिकी, अधिप्रापण और निर्माण) डवलेपर के माध्यम से भवन संघटक के निर्माण के लिए अलग से बोलियां मांगी जा रही हैं। भवन के लिए अभियांत्रिकी, अधिप्रापण (खरीद) और निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए 9.2.2007 को इच्छुक फर्मों से बोलियां (एक्सप्रेसन आफ इन्ट्रैस्ट) (ई०ओ०आई०) जारी कर दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के परिसर के निर्माण के लिए डिजाइन के चयन और डी०पी० आर० परामर्शदाता के लिए 15.2.2007 को इच्छुक फर्मों से बोलियां आमंत्रित (ई०ओ०आई०) पर दी गई है। छांटे गए बोलीकर्ताओं के लिए दोनों मामलों में प्रस्ताव हेतु अनुरोध अप्रैल, 2007 में जारी कर दिया जाएगा।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे और उपकरणों की दृष्टि से विद्यमान 13 चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है। उन्नत की जा रही संस्थाओं की सूची संलग्न अनुबंध में है। भारत सरकार प्रत्येक संस्थान के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और राज्य सरकारों का हिस्सा 20 करोड़ रुपए है और उनको बाद की आवृति, रख-रखाव और जनशक्ति की लागातों का वहन करना होगा। एस०वी०आई०एम०एस०, तिरूपति के लिए टी०टी०डी० न्यास आधी लागत अर्थात् 60 करोड़ रुपए का वहन कर रहा है और भारत सरकार का अंश केवल 60 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार भारत सरकार के संस्थान आई०एम०एस० (बी०एच०यू०) वाराणसी के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय 20 करोड़ रुपया प्रदान कर रहा है।

अनुबंध

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13 चिकित्सीय संस्थानों का उन्नयन

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 13 चिकित्सीय संस्थानों का उन्नयन करने के लिए पहले ही पहचान की जा चुकी है:

1. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू (जम्मू कश्मीर)
2. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू कश्मीर)
3. कोलकाता चिकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
4. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
5. आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
6. निजाप आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
7. श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरूपति (आंध प्रदेश) (टी०टी०डी० न्यास उन्नयन के कार्य की 50 प्रतिशत लागत वहन करेगा)
8. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सलेम (तमिलनाडु)

9. पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद (झारखण्ड)*

10. बी०जे० चिकित्सा महाविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)

11. बैंगलूर चिकित्सा महाविद्यालय, बैंगलूर (कर्नाटक)

12. ग्रांट्स चिकित्सा महाविद्यालय, सर जे०जे०ग्रुप अस्पताल समूह, मुम्बई (महाराष्ट्र)**

13. चिकित्सा महाविद्यालय, तिरूवनन्तपुरम (केरल)

ध्यान दें

* झारखंड सरकार से रांची में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान के उन्नयन के विकल्प पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया गया है।

** उन्नयन करने का कार्य लम्बित है क्योंकि यह मामला नागपुर के चिकित्सा महाविद्यालय के बजाय इस संस्थान के चयन के बारे में मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर बैंच में न्यायाधीन है।

श्री अनवर हुसैन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ('एम्स') का दर्जा दिया जा रहा है।

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय, हमनें काफी सोच समझ कर गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय को उन्नत करने का निर्णय लिया है। मेरा मानना है कि इस वर्ष के अंदर इसके लिए वित्तीय संसाधन आवंटित कर दिए जाएंगे। यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बजाय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है। इसे एम्स जैसे संस्थानों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा लेकिन हम गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद सदस्य महोदय, मेरा मानना है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ठीक है। आप संतुष्ट हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां छ: एम्स, जिसमें जोधपुर, बिहार में पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, उड़ीसा में भुवनेश्वर और उत्तरांचल में ऋषिकेश में सरकार ने बनाना तय किया था और इनकी बाउंड्री बन चुकी है। मैं खास तौर से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में क्या एलोकेशन एम्स के लिए रखे हैं और एक-एक एम्स के लिए सरकार ने कितना खर्च करना तय किया है?

[अनुवाद]

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की परिकल्पना 2003 में की गई थी। पिछले वर्ष ही हमें इस परियोजना के लिए आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति का अनुमोदन मिला। अब हम इसके लिए वित्तीय संस्थान जुटाने के लिए सक्षम हो गये हैं। उसी समय हमने निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन और परियोजना परामर्शदाता की पहचान आदि से जुड़े कार्य शुरू कर दिए हैं। इस वर्ष इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। वित्त विभाग ने आश्वासन दिया है कि इस परियोजना में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए हमने इस परियोजना को बड़े पैमाने पर शुरू किया है। इस परियोजना के दो भाग हैं – पहले भाग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सरीखे स्थान हैं और दूसरे भाग में मौजूदा 13 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन शामिल है। तद्नुरूप यह कार्य चल रहा है।

श्रीमती मिनाती सेन : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं क्या पश्चिम बंगाल राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है। यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं?

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि आप क्षुब्ध हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : महोदय, आपकी इजाजत से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऑन पैटर्न अपग्रेडेशन एम्स के मुताबिक जो हमारे जम्मू में मेडिकल कालेजेज लिए गए थे, आज इस बात को तीन वर्ष बीत चुके हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी कहा था कि हमने इतने पैसे सैंक्शन कर दिए हैं। मैं एम्स की बात कर रहा हूं कि इसके लिए क्या टाइम बाउंड सिस्टम है, क्योंकि पचास लाख लोग इसकी आस लगाकर रखे हुए हैं कि कब तक आप उसे बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे?

[अनुवाद]

डा० अंबुमणि रामदास : यह जम्मू-कश्मीर राज्य के दो चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन से संबंधित है। पहले हमारे पास केवल एक महाविद्यालय के उन्नयन का प्रस्ताव था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अनुदेश के अनुसार अब दो चिकित्सा महाविद्यालयों के

उन्नयन का हमारा प्रस्ताव है – एक जम्मू में और दूसरा श्रीनगर में। यह निर्धारित समयानुसार चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात की जानकारी अनुसूची-एक और दो में पहले ही दी गई है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि संविधान में मूल अधिकार है कि सभी मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए और इस संदर्भ में इस सदन में भी कई बार चर्चायें हुयी हैं। लेकिन मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, मेरा मूल प्रश्न ख से संबंधित है कि एम्स की तर्ज पर विशेषज्ञता प्राप्त केंद्र और रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा जहां उत्तर प्रदेश में बड़े हास्पिटल्स स्थापित हैं, इनको आपक क्या सुविधाएं देंगे?

[अनुवाद]

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय, सर्वप्रथम, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम राज्य के उत्तरदायित्व को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनके इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोग कर रहे हैं। वस्तुत: उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए हमारे पास पहले केवल एक संस्थान के उन्नयन का प्रस्ताव था परंतु प्रधान मंत्री के अनुदेश के अनुसार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, अब दो संस्थानों का उन्नयन कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, ये ऐसी बातें विगत दो वर्षों से कर रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री रघुनाथ झा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, आप आज पहले ही एक प्रश्न पूछ चुके हैं। आप बहुत ही वरिष्ठ और आदरणीय सदस्य हैं। मैंने दूसरे सदस्य का नाम पुकारा है। कृपया सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो एम्स बिहार में बनाने के बारे में कहा है कि उसकी चारदीवारी हो गयी है, मैं पूछना चाहता हूं कि पटना में एम्स बनाने के काम को कब तक पूरा करेंगे?

दूसरा, तेरह मेडिकल कालेजों को अपग्रेड करने की बात कही गयी है, लेकिन बिहार के एक भी मेडिकल कालेज को उसमें नहीं लिया गया है। जबकि बिहार की आबादी नौ करोड़ है। मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। अगर स्टेट सब्जैक्ट है तो प्रधान मंत्री योजना क्यों लागू हैं? हम जानना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री योजना किसी स्टेट के लिए है या सारे देश के लिए है? जब प्रधान मंत्री योजना है तो इसकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए क्योंकि वह पिछड़ा इलाका है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० अंबुमणि रामदास : मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाएं प्रदान कराना राज्य सरकारों का दायित्व है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में केन्द्र सरकार अनुपूरक की भूमिका अदा करती है और इस योजना की परिकल्पना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत की गई है। दसवीं योजना के बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की परिकल्पना की गई थी। वास्तविकता यह है कि दसवीं योजना के दौरान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं किए गये थे और पिछले वर्ष की आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 3976 करोड़ रुपये है और यह सतत रूप से चलने वाली परियोजना है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दिए जाने के बाद परियोजना कंसलटेंसी, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति आदि प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परियोजना परामर्शदाता को लेकर हमारे पास कुछ समस्याएं थी क्योंकि हमने छ: नए संस्थानों या परियोजनाओं को मिला दिया और हमें उपयुक्त परामर्शदाता नहीं मिला पाया है। अब हमने 'एम्स' सरीखे छ: नए संस्थानों को अलग-अलग कर दिया है और मैं, आपके माध्यम से सभा को आश्वासन देता हूं कि इन सारी प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। हमें बिहार के बारे में बहुत चिंता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कम ध्यान दिया जाता है और इन्हीं कारणों से हमलोग उनके बारे में सचमुच चिंतित हैं। हम उन पर अवश्य ध्यान देंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि कर्नाटक के हमारे कुछ साथी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक के हमारे साथियों को सदन में आने और कार्यवाही में भाग लेने के मेरे अनुरोध में प्रत्येक सदस्य मेरा साथ देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि यह संदेश उन्हें बता दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं विभिन्न विषयों पर पांच अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं। यह इस प्रकार नहीं चल सकता। आपको यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि सदन में कैसे व्यवहार करना है।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा यहां उपस्थित हैं। कर्नाटक के अन्य सदस्य भी उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। मैं ही गलत था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वे यहां उपस्थित हैं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसनगौड़ा आर० पाटिल (यत्नाल) : हमने कावेरी ईशू पर नियम 193 के अंतर्गत नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग

+

***123. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है और उनका ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने अधिकारियों और ठेकेदारों को दोषी पाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री सड़क और पुल कार्य, 2001 (चतुर्थ संशोधन) के लिए मंत्रालय के विनिर्देशों तथा भारतीय सड़क कांग्रेस के विभिन्न प्रकाशनों के अनुरूप हो, सरकार की विभिन्न एजेंसियां अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन में गुणता नियंत्रण की व्यवस्था है। उनसे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : महोदय, उड़ीसा के बोरूगुमा-बारगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 201 की स्थिति क्या है? इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

श्री टी०आर० बालू : मुझे यह कहते हुए खेद है कि ये प्रश्न सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानकारी उन्हें अलग से भेज सकते हैं।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : मैं यह जानना चाहती हूं कि गुणवत्ता के स्तरीय नहीं होने के मामलें में भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भांति ठेकेदार की पांच वर्ष की गारंटी अवधि है और सड़क की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें सड़क की गुणवत्ता को उन्नत करना होगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी०आर० बालू : हम हमेशा लाइमस्टोन जैसी सामग्री की जांच से संबंधित विनिर्देशों का आश्वासन देते रहे हैं और मंत्रालय पहले ही विनिर्देशों संबंधी अनेक दिशानिर्देश जारी कर चुका है। सड़क और पुल निर्माण के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस अनेकों प्रकाशिनी जारी कर रहा है और ठेकेदारों का भारतीय मानक कारों द्वारा अभिनिर्धारित मानक तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, आदि द्वारा जारी विनिर्देशों का अनुपालन करना होता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या गुणवत्ता तंत्र को समुचित ढंग से लागू नहीं किया जाता है? यह प्रश्न है न।

श्री टी०आर० बालू : जी हां, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मनसुखभाई डी वसावा – उपस्थित नहीं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 208 के अनुरक्षण से संबंधित भ्रष्टाचार का कोई मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है। यदि हां, तो इसका विवरण दीजिए।

श्री टी०आर० बालू : विगत दो वर्षों में हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : परिवहन के मामले में पूर्वोत्तर अत्यंत पिछड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति शोचनीय है। असम के करीमगंज के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 44 उपमार्ग अनेक वर्षों से निर्माणाधीन था। यह निर्माण कार्य लगभग परिव्यक्त पड़ा है। गत वर्ष इस संबंध में मैंने एक प्रश्न संसद में उठाया था। मुझे मंत्री महोदय द्वारा बताया गया था कि इसे 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा। कार्य शुरू कर दिया गया था और हम बहुत प्रसन्न थे कि यह पूरा कर लिया जाएगा। अनेक लोग बहुत प्रसन्न थे। लेकिन हाल ही में हमें पता चला कि कार्य शुरू होने के दो वर्षों बाद उपमार्ग तक पहुंचने वाले मार्ग की ''गार्ड वाल' गिर गई है। इससे पता चलता है कि नींव ठीक नहीं थी। मैंने इसके बारे में बी०आर०ओ० के कमांनडैन्ट से पूछा। उन्होंने बताया कि ऐसा वर्षा होने के कारण हुआ है। लेकिन वास्तव में नींव ठीक नहीं थी। यदि नींव ठीक रहती, तो ऐसा नहीं होता। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की है।

श्री टी०आर० बालू : हमें कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में शिकायतें मिली हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। यह एक विशेष उपमार्ग है। जिसे आसनसोल बाईपास कहा जाता है। यह एक परिव्यक्त कोयला खान के अंडरग्राऊन्ड स्तम्भ के गिर जाने के कारण धंस गया है। यह विशेष शिकायत हमें प्राप्त हुई है। हम कार्यवाही कर रहे हैं। इसके बारे में जांच चल रही है। जांच जब भी पूरी हो जाएगी, निश्चय ही हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार पाये जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि नैशनल हाईवे के काम में घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल करने की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। हम मंत्री जी को जानकारी देना चाहेंगे कि एक किलोमीटर नैशनल हाईवे बनाने के लिए आप तीन करोड़ रुपये देते हैं। इसके तहत उस सड़क की आयु दस साल होनी चाहिए। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एक किलोमीटर नैशनल हाईवे बनाने के लिए तीन-चार करोड़ रुपये देते हैं लेकिन फिर भी सड़कों पर काफी गड्ढे नजर आते हैं। पूना से हैदराबाद जाने वाले नैशनल हाईवे में बहुत सारे गड्ढे हैं। इसका मतलब है कि उसमें घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप हमें सूचना दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : मेरा प्रश्न यह है कि फॉरेन यानी जापान, इंग्लैंड, अमेरिका आदि में नैशनल हाईवे बनाने के लिए जिस नयी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं? इसके साथ-साथ नैशनल हाईवे का जो काम चल रहा है, वह बहुत घटिया हो रहा है। *(व्यवधान)* उस घटिया काम को अच्छा करने के लिए आपका मंत्रालय क्या करने वाला है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : भारतीय मानक उतने ही अच्छे हैं जितना कि विदेशी मानक। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, इनके बारे में अनेक विनिर्देश हमारे पास हैं। हमारे यहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोकनिर्माण विभाग के होने से हमें इस संबंध में विदेश से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सड़क प्रौद्योगिकी का संबंध है, मेरे विचार से हमें किसी बाहर के देश से कोई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सड़कों पर बड़े गड्ढों के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री टी०आर० बालू : हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य हमें लिखेंगे, तो मैं इस पर ध्यान दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी कहना चाहूंगी और हम लोगों ने मंत्री जी के साथ तीन बार मीटिंग्स भी की हैं वहां भी हमने कहा था कि बिहार में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हैं, वहां पर सेन्ट्रल एजेंसी द्वारा उनके लिए टेण्डर लोकल ठेकेदारों को ही दिए जाते हैं जिनके पास पूरी सामग्री भी नहीं होती है। उनके ब्लैकलिस्टेड होने के बाद भी आर्डर उन्हीं को दिए जाते हैं। अभी आपने 106 और 107 में पैसा दिया है। हम लोगों ने बताया था कि जहां पर छ: इंच मोटी सड़क बननी चाहिए, वहां केवल ढाई इंच मोटी सड़क बनती है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने दो साल पहले मीटिंग की थी लेकिन आज तक बिहार में वैसे ही काम चल रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या आपने इस कोई कार्यवाही की है?

श्री उदय सिंह : महोदय, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : जहां तक बिहार में और अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण का संबंध है, राज्य का लोक निर्माण विभाग सड़कों की देखरेख करता है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। कहां से बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बोलने का तरीका नहीं है। आपको सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालने का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : हम परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं। लेकिन, इसके साथ-साथ माननीय सदस्य के पास यदि कोई विशिष्ट शिकायत है, तो वह आज भी आ सकती हैं। मैं अवश्य ही यह स्पष्ट कर दूंगा कि यह ठीक है यह नहीं और यदि कोई समस्या है तो मैं उनके साथ बैठकर विचार करूंगा और तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह बात प्रेस और मीडिया में भी आई है कि सड़क दुर्घटना का एक कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाना है।

महोदय, हमें हर रोज यह सूचना मिलती है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यह बेहद दुख की बात है। ऐसी घटनायें हम दूरदर्शन पर भी देख सकते हैं। मेरा कहना है कि ऐसा हर रोज हो रहा है और यह सभी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह लोगों के लिए त्रासदी बन चुकी है। प्रमुख कारण यह है कि घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इससे अवगत है और क्या सरकार सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के लिये कोई कार्यवाही करेगी क्योंकि सड़क ऐसी बन जाती है जिस पर फिसला जा सकता है। यह लोगों की जान लेना है। और ऐसा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के कारण है। अत: क्या सरकार कोई कदम उठाएगी?

श्री टी०आर० बालू : 'अन्ना' के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं मिली है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसके प्रति सम्मान?

श्री टी०आर० बालू : यह सम्मान भाव श्री वी० राधाकृष्णन के प्रति है। हम उन्हें 'अन्ना' कहते हैं जिसका अर्थ है 'भाई'। हमें कोई शिकायत नहीं मिली है *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : ऐसा हर रोज हर राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में हो रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं कि वे आपके भाई हैं।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, संप्रग सरकार के कार्यकाल में मुझे अब तक सामग्री की गुणवत्ता के बारे में एक भी शिकायत नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य द्वारा कोई विशिष्ट शिकायत की जाती है, तो मैं कार्यवाही करूंगा *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने शिकायतें दी हैं *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : मैं यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित ही कार्यवाही करूंगा कि इस प्रकार के कोई मामले न हों *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं आपको यहां बैठने के लिये आमंत्रित करूंगा।

(व्यवधान)

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

+

*124. **श्री सांताश्री चटर्जी :**
श्री टैक लाल महतो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं का खान-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में खान-वार और स्थान-वार कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक कोयला खान में सुरक्षा उपायों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या ये दुर्घटनाएं प्रबंधन की लापरवाही से हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(च) मृतकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे और अन्य राहत का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) से (च) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) की सहायक कंपनियों और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० (एस०सी०सी०एल०) की खानों में पिछले तीन वर्षों (2004, 2005 और 2006) के दौरान हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा और इन खानों में मृत/घायल व्यक्तियों की संख्या निम्नवत है:–

कंपनी/स्थान	घातक दुर्घटनाओं की संख्या			सांघातिकताओं की संख्या			गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या			गंभीर चोटों की संख्या		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ई०सी०एल० (पश्चिम बंगाल और झारखंड)	16	15	8	17	16	13	183	114	92	187	114	94
बी०सी०सी०एल० (झारखंड)	11	12	11	12	17	60	70	61	45	71	66	47
सी०सी०एल० (झारखंड)	10	8	4	10	22	4	20	16	14	24	16	14
एन०सी०एल० (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश)	3	3	4	4	3	5	9	17	15	10	18	15

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
डब्ल्यू०सी०एल० (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)	13	11	13	13	11	13	63	44	56	66	45	59
एस०ई०सी०एल० (छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश)	7	14	7	8	15	7	97	87	66	99	90	69
एम०सी०एल० (उड़ीसा)	4	9	2	4	9	2	17	13	10	17	13	17
एन०ई०सी० (असम)	2	1	0	2	1	0	0	2	1	0	2	1
(उप-जोड़) सी०आई०एल०	66	73	49	70	94	104	459	354	299	474	364	316
एस०सी०सी०एल० (आंध्र प्रदेश)	11	12	16	14	12	19	161	787	618	163	789	622
अन्य लिग्नाइट सहित	10	14	13	12	14	14	11	8	7	12	8	7
जोड़	87	99	78	96	120	137	631	1149	924	649	1161	945

ई०सी०एल० – ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

बी०सी०सी०एल० – भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

सी०सी०एल० – सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एन०सी०एल० – नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

डब्ल्यू०सी०एल० – वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

एस०ई०सी०एल० – साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

एम०सी०एल० – महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

एन०ई०सी० – नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स

(ग) कोल इंडिया लि०(सी०आई०एल०) की सहायक कंपनियों और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० (एस०सी०सी०एल०) की खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा उपाय करने के लिए आबंटित निधि नीचे दिए अनुसार है:–

(आंकड़े लाख रुपए में)

कंपनी	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
ई०सी०एल०	12578.00	12974.00	12588.00
बी०सी०सी०एल०	17118.05	14283.87	16017.43
सी०सी०एल०	1715.64	2252.21	2483.91
एन०सी०एल०	864.00	4960.00	4998.00
डब्ल्यू०सी०एल०	7413.18	6950.00	7474.80
एस०ई०सी०एल०	9988.26	10025.75	10799.45
एम०सी०एल०	4516.00	5054.48	5293.00
एन०ई०सी०	500.00	274.00	404.00
सी०आई०एल०	54693.13	56774.31	60058.59
एस०सी०सी०एल०	20080.00	23760.00	27936.00

(घ) और (ङ) खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी०जी०एम०एस०), जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खान अधिनियम, 1952 के अनुसार खानों में सुरक्षा अभिशासित करने वाली संविधियों को लागू करने के लिए सांविधिक प्राधिकरण है, कोयला खानों में दुर्घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच करता है और प्रबंधन संवर्ग के व्यक्तियों सहित इन दुर्घटनाओं, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेवारी

निर्धारित करता है। डी०जी०एम०एस० के संविधि के अनुसार जांच में जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का अधिकार है तथा यह चूक/लापरवाही की गंभीरता के आधार पर समुचित कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन को सलाह दे सकता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, दुर्घटना के प्रत्येक मामले में विभागीय जांच की जाती है और जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(च) खान दुर्घटना के प्रत्येक मामले में मृतक के परिवारों को कोयला कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया मुआवजा और राहत का ब्यौरा निम्नवत है:–

1. मृतक के परिवार को दाह-संस्कार के व्यय और परिवहन आदि के लिए तत्काल भुगतान किया जाता है।

2. मृतक के परिवार को 30,000/-रु० (1.1.2005 से पूर्व के 25,000/- रु० से संशोधित) की अनुग्रह राशि का भुगतान।

3. मृतक के परिवार को 40,000/-रुपए (1.1.2005 से 30,000/-रु० से संशोधित) की जीवन सुरक्षा योजना।

4. कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे का भुगतान, सेवा अवधि के आधार पर उपदान, कोयला खान भविष्य निधि (सी०एम०पी०एफ०) नियम के अनुसार पी०एफ०, ई०एल० का नकदीकरण और अन्य देय राशि का भुगतान।

5. कोयला खान पेंशन योजना (सी०एम०पी०एस०), 1998 के अनुसार पेंशन।

6. मृतक के पात्र संबंधी को रोजगार की पेशकश की जाती है।

7. यदि रोजगार के लिए कोई पात्र व्यक्ति नहीं है तो मृतक के परिवार को प्रतिमाह मौद्रिक मुआवजा का भुगतान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों (2004 से 2006) के दौरान सी०आई०एल० और एस०सी०सी०एल० द्वारा मुआवजा के रूप में दी गई कुल राशि क्रमशः 818.15/- लाख रुपए तथा 179.57/- लाख रु० है।

श्री सांताश्री चटर्जी : महोदय, कोयला खानों में ठेका कामगारों की संख्या बढ़ रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस सदन में ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसमें ठेका कामगारों से संबंधित दुर्घटनाओं का आंकड़ा अलग-अलग दिया हो, जिसमें भयंकर दुर्घटनाएं और गंभीर चोट की दुर्घटनाएं भी सम्मिलित होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद सदस्य क्या आप अलग विवरण चाहते हैं? मंत्री जी, क्या आपको ऐसी कोई सूचना मिली है?

डा० दासरि नारायण राव : वास्तव में यह प्रश्न सी०आई०एल० अर्थात कोल इंडिया और सिंगरेनी से संबंधित है। अतः मैं माननीय सदस्य को उत्तर अलग से भेज दूंगा।

श्री सांताश्री चटर्जी : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को ज्ञात है कि देश में 'ओपन कास्ट' कोयला खनन की बढ़ती प्रवृत्ति से गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाग को इसकी गम्भीर चिन्ता है और विभाग ने 'ओपन कास्ट' खनन, जिससे देश के कानून का उल्लंघन नहीं होता, के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह 'ओपन कास्ट' खनन के बारे में है।

डा० दासरि नारायण राव : दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम 'ओपन कास्ट' खनन के मामले में उपाय कर रहे हैं। भूमिगत खनन के संबंध में, मेरा कहना है कि हम अनेक उपाय कर रहे हैं। हम उनका मशीनीकरण कर रहे हैं। 305 खानों में से 96 खानों का मशीनीकरण हो चुका है। और 90 खानों को दसवीं योजना में मशीनीकरण के लिए लिया गया है। अतः शेष खानों को मशीनीकरण हेतु लिया जाएगा। इसलिए, हम भूमिगत खनन का 'ओपन कास्ट' खनन की अनदेखी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री टेकलाल महतो – यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री हन्नान मोल्लाह : जहां तक कोयला खान दुर्घटनाओं का संबंध है, जैसा कि हमने देखा है, आन्ध्र प्रदेश जहां कि एस०सी०सी०एल० स्थित है, दुर्घटनाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। मंत्री महोदय, जो आंध्र प्रदेश से हैं, के कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे पता नहीं कि इनकी संख्या बढ़ रही है या नहीं। अन्य राज्य की तुलना में वहां इतनी अधिक वृद्धि क्यों हो रही है। मैं समझता हूं कि आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में इतनी अधिक दुर्घटनाएं क्यों बढ़ी हैं?

डा० दासरि नारायण राव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 2004 तक उनके द्वारा अपने खानों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं की सूचना डी०जी०एम०एस०

को ही जाती थी। अब डी०जी०एम०एस० के मानदंडों के अनुसार यह आवश्यक हो गया है कि हड्डी टूटने संबंधी घटना को भी गंभीर दुर्घटना मानकर इसकी सूचना दी जाए। यह वर्ष 2005 से शुरू हुआ है, इसीलिए इसमें वृद्धि हो रही है। इसका यही कारण है। दुर्घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। उदाहरण स्वरूप पूर्व में उंगलियों में खरोंच और इसी प्रकार के चोट की सूचना गंभीर दुर्घटना के रूप में नहीं दी जाती थी। अब डी०जी०एम०एस० के निदेशों के अनुसार छोटी से छोटी चोट की सूचना मानदंड के अनुसार देनी होती है।

श्री हन्नान मोल्लाह : इसमें घायल हुए व्यक्तियों के संबंध में कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई सूचना नहीं दी जाएगी। मंत्री महोदय, आप मेरी अनुमति के बिना उत्तर नहीं दें।

प्रश्न सं० 125 – श्री हरिभाऊ राठौड़ – उपस्थित नहीं

प्रश्न सं० 126 – श्री चंद्रकांत खैरे – उपस्थित नहीं
श्री गणेश सिंह – उपस्थित नहीं

प्रश्न सं० 127 – श्री शिशुपाल एन० पटले – उपस्थित नहीं
प्रो० महादेवराव शिवनकर – उपस्थित नहीं

प्रश्न सं० 128 – श्री अवतार सिंह भड़ाना – उपस्थित नहीं

[हिन्दी]

विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा

+

*128. **श्री अवतार सिंह भड़ाना**
श्री जे०एम० आरून रशीद :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो सियाचिन, आतंकवाद, युद्धबंदियों, [illegible] एवं व्यापार सहयोग, परमाणु खतरों को कम करना और सामूहिक पर्यटन आदि जैसे मुद्दों पर हुई वार्ताओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान अपनी जेलों में काफी समय से बंद पड़े युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान अपनी जेलों में बंद भारतीय युद्धबंदियों की पहचान करने के लिए उनके संबंधियों को अनुमति देने पर सहमत हो गया है; और

(ङ) उक्त दौरे से दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों में किस हद तक सुधार हो पायेगा?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। विदेश मंत्री ने अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में होने वाले 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने हेतु प्रधान मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह का निमंत्रण पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शौकत अजीज को देने के लिए 13-14 जनवरी, 2007 को पाकिस्तान की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान, विदेशी मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शौकत अजीज और पाकिस्तान के विदेशी मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के साथ द्विपक्षीय वार्त्ताएं कीं। दोनों पक्ष कैदियों से संबंधित एक समिति का गठन करने पर सहमत हुए जिसमें प्रवर न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायधीश हों ताकि दोनों देशों की जेलों में जाकर कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के उपायों का प्रस्ताव करें और जिन कैदियों ने अपने सज़ा की अवधि पूरी कर ली है, उनकी शीघ्र रिहाई; वीजा व्यवस्था के शीघ्र उदारीकरण और फरवरी 2007 में कार्य को पूरा करने पर सहमति हुई कि अनेक करार जो पूर्ण होने को हैं, जिनमें (क) नाभिकीय हथियारों से सम्बद्ध दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना (ख) अनजाने में नियंत्रण रेखा पार करने वालों की शीघ्र वापसी, और (ग) समुद्र संबंधी घटनाओं की रोकथाम शामिल हैं, फरवरी 2007 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री कसूरी की भारत यात्रा के दौरान संपन्न किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने सियाचिन के मसले पर चर्चा की और निर्णय लिया कि इस मसले के हल के लिए अधिकारी शीघ्र ही मिलेंगे। दोनों पक्ष भारत में नोएडा और गुड़गांव तथा पाकिस्तान में तक्षशिला और हसन अब्दल में राजनयिकों को आने-जाने की सुविधा देने को भी सहमत हुए। इसकी प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाएगा। वे इस पर भी सहमत हुए कि संयुक्त आंतक-रोधी तंत्र की प्रथम बैठक मार्च, 2007 को पूरा होने से पूर्व होगी। सरक्रीक के संबंध में, संबंधित अधिकारियों को अपना कार्य शीघ्र करने का निर्देश दिया गया। सरक्रीक के संयुक्त सर्वेक्षण 15 जनवरी, 2007 को आरंभ हुआ है। दोनों पक्षों ने विदेश सचिव वार्त्ताओं सहित समग्र वार्त्ता के चौथे दौरे की वार्त्ता भी 13-14 मार्च, 2007 को आरंभ करने का निर्णय लिया।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सचूना के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में 74 भारतीय युद्धबन्दी हैं। तथापि पाकिस्तान ने अपनी जेलों में किसी भारतीय युद्ध बंदी के होने को स्वीकार नहीं किया है। जनवरी, 2007 में विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान इस मामले को पाकिस्तान के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है और उन्होंने युद्ध बन्दियों के परिवारों के प्रतिनिधि मण्डल को पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में जाने देने की अनुमति दी है। हमने उपरोक्त यात्रा के लिए अप्रैल 2007 का प्रस्ताव दिया है।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था? यदि हां, तो सियाचिन, आतंकवाद, युद्धबंदियों, आर्थिक एवं व्यापार सहयोग, परमाणु खतरों को कम करना और सामूहिक पर्यटन आदि जैसे मुद्दों पर हुई वार्ताओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने अपने वक्तव्य में पाकिस्तान के नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों पर हुई चर्चा का पहले ही उल्लेख किया है। मूल रूप से इस दौरे का उद्देश्य नई दिल्ली में होने वाले 14वें दक्षेस सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री जी की ओर से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को निमंत्रण देना था। स्वाभाविक रूप से, मैंने इस अवसर का उपयोग राष्ट्रपति मुशर्रफ, प्रधान मंत्री श्री शौकत अजीज और मेरे समकक्ष श्री कसूरी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु भी किया। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई।

जहां तक युद्धबंदियों का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का निरंतर यही मत रहा है कि पाकिस्तान के किसी कारागार में कोई युद्धबंदी नहीं है। यह एक बार नहीं कहा गया है बल्कि कई बार कहा गया है और कई विदेश मंत्रियों ने भी यही कहा है। अब इस बारे में एक निर्णय लिया गया है। मैंने मुशर्रफ जी को सुझाव दिया है कि ऐसे बंदियों के परिवार के सदस्य स्वयं को संतुष्ट करना चाहते हैं। अत: यदि उन्हें ऐसा अवसर दिया जाए तो परिवार के सदस्यों का एक शिष्टमंडल आ सकता है। यदि पाकिस्तानी प्रशासन उन लोगों को विभिन्न जेलों में ले जाए तो वे स्वयं देख पायेंगे, यही सहमति हुई है। इस शिष्टमंडल को अप्रैल में कभी भेजा जायेगा।

सियाचिन के संबंध में 10 बार चर्चा की जा चुकी है जिसमें तीन चर्चाएं, जिसे हम 'कंपोजिट डायलाग प्रोसेस' कहते हैं, के अंतर्गत की गई हैं। यह निर्णय लिया गया था कि अधिकारिक स्तर की चर्चा पुन: शुरू होगी। सर क्रीक जैसे कतिपय अन्य क्षेत्रों के संबंध में 15 जनवरी को शुरू किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में तेजी करने का निर्णय किया गया है। पाकिस्तान के नेताओं द्वारा विश्वास बढ़ाने हेतु मेरे साथ कई उपायों पर चर्चा की गई है और ऐसे उपायों पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या पाकिस्तान अपनी जेलों में काफी समय से बंद पड़े युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान इस बात से सहमत नहीं है कि उसके यहां किसी जेल में कोई युद्धबंदी कैद है। फिर हमने इस बात पर बल दिया कि हमें लापता हुए व्यक्तियों के परिवार वालों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं अत: यह उचित होगा यदि आप इन परिवार वालों को पाकिस्तान जाने की अनुमति प्रदान कर दें।

श्री जे०एस० आरून रशीद : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत से पाकिस्तान गए कई व्यक्ति लापता हो गए हैं। क्या सरकार के पास लापता हुए इन व्यक्तियों की कोई सूची है और क्या यह उनके संबंधियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति प्रदान करेगी ताकि वे पता लगा सकें कि लापता हुए लोग किसी जेल अथवा अस्पताल में हैं अथवा उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या सरकार के पास लापता हुए लोगों के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध है।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, भारतीय नागरिकों द्वारा विश्व के किसी भाग में जाने पर स्वाभाविक रूप से वहां स्थित हमारे मिशन में रिपोर्ट किया जाता है और ये मिशन उनके संबंध में सूचना रखता है। लेकिन किसी व्यक्ति के लापता होने की स्थिति में हमें जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हम उनका पता लगाने का प्रयास करते हैं और लगभग प्रतिदिन मुझे विभिन्न संसद सदस्यों से ऐसे पत्र प्राप्त होते हैं कि किसी अमुक देश को जाने वाला व्यक्ति लापता हो गया है। ऐसे मामले में हम अपने मिशन के द्वारा उसका पता लगाने का प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष जी, जैसा अभी माननीय विदेश मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि उनकी पाकिस्तान के विभिन्न नेताओं से, विभिन्न विषयों पर वार्ता हुई है और संयुक्त आतंकरोधी तंत्र की प्रथम बैठक हुई। यह जो तंत्र आपने बनाया है इसके बारे में देश में गलतफहमियां फैली हुई हैं। मान्यवर, एक तरफ तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के कैंप हैं और वे कैंप नष्ट किये जाएं। क्या पाकिस्तान ने इस बारे में मान लिया है? अगर नहीं, तो क्या हम भी आतंकवाद को फैलाने वाले देश के साथ संयुक्त तंत्र बना करके, पाकिस्तान के समकक्ष होकर नहीं खड़े। *(व्यवधान)* हमने वह तंत्र बनाया, कमेटी बनाई और वह कमेटी जांच करेगी। इसके बारे में देश में गलतफहमियां हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहूंगा कि सही वस्तुस्थिति क्या है? पाकिस्तान के साथ सियाचीन के बारे में भी गलतफहमियां हैं। सेना का दृष्टिकोण अलग है। सेना चाहती है कि स्ट्रेटजिक पाइंट पर सियाचीन भारत का अंग रहना चाहिए और सेना को वहां से हटना नहीं चाहिए। लेकिन यह बार-बार सेना हटाने के बारे में कह रहे हैं। इस बारे में जा गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, भ्रम की कहीं भी कोई स्थिति नहीं है। जहां तक संयुक्त आतंकवाद विरोधी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है राष्ट्रपति मुशर्रफ और हमारे प्रधान मंत्री के बीच हवाना में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आतंकवाद का मुकाबला करने का प्रयास किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी गतिविधियों पूरी तरह समाप्त की जा सकें। यह कार्य चल रहा है। सत्ता में आने वाली एक के बाद एक सरकारों ने इस पर कार्य किया है और इसमें कोई नई बात नहीं है। इस संबंध में राष्ट्रपति मुशर्रफ की प्रतिबद्धता 6 जनवरी 2004 को उनके और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए संयुक्त वक्तव्य में परिलक्षित हुई थी। उस समय राष्ट्रपति मुशर्रफ इस बात पर सहमत हुए थे कि वे पाकिस्तान की धरती का उपयोग आतंकवादियों द्वारा नहीं करने देंगे। अत: हम इस बात पर बल दे रहे हैं और उनसे यह कह रहे हैं कि वे अपनी प्रतिबद्धता पूरी करें। इस संबंध में पूरे मुद्दे पर चर्चा चल रही हैं।

जहां तक सियाचीन का प्रश्न है, जैसाकि मैंने पूर्व के प्रश्न के उत्तर में कहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचीन पर चर्चाओं के 10 दौरे हो चुके हैं और इनमें से कुछ चर्चा पूर्व के शासनकाल में भी हुई थी। हम इस मुद्दे को बातचीत और चर्चा के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: भ्रम होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

मोहम्मद सलीम : महोदय, भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों में विकास एक स्वागत योग्य मार्ग पर बढ़ रहा है। यद्यपि कुछ छोटी मोटी अड़चनें हैं, मैं भाषण नहीं दूंगा; मैं माननीय विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ग्यारहवीं दक्षेस शिखर बैठक में उनके जाने की संभावना थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आमंत्रित करना था, बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आमंत्रित करने के बजाय वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने हेतु चले गए। हम लगातार व्यापक वार्ता की प्रक्रिया में हैं और स्वागत योग्य कुछ प्रगति हुई है। किन्तु बीच में दिक्कतें भी हैं। माननीय सभा को इन तथ्यों से अवगत कराया जाय कि इस संबंध में क्या हुआ क्योंकि इस संबंध में समाचारपत्रों में कुछ परस्पर विरोधी और प्रतिकूल रिपोर्टें प्रकाशित हो रही हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : कोई परस्पर विरोधी और प्रतिकूल रिपोर्टें नहीं हैं। जहां तक दक्षेस शिखर बैठक का संबंध है तो यह परम्परा है कि उसमें या तो शासनाध्यक्ष या फिर राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। उदाहरणार्थ, श्री लंका में प्रधानमंत्री हैं किन्तु सामान्यतया दक्षेस शिखर बैठक में श्री लंका के राष्ट्रपति ही भाग लेते हैं।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, इस्लामाबाद में हुई शिखर बैठक में भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, न कि राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रपति मुशर्रफ ने ही इस बात का संकेत दिया था कि हमें प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। अत: मैं दक्षेस शिखर बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को बुलाने हेतु उनके लिए निमंत्रण पत्र ले गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि वह यहां एक सम्मानित अतिथि होंगे।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, हाल ही में यह रिपोर्ट आई है कि भारत के एक युवा विमानचालक श्री मुरलीधरन 1971 के युद्ध में भारतीय वायु सेना का विमान पाकिस्तान ले गए थे और वहां उनका विमान पेशावर के निकट मार गिराया गया। वह पैराशूट से नीचे उतरे किन्तु उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। पिछले 36 वर्षों से वह जेल में है। उनके परिवार के सदस्यों को इस बारे में मंत्रलाय से पत्र मिले कि जांच चल रही है। मैं पत्रों के माध्यम से इस बात को मंत्रालय के ध्यान में लाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न किसी अन्य प्रश्न के तहत नहीं उठा सकते।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से यह एक गंभीर मामला है किन्तु मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री को इस की जानकारी है।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, वह पिछले 36 वर्षों से जेल में हैं। महोदय, मैंने माननीय प्रधान मंत्री से भी इस बारे में बात की है।

अध्यक्ष महोदय : आप को इस बात को दोहराने के जरूरत नहीं है।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मेरा नम्र निवेदन है और मैं माननीय विदेश मंत्री से जानकारी चाहता हूं कि क्या इस मामले में तत्काल जांच की जाएगी और क्या उन्हें वापिस भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है किन्तु मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, जहां तक इन मुद्दों का संबंध है मैंने पहले ही इनका उत्तर दे दिया है कि हमने युद्ध बंदियों के रूप में 74 व्यक्तियों की सूची दे दी है और इसमें वे 54 लोग भी शामिल हैं जो 1971 के युद्ध के बाद से लापता हैं। उनके पास इनके नाम हैं और जिन घटनाओं का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वे भी बता दी गई हैं। अपनी यात्रा के दौरान भी मैं वायु सेना प्रमुख की एक पुस्तक और एक पत्र अपने साथ ले गया था। मैं उक्त बंदी के संबंधियों और परिवार के सदस्यों की वेदना से पूर्णतया अवगत हूं क्योंकि आज तक उन्हें वास्तविक तथ्यों का पता नहीं है। किन्तु पाकिस्तानी प्राधिकारी इस बात पर इन्कार करते हुए अडिग हैं कि युद्ध बंदी के रूप में भारत का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की किसी जेल में नहीं है। इसीलिए जिस तंत्र, का उल्लेख मैंने पूर्व प्रश्न में किया था, उस पर विचार किया जा रहा है और हमें एक बार पुन: प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

सरकारी सेवाओं में भर्ती पर प्रतिबंध

*129. **श्री काशीराम राणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सत्ता में आने के बाद सरकारी सेवाओं में भर्ती पर से प्रतिबंध हटाने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ग-I एवं वर्ग-II श्रेणी के पदों की संख्या में कमी करते हुए वर्ग-III एवं वर्ग-IV श्रेणी के पदों की संख्या में वृद्धि करने करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पदों का सृजन, कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा औचित्य के आधार पर किया जाता है। विशिष्ट आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के आधार पर उपयुक्त समूहों/वेतनमानों में पद सृजित किए जाते हैं।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने केन्द्र सरकार में नई भर्ती पर से प्रतिबंध कब उठाया। मैं भी दिसम्बर 2006 के अंत तक नई भर्तियों की संख्या जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका प्रश्न नहीं है।

श्री काशीराम राणा : यह मेरा प्रश्न है। यह इसलिए क्योंकि इस पर प्रतिबंध है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री कहते हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं है और आप नई भर्तियों की संख्या पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सदस्य गत वर्ष में भरने हेतु अनुशंसित पदों के बारे में जानना चाहते थे। वर्ष 2001-02 से 2005-06 के बीच समूह 'क' पदों की संख्या 4375 थी, सममूह 'ख' पदों की संख्या 2500 थी, समूह 'ग' पदों की संख्या 47516 थी और समूह 'घ' पदों की संख्या 68667 थी। जहां तक पदों को समाप्त करने हेतु अनुशंसित पदों का संबंध है तो इन पदों की संख्या 244,491

है। यह निर्णय 2001-02 में लिया गया था जब तत्कालीन वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : जैसा कि जवाब दिया गया है कि साल में पांच हजार या कहीं छः हजार है। वर्ष 2004 तक 4.32 लाख पद रिक्त थे कब तक पोस्ट फिलअप करेंगे? हमारे यहां बेकारी है और बेरोजगारी की समस्या है, वर्ष 2004 की बात कह रहा हूं, आज 4,32,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। आप कब तक पोस्ट फिलअप करेंगे? क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाया है, क्या आपने कोई टाइमबाउंट प्रोग्राम बनाया है?

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सदस्य ने वर्ष 2004-05 का जिक्र किया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सैंक्शन स्ट्रैंथ ऑफ इम्पलाइज इस प्रकार से है – 35,59,831 है, जहां तक मैन ऑन रोल की बात है, वहां 30,88,09 है और परसेंटेज ऑफ वैकेंसिज 13.25 है।

श्री काशीराम राणा : इसे फिलअप करने के लिए क्या कोई प्रोग्राम है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष जी, क्या मैं इस सीट से बोल सकती हूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति लें।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ : मैं वही पूछ रही हूं कि क्या मैं इस सीट से बोल सकती हूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। भविष्य में इसे नहीं दुहराएं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष जी, इन्होंने बताया है इतनी पोस्ट खाली हैं। इसमें कितनी पोस्ट रिज़र्व कैटेगिरी एस०सी०एस०टी० की हैं और बैकलॉग कितना है? कम्पेशनेट ग्राउंड जो पोस्ट देते हैं, आपने उसे 1 परसेंट से 5 परसेंट तक बढ़ाया है, क्या इसमें और अधिक बढ़ाने की उम्मदी है? क्योंकि मैं चाहती हूं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए शतप्रतिशत कम्पेशनेट ग्राउंड पर जॉब दी जानी चाहिए। इसमें कितना बैकलॉग एस०सी० और एस०टी० का है?

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, आदरणीय सदस्या ने बैकलॉग के बारे में प्रश्न पूछा है जो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं माननीय सदस्या को इससे संबंधित जानकारी भिजवा दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देशन पर बैकलॉग को भरने के लिए यू०पी०ए० सरकार ने एस०सी०एस०टी० के लिए काफी त्वरित कदम उठाए हैं और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को बैकलॉग की नियुक्ति दी गई है।

जहां तक कम्पेशनेट ग्राउंड और इम्पलाएमेंट अपॉरच्युनिटीज़ देने का प्रश्न है, इसमें पुरानी स्थिति थी फॉर क्लियरिंग फिलिंग बाए स्क्रीनिंग कमेटीज़ 1/3 पोस्ट थी और उस रूल में संशोधन और सुधार करके इसमें एक नया सर्कुलर निकाला गया है जिसके आधार पर पांच परसेंट ऑन द टोटल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़ एराइजिंग में जोड़ा है। इसमें एक चीज और जोड़ी गई है कि पहले जो टैक्निकल पोस्ट्स थी, वे एक्जैम्प्ट की गई थीं। अब फिर 19 जनवरी, 2007 को हमने ओ०एम० निकाला है, उसमें टैक्निकल पोस्ट्स के लिए भी जो कम्पैशनेट ग्राउंड पर नियुक्तियां दी जा रही हैं, इस यू०पी०ए० गवर्नमैन्ट ने उसमें भी सुधार करते हुए अपना ओ०एम० जारी किया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप सभी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। आप एक नियम का उल्लंघन कर चुकी है। आप किसी दूसरे सदस्य की सीट पर बैठकर एक के बाद एक अनुपूरक प्रश्न पूछ रही हैं।

डा० सुजान चक्रवर्ती

डा० सुजान चक्रवर्ती : महोदय, लगभग सभी विभागों में, सेवारत कर्मचारियों की संख्या गत वर्षों की तुलना में कम है। यह स्थिति विगत 10 से 15 वर्षों से देखी जा रही है। जब श्री काशीराम राणा विपक्ष में थे तो यही स्थिति व्याप्त थी। केंद्रीय सरकारी उपक्रमों में भी यही स्थिति है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

डा० सुबान चक्रवर्ती : किसी वर्ष में सेवानिवृत्ति होने वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी भी भर्त्ती नहीं की जा रही है। यही सच्चाई है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि 35 लाख पदों में से 5 लाख पद पहले से ही रिक्त हैं। अत: व्यवहारिक रूप से भर्त्ती पर रोक है लेकिन यह एक अलग प्रश्न है कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार इन रिक्त पदों पर भर्त्ती करने हेतु कदम उठा रही है ताकि केंद्रीय सरकार सेवा में भर्त्ती पर प्रतिबंध वास्तविक रूप से समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी : जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जो रिटायर हो रहे हैं, उनके अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए यह सरकार क्या कदम उठा रही है। तत्कालीन वित्त मंत्री जब वर्ष 2001-2002 में बजट प्रस्तुत कर रहे थे, मैं उन्हें शब्दश: उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा था–

[अनुवाद]

भर्त्ती की सभी आवश्यकताओं की जांच की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई भर्त्ती कुल सिविल स्टाफ की संख्या के 1 प्रतिशत तक समिति रहे। चूंकि प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं इससे मानव बल में दो प्रतिशत की कमी होगी।

[हिन्दी]

आशा यह है कि प्रति वर्ष तीन परसैन्ट लोग रिटायर होते हैं, उसके मुकाबले में एक परसैन्ट को नौकरी दी जाए, यह तत्कालीन सरकार का निर्णय था। लेकिन फिर भी जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया है कि ऐसी पोस्ट्स, जिनकी डिपार्टमैन्ट्स में फक्शनल रिक्वायरमैन्ट होगी, आवश्यकता होगी, उसे मद्देनजर रखते हुए सरकार सहानुभूतिपूर्वक उन पोस्ट्स को भरने पर विचार करेगी। अभी हाल ही में हैल्थ डिपार्टमैन्ट ने टैक्निकल पोस्ट्स अपने डिपार्टमैन्ट में बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यद्यपि यह निर्णय कैबिनेट लेती है, लेकिन कैबिनेट ने उसे स्वीकार किया। इसी प्रकार यदि फंक्शनल रिक्वायरमैन्ट के लिए और डिपार्टमैन्ट्स से भी रिक्वायरमैन्ट आयेगी तो यह सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरूदास दास गुप्त।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप श्री गुरूदास दासगुप्त नहीं हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

अब श्री गुरूदास दासगुप्त अपने विचार रखेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि भर्त्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं इसपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं लेकिन सच्चाई यह है कि रेलवे सहित केंद्रीय सरकार सेवा में नियोजित कुल मानवबल की संख्या में गत वर्षों में व्यापक कमी आयी है। मानवबल की इस व्यापक कमी का क्या कारण माना जा सकता है? क्या इसकी भर्त्ती पर प्रतिबंध है। अन्यथा किसी व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने पर दूसरे व्यक्ति की भर्त्ती नहीं की जाती है। सरकार द्वारा लाखों पद बगैर जानकारी के समाप्त किए जा रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय इसकी जिम्मेवारी पूर्व की सरकार पर थोप रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय सरकार सेवा के मानवबल में व्यापक रूप से कमी की जा रही है और क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात् पद सभारत किये जा रहे है तथा नई भर्त्ती नहीं की जा रही है *(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : यह अघोषित प्रतिबंध है *(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह एक अघोषित प्रतिबंध है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें। आप केवल अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, जहां तक केंद्रीय सरकार सेवा के स्वीकृत पदों की संख्या का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि समूह 'क' वर्ग के संबंध में इसमें वृद्धि हुई है, जहां तक स्वीकृत पद संख्या का प्रश्न है *(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं समूह 'क' वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं *(व्यवधान)*

श्री सुरेश पचौरी : मैं उस पर आ रहा हूं। समूह 'क' वर्ग में इसमें 8034, समूह 'ख' में 15,721 समूह 'ग' में 9871 पदों की वृद्धि की गई है। हां, समूह 'घ' वर्ग में 80,277 पदों की कटौती की गई है *(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : इसका क्या कारण है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसपर ध्यान नहीं दें। आपने इसका उत्तर पहले ही अनुपूरक प्रश्न में दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्वयं संरक्षण की आवश्यकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पंचायती राज पर गोलमेज सम्मेलन

*125. **श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज के कुछ आयामों की पहचान करने के लिए राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का कोई गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गोलमेज सम्मेलन में मोटे तौर पर क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(घ) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी, हां। पंचायती राज मंत्रालय ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जुलाई तथा दिसम्बर, 2004 के बीच राज्य पंचायती राज मंत्रियों तथा केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री के बीच सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे।

प्रथम गोलमेज	24 एवं 25 जुलाई, 2004	कोलकाता
द्वितीय गोलमेज	28 – 29 अगस्त, 2004	मैसूर
तृतीय गोलमेज	23 – 24 सितम्बर, 2004	रायपुर
चतुर्थ गोलमेज	7 – 8 अक्टूबर, 2004	चंडीगढ़
पंचम गोलमेज	24 – 25 अक्टूबर, 2004	श्रीनगर
छठा गोलमेज	27 – 28 नवम्बर, 2004	गुवाहाटी
सातवां गोलमेज	17 – 19 दिसम्बर, 2004	जयपुर

इन गोलमेज सम्मेलनों के दौरान विचार-विमर्श कर्त्तव्यों, वित्त तथा कार्यकर्त्ताओं के प्रभावी हस्तांतरण से लेकर जिला योजना, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण और सचूना प्रौद्योगिकी सक्षम ई-गर्वनेंस तक के बारे में पंचायती राज के बारे में 18 अभिज्ञात आयामों पर केन्द्रीत था। गोलमेज सम्मेलनों के समापन पर एक प्रस्ताव संकलन में समाविष्ट लगभग 150 कार्य बिन्दुओं को पंचायती राज मंत्रियों द्वारा एकमत से स्वीकार किया गया था। इस प्रकार यह संकलन प्रभावी पंचायती राज के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप बन गया है।

(घ) केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री ने 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के एक क्रमबद्ध पंचायती राज दौरे किए हैं तथा तमिलनाडु जहां पर और कार्रवाई किए जाने का कार्यक्रम है तथा चंडीगढ़ जहां पर राज्यपाल ने सूचित किया है कि सभी गांवों को नगरपालिकाओं में विलयित किया जाना है को छोड़कर राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों (संघ शासित क्षेत्रों के लिए संबंधित प्राधिकारियों) के साथ पंचायतों के हस्तांतरण पर निष्कर्ष के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रभावी पंचायती राज के प्रगामी कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए पंचायती राज सचिवों की एक समिति तथा पचांयती राज मंत्रियों की एक परिषद् का गठन किया गया है। सचिवों की समिति की अभी तक सात बैठक हुयी हैं। मंत्रियों की परिषद् की अगस्त, 2005 में कोच्चि में तथा जून, 2006 में भुवनेश्वर में दो बैठकें हुयी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद् की अधिकार प्राप्त उपसमिति पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में भी गठित की गई है। इसकी बैठकें जून, 2006, सितम्बर, 2006 तथा जनवरी, 2007 में हुई हैं।

[हिन्दी]

कोयले की मांग और पूर्ति

*126. **श्री चंद्रकांत खैरे** :
श्री गणेश सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के परिणामस्वरूप इसकी मांग में प्रतिवर्ष 6-7 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मांग और पूर्ति में अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या वे निजी कंपनियां तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जिन्हें कैप्टिव कोयला खंडों का आवंटन किया गया है पर्याप्त मात्रा में कोयले का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कंपनियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित कोयले का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खंडों का आबंटन किया गया था?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां। घरेलू स्रोतों से कोयले की उपलब्धता का लिहाज किए बिना कोयले की मांग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक कार्य है। तेजी से बढ़ रही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ कोयले की मांग बढ़ती रही है। वर्ष 2006-07 (10वीं योजना के अंतिम वर्ष) के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यथाविचारित 460.50 मि०टन की मांग की तुलना में इसे 2006-07 के दौरान संशोधित कर अब 474.18 मि०टन कर दिया गया है। उपयोगकर्त्ता उद्योगों द्वारा दिए गए अनुमानों के आधार पर कोयला तथा लिग्नाइट से सम्बद्ध कार्यदल ने हाल ही में 620.00 मि०टन की पूर्ववर्ती अनुमानित मांग की तुलना में 11वीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) में 731.10 मि०टन कोयले की मांग का हिसाब लगाया है।

कोयले की मांग के संबंध में 9वीं योजना के दौरान 3% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में 10वीं योजना के दौरान इसके 5.50% (सी०ए०जी०आर०) तक बढ़ जाने की उम्मीद है। कोयला उत्पादन में वृद्धि जो 9वीं योजना में 2.53% (सी०ए०जी०आर०) थी, 10वीं योजना के दौरान इसमें सुधार हो जाने से 5.70% तक (सी०ए०जी०आर०) हो गई है। 11वीं योजना के दौरान कोयले की मांग में 9.71% सी०ए०जी०आर० की अनुमानित वृद्धि की तुलना में इसी अवधि में कोयला उत्पादन 9.47% (सी०ए०जी०आर०) तक बढ़ जाने की संभावना है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि मांग के साथ-साथ कोयला उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मांग और आपूर्ति में अन्तर देश में कोकिंग तथा राख की कम मात्रा वाले नॉन-कोकिंग कोयले के अपर्याप्त भंडारों के कारण है।

(ख) मांग तथा आपूर्ति के बीच अन्तर को पाटने के लिए किए गए उपाय/किए जा रहे उपाय नीचे दिए गए हैं:—

(1) 10वीं योजना के दौरान सी०आई०एल० द्वारा 97 खनन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना है;

(2) उपकरणों के उपयोग में सुधार;

(3) परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन;

(4) सभी नयी खानों की आयोजना यंत्रीकरण के साथ की जा रही है;

(5) भूमिगत तथा ओपनकास्ट, दोनों खानों में उत्पादकता में वृद्धि;

(6) विभिन्न उपभोक्ताओं को 123 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं जिन्हें कैप्टिव खपत के लिए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रचालित किया जाना है।

(7) मौजूदा खानों/परियोजनाओं में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आपातकालीन कोयला उत्पादन की योजना तैयार की गई है।

(ग) और (घ) कोयला ब्लॉकों के विकास में उत्पादन स्तर तक पहुंचने के लिए 3-5 वर्ष तक का समय लगता है जो भू-खनन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अन्वेषित न किए गए ब्लॉकों के मामले में की जाने वाली ड्रिलिंग की मात्रा एवं गहराई को देखते हुए अधिक समय लगेगा। 11 कोयला ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हो गया है। 2007-08 के दौरान 6 अन्य ब्लॉकों से उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी/सार्वजनिक क्षेत्र को आवंटित ब्लॉकों में से केवल एक ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो गया है। 2006-07 के दौरान संभावित उत्पादन 0.60 मिलियन टन है।

डाकघरों में बैंकिंग सुविधाएं

*127. **श्री शिशुपाल एन० पटले :**
प्रो० महादेवराव शिवनकर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्राहकों को डाकघरों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैय्या कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में ग्राहकों की वृद्धि दर का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को नकदी लेन-देन में काफी इंतजार करने के संबंध में ग्राहकों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्राहकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर देश के डाकघरों विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के जिलों के डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) डाकघरों में बैंकिंग सुविधाएं राजकीय बचत बैंक अधिनियम, 1873, राजकीय बचत पत्र अधिनियम, 1959 और लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के अनुसार प्रदान की जाती हैं। डाकघरों के माध्यम से संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक भारतीय डाक बैंक की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्राप्त शिकायतों के विवरण संबंधी सूचना फील्ड कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) जी, हां। देश में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण एक सतत प्रक्रिया है। दसवीं योजना के अंतर्गत 8163 डाकघरों में कम्प्यूटर उपलब्ध करा किए गए हैं। 27.2.2007 की स्थिति के अनुसार विदर्भ क्षेत्र के 170 डाकघर कम्प्यूटरीकृत हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र सर्किल-
नागपुर (विदर्भ) क्षेत्र (कुल-170)-
विभागीय कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की सूची

क्रम सं०	उप डाकघर का नाम	अवस्थिति	पिनकोड	जिला
1	2	3	4	5
1.	अचलपुर शहर	एल०एस०जी०	444806	अकोला
2.	एडी प्रोजेक्ट	एल०एस०जी०	440021	नागपुर
3.	अहेरी	ए०	442705	गादचिरोली
4.	अजनी	एल०एस०जी०	440003	नागपुर
5.	बोरिया अरब	एल०एस०जी०	445109	यवतमाल
6.	अकोला शहर	एल०एस०जी०	444002	अकोला
7.	अकोट	एल०एस०जी०	444101	अकोला
8.	अमगांव	एल०एस०जी०	441902	गोंडिया
9.	अमरावती कैंप	एच०एस०जी०	444602	
10.	अंजन गांव	एल०एस०जी०	444705	अमरावती
11.	अर्जुनी मोड गांव	ए०	441701	गोंडिया

1	2	3	4	5
12.	अरमोरी	ए०	441208	गादचिरोली
13.	अर्नी	एल०एस०जी०	445103	यवतमाल
14.	अर्वी	एच०एस०जी०-II	442201	वर्द्धा
15.	अष्टी	ए०	442202	वर्द्धा
16.	अयोध्यानगर	एल०एस०जी०	440024	नागपुर
17.	बी०पी० मिल्स	एल०एस०जी०	442901	चन्द्रपुर
18.	बाभुल गांव	एल०एस०जी०	445101	यवतमाल
19.	बाडनेरा	एल०एस०जी०	444701	अमरावती
20.	बागडगंज	एल०एस०जी०	440008	नागपुर
21.	बालापुर	एल०एस०जी०	444302	अकोला
22.	बलातपुर	एल०एस०जी०	442701	चन्द्रपुर
23.	बर्शीताकली	श्रेणी-I	444401	अकोला
24.	बेजोंनबाग	एल०एस०जी०	440004	नागपुर
25.	भद्रावती	ए०	442902	चन्द्रपुर
26.	भंडारा ओ०एफ०	एल०एस०जी०	441906	भण्डारा
27.	भीवापुर	ए०	441201	नागपुर
28.	बोरगांव मंजु	ए०	444102	अकोला
29.	ब्रह्मपुरी	एल०एस०जी०	441206	चन्द्रपुर
30.	सिमेंटनगर	ए०	442502	चन्द्रपुर
31.	चैतन्यवाडी (एन०डी०)	एल०एस०जी०	443001	बुल्ढाणा
32.	चामोरशी	ए०	442603	गादचिरोली
33.	चन्द्रपुर शहर	एच०एस०जी०	442402	चन्द्रपुर
34.	चन्द्रपुर ओ०एफ०	एल०एस०जी०	442501	चन्द्रपुर
35.	चंदूर	ए०	442908	चन्द्रपुर
36.	चंदूर बाजार	एल०एस०जी०	444704	अमरावती

1	2	3	4	5
37.	चंदूर रेलवे	एल०एस०जी०	444904	अमरावती
38.	तिलकवाड़ी	एल०एस०जी०	445001	यवतमाल
39.	चिखली	एल०एस०जी०	443201	बुल्ढाणा
40.	चीमूर	एल०एस०जी०	442903	चन्द्रपुर
41.	कांग्रेसनगर	एच०एस०जी०-I	440012	नागपुर
42.	दरवा	एल०एस०जी०	445202	यवतमाल
43.	दरियापुर	एल०एस०जी०	444803	अमरावती
44.	दताला	ए०	443102	बुल्ढाणा
45.	देवली	एल०एस०जी०	442101	वर्द्धा
46.	देसाईगंज	एल०एस०जी०	441207	गादचिरोली
47.	दियूलगांव राजा	एल०एस०जी०	443204	बुल्ढाणा
48.	धामनगांव आर०एस०	एल०एस०जी०	444709	अमरावती
49.	धांतोली	एल०एस०जी०	440012	नागपुर
50.	धारनी	एल०एस०जी०	444702	अमरावती
51.	धीग्रस	एल०एस०जी०	445203	यवतमाल
52.	डा० अम्बेडकर मार्ग	एल०एस०जी०	440017	नागपुर
53.	गादचिरोली एम०डी०जी०	एम०डी०जी०	442605	गादचिरोली
54.	गांधीनगर	श्रेणी-I	444004	अकोला
55.	घटांजी	एल०एस०जी०	445301	यवतमाल
56.	गोंडिया शहर	एल०एस०जी०	441614	गोंडिया
57.	गोंड पीपरी	ए०	442702	चन्द्रपुर
58.	गोरेगांव	ए०	441801	गोंडिया
59.	एच०वी० नगर अमरावती	एल०एस०जी०	444602	अमरावती
60.	हनुमान नगर	एल०एस०जी०	440009	नागपुर
61.	हिंगनघाट	एच०एस०जी०-II	442301	वर्द्धा

1	2	3	4	5
62.	जयस्तंभ चौक (एन०डी०)	एल०एस०जी०	444061	अमरावती
63.	जलगांव	एल०एस०जी०	443402	बुल्ढाणा
64.	जारीपटका	एल०एस०जी०	440014	नागपुर
65.	जयरपेट अकोला	एल०एस०जी०	444005	अकोला
66.	के०सी० पार्क	एल०एस०जी०		नागपुर
67.	कलांब	ए०	445401	यवतमाल
68.	कलमेश्वर	ए०	441501	नागपुर
69.	कांती शहर	ए०	441002	नागपुर
70.	कन्हनपीपरी	एल०एस०जी०	441401	नागपुर
71.	करांजा (लाड)	एल०एस०जी०	444105	वाशिम
72.	करांजा (घडजी)	एच०एस०जी०		वर्द्धा
73.	कतोल	एल०एस०जी०	441302	नागपुर
74.	खामला	ए०	440025	नागपुर
75.	खापा	ए०	441101	नागपुर
76.	खापरखेड़ा	एल०एस०जी०	441102	नागपुर
77.	कोराडी	एल०एस०जी०	441111	नागपुर
78.	कोटल रोड	एल०एस०जी०	440013	नागपुर
79.	कृषि नगर	श्रेणी-I	444104	अकोला
80.	कूही	एल०एस०जी०	441202	नागपुर
81.	कुरखेड़ा	ए०	441209	गढ़चिरोली
82.	लखनी	एल०एस०जी०	441804	भण्डारा
83.	लोनार	एल०एस०जी०	443302	बुल्ढाणा
84.	एम०आई०डी०सी० नागपुर	ए०	440028	नागपुर
85.	महागांव	श्रेणी-II	445205	यवतमाल
86.	महाल	एल०एस०जी०	440032	नागपुर

1	2	3	4	5
87.	महात्माफुले बाजार	एच०एस०जी०-I	440018	नागपुर
88.	मालेगांव	एल०एस०जी०	444503	वाशिम
89.	मलकापुर	एल०एस०जी०	443101	बुल्ढाणा
90.	मंगरूलपीर	एल०एस०जी०	444403	वाशिम
91.	मनोरा	श्रेणी-I	444404	अकोला
92.	मारेगांव रोड	ए०	445303	यवतमाल
93.	मठड़ा	ए०	441104	नागपुर
94.	मेहकर	एल०एस०जी०	443301	बुल्ढाणा
95.	मोहननगर (एन०डी०)	एल०एस०जी०	440001	नागपुर
96.	मोर्शी	एल०एस०जी०	444905	अमरावती
97.	मोटाला	एल०एस०जी०	443103	बुल्ढाणा
98.	मूल	एल०एस०जी०	441224	चन्द्रपुर
99.	मूर्तजापुर	एल०एस०जी०	444107	अकोला
100.	नागभीड़	एल०एस०जी०	441205	चन्द्रपुर
101.	नागपुर एयरपोर्ट	एल०एस०जी०	440005	नागपुर
102.	नंदगांव खांडेश्वर	ए०	444708	अमरावती
103.	नंदूरा	एल०एस०जी०	443404	बुल्ढाणा
104.	नारखेड़	एल०एस०जी०	441304	नागपुर
105.	नेरपरसोपंत	एल०एस०जी०	445102	यवतमाल
106.	पंढरकवाडा	एल०एस०जी०	445302	यवतमाल
107.	पार्वतीनगर	एल०एस०जी०	440027	नागपुर
108.	पाटणबोरी	श्रेणी-II	445305	यवतमाल
109.	पाथरोड	ए०	444808	अमरावती
110.	पातूर	एल०एस०जी०	444501	अकोला
111.	पटवर्धन ग्राउंड	एच०एस०जी०-I	440012	नागपुर

1	2	3	4	5
112.	पठनी	एल०एस०जी०	441910	भण्डारा
113.	पुलगांव	एच०एस०जी०-II	442302	वर्द्धा
114.	पुलगांव कैंप	ए०	442303	वर्द्धा
115.	पूसाड	एच०एस०जी०-II	445204	यवतमाल
116.	राजे रघुजी नगर	ए०	440009	नागपुर
117.	राजूरा एम०के०	एल०एस०जी०	442905	चन्द्रपुर
118.	रालेगांव	ए०	445402	यवतमाल
119.	रामटेक	एल०एस०जी०	441106	नागपुर
120.	राणाप्रताप नगर	एल०एस०जी०	440022	नागपुर
121.	रीसोड	एल०एस०जी०	444506	वाशिम
122.	रुग्मिणीनगर	एल०एस०जी०	444606	अमरावती
123.	सदर बाजार	एल०एस०जी०	440001	नागपुर
124.	साखर खेड़ा	ए०	443202	बुल्ढाणा
125.	सकोली	एल०एस०जी०	441802	भण्डारा
126.	सावनेर	एल०एस०जी०	441107	नागपुर
127.	सेलू	एल०एस०जी०	442104	वर्द्धा
128.	सेमनरी हिल्स	श्रेणी-I	440006	नागपुर
129.	सेवाग्राम	ए०	442102	वर्द्धा
130.	शनीचरा (एन०डी०)	ए०	440018	नागरपुर
131.	शंकर नगर	एच०एस०जी०	440010	नागपुर
132.	शेगांव	एल०एस०जी०	444203	बुल्ढाणा
133.	शिवाजी पार्क अकोला	एल०एस०जी०	444003	अकोला
134.	शिवाजी नगर ए०एम०टी०	एल०एस०जी०	444603	अमरावती
135.	शिवाजी नगर चंदा	ए०	442503	चन्द्रपुर
136.	सिंदेवाही	ए०	441222	चन्द्रपुर

1	2	3	4	5
137.	सिंदखेड राजा	श्रेणी-I	443203	बुल्ढाणा
138.	सिरोंचा	ए०	442504	गादचिरोली
139.	सिरपुर	ए०	444504	
140.	सीता वार्डी	एच०एस०जी०-II	440012	नागपुर
141.	तजनापेट	एल०एस०जी०	444006	अकोला
142.	तिलहाड़ा	एल०एस०जी०	444108	अकोला
143.	तेउसा	ए०	444903	अमरावती
144.	तिरोड़ा	एल०एस०जी०	441911	गोंडिया
145.	तुमसार	एल०एस०जी०	441912	भण्डारा
146.	उमरखेड	एल०एस०जी०	445208	यवतमाल
147.	उमरेर	एल०एस०जी०	441203	नागपुर
148.	विवेकानंद नगर	एल०एस०जी०	440015	नागपुर
149.	वाडी	ए०	440023	नागपुर
150.	वालगांव	एल०एस०जी०	444801	अमरावती
151.	वाणी	एच०एस०जी०-II	445304	यवतमाल
152.	वरोडा	एल०एस०जी०	442907	चन्द्रपुर
153.	वरूड़	एल०एस०जी०	444906	अमरावती
154.	वाशिम	एम०डी०जी०	444505	वाशिम
155.	जेड०पी० टी०एस०ओ० यवतमाल	श्रेणी-II	445001	यवतमाल
156.	हिन्दी नगर वर्द्धा	एल०एस०जी०		वर्द्धा
157.	वर्द्धा बाजार	श्रेणी-ख		वर्द्धा

नागपुर क्षेत्र में प्रधान कार्यालय-13

1.	नागपुर जी०पी०ओ०	राजपत्रित
2.	नागपुर शहर प्रधान डाकघर	राजपत्रित

1	2	3	4	5
3.	चन्द्रपुर प्रधान डाकघर	राजपत्रित	442401	चन्द्रपुर
4.	गोंडिया प्रधान डाकघर			गोंडिया
5.	अकोला प्रधान डाकघर	राजपत्रित	444001	अकोला
6.	अमरावती प्रधान डाकघर	राजपत्रित	444602	अमरावती
7.	बुल्ढ़ाणा प्रधान डाकघर	राजपत्रित	443001	बुल्ढाणा
8.	भण्डारा प्रधान डाकघर			भण्डारा
9.	परातवाड़ा प्रधान डाकघर			परातवाड़ा
10.	कैम्पटी प्रधान डाकघर		441001	नागपुर
11.	वर्द्धा प्रधान डाकघर	राजपत्रित	442001	वर्द्धा
12.	यवतमाल प्रधान डाकघर	राजपत्रित	445001	यवतमाल
13.	खमगांव प्रधान डाकघर			बुल्ढाणा

चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण

*130. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री वी०के० दुम्मर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों के कितने निरीक्षण किए गए;

(ख) कितने चिकित्सा महाविद्यालयों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया; और

(ग) उक्त महाविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) चिकित्सा शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मेडिकल कालेजों का निरीक्षण करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह परिषद नए मेडिकल खोलने या नए अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति देने या पूर्व अनुमति के वार्षिक नवीकरण हेतु या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 11(2) के तहत चिकित्सा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता प्राप्त कालेजों/संस्थाओं की चिकित्सा शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा करने के प्रयोजन से मेडिकल कालेजों और संबद्ध अस्पतालों का निरीक्षण करती है। इस परिषद के विनियमों के अनुसार अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले मेडिकल कालेजों को विसंगतियां दूर करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में अनुपालन रिपोर्ट की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद इन कालेजों का दोबारा निरीक्षण करती है। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार, भारतीय चिकित्सा परिषद ने पिछले दो वर्षों के दौरान 429 निरीक्षण किए।

[अनुवाद]

युनाइटेड किंग्डम में भारतीय डाक्टर

*131. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड किंग्डम में प्रशिक्षण पा रहे भारत के हजारों डाक्टरों को नए आप्रवास कानून जो कि सरकारी अस्पतालों को बिना कार्य परमिट के यूरोपीय संघ के बाहर के देशों से डाक्टरों की सेवा

हासिल करने से रोकता है, के खिलाफ कानूनी लड़ाई हारने के पश्चात् देश छोड़ना पड़ सकता है, जैसा कि दिनांक 10 फरवरी, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारत ने युनाइटेड किंग्डम में भारतीय डाक्टरों के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ यह मामला उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ङ) ब्रिटेन सरकार ने 7 मार्च 2006 को नये आप्रवास और रोजगार विनियम लागू किये हैं जिनके अंतर्गत गैर-यूरोपीय संघ के डॉक्टरों को इनके लागू होने के बाद से ब्रिटेन में काम करने के लिए वर्क परमिट लेना होगा। तथापि, विशिष्ट रिक्तियों, जिनके लिए उपयुक्त ब्रिटेन/यूरोपीय संघ के डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं, के आधार पर वर्क परमिट दिए जाऐंगे। नये विनियमों ने परमिट मुक्त प्रशिक्षण श्रेणी जिसकी मार्फत अधिकांश भारतीय चिकित्सा स्नात्तक ब्रिटेन में कार्य कर रहे थे को समाप्त कर दिया है। नये विनियमों की ब्रिटिश उच्च न्यायालय के दिनांक 9 फरवरी, 2007 के आदेश द्वारा पुष्टि की गई थी। भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई वर्तमान आधुनिकीकरण चिकित्सा केरियर प्रणाली के अंतर्गत भर्ती के पहले दौर के लिए भारतीय चिकित्सकों को आवेदन करने की अनुमति देने के विषय पर ब्रिटेन सरकार से बातचीत की है। स्वास्थ्य विभाग से भारतीय चिकित्सकों के लिए पहले दौर को खुला रखने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। पहले दौर में एन०एच०एस० ने लगभग 10,000 डॉक्टर भर्ती करने का प्रस्ताव किया है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि भर्ती के दूसरे दौर, जिसका आरम्भ अप्रैल 2007 में होने की संभावना है, में भी भारतीय चिकित्सा स्नात्तकों को बिना शर्त आवेदन की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

बी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० का विलय

*132. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :***
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन०एल०) का विलय करने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बी०एस०एन०एल०/एम०टी०एन०एल० कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने इस संबंध में सरकार को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) से (ङ) एम०टी०एन०एल० और बी०एस०एन०एल० के प्रचालन में बेहतर तालमेल लाने के उद्देश्य से उनके विलय के विकल्प सहित इनके पुनर्गठन के विभिन्न विकल्प सरकार के विचाराधीन हैं।

बी०एस०एन०एल०/एम०टी०एन०एल० कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने सरकार को दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन दिया था, जिसमें बी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० के विलय का मुद्दा भी शामिल है। सरकार इस संबंध में सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की सड़कों का क्षतिग्रस्त होना

*133. **श्री अनिल बसु** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 के आसनसोल सेक्टर में और कोलकाता-मुंबई सेक्टर में बनाई गई सड़कों के धंसने से भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त क्षति के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस क्षति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों अथवा ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर आसनसोल बाइपास पर कोलकाता-दिल्ली लेन का लगभग 450 लीटर हिस्सा 16 जनवरी, 2007 को धंस गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 6, स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सावंजनिक – निजी भागोदारी, केवल खड़गपुर से कोलकाता तक है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर 18/100 कि०मी० पर लगभग 110 मीटर री-इनफोर्सड अर्थ (आर०ई०) वॉल और रेलवे उपरि पुल 19/1 के मुंबई की ओर वाले पहुंच मार्ग का तटबंध 9 फरवरी, 2006 को धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर यह धसाव उस क्षेत्र में परित्यक्त कोयला खदानों के भूमिगत कालम के ढहने के कारण था। इसलिए परियोजना से संबंधित कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर आर०ई० वॉल और तटबंध के धसने का संबंध है, ठेकेदार आर०ई० वॉल की डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार है। उससे अपनी लागत पर क्षतिग्रस्त खंड के पुनर्निर्माण के लिए कहा गया है।

पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबंध

*134. **श्री रेवती रमन सिंह :**
श्रीमती अर्चना नायक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारतीय राजनयिकों के इस्लामाबाद से बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने इस बारे में कोई विरोध दर्ज कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में पाकिस्तानी राजनयिकों पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगे हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेशी मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) भारतीय और पाकिस्तानी दोनों राजनयिकों को एक-दूसरे के देश की राजधानियों से बाहर यात्रा करने से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। इस यात्रा व्यवस्था को उदार बनाने के तौर-तरीकों पर इस समय विचार-विमर्श हो रहा है। 13-14 जनवरी, 2007 को विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान इस विषय पर चर्चा हुई और विदेश मंत्री तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी भारत में नोएडा तथा गुड़गांव एवं पाकिस्तान में तक्षशिला तथा हसन अब्दल में राजनयिकों को आने-जाने की सुविधा देने के लिए सहमत हुए। इसके लिए प्रक्रिया का निर्धारिण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आसियान शिखर सम्मेलन

*135. **श्री मो० ताहिर :**
श्री हंसराज गं० अहीर :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में 'आसियान' (एसोसिएशन ऑफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स) शिखर सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किये गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवसर पर किन्हीं व्यापार समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इन समझौतों से भारत को क्या लाभ होने की संभावनाएं है; और

(ङ) आसियान देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु सरकार की कार्य योजना क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) 14 जनवरी, 2007 को सेबु, फिलीपींस में आयोजित भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने आसियान के नेताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया ताकि महत्तर आर्थिक क्रियाकलापों, संवर्धित वाणिज्यिक संपर्कों और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों, पर्यटन इत्यादि द्वारा लोगों के बीच संपर्कों का संवर्धन करने के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आसियान देशों के साथ आर्थिक सहयोग को कई उपायों के जरिए मजबूत बनाया जा रहा है, जिनमें निम्नलिखित के लिए प्रयास शामिल हैं (i) आसियान-भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाना (ii) मुक्त आकाश नीति पर आसियान और भारत के बीच वार्ता का आयोजन करना (iii) भारत और आसियान देशों के बीच परस्पर सहमत विशेष पर्यटक अभियान लांच करना, लोगों से लोगों के बीच संपर्क का संवर्धन और दोनों दिशाओं में पर्यटक आवागमन को सुसाध्य बनाना, और (iv) ऐसी संयुक्त फ्लैगशिप परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देना जिनमें आसियान की संपूरक क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा।

इंटरनेट सेवा नीति की समीक्षा

*136. **श्री संजय धोत्रे :**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इंटरनेट की कालाबाजारी पर रोक लगाकर एक स्वस्थ बाजार सृजित करने हेतु इंटरनेट सेवा नीति की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है, आज की स्थिति के अनुसार, 383 लाइसेंसधारक इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं।

(ख) और (ग) इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंसों की बड़ी संख्या, ग्रे मार्किट (अवैध) प्रचालन, अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तुलना में समान अवसर संबंधी मामलों का समाधान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंटरनेट सेवाओं संबंधी नीति की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि कारगर विनियमित तथा नियंत्रित इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्रदान किया जा सके। इसके लिए सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से अपनी सिफारिशें देने को कहा है।

(क) "अखिल भारत" सेवा क्षेत्र वाले इंटरनेट प्रदाताओं (आईएसपी) (वर्ग-क) की संख्या : 63

(ख) वर्ग "ख" तथा वर्ग "ग" सेवा क्षेत्र वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) का राज्यवार ब्यौरा:

क्र० सं०	राज्य/दूरसंचार सर्किल का नाम	सेवा प्रदाताओं की संख्या
1.	असम	11
2.	आंध्र प्रदेश	25
3.	बिहार	5
4.	दिल्ली	13
5.	गुजरात	33
6.	हरियाणा	20
7.	हिमाचल प्रदेश	5
8.	जम्मू और कश्मीर	9
9.	केरल	11
10.	कर्नाटक	23
11.	महाराष्ट्र	48
12.	मध्य प्रदेश	4
13.	पूर्वोत्तर	4
14.	उड़ीसा	10
15.	पंजाब	13
16.	राजस्थान	15
17.	तमिलनाडु	28
18.	उत्तर प्रदेश	32
19.	पश्चिम बंगाल	11
	जोड़	320

टिप्पणी :

(i) वर्ग "क" सेवा क्षेत्र – इसमें भारत संघ का प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र शामिल है, उन विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर जिन्हें इस क्षेत्र से बाहर रखने हेतु समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

(ii) वर्ग ''ख'' सेवा क्षेत्र – 20 प्रादेशिक सर्किलों में से कोई सर्किल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता अथवा चेन्नै के चार मैट्रो टेलीफोन जिले, और अहमदाबाद, बंगलूरू, हैदराबाद अथवा पुणे के चार प्रमुख टेलीफोन जिले वर्ग ''ख'' सेवा क्षेत्र में हैं। चार मैट्रो टेलीफोन जिले (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै) किसी दूरसंचार सर्किल के भाग नहीं है, जबकि चार प्रमुख टेलीफोन जिले (अहमदाबाद, बंगलूरू, हैराबाद और पुणे) संबंधित दूरसंचार सर्किलों के भाग हैं।

(iii) वर्ग ''ग'' सेवा क्षेत्र – 1.4.98 की स्थिति के अनुसार भौगोलिक सीमाओं के तहत दूरसंचार विभाग को कोई भी सेकेण्डरी स्विचन क्षेत्र एक अलग वर्ग ''ग'' सेवा क्षेत्र होगा। अपवाद यह है कि 1.4.98 की स्थिति के अनुसार भौगोलिक सीमाओं सहित दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार मैट्रो टेलीफोन जिले तथा दूरसंचार विभाग के अहमदाबाद, बंगलूरू, हैदराबाद तथा पुणे के चार प्रमुख टेलीफोन जिलों का एक अलग वर्ग ''ख'' सेवा क्षेत्र बनेगा।

[अनुवाद]

जिला योजना समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय

*137. **श्री के०एस० राव :**
श्री रशीद मसूद :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला योजना समितियों को जिला पंचायतों तथा अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वयन करने के लिए सुदृढ़ और सक्षम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पंचायती राज संस्था संबंधी उपसमिति से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी (3) (ख) में प्रावधित है कि राज्य ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों को विर्निदिष्ट कर सकता है जिनके साथ जिले की ड्राफ्ट विकास योजना को तैयार करने में प्रत्येक जिला समिति द्वारा परामर्श किया जा सकता है। योजना आयोग ने 25.08.2006 को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं को तैयार करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिनमें यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें दृष्टि दस्तावेज तैयार करने में तथा ड्राफ्ट योजना प्रस्तावों की संवीक्षा करने में जिला आयोजना समितियों को सहयोग देने के लिए प्रत्येक जिले में तकनीकी समर्थन समूह का गठन करे। तकनीकी समर्थन समूह में उनकी ड्यूटी के अलावा इस प्रयोजन के लिए अधिदेशित तथा नामित विभागीय अधिकारी (जहां उपलब्ध हों) अथवा स्थानीय रूप से उपलब्ध सेवा निवृत्त व्यक्ति या एक स्थानीय शैक्षिणिक संस्थान अथवा ख्याति प्राप्त स्थापित गैर-सरकारी संगठन को सम्मिलित किया जा सकता है।

जिला आयोजना समितियों को सुदृढ़ तथा सुसज्जित करने की दृष्टि से पंचायती राज मंत्रालय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा। 250 करोड़ रुपये की एक राशि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत आमेलित 250 जिलों में पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए विशेष रूप से उद्दिष्ट की गई है। पंचायतों तथा जिला आयोजना समितियों के लिए सहायता प्राप्त करना क्षमता निर्माण के घटकों में से एक घटक है जिसका वित्त पोषण 250 करोड़ रुपये से आबंटन से किया जा सकता है।

(ग) और (घ) पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय तथा प्रशासनिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की अधिकार प्राप्त उप समिति ने अपनी 12 जून, 2006 को हुयी तीसरी बैठक में जिला योजना सुदृढ़िकरण के मामले पर विचार विमर्श किया। इसने नीचे से उपर तक की भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना सुनिश्चित करने के लिए 8-9 मई, 2006 को हुयी तृणमूल स्तर आयोजना पर एक कार्यशाला के दौरान अभिज्ञात किए गए कार्रवाई बिन्दुओं की पुष्टि की। मुख्य कार्रवाई बिन्दुओं में से आदेशित एक बिन्दु है कि ग्यारहवीं योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग के दिशा-निर्देश जिला आयोजना समितियों के माध्यम से जिला आयोजना समितियों को तैयार करने में अधिदेशित होंगे। तत्पश्चात् योजना आयोग ने उपर निर्दिष्ट अपने दिशा निर्देश 25 अगस्त, 2006 को जारी किए।

''ब्रॉडबैंड'' सेवा का विस्तार

*138. **श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ''ब्रॉडबैंड'' अवसंरचना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी ग्राम पंचायतों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और जन स्वास्थ्य केन्द्रों को शामिल करने संबंधी प्रस्तावित योजना क्या है;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा;

(घ) इस तरह के विस्तार से "ब्रॉडबैंड" उपभोक्ता किस प्रकार लाभान्वित होंगे;

(ङ) इस विस्तार योजना के लिए सरकार किन-किन स्रोतों से धन का प्रबंध करेगी;

(च) क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई अन्य योजना शुरू की जाने वाली है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) वर्ष 2007 को "ब्रॉडबैंड वर्ष" के रूप में घोषित किया गया है, जिसके दौरान 9 मिलियन तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सभी ग्राम पंचायतों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और जन स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 2008 तक उत्तरोत्तर रूप से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। योजना में वर्ष 2010 तक 20 मिलियन कनेक्शन उपलब्ध कराने की भी परिकल्पना की गई है।

विभिन्न सेवा प्रदाता शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। परिकल्पना की गई है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी०आई०टी०) और सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू०एस०ओ०) निधि तीव्रता से ग्रामीण ब्रॉडबैंड अभिगम प्रदान करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (संभावित अंतर हेतु अपेक्षित निधि) उपलब्ध कराएंगे।

ब्रॉडबैंड सेवा विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए मंच उपलब्ध कराएगी। सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

विदेश मंत्रियों की बैठक

*139. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो जिन-जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस अवसर पर किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समझौतों से भारत को क्या लाभ होने की संभावनाएं हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रूस और चीन के साथ संबंधों को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री 14 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में मिले। बैठक के दौरान वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, आम हित के क्षेत्रीय घटनाक्रमों, आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों तथा ऊर्जा, परिवहन अवसंरचना, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी सहित उच्च प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा की गई थी। तीनों पक्ष इन क्षेत्रों में अधिकारिक एवं विशेषज्ञ स्तरों पर विचार-विमर्श का आयोजन करेंगे।

यद्यपि किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, तीन पक्षों ने बैठक के पश्चात जारी संयुक्त विज्ञाप्ति की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

भारत, रूस और चीन, वर्ष 2007 के दौरान भारत में एक त्रिपक्षीय व्यापार मंच आयोजित करने पर सहमत हुए। भारत ने प्रस्ताव रखा कि वह उभरती भू-सामरिक प्रवृत्तियों पर वर्ष 2007 में एक त्रिपक्षीय संगोष्ठी की मेजबानी करेगा, जिसमें अधिकारीगण एवं विद्वत्जन भाग लेंगे।

(ङ) भारत सरकार प्रत्येक देश के साथ पारस्परिक लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रूस और चीन की सरकारों के साथ संपर्क में रहती है और विस्तृत विषयों पर रूस और चीन के साथ भारत के द्विपक्षीय करार हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के साथ सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए रूस और चीन के साथ विभिन्न रूपों में स्तरीय आदान-प्रदान हुए हैं।

विवरण

भारत गणराज्य, रूसी परिसंघ तथा चीन लोक गणराज्य के विदेश

मंत्रियों की एक त्रिपक्षीय बैठक 14 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में संपन्न हुई।

मंत्रियों ने नोट किया कि त्रिपक्षीय बैठक प्रणाली तीनों देशों के बीच बढ़ती पारस्परिक समझ एवं विश्वास की अभिव्यक्ति है और उन्होंने अपनी बैठकों के निष्कर्षों का सकारात्मक आकलन किया। वे इस बात पर सहमत हुए कि जी-8 शिखर बैठक के दौरान 17 जुलाई, 2006 को सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित शिखर स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक तीनो देशों के विकास लक्ष्यों के साथ-साथ क्षेत्र तथा विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शीर्षस्थ राजनीतिक स्तर पर आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्शों को आगे बढ़ाने की तीनों पक्षों की इच्छा को प्रदर्शित करती है। उन्होंने इस बात की पुन: पुष्टि की कि त्रिपक्षीय सहयोग किसी अन्य देश के हित के विरुद्ध इंगित नहीं है, बल्कि यह इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द एवं समझ को बढ़ावा देने के प्रति लक्षित है और हितों की भिन्नताओं के बीच साझा आधार पाता है। उन्होंने बहुपक्षीय कूटनीति के प्रति भारत, रूस और चीन की मजबूत प्रतिबद्धता पर भी बल दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान में किस प्रकार संचालित हो रहे हैं पर विचारों का आदान-प्रदान करने के अलावा मंत्रियों ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के राजनैतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने नोट किया कि वैश्विकरण विश्व में विकास के संसाधनों तथा प्रभाव का और अधिक समवितरण के लिए अवसरों के द्वार खोलता है और इस प्रकार वह और अधिक स्थिर तथा संतुलित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए नींव का सृजन करता है। उन्होंने समकालीन विश्व की सांस्कृतिक एवं सभ्यता की भिन्नताओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता तथा सभ्यता एवं धर्मों के बीच बातचीत के लिए मौजूदा पहलों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। उन्होंने अपने इस मत को भी व्यक्त किया कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतांत्रिकरण बढ़ती बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण करने की चाबी है जो कि बड़े या छोटे-राष्ट्रों की समानता के सिद्धांतों, राष्ट्र की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान, अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं पारस्परिक सम्मान पर आधारित होगी। मंत्रियों ने स्वीकार किया कि ऐसी विश्व व्यवस्था को प्रोत्साहित करने और प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक उपयुक्त माध्यम है। सभी पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की महत्ता पर बल दिया ताकि और अधिक कारगर ढंग से आज के विश्व की असंख्य चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि सदस्य राज्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी तथा समकालीन वास्तविकताओ को दर्शानेवाला बनाने के प्रति लक्षित होना चाहिए। इस दिशा में कदम उठाने के लिए तीनो पक्ष सहमत हुए। इस संबंध में रूस और चीन के विदेश मंत्री ने इस बात को दोहराया कि उनका देश अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति को अत्यधिक महत्व देता है और भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में वृहत्तर भूमिका निभाने की आकांक्षा को समझता है और उसका समर्थन करता है।

मंत्रियों ने नोट किया कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद सभी राष्ट्रों के लिए एक गंभीर खतरा बना रहा है और इस खतरे के नए और बदलते रूपों के बारे में उन्होंने चिन्ता व्यक्त की। वे इस बात पर सहमत हुए कि संयुक्त राष्ट्र के केंद्रित तथा समन्वित भूमिका के तहत तथा उसके वैश्विक आतंकवादरोधी रणनीति के दायरे के अन्दर सामूहिक कार्रवाई को आतंकवाद के बदलते स्वरूप तथा उसके नेटवर्कों को ध्यान में रखते हुए और मजबूत किया जाना चाहिए। वे इस बात पर सहमत हुए कि नाभिकीय आतंकवाद के दुष्कृत्यों के दमन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को शीघ्र प्रवृत होने से तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत द्वारा प्रायोजित व्यापक अभिसमय के प्रारूप का संयुक्त राष्ट्र में शीघ्रातिशीघ्र अंगीकार करने से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी आधार और अधिक मजबूत होगा। सभी पक्षों ने क्षेत्रीय संगठनों में अपने-अपने आतंकवाद-रोधी सहयोग की समुचित क्षमता को रेखांकित किया। वे इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य के लिए, चाहे वह कहीं भी और किसी के द्वारा क्यों न किया गया हो, न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोणों से दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं और बिना किसी दोहरे मानदंड के इसका मुकाबला निरंतर, ठोस तथा व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय अतंकवाद का पोषण करने वाले सभी कारकों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने पर भी सभी पक्ष सहमत हुए जिसमें कि उसका वित्तपोषण, गैर-कानूनी मादक दवाओं का अवैध व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराध शामिल हैं।

सभी मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले देश के रूप में भारत, रूस और चीन विश्व शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए पर्याप्त सकारात्मक सहयोग कर सकते हैं। इस संबंध में मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। वे इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय तथा वैश्विक मामलों के प्रति सहयोग, का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए न कि विवाद का। शंघाई सहयोग संगठन (एस०सी०ओ०) में भारत द्वारा पर्यवेक्षक देश के रूप में योगदान करने का स्वागत करते हुए रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने कहा कि वे एस०सी०ओ० में भारत पर परस्पर लाभकारी सहयोग शीघ्र प्राप्त होने को सक्रियता पूर्वक सुविधाजनक बनाएगें।

सभी मंत्रियों ने आर्थिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग तथा साथ-साथ काम करने की उच्च संभावना की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने ऊर्जा, परिवहन अवसंरचना, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में तीन देशों के बीच पारस्परिक लाभकारी आर्थिक तालमेल के लिए समुचित क्षमता को भी दोहराया। तीन निरन्तर विकसित हो रही तथा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार एवं औद्योगिक मंडली की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए मंत्रिगण अपने-अपने संबंधित शीर्ष व्यापार निकायों को यह परामर्श देने पर सहमत हुए कि वे तीनों देशों की क्षमताओं तथा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक त्रिपक्षीय व्यापार मंच आयोजित करें। वे वर्ष 2007 के दौरान होने वाली सहमत व्यापार बैठक को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया की निगरानी करने पर सहमत हुए।

सभी मंत्रियों ने नई दिल्ली में सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक के परिणामों पर सहमति व्यक्त की और इसकी अगली बैठक चीन में आयोजित करने पर सहमत हुए।

नई दिल्ली
14, फरवरी, 2007

अस्पतालों को सूचीबद्ध करना

*140. **श्री जोवाकिम बखला :**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०जी०एच०एस० ने हाल ही में कई बड़े निजी अस्पतालों को अपनी अनुमोदित सूची से हटा दिया है जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अन्य सी०जी०एच०एस० लाभार्थियों को भारी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) देश के सभी बड़े निजी अस्पतालों को सी०जी०एच०एस० की अनुमोदित सूची में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सी०जी०एच०एस० द्वारा देश के सभी भागों में अपने अस्पताल स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सी०जी०एच०एस० के पैनल में अस्पतालों को शामिल करने की प्रक्रिया अब एक सतत प्रक्रिया है। पैनल में शामिल होने की शर्तों को पूरा करने वाले तथा सी०जी०एच०एस० द्वारा अनुमोदित दरों को स्वीकार करने के इच्छुक प्राइवेट अस्पताल/नैदानिक केन्द्र पैनल में शामिल होने के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष उपग्रहों का प्रक्षेपण

1046. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष उपग्रहों के क्या नाम हैं और इनका प्रक्षेपण किन स्थानों से किया गया;

(ख) कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण असफल रहा है और इसके क्या कारण हैं एवं इनकी लागत कितनी थी;

(ग) विश्व में उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली में भारत का स्थान/स्थिति क्या है; और

(घ) भारत द्वारा प्रक्षेपण प्रणाली को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	उपग्रह का नाम	प्रक्षेपण तिथि	प्रक्षेपण स्थान
1	2	3	4
1.	इन्सैट-3सी	24.1.2002	फ्रेंच गियाना
2.	कल्पना-1	12.9.2002	श्रीहरिकोटा, भारत
3.	इन्सैट-3ए	10.4.2003	फ्रेंच गियाना
4.	जीसैट-2	8.5.2003	श्रीहरिकोटा, भारत
5.	इन्सैट-3ई	28.9.2003	फ्रेंच गियाना

1	2	3	4
6.	आई०आर०एस०-पी6 (रिसोर्ससैट-1)	17.10.2003	श्रीहरिकोटा, भारत
7.	एडुसैट	20.9.2004	श्रीहरिकोटा, भारत
8.	आई०आर०एस०-पी5 (कार्टोसैट-1)	5.5.2005	श्रीहरिकोटा, भारत
9.	हैमसैट	5.5.2005	श्रीहरिकोटा, भारत
10.	इन्सैट-4ए	22.12.2005	फ्रेंच गियाना
11.	इन्सैट-4सी	10.7.2006	श्रीहरिकोटा, भारत
12.	कार्टोसैट-2	10.1.2007	श्रीहरिकोटा, भारत
13.	अंतरिक्ष कैप्सूल पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एस०आर०ई०-1)	10.1.2007	श्रीहरिकोटा, भारत

(ख) उपर्युक्त 13 प्रक्षेपणों में से जी०एस०एल०वी०-एफ० 02 द्वारा 10 जुलाई, 2006 को प्रक्षेपित इन्सैट-4सी का एकमात्र प्रक्षेपण असफल रहा। जी०एस०एल०वी० के चार स्ट्रैप-आन चरणों में से एक का ठीक से काम नहीं कर पाना इस मिशन की विफलता का कारण बनी। इन्सैट-4सी उपग्रह की लागत 96 करोड़ रुपये तथा जी०एस०एल०वी० की लागत 150 करोड़ रुपए थी।

(ग) भारत उपग्रहों का विकास करने तथा अपनी राकेट प्रणाली का उपयोग करते हुए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता रखने वाले विश्व के छः देशों में से एक है।

(घ) भारत इस समय 4 टन श्रेणी के संचार उपग्रह को भू-स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता रखने वाले जी०एस०एल०वी० मार्क III का विकास कर रहा है। पुनरूपयोगी प्रक्षेपक राकेटों सहित उन्नत प्रक्षेपक राकेट प्रणालियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास संबंधी प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं।

यू०एस०ओ० फंड का आबंटन

1047. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने के लिए कतिपय मोबाइल कंपनियों को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यू०एस०ओ०एफ०) से धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस फंड में से विभिन्न फोन कंपनियों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) राज्य-वार, कितने गांवों में फोन सुविधा दी गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहम्द) : (क) और (ख) सरकार देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थिर/मोबाइल टर्मिनल का उपयोग करने वाली वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) जैसी वायरलेस ऐक्सेस सेवाओं सहित मोबाइल सेवाओं को अवसंरचना सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता देने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अवसंरचना सुविधा का सृजन उन विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाएगा, जिनमें स्थिर वायरलेस मोबाइल की कोई कवरेज नहीं है। ये निविदाएं मौजूदा बुनियादी सेवा प्रचालकों (बी०एस०ओ०), सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (सी०एम०टी०एस०) प्रदाताओं, यूनिफाइड, एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू०ए०एस०एल०) और निजी तथा सरकारी क्षेत्र के प्रचालकों को मिलाकर सूचीबद्ध अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (आई०पी०-1) में आमंत्रित की गयी हैं। देश के 27 राज्यों के 500 जिलों में फैले ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कुल 7871 टावर स्थापित किये जाएंगे। इन टावरों की जिला-वार, ग्राम-वार अवस्थिति की जानकारी दूरसंचार विभाग के वेबसाइट (डब्ल्यु०डब्ल्यु०डब्ल्यु०डीओटी०जीओवी०आईएन) पर प्राप्त हो सकती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न फोन कम्पनियों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू०एस०अएफ०) से संवितरित धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	सेवा प्रदाता का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	भारत संचार निगम लि०	197.30	1,311.00	1,744.41
2.	रिलायंस इनफोकॉम लि०	0.80	0.90	18.78
3.	टाटा टेलीसर्विसेज लि०	0.58	1.12	2.35

1	2	3	4	5
4.	टाटा टेली सर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लि०	0.73	0.95	1.31
5.	भारती इनफोटेल लि०	0.13	0.10	0.00
6.	हिन्दुस्तान फ्यूचरिस्टिक कारपोरेशन लि० (एच०एफ०सी०एल०)	0.01	0.00	0.00
7.	श्याम टैलीलिंक लि०	0.45	0.10	0.00
	कुल	200.00	1,315.00	1,766.85

(घ) देश में स्थिर टेलीफोन सेवा से कवर किये गये गांवों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में फिक्सड टेलीफोन सेवाओं द्वारा कवर किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या

(31.12.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	सेवा क्षेत्र का नाम	बी०एस०एन०एल० द्वारा (प्रदत्त)	पी०बी०एस०ओ० द्वारा प्रदत्त (दावे के तथा वैबसाइट सूचना के अनुसार)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	198	
2.	आंध्र प्रदेश	23930	1358 टी०टी०एल०
3.	असम	24265	
4.	बिहार	38475	
5.	झारखण्ड	27302	3760 आर०आई०एल०
6.	गुजरात	14208	
7.	हरियाणा	6811	
8.	हिमाचल प्रदेश	16814	
9.	जम्मू-कश्मीर	5572	
10.	कर्नाटक	27066	
11.	मध्य प्रदेश	46966	242 भारती
12.	छत्तीसगढ़	16933	
13.	महाराष्ट्र	36119	2595 टी०टी०एल०
14.	पूर्वोत्तर-I	4457	
15.	पूर्वोत्तर-II	3767	
16.	उड़ीसा	40778	
17.	पंजाब	12687	35 एच०एफ०सी०एल०
18.	राजस्थान	31561	886 श्याम
19.	तमिलनाडु	17899	
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	76006	
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	21268	
22.	उत्तरांचल	12773	
23.	पश्चिम बंगाल	37306	
24.	कोलकाता	437	
	जोड़	543598	8876
25.	केरल*	1468	
	योग	545066	8876
	कुल योग	553942	

* क्रम सं०-25 पर केरल यू०एस०ओ० निधि से सहायता के अंतर्गत कवर नहीं होता।

– वी०पी०टी० की कुल संख्या में 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार कुल 66,822 गांवों में से शेष सुविधारहित गांवों में संस्थापित 38795 वी०पी०टी० भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

समान सेलफोन नम्बर

1048. श्री बची सिंह रावत "बच्चदा" : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवा प्रदाता में परिवर्तन करने के बाद भी सेलफोन प्रयोक्ताओं को सेलफोन का पहला नंबर ही बनाए रखने की स्वतंत्रता देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रति व्यक्ति आय

1049. श्री एम० राजा मोहन रेड्डी : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 में प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों के बीच असमानता के क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी०के० वासन) : (क) वर्ष 2005-06 के लिए अधिकांश राज्यों की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 2004-05 के लिए प्रचलित मूल्यों पर राज्यवार प्रति व्यक्ति आय संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता मुख्यत: ऐतिहासिक असमानता और प्रारंभिक आर्थिक स्थितियों के कारण है। कुछ राज्यों में सामान्यत: बेहतर प्रशासन रहा और उन्होंने अन्य राज्यों की तुलना में विकासोन्मुख नीतियां अपेक्षाकृत कारगर तरीके से अपनाई।

विवरण

प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन (राज्य आय)

(रुपये)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004-05
1	2	3
1.	आंध्र पेदश	23153
2.	अरूणाचल प्रदेश	19724
3.	असम	13633
4.	बिहार	5772
5.	झारखंड	13013
6.	गोवा	58184
7.	गुजरात	28355
8.	हरियाणा	32712
9.	हिमाचल प्रदेश	27486
10.	जम्मू-कश्मीर	16190
11.	कर्नाटक	23945
12.	केरल	27048
13.	मध्य प्रदेश	14069
14.	छतीसगढ़	15073
15.	महाराष्ट्र	32170
16.	मणिपुर	14901
17.	मेघालय	19572
18.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	13601
21.	पंजाब	30701
22.	राजस्थान	16212
23.	सिक्किम	24115
24.	तमिलनाडु	25965
25.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं

1	2	3
26.	उत्तर प्रदेश	11477
27.	उत्तरांचल	19652
28.	पश्चिम बंगाल	22497
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं
30.	चंडीगढ़	67370
31	दिल्ली	53976
32.	पांडिचेरी	56034

स्रोत : 31.01.2007 की स्थिति के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

[हिन्दी]

इन-विट्रो-फर्टीलिटी क्लिनिक

1050. श्री बालेश्वर यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इन-विट्रो-फर्टीलिटी क्लिनिक की सुविधा की शुरूआत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्लिनिक में जरूरतमंदों और गरीब लोगों को रियायत देने की कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

टेलीफोन न्यायालय

1051. श्री जी० करूणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए टेलीफोन न्यायालय आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक में राज्य-वार किन तारीखों को टेलीफोन न्यायालय आयोजित किए गए थे;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन न्यायालयों को राज्य-वार कितने मामले प्राप्त हुए और कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) टेलीफोन उपभोक्ताओं को प्रदान की गई राहत का ब्यौरा क्या है और ऐसे न्यायालय आयोजित करने के क्या नियम हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिल

1052. श्री जीवाभाई ए० पटेल :
श्री वी०के० दुग्मर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिल भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं को ऐसी समस्याओं से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) बी०एस०एन०एल० द्वारा बताया गया है कि कुछ गौण स्विचन क्षेत्रों (एस०एस०ए०) में, कतिपय मामलों में बिल,

उस अवधि के लिए जब टेलीफोन खराब रहे, निर्धारित मासिक प्रभारों में छूट दिए बिना, जारी किए गए थे। तथापि, ग्राहकों को यह छूट अगले बिलों में दे दी गई थी।

(ख) संबंधित गौण स्विचन क्षेत्रों में दोषपूर्ण बिलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

वर्ष	मामलों की संख्या	मासिक प्रभारों में दी गई छूट (रुपयों में)	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम
2004-05	289	24,976	अहमदाबाद, बड़ौदा, भुज बलसाड़, भावनगर, हिम्मत नगर और मेहसाना
2005-06	1161	61,367	
2006-07	1030	1,08,626	

(ग) किसी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया।

(घ) बी०एस०एन०एल० ने संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों को दोषपूर्ण टेलीफोनों के लिए निर्धारित मासिक प्रभारों में छूट देने के संबंध में स्थाई आदेशों को पूर्णत: कार्यान्वित करने के निर्देश दिए हैं।

[अनुवाद]

स्पेस कैपस्यूल को वापस लेने संबंधी प्रयोग

1053. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्पेस कैपस्यूल रिकवरी एक्सपैरिमेन्ट व्हिकल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके एक्सक्लूसिव स्पेस क्लब का सदस्य बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसरो द्वारा भविष्य में शुरू किए जाने वाले अंतरिक्ष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। अंतरिक्ष कैपस्यूल पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एस०आर०ई०-1) का कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण और उसकी सुरक्षित वापसी के साथ भारत इस प्रकार के प्रक्षेपण तथा कक्षा से अंतिरक्षायन को वापस लाने की क्षमता रखने वाले अमेरिका, रूस और चीन जैसे विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है।

(ख) एस०आर०ई०-1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा से जनवरी 10, 2007 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट, पी०एस०एल०वी०-सी7 द्वारा 635 कि०मी० की उच्च ध्रुवीय सूर्य-तुल्यकाली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। एस०आर०ई०-1 12 दिनों तक कक्षा में रहा जिसके दौरान दो सूक्ष्म-गुरूत्व परीक्षणों का आयोजन किया गया। एस०आर०ई०-1 को जनवरी 22, 2007 को राकेट मोटरों की फायरिंग द्वारा असफलतापूर्वक डि-बूस्ट किया गया और जटिल युक्तिचलानों की एक श्रृंखला के पश्चात् इसे पृथ्वी के वातावरण में पुन: प्रवेश कराया गया और श्रीहरिकोटा से लगभग 140 कि०मी० पूर्व में बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। तत्पश्चात् इसे सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भविष्य की योजनाओं में पुनरूपयोगी प्रमोचक राकेटों जैसी उन्नत अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों का विकास; शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन सहायता जैसी विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष संचार; प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के लिए संवर्धित प्रतिबिंबन प्रणालियां और खगोलविज्ञान एवं ग्रहीय खोज से संबंधित अग्रणी अनुसंधान शामिल हैं।

धुबरी में अंतरराष्ट्रीय नदी-पत्तन

1054. **श्री मणी कुमार सुब्बा** : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम-राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल-राज्य सरकार से असम में धुबरी में एक अंतरराष्ट्रीय नदी-पत्तन की स्थापना की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र-सरकार ने धुबरी में ऐसे अंतरराष्ट्रीय नदी-पत्तन को विकसित करने के लिए कोई टैक्नो-इकोनॉमिक व्यवहार्यता-अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, पश्चिम बंगाल की राज्य-सरकार ने ब्रह्मपुत्र जलपथ दबी समिति द्वारा किया गया अभिवेदन,

मुख्यमंत्री, पश्चिम-बंगाल-सरकार को भेज दिया था, जिसमें धुबरी में सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त पत्तन स्थापित किए जाने का अनुरोध शामिल था।

(ग) से (ङ) धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित कर दिया गया है और उपुर्यक्त जलमार्ग पर विभिन्न विकासात्मक कार्य निष्पादित करवाए जा रहे हैं, जिनमें धुबरी में खुले भंडारण की सुविधा से युक्त एक प्लवमान टर्मिनल स्थापित करवाया जाना, सामान से लदे हुए ट्रकों के संबंध में सड़क से संपर्क कायम करवाया जाना और जलयानों को घाट पर लगाने के संबंध में प्लवमान क्रेन पंटून जेटी स्थापित करवाया जाना एवं मार्ग बनाए जाने सहित मशीनीकृत सुविधाओं से जहाजी माल संभाला जाना शामिल हैं। धुबरी में जहाजी माल की उपलब्धता और उसकी मांग के आधार पर, बाद में, उपर्युक्त क्रम में आगे और उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। फिर भी, धुबरी में जहाजी माल संभालने की सुविधाओं सहित, एक मशीनीकृत और आधुनिकीकृत नदी-पत्तन कायम करवाए जाने के बारे में धुबरी-नदी-पत्तन-विकास-मांग-समिति से मिले अभिवेदन के आधार पर, भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान, गुवाहाटी से नाव घाट में किन्चित अनुप्रवाह पर एक वैकल्पिक स्थल की व्यवहार्यता का शीघ्रता से अध्ययन करने को कहा गया है।

बी०एस०एन०एल० योजना के प्रशुल्क में कमी

1055. श्री एस०के० खारवेनथन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०) ने हाल ही में फिक्स्ड लाइन प्रशुल्क विशेषकर एस०टी०डी० कालों की दरों, मासिक दरों में कमी की है और नि:शुल्क कॉलों में वृद्धि करने के साथ-साथ कई अन्य रियायतें भी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विचार भी उपर्युक्त को अपनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) शहरी क्षेत्रों में 29999 लाइनों से अधिक एक्सचेंज प्रणाली क्षमता के लिए स्थिर लाइन प्रशुल्क घटाकर "वन इंडिया" प्लान के अनुरूप कर दिया गया है। बुनियादी सेवाओं के प्रशुल्कों की बी०एस०एन०एल० द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। बी०एस०एन०एल० द्वारा "वन इंडिया" प्लान सहित स्थिर लाइन के लिए प्रस्तुत की गई विभिन्न प्लानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। एम०टी०एन०एल० प्रतिस्पर्धा का सामना करने और ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से स्थिर लाइन प्रशुल्क की समीक्षा करता रहा है तथा इसके द्वारा पहले ही कुछ शुल्क घटाया गया है और कुछ रियायतें दी गई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

बुनियादी सेवा के लिए वर्तमान प्रशुल्क

बी०एस०एन०एल० की बुनियादी सेवा के उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान प्रशुल्क निम्नवत है:

(क) सामान्य पैकेज

बीफोन/डब्ल्यू०एल०एल०(फोन) के लिए
मासिक किराया प्रभार

किराया प्रभार	1 जनवरी 2006 से लागू सामान्य योजना	
एक्सचेंज प्रणाली क्षमता	ग्रामीण	शहरी
1000 लाइनों से कम	50 रु०	120 रु०
1000 लाइनों से < 30000 लाइन	110 रु०	120 रु०
30000 लाइनों से < 100000 लाइन	150 रु०	180 रु०
100000 लाइन और अधिक	150 रु०	180 रु०
नि:शुल्क कॉलें	75	50

(ख) वैकल्पिक पैकेज:

सामान्य पैकेज के अतिरिक्त बी-फोन/डब्ल्यू०एल०एल० के अंतर्गत ग्राहकों के लिए संशोधित/अतिरिक्त वैकल्पिक पैकेज निम्नवत है:

विवरण	ग्रामीण उपभोक्ता		ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ता					
	बीएसएनएल इकोनॉमी	बीएसएनएल स्पेशल	सुलभ	बीएसएनएल इकोनॉमी	बीएसएनएल स्पेशल	बीएसएनएल स्पेशल प्लस	बीएसएनएल सुपर	बीएसएनएल प्रीमियम
1 जनवरी 2006 से लागू स्थिर मासिक प्रभार								
3000 से कम लाइनें	150 रु०	650 रु०	99 रु०*	300 रु०	375 रु०	975 रु०	1450 रु०	2450 रु०
≥ 3000 से < 100000 लाइनें	150 रु०	650 रु०	120 रु०	300 रु०	425 रु०	975 रु०	1450 रु०	2450 रु०
> 100000 लाइनें	150 रु०	650 रु०	160 रु०*	300 रु०	475 रु०	975 रु०	1450 रु०	2450 रु०
नि:शुल्क कॉलें (एम०सी०यू०)	150	700	0	200	400/450/500	1100	1800	3500
यूनिट दर (नि:शुल्क कॉलों से अधिक	1.20	1.10	1.20	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80

1 अक्तूबर 2006 से 30000 लाइनों से कम और 30000 लाइनों से अधिक एक्सचेंज प्रणाली क्षमता के लिए सुलभ प्लान के अंतर्गत स्थिर मासिक प्रभार संशोधित करके क्रमश: 75 रु० और 120 रु० प्रति माह कर दिया गया है।

(ग) बुनियादी और डब्ल्यू०एल०एल० सेवाओं के लिए "बी०एस०एन०एल० वन इंडिया" प्लान के अंतर्गत प्रशुल्क

विवरण	बी०एस०एन०एल० वन इंडिया	
	पल्स दर (सेकेंड में)	01.11.2006 से लागू
1	2	3
स्थिर मासिक प्रभार		180 रु०
नि:शुल्क कॉल (एम०सी०यू०)		50
यूनिट कॉल दर		एक रु०
कॉल प्रभार		
स्थानीय और 50 कि०मी० तक अंतरा सर्किल कॉल		
अपना नेटवर्क		
स्थिर, डब्ल्यू०एस०एल०	180	0.33 रु० प्रति मिनट
सेल्युलर (94)	60	1.00 रु० प्रति मिनट
अन्य नेटवर्क		
स्थिर	180	1.00 रु० प्रति मिनट
सेल्युलर, डब्ल्यू०एल०एल०	60	1.00 रु० प्रति मिनट
50 कि०मी० से अधिक दूरी के अंतरा सर्किल कॉल और अंतर सर्किल कॉल		
(अपना और अन्य नेटवर्क)		
स्थिर, डब्लयू०एल०एल०, सेल्युलर	60	1.00 रु० प्रति मिनट

1	2	3
आई०एस०डी० कॉल		
यू०एस०ए०, कनाडा, यू०के०	10.0	6.00 रु० प्रति मिनट
श्रीलंका	10.0	6.00 रु० प्रति मिनट
यूरोप (यू०के० को छोड़कर), सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और हांगकांग	7.5	8.00 रु० प्रति मिनट
कुवैत, बहरीन यू०ए०ई०, ओमान, कतर	7.5	8.00 रु० प्रति मिनट
शेष विश्व	6.0	10.00 रु० प्रति मिनट

टिप्पणी :

*स्थानीय और 50 कि०मी० दूरी तक के अंतरासर्किल कॉल के लिए 3 मिनट के एक रुपये की दर से प्रभार लिया जाता है। उपर्युक्त पैकेज ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं के लिए लागू होंगे।

विवरण-II

एम०टी०एन०एल० द्वारा शुल्क में हाल में की गई कटौतियां और उपभोक्ताओं को दी गई रियायतें

एम०टी०एन०एल०, दिल्ली

(i) दिल्ली में वन इंडिया प्लान का मासिक किराया 1.11.2006 से 299 रु० से घटाकर 180 रु० कर दिया गया है।

(ii) लैंडलाइन का एस०टी०डी० प्रशुल्क 01.1.2007 से 2.40 रु०/मिनट से घटाकर 2.00 रु०/मिनट कर दिया गया है।

(iii) लैंडलाइन से अपने मोबाइल (डॉल्फिन, ट्रंप, डब्ल्यू०एल०एल०, गरुड़) पर स्थानीय कॉल दर 1.1.2007 से 1.20 रु० प्रति मिनट से संशोधित करके 1.20 रु० प्रति 3 मिनट कर दिया गया है।

(iv) 20.11.2006 से 2.12.2006 तक लैंडलाइन ग्राहकों को डब्ल्यू०एल०एल० मोबाइल कनेक्शन

(v) एम०टी०एन०एल० की बुनियादी सेवा के लिए प्रोत्साहन प्लान 1+1 को 5.12.2006 से 3 माह के लिए फिर से शुरू करना।

(vi) विस्तारित एम०टी०एन०एल० लैंडलाइन की बुकिंग के लाभ में 1.1.07 से 90 दिन का विस्तार देना।

एम०टी०एन०एल०, मुंबई

(i) वन इंडिया प्लान का मासिक किराया 1.11.2006 से 299 रु० से घटाकर 180 रु० कर दिया जाता है।

(ii) लैंडलाइन और डब्ल्यू०एल०एल० से एम०टी०एन०एल० के नेटवर्क पर प्रशुल्क दर 1.20 रु० प्रति 180 सेकेंड कर दिया गया है और इस कॉल को स्थानीय बना दिया गया है।

(iii) लैंडलाइन/डब्ल्यू०एल०एल० से एम०टी०एन०एल० दिल्ली लैंडलाइन/डब्ल्यू०एल०एल० के लिए प्रशुल्क 1.20 रु० प्रति 30 सेकेंड से घटाकर 1.20 रु० प्रति 180 सेकेंड कर दिया गया है।

(iv) लैंडलाइन/डब्ल्यू०एल०एल० का एस०टी०डी० प्रशुल्क 2.40 रु० प्रति मिनट से घटाकर 2.00 रु० प्रति मिनट कर दिया गया है।

(v) लैंडलाइन के लिए 150 रु० प्रति माह किराये का "केवल इनकमिंग" प्लान नियमित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर सड़क और पुल का निर्माण

1056. श्री अशोक अर्गल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री 10 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2790 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंबल नदी पर पुल के निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर धौलपुर-मुरैना खंड को चार लाइनों का बनाने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना वर्ष 2004 में शुरू हो जानी थी;

(ग) यदि हां, तो इसके विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) विलंब के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) राजस्थान/मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के धौलपुर-मुरैना खंड पर 51.00 से 61.00 कि०मी० (चंबल पुल सहित) चार लेन बनाने के लिए निविदाएं फरवरी, 2007 में आमंत्रित की गई हैं और अप्रैल, 2007 में कार्य सौंप दिए जाने की संभावना है। निविदा दिए गए कार्य की लागत 235.00 करोड़ रु० है।

(ख) से (घ) वर्ष 2004-05 के दौरान चार लेन के धौलपुर बाइपास के प्रावधान के साथ सौंप दिए जाने की संभावना थी। तथापि, राजस्थान सरकार के अनुरोध पर परियोजना के संरेखण की समीक्षा की गई है और धौलपुर होते हुए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को चार लेन का बनाने की परिकल्पना थी। संशोधित संरेखण के अनुसार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ड्राइंग, क्षेत्रीय जांच तथा भूमि अधिग्रहण, योजनाएं तैयार करने और उपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण आदि के प्राक्कलन जैसे निर्माण पूर्व कार्य शुरू किए गए हैं और तत्पश्चात् फरवरी, 2007 में निविदाएं आमंत्रित की जा सकी।

(ङ) कार्य शुरू होने की तारीख से 36 महीनों में इस कार्य को पूरा किया जाना है।

अस्पतालों से शिशुओं को उठा लेना

1057. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों से नवजात शिशुओं को उठा ले जाने/गायब होने संबंधी घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न अस्पतालों से अस्पताल-वार कितने शिशु उठाए/गायब किए गए हैं;

(ग) चोरी किए गए कुल शिशुओं में से कितने शिशुओं को बरामद किया गया है और इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या ऐसी घटनाओं में अस्पताल स्टाफ को भी संलिप्त पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सी०आई०डब्ल्यू०टी०सी० हेतु पुनरूद्धार प्रस्ताव

1058. **श्री समिक लाहिरी** : क्या **पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन निगम (सी०आई०डब्ल्यू०टी०सी०) ने पुनरूद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) मंत्रिमंडल ने अपनी 01.12.2005 को हुई बैठक में यह निर्णय किया था कि राजाबागान डॉकयार्ड को उसके मौजूदा कार्मिकों, उसकी मौजूदा परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम को सौंप दिया जाए। यह भी निर्णय किया गया था कि 31.03.2005 को रही स्थिति के अनुसार, बकाया मूल धनराशि इक्विटी में बदल दी जाए और उस पर देय ब्याज की धनराशि बट्टे-खाते में डाल दी जाए। इस सिलसिले में आगे यह निर्णय और किया गया था कि केंद्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम में कार्मिकों की संख्या कम करने की दृष्टि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना चलाई जाए और राजाबागान डॉकयार्ड को छोड़कर, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम का गैर सरकारी पक्षों के हित में विनिवेश कर दिया जाए।

उपर्युक्त पैकेज के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति के अनुसार, राजाबागान डॉकयार्ड, दिनांक 01.07.2006 से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को अंतरित कर दिया गया है। 31.03.2005 को रही स्थिति के अनुसार, बकाया मूल धनराशि इक्विटी में बदल दिए जाने

और 31.01.2007 को रही स्थिति के अनुसार उस पर देय बकाया चले आ रहे ब्याज की धनराशि बट्टे-खाते में डाल दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना चलाई जानी आरंभ कर दी गई है और इस समय केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम में कार्मिकों की संख्या 470 है। पोत-परिवहन-विभाग द्वारा केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम के कार्मिकों की परिवर्तित हो रही संख्या सहित उसका विनिवेश कर दिए जाने की व्यवहार्यता का आकलन किए जाने की कार्रवाई की जानी आरंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लाइनों का बनाना

1059. **श्री राजनरायन बुधौलिया :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लाइनों का बनाने और काईमाहा-बेटियर के बीच स्थित शहरों को हमीरपुर से जोड़ने के लिए एक बाइपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लैंडलाइन और सेल्युलर फोनों का उपयोग

1060. **श्री रूपचन्द मुर्मू :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में लैंडलाइन फोनों और सेल वन सेल्युलर फोनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लि० द्वारा लैंडलाइन और सेल्युलर फोनों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु पिछले एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) प्रशुल्कों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने हेतु उनमें आवधिक संशोधन करना।

(ii) नई सेवाओं अर्थात् लैंडलाइन पर ब्रॉडबैंड सेवा की शुरूआत।

(iii) स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं जैसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रोत्साहन स्कीमों का प्रचार करना, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रसारण माध्यम का उपयोग, राज्य भर में प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाना तथा पी०सी०ओ० पर चमकीले साइन बोर्ड (ग्लो-साइन) लगाना इत्यादि।

(iv) भा०सं०नि०लि० की विभिन्न सेवाओं एवं प्रशुल्क योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देने हेतु विभिन्न स्थानीय मेलों, व्यापार और पुस्तक मेलों में भाग लेना।

(v) एस०एम०एस० के माध्यम से मोबाइल उपभोक्ताओं को विभिन्न स्कीमों के संबंध में सूचना प्रसारित करना।

(ख) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पश्चिम बंगाल में वर्ष 2006-07 के दौरान 31.1.2007 तक कुल 3,53,994 टेलीफोन कनैक्शनों की वृद्धि हुई है।

प्रति व्यक्ति खर्च

1061. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पांच वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति खर्च में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) खर्च में ऐसी वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रति व्यक्ति आय की तुलना में प्रति व्यक्ति खर्च कितना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी०के० वासन) : (क) और (ख) जी, हां, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (रा०प्र०सर्वे०सं०) सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चयनित राज्यों का पिछले पांच वर्षों का अनुमानित औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 2000-01 से 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में भगभग 38% की वृद्धि की तुलना में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 13% और शहरी क्षेत्रों में 15% तक की वृद्धि हुई है। अन्य कारणों में, उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि के कारण है।

विवरण

रा०प्र०सर्वे०सं० सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार अनुमानित औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय का सार

राज्य/सं०शा०क्षे०	औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (रु०) ग्रामीण					औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (रु०) शहरी				
	2000-01	2001-02	2002-03	2004	2004-05	2000-01	2001-02	2002-03	2004	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	490	538	575	557	586	928	859	989	1102	1019
असम	457	537	532	532	543	789	883	947	1019	1058
बिहार	396	440	424	442	417	595	625	692	784	696
छत्तीसगढ़	395	338		417	425	740	723		812	990
दिल्ली	—	—	—	—	918	1309	1267	1129	1301	1319
गुजरात	591	621	590	613	596	953	954	1229	1092	1115
हरियाणा	682	706	703	879	863	898	1040	1123	1050	1142
हिमाचल प्रदेश	701	775	—	793	798	1178	1195	—	—	1390
जम्मू-कश्मीर	680	758	787	802	793	1048	1087	1063	1086	1070
झारखंड	385	376	391	405	425	691	785	827	969	985
कर्नाटक	531	525	513	502	508	900	973	969	937	1033
केरल	841	840	881	990	1013	1204	1240	1267	1372	1291
मध्य प्रदेश	390	401	436	437	439	727	737	709	793	904
महाराष्ट्र	507	589	454	569	568	1034	1209	1164	1259	1148
उड़ीसा	392	308	390	414	399	773	736	869	872	757
पंजाब	771	761	788	947	847	973	1009	1110	1059	1326
राजस्थान	538	578	574	580	591	793	805	830	995	964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तमिलनाडु	526	552	542	603	602	969	898	1072	1131	1080
उत्तर प्रदेश	453	423	486	538	532	738	729	879	827	857
पश्चिम बंगाल	473	506	493	580	562	902	967	1066	1133	1124
संपूर्ण भारत	495	498	531	565	559	915	933	1012	1060	1052
5 वर्षों के दौरान % वृद्धि					13					15

	कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर (रु०)				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
संपूर्ण भारत	16648	17800	18899	20936	22946
5 वर्षों के दौरान % वृद्धि					38

बीजापुर-हुमानाबाद सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-218 ई घोषित करना

1062. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जीवर्गी और गुलबर्गा से होकर गुजरने वाली बीजापुर-हुमानाबाद सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग 218-ई घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में उन राष्ट्रीय राजमार्गों के क्या नाम हैं जिनका सुधार और अनुरक्षण किया गया है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-218 ई सहित राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने जीवर्गी और गुलबर्गा से होकर गुजरने वाली बीजापुर-हुमानाबाद सड़क को दिनांक 25.2.2004 को अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 218-ई घोषित किया गया था। यह राजमार्ग बीजापुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 13 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होता है तथ जीवर्गी और गुलबर्गा को जोड़ते हुए हुमानाबाद के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 218 ई सहित कर्नाटक से कुल 14 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जिनकी कुल लंबाई 3978 कि०मी० है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधार और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। ये कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं।

[हिन्दी]

आई०ए०एस०/आई०पी०एस० द्वारा भ्रष्टाचार

1063. श्री संतोष गंगवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान आई०ए०एस०/आई०पी०एस० अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध किसी जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने अधिकारियों की सेवा समाप्त की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005 और 2006 के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की 175 शिकायतें मिली हैं। इसी अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की 26 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ग) सत्यापित की जा सकने वाली शिकायतें आगे की जांच-पड़ताल/रिपोर्ट हेतु संबंधित राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों को भेज दी गई थीं।

(घ) इन शिकायतों के आधार पर उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी की सेवा समाप्त नहीं की गई।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से ऋण मांगना

1064. श्री नरहरि महतो : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई खनन परियोजनाओं और मौजूदा कोयला खानों के विस्तार के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रस्ताव के निर्धारित किए गए आपरेटिंग कंडीशन्स और मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या विश्व बैंक ने ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले आदिवासियों को पुनर्वास और पुन: प्रशिक्षण देने के लिए कोई आवश्यक मानदंड बनाया है;

(ङ) क्या सरकार विद्यमान खनन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित पुनर्वास/पुन: प्रशिक्षण मानदंडों को प्राप्त करने में समर्थ हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) सरकार ने नई खनन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण की मांग नहीं की है। तथापि, वर्ष 1998 में कोल इंडिया ने मौजूदा कोयला खानों के विस्तार के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया था।

(ख) विश्व बैंक ऋण और उधार के तहत दो परियोजनाएं थीं–

(i) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी०एस०आर०पी०)

(ii) कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रशमन परियोजना (सी०एस०ई०एस०एम०पी०)

कोल इंडिया लिमिटेड की 5 सहायक कंपनियों जैसे सी०सी०एल०, एम०सी०एल०, एस०ई०सी०एल०, डब्ल्यू०सी०एल० और एन०सी०एल० के अंतर्गत कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना ने 24 परियोजनाओं को शामिल किया और कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रशमन परियोजना ने उन्हीं 24 परियोजनाओं और एक अतिरिक्त परियोजना को शामिल किया।

(i) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी०एस०आर०पी०)

इंटरनेशनल बैंक फार रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट-आई०बी०आर०डी० (19 मार्च, 1998 का करार) तथा जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन – जे०बी०आई०सी० (13 अप्रैल, 1998 का करार) द्वारा यथा संवितरित ऋण का निवल उपयोग, कोयलरा क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी०एस०आर०पी०) के तहत उपकरण की खरीद और तकनीकी सहायता के लिए क्रमश: 245.73 मिलियन यू०एस० डालर तथा 28,440.82 मिलियन जापानी येन है। आई०बी०आर०डी० और जे०बी०आई०सी० द्वारा खरीद के वित्त-पोषण के लिए संवितरण दिसम्बर, 2003 में पूरा किया गया। इसलिए, जनवरी, 2004 से ऋण की कोई निकासी नहीं है।

(ii) कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक उपशमन परियोजना (सी०एस०ई०एस०एम०पी०)

इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन – आई०डी०ए० जिसके कार्यकलाप पर्यावरणीय कार्य योजना (ई०ए०पी०), पुनर्वास कार्य योजना (आर०ए०पी०) तथा स्वदेशी जन विकास योजना (आई०पी०डी०पी०) के अंतर्गत हैं, के

साथ सामाजिक क्षेत्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक उपशमन परियोजना (सी०एस०ई०एस०एम०पी०) (5 जून 1996 का करार) समयानुसार पूरी हो गई है। आई०डी०ए० द्वारा निर्धारित तारीख के अनुसार, परियोजना 30 जून, 2002 से बंद हो गई है। आई०डी०ए० ऋण के रूप में 39.25 मिलियन यू०एस० डालर (177.69 करोड़ रुपए के समतुल्य) की कुल राशि संवितरित कर दी गई है और वित्त वर्ष 2005-06 में उधार की पूरी चुकौती कर दी गई है।

(ग) ऋण करार में निर्धारित निबंधन और शर्तें निम्नवत है:–

निबंधन

1. ऋणी द्वारा भागीदार अनुषंगी को दिए गए प्रत्येक अनुषंगी ऋण की मूलधन राशि।

   (क) परियोजना के भागीदार अनुषंगी के संबंधित भाग के कारण निकाली गई डालर की राशि के समान होगी।

   (ख) इस प्रकार उपलब्ध डालर की राशि के समतुल्य (आज की तारीख अथवा भुगतान की संबंधित तारीखों के अनुसार) राशि में ऋणी की मुद्रा में चुकौती की जाएगी।

2. संबंधित भागीदार अनुषंगी 5 वर्षों की रियायत अवधि सहित 20 वर्षों की अवधि में इस मूलधन राशि अदा करेगी।

3. ऋणी: (i) ऋण करार के तहत समय-समय पर लागू ब्याज दर के समान दर पर समय-समय पर निकाली गई ऐसी मूलधन राशि और बकाए पर ब्याज लेगा और (ii) गारंटी फीस और सेवा शुल्क लेगा।

4. ऋणी करार में निर्धारित दर पर समय-समय पर नहीं निकाली गई ऐसी मूलधन राशि पर प्रतिबद्धता शुल्क लेगा।

शर्तें

अनुषंगी ऋण करार में निम्नलिखित उपबंध शामिल होंगे, जिनके द्वारा:

1. प्रत्येक भागीदार अनुषंगी निम्नलिखित कार्य करेगी:–

   (क) पर्याप्त अध्यवसाय और सक्षमता के साथ तथा समुचित प्रशासनिक, पर्यावरणीय, वित्तीय, सामाजिक और तकनीकी मानकों और प्रचलनों के अनुसार परियोजना के अपने भाग को पूरा करेगी; और

   (ख) पूर्ववर्ती पर बिना किसी सीमा के यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि परियोजना का अपना संबंधित भाग करार के कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

2. प्रत्येक भागीदार अनुषंगी इस पर सहमत होगी कि: (क) अनुषंगी ऋण से वित्त-पोषित की जाने वाली सामग्रियों, कार्यों और सेवाओं को भागीदार अनुषंगियों की ओर से ऋणी द्वारा तथा करार के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया जाएगा; और (ख) इन सामग्रियों, कार्यों और सेवाओं का अनन्य रूप से उपयोग परियोजना के अपने संबंधित भाग को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

3. प्रत्येक भागीदार अनुषंगी परियोजना के अपने संबंधित भागों में शामिल ऐसे सामग्रियों, कार्यों और सेवाओं तथा उसके प्रचालन और किसी संगत अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने में ऋणी और बैंक को समर्थ बनाएगी।

4. प्रत्येक भागीदार अनुषंगी जिम्मेदार बीमाकर्ता के पास उन जोखिमों के विरुद्ध और उन राशियों में बीमा करेगी और उसको बरकरार रखेगी जो उपयोग या संस्थापन स्थल पर अनुषंगी ऋण के लाभ में से वित्त-पोषित सामग्रियों के अधिग्रहण, परिवहन और सुपुर्दगी से जुड़े जोखिमों, इन सामग्रियों को बदलने या मरम्मत करने के लिए ऋणी द्वारा आसानी से प्रयोज्य मुद्रा में भुगतान की जाने वाली इसके तहत क्षतिपूर्ति को शामिल करने के लिए ऐसा बीमा, बिना किसी सीमा के सहित ठोस व्यवसाय प्रचलन के अनुरूप होगा।

5. प्रत्येक भागीदार अनुषंगी करार में निर्धारित दायित्व का अनुपालन करेगी।

(घ) सी०आई०एल० की आर० एण्ड आर० नीति – 1994 में पुनर्वास और पुन: प्रशिक्षण के मानक हैं। यह नीति विश्व बैंक के साथ करार करने से पहले तैयार की गई थी। सी०एस०ई० एस०एम०पी० परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर आर० एण्ड आर० नीति अगस्त, 2000 में संशोधित की गई।

(ङ) सी०आई०एल० अपनी आर० एण्ड आर० नीति में निर्धारित पुनर्वास/पुन: प्रशिक्षण मानकों को प्राप्त करने में सफल रही है।

(च) लागू नहीं।

गांवों में टेलीफोन सुविधा

1065. **श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिक्सड/मोबाइल टेलीफोन सेवाओं द्वारा राज्यवार कितने गांवों को कवर किया जाना है;

(ख) किसी भी टेलीफोन सेवा द्वारा राज्यवार कितने गांवों को अभी भी कवर किया जाना है अथवा कवर किए जाने की प्रक्रिया में है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सभी गांवों को फिक्सड/मोबाइल टेलीफोन सेवाओं से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) विभाग में देश के गांवों में मोबाइल सेवाओं के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। देश में फिक्सड टेलीफोन सेवाओं द्वारा कवर किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने देश के शेष 66,822 असंयोजित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) प्रदान करने हेतु नवम्बर 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक करार किया है। इसमें घने जंगली क्षेत्रों/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों इत्यादि में स्थित गांव तथा 100 से कम आबादी वाले गांव शामिल नहीं हैं। 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार इनमें से 39,741 गांवों को बी०एस०एन०एल० द्वारा वी०पी०टी० प्रदान कर दिए गए हैं। शेष 27,081 गांवों को नवम्बर 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से वी०पी०टी० प्रदान कर दिए जाएंगे। टेलीफोन सुविधा दिए जाने के लिए शेष गांवों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) देश में फिक्सड/मोबाइल सेवाओं से गांवों को जोड़े जाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) सभी सुविधारहित पात्र गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) प्रदान करना, इनमें घने जंगली क्षेत्रों/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थित गांव तथा 100 से कम आबादी वाले गांव शामिल नहीं हैं।

(ii) 2000 से अधिक आबादी वाले, तथा ऐसे गांवों में जहां सार्वजनिक कॉल केन्द्र (पी०सी०ओ०) नहीं हैं, ग्रामीण सामुदायिक फोन (आर०सी०पी०) प्रदान करना।

(iii) मल्टी-एक्सेस रेडियो रिले (एम०ए०आर०आर०) वी०पी०टी० बदलना।

(iv) 1685 वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य अल्प दूरी प्रभारण केन्द्रों (एस०डी०सी०ए०) में मांग पर ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें (आर०डी०ई०एल०) प्रदान करना।

(v) सरकार फिक्सड/मोबाइल टर्मिनलों का इस्तेमाल करते हुए वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) जैसी अन्य बेतार सेवाओं सहित मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु देश के उन विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अवसंरचना स्थलों की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक स्कीम आरंभ कर रही है, जहां इस समय कोई फिक्सड वायरलैस अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है।

विवरण-I

देश में फिक्सड टेलीफोन सेवाओं द्वारा कवर किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या

(31.12.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	सेवा क्षेत्र का नाम	बी०एस०एन०एल० द्वारा (प्रदत्त)	पी०बी०एस०ओ० द्वारा प्रदत्त (दावे के तथा वैबसाइट सूचना के अनुसार)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	198	
2.	आंध्र प्रदेश	23930	1358 टी०टी०एल०
3.	असम	24265	
4.	बिहार	38475	
5.	झारखण्ड	27302	3760 आर०आई०एल०
6.	गुजरात	14208	
7.	हरियाणा	6811	

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	16814	
9.	जम्मू-कश्मीर	5572	
10.	कर्नाटक	27066	
11.	मध्य प्रदेश	46966	242 भारती
12.	छत्तीसगढ़	16933	
13.	महाराष्ट्र	36119	2595 टी०टी०एल०
14.	पूर्वोत्तर-I	4457	
15.	पूर्वोत्तर-II	3767	
16.	उड़ीसा	40778	
17.	पंजाब	12687	35 एच०एफ०सी०एल०
18.	राजस्थान	31561	886 श्याम
19.	तमिलनाडु	17899	
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	76006	
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	21268	
22.	उत्तरांचल	12773	
23.	पश्चिम बंगाल	37306	
24.	कोलकाता	437	
	जोड़	543598	8876
25.	केरल*	1468	
	योग	545066	8876
	कुल योग	553942	

* क्रम सं०-25 पर केरल यू०एस०ओ० निधि से सहायता के अंतर्गत कवर नहीं होता।

– वी०पी०टी० की कुल संख्या में 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार कुल 66,822 गांवों में से शेष सुविधारहित गांवों में संस्थापित 38795 वी०पी०टी० भी शामिल हैं।

विवरण-II

टेलीफोन सुविधा युक्त किए जाने के लिए शेष गांवों की राज्य-वार संख्या

(31.1.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	सेवा क्षेत्र का नाम	सुविधा रहित गांवों की कुल संख्या	सुविधा रहित शेष गांव
1.	आंध्र प्रदेश	1074	542
2.	असम	8931	1,049
3.	झारखंड	1694	1,233
4.	गुजरात	4144	1,036
5.	हिमाचल प्रदेश	1002	235
6.	जम्मू-कश्मीर	1755	981
7.	मध्य प्रदेश	11894	2,423
8.	छत्तीसगढ़	5043	2,724
9.	महाराष्ट्र	6441	1,707
10.	पूर्वोत्तर-I	2128	1,951
11.	मेघालय	1957	1,830
12	मिजोरम	96	92
13.	त्रिपुरा	75	29
14.	पूर्वोत्तर-II	1550	1,236
15.	अरूणाचल प्रदेश	646	591
16.	मणिपुर	876	622
17.	नागालैण्ड	28	23
18.	उड़ीसा	4899	4,829
19.	राजस्थान	12386	4,425
20.	उत्तरांचल	3,881	2,710
	योग	66,822	27,081

[हिन्दी]

विदेशी छात्रों को वीजा

1066. **श्री अविनाश राय खन्ना** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी छात्रों को दिए जाने वाले वीजा में हो रहे विलम्ब के कारण भारत की प्रतिष्ठा खराब हो रही है जैसाकि दिनांक 20 जनवरी, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा छात्र वीजा जारी करने में देरी किए जाने के कुछ मामले हैं। यह देरी मुख्यत: विदेशी छात्रों द्वारा छात्र वीजा संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी न कर पाने के कारण हुई है।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में छात्र वीजा देने की नीति को उदार बनाया है। उदारीकृत प्रावधान नीचे दिए गए हैं:—

(i) भारत में मान्यता प्राप्त/ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वीजा।

(ii) पाठ्यक्रम पूरा होने अथवा पांच वर्षों की अवधि, जो भी कम हो, वाला सह-अवसानी वीजा।

(iii) पाठयक्रमों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं।

(iv) पाठयक्रम अथवा संस्थान अथवा दोनों के परिवर्तन के मामले में कोई प्रतिबंध नहीं है।

(v) औद्योगिक प्रशिक्षण/ग्रीष्मकालीन परियोजना/इन्टर्नशिप के लिए छात्र वीजा।

(vi) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अपेक्षा को समाप्त करना।

(vii) अनुपूरक परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने के आधार पर अवधि का विस्तार।

[अनुवाद]

खाद्य और औषधि जांच प्रयोगशाला

1067. **श्री जी०एम० सिद्दीश्वर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में खाद्य और औषधि संबंधी प्रयोगशाला की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से कर्नाटक में खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण परियोजना के तहत बैंगलौर में राज्य औषधि प्रयोगशाला के मौजूदा भवन के निर्माण के विस्तार को अनुमोदित किया गया है।

कोयला खानों में बचाव सेवाएं

1068. **श्री रनेन बर्मन** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला खानों में बचाव सेवाओं का आधुनिकीकरण करके उन्हें विकसित देशों के समकक्ष बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इन सेवाओं का आधुनिकीकरण कब तक करने का है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क), (ख) और (घ) जी, हां। कोयला खानों के लिए बचाव सेवाओं का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा कोयला कंपनियों द्वारा विकसित देशों के समान नवीनतम बचाव उपकरण मुहैया कराने के लिए कार्रवाई की जाती है। कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (एस०सी०सी०एल०) की कोयला खानों में बचाव सेवाओं हेतु उपयोग में लाए जा रहे कुछ आधुनिक उपकरणों में: खान की आग से निपटने के लिए ड्रैगर बी०जी०-4 तथा स्वत: अन्तर्विष्ट सांस लेने वाला उपकरण (अल्पा-

वधि सांस लेने वाला उपकण) बी०जी०-174, पुनर्जीवित करने के लिए पुलमोटर/मक्समेन; यूनिवर्सल टेस्टर आदि हैं। बी०जी०-4 पोजिटिव प्रैसर स्वरूप का स्वत: अन्तर्विष्ट सांस लेने वाला उपकरण खान की वायु के शीघ्र एवं सटीक विश्लेषण हेतु उच्च गति वाला गैस क्रोमैटोग्राफ; भूमिगत खानों में स्थल पर खानों की गैस का पता लगाने के लिए डिजिटल गैस डिटेक्टर, आग आदि की सीट का पता लगाने के लिए थर्मल इमेज कैमरा आदि कुछ नवीनतम उपकरण कोयला खानों द्वारा खरीदे गए हैं/खरीदे जा रहे हैं। भूमिगत खानों में छत गिरने की सफाई के लिए कटर सहित हाइड्रोलिक बचाव उपकरण, स्प्रेडर्स, लिफ्टिंग जैक्स एवं न्यूमेटिक लिफ्टिंग बैग आदि भी खरीद लिए गए हैं/खरीदे जा रहे हैं। खदानों में भरे पानी को निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले लो हेड सबमर्सिबल पम्प भी खरीदे गए हैं। खरीदे जा रहे हैं। कोयला कंपनियों द्वारा सतही आग से निपटने के लिए अन्य अग्निशमन उपकरण जैसे उच्च क्षमता वाले अग्निशमन नोजल, उच्च विस्तार फोम, नोमेक्स, बचाव कार्मिकों के लिए आग की समीपता वाले सूट भी खरीद लिए गए हैं/खरीदे जो रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क), (ख) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मार्ग कर में रियायत

1069. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 के तासवाडे टोल प्लाजा पर 5 कि०मी० से 10 कि०मी० के दायरे के निवासियों को रियायत प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक दिन में एकाधिक यात्राओं के लिए एकल यात्रा की 1.5 गुना दर पर 24 घंटे के लिए मान्य रियायती दैनिक पास और पथकर प्लाजा के 10 कि०मी० और 20 कि०मी० की परिधि में रहने वाले स्थानीय लोगों तथा लोक वित्त पोषित परियोजना के लिए लागू स्कूल बसों के लिए रियायती मासिक पास प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को अपनी सहमति की जानकारी दे दी है।

एड्स रोगियों के लिए नि:शुल्क प्रतिरक्षा जांच

1070. श्री के०सी० सिंह 'बाबा' : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स रोगियों के लिए प्रतिरक्षा जांच नि:शुल्क करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अस्पतालों की सूची क्या है जहां उक्त जांच नि:शुल्क उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। एच०आई०वी०/एड्स से संक्रमित रोगियों को सी०डी० 4 जांच नि:शुल्क प्रदान की गई है। यह जांच प्रति छ: महीने या एच०आई०वी०/एड्स से पीड़ित लोगों की जांच कर रहे ए०आर०टी० केन्द्र के डाक्टर द्वारा नुस्खा लिखे जाने पर इससे पहले, नि:शुल्क की जाएगी। इस जांच सुविधा वाले अस्पतालों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	क्रम संख्या	सी०डी० 4 काउन्ट सुविधा वाले अस्पतालों/केन्द्रों की सूची
1	2	3
कर्नाटक	1.	लेडी कर्जन एवं बोवरिंग अस्पताल (एल०सी० एच०), बैंगलौर
	2.	मैसूर मेडिकल कालेज, एम०एम०सी०, मैसूर
	3.	वी०आई०एम०एस०, बेल्लारी
	4.	कर्नाटक चिकित्सा महाविद्यालय संस्थान, हुबली
तमिलनाडु	5.	जी०एम०सी० मदुरै
	6.	जी०एच०टी०एम०, तम्बरम
	7.	जी०एम०सी०, चेन्नई
	8.	जी०एम०सी०, सलेम
	9.	थंजवुर मेडिकल कालेज
	10.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, थिरूनेलवेल्ली

1	2	3
महाराष्ट्र	11.	सर जे०जे० ग्रुप अस्पताल, मुम्बई
	12.	केईएम अस्पताल, मुम्बई
	13.	बी०वाई०एल० नायर अस्पताल, मुम्बई
	14.	सियन अस्पताल, मुम्बई
	15.	बी०जे०एम०सी०, पुणे
	16.	चिकित्सा महाविद्यालय, सांगली
	17.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नागपुर
	18.	औरंगाबाद
	19.	एन०ए०आर०ई०, पुणे
गोवा	20.	चिकित्सा महाविद्यालय, बोम्बिलयन, पणजी, गोवा
आंध्र प्रदेश	21.	जी०एम०सी०, गुन्टूर
	22.	उस्मानिया चिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद
	23.	कुडापा
	24.	वारंगल
मणिपुर	25.	आर०आई०एम०एस०, इम्फाल
	26.	जे०एन० अस्पताल, इम्फाल
	27.	उखरुल
	28.	चूडाचांदपुर
नागालैंड	29.	त्वेनसांग
	30.	दीमापुर
	31.	नागा जिला अस्पताल, कोहिमा
दिल्ली	32.	आर०एम०एल० अस्पताल
	33.	एम्स, नई दिल्ली
	34.	एल०एन०जे०पी० अस्पताल
	35.	सफदरजंग अस्पताल
असम	36.	जी०एम०सी०, गुवाहाटी
गुजरात	37.	बी०जे०एम०सी०, अहमदाबाद
मध्य प्रदेश	38.	चोइथराम अस्पताल, इन्दौर
पश्चिम बंगाल	39.	एस०टी०एम०, कोलकाता
हिमाचल प्रदेश	40.	आई०जी०एम०सी०, शिमला
राजस्थान	41.	एम०सी०, जोधपुर
	42.	एस०एम०एस०, एम०सी० अस्पताल, जयपुर
उत्तर प्रदेश	43.	के०जी०एम०सी०, लखनऊ
	44.	बी०एच०यू०, वाराणासी
चण्डीगढ़	45.	पी०जी०आई०एम०ई०आर०, चंडीगढ़
केरल	46.	थिरुवनन्तपुरम चिकित्सा महाविद्यालय
बिहार	47.	एम०सी० मुजफ्फरपुर
	48.	प्रवादेवी अस्पताल
झारखंड	49.	जे०एल०एन०, रायपुर
हरियाणा	50.	पी०जी०आई०, रोहतक
पंजाब	51.	एम०सी० अमृतसर
मिजोरम	52.	आईजॉल
जम्मू-कश्मीर	53.	एम०सी० श्रीनगर
कर्नाटक	54.	निम्हंस
दिल्ली	55.	एन०आई०सी०डी०, दिल्ली
आंध्र प्रदेश	56.	एन०आई०एम०एस०, हैदराबाद
उड़ीसा	57.	आर०एम०आर०सी०, उड़ीसा
		कुल मशीनें : 57

[हिन्दी]

यूरोपीय यूनियन में स्वास्तिक प्रतीक पर प्रतिबंध

1071. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय यूनियन (ई०यू०) में हिन्दुत्व के प्रतीक 'स्वास्तिक' प्रतीक के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को यूरोपीय यूनियन के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर यूरोपीय यूनियन की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

1072. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों (एन०एफ० एच०एस०-3) तथा फोकस ऑन चिल्ड्रन अंडर सिक्स (फोक्स) सहित अनेक रिपोर्टों, अध्ययनों और सर्वेक्षणों में आई०सी०डी०एस० (एकीकृत बाल विकास सेवा) के गुणात्मक पहलुओं में उल्लेखनीय गिरावट की ओर संकेत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन खामियों को दर्शाया गया है; और

(ग) कार्यक्रम को कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के निष्कर्षों के अनुसार बच्चों में कुपोषण को कम करने में राज्यों/संघ क्षेत्रों का कार्य निष्पादन काफी भिन्न-भिन्न है। हालांकि कुछ राज्यों में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता में काफी कमी हो रही है, फिर भी कुछ अन्य राज्यों में यह कमी संतोषजनक ढंग से नहीं हो रही है।

कुछेक राज्यों में किए गए फोकस सर्वेक्षण से राज्यों में एकीकृत बाल विकास योजना की प्रभावकारिता में काफी व्यापक अन्तरों का पता लगा है।

(ग) एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत सेवाओं की प्रदानगी की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) एकीकृत बाल विकास योजना को 466 एकीकृत बाल विकास योजना (आई०सी०डी०एस०) परियोजनाओं और विस्तार के पहले चरण के अंतर्गत 1.88 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों का विस्तार।

(ii) आई०सी०डी०एस० योजना का 173 परियोजनाओं, 107274 आंगनवाड़ी केन्द्रों तक और 25961 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों का आगे विस्तार।

(iii) 1/- रुपए से 2/- रुपए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन तक पूरक पोषण के लिए वित्तीय मानदंडों को दुगुना करना।

(iv) राज्यों/संघ क्षेत्रों के साथ पूरक पोषण की 50 प्रतिशत लागत को बांटना।

(v) योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार पूरकपोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों पर लगातार जोर देना तथा अन्य सेवाओं की प्रदानगी को सुनिश्चित करना।

(vi) एकीकृत बाल विकास योजना के लिए मौजूदा मानीटरिंग और पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान स्थापित किया गया है जो प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में स्वतंत्र व्यावसायिक संगठन/संस्था के माध्यम से इस योजना को मानीटर करेगा।

(vii) एकीकृत बल विकास योजना के सम्पूर्ण कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की मानीटरिंग समिति गठित की गई है।

पत्तनों के लिए मॉडल रियायत-समझौता

1073. श्री एल० राजगोपाल : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन-क्षेत्र में कार्यरूप दिए जाने के लिए मॉडल रियायत-समझौता (एम०सी०ए०) तैयार है;

(ख) यदि हां, तो प्रदत्त रियायत-अवधि, टैरिफ निर्धारण-फार्मूला, इंजीनियरों की नियुक्ति आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में योजना आयोग के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या एम०सी०ए० पर योजना-आयोग ने कोई आपत्ति की थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एम०सी०ए० को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे महापत्तनों में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से नई और अतिरिक्त सुविधाएं कायम किए जाने की दृष्टि से 'मॉडल लाइसेंस-करार' को अंतिम रूप दे दिया गया और उसे मार्च, 2000 में सभी महापत्तनों को परिचालित कर दिया गया। उपर्युक्त मॉडल लाइसेंस-करार में, उपर्युक्त परियोजना के निष्पादन में, तकनीकी पैरामीटरों, उपर्युक्त करार में हिस्सा ले रहे पक्षों के अधिकारों और दायित्वों, प्रशुल्क, वित्तीय और वाणिज्यिक शर्तों, जोखिम के निर्धारण इत्यादि सहित विभिन्न हिस्सेदारों की चिन्ताओं पर ध्यान देकर उनका समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के बारे में गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, पत्तनों के संबंध में मॉडल रियायत-करार का प्रारूप विकसित करने के लिए सचिव, पोत-परिवहन की अध्यक्षता में, वित्त-मंत्रालय, विधि और न्याय-मंत्रालय तथा योजना-आयोग के प्रतिनिधियों से युक्त एक अंतर मंत्रालयी दल गठित कर दिया गया है। विभिन्न हिस्सेदारों और योजना आयोग सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों से आवश्यक परामर्श किया जा रहा है। कुछ मत-भेदों का समाधान करने की प्रक्रिया चल रही है। उपर्युक्त नया मॉडल रियायत-करार, भविष्य में, पत्तनों में सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी से युक्त परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में रियायतों का आधार होगा।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा

1074. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक आरंभ की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) इंदौर में काम कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारी सी०एस० (एम०ए०) नियम, 1944 के तहत उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

सिविल सेवा परीक्षा में ऋणात्मक मार्किंग

1075. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग (यू०पी०एस०सी०) ने 1988 में सतीश चन्द्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप सिविल सेवा परीक्षा में ऋणात्मक मार्किंग आरंभ करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 5 जनवरी, 2007 में 'द एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई प्रणाली को आरंभ करने का विभिन्न पक्षों ने विरोध/आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन 18 वर्ष की अवधि के पश्चात् करने में असाधारण विलंब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने अंदाजे से उत्तर देने को कड़ाई से रोकने और उम्मीदवारों की क्षमता और योग्यता के स्तर का सटीक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से ऋणात्मक मार्किंग करने का निर्णय लिया

है। इसके अतिरिक्त, यह व्यवस्था देश में अन्य प्रतियोगी परीक्षा संचालन करने वाले निकायों द्वारा अपनाई जा रही व्यवस्था के अनुरूप है।

(ग) और (घ) संघ लोक सेवा आयोग ने प्राप्त अभ्यावेदनों पर समुचित विचार करने के बाद वर्ष 2007 से ऋणात्मक मार्किंग करने का निर्णय लिया है।

(ङ) हालांकि ये सिफारिशें अगस्त, 1989 में प्राप्त हो गई थीं, तथापि संघ लोक सेवा आयोग इस पर समुचित विचार करने के बाद ऋणात्मक मार्किंग के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ था। तथापि, देश में परीक्षा प्रणालियों में समग्र परिवर्तनों के मद्देनजर सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2007 से ऋणात्मक मार्किंग का अब निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली-मेरठ राजमार्ग को छः लेन का बनाया जाना

1076. **श्री सज्जन कुमार** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-मेरठ राजमार्ग को छः लेन का बनाए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मेरठ-हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग को छः लेन का बनाए जाने को मंजूरी नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुमोदन को त्वरित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली-मेरठ खंड को 6 लेन बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस समय, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है।

(ग) से (ङ) फिलहाल, राष्ट्रीय राजमार्ग के मेरठ-हरिद्वार-देहरादून खंड को छः लेन का बनाए जाने का विचार नहीं है। इस समय, राष्ट्रीय राजमार्ग के मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड को चार लेन का बनाने का कार्य सौंपा जा चुका है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के मुजफ्फरनगर-हरिद्वार-देहरादून खंड में चार लेन बनाने का कार्य जारी रखने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

एन०एच०-8 में पुनर्संरेखण

1077. **श्री मधुसूदन मिस्त्री** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के नरोल-नरोदा खंड के पुनर्संरेखण के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के नरोल-नरोदा खंड का मार्ग पुनः बनाए जाने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के नरोल-नरोदा खंड के पुनर्संरेखण/पुनः मार्गनिर्धारण के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अहमदाबाद नगर निगम की योजना इस खंड को अपने संसाधनों से विकसित करने की है।

डी०एन०बी० छात्रों की मजदूरी

1078. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डी०एन०बी० छात्रों से उनकी शिकायतों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ संस्थाएं/अस्पताल समान मजदूरी/परिलब्धि के भुगतान के संबंध में डी०एन०बी० बोर्ड के दिशानिर्देशों/आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय जांच बोर्ड, नई दिल्ली को बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार वजीफा का भुगतान न करने के बारे में कई संस्थाओं (विवरण के रूप में संलग्न सूची के अनुसार) से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन संस्थानों को सूचित किया गया है कि उनकी मान्यता वापस ले ली जाएगी यदि वे छात्रों का वजीफा भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। सामान्य दवा की

विशेषता में जयपुर गोल्डन अस्पताल की मान्यता तथा बाल चिकित्सा भी विशेषता में तीरथ राम शाह अस्पताल की मान्यता वापस ले ली गई है।

विवरण

राष्ट्रीय जांच बोर्ड द्वारा मान्यता दिए गए संस्थानों की सूची जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार वजीफा का भुगतान न करने के बारे में नोटिस जारी किए गया है

क्र०सं०	संस्थान का नाम
1.	सुन्दर लाल जैन अस्पताल, नई दिल्ली
2.	माता चानन देवी अस्पताल, नई दिल्ली
3.	विद्या सागर इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरोसाइंसेज, नई दिल्ली
4.	सेंट स्टीफन अस्पताल, नई दिल्ली
5.	होली फैमिली अस्पताल, नई दिल्ली
6.	जयपुर गोल्डन अस्पताल, नई दिल्ली
7.	तीरथ राम शाह अस्पताल, नई दिल्ली
8.	जी०टी०बी० अस्पताल, नई दिल्ली
9.	हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली
10.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली
11.	लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली
12.	बी०आर० अम्बेडकर अस्पताल, नई दिल्ली
13.	धर्मशिला कैंसर अस्पताल, दिल्ली
14.	गांधी आई अस्पताल, अलीगढ़
15.	विवेकानन्द पोलिक्लिनिक, लखनऊ
16.	आर०जी०सी०आई०आर०सी०, दिल्ली
17.	आई०एच०बी०ए०एस०, दिल्ली
18.	साउथर्न रेलवे हैडक्वाटर्स अस्पताल, चैन्नई

कोलाचल और चेन्नई-पत्तन का विकास

1079. **श्री ई०जी० सुगावनम :** क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोलाचल को एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इसे कब तक विकसित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या चेन्नई में दूसरा कंटेनर-टर्मिनल विकसित करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(छ) दूसरे टर्मिनल के कब तक कार्य करना आरंभ कर देने की संभावना है?

पोत-परिवहन सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) कोलाचल-पत्तन को एक महापत्तन के रूप में विकसित किए जाने के बारे में तमिलनाडु की राज्य-सरकार का अनुरोध मिल गया है। इस परियोजना के संबंध में प्रौद्योगिकीय-आर्थिक-व्यवहार्यता-अध्ययन और विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन से संबंधित अध्ययन की तैयारियां कर ली गई हैं।

(घ) से (छ) जी, हां। चेन्नई-पत्तन पर 492 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर, प्रति वर्ष 0.8 मिलियन बीस फीट समान इकाइयों की निर्धारित क्षमता से युक्त दूसरे कंटेनर टर्मिनल की संतत लम्बाई 832 मीटर होगी। उपर्युक्त परियोजना, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर कार्यान्वित की जानी है, जिसके संबंध में, कंसोर्टियम ऑव पोर्ट ऑव सिंगापुर अथोरटी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटिड और साउथ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉजिस्टिक्स को नवम्बर, 2006 के दौरान आशय-पत्र जारी किया जा चुका है।

उपर्युक्त लाइसेंस-करार के प्रारूप के अनुसार, लाइसेंस-धारक द्वारा यह गारंटी दी गई है कि उपर्युक्त परियोजना का निष्पादन, उपर्युक्त लाइसेंस के प्रावधानों के अनुसार, उपर्युक्त लाइसेंस दिए जाने की तारीख से 24 महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख से पहले किसी तारीख को पूरा कर लिया जाएगा।

आप्रवासन अधिनियम में संशोधन

1080. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में रोजगार के लिए कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की नियुक्ति करने वाले एजेंटों द्वारा सांविधिक मानदण्डों के अनुपालन को लागू करने के लिए भारतीय आप्रवासन अधिनियम 1983 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना 'आप्रवास जांच की आवश्यकता नहीं (आई०सी०एन०ए०)' दर्जा को वर्तमान में उपलब्ध देशों से अधिक देशों को प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित संशोधन/विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) उत्प्रवास प्रबंध में वर्तमान कमियों को दूर करने और प्रवासी रोजगार का संवर्धन और विनियमन करने तथा उत्प्रवासियों का संरक्षण और कल्याण करने के लिए सरकार का उत्प्रवास अधिनियम 1983 में संशोधन का प्रस्ताव है। संशोधनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) से (घ) सरकार ने पहले ही 173 देशों को 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं' श्रेणी में रखा है। परिणामस्वरूप केवल निम्नलिखित 18 देशों के संबंध में उत्प्रवास जांच आवश्यक है – सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, बहरीन, यमन, लीबिया, सुडान, लेबनान, जॉर्डन, सिरिया, अफगानिस्तान, ब्रुनई, मलेशिया, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड और इराक (उत्प्रवास प्रतिबंधित)।

(ङ) संशोधनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

स्पास्टिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1081. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्पास्टिकों की सरकारी संस्थाओं और स्वैच्छिक संस्थाओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन संस्थाओं को संस्था-वार कुल कितनी राशि प्रदान की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (एन०आई०ई०एम०पी०डी०), चेन्नई सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्तियों सहित बहुत विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। 259 स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों और/अथवा सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 2004-05 और 2005-06 में एन०आई०ई०एम०पी०डी० को क्रमश: 1.00 करोड़ और 6.50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। स्वयंसेवी संस्थाओं के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

स्पास्टिक दीन दयाल रिहेबिलेशन स्कीम के स्वैच्छिक संस्थानों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	57
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	5
4.	बिहार	10

1	2	3
5.	चंडीगढ़	0
6.	छत्तीसगढ़	2
7.	दादरा व नगर हवेली	0
8.	दमण व दीव	0
9.	दिल्ली	8
10.	गोवा	0
11.	गुजरात	9
12.	हरियाणा	14
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	जम्मू-कश्मीर	1
15.	झारखण्ड	1
16.	कर्नाटक	23
17.	केरल	
18.	मध्य प्रदेश	12
19.	महाराष्ट्र	5
20.	मणिपुर	6
21.	मेघालय	1
22.	मिजोरम	1
23.	उड़ीसा	14
24.	पांडिचेरी	0
25.	पंजाब	8
26.	राजस्थान	11
27.	तमिलनाडु	21
28.	त्रिपुरा	0
29.	उत्तर प्रदेश	22
30.	उत्तरांचल	6
31.	पश्चिम बंगाल	21
	कुल	259.00

विवरण-II

सेरेब्रल प्लापी तथा मेंटल रिटार्टेड लोगों के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान दीनदयालडिसएबल रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत गैर-सरकारी संगठनों को जारी अनुदान का ब्यौरा

राज्य	जिला	संगठन का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	अथमिया मानसिक विकास केन्द्रम आदि आंध्र एजूकेशनल सोसायटी आंध्र महिला सभा (हैदराबाद)	1041768
आंध्र प्रदेश	कृष्णा	आदि आंध्र एजूकेशनल सोसायटी	391204
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	आंध्र महिला सभा (हैदराबाद)	1399653
आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश स्टेट फोरम फार इकोनोमिकली वीकर सेक्शन अनुराग	451170
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	अनुराग	637092

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	अरूण स्पेशियल सेंटर	1479294
आंध्र प्रदेश	नालागोंडा	आशा ज्योथि वेलफेयर एसोसिएशन फार दि दिसबलड	455427
आंध्र प्रदेश	कुरनूल	बैकवर्ड एरिया रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	914886
आंध्र प्रदेश	विजियानगरम	चैतन्य इंस्टीट्यूट फार दि डीफ एण्ड मैंटली रिटार्ड चिल्ड्रन	656046
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	हेलन कैल्लर्स स्कूल फार डीफ एण्ड मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन	722205
आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	इंडियन रेड क्रास सोसायटी (नेल्लोर)	412110
आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	जे० एण्ड जे० करूणोदय इंस्टीट्यूट फार एम०आर०	1046452
आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	कल्याण रूरल रिहेबिलाइटेशन एण्ड एजूकेशनल सोसायटी	559854
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	के०आई०आर०ए०एन०ए०एम०	778527
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	लक्ष्य साधना	620001
आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	लेबनशिल्फ	5002695
आंध्र प्रदेश	कृष्णा	मानसिक विकास केन्द्रम	754857
आंध्र प्रदेश	कृष्णा	मानसिक विकास केन्द्रम	2116206
आंध्र प्रदेश	वारंगल	मनोचेतना	475335
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	न्यू डान बासको एजूकेशनल सोसायटी	1555902
आंध्र प्रदेश	करीमनगर	पी०ए०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (गोदावरीखानी)	716057
आंध्र प्रदेश	करीमनगर	पी०ए०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (करीमनगर)	1058715
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पी०ए०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (सिकन्दराबाद)	983997
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पी०ए०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (सिकन्दराबाद)	486468
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पेरेंट्स एसोसिएशजन अफ एजी आफिस एम्पलाइस	625777
आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	पावनी इंस्टीट्यूट फार मल्टीपल हैंडीकेप्ड एण्ड स्पेटिक्स	836145
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पी०डब्ल्यू०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (हैदराबाद)	932715
आंध्र प्रदेश	चित्तूर	प्युपल्स एक्शन फार सोशियल सर्विस	1188945
आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	प्रगति चैरिटिस	1163907
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	राधा इंस्टीट्यूट फार मैंटली रिटार्यड चिल्ड्रन	644409

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	चित्तूर	राष्ट्रीय सेवा समिति	1510846
आंध्र प्रदेश	चित्तूर	राष्ट्रीय सेवा समिति	1452217
आंध्र प्रदेश	चित्तूर	राष्ट्रीय सेवा समिति	959040
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	रूरल एसोसिएशन फार डेवलपमेंट एवायरनेस एण्ड रिहेबिलाइटेशन आफ दि हैंडीकैप्पड	536724
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	साई सेवा संघ	911259
आंध्र प्रदेश	चित्तूर	सत्या इंटीगेलर्ता रूरल एजूकेशन एण्ड इकोनामिक डेवलपमेंट सोसयाटी	482958
आंध्र प्रदेश	खम्माम	सेवा सदनम	351684
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	शांथिनिकेतन	1275579
आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	श्री इंस्टीट्यूट फार मेटली हैंडीकेप्पड	1458639
आंध्र प्रदेश	कृष्णा	श्रीमती मेरिया रमम्मा मेमोरियल ट्रस्ट	555939
आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	स्नेह सोसायटी फार रूरल रिकन्सट्रेक्शन	1318689
आंध्र प्रदेश	गुंटूर	श्री दक्षीणा भाव समिति	1860138
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	श्री सांई एजूकेशनल सोसायटी	434232
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	श्री सांई पब्लिक स्कूल, एजूकेशनल सोसायटी	289557
आंध्र प्रदेश	कुरनूल	सेंट अन्स मनोविकास केन्द्र	406125
आंध्र प्रदेश	कुरनूल	सेंट अन्स मनोविकास केन्द्र	918558
आंध्र प्रदेश	गुंटूर	सूर्या किरण पैरेन्ट्स एसोसिएशन फार दि वेलफेयर आफ एम०एच०	584244
आंध्र प्रदेश	गुंटूर	सूर्या किरण पैरेन्ट्स एसोसिएशन फार दि वेलफेयर आफ एम०एच०	1788435
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	स्वायमकृषि	547344
आंध्र प्रदेश	मेडक	स्वयं सेवा एसोसिएशन फार पैरेंट्स आफ रूरल चिल्ड्रन विद	688230
आंध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद	स्वीकार रिहेबिलाइटेशन इंस्टीट्यूट फार हैंडीकेप्पड	2894175
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड रिहेबिलाइटेशन फार एम०एच०	6298326
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड रिहेबिलाइटेशन फार एम०एच०	63674565

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	करीमनगर	दि करीमनगर डिस्ट्रिक फ्रीडम फाइटर्स ट्रस्ट	1200636
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	दि रूरल एजूकेशनल एण्ड डेवलपमेंट ट्रस्ट	464580
आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	उमा मनोविकास केन्द्र (काकीनाडा)	2416446
आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	उमा मनोविकास केन्द्र (ओंगल)	1347192
आंध्र प्रदेश	विजियानगर	वूमेन एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर	2685159
बिहार	गया	आकांक्षा इंस्टीट्यूट फार मेटली हेंडीकेप्पड	406710
बिहार	पटना	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास अवाम सेवा मंडल	822960
बिहार	पटना	आयुर्वेदिक एण्ड मेंगनेटोथेरापी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर	1001790
बिहार	पटना	बिहार इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग रिसर्च सेंटर	604530
बिहार	आरा	फाउंडेशन फार इंटेगरल हूमेन एडवांसमेंट	59400
बिहार	पटना	जे०एम० इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग	657630
बिहार	पटना	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलाइटेशन इंस्टीट्यूट	1411290
छत्तीसगढ़	कोरबा	अंकुर	469800
दिल्ली	दिल्ली	आरोह	535145
दिल्ली	दिल्ली	आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट	362664
दिल्ली	दिल्ली	एसोसिएशन फार नेशनल ब्रदरहुड फार सोशियल वेलफेयर	1057941
दिल्ली	दिल्ली	वलवन्तरे मेहता विद्या भवन अंगूरीदेवी शेरसिंह मेमोरियल एकेडमी	435420
दिल्ली	दिल्ली	फेडरेशन फार दि वेलफेयर आफ दि मेंटली रिटायर्ड	317113
दिल्ली	दिल्ली	पैरेन्टस एसोसिएशन फार दि वेलफेयर आफ चिल्ड्रन विद मेंटल हेंडीकेप	404370
दिल्ली	दिल्ली	सोसायटी फार चाइल्ड डेवलपमेंट	565588
दिल्ली	दिल्ली	टी०ए०एम०ए०एन०ए०	1749150
गुजरात	वडोदरा	मेडिकल केयर सेंटर	568466
गुजरात	अहमदाबाद	एम०ओ०पी०ए०एन०	245700
गुजरात	वडोदरा	दि बेनियन सिटी जैसी एजूकेशन ट्रस्ट	170100
गुजरात	राजकोट	दि सोसायटी फार दि मेंटली रिटायर्ड	635312

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सेरेबरल पाल्सी	388638
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जतिया जरधी संसद	276080
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मनोविकास केन्द्र	4763303
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मेंटेड	832305
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	प्रवृतक इंस्टीट्यूट फार एपीलिप्सी एण्ड सेरेबल पाल्सी	334961
पश्चिम बंगाल	हुगली	प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र	2327069
पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	पुरूलिया मनोविकास केन्द्र	713460
पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	सेवायतन कल्याण केन्द्र	811719
पश्चिम बंगाल	हुगली	शेल्टर	1035585
पश्चिम बंगाल	बुर्द्धवान	सोसायटी फार मेंटल हेल्थ केयर	1426950
पश्चिम बंगाल	कूच बेहड़	स्पेस्टिक सोसायटी आफ कूच बेहड	329490
पश्चिम बंगाल	हुगली	श्रीरामपुर चाइल्ड गाइडेन्स सेंटर	983049
पश्चिम बंगाल	हावड़ा	युवा उन्नयन सेवा समिति	567454

दीनदयाल अपंग पुनर्वास योजना के तहत वर्ष 2004-05 के दौरान जारी गैर-सरकारी संगठन अनुदान का ब्यौरा

राज्य	जिला	संगठन का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	आथमिया मानसिक विकास केन्द्र	1151010
आन्ध्र प्रदेश	कृष्णा	आदि आंध्र एजूकेशनल सोसायटी	491823
आन्ध्र प्रदेश	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश स्टेट फोरम फार इकोनोमिकली वीकर सेक्शन	222210
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	अनुराग	768132
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	अरूण स्पेशल केन्द्र	1350351
आन्ध्र प्रदेश	नालागोंडा	आशा ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फार दि डिसेबल्ड	547695
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	पिछड़ा क्षेत्र ग्रामीण विकास सोसाइटी	996840
आन्ध्र प्रदेश	विजियानगरम	चैतन्य इंस्टीट्यूट फार द लर्निंग डिसेबल्ड	741186
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केन्द्र (आन्ध्र महिला सभा), हैदराबाद	1480834

1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	मूक एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों हेतु हेलन केलर्स विद्यालय	2049232
आन्ध्र प्रदेश	नेल्लौर	इंडियन रेड क्रास सोसायटी (नेल्लोर)	476577
आन्ध्र प्रदेश	प० गोदावरी	जे० एण्ड जे० करूणोद्योग इंस्टीट्यूट फार एम०आर०	1017680
आन्ध्र प्रदेश	प० गोदावरी	कल्याणी ग्रामीण पुनर्वास एवं शिक्षा सोसाइटी	679428
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	किरानम	953509
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	लक्ष्य साधना	669447
आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	लेबेन्शिल्फ	4331160
आन्ध्र प्रदेश	कृष्णा	मानसिका विकास केन्द्रम	592623
आन्ध्र प्रदेश	कृष्णा	मानसिका विकास केन्द्रम	1950228
आन्ध्र प्रदेश	वारंगल	मनोचेतना	220793
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	न्यू डोन बोस्को शिक्षा सोसाइटी	953748
आन्ध्र प्रदेश	करीमनगर	पी०ए०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (गोदावरीखानी)	802197
आन्ध्र प्रदेश	करीमनगर	पी०ए०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (करीमनगर)	1053999
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पी०ए०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (सिकन्द्राबाद)	1097811
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पी०ए०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (सिकन्द्राबाद)	280134
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पेरेन्ट एसोसिएशन आफ एजीज आफिस एम्प्लोइज	680850
आन्ध्र प्रदेश	विशाखापटनम	पावनी इंस्टीट्यूट फार मल्टीपल हैन्डीकैप्ड एण्ड स्पास्टिक्स	750312
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	पी०डब्ल्यू०एम०ई०एन०सी०ए०पी० (हैदराबाद)	1161855
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर	पीपल्स एक्शन फार सोशल सर्विस	1139400
आन्ध्र प्रदेश	नेल्लौर	प्रगति चेरिटीज	1254060
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	राधा संस्थान, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए	600705
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर	राष्ट्रीय सेवा समिति	562356
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर	राष्ट्रीय सेवा समिति	2622059
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर	राष्ट्रीय सेवा समिति	1046520
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	विकास जागरूकता एवं अपंगों के पुनर्वास हेतु ग्रामीण एसोशिएशन	590463

1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	साई सेवा संघ	836377
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर	सत्या एकीकृत ग्रामीण शिक्षा एवं आर्थिक विकास सोसाइटी	525825
आन्ध्र प्रदेश	खम्मम	सेवा सदनम	741455
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	शान्तिनिकेतन	1417073
आन्ध्र प्रदेश	पू० गोदावरी	मानसिक रूप से अपंगों हेतु सिरी संस्थान	1764126
आन्ध्र प्रदेश	कृष्णा	श्रीमती मेरला रमन्न मेमोरियल ट्रस्ट	1711863
आन्ध्र प्रदेश	निजामाबाद	ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु स्नेह सोसाइटी	1444914
आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर	श्री दक्षिन्य भाव समिति	2314827
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	श्री साई शिक्षा सोसाइटी	784836
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	सेंट एन मनोविकास केन्द्र	1151775
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	सेंट एन मनोविकास केन्द्र	959947
आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर	सूर्य किरन पेरेन्ट एसोसिएशन फार द वेलफेयर आफ एम०एच०	1299456
आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर	सूर्य किरन पेरेन्ट एसोसिएशन फार द वेलफेयर आफ एम०एच०	2240514
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	स्वयंकृषी	273672
आन्ध्र प्रदेश	मेडाक	ग्रामीण बच्चों के माता-पिता हेतु स्वयं सेवा एसोशिएशन	343836
आन्ध्र प्रदेश	सिकन्द्राबाद	अपंगों के लिए स्वीकार पुनर्वास संस्थान	3062187
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए ठाकुर हरिप्रसाद अनुसंधान एवं पुनर्वास संस्थान	5426397
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए ठाकुर हरिप्रसाद अनुसंधान एवं पुनर्वास संस्थान	3655773
आन्ध्र प्रदेश	करीमनगर	द करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानी ट्रस्ट	1269306
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	ग्रामीण शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट	734130
आन्ध्र प्रदेश	पू० गोदावरी	उमा शिक्षा एवं तकनीकी सोसाइटी (कार्किडा)	2995560
आन्ध्र प्रदेश	प्रकाशम	उमा मनोविकास केन्द्रम (ओन्गोल)	694431
आन्ध्र प्रदेश	विजियानगरम	महिला एवं बाल विकास केन्द्र	2871099
बिहार	गया	मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए आकांक्षा संस्थान	389360

1	2	3	4
बिहार	पटना	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास एवं सेवा मंडल	647460
बिहार	पटना	आयुर्वेदिक एवं मेग्नेटोथेरेपी अनुसंधान संस्थान (ए०एम०आर०आई०)	544860
बिहार	पटना	बिहार इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग रिसर्च सेंटर	696420
बिहार	आराह	फाउन्डेशन फार इंटीग्रल ह्यूमन एड्वांसमेंट	509148
बिहार	पटना	जे०एम० इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग	1749888
बिहार	वैशाली	जनता समाज कल्याण संस्थान	371250
बिहार	समस्तीपुर	नूतन विकास विहार	92070
बिहार	पटना	फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलीटेशन संस्थान	1190430
छत्तीसगढ़	कोर्बा	अंकुर	555930
दिल्ली	दिल्ली	ए०ए०आर०ओ०एच०	288777
दिल्ली	दिल्ली	अंचल चेरिटेबल ट्रस्ट	601488
दिल्ली	दिल्ली	एसोशिएशन फार नेशनल ब्रदरहुड फार सोशल वेल्फेयर	1195686
दिल्ली	दिल्ली	बलवंतरी मेहता विद्या भवन अंगूरी देवी शेरसिंह मेमोरियल अकादमी	457740
दिल्ली	दिल्ली	बच्चों एवं अपंगों के कल्याण हेतु पेरेन्ट्स एसोशिएशन	437258
दिल्ली	दिल्ली	बाल विकास सोसाइटी	700138
दिल्ली	दिल्ली	स्पेशल ओलम्पिक भारत	1372000
दिल्ली	दिल्ली	तमन्ना	874575
गुजरात	दाहोड	दृष्टिहीन कल्याण परिषद	16905
गुजरात	वडोदरा	चिकित्सा परिचर्या केन्द्र	554723
गुजरात	अहमदाबाद	सोपान	117450
गुजरात	वडोदरा	द बनियान सिटी जेसी एजूकेशन ट्रस्ट	173436
हरियाणा	जींद	अमर ज्योति फाउन्डेशन	108225
हरियाणा	सिरसा	जिला बाल कल्याण परिषद	251655
हरियाणा	बल्लभगढ़	अपंगों हेतु शिक्षा सह व्यवसायिक एसोशिएशन	488025
हरियाणा	सोनीपत	हरिदास शिक्षा समिति	180270

1	2	3	4
हरियाणा	हिसार	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (रोहतक)	683441
हरियाणा	रोहतक	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (रोहतक)	295684
हरियाणा	रोहतक	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (रोहतक)	2508478
हरियाणा	गुडगांव	खुशबू कल्याण सोसाइटी	648999
हरियाणा	फरीदाबाद	राष्ट्रीय अपंग एकीकरण एवं पुनर्वास एसोशिएशन	597564
हरियाणा	हिसार	रायल फाउन्डेशन आफ इंडिया	104940
हरियाणा	गुडगांव	सद्भावना चेरिटेबल ट्रस्ट (पंजीकृत)	580680
हरियाणा	करनाल	तपन पुनर्वास सोसाइटी	1488162
हरियाणा	युमनानगर	उत्थान विकास एवं अध्ययन संस्थान	762269
हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	आस्था कल्याण सोसाइटी	303912
जम्मू व कश्मीर	जम्मू	रोटरी इन्नरव्हील होम फार द मेन्टली रिटार्डिड चिल्ड्रन	528686
झारखंड	रांची	दीपशिखा बाल विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान	735858
कर्नाटक	देवनगीर	अंगविक्लरा आशाकिरण ट्रस्ट	2344613
कर्नाटक	कोप्पल	अपंग पुनर्वास एसोशिएशन	1026108
कर्नाटक	गडग	बापूजी विद्या समस्ती	1044729
कर्नाटक	बीदर	चाइवाण आयुर्वेदिक शिक्षा सोसाइटी	837340
कर्नाटक	बैंगलौर	कृष्णा ट्रस्ट	279581
कर्नाटक	कोप्पल	लाइन्स चेरिटेबल ट्रस्ट	319464
कर्नाटक	तुमकुर	एम०जी० शिक्षा सोसाइटी	46080
कर्नाटक	गुलबर्गा	महादेवी ताई महिला विद्या वर्धक संघ	963090
कर्नाटक	उडप्पी	मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए मानस पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केन्द्र	909891
कर्नाटक	गडग	मंजू शिक्षा सोसाइटी	883112
कर्नाटक	बैंगलौर	सर्वोदय सर्विस सोसाइटी	845748
कर्नाटक	बीजापुर	शर्ना ज्योति विद्य समस्ते	917586
कर्नाटक	बेलगाम	श्री दूदाना विकास शिक्षण समस्ते	693290

1	2	3	4
कर्नाटक	बेलगाम	श्री रेणुका (यल्लमा) विद्या वर्धक संघ	1439694
कर्नाटक	बैंगलौर	श्री वादीराजा ट्रस्ट	258093
कर्नाटक	कोलर	श्री वादीराजा ट्रस्ट	263952
कर्नाटक	बालाघाट	श्री यालागुरेश्वर विद्या वर्धक संघ	50103
कर्नाटक	मुंगलौर	सैंट एग्नस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फार स्पेशल एजूकेशन	91192
कर्नाटक	बैंगलौर	द एसोशिएशन फार मैंटली हैंडिकेप्ड	444654
कर्नाटक	बेल्लारी	विश्व भारती कलानिकेतन एवं शिक्षा सोसाइटी	368280
केरल	थिरुवनंतपुरम	आल केरला एसोसिएशन फार मैंटली रिटार्डिड चिल्ड्रन	588463
केरल	एर्नाकुलम	अल्फोन्स सोशल सैंटर	422930
केरल	एर्नाकुलम	अल्फोन्स सोशल सैंटर	287134
केरल	कोजीकोड़ (कालीकट)	मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए आशाकिरण एसोसिएशन	959130
केरल	कोट्टायम	आशानिलायम	891861
केरल	कोट्टायम	आशानिलायम सोशल सर्विस सैंटर	80437
केरल	कोजीकोड़ (कालीकट)	अपंग कल्याण एसोसिएशन	52875
केरल	कोजीकोड़ (कालीकट)	अपंग कल्याण एसोसिएशन	1275921
केरल	त्रिचूर	बाल सहाय समिति	317682
केरल	थिरुवनंतपुरम	अपंग महिलाओं के लिए बेथानिया पुनर्वास केन्द्र	538995
केरल	कोजीकोड़ (कालीकट)	कालीकट इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी	569160
केरल	इडुक्की	कारमल ज्योति चेरिटेबल सोसाइटी	767484
केरल	एर्नाकुलम	चेरिटेबल सोसाइटी फार वेलफेयर आफ डिसेबल्ड	915741
केरल	एर्नाकुलम	मानसिक रूप से विक्षिप्तों के लिए चवरा स्पेशल स्कूल	628839
केरल	कोट्टायम	दीप्ती सैंटर	740619
केरल	पालाकाड	सोशल एक्शन निदेशालय	192879
केरल	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम महिला एसोसिएशन	171558
केरल	एर्नाकुलम	फेथ इंडिया	250830

1	2	3	4
केरल	एर्नाकुलम	फेथ इंडिया	839281
केरल	एर्नाकुलम	जैनी केन्द्र	662201
केरल	कन्नूर	अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जेसी सोसाइटी	821767
केरल	आलापूझा	के० वेलायुद्धान मेमोरियल ट्रस्ट	723409
केरल	कोल्लम	करुणा चेरिटेबल सोसाइटी	412101
केरल	त्रिचूर	मैडोना	627682
केरल	पालाकाड	मरियन सर्विस सोसाइटी	1021725
केरल	वायानाड	मर्सी होम चेरिटेबल सोसाइटी	388215
केरल	त्रिचूर	पदमा शिक्षा एवं चेरिटेबल एस्टेब्लिशमेंट	282263
केरल	त्रिचूर	पोप जोन पॉल पीस होम	1468557
केरल	इडुक्की	मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए प्रतीक्षा भवन विद्यालय	1224369
केरल	त्रिचूर	प्रतीक्षा चेरिटेबल सोसाइटी	1361182
केरल	एर्नाकुलम	रक्षा	866649
केरल	त्रिचूर	रीच सोसाइटी फार रेमेडियल एजूकेशन असेसमेंट काउंसलिंग हैंडीकेप्ड	959580
केरल	थिरुवनंतपुरम	विशेष परिचर्या के जरूरतमंद बच्चों हेतु रोटरी संस्थान	1965240
केरल	थिरुवनंतपुरम	सनातन अद्वैत आश्रम	397422
केरल	कोट्टायम	संजोस कल्याण केन्द्र	1012252
केरल	कोट्टायम	अपंग बच्चों के लिए शांतिनिलायम	1012356
केरल	एर्नाकुलम	शान्तिमार्गम सामाजिक कल्याण सेवा सोसाइटी	628560
केरल	कोट्टायम	सेवा सदन	335295
केरल	एर्नाकुलम	मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए शिल्पा सोसाइटी	621855
केरल	थिरुवनंतपुरम	श्री पी०आर०एस० पिल्लई मेमोरियल बाल विकास ट्रस्ट	287553
केरल	एर्नाकुलम	स्नेह सदन काम्प्लेक्स	855666
केरल	त्रिचूर	स्नेहभावना सोसाइटी	120492
केरल	एर्नाकुलम	स्नेहनिलायम स्पेशल स्कूल (सैक्रेड हार्ट आफ जीसस सोसाइटी के हैंडमेड्स द्वारा संचालित)	342380

1	2	3	4
केरल	एर्नाकुलम	स्नेहनिलायम स्पेशल स्कूल (सैक्रेड हार्ट आफ जीसस सोसाइटी के हैंडमेड्स द्वारा संचालित)	615382
केरल	त्रिचूर	स्नेहाश्रम चेरिटेबल सोसाइटी	716191
केरल	त्रिचूर	सामाजिक कल्याण केन्द्र	2090835
केरल	त्रिचूर	सामाजिक कल्याण केन्द्र	1659429
केरल	त्रिचूर	सामाजिक कल्याण केन्द्र	1131471
केरल	कन्नूर	मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के पुनर्वास हेतु सोसाइटी	314977
केरल	कन्नूर	सोसाइटी आफ डाटर्स आफ सैंट सेमीलस	784305
केरल	आलापूझा	सेट जोसफ सोशल सेंटर	411840
केरल	कन्नूर	विकास सोशल सर्विस सोसाइटी	1052235
केरल	एर्नाकुलम	विमला महिला समाजम	1609065
केरल	कोट्टायम	महिला कल्याण केन्द्र	520740
केरल	कोल्लम	यंग वूमन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन	231303
मध्य प्रदेश	इंदौर	डीफ डंब एसोसिएशन इंदौर मध्य प्रदेश	109980
मध्य प्रदेश	भोपाल	दिग्दर्शिका पुनर्वास अनुसंधान संस्थान	445833
मध्य प्रदेश	सतना	दुर्गा शिक्षा सदन	367200
मध्य प्रदेश	जबलपुर	स्पास्टिक एवं अपंग बच्चों हेतु जस्टिस तंखा मेमोरियल रोटरी संस्थान	746415
मध्य प्रदेश	मोरेना	क्रान्ति कला संगम	533940
मध्य प्रदेश	उज्जैन	एम०पी० विक्लांग सहायता समिति (नवज्योति स्पेशल स्कूल, शाहझांपुर जिला)	48690
मध्य प्रदेश	उज्जैन	मध्य प्रदेश विक्लांग सहायता समिति	812929
मध्य प्रदेश	देवस	माल्वा काउन्सिल फार सोशल वर्क	48150
मध्य प्रदेश	उज्जैन	प्रेम नगर स्पेशल स्कूल	449631
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	रामकृष्णा आश्रम	454040
मध्य प्रदेश	मंडला	सीमा सिलाई कढाई प्रशिक्षण केन्द्र	409037
मध्य प्रदेश	भोपाल	शिव कल्याण एवं शिक्षण समिति	529704

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	इंदौर	श्री श्री उत्कर्ष समिति	192600
मध्य प्रदेश	जबलपुर	विकलांग सेवा भारती	632097
महाराष्ट्र	भण्डारा	परिवर्तन शिक्षण संस्थान	889650
महाराष्ट्र	पुणे	सवाली	469854
महाराष्ट्र	गलचिरौली	स्वामी दयानन्द ध्यान प्रसारक मण्डल	596858
महाराष्ट्र	गलचिरौली	स्वामी दयानन्द ध्यान प्रसारक मण्डल	568957
मणिपुर	इम्फाल	आल मणिपुर मेंटली हैण्डीकैप्पड परसंस वेलफेयर आर्गनाईजेशन	826776
मणिपुर	इम्फाल	आल मणिपुर मेंटली हैण्डीकैप्पड परसंस वेलफेयर आर्गनाईजेशन	334170
मणिपुर	इम्फाल जोन (II)	सेंटर फार मेंटल हाइजीन	482175
मणिपुर	इम्फाल जोन (II)	सेंटर फार मेंटल हाइजीन	412560
मेघालय	शिलांग	दवरजिंगक्रीमेन स्कूल फार चिल्ड्रेन इन नीड आफ स्पेशल एक्ज्यूकेशन	713556
मिजोरम	आईजोल	सोसाइटी फार रिहेबिलिशन आफ स्पास्टिक चिल्ड्रेन	1335060
उड़ीसा	कटक	इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी	278925
उड़ीसा	कटक	इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी	348071
उड़ीसा	धेनकानल	जिवनज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फार द मेंटालिटी एण्ड फिजिकली हैंडीकैप्पड	1168686
उड़ीसा	खुर्दा	नेशनल इंटीटयूट आफ ट्राइबल वेलफेयर एण्ड सोसल एक्शन	366779
उड़ीसा	पुरी	निलांचल सेवा प्रतिष्ठान	733635
उड़ीसा	भुवनेश्वर	ओपनिंग लर्निंग सिस्टम	564899
उड़ीसा	भुवनेश्वर	ओपनिंग लर्निंग सिस्टम	572670
उड़ीसा	भुवनेश्वर	सिसुसखा संघ	323014
उड़ीसा	नयागढ	सोसाइटी फार इनवायरेंटलमेंट एण्ड वल्यूटरी एक्शन (सेवा)	1483488
उड़ीसा	खुर्दा	यूनियन फार लर्निंग, ट्रेनिंग एण्ड रिफार्मेटिव एक्टीविटीज	883440
पंजाब	रूपनगर	अम्बूजा सिमेंट फाउन्डेशन	539800
पंजाब	होशियारपुर	आशादीप वेलफेयर सोसाइटी	447574
पंजाब	फरीदकोट	इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी (फरीदकोट)	367816

1	2	3	4
पंजाब	जालंधर	इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी, प्रयास	738954
पंजाब	पटियाला	नवजीविनी स्कूल आफ स्पेशल एज्यूकेशन	1150038
राजस्थान	जयपुर	दिशा-सेंटर फार स्पेशल एज्यूकेशन	508932
राजस्थान	टोंक	मानवधर्म विकास सेवा संस्थान	143982
राजस्थान	अलवर	नवदीप विकास समिति	1061234
राजस्थान	हनुमानगढ	सौरचेतना एवम ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान	713736
राजस्थान	भीलवाड़ा	सोना विकलांग पुर्नवास एवम शोध संस्थान	986765
राजस्थान	श्रीगंगानगर	तपोवन मनोविकास विद्यालय	563346
तमिलनाडु	इरोड	एक्शन फार वाटर एण्ड रूरल डेवलेपमेंट	638334
तमिलनाडु	चेन्नई	आल इण्डिया फिजिकली हैण्डीकैप्ड वेलफेयर ट्रस्ट	132165
तमिलनाडु	तिचिरापल्ली	अरिवालयम	1277094
तमिलनाडु	चेन्नई	कर्मिल सेंटर फार मेंटली रिटार्डेड	817200
तमिलनाडु	चेन्नई	डा. दत्तूराव मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट	1110400
तमिलनाडु	चेन्नई	करूनई विला ट्रस्ट फार मेंटली हैण्डीकैप्ड	1261243
तमिलनाडु	इरोड	कांगु एरिवलयम स्कूल फार मेंटली रिटार्डेड	1020780
तमिलनाडु	मदुरै	एम०एम० चेल्लामुथु ट्रस्ट एण्ड रिसर्च फाउन्डेशन	231180
तमिलनाडु	चेन्नई	मदुरम नारायन सेंटर फार एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन	1874477
तमिलनाडु	चेन्नई	नवज्योति ट्रस्ट	213106
तमिलनाडु	कुड्डालोर	ओसिस ट्रस्ट फार द हैण्डीकैप्ड	39752
तमिलनाडु	कांचीपुरम	पालिग्राम उदयम, उदयम पुनर्वास केन्द्र	11880
तमिलनाडु	मदुरै	सेंटपाल सोसाइटी फार द मेंटली डिसएबल्ड	651672
तमिलनाडु	निलगिरी	शांति नीति केन्द्र	26617
तमिलनाडु	चेन्नई	'द स्पास्टिक सोसाईटी' आफ तमिलनाडु	893783
तमिलनाडु	चेन्नई	विद्या सागर	1547873
तमिलनाडु	चेन्नई	विद्या सागर	448822

1	2	3	4
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	विद्या विकासिनी अपोरच्युनिटी स्कूल	415260
तमिलनाडु	चेन्नई	विजय हयूमन सर्विस	1515798
त्रिपुरा	प० त्रिपुरा	त्रिपुरा स्टेट काउन्सिल फार चाईल्ड वेलफेयर	447480
उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	आदर्श विकलांग कल्याण समिति	112050
उत्तर प्रदेश	इटावा	आधुनिक विद्या मन्दिर एवम् जूनियर हाई स्कूल समिति	97155
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	आनन्द ट्रेनिंग चेरिटेबल सोसाइटी	1111050
उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	भावना इंस्टीट्यूट फार द डिफ्रेंडली डिसएबल्ड	144360
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	चेतना	1318039
उत्तर प्रदेश	आगरा	हैण्डीकैप्ड डेवलेपमेंट काउन्सिल	982728
उत्तर प्रदेश	चंदौली	जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा कल्याण संस्थान	139140
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	निर्वाण	577284
उत्तर प्रदेश	बांदा	रामा स्कूल फार द ब्लाइंड एवम फिजिकली हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रेन	87840
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	उत्तर प्रदेश पेरेन्ट ऐसो. फार वेल्फेयर आफ मेंटली हैण्डीकैप्पड सिटीजन	643912
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	विकलांग केन्द्र (रोटरी स्पांसर्ड क्रिप्पलड यूथ एण्ड वेल०सो०)	1108671
उत्तरांचल	देहरादून	ज्योति स्कूल फार हैण्डीकैप्ड (श्रीभारत मंदिर स्कूल सो०)	697545
उत्तरांचल	देहरादून	रफाइल	654039
पश्चिम बंगाल	कोलकत्ता	अलाकेन्दु बोध निकेतन रेजिडेन्सियल	966780
पश्चिम बंगाल	कोलकत्ता	बिकाशयान	1294866
पश्चिम बंगाल	24 परगना (नावी)	चितरंजन स्मृति प्रतिबंधी सेवा केन्द्र	657802
पश्चिम बंगाल	कोलकत्ता	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ सेरेबरल पाल्सी	240943
पश्चिम बंगाल	कोलकत्ता	मनोविकास केन्द्र	2251764
पश्चिम बंगाल	कोलकत्ता	मेनटेड	450468
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	नार्थ बंगाल हैण्डीकैप्ड पुनर्वास सोसाइटी	1714539
पश्चिम बंगाल	हुगली	प्रतिबंधनी कल्याण केन्द्र	1093123
पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	पुरूलिया मनोविकास केन्द्र	417614

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	सेवायतन कल्याण केन्द्र	1039365
पश्चिम बंगाल	हुगली	शल्टर	500323
पश्चिम बंगाल	बर्धवान	सोसाइटी फार मेंटल हेल्थ केयर	1091655
पश्चिम बंगाल	कूचबिहार	स्पास्टिक सोसाइटी आफ कूच बिहार	812025
पश्चिम बंगाल	हुगली	श्री रामपुर चाइल्ड माइडेंस सेंटर	493263
	कुल		24655999

वर्ष 2005-06 के दौरान दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत पक्षास्तघ्काय पक्षाघात एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के लिए जारी राशियों का ब्यौरा:

राज्य	संगठन का नाम	जिला	जारी सशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	अस्थमीया मानसिक विकास केन्द्रम	रंगारेड्डी	1093213
आन्ध्र प्रदेश	अदी आध्र एजूकेशनल सोसाइटी	कृष्णा	675792
आन्ध्र प्रदेश	अल० शिफा माइनारिटी इन्टीट्यूशन्स फार मेन्टली रिटार्डेड एण्ड ओल्ड एजेड	कुडप्पा	496746
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश स्टेट फोरम फार इकोनामिकली वीकर सेक्शन	निजामबाद	798732
आन्ध्र प्रदेश	अनुराग	रंगारेड्डी	710451
आन्ध्र प्रदेश	अरुण स्पेशल सेन्टर	रंगारेड्डी	1405944
आन्ध्र प्रदेश	आशा ज्योति वेलफेयर एशोसिएशन फार द डिसएबल्ड	नलगौंडा	669041
आन्ध्र प्रदेश	एशोसिएशन फार वेलफेयर एण्ड कंप्रीहेंसिव रूरल डवलपमेंट (अरुणोदय मनोविकास केन्द्रम)	प० गोदावरी	1276362
आन्ध्र प्रदेश	बैकवर्ड एरिया रूरल डवलेपमेंट सोसाइटी	कुरनूल	1041435
आन्ध्र प्रदेश	केयर लैण्ड	कुरनूल	1564047
आन्ध्र प्रदेश	चैतन्य इंस्टीट्यूट फार द लर्निंग डिसएबल्ड	विजयनगरम्	956727
आन्ध्र प्रदेश	चैतन्य मनोविकास रीहैबिलिटेशन सेंटर	प्रकाशम	59130
आन्ध्र प्रदेश	दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रीहैब. सेंटर (आन्ध्र महिला सभा), हैदराबाद	रंगारेड्डी	1626255
आन्ध्र प्रदेश	इको क्लब ब्रहमा इंस्टीट्यूट फार द मेंटली हैण्डीकैप्ड	महबूबनगर	479979

1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	हेलेन केलेरर्स स्कूल फार द डीफ एण्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन	रंगारेड्डी	705582
आन्ध्र प्रदेश	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (नेल्लौर)	नेल्लौर	565956
आन्ध्र प्रदेश	जे एण्ड जे करूणोदय इंस्टीट्यूट फार एम०आर०	प० गोदावरी	7799121
आन्ध्र प्रदेश	कल्याणी रूरल रीहैबीलिटेशन एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी	प० गोदावरी	710181
आन्ध्र प्रदेश	किरणम्	रंगारेड्डी	1122948
आन्ध्र प्रदेश	लक्ष्य साधना	रंगारेड्डी	760131
आन्ध्र प्रदेश	लेबेनशिल्फी	विशाखापटनम्	4300650
आन्ध्र प्रदेश	लीमा डीफ एण्ड मेंटली हैण्डीकैप्ड वेलफेयर एशोसिएशन	गुन्टूर	416070
आन्ध्र प्रदेश	मानसिक विकास केन्द्रम	कृष्णा	726579
आन्ध्र प्रदेश	मनोचेतना	वारंगल	1163371
आन्ध्र प्रदेश	न्यू डान बोस्को एजूकेशनल सोसाइटी	रंगारेड्डी	987886
आन्ध्र प्रदेश	निर्माण एशोसिएशन फार द मेन्टली हैण्डीकैप्ड	रंगारेड्डी	120969
आन्ध्र प्रदेश	पेमेनकैप (गोदावरीखाली)	करीमनगर	1044108
आन्ध्र प्रदेश	पेमेनकैप (करीमनगर)	करीमनगर	1094136
आन्ध्र प्रदेश	पेमेनकैप (सिकन्दराबाद)	रंगारेड्डी	1015317
आन्ध्र प्रदेश	पेमेनकैप (सिकन्दराबाद)	रंगारेड्डी	479448
आन्ध्र प्रदेश	पैरेन्ट्स एशोसिएशन आफ ए०जी० आफिस इंप्लाइस	रंगारेड्डी	494190
आन्ध्र प्रदेश	पवनी इन्स्टीट्यूट फार मल्टीपल हैण्डीकैप्ड एण्ड स्पेस्टिक्स	विशाखापटनम्	375156
आन्ध्र प्रदेश	पेमेनकैप (हैदराबाद)	रंगारेड्डी	1428021
आन्ध्र प्रदेश	पीपुल्स एक्शन फार सोशल सर्विस	चित्तूर	1406106
आन्ध्र प्रदेश	प्रगति चैरिटीज	नेल्लौर	1269270
आन्ध्र प्रदेश	राधा इन्स्टीट्यूट फार मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन	रंगारेड्डी	602955
आन्ध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	चित्तूर	2875617
आन्ध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	चित्तूर	568566
आन्ध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	चित्तूर	595260
आन्ध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	चित्तूर	1033344

1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	रूरल एशोसिएशन फार डवलपमेंटल अवेयरनेस एण्ड रीहेबिलीटेशन आफ द हैण्डीकैप्ड	हैदराबाद	671382
आन्ध्र प्रदेश	रूरल इण्डिया मेडिकल एण्ड रीलीफ सोसाइटी	चित्तूर	281065
आन्ध्र प्रदेश	सविता एजूकेशनल सोसाइटी	प्रशान्त नगर, संगारेड्डी, मेडक	28703
आन्ध्र प्रदेश	साधना सोसाइटी फार मेन्टली हैण्डीकैप्ड	रंगारेड्डी	781803
आन्ध्र प्रदेश	साधना सोसाइटी फार मेन्टली हैण्डीकैप्ड	रंगारेड्डी	1358352
आन्ध्र प्रदेश	साईं सेवा संघ	हैदराबाद	969827
आन्ध्र प्रदेश	सत्या इंटीग्रेटेड रूरल एजूकेशन एण्ड इकोनामिक डवलपमेंट सोसाइटी	चित्तूर	790065
आन्ध्र प्रदेश	सेवा सदनम्	खम्माम	720945
आन्ध्र प्रदेश	शान्तिनिकेतन	हैदराबाद	1475689
आन्ध्र प्रदेश	शारदा हैल्थ एण्ड सोशल सर्विसेज	रंगारेड्डी	227336
आन्ध्र प्रदेश	सीटी इंस्टीट्यूट फार मेंटली हैण्डीकैप्ड	पूर्वी गोदावरी	1840653
आन्ध्र प्रदेश	श्रीमती मेरला रमम्मा मेमोरियल ट्रस्ट	कृष्णा	1083447
आन्ध्र प्रदेश	स्नेहा सोसाइटी फार रूरल रीकन्सट्रक्शन	निजामाबाद	1415655
आन्ध्र प्रदेश	श्री दक्षिणा भावा समिति	गुन्टूर	2321199
आन्ध्र प्रदेश	श्री साईं एजूकेशनल सोसाइटी	रंगारेड्डी	833436
आन्ध्र प्रदेश	सेन्ट एन्नस मनोविकास केन्द्र	कुरनूल	1020758
आन्ध्र प्रदेश	सूर्य किरण पैरेन्ट्स एशोसिएशन फार द वेलफेयर आफ एम०एच०	गुन्टूर	659304
आन्ध्र प्रदेश	सूर्य किरण पैरेन्ट्स एशोसिएशन फार द वेलफेयर आफ एम०एच०	गुन्टूर	974196
आन्ध्र प्रदेश	स्वयमूकुशी	रंगारेड्डी	963600
आन्ध्र प्रदेश	स्वीकार रीहैबीलिटेशन इंस्टीट्यूट फार हैण्डीकैप्ड	सिकन्दराबाद	1531094
आन्ध्र प्रदेश	ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड रीहैबीलिटेशन फार एम०एच०	हैदराबाद	440505
आन्ध्र प्रदेश	ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड रीहैबीलिटेशन फार एम०एच०	हैदराबाद	2695874
आन्ध्र प्रदेश	ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड रीहैबीलिटेशन फार एम०एच०	हैदराबाद	2074892
आन्ध्र प्रदेश	ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड रीहैबीलिटेशन फार एम०एच०	हैदराबाद	383442

1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	द करीमनगर डिस्ट्रीक्ट फ्रीडम फाइटर्स ट्रस्ट	करीमनगर	1298520
आन्ध्र प्रदेश	द रूरल एजूकेशन एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट	रंगारेड्डी	825156
आन्ध्र प्रदेश	उमा एजूकेशनल एण्ड टेक्नीकल सोसाइटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), (काकीनाड़ा)	पूर्वी गोदावरी	2316114
आन्ध्र प्रदेश	उमा मनोविकास केन्द्रम (ओंगोल)	प्रकाशम्	1412352
आन्ध्र प्रदेश	तेलुगु	चित्तूर	734184
आन्ध्र प्रदेश	वोमेन एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर	विजय नगरम्	2600964
असम	आशादीप	गुवाहाटी	511020
असम	आशादीप	गुवाहाटी	67410
असम	गुवाहाटी मेन्टल वेलफेयर सोसाइटी	गुवाहाटी	487080
असम	प्रेरणा स्पेस्टिक सोसाइटी आफ जोरहाट	जोरहाट	460315
असम	सहायिका	गुवाहाटी	134190
बिहार	अकांक्षा इन्स्टीट्यूट फार मेन्टली हैण्डीकैप्ड	गया	430200
बिहार	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास आवाम सेवा मण्डल	पटना	620235
बिहार	आयुवैदिक एण्ड मोनेटोथेरेपी रिसर्च इन्स्टीट्यूट (ए०एम०आर०आई०)	पटना	494100
बिहार	बिहार इन्स्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हीयरिंग रिसर्च सेन्टर	पटना	716220
बिहार	बिहार रीहैबिलीटेशन एण्ड वेलफेयर इन्स्टीट्यूट	पटना	52560
बिहार	फाउन्डेशन फार इन्टेग्रल ह्यूमन एडवांसमेन्ट	आरा	510588
बिहार	इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ रूरल रीकन्स्ट्रक्शन एण्ड सोसल चेन्ज	जहानाबाद	3157947
बिहार	जे०एम० इन्स्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हीयरिंग	पटना	1341558
बिहार	फीजिकल मेडिसीन एण्ड रीहैबिलीटेशन इन्स्टीट्यूट	पटना	1298250
बिहार	मांगा नेचर केयर एण्ड हेल्थ केयर फाउन्डेशन आफ इंडिया	पटना	175860
छत्तीसगढ़	आकांक्षा लायंस स्कूल फार मेन्टली हैण्डीकैप्ड	रायपुर	798150
छत्तीसगढ़	अंकुर	कोरबा	623781
दिल्ली	आरो	दिल्ली	889956
दिल्ली	आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट	दिल्ली	262944

1	2	3	4
दिल्ली	आशा विकलांग एजूकेशन एण्ड रिहैबिलिटेशन सेन्टर	दिल्ली	201420
दिल्ली	एशोसिएशन फार नेशनल बदरहुड फार सोसल वेलफेयर	दिल्ली	1335969
दिल्ली	बालवेन्टरी मेहता विद्या भवन अंगूरी देवी शेरसिंह मेमोरियल एकेडेमी	दिल्ली	596287
दिल्ली	पेटेन्ट एशोसिएशन फार दे वेलफेयर आफ चिल्ड्रेन विथ मेन्टल हैण्डीकैप्ड	दिल्ली	400122
दिल्ली	सोसाइटी फार चाइल्ड डवलपमेंट	दिल्ली	346590
दिल्ली	तमन्ना	दिल्ली	2157270
गुजरात	ब्लाइन्ड वेलफेयर काउन्सिल	दाहुद	41760
गुजरात	खोडिया एजूकेशन ट्रस्ट	मेहसाणा	139176
गुजरात	मेडिकल केयर सेन्टर	बड़ोदरा	593169
गुजरात	नवशक्ति विद्यालय	राजकोट	35486
गुजरात	राजकोट डायोसीज ट्रस्ट (नव शक्ति विद्यालय	राजकोट	594109
गुजरात	श्री अरबुदा आदर्श ट्रस्ट	गांधी नगर	631012
गुजरात	सोपान	अहमदाबाद	276300
गुजरात	द बनियान सिटी जेसी एजूकेशन ट्रस्ट	बड़ोदरा	143640
गुजरात	द सोसाइटी फार द मेन्टली रिटार्डड	राजकोट	463894
हरियाणा	डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर	सिरसा	193249
हरियाणा	एजूकेशनल-कम-वोकेशनल एजुकेशन फार द डिस्एबल्ड	बल्लभगढ़	244013
हरियाणा	इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी (हिसार)	हिसार	395329
हरियाणा	इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी (रोहतक)	रोहतक	73297
हरियाणा	खुशबू वेलफेयर सोसाइटी	गुड़गांव	197981
हरियाणा	नालन्दा शिक्षा समिति	सोनीपत	65790
हरियाणा	नेशनल एशोसिएशन फार द इन्टीग्रेशन एण्ड रीहैबिलिटेशन आफ द हैण्डीकैप्ड	फरीदाबाद	720621
हरियाणा	सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट (रजि०)	गुड़गांव	290340
हरियाणा	सद्भावना समिति	रेवाड़ी	80991
हरियाणा	सूर्योदय एजूकेशन सोसाइटी	रेवाड़ी	184140
हरियाणा	तपन रीहैबिलिटेशन सोसाइटी	करनाल	1673351

1	2	3	4
हरियाणा	उत्थान इन्स्टीट्यूट आफ डवलपमेंट एण्ड स्टडीज	यमुनानगर	181620
हिमाचल प्रदेश	आस्था वेलफेयर सोसाइटी	सिरमौर	401328
जम्मू व कश्मीर	रोटरी इनरहवील होम फार द मेंटली रिटार्डड चिल्ड्रेन	जम्मू	174272
कर्नाटक	अंगविकलारा आशा किरण ट्रस्ट	देवणगेरे	2671263
कर्नाटक	एजोस्टोलिक कारमेल एजूकेशन	मंगलौर	505859
कर्नाटक	एशोसिएशन फार द रीहैबिलिटेशन आफ द डिस्एबल्ड	कोप्पल	1148229
कर्नाटक	बापूजी विद्या समस्थि	गडग	1183622
कर्नाटक	च्यवन आयुर्वेदिक एजूकेशन सोसाइटी	बीदार	721955
कर्नाटक	दिव्य ज्योति एजूकेशन सासोइटी	हवेरी	379957
कर्नाटक	दिव्य शांति क्रिश्चियन एशोसिएशन	बंगलौर	216225
कर्नाटक	कर्नाटक पैरेन्ट्स एशोसिएशन फार मेन्टली रिटार्डेड सिटीजेन्स	बंगलौर	146700
कर्नाटक	कृष्णा ट्रस्ट	बंगलौर	645232
कर्नाटक	लायन्स चैरिटेबल ट्रस्ट	कोप्पल	401049
कर्नाटक	एम०जी० एजूकेशन सोसाइटी	तुमकुर	492930
कर्नाटक	महादेवी ताल महिला विद्या वर्धक संघ	गुलबर्गा	771791
कर्नाटक	मनसा रीहैबिलिटेशन एण्ड ट्रैनिग सेन्टर फार एम०आर० चिल्ड्रेन	उडुपी	1003716
कर्नाटक	मन्जू एजूकेशनल सोसाइटी	गडग	1033767
कर्नाटक	सर्वोदय सर्विस सोसाइटी	बंगलौर	875070
कर्नाटक	शर्ना ज्योति विद्या समस्ते	बीजापुर	478740
कर्नाटक	श्री अम्बीगर चौदह एजूकेशन सोसाइटी	बंगलौर	805248
कर्नाटक	श्री दूदना विकास शिक्षण समस्ते	बेलगाम	822023
कर्नाटक	श्री रेणुका (यल्लमा) विद्या वर्धक संघ	बेलगाम	1530099
कर्नाटक	श्री वादीराजा ट्रस्ट	बंगलौर	578077
कर्नाटक	श्री यलगुरेश्वर विद्या वर्धक संघ	बागलकोट	569169
कर्नाटक	द एशोसिएशन फार मेन्टली हैण्डीकैप्ड	बंगलौर	403929

1	2	3	4
कर्नाटक	द नन्दादीप एजूकेशन एण्ड रीहैबिलिटेशन सोसाइटी फार डिस्एबल्ड	कोलार	84060
केरल	अभय	तिरूअनन्तपुरम्	216941
केरल	आल्फन्स सोसल सेन्टर	एर्नाकुलम	858564
केरल	आशा किरण एशोसिएशन फार मेन्टली रिटार्डेड परसन	कोझिकोड (कालीकट)	479565
केरल	आशानिलयम	कोट्टायम	931131
केरल	आशानिलयम सोशल सर्विस सेन्टर	कोट्टायम	1005493
केरल	एशोसिएशन फार वेलफेयर आफ द हैण्डीकैप्ड	कोझिकोड (कालीकट)	1118277
केरल	बाल सहाय समिति	त्रिचूर	162740
केरल	बैठ्रनियां रीहैबिलिटेशन सेन्टर फार डिसएबल्ड वूमेन	तिरूअनन्तपुरम्	135766
केरल	कालीकट इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी	कोझिकोड (कालीकट)	673105
केरल	कारमेल ज्योति चैरिटेबल सोसाइटी	इदुकी	782269
केरल	चैरिटेबल सोसाइटी फार वेलफेयर आफ डिस्एबल्ड	एर्नाकुलम	985770
केरल	चावारा स्पेशल स्कूल फार द मेंटली रिटार्डेड	एर्नाकुलम	777618
केरल	दीप्ती सेन्टर	कोट्टायम	763785
केरल	डारेक्टोरेट आफ सोमल एकशन	पालक्कड	308232
केरल	इमेओस विल्ला	वयानन्द	577170
केरल	एर्नाकुलम वूमेन्स एसोसिएशन	एर्नाकुलम	85779
केरल	जेने सेन्टर	एर्नाकुलम	725273
केरल	जेसी सोसाइटी फार रिहैबिलिटेशन आफ द हैन्डीकैप्ड	कुन्नूर	839241
केरल	के० वेलायुद्धान मेमोरियल ट्रस्ट	अल्लापूजा	361704
केरल	करूणा चेरीटेबल सोसाइटी	कोल्लम	664146
केरल	मोदीन्ना	त्रिचूर	860355
केरल	मेरियन सर्विस सोसाइटी	पालक्कड़	1178343
केरल	मरसी होम चेरिटेबल सोसाइटी	वयानन्द	446195
केरल	पदमा एजूकेशनल एण्ड चेरीटेबल एस्टेब्लिशमेंट	त्रिचूर	498366

1	2	3	4
केरल	पोप जॉन पॉल पीस होम	त्रिचूर	734278
केरल	प्रतीक्षा भवन स्कूल फॉर मेनटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन	इदूकी	1273500
केरल	प्रतीक्षा चेरीटेबल सोसाइटी	त्रिचूर	1531638
केरल	रक्षा	एर्नाकुलम	927999
केरल	रीच-सोसाइटी फॉर रिमिडियल एजूकेशन एसेसमेंट काउन्सेलिंग हैण्डीकैप्ड	त्रिचूर	1097451
केरल	रोटरी इन्स्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रेन इन नीड आफ स्पेशल केयर	तिरूवनन्तपुरम	2093940
केरल	सनजोस वेलफेयर सेन्टर	कोट्टायम	506126
केरल	सांतीनिलायम फॉर हैन्डीकैप्ड चिल्ड्रेन	कोट्टायम	1060041
केरल	सांतीमरगम सोशल वेलफेयर सर्विस सोसाइटी	एर्नाकुलम	683952
केरल	सेवा निकेतन	कोट्टायम	476865
कैरल	शिल्पा सोसाइटी फॉर द मेनटली हैन्डीकैप्ड	एर्नाकुलम	460470
केरल	श्री आर०पी०एस० पिल्लई मेमोरियल बाल विकास ट्रस्ट	तिरूवनन्तपुरम	841320
केरल	स्नेहा सदन कम्प्लेक्स	एर्नाकुलम	932262
केरल	स्नेहा भवन सोसाइटी	त्रिचूर	131904
केरल	स्नेहानिलायम स्पेशल स्कूल (सैक्रेड हार्ट आफ जीसस सोसाइटी के हैंडमेड्स द्वारा प्रबंधित)	एर्नाकुलम	890397
केरल	स्नेहाराम चेरीटेबल सोसाइटी	त्रिचूर	1046556
केरल	सोशल वेलफेयर सेन्टर	त्रिचूर	2061877
केरल	सोशल वेलफेयर सेन्टर	त्रिचूर	829714
केरल	सोशल वेलफेयर सेन्टर	त्रिचूर	565735
केरल	सोसाइटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मेन्टली डिफिसियन्ट चिल्ड्रेन	कन्नूर	427619
केरल	सोसाइटी ऑफ डाटर्स आफ सेंट कैमिलस	कन्नूर	809577
केरल	सेंट जोसेफ सोशल सेंटर	अल्लपूजा	637020
केरल	विकास सोशल सर्विस सोसाइटी	कन्नूर	1224909
केरल	विमला महिला समाज	एर्नाकुलम	500760

1	2	3	4
केरल	विमला महिला समाज	एर्नाकुलम	312480
केरल	विमला महिला समाज	एर्नाकुलम	1954152
केरल	वूमेन्स वेल्फेयर सेंटर	कोट्टायम	524160
केरल	यंग वूमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन	कोल्लम	394988
मध्य प्रदेश	दिग्दर्शिका इन्स्टीट्यूट आफ रिहैबिलिटेसन रिसर्च	भोपाल	174960
मध्य प्रदेश	दुर्गा शिक्षा सदन	सतना	838080
मध्य प्रदेश	जस्टिस टनरवा मेमोरियल रोटरी इन्स्टीट्यूट फॉर स्पास्टिक एण्ड हैन्डीकैप्ड चिल्ड्रेन	जबलपुर	657702
मध्य प्रदेश	क्रांति कला संगम	मोरेना	1286244
मध्य प्रदेश	एम०पी० विक्लांग सहायता समिति (नवज्योति स्पेशल स्कूल, शाजापुर जिला)	उज्जैन	308304
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विक्लांग सहायता समिति	उज्जैन	406464
मध्य प्रदेश	प्रेम सागर स्पेशल स्कूल	उज्जैन	574812
मध्य प्रदेश	रामकृष्णा आश्रम	ग्वालियर	488715
मध्य प्रदेश	सीमा सिलाई कढाई प्रशिक्षण केन्द्र	मांडला	570883
मध्य प्रदेश	श्री श्री उत्कर्ष समिति	इंदौर	483072
मध्य प्रदेश	विक्लांग सेवा भारती	जबलपुर	710698
महाराष्ट्र	अपंग व निराधार बहुद्देशीय कल्याणकारी संस्था	नागपुर	196477
महाराष्ट्र	भॉडेकर सांस्कृतिक क्रीड़ा व सामाजिक शिक्षण संस्था	भंडारा	133416
महाराष्ट्र	इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल पेडियाट्रिक	पुणे	198517
महाराष्ट्र	सावली	पुणे	512680
महाराष्ट्र	स्वामी विवेकानंद ध्यान प्रसारक मंडल	गड़चिरौली	1267708
मणिपुर	ऑल मणिपुर मेनटली हैण्डीकैप्ड पर्सनल वेलफेयर आर्गनाइजेशन	इम्फाल	883080
मणिपुर	ऑल मणिपुर मेनटली हैण्डीकैप्ड पर्सनल वेलफेयर आर्गनाइजेशन	इम्फाल	306180
मणिपुर	बेटर लिविंग कनडिसन्स एण्ड रिसर्च आर्गनाइजेशन	तौबाल	380862
मणिपुर	सेन्टर फॉर मेन्टल हाइजिन	इम्फाल (ऑन-II)	647712

1	2	3	4
मणिपुर	सेन्टर फॉर मेन्टल हाइजिन	इम्फाल (वॉन-II)	523656
मणिपुर	पीपूल एडवांस एन सोशल सर्विसेज	चूरचन्दपुर	374416
मेघालय	द्वार जिंगक्रिमेन स्कूल फार चिल्ड्रेन इन नीड आफ स्पेशल एजूकेशन	शिलांग	682020
मिजोरम	सोसाइटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पास्टिक चिल्ड्रेन	आइजॉल	1316925
उड़ीसा	आलोक	कोरापूट	566867
उड़ीसा	डिस्ट्रीक रेडक्रॉस सोसाइटी	नौपाड़ा	570627
उड़ीसा	इण्डियन रेडक्रॉस सोसाइटी	कटक	347228
उड़ीसा	इण्डियन रेडक्रॉस सोसाइटी	कटक	315648
उड़ीसा	जेवल इन्टरनेशनल	कालाहांडी	872154
उड़ीसा	जीवनज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द मेनटली एण्ड फिजिकली हैण्डीकैप्ड	धेनकेनाल	1245321
उड़ीसा	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रायबल वेलफेयर एण्ड सोशल एक्शन	रातखांडी, नयागढ़	1093806
उड़ीसा	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	पूरी	830790
उड़ीसा	ओपन लर्निंग सिस्टम	भुवनेश्वर	543330
उड़ीसा	रिजनल रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर	राउरकेला	95040
उड़ीसा	यूनियन फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग एण्ड रिफार्मेटिव एक्टिविटीज	खूरदा	441720
उड़ीसा	उत्कल कल्याण सेवा संघ	झारसुगड़ा	224001
पंजाब	अम्बुजा सीमेंट फाउण्डेशन	रूपनगर	222250
पंजाब	आशादीप वेलफेयर सोसाइटी	होशियारपुर	540258
पंजाब	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी	मोगा	61650
पंजाब	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (अमृतसर)	अमृतसर	555120
पंजाब	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (फरीदकोट)	फरीदकोट	251948
पंजाब	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी प्रयास	जालंधर	1066446
पंजाब	नवजीवनी स्कूल आफ स्पेशल एजूकेशन	पटियाला	1327923
पंजाब	सोशल एक्शन ग्रूप	लुधियाना	34380
राजस्थान	करम मनोविकास संस्थान	अलवर	642519

1	2	3	4
राजस्थान	महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति	भरतपुर	790206
राजस्थान	मानव धर्म विकलांग सेवा संस्थान	झालावाड़	242600
राजस्थान	नवदीप विकास समिति	अलवर	794556
राजस्थान	प्रयास प्राच्य शोध पीठ समिति	उदयपुर	284760
राजस्थान	सौर चेतना एवम उर्जा विज्ञान शोध संस्थान	हनुमानगढ	818571
राजस्थान	सेठ निनुआ राम चेरिटेबल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी	धौलपुर	191754
राजस्थान	सोसाइटी फार वेलफेयर आफ मेनटली हैन्डीकैप्ड	जयपुर	354793
राजस्थान	सेना विकलांग पुनर्वास एवम शोध संस्थान	भीलवाड़ा	807553
राजस्थान	तपोवन मनोविकास विद्यालय	श्रीगंगानगर	651060
तमिलनाडु	एक्शन फॉर वाटर एण्ड रूरल डेवलपमेंट	इरोड	651114
तमिलनाडु	केमल सेन्टर फार मेनटली रिटार्डेड	चेन्नई	810740
तमिलनाडु	डॉ० दत्तू राव मेमोरियल चेरिटेबल	चेन्नई	1155840
तमिलनाडु	इण्डियन सोसाइटी फॉर द हैन्डीकैप्ड वेलफेयर एण्ड रिहैबिलिटेशन (ईश्वर)	तंजावूर	348840
तमिलनाडु	करूणक विल्ला ट्रस्ट फॉर मेन्टली हैन्डीकैप्ड	चेन्नई	1347336
तमिलनाडु	कांगू अरिवलायम स्कूल फार मेनटली रिटार्डेड	इरोड	1232640
तमिलनाडु	एम०एस० चेल्लाभूत्तू ट्रस्ट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशेन	मदुरै	716040
तमिलनाडु	एम०एस० चेल्लाभूत्तू ट्रस्ट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशेन	मदुरै	398520
तमिलनाडु	एम०एस० चेल्लाभूत्तू ट्रस्ट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशेन	मदुरै	232920
तमिलनाडु	मधुराम नारायण सेन्टर फॉर एक्सेपशनल चिल्ड्रेन	चेन्नई	1656936
तमिलनाडु	नवज्योति ट्रस्ट	चेन्नई	165014
तमिलनाडु	ट्रस्ट फॉर द हैण्डीकैप्ड	कुड्डूलोर	645253
तमिलनाडु	पेटाग्राम उद्यम, उद्यम रिहैबिलिटेशन सेंटर	कांचीपूरम	292320
तमिलनाडु	सामना ट्रस्ट	मदुरई	607374
तमिलनाडु	रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर द हैण्डीकैप्ड	कोयम्बटूर	1192365
तमिलनाडु	द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु	चेन्नई	532555

1	2	3	4
तमिलनाडु	विद्यासागर	चेन्नई	1030104
तमिलनाडु	विद्या विकासिनी अपॉर यूनिटी स्कूल	कोयम्बटूर	497520
तमिलनाडु	विद्या ह्यूमेन सर्विसेज	चेन्नई	1422925
त्रिपुरा	त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर	पश्चिमी त्रिपुरा	223740
उत्तर प्रदेश	आदर्श विकलांग कल्याण समिति	पीलीभीत	406665
उत्तर प्रदेश	आधुनिक विद्या मंदिर एवम जूनियर हाई स्कूल समिति	इटावा	603900
उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर सोशल वेलफेयर मायनोरिटी	बल्स	125514
उत्तर प्रदेश	आनन्द प्रशिक्षण चेरिटेबल सोसाइटी	गाजियाबाद	1210394
उत्तर प्रदेश	आशा सेन्टर, मेरठ (आर्मी वेलफेयर सोसाइटी)	मेरठ	81482
उत्तर प्रदेश	भावना इन्स्टीट्यूट फॉर द डिफरेन्टली डिसएबल्ड पर्सन	फतेहपुर	579798
उत्तर प्रदेश	चेतना	लखनऊ	495990
उत्तर प्रदेश	द्वाबा कल्याण समिति	इलाहाबाद	413910
उत्तर प्रदेश	हैण्डीकैप्ड डेवलपमेंट कांउसिल	आगरा	990900
उत्तर प्रदेश	इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज एण्ड रिसर्च इन रिहैबिलिटेशन	वाराणसी	175949
उत्तर प्रदेश	जय माँ काली लखनऊ मोन्टेसरी हाई स्कूल समिति	लखनऊ	384930
उत्तर प्रदेश	स्वास्थ्य एवम शिक्षा कल्याण संस्था	चंदौली	600642
उत्तर प्रदेश	लक्ष्मी सर्व विकलांग सेवा समिति	गोरखपुर	139311
उत्तर प्रदेश	मानव कल्याण एवम उत्थान समिति	गाजीपुर	134550
उत्तर प्रदेश	मनीषा सेवा संस्थान	लखनऊ	86850
उत्तर प्रदेश	मेरठ चिल्ड्रेन वेलफेयर ट्रस्ट	मेरठ	506340
उत्तर प्रदेश	निर्वाण	लखनऊ	548919
उत्तर प्रदेश	रचना (ब्रांच आफ इंटीग्रेटेड इन्स्टीट्यूट फॉर डिसएबन्ड)	जौनपुर	112779
उत्तर प्रदेश	रत्ना स्कूल फॉर द ब्लाइन्ड एवम फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन	बांदा	619290
उत्तर प्रदेश	सांता विकास समिति	जे०पी० नगर	40140
उत्तर प्रदेश	यू०पी० पैरेन्ट्स एसोसिएशन फार वेल्फेयर आफ मेनटली हैण्डीकैप्ड सिटिजेन्स	लखनऊ	729306

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	विकलांग केन्द्र (रोटरी प्रायोजित क्रिपल्ड यूथ एण्ड वेलफेयर सोसाइटी)	इलाहाबाद	1497267
उत्तरांचल	मंगलदीप विद्या मंदिर	अलमोड़ा	269775
उत्तरांचल	रैफेल	देहरादून	193751
उत्तरांचल	रैफेल	देहरादून	1002706
उत्तरांचल	श्री भारती मंदिर स्कूल सोसाइटी	देहरादून	708813
उत्तरांचल	रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट	बागेश्वर	782253
उत्तरांचल	विकलांग मंदबुद्धि कल्याण समति	नैनीताल	333522
पश्चिम बंगाल	अलकेन्दू बोध निकेतन रेजिडेन्सिल	कोलकाता	189900
पश्चिम बंगाल	अलकेन्दू बोध निकेतन रेजिडेन्सिल	कोलकाता	575820
पश्चिम बंगाल	अलकेन्दू बोध निकेतन रेजिडेन्सिल	कोलकाता	353160
पश्चिम बंगाल	अलकेन्दू बोध निकेतन रेजिडेन्सिल	कोलकाता	1262237
पश्चिम बंगाल	अश्वर आले	बंकूडा	659115
पश्चिम बंगाल	बीकाशयन	कोलकाता	1375308
पश्चिम बंगाल	चितरंजन स्मृत्ति प्रति बंधी सेवा केन्द्र	24 परगना (उत्तरी)	378153
पश्चिम बंगाल	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी	कोलकाता	237960
पश्चिम बंगाल	प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र	कोलकाता	700875
पश्चिम बंगाल	कोतवाली सलेहा मेमोरियल स्कूल फॉर हियरिंग एण्ड मेनटली हैन्डीकैप्ड	मालदा	1781793
पश्चिम बंगाल	मानवविकास केन्द्र	कोलकाता	139171
पश्चिम बंगाल	मानवविकास केन्द्र	कोलकाता	6623897
पश्चिम बंगाल	नार्थ बंगाल हैन्डीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी	दार्जिलिंग	1028835
पश्चिम बंगाल	एस कल्याण केन्द्र	मिदनापुर	1202589
पश्चिम बंगाल	सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर	बर्दमान	516960
पश्चिम बंगाल	सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ	बर्दमान	1060785
पश्चिम बंगाल	सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ	कूचबिहार	280620
पश्चिम बंगाल	एस चाइल्ड गाइडेंस सेन्टर	हुगली	1320678
पश्चिम बंगाल	वेस्ट बंगाल काउंसिल फार चाइल्ड वैलफेयर	कोलकाता	1054170

[हिन्दी]

गांवों में मोबाइल टावर

1082. श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए गांवों में जी०एस०एम०/बी०टी०एस० टावरों की स्थापना करने का है जैसा कि दिनांक 23 जनवरी, 2007 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र की कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं/की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में उन ग्रामीण क्षेत्रों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है जहां टावर लगाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या ऐसे टावर सभी क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या देश में मोबाइल सेवाओं के विकास के लिए अन्य योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) सरकार देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थिर/मोबाइल टर्मिनलों का उपयोग करते हुए वायरलैस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) जैसी बेतार अभिगम सेवाओं सहित मोबाइल सेवाओं हेतु अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अवसंरचना का निर्माण ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाएगा जहां मौजूदा स्थिर बेतार या मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है।

(ख) देश के 27 राज्यों के 500 जिलों में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 7,871 टॉवर स्थापित किए जाएंगे। इन टॉवरों की जिला-वार, ग्राम-वार अवस्थिति दूरसंचार विभाग की वेबसाइट (www.dot.gov.in) पर देखी जा सकती है।

(ग) जी, हां। मौजूदा बुनियादी सेवा प्रचालकों (बी०एस०ओ०), सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी०एम०टी०एस०) प्रदाताओं, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसों और सूचीबद्ध अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (आई०पी०-I) जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के प्रचालक शामिल हैं, से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। बोलियां प्राप्त हो चुकी है।

(घ) ये टॉवर 7,871 गांवों में संस्थापित किए जाएंगे।

(ङ) ये टॉवर देश के केवल उन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में संस्थापित किए जाएंगें जहां मौजूदा स्थिर बेतार या मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपरोक्त भाग(छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्री-पेड मोबाइल कनेक्शन

1083. श्री तूफानी सरोज : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, में भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०)/महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम०टी०एन०एल०) के प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मोबाइल कनेक्शन ग्राहकों की राज्य-वार और सर्कल-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों को कनेक्शन दे दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 31.3.2006 और 31.01.2007 की स्थिति के अनुसार बी०एस०एन०एल०/एम०टी०एन०एल० के प्री-पेड मोबाइल कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। एम०टी०एन०एल० मांग पर मोबाइल कनेक्शन प्रदान कर रहा है। बी०एस०एन०एल० पूर्वोत्तर-I, पूर्वोत्तर-II, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सर्किल को छोड़कर जहां क्षमता समिति होने की वजह से प्रतीक्षा सूची है, सभी सर्किलों में मांग पर मोबाइल कनेक्शन प्रदान कर रहा है। बी०एस०एन०एल०, प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए अपने नेटवर्क में वृद्धि कर रहा है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	31.3.2006 की स्थिति के अनुसार प्री-पेड मोबाइल कनेक्शनों की संख्या	31.1.2007 की स्थिति के अनुसार प्री-पेड मोबाइल कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4
	बी०एस०एन०एल०		
1.	अण्डमान और निकोबार	23626	31555
2.	बिहार	516770	672538
3.	झारखंड	314483	428372
4.	उड़ीसा	408204	589571
5.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित, कोलकाता दूरसंचार जिला को छोड़कर	581614	833387
6.	कोलकाता (दूरसंचार जिला)	378777	515020
7.	पूर्वोत्तर-I (त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम)	15614	49790
8.	पूर्वोत्तर-II (मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड)	67357	125395
9.	असम	96680	183325
10.	गुजरात	693750	787495
11.	मध्य प्रदेश	223014	693088
12.	छत्तीसगढ़	76954	264898
13.	महाराष्ट्र (गोआ सहित, मुम्बई को छोड़कर)	759476	1589679
14.	हरियाणा	450543	739062
15.	हिमाचल प्रदेश	181631	295555
16.	पंजाब	317766	864089
17.	राजस्थान	918519	1499046
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1437202	2473407
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	585436	757405
20.	उत्तरांचल	256027	392741
21.	जम्मू-कश्मीर	354391	600045
22.	आन्ध्र प्रदेश	1027517	1509771
23.	कर्नाटक	1064170	1412240
24.	केरल	1137039	1500864
25.	तमिलनाडु	1052265	1689365
26.	चेन्नै (दूरसंचार जिला)	431833	595675
	बी०एस०एन०एल० (जोड़)	13370658	21093378
	एम०टी०एन०एल०		
1.	दिल्ली	675360	883644
2.	मुम्बई	782102	1025003
	एम०टी०एन०एल० (जोड़)	1457462	1908647

[अनुवाद]

नकली दवाएं

1084. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री मो० ताहिर :
श्री शिशुपाल एन० पटले :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नगरों एवं शहरों में घटिया एवं नकली दवाओं के प्रचलन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एसोचैम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार देश में 4000 करोड़ रुपए मूल्य की नकली दवाओं की बिक्री होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) घटिया और नकली दवाओं के प्रचलन के रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) कुछ शहरों और नगरों में घटिया और नकली औषधियों के परिचालन में वृद्धि होने की कोई सूचना नहीं है। पिछले 3-4 वर्षों में देश में जांच की गई औषधियों के नमूनों के अध्ययन से पता चलता है कि 7-8 प्रतिशत नमूने घटिया गुणवत्ता के और इनमें से 02-0.3 प्रतिशत नमूने नकली पाए गए।

(ग) और (घ) मिलावटी और बिना ब्राण्ड वाली औषधियां सामान्यतया नकली औषधियां कहलाती हैं। एसोचेम ने कुछ तथ्य एवं आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिनमें फार्मास्यूटिकल सहित मिलावटी, नकली और कान्ट्रेबेण्ड वस्तुओं को दर्शाया गया है। तथापि, इन दावों की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

(ङ) घटिया और नकली औषधियों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:—

1. डा० आर०ए० माशलेकर महानिदेशक और सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुकण में औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन किया जा रहा है। सख्त दण्डों की व्यवस्था करने, औषध संबंधी अपराधों के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था करने, अपराधों के लिए अर्थदण्ड (कम्पाउण्ड) की व्यवस्था करने, औषध संबंधी अपराधों के लिए अभियोजन दायर करने का अधिकार पुलिस को भी देने और औषध संबंधी सभी अपराधों को संज्ञेय एवं गैर-जमानती बनाने का प्रस्ताव है।

2. भारत सरकार ने भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त पंचवर्षीय क्षमता निर्माण परियोजना शुरू की है जिसकी कुल परियोजना लागत 354.25 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के तहत उपकरणों, जनशक्ति, प्रशिक्षण और सिविल निर्माण कार्य के माध्यम से राज्यों की औषध परीक्षण सुविधा सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकारों को व्यापक सहायता प्रदान की जा रही है। उपभोक्ताओं की शिक्षा के लिए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण संबंधी सुदृढ अभियान भी शुरू किया गया है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अनुसूची-एम को संशोधित किया गया है तथा औषधों के विनिर्माताओं के लिए उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद के गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी अपेक्षा का अनुपाल करना अनिवार्य है।

[हिन्दी]

वस्तुओं की उनकी मियाद समाप्त होने के बाद बिक्री

1085. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में चॉकलेट, वैफर्स, चिप्स आदि जैसी आयातित वस्तुओं को उनकी मियाद समाप्त होने के बाद भी बेचा जा रहा है जैसा कि दिनांक 4 जनवरी, 2007 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में आयातित खाद्य सामग्री की मियाद पूरी होने के बाद उनकी बिक्री के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) पी०एफ०ए० अधिनियम, 1954 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। उन्हें निदेश दिया गया है कि वे बाजार में बेचे गए आयातित खाद्य सामग्रियों का नमूना लें और जहां नमूने मिलावटी/गलत ब्राण्ड के पाए जाते हैं या पी०एफ०ए० अधिनियम, 1954 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के लेबलिंग प्रोवीजन का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे अपराधियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने के साथ-साथ कार्रवाई की जाए।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग ने विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत निवारक उपाय के रूप में एक अधिसूचना जारी की है कि सभी उपयुक्त/खाद्य उत्पाद, घरेलू बिक्री एवं उत्पादन, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, भी इस प्रतिबंध के अध्यधीन होंगे कि आयात के समय उत्पादों के मूल सेल्फ लाईफ उनकी 60 प्रतिशत वैध सेल्फ लाईफ से कम न हो।

[अनुवाद]

सतर्कता की नई प्रणाली की स्थापना

1086. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने नवम्बर, 2006 में जारी परिपत्र में जनोपयोगी सेवा से जुड़े संबंधित मंत्रालयों और विभागों को वेब साइटों के कारगर उपयोग के माध्यम से अपने सतर्कता प्रशासन में सुधार करने का निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो सतर्कता प्रशासन की नई प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी०वी०सी० के इस परिपत्र पर किसी भी सरकारी संस्था ने कार्यवाही नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उन चूककर्ता संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है जो निदेशों का अनुपालन करन में असमर्थ रहे हैं;

(च) क्या ऐसी चीजों पर नजर रखने के लिए किसी निगरानी मशीनरी की स्थापना की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग के दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे सरकारी संगठन, के आम जनता के साथ मिली-जुलकर काम करते हैं, लाईसेंसों, मंजूरी पत्र, सतर्कता अनापत्ति आदि मुद्दों को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के संबंध में अपनी वेब साईओं पर पूर्ण सूचना प्रदान करें।

(ग) से (ज) चूंकि यह एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अत: आयोग ने विभागाध्यक्षों को यह परामर्श दिया है कि वे वेब साईटों पर सूचना को नियमित रूप से अद्यतन किए जाने हेतु सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए।

पी०एफ०ए० अधिनियम, 1954 में संशोधन

1087. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों को संज्ञेय एवं गैर-जमाननी बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव यह था कि इस अधिनियम के तहत सभी दण्डनीय अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया जाएगा।

(ग) प्रस्तावित खाद्य अपमिश्रण निवारण, (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 20 के उपबंधों के प्रतिकूल था। इसके अतिरिक्त चूंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और इसके लागू हो जाने के बाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 निरस्त हो जाएगा। इसलिए इस मंत्रालय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006 को स्थगित रखा जाए।

माशेलकर समिति रिपोर्ट

1088. श्रीमती जयाप्रदा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माशेलकर समिति की सिफारिशों के संबंध में जेनरिक कंपनियों से अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में कोई भी जेनेरिक कम्पनी नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त 'क' को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता है।

दवाओं की कमी

1089. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुत्तों, सांपों अथवा बिच्छुओं के काटने से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जीवन रक्षक दवाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कमी से निपटने के लिए डब्ल्यू०एच०ओ० से समन्वय करने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रभावित व्यक्तियों को ऐसी दवाएं तत्काल उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अलर्क रोक के उपचार के लिए आवश्य एंटी रेबीज सीरम (ए०आर०वी०) और टिश्यूकल्चर एंटी रेबीज वैक्सीन (टी०जी०ए०आर०वी०) और सांप के काटने के उपचार के लिए आवश्यक सर्व-दंश विषरोधी सीरम (ए०एस०वी०एस०) की कोई कमी होने की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत के भीतर इन औषधों का निर्माण करने वाली संस्थाओं की उत्पादन क्षमता राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ङ) राज्य सरकारें इन औषधों/वैक्सीनों को इन औषधों का निर्माण करने वाली संस्थाओं को अग्रिम आपूर्ति के आदेश दे कर प्राप्त कर सकती हैं।

डाकघरों को बंद करना/उनका विलय करना

1090. श्री पी० मोहन :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ डाकघरों को बंद करने अथवा इनका विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त डाकघरों को नियत करने में किन मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में जे०सी०एम० में कर्मचारी प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) अब तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने डाकघरों को बंद अथवा विलय किया गया है;

(च) क्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कई डाकघरों को बंद करने के कारण डाक कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर असंतोष है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) डाक विभाग की देश में डाकघरों को बंद करने अथवा इनका विलय करने की कोई सामान्य नीति नहीं है। हालांकि, विभाग को विभिन्न स्रोतों से नए डाकघर खोलने के आवेदन प्राप्त होते हैं। निर्धारित मानदंडों के आधार पर इनकी जांच की जाती है। दसवीं योजना के निर्देशों के अनुरूप औचित्यसम्मत पाए गए आवेदनों के आधार पर डाकघर ऐसे डाकघरों की पुनर्स्थापना/विलयन के माध्यम से खोले जाते हैं जो अपने मौजूदा स्थान पर औचित्यसम्मत नहीं रह गए।

डाकघरों की अपरिहार्य तथा विशेष परिस्थितियों में बंद किया जाता है जैसे किसी बांध का निर्माण कार्य समाप्त हो जाना, जीर्ण-शीर्ण कार्यस्थान, भवन खाली करने के अदालती आदेश और निकट स्थान पर डाकघरों का होना आदि।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह जे०सी०एम० की मद नहीं है।

(ङ) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बंद, विलयित/पुनर्स्थापित किए गए डाकघरों की संख्या क्रमश: 80 तथा 527 है।

(च) और (छ) जी, नहीं।

मगदल्ला-पत्तन का विकास

1091. श्री पी०एस० गड्डी : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मगदल्ला-पत्तन का विकास करने हेतु केन्द्र-सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का अनुमोदन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

1092. डा० एम० जगन्नाथ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) के विस्तार हेतु वस्त्र मंत्रालय के प्रस्ताव को निरनुमादित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग के पास इस संबंध में कोई वैकल्पिक योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बी०एस०एन०एल०/एम०टी०एन०एल० में पेंशन निधि

1093. चौ० मुनव्वर हसन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० नामक दो उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु पेंशन निधि अब तक गठित नहीं की गयी है;

(ख) यद हां, तो वे अपने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन किस निधि से दे रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा दोनों निगमों के कर्मचारियों हेतु एक समान पेंशन नीति अपनाने हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं/जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन उपक्रमों द्वारा कब तक अपनी-अपनी पेंशन निधियां गठित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम०टी०एन०एल०) में आमेलित सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कोई पेंशन निधि स्थापित नहीं की गई है जबकि भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०) में आमेलित सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) चूंकि एम०टी०एन०एल० में पेंशन निधि गठित नहीं की गई है अत: इस समय कंपनी अपनी निधियों से इस प्रकार के अधिकांश सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कर रही है। सरकार 30.9.2000 से पूर्व एम०टी०एन०एल० में आमेलित उन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कर रही है जिन्होंने यथानुपात पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया तथा उन कर्मचारियों को भी पेंशन का भुगतान कर रही है। जो बी०एस०एन०एल० में आमेलन के बाद सेवा-निवृत्त हो रहे हैं।

(ग) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/18/87 पी० एंड पी०डब्ल्यू० (डी) में 30.9.2000 से पूर्व एम०टी०एन०एल० में आमेलित सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं जबकि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के 30.9.2000 के का०ज्ञा०सं० 4/61/99 पी० एंड पी०डब्ल्यू०(डी) के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 30.9.2000 के बाद एम०टी०एन०एल०/ बी०एस०एन०एल० में आमेलित सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 37क लागू होता है।

(घ) यह मामला न्यायाधीन है तथा एम०टी०एन०एल० के मामले में पेंशन निधि स्थापित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

भारतीय दूतावासों द्वारा स्थानीय भारतीयों को भाड़े पर लेना

1094. श्री मधु गौड़ यास्खी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावास विभिन्न कार्य करने हेतु स्थानीय भारतीयों को भाड़े पर लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चिकित्सा सुविधाओं सहित उन्हें मुहैय्या कराए गये लाभों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में कार्य संचालन, भारत से अथवा अन्य भारतीय मिशनों से स्थानांतरण पर तैनात कार्मिकों द्वारा और कर्मचारियों की स्थानीय भर्ती करके किया जाता है। इस प्रकार के स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती मिशन/केन्द्र प्रमुख को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर की जाती है। इनमें वे भारत के राष्ट्रिक अथवा उस देश के राष्ट्रिक जिसमें भारतीय मिशन/केन्द्र स्थित हो अथवा किसी तीसरे देश के राष्ट्रिक शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार स्थानीय रूप से नियुक्त कर्मचारियों में सचिवालयी/ लिपिकीय कर्मचारी, दुभाषिए एवं अनुवादक, विपणन अधिकारी, चालक, माली, सफाई कर्मचारी इत्यादि शामिल हैं।

(ग) मिशन में अपनी नौकरी के दौरान वेतन के अतिरिक्त, जब संयुक्त राष्ट्र जीवन यापन लागत सूचकांक में 5% की वृद्धि हो तो, जीवन यापन भत्ता, मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों पर दैनिक भत्ता, बोनस, बशर्ते स्थानीय कानून के अनुसार ऐसा भुगतान आवश्यक हो, वार्षिक छुट्टी अस्वस्थता अवकाश, असाधारण अवकाश, महिला कर्मियों के मामले में प्रसूति अवकाश के वे हकदार होते हैं। स्थानीय रूप से भर्ती कर्मचारी सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता/सेवा समाप्ति (अनुशासनात्मक आधारों को छोड़कर) और मिशन/केन्द्र प्रमुख द्वारा स्वीकार कर लेने पर उचित आधारों पर त्यागपत्र देने पर निर्धारित दरों पर सेवान्त उपदान का पात्र भी होगा। उन मामलों पर उपदान का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा जिनमें मिशन/केन्द्र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के लिए योगदान कर रहा हो जब तक कि मंत्रालय द्वारा उसे विशिष्ट तौर पर स्वीकृत नहीं किया गया हो। मंत्रालय, मामला दर मामला आधार पर स्थानीय रूप से भर्ती कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार करता है। वे अपने-अपने मिशनों/केन्द्रों से नई दिल्ली तक और वापसी की नि:शुल्क विमान-यात्रा के भी पात्र हैं बशर्ते स्थानीय रूप से भर्ती कर्मचारी ने भारतीय मिशन/केन्द्र में पच्चीस वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो। जहां स्थानीय कानून में उपर्युक्त के अलावा अन्य सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य हो वहां इस प्रकार के अनुरोधों पर भी विचार किया जाता है।

ई-दिशा एकल सेवा केन्द्र

1095. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास 'कॉमन सर्विसेज सेन्टर्स (सी०एस०सी०), योजना के अंतर्गत 'ई-दिशा एकल सेवा केन्द्र' की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में एस०सी०ए० (सर्विस सेन्टर एजेंसी) की क्या भूमिका है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण

क्षेत्रों में ब्रॉड बैण्ड, इंटरनेट समर्थित 100,000 सामान्य सेवा केन्द्र (सी०एस०एस०) स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की एक योजना को अनुमोदित किया है। ये केन्द्र किसी राज्य में प्रति 6 आवासीय निवासियों के लिए 1 सामान्य सेवा केन्द्र के अनुपात में स्थापित किए जाएंगे। ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के पूरे ब्यौरे सी०एस०सी० दिशा-निर्देशों में दिए गए हैं, जो www.mit.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

(ग) सेवा केन्द्र एजेंसी (एस०सी०ए०) एक निजी संगठन है जो एक फ्रेंचाइज़र के सदृश है जो वी०एल०ई० नेटवर्क और व्यवसाय का प्रचालन प्रबंध और निर्माण करेगा। किसी राज्य के एक या अधिक जिलों के लिए सी०एस०सी० व्यवसाय का प्रबंध करने के लिए एक एस०सी०ए० को चुना जाएगा (एक जिले में 100-200 सी०एस०सी० होंगे)। एस०सी०ए० की भूमिका के पूर्ण ब्यौरे सी०एस०सी० दिशा-निर्देशों में दिए गए हैं जो www.mit.gov.in पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना

1096. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 9 (पुणे-शोलापुर-हैदराबाद) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 13 (पुणे-शोलापुर-बीजापुर) पर भारी यातायात की वजह से काफी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार के पास इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (घ) सड़क दुर्घटनाओं के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं अर्थात् चालकों और सड़क प्रयोक्ताओं की ओर से यातायात अनुशासन का अभाव, मिश्रित यातायात परिस्थितियां, तेज गति, अधिक भार लदान, वाहनों में यांत्रिक दोष, सड़क की खराब ज्यामिति आदि शामिल हैं और ये दुर्घटनाएं अनिवार्य रूप से यातायात की भारी भीड़ के कारण नहीं होती। स्थिति में सुधार के लिए यातायात की मात्रा, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेने का बनाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 9 (पुणे-शोलापुर-हैदराबाद) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 13 (शोलापुर-बीजापुर) को चार लेने का बनाने में संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०	लंबाई (कि०मी०)	पहले से ही चार/छः लेन	कार्य चल रहा है	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III ख के अंतर्गत 4 लेन बनाने के लिए प्रस्ताव	गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 4 लेन बनाने के लिए प्रस्ताव
9	534	45 कि०मी० जिसमें से 26 कि०मी० महाराष्ट्र में और 19 कि०मी० आंध्र प्रदेश में है।	आंध्र प्रदेश में 31 कि०मी०	पुणे-शोलापुर खंड में 170 कि०मी० के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है।	आंध्र प्रदेश में 69 कि०मी० के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श-दाताओं से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
13	98	–	–	चार लेन बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु शोलापुर से महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा तक 30 कि०मी० लम्बाई अभिनिर्धारित की गई है।	–

पाक अधिकृत कश्मीर के नेताओं को वीजा जारी करना

1097. **श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज) :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर के नेताओं को उस पासपोर्ट पर वीजा जारी किया था जिसमें उनकी राष्ट्रीयता जम्मू व कश्मीर दर्शायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विलेज पब्लिक टेलीफोन

1098. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम के अंतर्गत कवर नहीं हो पाए 66,822 गांवों में विलेज पब्लिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) मुहैय्या करने के लक्ष्य के मुकाबले 31 अगस्त, 2006 तक मात्र 30,251 गांवों को ही विलेज पब्लिक टेलीफोन मुहैय्या कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या असम के गांवों को वी०पी०टी० मुहैय्या कराने का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू०एस०ओ०एफ०) ने नवम्बर, 2007 तक देश के बाकी 66,822 सेवा रहित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) उपलब्ध कराने हेतु नवम्बर, 2004 में भारत संचार नगम लि० के साथ एक करार किया है। इस करार में वे गांव शामिल नहीं हैं जिनकी जनसंख्या 100 से कम है या जो घने जंगली क्षेत्र/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पड़ते हैं। इस करार के अंतर्गत वी०पी०टी० उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से 3 वर्षों की अवधि हेतु क्रमशः 20%, 40% और 40% की निष्पादन अवधि विनिर्धारित की गई है। 31 जनवरी 2007 की स्थिति के अनुसार इनमें से, 39741 गांवों में भा०सं०नि०लि० द्वारा वी०पी०टी० प्रदान किए जा चुके हैं। बाकी 27,081 गांवों को वी०पी०टी० नवम्बर 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से प्रदान कर दिए जाएंगे।

(ग) और (घ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू०एस०ओ०एफ०) ने असम राज्य के बाकी 8931 सेवा रहित गांवों में नवम्बर 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) उपलब्ध कराने हेतु भारत संचार निगम लि० के साथ नवम्बर, 2004 में एक करार किया है। इसमें वे गांव शामिल नहीं है जिनकी जनसंख्या 100 से कम है या घने जंगलीक्षेत्र/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पड़ते हैं।

31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार इनमें से 7882 गांवों में भारत संचार निगम लि० द्वारा वी०पी०टी० पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। शेष 1049 गांवों में नवम्बर 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से वी०पी०टी० प्रदान कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

केन्द्रीय परियोजनाएं

1099. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
श्री रशीद मसूद :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल एन० पटले :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही कतिपय केन्द्रीय परियोजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी०के० वासन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, धीमी प्रगति के कारण कुछ परियोजनाएं भू-खनन समस्याओं, निधि की कमी, भूमि अधिग्रहण समस्याओं, नीति में परिवर्तन और अन्य कारणों से, आरंभिक

कार्य शुरू किए जाने के बाद बंद कर दी गई थीं। इन परियोजनाओं का प्रबोधन बाद में शुरू किया गया।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद

1100. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-चीन, भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमा विवादों को सुलझाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में इन देशों के साथ आगे कोई वार्ता करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों के साथ किसी ऐसे द्विपक्षीय समझौतों हेतु कौन सी संभावित तिथियां निर्धारित है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) बंगलादेश चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा-संबंधी विवाद का समाधान करने के लिए भारत के पास समुचित तंत्र विद्यमान है। देशवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

बंगलादेश

भारत और बंगलादेश के बीच 1974 में हस्ताक्षरित भू-सीमा करार (एल०बी०ए०) का क्रियान्वयन निम्नलिखित तीन मुद्दों को छोड़कर किया गया है: (i) लाधिटिल्ला-डुमाबरी (असम सेक्टर में 3 कि०मी०) दक्षिण बेरूबाड़ी (पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 1.5 कि०मी०), और मुहुरी नदी/बेलोनिया क्षेत्र (त्रिपुरा क्षेत्र में 1.6 कि०मी०) तीन क्षेत्रों में 6.1 कि०मी० का सीमांकन। (ii) प्रतिकूल कब्जे वाली संपत्तियों का आदान-प्रदान और (iii) एन्कलेवों का आदान-प्रदान।

इन मसलों पर भारत-बंगलादेश संयुक्त सीमा कार्य दल, जिसकी अभी तक तीन बार बैठक हुई है, में चर्चा हुई है। अगली बैठक की तारीखें राजनयिक माध्यमों से निर्धारित की जाएगी।

चीन

जून, 2003 में भारत और चीन दोनों ने समग्र द्विपक्षीय संबंध के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा के प्रश्न के समाधान के लिए फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक-एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया था। 16-18 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में हुई पिछली बैठक के साथ विशेष प्रतिनिधियों की अभी तक नौ बैठकें हो चुकी हैं। 11 अप्रैल, 2005 को चीन के प्रधानमंत्री की भारत की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने "भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनैतिक पैरामीटर तथा विदेशी सिद्धांतों से सम्बद्ध करार" सम्पन्न किया था। इस समय दोनों विशेष प्रतिनिधि उपरोल्लिखित करार के आधार पर सीमा के समाधान के लिए एक सहमत फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श कर रहें हैं। वार्ता के अगले दौर की तारीखे राजनयिक माध्यमों से निर्धारित की जाएंगी।

पाकिस्तान

भारत-पाकिस्तान वार्ताएं, जम्मू और कश्मीर तथा सरक्रीक के मसलों पर समग्र वार्ता के फ्रेमवर्क के भीतर हुईं। समग्र वार्ता का चौथा दौर 13-14 मार्च, 2007 को इस्लामाबाद में होने वाली विदेश सचिव वार्ताओं से आरंभ होगा। जम्मू एवं कश्मीर में, पाकिस्तान के पास अनधिकृत कब्जे में लगभग 78,000 वर्ग कि०मी० का भारतीय भू क्षेत्र है और उसने चीन को 5180 वर्ग कि०मी० भारतीय भू-क्षेत्र अवैध रूप से स्थानान्तरित कर दिया है।

जनवरी, 2005 में, सरक्रीक में क्षैतिज खण्ड का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था और क्रीक खण्ड का एक संयुक्त सर्वेक्षण इस समय चल रहा है। समुद्री सीमा के सीमांकन पर भी पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई है।

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाओं की वृद्धि

1101. **श्री एन०एस०वी० चित्तन :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाओं ने अत्यधिक वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हार्डवेयर निर्यातों की वृद्धि दर क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहम्द) : (क) और (ख) नैसकॉम के अनुसार आई०टी०-

आई०टी०ई०एस० क्षेत्र (जिसमें घरेलू तथा निर्यात क्षेत्र शामिल है) का वित्त वर्ष, 2007 में वार्षिक राजस्व 47.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है, जो चालू वित्त वर्ष में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि है।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ई०एस०सी०) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के निर्यात में अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपए की दृष्टि से 41.18 प्रतिशत (अमरीकी डॉलर की दृष्टि से 38.89 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की है।

(ग) और (घ) ई०एस०सी० के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के कुल निर्यात का लक्ष्य 11500 करोड़ रुपए (2556 मिलियन अमरीकी डॉलर) निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य का 83.48 प्रतिशत दिसम्बर, 2006 तक हासिल कर लिया गया।

डाक्टरों हेतु संचार संहिता

1102. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद की आचार संहिता बिल्कुल लागू नहीं की जा रही है जैसा कि 31 जनवरी, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) डॉक्टरों के आचरण को विनियमित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 अधिसूचित किया है। इन विनियमों में डाक्टरों की विभिन्न कार्यभ्रुटियाँ निर्धारित की गई हैं जिनको अनाचरण और अनैतिकता मानी गई है। भारतीय चिकित्सा परिषद या उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषदों को इन विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए डाक्टर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। डाक्टरों द्वारा आचरण संहिता का उल्लंघन किए जाने के बारे में सरकार को समय-समय पर कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद को ऐसे उल्लंघनों की जांच करने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की सालह दी गई है।

एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल

1103. **श्री फ्रांसिस फैन्थम** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में से प्रत्येक के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेलवार कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते गए;

(ख) क्या पिछले तीन खेलों से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन गिरा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों हेतु पूरी तैयारी की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पिछले तीन एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में जीते गए पदकों का खेल विद्या-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) योजनाएं तैयार करने की दृष्टि से सभी पणधारियों नामतः राष्ट्रमंडल खेल विधाओं से संबंधित अलग-अलग राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भारतीय ओलंपिक संघ तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ सतत आधार पर विस्तृत विचार-विमर्श चल रहा है, जिससे राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान पदक तालिका में सुधार हो सके और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजनाओं में आवश्यक प्रावधान किये जा रहे हैं।

(च) भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते जाने वाले संभावित पदकों की कोई सही संख्या बता पाना अभी काफी जल्दबाजी होगी। तथापि वर्तमान आकलन के अनुसार, भारत की पदक तालिका में आगामी राष्ट्रमंडल, खेल 2010 में सुधार होने की संभावना है।

विवरण-I

क्र० सं०	2006 एशियाई खेलों की खेल विधाओं का नाम	एशियाई खेल 1998 में भारत द्वारा जीते गए पदक	एशियाई खेल 2002 में भारत द्वारा जीते गए पदक	एशियाई खेल 2006 में भारत द्वारा जीते गए पदक
1	2	3	4	5
1.	जलक्रीड़ा	शून्य	शून्य	शून्य
2.	तीरंदाजी	शून्य	शून्य	1 (1 कांस्य)
3.	एथलेटिक्स	15 (2स्व० + 8र० + 3कां०)	17 (7स्व०+6र०+4कां०)	10 (1स्व० + 5र० + 4कां०)
4.	बैडमिंटन	शून्य	शून्य	शून्य
5.	बेसबाल	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
6.	बास्केटबाल	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
7.	शरीर सौष्ठव	भाग नहीं लिया	शून्य	भाग नहीं लिया
8.	बॉउलिंग	भाग नहीं लिया	शून्य	शून्य
9.	मुक्केबाजी	2 (1स्व० + 1कां०)	शून्य	2 (2कां०)
10.	केनोइंग व कयाकिंग	शून्य	भाग नहीं लिया	शून्य
11.	शतरंज	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	2 (2स्वर्ण)
12.	क्यू स्पोर्टस	4 (2स्व० + 1र० + 1कां०)	3 (1स्व० + 1र० + 1कां०)	4 (1स्व० + 1र० + 2कां०)
13.	साईक्लिंग	शून्य	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
14.	घुड़सवारी	1 (1कां०)	1 (1कां०)	1 (1कां०)
15.	फैंसिंग	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	शून्य
16.	फुटबाल	शून्य	शून्य	शून्य
17.	गोल्फ	शून्य	1 (1स्वर्ण)	1 (1रजत)
18.	जिम्नास्टिक्स	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	शून्य
19.	हैण्डबाल	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	शून्य
20.	हॉकी	2 (1स्वं०+1र०)	1 (1रजत)	1 (1कां०)
21.	जूडो	शून्य	शून्य	शून्य
22.	कबड्डी	1 (1स्वर्ण)	1 (1स्वर्ण)	1 (1स्वर्ण)

1	2	3	4	5
23.	कराटे डो	भाग नहीं लिया	शून्य	भाग नहीं लिया
24.	रोइंग	2 (2कांस्य)	1 (1कांस्य)	3 (2र०+1कां०)
25.	रग्बी	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	शून्य
26.	सेलिंग	शून्य	3 (1र० + 2कां०)	2 (1र० + 1कां०)
27.	सेपाक टकारो	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	शून्य
28.	निशानेबाजी	3 (2र०+1कां०)	2 (2रजत)	14 (3स्व० + 5र० + 6कां०)
29.	साफ्टबॉल	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
30.	साफ्ट टेनिस	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
31.	स्क्वैश	शून्य	शून्य	1 (1कांस्य)
32.	टेबल टेनिस	शून्य	शून्य	शून्य
33.	ताईक्वांडो	भाग नहीं लिया	1 (1कांस्य)	शून्य
34.	टेनिस	4 (4कांस्य)	4 (1स्वं०+1र०+2कां०)	4 (2स्वं० + 2र०)
35.	ट्राईथलोन	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	शून्य
36.	वालीबॉल	शून्य	शून्य	शून्य
37.	भारोत्तोलन	1 (1 रजत)	शून्य	भाग नहीं लिया
38.	कुश्ती	शून्य	1 (1कांस्य)	6 (1र० + 5कां०)
39.	वूशू	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	1 (1कांस्य)
	कुल	35 (7स्वं०+11र०+17कां०)	36 (11स्वं०+12र०+13कां०)	54 (10स्वं०+18र०+26कां०)

विवरण-II

क्र० सं०	राष्ट्रमंडल खेल 2010 की खेल विधाओं का नाम	राष्ट्रमंडल खेल 1998 में भारत द्वारा जीते गए पदक	राष्ट्रमंडल खेल 2002 में भारत द्वारा जीते गए पदक	राष्ट्रमंडल खेल 2006 में भारत द्वारा जीते गए पदक
1	2	3	4	5
1.	एथलेटिक्स	भाग नहीं लिया	2 (1रजत + 1 कांस्य)	3 (2रजत + 1 *कांस्य)

* भारत द्वारा 2002 के खेलों में 69 पदक जीते गए थे। तथापि, भारत द्वारा कुश्ती (6), जूडो (2) तथा भारोत्तोलन (18 अर्थात स्नैच एण्ड क्लीन एण्ड जर्क) में भारत के पदकों की संख्या 43 हो गई जिसकी तुलना में भारतीय दल ने 2006 राष्ट्रमंडल खेलों में 50 पदक जीते। वास्तव में भारतीय दल की पदक तालिका में 7 पदकों की वृद्धि हुई है।

1	2	3	4	5
2.	जलक्रीड़ा	भाग नहीं लिया	शून्य	शून्य
3.	बैडमिंटन	4 (2रजत + 2 कांस्य)	1 कांस्य	2 कांस्य
4.	मुक्केबाजी	1 (1रजत)	3 (1स्व० + 1र० + 1कां०)	5 (1स्व० + 2र० + 2कां०)
5.	साईक्लिंग	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
6.	जिम्नास्टिक्स	भाग नहीं लिया	शून्य	शून्य
7.	हॉकी	शून्य	1 स्वर्ण (महिला)	1 रजत (महिला)
8.	लॉन बाल्स	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
9.	नेटबाल (महिला)	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
10.	रग्बी 7ए साईड (पुरूष)	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
11.	निशानेबाजी	7 (4स्व० + 2र०+ 1कां०)	24 (14स्व० + 7र०+ 3कां०)	27 (16स्व० + 7र०+ 4कां०)
12.	स्क्वैश	भाग नहीं लिया	शून्य	शून्य
13.	टेबल टैनिस	भाग नहीं लिया	3 कांस्य	3 (2स्वर्ण + 1कांस्य)
14.	भारोत्तोलन	13(3स्व० + 5रजत + कांस्य)	27(11 स्वर्ण + 9 राजत + 7 कांस्य) पुराना नियम-प्रत्येक भार वर्ग के लिए 3 पदक	9 (3 स्वर्ण + 5 रजत + 1 कांस्य) नया नियम-प्रत्येक भाग वर्ग के लिए 1 पदक (2002 के खेलों में भारत द्वारा जीते 27 पदकों में से कुल केवल 9 पदक हुए, इसी प्रकार, भारत ने इतने ही पदक जीते लेकिन 2006 खेलों में नियमों में परिवर्तन के कारण गिनती में 18 पदक ही हुए।
15.	कुश्ती	नहीं हुई	6 (3स्व० + 3र०)	नहीं हुई (2006 में कुश्ती खेल विद्या को शामिल नहीं किया गया था जिसमें भारत ने 2002 के खेलों में 6 पदक जीते थे।
16.	जूडो	नहीं हुई	2 (1र० + 1कां०)	नहीं हुई (जूडो खेल विद्या को 2006 में शामिल नहीं किया गया था जिसमें भारत ने 2002 के खेलों में 2 पदक जीते थे।)
	कुल जोड़	25 (7स्व०+10र०+8कां०)	69 (30स्व०+22र०+17कां०)	50 (22स्व०+17र०+11कां०)

पासपोर्ट जारी करना

1104. **श्री प्रह्लाद जोशी :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने से पहले किए जाने वाले पुलिस सत्यापन को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी नागरिकों को फर्जी नामों से भारतीय पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने विदेशी नागरिकों ने फर्जी नामों से भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किए हैं;

(ङ) पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/सावधानियां बरती गयी हैं; और

(छ) वर्ष 2006 के दौरान पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन किए गए और कितने पासपोर्ट जारी किए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसे आवेदकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं, जो पुलिस सत्यापन बाद में जारी होने के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के शीघ्रता से निष्पादित किए जाने के लिए भी कदम उठाए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों, सरकारी सेवकों और अवयस्कों को, कतिपय औपचारिकताएं पूर्ण करने के अध्यधीन, पुलिस सत्यापन के बिना ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। जारी करने की समयावधि को कम करके तत्काल योजना को भी उदार बनाया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आप्रवासन प्राधिकारियों ने 2005 में 40 ऐसे विदेशियों का पता लगाया था, जिनके पास धोखे से प्राप्त किए गए भारतीय पासपोर्ट थे।

(ङ) और (च) इन पासपोर्टों को रद्द कर दिया गया था और अपराधियों के विरुद्ध पासपोर्ट अधिनियम के अनुसार कार्रवाई भी की गई थी। इस संबंध में जो प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिएं और जो सावधानियां बरती जानी चाहिएं उनसे पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों को पुन: अवगत करा दिया गया है।

(छ) 2006 के दौरान 44,22,714 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए थे और 44,41,768 जारी किए गए थे जिनमें पिछले वर्ष के कुछ लंबित आवेदन पत्र भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

उपरिपुलों के निर्माण हेतु नियम

1105. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरिपुलों के निर्माण को शासित करने वाले नियम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने उपरिपुल पूरा होने हेतु लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) निर्माण कार्य पूरा होने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन उपरिपुलों के निर्माण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) प्रश्न में संभवत: 'सड़क उपरि पुलों' का उल्लेख उपरि पुलों के रूप में किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में सामान्यत: लेवल क्रासिंग के स्थान पर सड़क उपरि पुलों का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में कवर नहीं हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामान्य तौर पर विद्यमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर आर०ओ०बी० का निर्माण धनराशि की कमी के कारण संभव नहीं है तथा यह निर्णय मामला दर मामला आधार पर लिया जाता है।

(ख) से (घ) लगभग 101 आर०ओ०बी० पूरा होने के लिए लंबित हैं जिनमें से 95 आर०ओ०बी० राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में है। गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर आर०ओ०बी० को एक वर्ष के अंदर अर्थात् अप्रैल, 08 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आर०ओ०बी० राजमार्गों

के उन्नयन के सिविल पैकेजों का हिस्सा है और उनके पूरा करने की तारीख वही है जो संबंधित पैकेज को पूरा करने की तारीख है। तथापि, कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण में विलंब अथवा रेलवे अधिकारियों से अनुमोदन में विलंब के कारण देरी हुई है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कॉल दरें

1106. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री फ्रांसिस फैन्चम :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय टेलीफोन कॉलों की कीमत विनियमित करने हेतु कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन ऑपरेटर स्थानीय कॉल दरों को बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थानीय टेलीफोन कॉल दरों को विनियमित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन०एल०) का विचार एस०टी०डी० और आई०एस०डी० कॉल शुल्क और घटाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत देश में दूरसंचार सेवाओं हेतु सभी प्रशुल्कों के विनियमन का कार्य भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंप दिया गया है।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को टेलीफोन प्रचालकों से स्थानीय कॉल को दरें बढ़ाने की धमकी संबंधी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, प्रचालकों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियामक सिद्धांतों के अध्यधीन कोई भी प्रशुल्क निर्धारित करने की छूट है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) उपरोक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक विभाग द्वारा डाकेतर सेवाएं

1107. **श्रीमती पी० सतीदेवी :**
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाकघरों द्वारा मुहैय्या करायी जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डाक विभाग आयकर विवरणी पासपोर्ट आवेदन लेने और विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित आवेदन फार्म बेचने इत्यादि जैसी डाकेतर सेवाएँ भी दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो डाक विभाग द्वारा मुहैय्या करायी जा रही ऐसी सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस विभाग के पास डाकेतर सेवाएं मुहैय्या कराने हेतु पर्याप्त कर्मचारी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) भारतीय डाक प्रणाली इस समय कई सेवाएं प्रदान कर रही है जिन्हें मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: संचार सेवाएं (पत्र, पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, प्रतिस्पर्द्धा पोस्ट कार्ड, पंजीकृत समाचार पत्र आदि), परिवहन सेवाएं (पार्सल, लॉजिस्टिक्स पोस्ट), वित्तीय सेवाएं (बचत बैंक, मनीआर्डर, अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण सेवाएं, डाक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी, डाक जीवन बीमा) और प्रीमियम मूल्यवर्द्धित सेवाएं (जैसे स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रीटेल पोस्ट)।

(ख) जी, हां।

(ग) 1,55,516 डाकघरों के साथ डाक विभाग का विश्व भर में सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 89% ग्रामीण इलाकों में है। डाक विभाग अपने नेटवर्क का उपयोग यूटिलिटी बिलों के भुगतान, विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन पत्रों की बिक्री, वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण आवेदनों को स्वीकार करने, आयकर तथा सेवा कर आदि को स्वीकार करने आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए करता है।

(घ) और (ङ) ऐसी सेवाओं को डाक विभाग में मौजूदा कार्यबल और बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से शुरू किया है, जो कि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है।

निजी अस्पतालों हेतु केन्द्रीय विधान

1108. **श्री पी० करूणाकरन :**
श्री एस०के० खारवेनथन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि अनेक निजी अस्पताल मरीजों से असामान्य शुल्क वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी अस्पतालों/नर्सिंग होमों को नियंत्रित व शासित करने हेतु कोई विधान लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उनके सत्यापन, श्रेणीकरण और मानकीकरण हेतु राष्ट्रीय नर्सिंग काऊंसिल गठित करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) स्वास्थ्य, राज्य का विषय है और निजी अस्पतालों एवं उनके द्वारा वसूले गए शुल्क को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। नैदानिक संस्था के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए विधान बनाना सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है।

(ङ) और (च) भारतीय नर्सिंग काऊंसिल पहले से ही भारतीय नर्सिंग काऊंसिल अधिनियम, 1947 के तहत आती है।

कोस्टल हेल्थ प्रोग्राम

1109. **डा० के०एस० मनोज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) में कोई कास्टल हेल्थ कार्यक्रम शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में तटीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है तथापि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में तटीय क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रदानगी बेहतर करने की योजना बनाई गई है।

चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता

1110. **श्री सुव्रत बोस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो त्रिवर्षीय मेडिकल कोर्स चला रहे हैं;

(ख) क्या इन कोर्सों को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दी जाती है; और

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा पश्चिम बंगाल में ऐसे कोर्स चला रहे मेडिकल कालेजों को मान्यता न देने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सूचना आयोग

1111. **डा० अरूण कुमार शर्मा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस तथा सूचना का अधिकार जैसी भावी योजना यदि कोई है, सहित केन्द्रीय सूचना आयोग (सी०आई०सी०) के माध्यम से उपयोग की जा रही मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की ग्रामीण लोगों के लाभार्थ सतत सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए सी०आई०सी० ऑपरेटरों की सेवाओं के स्थायी आमेलन पर विचार करने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की मूल योजना के अनुसार ये सी०आई०सी० व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य स्व-सतत इकाइयों के स्तर तक पहुंच पाएंगी;

(ङ) यदि हां, तो इनकी राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। आयोग कोई और सेवा प्रदान नहीं करता है।

(घ) से (च) केन्द्रीय सूचना आयोग को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य संगठन बनाने पर विचार करना वांछित नहीं पाया गया है।

परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार

1112. **श्री मोहन रावले :**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (इंडिया) द्वारा भारत में परिवहन क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है। जैसा कि दिनांक 02 फरवरी, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) परिवहन क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए क्या कारक तथा प्रथाएं जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस सर्वेक्षण में कोई सुझाव दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) 2 फरवरी, 2007 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित 'ट्रक्स रॉल ऑन रु० 22,000 करोड़ 'ग्रीज रोड' समाचार में ये रिपोर्ट दी गई है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडियन चेपटर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि मुख्यत: अधिक भार लदान की अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप ट्रकों की कार्यक्षमता में 40% तक की गिरावट आ रही है। यह आरोप लगाया गया है कि ट्रक प्रचालक अपने वाहनों में अधिक भार लदान के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों, पुलिस, बिक्री कर अधिकारियों द्वारा रोके जाने के कारण ट्रक ड्राइवर प्रतिदिन लगभग 11 घंटे का यात्रा समय बर्बाद करते हैं और उन्हें रिश्वत देते हैं। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के ब्योरे इस विभाग में उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों से 28 फरवरी, 2007 को सड़क परिवहन क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उचित उपाय करने के लिए कहा गया है।

(ग) सड़कों पर वाहन यातायात का विनियमन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार के पास सड़क परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अपनाए जा रहे कारकों/पद्धतियों के आकलन की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ई-ट्रक परिवहन, बाह्य स्रोतों से सेवाएं प्राप्त करने तथा पूरे देश में एक समान नियमों पर जोर देते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विभिन्न सुधार चार्टर की सिफारिश की है।

(च) मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्हें प्रवर्तन तंत्र में खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है ताकि सड़क परिवहन क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। उन्हें अंतर-राज्यीय सीमा जांच चौकियों पर विभिन्न अधिकारियों के लिए एक ही जांच स्थल के लिए उपाय करने को भी कहा गया है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

1113. **श्रीमती मेनका गांधी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का एच०आई०वी०/एड्स की रोकथाम और कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए धन खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कितना धन खर्च किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। कण्डोमों के प्रयोग को बढ़ावा देने सहित एच०आई०वी०/एड्स का निवारण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है और एच०आई०वी० तथा अन्य यौन संचारित संक्रमणों और अनचाहे गर्भों से सुरक्षा, दोनों प्रयोजनों के लिए इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के चरण-III के लिए 75 प्रतिशत बजट कन्डोमों के प्रयोग को बढ़ावा देने, लक्षित कार्यकलापों, रक्त निरापदता और सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण सहित निवारण कार्यकलापों के लिए निश्चित किया गया है। अधिक एच०आई०वी० व्याप्तता और उच्च प्रजनन वाले जिलों तथा उच्च जोखिम वाले समूहों और असुरक्षित आबादियों (ब्रिज पापूलेशन्स) में लक्षित कार्यकलापों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। इस समय कन्डोमों की बिक्री के स्थानों को बढ़ाकर उनकी बिक्री को 6 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कन्डोमों तक करके कन्डोम तक पहुंच को सुदृढ़ करने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

वैश्विक खतरे के रूप में मधुमेह

1114. **श्री ई० पोन्नुस्वामी :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिदिन 200 बच्चे मधुमेह के शिकार हो जाते है जैसे कि 08 दिसम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मधुमेह से पीड़ित विभिन्न आयु-वर्ग के रोगियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 नवम्बर, 2006 को अपने संकल्प में मधुमेह को वैश्विक खतरा घोषित किया है और सदस्य देशों से इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार मधुमेह के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इनसुलिन और दवाओं पर राजसहायता देने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (छ) विश्व स्वास्थ्य संगठन के संशोधित अनुमानों के अनुसार भारत में बच्चे सहित 32 मिलियन मधुमेह रोगी (वर्ष 2002 की स्थिति के अनुसार) हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 14 नवम्बर, 2006 को अपने संकल्प में मधुमेह को विश्व के लिए खतरा घोषित किया है और सदस्य राष्ट्रों को इस बारे में राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए कहा है। मधुमेह, सी०वी०डी० एवं आघात की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें जनजागरूकता बढ़ाने का ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इससे इन रोगों से जुड़े सामान्य जोखिम कारकों को रोका जा सकेगा।

[हिन्दी]

एम्स में डेंगू के मामले

1115. **श्री गिरिधारी यादव :**
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सितम्बर के अंतिम सप्ताह और अक्तूबर के पहले सप्ताह में डेंगू से बुरी तरह प्रभावित हुआ था तथा इस बीमारी से कई डॉक्टरों की मौत हो गई थी;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को सितम्बर/अक्तूबर, 2006 के दौरान काफी संख्या में सूचित

डेंगू रोगियों के अलावा एम्स परिसर में भी डेंगू रोगियों की संख्या सूचित की गई थी जिसके कारण एक मेडिकल छात्र की मौत हो गई थी। इस विषय पर दिनांक 18.10.2006 को आयोजित संस्थान निकाय की बैठक में विचार किया गया। निदेशक को एम्स परिसर में डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जवाब देने के लिए कहा गया था। उन्होंने इस विषय पर अपने उत्तर को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और यह विषय न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर आपरेटरों पर बकाया धनराशि

1116. श्री हितेन बर्मन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर आपरेटरों पर लाइसेंस शुल्क और टैरिफ प्लान माइग्रेशन शुल्क के रूप में सरकार और बी०एस०एन०एल० की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक प्रत्येक कंपनी पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) बकाया धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (ग) 31.01.2007 की स्थिति के अनुसार, सेल्यूर प्रचालकों पर लाइसेंस शुल्क के रूप में सरकार की कुल बकाया धनराशि 482.00 करोड़ रु० है। बकाया धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र० सं०	लाइसेंसधारी का नाम	बकाया धनराशि (रुपये करोड़ में)	टिप्पणियां
1.	मै० बी०पी०एल० मोबाइल कम्युनिकेशन लि०	29.00	वित्तीय वर्ष 2002-03 हेतु शास्ति धनराशि। टी०डी०एस०ए०टी० द्वारा स्थगन आदेश दिया गया।
2.	मै० कोशिका टेलीकॉम लि०	453.00	लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है तथा सभी बैंक गारंटियों का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। माध्यस्थम अधिनिर्णय लंबित हैं।
	जोड़	482.00	

सेल्यूलर प्रचालकों और अन्य प्रचालकों द्वारा बी०एस०एन०एल० को "टैरिफ प्लान माइग्रेशन शुल्क" के रूप में कोई लाइसेंस शुल्क या अन्य प्रभार नहीं दिया जाना है।

लद्दाख में दूरसंचार विभाग में रिक्तियां

1117. श्री छेवांग थुपस्तन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में दूरसंचार विभाग में सभी श्रेणियों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पदधारी पदों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) सभी श्रेणियों में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार सेवाओं में सुधार हेतु कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सभी रिक्त पदों को भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) पदों का सृजन और रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। तेजी से बदलते हुए व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिकीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सीधी भर्ती तथा आंतरिक पदोन्नतियों द्वारा आवश्यकता आधारित भर्तियां की जा रही हैं तथा ये प्रक्रियाएं भविष्य में भी जारी रहेंगी।

विवरण

जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के सभी श्रेणियों में संस्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों के ब्यौरे

कैडर	संस्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
एस०टी०एस०/जे०ए०जी०	3	3	शून्य
टी०ई०एस० समूह ''ख''	11	6	5
जे०टी०ओ०	19	4	15
वरि लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी	2	2	शून्य
सहायक लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी	2	शून्य	2
टी०टी०ए०	20	4	16
वरि० टी०ओ०ए० (पी)*	6	6	शून्य
वरि० टी०ओ०ए० (जी)	19	2	17
टी०एम०	30	22	8
वैयक्ति सहायक	1	0	1
वाहन चालक	1	1	0
लाइन मैन*	3	3	0
आर०एम०**	35	25	10
क्लीनर*	2	2	0

*यह मामले धीरे-धीरे समाप्त होने वाले घोषित किए गए हैं और ये पद, पदधारियों के लिए वैयक्ति हैं।

**समूह ''घ'' पदों की सीधी भर्ती पर प्रतिबंध है। उपलब्ध पदों को नैमित्तिक मजदूरों के नियमितीकरण और अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व

1118. **श्री एन०एन० कृष्णदास :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में 26 प्रतिशत टेलफोन घनत्व की तुलना में वर्तमान ग्रामीण टेलीफोन घनत्व 1.67 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की देशभर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण टेलीफोन घनत्व को बढ़ाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) कतिपय क्षेत्रों में केबल टेलीफोन कनैक्शन प्रदान नहीं कर रहा है परंतु केवल डब्ल्यू०एल०एल० कनैक्शन दे रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) 31.1.2007 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व 1.86 है जबकि शहरी क्षेत्रों में टेलीघनत्व 55.43 है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में उच्च टेलीघनत्व होने के निम्नलिखित कारण हैं:—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में संपन्नता और साक्षरता की उच्च दर है और साथ ही सहायक अवसंरचना की उपलब्धता भी अधिक है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्रति लाइन राजस्व प्रति अधिक होने के कारण निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(i) मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एम०ए०आर०आर०) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलना।

(ii) वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य 1685 अल्प पूरी प्रभारण क्षेत्रों में मांग पर ग्रामीण परिवारों में सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराना।

(iii) सरकार देश के जिन विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वर्तमान में स्थिर बेतार या मोबाइल कवरेज

उपलब्ध नहीं हैं उनमें स्थिर/मोबाइल टर्मिनलों का प्रयोग करके वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) जैसी अन्य बेतार सेवाओं सहित मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए अवसंरचना स्थलों के संस्थापना और प्रबंधन के लिए एक स्कीम शुरू करने जा रही है।

(vi) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) नेटवर्क को बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाना।

(v) बी०एस०एन०एल० द्वारा लैंडलाइन एक्सचेजों के लिए आउटडोर केबल मानदंड में पहले के 2.5 कि०मी० के स्थान पर केबल लंबाई 5 कि०मी० तक करने की छूट देना।

(vi) बी०एस०एन०एल० ने व्यापक पैमाने पर अवसंरचना संस्थापित करने की योजना बनाई है जिससे मोबाइल कवरेज उपलब्ध होगा।

(ङ) बी०एस०एन०एल० स्थानीय एक्सचेंज में 5 कि०मी० के भीतर तार लाइन पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर रहा है। स्थानीय एक्सचेंज से 5 कि०मी० से अधिक दूरी के क्षेत्रों और स्थानीय एक्सचेंज से 5 कि०मी० की दूरी के भीतर स्थित अव्यवहार्य क्षेत्रों से टेलीफोन मांग की पूर्ति डब्ल्यू०एल०एल०एल० पर की जाती है।

(च) स्थानीय एक्सचेंज से 5 कि०मी० से अधिक दूरी पर टेलीफोन कनेक्शन डब्ल्यू०एल०एल० पर उपलब्ध कराए जाते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में तार लाइन पर टेलीफोन प्रदान करना तकनीकी-वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होता।

[हिन्दी]

म्यांमार के साथ पारगमन सुविधाएं

1119. श्रीमती करूणा शुक्ला : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाल और भूटान की तर्ज पर म्यांमार के साथ नि:शुल्क पारगमन सुविधाएं खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) म्यांमार के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने पर क्या-क्या सुविधाएं दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस मार्ग पर फ्लाईओवर

1120. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस हाइवे पर महिपालपुर, दिल्ली और उद्योग विहार, गुड़गांव में फ्लाईओवरों के निर्माण कार्य को 31 जनवरी, 2007 तक पूरा किया जाना था;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा किस निर्धारित तारीख तक कार्य को पूरा किया जाना था;

(ग) निर्धारित तारीख तक कार्य पूरा करने में विलंब यदि कोई है, के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (घ) जी, हां। तथापि, कतिपय तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं के कारण यातायात खोलने में कुछ विलंब हुआ। ये फ्लाई ओवर 6.2.2007 को यातायात के लिए खोल दिए गए हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना

1121. श्री पी०सी० थामस : क्या **पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास-कार्यक्रम के अंतर्गत कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र-सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना (सी०एस०एस०) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सी०एस०एस० के अंतर्गत पत्तनों के विकास हेतु विभिन्न-राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत केरल के कन्नूर जिले में अज़ीकल-पत्तन पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) तटीय पोत-परिवहन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सात लघु पत्तनों को विकसित किया जाना, राष्ट्रीय समुद्रीय विकास-कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। चूंकि प्रत्येक समुद्रीय राज्य से एक पत्तन को ही शामिल किया जाना था, इसलिए केरल से अजीकल-पत्तन को ही शामिल किया गया। ऐसे पत्तनों को विकसित किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना अभी अनुमोदित की जानी है। इस सिलसिले में आगे और कार्रवाई, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना को अन्ततः अनुमोदित कर दिए जाने पर ही की जाएगी।

पेरीटोनियल डायलेसिस की अनुपलब्धता

1122. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में पेरीटोनियल डायलेसिस उपलब्ध नहीं है जबकि एम्स और एल०एन०जे०पी० अस्पताल में यह उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो सफदरजंग अस्पताल में उक्त डायलेसिस उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अस्पताल में डायलेसिस तुरंत उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में पैरीटोनियल डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध है।

समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम

1123. **श्री जुएल ओराम** :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन को नया रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आई०डी०एस०पी०) संचारी और गैर-संचारी रोगों की निगरानी की एक विकेन्द्रीकृत, राज्य आधारित प्रणाली है। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना का उद्देश्य विद्यमान निगरानी कार्यकलापों की कार्यकुशलता बढ़ाना और पिछले समय में रोग के रूझानों का पता लगाना तथा नियंत्रण संबंधी कार्यनीतियों का मूल्यांकन करना है। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के प्रमुख संघटकों में प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए सचूना प्रौद्योगिकी कर प्रयोग करना तथा प्रकोप की जांच करने तथा नियंत्रित करने के लिए तीव्र अनुक्रिया शब्दावली का प्रशिक्षण शामिल है।

(ख) से (घ) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना वाले राज्य अभी भी अपनी-अपनी निगरानी प्रणालियों को स्थापित करने की विभिन्न अवस्थाओं में है और आंकड़ों का एकत्र करना (इन्फ्लो) प्रारंभिक अवस्था में है। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना को जब पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया जाएगा, तो इससे शुरू में ही आसन्न प्रकोपों के चेतावनी संकेतों का पता लगाने तथा सयम पर और प्रभावकारी अनुक्रिया में सहायता करने की आशा है। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशालाओं को उपकरणों और जनशक्ति की व्यवस्था/प्रावधान करके सुदृढ़ किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के नेटवर्क को स्थापित किया जा रहा है और सभी जिला निगरानी एककों, राज्य मुख्यालयों और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को निगरानी आंकड़े एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए परस्पर जोड़ा जा रहा है। लगभग 250 जिलों से साप्ताहिक रोग निगरानी रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। संबंधित जिलों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण और कार्रवाई की जा रही है।

1532 कार्यक्रम अधिकारियों/आर०आर०टी० को प्रशिक्षित किया गया है। चिकित्सा अधिकारियों, बहुदेश्यीय कार्यकर्ताओं और प्रयोगशाला तकनीशियनों को भी एकीकृत रोग निगरानी परियोजना में प्रशिक्षित किया गया है।

काल सेन्टर को किसी भी समय असामान्य घटनाओं/प्रकोपों के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क मुक्त नम्बर सहित एक केन्द्रीयकृत काल सेन्टर भी स्थापित किया जा रहा है।

सरकारी विभागों का कार्यकरण

1124. **श्री सर्वे सत्यानारायण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी विभागों के कार्यकरण पर जनता का फीडबैक प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और मीडिया समूहों की सहायता लेने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या फीडबैक प्राप्त हुआ है; और

(ग) सरकारी विभागों के कार्यकरण में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) सरकार के मंत्रालयों/विभागों को नागरिक चार्टर तैयार करते समय जिन्हें विशिष्ट रूप से मानदण्डों एवं समय-सीमाओं सहित प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में आम जनता को अवगत कराने के लिये बनाया जाता है, पणधारियों से परामर्श करने हेतु पहले ही परामर्श दिया जा रहा चुका है।

(ख) इस प्रकार की कोई सूचना केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार के मंत्रालय/विभाग जनता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अपने कार्यकरण में सुधार करते रहते हैं।

विदेश मंत्री की अफगानिस्तान यात्रा

1125. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी** :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्री ने हाल ही में अफगानिस्तान की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो की गई वार्ता का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या वार्ता में आतंकवाद और अफगानिस्तान में कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान को प्रदान की जा रही सहायता बढ़ाने की घोषणा की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान भारत द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ज) किन-किन क्षेत्रों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 3-4 अप्रैल, 2007 के बीच नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति करजई को आमंत्रित करने के लिए 23-24 जनवरी, 2007 के बीच काबुल की यात्रा की। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति हामिद करजई, वोलेसी जिरगा के अध्यक्ष महोम्मद यूनुस कानूनी, वोलेसी जिरगा के विदेशी संबंधों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष उस्ताद रसूल सय्याफ और विदेश मंत्री रंगीन ददफर स्पान्ता से मुलाकात की। अफगानी नेताओं से मुलाकातों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पक्षों पर चर्चा हुई। यू०एन०डी०पी० और अफगान सरकार के साथ लोक प्रशासन में विकास के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री ने भारतीय सहायता से निर्मित इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान (आई०जी०आई०सी०एच०) के पालीक्लीनिक खण्ड को भी सौंपा। उन्होंने "इंदिरा गांधी रोड" के नाम से इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान के साथ लगी सड़क पर नाम पट्टिका का अनावरण भी किया।

(ग) से (ङ) आतंकवाद और भारतीयों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के उन्मूलन की आवश्यकता पर अपनी सहमति व्यक्त की। भारत सरकार अफगानिस्तान में भारतीय कामगारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के यथासंभव सभी उपाय कर रही है। अफगानिस्तान में स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र वहां कार्यरत

भारतीयों के लाभार्थ नियमित सुरक्षा चेतावनियां और अद्यतन सूचनाएं जारी करते हैं। भारतीय कामगारों से भारतीय राजदूतावास अथवा किसी भी कौंसलावास में अपना नाम दर्ज करवाने को कहा जाता है। उन्हें सुरक्षा में किसी भी प्रकार का खतरा होने का आभास होने पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने और अपने नियोक्ताओं व राजदूतावास/केन्द्र को सूचित करने का अनुदेश दिया गया है। भारत सरकार अफगानिस्तान सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर लगातार संपर्क बनाए हुए है। अफगानिस्तान सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह अफगानिस्तान में स्थित भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

(च) विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान अफगानिस्तान में स्थायित्व, प्रगति और शांति के प्रति भारत की दीर्घावधिक प्रतिबद्धता के भाग के तौर पर भारत ने 100 मिलियन अमरीकी डालर की घोषणा की है। इस अतिरिक्त वचनबद्धता से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की कुल प्रतिबद्ध सहायता राशि 750 मिलियन अमरीकी डालर हो गई है।

(छ) और (ज) वित्तीय वर्ष के दौरान अफगानिस्तान को प्रदत्त भारतीय सहायता 272.25 करोड़ रु० थी और वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए वह 383.00 करोड़ रु० हो गई है। भारत सरकार की सहायता मुख्यत: उन क्षेत्रों के लिए रही है जिनका निर्धारण अफगान सरकार द्वारा विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तौर पर किया गया है। ये क्षेत्र है: निर्माण कृषि, उद्योग, दूरसंचार सूचना और प्रसारण, विद्युत, शहरी विकास, तकनीकी सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य।

श्रमशक्ति को युक्तिसंगत बनाना

1126. **प्रो० एम० रामदास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने संगठन में श्रमशक्ति को युक्ति संगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में विभिन्न स्तरों पर इग्जेक्यूटिव की श्रमशक्ति आवश्यकता के बारे में एक व्यापक अध्ययन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस अध्ययन को कब तक पूरा किया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। जनशक्ति के यौक्तिकीकरण का ब्यौरा निम्नवत है:–

कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारी:

आई०आई०एम०, लखनऊ को निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के लिए वर्ष 2005-06 और आगामी पांच वर्षों के लिए कार्यपालक जनशक्ति आयोजना और विकास प्रक्रिया के अध्ययन का कार्य सौंपा गया है:–

1. भूगर्भीय खनन स्थितियों और अन्य जटिलताओं के संबंध में जटिलता के आधार पर एसी खानों, यूनिटों और क्षेत्रों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करना जिनके लिए उस विशेष खान/यूनिट/क्षेत्र में समुचित स्तर के कार्यपालकों को पर्याप्त संख्या में तैनाती की आवश्यकता हो सकती है।

2. सहायक कंपनियों में खान, यूनिट और क्षेत्र की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा तैयार करना।

3. विभिन्न सांविधिक और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सी०आई०एल० की सभी संस्थापनाओं और इसकी सहायक कम्पनियों में यूनिट स्तर से शीर्ष स्तर तक अपेक्षित ग्रेडों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यपालकों की अधिकतम आवश्यकता का मूल्यांकन करना।

4. प्रत्येक स्तर/ग्रेड में जनशक्ति को दर्शाते हुए विषयवार प्रत्येक कंपनी के लिए कार्यपालक जनशक्ति पिरामिड तैयार करना और उसके बाद प्रत्येक विषय के लिए समग्र रूप से सी०आई०एल० के लिए कार्यपालक पिरामिड तैयार करने हेतु उन्हें सम्मिलित करना।

5. मौजूदा जनशक्ति पिरामिड को नए सिरे से मूल्यांकित पिरामिड पर लगाना।

6. अवरूद्ध कार्यपालकों में असंतोष को समाप्त करने के उपायों का सुझाव देना।

7. मौजूदा पिरामिड को मूल्यांकित पिरामिड में फिट करने के उपाय बताना।

गैर-कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारी:

अन्य बातों के साथ-साथ, कोयला उत्पादन के लिए वार्षिक

कार्य योजना, ओ०बी० रिमूवल, कोयला प्रसंस्करण और प्रेषण, अपनायी गई प्रौद्योगिकी, प्रमुख इनपुट जैसे "हैम" और अवसंरचना का सृजन, उत्पादकता में वृद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष जनशक्ति की आवश्यकता का वास्तविक मूल्यांकन किया जाता है तथा जनशक्ति बजट तैयार किए जाते हैं। क्षेत्र/कंपनी के भीतर पुन: स्थान निर्धारण/पुन:तैनाती, आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण/पुन: प्रशिक्षण, अन्तर-कंपनी स्थानान्तरण, वी०आर०एस० आदि जैसे कुछ उपाय जनशक्ति के युक्तिकरण के लिए अपनाए जाते हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। आई०आई०एम०, लखनऊ जनशक्ति विकास और प्रक्रिया पर व्यापक अध्ययन किया जा रहा है जिसने 7.6.2006 को अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए सी०एम०डी०, सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि० (सी०एम०पी०डी०आई०एल०), रांची की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन सितम्बर, 2006 में किया गया है। रिपोर्ट को तैयार करने में आई०आई०एम० को सुविधा प्रदान हेतु समिति की बैठकें हुई हैं और अन्तरिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

डाक सेवा में श्रमशक्ति की आवश्यकता

1127. **श्री गुरूदास दासगुप्त** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमशक्ति की कमी के कारण देश में डाक सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005 और 2006 में कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या की तुलना में विभिन्न श्रेणियों में डाक कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी है; और

(ग) देश में डाक विभाग के सभी कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 31.3.2005 और 31.3.2006 के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या निम्नानुसार है:–

वर्ष	विवरण	समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'	कुल
31.3.2005	स्वीकृत	751	7959	220475	51829	281014
	वास्तविक	705	2015	200302	43656	246678
31.3.2006	स्वीकृत	791	7958	217636	49579	275964
	वास्तविक	780	3609	187565	42232	234186

सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

बच्चों में एच०आई०वी०/एड्स का फैलना

1128. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश के कुछ भागों में एच०आई०वी०/एड्स से प्रभावित बच्चों की स्थिति जानने के लिए कुछ विशेषज्ञों ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस खतरे से निपटने के लिए उनके द्वारा क्या उपाय सुझाए गए;

(घ) क्या उनके सुझावों के आधार पर सरकार अब तक किसी ठोस निर्णय पर पहुंची है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) जी, हां। यूनिसेफ ने वर्ष 2005 में एच०आई०वी०/एड्स से प्रभावित बच्चों के बारे में एक विचार विमर्श (कन्सलटेशन) का आयोजन किया। एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एच०आई०वी० पॉजिटिव माता-पिता वाले बच्चों के लिए सेवाओं

में रुकावटों की जांच करने हेतु एक अध्ययन शुरू किया जा रहा है।

उपर्युक्त अध्ययन प्रारंभिक अवस्थाओं में है और अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

मातृ मृत्यु दर

1129. डा० के० धनराजू :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हर सात मिनट में शिशु जन्म संबंधी जटिलताओं के कारण एक महिला की मृत्यु हो जाती है जैसा कि दिनांक 11 फरवरी, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूनीसेफ ने बताया है कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में शिशु के जन्म के समय महिलाओं की मृत्यु दर बहुत अधिक है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के समय मूलभूत सुविधाएं प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 के दौरान आज तक शिशु के जन्म के समय महिलाओं की मृत्यु का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (च) जी, हां। भारत के महापंजीयक (आर०जी०आई०) के सरकारी अनुमानों के आधार पर भारत की मातृ-मृत्यु दर 100,000 जीवित जन्मों पर 301 है। (नमूना० पंजी० पद्धति 2001-03)। यह दर लगभग 77,000 मातृ-मौतें प्रतिवर्ष की पूर्णांक संख्या में परिणत कर देती है अथवा अन्य शब्दों में गर्भावस्था और बच्चे के जन्म से संबंधित जटिलताओं के कारण प्रत्येक सात मिनट में एक महिला मरती है।

अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्टों (न०प०प० 2001-03) के अनुसार देश में उच्च मातृ-मृत्यु दर के कारणों में रक्त स्राव-38%, पूतिता 11%, गर्भपात-8%, अवरूद्ध प्रसव-5%, अतिरक्तदाब विकार-5% और अन्य 34% शामिल हैं।

भारत के महापंजीयक द्वारा बड़े राज्यों की यथानुमानित मातृ-मृत्यु-दर (न०पं०प० 1998 और 2001-2003) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार 3 राज्यों की मातृ-मृत्यु-दर मध्य प्रदेश की मातृ-मृत्यु-दर की अपेक्षा अधिक है जो प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 379 है। राज्य-वार और वर्ष-वार मातृ-मौतों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रसव के समय आधारभूत सुविधाओं सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने लिए भारत सरकार ने देश-भर में ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने पर विशेष जोर देते हुए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। यह मिशन मातृ-मृत्यु अनुपात को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 100 तक कम करने के लक्ष्य से सात वर्षों की अवधि अर्थात 2005 से 2012 तक चलेगा। उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012) और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II (2005-2010) के अंतर्गत भारत सरकार निम्नलिखित के कार्यान्वयन के द्वारा सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है:-

- जननी सुरक्षा योजना – गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता देने सहित समुचित रेफरल परिवहन प्रणाली सहित गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के तत्काल बाद की अवधि के दौरान गुणवत्तायुक्त मातृ-परिचर्या प्रदान करके मातृ मृत्यु अनुपात और शिशु-मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की योजना है। यह योजना सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और मान्यता-प्राप्त निजी संस्थाओं में प्रसव करवाने वाली अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को भी कवर करती है।

- 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति/"आशा" स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के समुदाय तक पहुंचाने में सहायता करेगी और प्रसवपूर्व परिचर्या, संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर जांच तथा बच्चों के रोगप्रतिरक्षण के लिए गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करने की विशिष्ट जिम्मेदारी निभाएगी।

– समुदाय और संस्थाओं दोनों में प्रत्येक जन्म के समय कुशल परिचर्या सुनिश्चित करना।

– आपातकालीन प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल इकाइयों के रूप में चलाना।

– अगले पांच वर्षों में 50% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चौबीसों घंटे सेवा प्रदानगी के योग्य बनाना।

– सेवा प्रदानगी में सुधार के लिए उपकेन्द्र में 3 उपयोगार्थ 10,000 रुपए का फ्लेक्सी फंड प्रदान करके उपकेन्द्र का सुदृढ़ीकरण। इस फंड का प्रचालन स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और सहायक नर्स धात्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

– आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार ग्रामीण दिवस एवं पोषण दिवस का आयोजन।

– प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों को क्रियान्वित कराने सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

– आपाती प्रसूति परिचर्या और संदेनाहरण में चिकित्सीय डाक्टरों का प्रशिक्षण।

विवरण

मातृ मृत्यु दर
भारत एवं बड़े राज्य
(स्रोत : आर०बी०आई०, एस०आर०एस०, 1998, 2003)

बड़े राज्य	मातृ मृत्यु दर (1998)	मातृ मृत्यु दर (2003)
1	2	3
भारत	407	301
आंध्र प्रदेश	150	195
असम	409	490
बिहार	452	371*
गुजरात	28	172
हरियाणा	103	162
कर्नाटक	195	228
केरल	198	110
मध्य प्रदेश	498	379*
महाराष्ट्र	135	149
उड़ीसा	367	358
पंजाब	199	178
राजस्थान	670	445
तमिलनाडु	79	134
उत्तर प्रदेश	107	517*
पश्चिम बंगाल	266	194
अन्य		235

*बिहार एवं झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

बी०एस०एन०एल० को सी०वी०सी० का निदेश

1130. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी०वी०सी०) ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) को फिर से निविदाएं निकालने अथवा पिछले वर्ष सितंबर में एच०सी०एल० इन्फोसिस्टम को दिए गए 591 करोड़ रु० के ठेके को रद्द करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय वायु सेना के लिए एक वैकल्पिक संचार नेटवर्क की व्यवस्था की

जा रही है ताकि सिविल उपायोग के लिए स्पेक्ट्रम खाली किया जा सके। भारतीय वायु सेना ने नागरिक उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम खाली करने हेतु बी०एस०एन०एल० द्वारा उनके लिए वैकल्पिक संचार नेटवर्क लगाने के संबंध में कतिपय शर्तें रखी थीं।

भारतीय वायु सेलना की इष्टतम प्रचालनात्मक कौशलता तथा आसान कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने से संबंधित विशेष शर्तों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक नेटवर्क संबंधी निविदा शर्तें तैयार की गई थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप उचित प्रतिस्पर्धा में कतिपय अवरोध उत्पन्न हुए हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, मामले को रक्षा मंत्रालय के विचारार्थ भेज दिया गया है।

केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण

1131. श्री आनंदराव विठोवा अडसूल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक स्वायत्त संगठन के रूप में केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना के क्या उद्देश्य है; और

(ग) भारतीय केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण, (सी०डी०ए०आई०) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी निकाय होगा। इसमें 10 भाग होंगे जो औषधियों से संबंधित विशेष मामले निपटाएंगे। सी०डी०ए०आई० का उद्देश्य लाइसेंस व्यवस्था (लाइसेंसिंग) में एकरूपता लाकर तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों को लागू करके देश में औषधि विनियमन में सुधार लाना एवं उसे अत्यधिक कार्यक्षम बनाना है। सी०डी०ए०आई० की स्थापना को समर्थ बनाने के लिए डी० एण्ड सी० अधिनियम में संशोधन करने के वास्ते वांछित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक को संसद के चालू सत्र में संसद में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इस प्राधिकरण का गठन संसद द्वारा विधेयक पारित करने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को धनराशि का आवंटन

1132. श्री रामदास आठवले : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर कार्यों के विकास हेतु धनराशि का आवंटन प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की है?

पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को नागरिक अवस्थापना तथा खेल अवस्थापना के उन्नयन से संबंधित सौंपे गये कार्य के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने आरंभ में 1314 करोड़ रु० की जरूरत प्रस्तावित की थी जो बाद में संशोधित करके 770 करोड़ रु० कर दी गयी थी। मुख्य सेवाएं जिन पर यह धनराशि खर्च की जानी प्रस्तावित है उनमें-यातायात प्रणाली, सड़क तथा पुलों में सुधार, नागरिक अवस्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, जलापूर्ति तथा मल निकासी सुविधाएं तथा खेल अवस्थापना का उन्नयन शामिल हैं।

(ग) और (घ) एक अंतर-मंत्रालयी समिति जिसके अध्यक्ष सदस्य सचिव, योजना आयोग थे, ने आवश्यकताओं पर विचार किया है तथा उन्होंने सिद्धांत रूप में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के 770 करोड़ रु० के उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वार्षिक योजना 2007-08 के लिए बजट में, इस प्रयोजन के लिए 350 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अपनी निधि में से अवस्थापना पर खर्च

करेगी जो योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजनाओं में शामिल है।

[अनुवाद]

ग्राम स्वास्थ्य गाइड

1133. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की सेवाओं को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जिन ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं उन्हें अन्य ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। श्री पी०के० उमाशंकर, पूर्व निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति जुलाई, 1997 में नियुक्त की गई जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों और ग्राम स्वास्थ्य गाइड संघ के साथ समुचित परामर्श से ग्राम स्वास्थ्य गाइड की समीक्षा करना था। इस समिति ने नवम्बर 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसमें यह कहा गया कि इस स्कीम से कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है और इसे शीघ्र ही बंद किया जाना चाहिए। तद्नुसार, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में यह स्कीम 10वीं योजना अर्थात् दिनांक 31.3.2003 से बंद कर दी गई। तथापि, राज्य सरकारों को यह बताया गया कि वे मौजूदा संशोधित स्कीम को जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि चाहें तो अपनी राज्य योजना में आवश्यक उपबंध का प्रस्ताव कर सकते हैं। राज्यों को उनके अनुरोध के अनुसार बकाया भुगतान कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्त की जा रही मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की स्कीम के अन्तर्गत पात्र ग्राम स्वास्थ्य गाइड्स नियमानुसार सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

रोमिंग प्रभारों में कमी

1134. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री हंसराज गं० अहीर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी०आर० ए०आई०) ने रोमिंग प्रभारों में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेल्युलर सेवा प्रदाता कंपनियां टी०आर०ए०आई० के प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो वे मुख्य बिन्दु क्या हैं जिनके आधार पर सेल्यूलर कंपनियां प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उपभोक्ताओं को नियमित तथा बेहतर मोबाईल सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु टी०आर०ए०आई० द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), ने सभी स्टेक होल्डरों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के पश्चात रोमिंग सेवाओं के लिए लागू प्रशुल्क संबंधी संरचना जिसका निर्धारण पांच वर्ष पहले किया गया था, की समीक्षा करने के लिए औचित्यपूर्ण आधार पाया है।

भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ (सी०ओ०ए०आई०) ने यह बताया था कि ग्राहक प्रशुल्क विश्व में पहले ही सबसे कम है और यह लगातार कम हो रहा है और इसलिए रोमिंग प्रशुल्कों को भी बाजार की शक्तियों पर छोड़ा जाना चाहिए।

लागत के विभिन्न तत्वों, लागतों से संबंधित आंकड़ों, स्टेकहोल्डरों के विचारों, घरेलू नेटवर्कों से की गई कालों से संबंधित प्रचलित प्रशुल्क तथा अन्य संबंधित कारकों के गहन विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने 15 फरवरी 2007 से प्रादेशिक/राष्ट्रीय स्तर के लिए एक संयुक्त अधिकतम प्रभार निर्धारित किया है। सेल्युलर प्रचालकों ने तदनुसार रोमिंग प्रशुल्क को पहले ही संशोधित कर दिया है।

(ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तिमाही निष्पादन रिपोर्टों तथा किसी स्वतंत्र एजेंन्सी के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता एवं ग्राहक की संतुष्टि के सर्वेक्षण के निष्पक्ष आकलन के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करता है। इन लेखा परीक्षाओं और सर्वेक्षण के परिणाम जनता/स्टेक-होल्डरों की जानकारी के लिए विस्तृत रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा, सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों को प्राप्त करने में त्रुटियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

मुम्बई हार्बर ड्रेजिंग पोर्ट

1135. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्हावा शेवा में स्थित मुम्बई हार्बर से ड्रेजिंग पोर्ट बनाने की तैयारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सरकार ने 800 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर, जवाहर लाल नेहरू-पत्तन, शेवा, नवीं में मुंबई में मुंबई-बन्दरगाह-जलमार्ग और जवाहर लाल नेहरू-पत्तन-जलमार्ग को और अधिक गहरा और चौड़ा किए जाने की एक परियोजना अनुमोदित कर दी है। उपर्युक्त परियोजना में, उपर्युक्त पत्तन-जलमार्ग की कायम रखी गई गहराई, चौड़ाई और उसकी लम्बाई बढ़ाने की दृष्टि से निकर्षण किया जाना शामिल है ताकि इस समय 12.5 मीटर के डुबाव की अपेक्षा से युक्त जलयानों की तुलना में ज्वारीय तरंग खिड़की का इस्तेमाल करने वाले 14 मीटर तक के डुबाव की अपेक्षा से युक्त जलयानों को संभाला जाना सुकर और सुसाध्य बनाया जा सके। उपर्युक्त परियोजना, कार्य-आदेश जारी किए जाने की तारीख से 27 महीने की अवधि के भीतर पूरी कर ली जानी नियत है।

पत्तनों का वर्गीकरण

1136. श्री एस० अजय कुमार : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तनों का वर्गीकरण निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) देश में मुख्य पत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कोचीन-पत्तन के वर्गीकरण को 'ख' श्रेणी से बढ़ाकर 'क' श्रेणी में करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कोचीन-पत्तन को 'क' श्रेणी में कब तक बदले जाने की संभावना है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) पत्तनों का वर्गीकरण जारी करने के संबंध में विभिन्न समितियों की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) भारत में 12 महापत्तन हैं, जिनमें से 11 महापत्तन अर्थात् कोलकाता, मुम्बई, जवाहर लाल नेहरू, चेन्नई, विशाखापट्टणम, कांडला, कोचीन, पारादीप, मुरगांव, तूतीकोरिन और नवमंगलूर में अवस्थित पत्तन, महापत्तन-न्यास-अधिनियम, 1963 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इन्नौर-पत्तन, कंपनी-अधिनियम के अंतर्गत एक निगमित उद्यम है और लोक-उद्यम-विभाग के मागदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, उपर्युक्त पत्तन, एक अनुसूची 'ख' सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतनमान के निर्धारण के प्रयोजन से 11 महापत्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है:–

वर्ग-I : कोलकाता, मुम्बई, जवाहर लाल नेहरू, चेन्नई, विशाखापट्टणम और कांडला-पत्तन-न्यास

वर्ग-II : कोचीन, पारादीप, मुरगांव, तूतीकोरिन और नवमंगलूर-पत्तन-न्याम

मौटे तौर पर, इन पत्तन-न्यासों का वर्गीकरण, अनुसूची 'क', अनुसूची 'ख' और अनुसूची 'ग' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से तुलना पर आधारित है।

(ग) से (छ) सरकार ने कोचीन-पत्तन-न्यास सहित महापत्तन-न्यासों के संबंध में, यह जांच-पड़ताल किए जाने के बारे में एक समिति गठित की थी कि क्या मौजूदा वर्गीकरण को जारी रखा जाए, इसकी समीक्षा की जाए या इसे समाप्त कर दिया जाए। उपर्युक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी पत्तन-न्यासों को बराबर समझा जाए

और उनके पदों के धारकों के वेतनमानों, उनकी आपसी वरिष्ठता, प्रोन्नति के अवसरों और पेंशन से संबंधित मुद्दों का वेतन-संशोधन-समिति द्वारा एक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी वर्गीकरण के बिना समाधान कर दिया जाए।

डिब्बा बंद आयुर्वेदिक उत्पाद

1137. **श्री विजय कृष्ण :**
श्री के०जे०एस०पी० रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिका में किए गए अध्ययन में यह पाए जाने पर कि बहुत से ऐसे डिब्बा बंद आयुर्वेदिक उत्पाद की बिक्री की जा रही है जिसमें सीमा, पारा तथा आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं बड़ी मात्रा में मिली हुई हैं, संबंधी रिपोर्टों की जांच करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। कुछ समय पूर्व अनुसंधानकर्ताओं द्वारा बोस्टन क्षेत्र में स्थित किराना दुकानों से एकत्र किए गए कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी औषध योगों में अनुमन्य सीमा से अधिक कुछ भारी धातुओं की मौजूदगी के बारे में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोशिएसन (जामा) में एक अनुसंधान लेख प्रकाशित हुआ था। सरकार ने निर्यात की जाने वाली विशुद्धतः सभी जड़ी-बूटीय आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों में भारी धातुओं के परीक्षण को अनिवार्य करार दिया है। यह व्यवस्था दिनांक 1.2.2006 से प्रभावी है। यह कार्य आयात करने वाले देशों की विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है।

तथापि, कुछ ऐसे जड़ी-बूटी-धातुगत आयुर्वेदिक औषध योग भी हैं जिनमें उनका उपचारात्मक प्रयोजन हेतु व्यापक शोधन एवं अविषाक्तीकरण करने के बाद भी पारे और सीसे जैसे भारी धातुएं रह जाती हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त 8 भस्मों के भौतिक-रसायनिक गुणों और विषाक्तता संबंधी अध्ययन को निष्पादित करने के लिए स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) की विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए एक अनुसंधान परियोजना संस्वीकृत की गई है।

रोगियों का बेहतर उपचार

1138. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रोगियों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने हेतु सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी से एक योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सरकारी एवं प्राइवेट दोनों क्षेत्रों की सहभागिता से सरकार, रोगियों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम शुरू करने पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ जनोन्मुखी (प्रो-पिपुल) सहभागिता की व्यवस्था रखी गई है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में कम वृद्धि दर

1139. **डा० चिन्ता मोहन :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरंतर आर्थिक सुधारों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि जैसे विभिन्न राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद अन्य विकासशील राज्यों की तुलना में कम रह रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राज्यों की वार्षिक वृद्धि में तेजी लाने हेतु आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की दर को संशोधित करने का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2008 से 2011-2012) के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार सभी राज्यों में विकास निष्पादन भिन्न भिन्न हैं, गरीब राज्यों का निष्पादन, जिसकी अवसरंचना गरीब है, काफी धीमी रही है।

(ख) हमारी योजना में संतुलित प्रादेशिक विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसे प्राप्त करने के लिए राजकोषीय पहलें, औद्योगिक नीतियां एवं प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमों को पूर्व में लागू किया गया है। औद्योगिक लाइसेंसिंग जैसी कुछ नीतियां जो आज की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक संगत नहीं है जबसे निवेश को विशेष स्थानों में निदेशित नहीं किया जा सका है। प्रतियोगी विश्व में ऐसे स्थानों में निवेश करना जरूरी है जहां तक आकर्षक निवेश परिस्थिति एवं उन्नत अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं। जब यह निश्चित रूप से सक्षमता का सृजन करती है, ठीक उसी समय वहां प्रादेशिक भिन्नता बढ़ने के संकेत मिले हैं।

(ग) और (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार, ग्यारहवीं योजना एक ऐसे नए दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से नीतियों की पुनर्संरचना के लिए अवसर उपलब्ध कराती है जो तीव्रतर, अधिक विस्तृत-आधार एवं सम्मिलित विकास पर आधारित है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 9% प्रतिवर्ष की वृद्धि का लक्ष्य रखा है तथा इस अवधि के अंत तक लगभग 10% की विकास दर के साथ अर्थव्यवस्था को धारणीयता विकास के मार्ग पर ले जाने का उद्देश्य रखा है। ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में सभी को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा मुहैय्या कराने के साथ ही साथ मूल वास्तविक अवसंरचना में पहुंच को सुनिश्चित करने के द्वारा प्रदेशो में विषमताओं को कम करने का, उल्लेख किया गया है। सामाजिक एवं अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भारत निर्माण सहित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं, नामत: (i) 250 जिलों का कवर कर रहे जिला घटक, और (ii) बिहार एवं उड़ीसा के लिए विशेष योजना। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/जन जाति, वृद्धों आदि के कल्याण के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिक समावेशन को सुनिश्चित करने के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के विकास दर को बढ़ाना है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

1140. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संस्थान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एस०टी०पी०आई०) ने इन्दौर में एक केन्द्र स्थापित किया है, जो वर्ष 2000 से कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल एवं ग्वालियर में दो और नए एस०टी०पी०आई० केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ग्वालियर और जबलपुर में दो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में अभी नए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन संदेशों को बीच में सुना जाना

1141. **श्री उदय सिंह** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन संदेशों को अवैध रूप से बीच में सुने जाने से रोकने हेतु नए दिशा-निर्देश तथा नियम जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने संदेशों की गोपनीयता सुनिश्चित

करने के लिए 07.02.2006 और 13.02.2006 को अनुदेश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

टेलीफोन कंपनियों के लिए :

- संदेश प्राप्त होने के दो घंटों के भीतर सुरक्षा एजेंसियों को पावती-पत्र जारी करना।
- अपने संगठनों में पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक जांच दुरूस्त करना।
- संदेश प्राप्त करने के लिए नामित अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- ऐसे संदेशों को देखने का कार्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को सौंपना।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए :

- टेलीफोन संदेशों को बीच में सुने जाने (इंटरसेप्शन) के लिए अनुदेश केवल नामित अधिकारी जारी करेंगे।
- सुरक्षा एजेंसियों के नामित अधिकारी सेवा प्रदाताओं को पत्र भेजेंगे
- संदेश बीच में सुने जाने के लिए आपातकालीन मामलों में, संदेश बीच में सुने जाने के आदेश जारी करने के सात दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्योत्तर पुष्टि प्रदान करना।

भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 419 क को तदनुसार आशोधित किया गया है।

सेवा क्षेत्र के निष्पादन की निगरानी

1142. **श्री कीरेन रिजीजू :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवा क्षेत्र के निष्पादन की निगरानी हेतु योजना आयोग में एक उच्च स्तरीय समूह गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एक अन्य समूह गठित करने पर भी विचार कर रही है जो कृषि क्षेत्र की धीमी गति की निगरानी कर सकता है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) और (ख) योजना आयोग ने, सेवा क्षेत्रक के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की निगरानी रखने के लिए उच्च स्तरीय समूह बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है तथा नीति उपायों का सुझाव दिया है जो आने वाले वर्षों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए जरूरी है। उच्च स्तरीय समूह समग्र रूप से, योजना आयोग के मार्गदर्शन में कार्य करेगा तथा इसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

(ग) से (ङ) डॉ० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग ने, कृषि क्षेत्र, जिसमें कृषि क्षेत्र का धीमा विकास शामिल है, से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर पहले ही विचार कर लिया है तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना में, कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रकों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें तैयार करने के लिए 12 कार्य दल गठित किए हैं। डॉ० सी०एच० हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि क्षेत्र के धीमे विकास के मुद्दे पर भी विचार करेगी। वर्तमान में, कृषि क्षेत्र के धीमे विकास को मॉनीटर करने के लिए किसी अन्य समूह को गठित करने का कोई प्रस्ताव, योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है।

यू०एस०ओ० ब्रॉडबैंड सेवा का विस्तार

1143. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में यूनिवर्सल सर्विस ओब्लीगेशन (यू०एस०ओ०) का विस्तार करने हेतु क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या कश्मीर घाटी में सुदूर सीमावर्ती गांव यूनिवर्सल सर्विस ओब्लीगेशन (यू०एस०ओ०) के विस्तार हेतु इस श्रेणी में आते हैं।

(ग) यदि हां, तो कश्मीर घाटी के इन दूर-दराज के क्षेत्रों में यूनिवर्सल सर्विस ओब्लीगेशन का विस्तार नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी सीमावर्ती राज्यों में यू०एस०ओ० ब्रॉडबैंड इन्टरनेट सुविधा का विस्तार करने का है: और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद: (क) देश के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तथा सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू०एस०ओ०) का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का अनुसरण किया जाता है:

(i) किसी प्रकार की सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा रहित देश के सभी राजस्व गांवों में नवम्बर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) प्रदान करना। इनमें वे गांव शामिल नहीं हैं जिनकी जनसंख्या 100 से कम है और जो घने जंगलों/नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों, इत्यादि में स्थित हैं।

(ii) मल्टी-एक्सेस रेडियो रिले (एम०ए०आर०आर०) वी०पी०टी० को बदलना।

(iii) जिन गांवों की जनसंख्या 2000 से अधिक है तथा जिनमें कोई सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा (पी०सी०ओ०) उपलब्ध नहीं है, उन गांवों में ग्रामीण सामुदायिक फोन (आर०सी०पी०) उपलब्ध कराना।

(iv) देश के वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य 1685 कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों में मांग पर ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (आर०डी०ई०एल०) का प्रावधान।

(v) देश के जिन विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में फिक्स्ड वायरलेस अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है, उनमें फिक्सड/मोबाइल टर्मिनलों पर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) सेवा सहित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना।

(ख) जी, हां।

(ग) यू०एस०ओ० जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों में लागू है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण जनता को ई-गवर्नेंस और डाटा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार यू०एस०ओ० निधि की सहायता से मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए सृजित अवसंरचना का उपयोग करके चरणबद्ध तरीके से जम्मू-कश्मीर सहित देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित कार्रवाई कर रही है।

डायाबेटिक फूट एम्प्यूटेशन

1144. श्री एम० अप्पादुरई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डायाबेटिक फूट एम्प्यूटेशन के मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में डायाबेटिक फूट एम्प्यूटेशन रोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे एम्प्यूटेशन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) डायबेटिक फूट एम्प्यूटेशन्स की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2005 में प्रकाशित आई०सी०एम०आर० द्वारा मल्टीसेन्ट्रिक अध्ययन के अनुसार डायबेटिक में एम्प्यूटेशन्स की दर में व्यापक वृद्धि हो रही है। फुट में अल्सर के लिए बेयर फुट, चोट, संक्रमण, धूम्रपान, कस्टमाइज्ड फुट वीयर इत्यादि का न्यूनतम उपयोग इत्यादि जैसे विभिन्न कारण हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डायाबेट, कार्डियो वास्कुलर (सी०वी०डी०) एवं स्ट्रोक के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सी०जी०एच०एस० में औषधियों की कमी

1145. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री अनंत कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०जी०एच०एस० औषधालयों में औषधियों की कमी तथा जीवन रक्षक औषधियों की अनियमित आपूर्ति के कारण रोगी समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सी०जी०एच०एस० औषधालयों को आपूर्ति की जाने वाली औषधियों को काला बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो औषधियों की ऐसी कालाबाजारी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सी०जी०एच०एस० औषधालयों को आपूर्ति करने के लिए औषधियों को केन्द्रीय रूप से खरीदा एवं औषधालयों को आपूर्ति किया जाता है। यदि औषधालय के भंडार में कोई विशेष औषधि मौजूद नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसे अगले दिन औषधालय में आपूर्ति करने के लिए नियुक्ति किए गए स्थानीय कैमिस्ट के पास भेजने के लिए अधिकृत है।

(घ) और (ङ) सरकार के समक्ष ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। तथापि, अगस्त, 2006 में दिल्ली पुलिस ने सी०जी०एच०एस० से औषधियों की चोरी के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है।

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट सेवा

1146. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने राष्ट्रीय नेटवर्क में 18 और कस्बों में स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में उन जिला मुख्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां पर वर्तमान में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में सभी ग्रामीण डाकघरों में स्पीड पोस्ट बुकिंग शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में इस सेवा को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 01.01.2007 को राष्ट्रीय नेटवर्क के 18 और नगरों में स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार किया गया है। अठारह केंद्रों द्वारा अर्जित किए जा रहे राजस्व का ब्यौरा संलगन विवरण-I में दिया गया है।

(ग) देश के 17 जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध नहीं है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सेवा को और आकर्षक बनाने के लिए किए गए कतिपय उपाय निम्नानुसार हैं:–

- देश भर में 50 ग्राम तक की स्पीड पोस्ट वस्तुओं को 25/- रु० के दर से भेजने के लिए **स्पीड पोस्ट हेतु एक भारत एक दर** शुरू किया गया।
- **निशुल्क पिक अप** – नियमित ग्राहकों के परिसर से स्पीड पोस्ट वस्तुएं निशुल्क पिक अप की जाती हैं।
- **घर-द्वार तक वितरण** – स्पीड पोस्ट मदों को प्राप्तकर्ता के घर-द्वार तक वितरित किया जाता है।
- **बुकिंग अभी भुगतान बाद में सुविधा** – नियमित ग्राहकों को वस्तुओं को बुकिंग कराते समय भुगतान नहीं करना पड़ता। महीने के अंत में पूरे महीने में हुए लेन-देन का बिल भेज दिया जाएगा।
- **भुगतान वापसी की गारंटी** – पारेषण के समय और वस्तुओं की बुकिंग के दिन से वितरण की गारंटी दी गई है। गारंटीशुदा मानदंडों के अंतर्गत वितरण न कर पाने पर स्पीड पोस्ट शुल्क को वापस करने का प्रावधान है।
- **वितरण संबंधी स्थिति की सूचना** – ग्राहकों के अनुरोध पर वस्तुओं के वितरण की स्थिति के बारे में सूचना दी जाती

है अथवा ग्राहक ट्रैकिंग और वितरण की स्थिति जानने के लिए www.indiapost.gov.in वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

- **वितरण का प्रमाण** – 10/- रु० प्रति वस्तु के भुगतान पर वितरण के प्रमाण की सुविधा उपलब्ध है।
- **बीमा की सुविधा** – 1 लाख रु० तक के मूलय की बीमा सुविधा उपलब्ध है।
- **मात्रा के अधार पर छूट** – नियमित ग्राहकों को मासिक व्यवसाय की मात्रा के आधार पर मात्रा आधारित छूट दी जाती है।
- **24 घंटे बुकिंग सुविधा** – कुछ चुनिंदा मेट्रो शहरों और बड़े नगरों में।
- **प्रचार** – स्पीड पोस्ट को बढ़ावा देने और इसके विपणन पर विशेष ध्यान।

विवरण-I

सर्किल का नाम	क्रम सं०	राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र	2005-राजस्व	2006-राजस्व
आंध्र प्रदेश	1.	अनंतपुर	49,15,601 रु०	66,64,893 रु०
छत्तीसगढ़	2.	रायगढ़	14,24,950 रु०	15,35,895 रु०
	3.	कोरबा	14,14,753 रु०	22,15,408 रु०
	4.	भिलाई	18,48,761 रु०	16,40,920 रु०
गुजरात	5.	वलसाड	17,91,907 रु०	19,20,844 रु०
महाराष्ट्र	6.	जलगांव	34,81,057 रु०	39,65,854 रु०
	7.	वर्द्धा	23,93,450 रु०	29,01,526 रु०
	8.	चंद्रपुर	61,88,448 रु०	68,01,006 रु०
मध्य प्रदेश	9.	गुना	23,14,519 रु०	29,17,570 रु०
	10.	सतना	37,65,078 रु०	46,09,197 रु०
	11.	सेहोर	17,01,252 रु०	22,65,707 रु०
झारखण्ड	12.	बोकारो	23,22,635 रु०	28,43,726 रु०
राजस्थान	13.	पिलानी	24,84,044 रु०	28,79,631 रु०
	14.	बीकानेर	24,84,044 रु०	28,79,631 रु०
पश्चिम बंगाल	15.	मालदा	31,42,157 रु०	25,06,213 रु०
पंजाब	16.	होशियारपुर	57,00,201 रु०	65,56,762 रु०
उत्तरांचल	17.	हरिद्वार	31,97,945 रु०	22,82,106 रु०
	18.	काशीपुर	17,54,105 रु०	15,30,829 रु०

विवरण-II

डाक सर्किल का नाम	राज्य का नाम	जिलों की संख्या जहां स्पीड पोस्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं
1	2	3
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	शून्य
असम	असम	शून्य
बिहार	बिहार	शून्य
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	शून्य
दिल्ली	दिल्ली	शून्य
गुजरात	गुजरात	शून्य
	दीव-दमन एवं सिलवासा	शून्य
हरियाणा	हरियाणा	शून्य
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	01
जम्मू-कश्मीर	जम्मू व कश्मीर	01
झारखण्ड	झारखण्ड	शून्य
कर्नाटक	कर्नाटक	शून्य
लक्षद्वीप	केरल	शून्य
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	शून्य
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	शून्य
	गोवा	शून्य
उत्तर पूर्व	मेघालय	03
	त्रिपुरा	शून्य
	मणिपुर	01
	मिजोरम	शून्य
	अरुणाचल प्रदेश	08
	नागालैंड	03
उड़ीसा	उड़ीसा	शून्य
चंडीगढ़	पंजाब	शून्य
राजस्थान	राजस्थान	शून्य
तमिलनाडु	तमिलनाडु	शून्य
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	शून्य
उत्तरांचल	उत्तरांचल	शून्य
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	शून्य
	सिक्किम	शून्य
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	शून्य
कुल		17

प्रयोक्ता प्रभार वापस लेना

1147. **श्री विजय कृष्णा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'एम्स' आने वाले मरीजों पर लगाए गए प्रयोक्ताप्रभारों को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो वापस लिए गए प्रभारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एम्स की ओ०पी०डी० में आने वाले मरीजों को कैलेण्डर वर्ष के आधार पर जारी किए गए ओ०पी०डी० कार्ड हेतु पैसा देने को कहा जाता है;

(ङ) क्या इस प्रभार में कार्ड की प्रिंटिंग लागत और अन्य प्रभार भी शामिल हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) दिनांक 23.11.2005 में लागू किए गए संगत उपयोगकर्ता अधिभार वापस ले लिए गए हैं तथा यथास्थिति बनाई गई है।

(घ) से (च) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ओ०पी०डी० में आने वाले रोगी को एकबारगी पंजीकरण शुल्क के रूप में 10/- रुपए देने होते हैं जो उसी कलेण्डर वर्ष के लिए वैध होते हैं। यह रोगी के पंजीकरण और नियमित जांच के लिए आवश्यक होता है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन

1148. श्री अजीत जोगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की ग्राम पंचायतों में संस्थापित अधिकांश टेलीफोन सामान्यत: खराब पड़े रहते हैं तथा उनके ठीक होने में महीनों लग जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं ताकि गांवों में संस्थापित टेलीफोनों का समुचित ढंग से कार्य करना सुनिश्चित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) के प्रचालन और रख-रखाव के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू०एस०ओ०एफ०) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०)/अन्य प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के बीच जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनके अनुसार सेवा प्रदाता सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा जैसा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है। निरीक्षण का कार्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है ताकि गांवों में वी०पी०टी० की समुचित संस्थापना और कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त करारों के अनुसार, जो वी०पी०टी० किसी तिमाही में 7 दिन से अधिक समय तक खराब रहते हैं वे यू०एस०ओ०एफ० से पूर्ण आर्थिक सहायता का संवितरण पाने के हकदार नहीं होते हैं और उनकी आर्थिक सहायता को तिमाही के दौरान वी०पी०टी० के खराब रहने के कुल दिनों के लिए आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। यदि कोई वी०पी०टी० किसी तिमाही के दौरान 45 या उससे अधिक दिन तक खराब रहता है तो उस वी०पी०टी० के लिए समूची तिमाही हेतु कोई आर्थिक सहायता नहीं संवितरित की जाती है। जिन वी०पी०टी० में समूची तिमाही के दौरान मीटर रीडिंग/कालों में वृद्धि नहीं दर्ज होती है अथवा भुगतान नहीं करने के कारण उनका कनेक्शन कटा रहता है वे उस तिमाही हेतु आर्थिक सहायता पाने के पात्र नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

केंद्रीय सड़क निधि

1149. श्री अनंत कुमार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को जारी की गई तथा उसके द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ख) उन सड़कों का ब्योरा तथा लंबाई कितनी हे जिनके लिए धनराशि जारी की गई थी;

(ग) वर्ष 20005-06 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत की गई सड़कों तथा उनकी लंबाई का ब्योर क्या है;

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) कर्नाटक में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ङ) ब्योरे क्रमश. संलग्न विवरण-I से V में दिए गए हैं।

विवरण-I

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जारी और प्रयुक्त धनराशि के ब्यौरे

लाख रु०

क्र० सं०	वर्ष	जारी धनराशि	प्रयुक्त धनराशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	2004-05	5331	10519	पिछले वर्ष के अग्रेनीत अनुदान का प्रयोग किया गया

1	2	3	4	5
2.	2005-06	9513	8450	
3.	2006-07 (जनवरी, 2007 के अंत तक)	9665	7451	
	योग	24509	26420	मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है

विवरण-II

सड़कों और लंबाई के ब्यौरे जिनके लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि जारी की गई

क्र० सं०	वर्ष	स्वीकृत कार्यों की सं०			लंबाई (कि०मी०)
		राज्यीय राजमार्ग	मुख्य जिला सड़क	जोड़	
1.	2004-05	15	226	241	1596.935
2.	2005-06	3	137	140	1274.23
3.	2006-07	7	142	149	537.733
	योग			530	3408.898

विवरण-III

वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्मित सड़कों के ब्यौरे

क्र० सं०	जिला	लंबाई (कि०मी०)
1	2	3
1.	बागलकोट	37
2.	बंगलौर (ग्रामीण)	101
3.	बंगलौर (शहरी	21
4.	बेलगाम	44
5.	बेलारी	31
6.	बीदर	21
7.	बीजापुर	100
8.	चामराजनगर	11
9.	चिकमंगलूर	27
10.	चित्रदुर्ग	49
11.	दक्षिण कन्नड़	41
12.	द्रावणगेरे	20
13.	धारवाड़	48
14.	गडग	0
15.	गुलबर्गा	95
16.	हासन	108
17.	हावेरी	4
18.	कोलार	166
19.	कोपल	33
20.	मंडया	44
21.	मैसूर	28
22.	रैचूर	35
23.	सिमोगा	39
24.	तुमकुर	43
25.	उडूपी	72
26.	उत्तर कन्नड़	58

विवरण-IV

वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्मित सड़कों के ब्यौरे

क्र० सं०	जिला	कार्यों की संख्या
1	2	3
1.	बागलकोट	6
2.	बंगलौर (ग्रामीण)	6
3.	बंगलौर (शहरी	4
4.	बेलगाम	10
5.	बेलारी	6
6.	बीदर	3
7.	बीजापुर	7
8.	चामराजनगर	6
9.	चिकमंगलूर	5
10.	चित्रदुर्ग	3
11.	दक्षिण कन्नड़	5
12.	दावणगेरे	3
13.	धारवाड़	5
14.	गडग	3
15.	गुलबर्गा	7
16.	हासन	8
17.	हावेरी	7
18.	कोडगू	4
18.	कोलार	11
19.	कोपल	3
20.	मंडया	9
21.	मैसूर	5
22.	रैचूर	3
23.	सिमोगा	6
24.	तुमकुर	7
25.	उडूपी	3
26.	उत्तर कन्नड़	4

विवरण-V

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई

क्र० सं०	रा०रा० सं०	विवरण	राज्य में कि०मी० लंबाई
1	2	3	4
1.	4	मद्रास-कोलार-बंगलौर-हुबली-बेलगाम-पूना-मुंबई	700
2.	4ए	बेलगाम-खानपुर-अनमोड़-पणजी	84
3.	7	बनारस-नागपुर-हैदराबाद-कुरुनूल-बेगपल्ली-बंगलौर-होसूर-कृष्णागिरी-मदुरै-कन्याकुमारी	128
4.	9	पूना-शोलापुर-हुमनाबाद-हैदराबाद-विजयवाड़ा	75

1	2	3	4
5.	13	शोलापुर-चित्रदुर्ग-चेनागिरी-सिमोगा-तीरथहल्ली-श्रृंगेरी-करकला-मंगलौर	719
6.	17	पनवेल-पणजी-कारवाड़-कुंडापुर-उडूपी-मंगलौर-कन्नानूर-त्रिचूर	300
7.	48	बंगलौर-नीलमंगला-कुनीगल-हासन-सकलेशपुर-मंगलौर	320
8.	63	अंकोला-हुबली-होसपैट-बेल्लारी-गुडी	370
9.	67 (विस्तार)	मेटुपलयम-ऊटी-गुडालूर-गुंडूलुपैट के समीप रारा-212 के साथ जंक्शन	27
10.	206	तुमकुर-सिमोगा-होनावर	365
11.	207	होसूर (रारा-7 पर)-सरजापुर-देवनहल्ली-दोदाबल्लापुर-दोबेशपैट (रारा-4 पर)	122
12.	209	डिंडीगल-पोलासी-कोयम्बतूर-अन्नूर-सत्यमंगलम-चामराजनगर-कोलेगल-बंगलौर	203
13.	212	मैसूर को जोड़ते हुए कोझीकोड के समीप रारा-17 के अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कर्नाटक में कोलेगम के समीप रारा-209 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	150
14.	218	हुबली-बीजापुर-जीवर्गी-हुमनाबाद	415
		योग	3978

परमाणु विद्युत संयंत्रों की नई इकाइयां

1150. **श्री सुभाष महरिया :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की इकाइयों V एवं VI में अनाबंटित कोटे में से 15% रिजर्व क्षमता सहित राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र (आर०ए०पी०एस०) की VII एवं VIII इकाइयों में राजस्थान को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य की इक्विटी भागीदारी से बांसवाड़ा इकाई IX (7000 मेगावाट;) में नई इकाइयां स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) प्रस्तावित इकाइयों पर कितना खर्च आने की संभावना है;

(च) इन इकाइयों को कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है;

(छ) क्या सुविधाएं विद्युत संयंत्रों की इकाइयों सहित कर्मचारी को भी दी गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से उत्पादित विद्युत के आबंटन का निर्णय, परियोजना के पूर्ण होने के निकट पहुंचने पर लिया जाता है। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 7 तथा 8 निर्धारित लक्ष्य अनुसार बारहवीं योजनावधि के अंत तक पूरी होंगी और इसलिए आबंटन के बारे में निर्णय लेना अभी असामयिक है।

जहां तक राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 5 तथा 6 (वर्ष 2007 और 2008 में पूरी होने वाली) के अनाबंटित हिस्से में से राजस्थान

को मिलने वाले बिजली के हिस्से का संबंध है, यह नियत नहीं है क्योंकि बिजली के अनाबंटित हिससे को विद्युत मंत्रालय, समय-समय पर मांग के हिसाब से लाभभोगियों के बीच वितरित करता है।

(ग) सरकार को, राजस्थान में बाँसवाड़ा नामक स्थान पर एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बारे में राजस्थान सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(घ) मौजूदा अंत-स्थलीय स्थलों को पूरी क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से, सरकार ने, रावतभाटा स्थल पर 700 मेगावाट विद्युत क्षमता के दो दाबित भारी पानी रिएक्टर स्थापित करने के लिए सिद्धांतत: अनुमोदन दे दिया है। बाँसवाड़ा स्थल के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) से (ज) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

गोवा में नदियों पर पुल

1151. **श्री अलीमाऊ चर्चिल :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के साथ तालपोना नदी तथा गलगोबागा नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक शुरू किए जाने तथा पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के महाराष्ट्र/गोवा सीमा से कर्नाटक/गोवा सीमा खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III ख के अंतर्गत सुधार के लिए अभिनिर्धारित किया है। तालपोना नदी तथा गलगोबागा नदियों पर पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर पड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और यह कार्य उचित समय पर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का दौरा

1152. **श्री के०जे०एस०पी० रेड्डी :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में किसी पिछड़े क्षेत्र का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितने अनुदान की घोषणा की गई है;

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई तथा इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या प्रधान मंत्री का चालू वर्ष के दौरान और अधिक पिछड़े क्षेत्रों का दौरा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी, 2007 को असम में बारपेट्टा में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) कार्यक्रम शुरू किया है। बी०आर०जी०एफ० को विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में 27 राज्यों के 250 जिले सम्मिलित है। विद्यमान राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर०एस०वी०वाई०) को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में विलयित कर दिया गया है। बी०आर०जी०एफ० के तहत आमेलित जिलों की एक राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

बी०आर०जी०एफ० के तहत प्रत्येक जिला प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए का कम से कम विकास अनुदान प्राप्त करने का हकदार है। इस कार्यक्रम के तहत शेष आबंटन की 50 प्रतिशत राशि का आबंटन कुछ जनसंख्या में प्रत्येक जिले की जनसंख्या तथा क्षेत्र तथा पिछड़े जिलों की कुल जनसंख्या तथा क्षेत्र के हिस्से के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक राज्य एक करोड़ प्रति जिले की दर पर परिकलित एक क्षमता निर्माण निधि प्राप्त करेगा। आर०एस०बी०वाई० के तहत पूर्व आमेलित जिले अपने कुल आबंटन के 45 करोड़ रुपए बी०आर०जी०एफ० में अंतरित, होने से पूर्व प्राप्त करेंगे। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक राज्य को निर्मुक्त की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II (क) और (ख) में देखे जा सकते हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान में चालू वर्ष के दौरान अन्य पिछड़े क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के दौरे का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष-जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. अदिलाबाद
2. अनन्तपुर
3. चित्तूर
4. कुड्डप्पा
5. करीमनगर
6. खम्माम
7. महबूब नगर
8. मेडक
9. नालगोंडा
10. निजामाबाद
11. रंगारेड्डी
12. विजयनगरम
13. वारंगल

अरूणाचल प्रदेश

अपर सुवनश्री

असम

1. बारपेटा
2. बोंगईगांव
3. कचार
4. धेमाजी
5. गोलपारा
6. हैलाकंडी
7. कारवी आगलोंग
8. कोकराझार
9. मारीगांव
10. उत्तरी लखमीपुर (लक्षा)
11. उत्तरी कचार हिल्स

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बेगूसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुई
12. जहानाबाद
13. कैमूर/भभुआ
14. कटिहार
15. किशनगंज
16. खगड़िया
17. लक्खीसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुज्जफरपुर
22. नालन्दा
23. नवादा
24. पटना
25. पश्चिम चंपारण
26. पूर्वी चंपारण
27. पूर्णिया
28. रोहतास
29. सहरसा
30. समस्तीपुर
31. सारण
32. शेखपुरा
33. शिवहर
34. सीतामढ़ी
35. सुपौल
36. वैशाली

छत्तीसगढ़

1. बस्तर
2. विलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतरी
5. जसपुर
6. कांकेर
7. कवर्धा
8. कोरबा
9. कोरिया
10. महसमुंड
11. रायगढ़
12. राजनांदगांव
13. सरगुजा

गुजरात

1. बनस्कनथा
2. डांग्स
3. दाहोड
4. नर्मदा
5. पंचमहल
6. साबरकंथा

हरियाणा

1. मोहिंदरगढ़
2. सिरसा

हिमाचल प्रदेश

1. चंबा
2. सिरमौर

जम्मू और कश्मीर

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. पूंछ

झारखंड

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवघर

4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरिडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हजारीबाग
11. जामतारा
12. कोडरमा
13. लातेहार
14. लोहरदग्गा
15. पश्चिम सिंहभूम
16. पाकुड़
17. पलामू
18. रांची
19. साहिबगंज
20. सरायकेला
21. सिमडेगा

कर्नाटक

1. बीदर
2. चित्रदुर्ग
3. देवनगिरि
4. गुलबर्गा
5. रायचुर

केरल

1. पालक्कड

2. वनाड

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बरवानी
3. बेतुल
4. छतरपुर
5. दमोह
6. धार
7. दिनदोरी
8. गुना
9. झाबुआ
10. कांटी
11. खंडवा
12. मंडला
13. पन्ना
14. राजगढ़
15. रीवा
16. सतना
17. सिनोई
18. शहडोल
19. शिवपुर
20. शिवपुरी
21. सिद्धी
22. टिकमगढ़
23. उमरिया
24. पश्चिम निमर

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर
2. अमरावती
3. औरंगाबाद
4. भांडरा
5. चंद्रपुर
6. धुले
7. गदचिरोली
8. गोंदिया
9. हिंगोली
10. नादेंड
11. नंडरवार
12. यवतमाल

मणिपुर

1. चंदेल
2. चुरचंद्रपुर
3. तमेंलांग

मेघालय

1. रि भोई
2. दक्षिण गारो हिल्लस
3. पश्चिम गारो हिल्लस

मिजोरम

1. लवंगतलाय
2. स्याहा

नागालैंड

1. मोन

2. तुयेनसांग
3. वोरखा

उड़ीसा

1. बोलांगिर
2. बौध
3. देवागढ़
4. धेंकनाल
5. गाजापट्टी
6. गंजाम
7. झरसुगुड्डा
8. कालाहांडी
9. क्योंझर
10. कोरापुट
11. मलकानगिरी
12. मयूरभंज
13. नवरंगपुर
14. नुआपाडा
15. फूलवानी
16. रायगढ़
17. संबलपुर
18. सोनपुर
19. सुंदरगढ़

पंजाब

1. होशियारपुर

राजस्थान

1. वंशवारा

2. वारमेर
3. चितौड़गढ़
4. डुंगरपुर
5. जैसलमेर
6. जालौर
7. झलवर
8. करोली
9. सवाई माधोपुर
10. सिरोही
11. टोंक
12. उदयपुर

सिक्किम

1. उत्तर सिक्किम

तमिलनाडु

1. कुड्डलौर
2. डिंडिगुल
3. नागपट्टनम्
4. शिवगंगी
5. त्रिवनमल्ली
6. विल्लुपुरम

त्रिपुरा

1. धल्लाई

उत्तर प्रदेश

1. अंबेदकर नगर
2. आजमगढ़
3. बहराइच
4. बलरामपुर
5. बांदा
6. बाराबंकी
7. बस्ती
8. बदायूं
9. चंदौली
10. चित्रकूट
11. एटा
12. फरुखाबाद
13. फतेहपुर
14. गोंडा
15. गोरखपुर
16. हमीरपुर
17. हरदोई
18. जालौन
19. जौनपुर
20. कौशांबी
21. कुशीनगर
22. लखिमपुर खीरी
23. ललितपुर
24. महराजगंज
25. महोवा
26. मिर्जापुर
27. प्रतापगढ़
28. रायबरेली
29. संत कबीर नगर
30. सरावस्ती
31. सिद्धार्थ नगर
32. सीतापुर
33. सोनभद्र
34. उन्नाव

उत्तरांचल

1. चमोली
2. चंपावत
3. टिहरी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल

1. बांकुरा
2. बीरभूमि
3. दक्षिण दिनाजपुर
4. जलपाईगुड़ी
5. मालदा
6. मिदनापुर (पूरब)
7. मिदनापुर (पश्चिम)
8. मुर्शिदाबाद
9. पुरूलिया
10. 24 परगणना दक्षिण
11. उत्तर दिनाजपुर

विवरण-II-(क)

पिछड़ा क्षेत्र पहल-आर०एस०वी०वाई० जिलों के लिए जारी निधि

5.3.2007 की स्थिति (करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/जिला	जारी की जाने वाली कुल राशि	2003-04 में जारी की गई राशि	2004-05 में जारी की गई राशि	2005-06 में जारी की गई राशि	2006-07 में जारी की गई राशि	कुल जारी की गई राशि	राज्य सरकारों द्वारा बताया गया कुल संचयी व्यय	प्राप्त समुपयोजन प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**आंध्र प्रदेश (10)**								
	अलिदाबाद	45.00	12.50	2.50	7.50	7.50	30.00	19.50	19.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वारंगल	45.00	12.50	2.50	7.50	7.50	37.50	27.10	27.10
	चित्तूर	45.00	12.50	10.00	7.50	7.50	15.00	7.50	7.50
	करीम नगर	45.00	5.00	2.50	7.50	7.50	30.00	21.11	21.11
	खम्माम	45.00	5.00	10.00		7.50	22.50	13.54	13.54
	निजामाबाद	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	22.50	16.93	14.58
	नालगोंडा	45.00		7.50		7.50	15.00	7.55	7.55
	महबूबनगर	45.00		7.50		7.50	15.00	7.62	7.62
	विजयनगरम्	45.00		7.50		7.50	15.00	7.54	7.54
	मेडक	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.37	12.37
	योग	450.00	40.00	72.50	37.50	75.00	225.00	140.76	138.41
2	गुजरात (3)								
	डंग्स	45.00	12.50	100.00	7.50	7.50	37.50	27.87	23.06
	दाहोड	45.00	5.00	2.50	7.50	7.50	22.50	12.06	12.06
	पंचमहल	45.00		7.50		7.50	15.00	5.54	4.55
	योग	135.00	17.50	20.00	15.00	22.50	75.00	45.47	39.67
3	हरियाणा (1)								
	सिरसा	45.00	0.00	7.50	15.00	22.50	45.00	34.53	28.38
4	कर्नाटक (4)								
	गुलबर्गा	45.00	7.50	7.50		7.50	22.50	13.68	11.66
	बीदर	45.00	5.00	2.50	7.50	7.50	22.50	13.56	13.56
	चित्रदुर्ग	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	13.78	13.66
	देवनगिरि	45.00		7.50		7.50	15.00	13.62	13.62
	योग	180.00	12.50	25.00	15.00	30.00	82.50	54.64	52.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	केरल (2)								
	पलक्कड	45.00	15.00	7.50	15.00	7.50	45.00	36.51	36.00
	वनाड	45.00	5.00	10.00		7.50	22.50	12.59	
	योग	90.00	20.00	17.50	15.00	15.00	67.50	49.10	36.00
6	मध्य प्रदेश (10)								
	मंडला	45.00	7.50	7.50	15.00	15.00	45.00	34.66	34.55
	बरवानी	45.00	7.50	15.00	15.00	7.50	45.00	37.50	22.58
	खरगांव	45.00	7.50	15.00	15.00	7.50	45.00	36.61	29.86
	शाहडोल	45.00		22.50	15.00	7.50	45.00	37.45	27.27
	सतना	45.00		15.00	15.00	15.00	45.00	34.99	32.18
	सिद्धी	45.00		15.00	15.00	15.00	45.00	35.42	35.42
	उमरिया	45.00		15.00	15.00	15.00	45.00	34.90	34.90
	बालाघाट	45.00		15.00	15.00	15.00	45.00	34.52	34.52
	सिनोई	45.00		15.00	15.00	15.00	45.00	34.53	34.53
	दिनदोरी	45.00		7.50	15.00	15.00	37.50	28.97	28.97
	योग	450.00	22.50	142.50	150.00	127.50	442.50	349.55	314.78
7	महाराष्ट्र (9)								
	गदचिरोली	45.00	7.50	7.50		15.00	30.00	20.64	20.64
	भांडरा	45.00	7.50	7.50	7.50		22.50	15.37	6.76
	चंद्रपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	13.62	13.62
	गोंदिया	45.00		7.50	15.00	7.50	30.00	14.99	10.53
	धुले	45.00		7.50		7.50	15.00	6.49	4.56
	नादेंड़	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	21.91	21.91
	नंडरबार	45.00		7.50	7.50		15.00	10.53	10.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हिंगोली	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.20	14.16
	अहमदनगर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.20	12.20
	योग	405.00	15.00	67.50	60.00	67.50	210.00	127.95	114.91
8	राजस्थान (3)								
	डुंगरपुर	45.00	15.00	15.00	15.00		45.00	34.86	34.86
	बंशवारा	45.00	15.00	15.00	15.00		45.00	34.53	34.53
	झलवर	45.00	5.00	17.50	7.50	15.00	45.00	35.60	28.73
	योग	135.00	35.00	47.50	37.50	15.00	135.00	104.99	98.12
9	तमिलनाडु (5)								
	त्रिवनमल्ली	45.00	15.00	15.00	15.00		45.00	36.00	36.00
	डिंडिगुल	45.00	5.00	17.50	15.00	7.50	45.00	35.27	35.27
	कुड्डलौर	45.00		15.00	15.00		30.00	27.26	27.26
	नागापट्टनम्	45.00		15.00	15.00		30.00	19.84	15.00
	शिवगंगी	45.00		15.00	15.00	7.50	37.50	27.71	27.71
	योग	225.00	20.00	77.50	75.00	15.00	187.50	146.08	141.24
10	उत्तर प्रदेश (21)								
	सीतापुर	45.00	7.50	7.50	15.00	7.50	37.50	27.27	27.27
	उन्नाव	45.00	7.50		7.50	15.00	30.00	27.15	22.64
	रायबरेली	45.00	7.50	7.50	7.50	15.00	37.50	27.04	27.04
	सोनभद्र	45.00	7.50	7.50	15.00	15.00	45.00	34.80	28.55
	हरदोई	45.00	7.50	7.50	7.50	15.00	37.50	19.62	10.67
	बाराबंकी	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	30.00	19.50	18.00
	फतेहपुर	45.00	5.00	10.00	15.00	7.50	37.50	27.68	22.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बांदा	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	30.00	19.60	19.60
	चित्रकूट	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	30.00	20.02	20.02
	मिरजापुर	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	30.00	19.50	15.54
	गोरखपुर	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	19.53	19.53
	आजमगढ़	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	14.06	14.06
	कुशीनगर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	11.69	11.69
	जौनपुर	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	20.59	20.59
	चंदौली	45.00		7.50	7.50	22.50	37.50	27.03	27.03
	कौशांबी	45.00		7.50	15.00	15.00	37.50	27.06	25.32
	हमीरपुर	45.00		7.50	7.50	22.50	37.50	27.05	22.43
	महोबा	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	19.50	19.50
	ललितपुर	45.00		7.50	15.00	7.50	30.00	20.26	13.70
	प्रतापगढ़	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	13.67	13.67
	जालौन	45.00		7.50	15.00	7.50	30.00	19.67	14.72
	योग	945.00	62.50	162.50	202.50	247.50	675.00	462.28	414.27
11	पश्चिम बंगाल (8)								
	पुरूलिया	45.00	12.50	2.50	7.50	7.50	30.00	20.26	20.26
	जलपाईगुड़ी	45.00	12.50	2.50	7.50	7.50	30.00	20.78	20.78
	24 परगणा दक्षिण	45.00	5.00	10.00		7.50	22.50	12.08	10.86
	मिदनापुर दक्षिण	45.00	5.00	10.00		7.50	22.50	12.29	12.29
	उत्तर दिनाजपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	13.45	13.45
	दक्षिण दिनाजपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.32	12.32
	बांकुरा	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	15.00	15.00
	बीरभूमि	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	14.71	13.46
	योग	360.00	35.00	55.00	45.00	60.00	195.00	120.89	118.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	छत्तीसगढ़ (8)								
	दांतेवाड़ा	45.00	15.00	7.50	7.50	7.50	37.50	30.37	25.21
	बस्तर	45.00	15.00	7.50	7.50	7.50	37.50	27.26	27.26
	कवर्धा	45.00	5.00	2.50	15.00	7.50	30.00	19.69	19.69
	राजनांदगांव	45.00	5.00	10.00		15.00	30.00	19.97	20.79
	जसपुर	45.00		7.50	15.00	7.50	30.00	21.28	19.81
	विलासपुर	45.00		7.50	15.00	7.50	30.00	22.88	22.50
	कांकेर	45.00		7.50	15.00	22.50	45.00	35.27	35.27
	सरगुजा	45.00		7.50	15.00	15.00	37.50	27.41	27.41
	योग	360.00	40.00	57.50	90.00	90.00	277.50	204.13	197.94
13	बिहार (21)								
	जहानाबाद	45.00		7.50		7.50	15.00	12.02	6.29
	कैमूर	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	19.64	
	गया	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	21.01	21.01
	रोहतास	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	21.24	21.24
	औरंगाबाद	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	19.75	
	दरभंगा	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	19.54	19.54
	मधुबनी	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	20.71	14.80
	मुज्जफरपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	20.25	
	नालन्दा	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	19.53	
	समस्तीपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	19.57	19.57
	पटना	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	21.57	21.57
	भोजपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	19.68	13.17
	वैशाली	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	19.56	19.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	शिवहर	45.00		7.50	7.50	0.00	15.00	12.41	
	कटिहार	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	19.51	19.51
	नवादा	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	21.36	19.49
	पूर्णिया	45.00		7.50		7.50	15.00	19.55	19.55
	लक्खीसराय	45.00		7.50		15.00	22.50	20.18	20.18
	सुपौल	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	19.76	19.76
	अररिया	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.07	
	जमुई	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	19.58	5.66
	योग	945.00	0.00	157.50	135.00	210.00	502.50	398.22	260.89
14	झारखंड (16)								
	सिमडेगा	45.00	7.50	15.00		22.50	45.00	34.85	34.85
	गुमला	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50	45.00	34.79	34.79
	लोहरदग्गा	45.00	7.50	7.50	15.00	15.00	45.00	35.04	35.04
	पलामू	45.00	5.00	2.50	15.00	22.50	45.00	34.60	34.60
	लातेहार	45.00	5.00	10.00	15.00	7.50	37.50	19.65	15.71
	बोकारो	45.00	5.00	2.50	7.50	15.00	30.00	19.56	14.99
	चतरा	45.00		7.50	15.50	15.00	37.50	27.82	27.82
	कोडरमा	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	19.51	19.51
	रांची	45.00		7.50	15.00	15.00	37.50	27.30	27.30
	धनबाद	45.00		7.50	7.50	22.50	37.50	27.14	27.14
	हजारीबाग	45.00		7.50	7.50	22.50	37.50	27.17	27.17
	गोड्डा	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	20.09	20.09
	गढ़वा	45.00		7.50	7.50	22.50	37.50	22.12	22.12
	गिरिडीह	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.15	12.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सरायकेला	45.00		7.50	7.50	30.00	45.00	34.63	34.63
	पश्चिम सिंहभूम	45.00		7.50		22.50	30.00	19.55	19.55
	योग	720.00	37.50	120.00	142.50	292.50	592.50	415.97	407.46
15	उड़ीसा (5)								
	मयूरभंज	45.00	5.00	1.00	7.50	15.00	37.50	27.14	21.72
	गंजाम	45.00	5.00	10.00	15.00	7.50	37.50	28.85	20.07
	गाजापट्टी	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	15.56	6.09
	क्योंझर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.87	9.50
	सुंदरगढ़	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	19.11	13.38
	योग	225.00	10.00	42.50	45.00	45.00	142.50	103.53	70.76
16	पंजाब (1)								
	होशियारपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	16.31	14.21
17.	अरुणाचल प्रदेश (1)								
	अपर सुवनश्री	45.00		7.50	7.50	0.00	15.00	7.50	6.40
18	असम (5)								
	कोकराझार	45.00	5.00	2.50		15.00	22.50	14.44	14.35
	उत्तरी लखीमपुर/लक्षा	45.00	5.00	2.50	7.50	7.50	22.50	12.47	12.47
	धेमाजी	45.00		7.50		7.50	15.00		
	उत्तरी कचार हिल्स	45.00		7.50		15.00	22.50	6.21	
	कारवी आगलोंग	45.00		7.50		7.50	15.00	7.50	7.50
	योग	225.00	10.00	27.50	7.50	52.50	97.50	40.62	34.32
19	हिमाचल प्रदेश (2)								
	चंबा	45.00	5.00	10.00	7.50	15.00	37.50	28.38	28.38
	सिरमौर	45.00		15.00	7.50	15.00	37.50	27.03	27.03
	योग	90.00	5.00	25.00	15.00	30.00	75.00	55.41	55.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	जम्मू और कश्मीर (3)								
	डोडा	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	30.00	20.03	20.03
	कुपवाड़ा	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	13.69	13.69
	पूंछ	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.94	12.94
	योग	135.00	5.00	25.00	22.50	22.50	75.00	46.66	46.66
21	मणिपुर (1)								
	तमेंलांग	45.00	7.50	7.50	15.00	7.50	37.50	27.45	27.45
22	मेघालय (1)								
	पश्चिम गारो हिल्स	45.00		7.50		7.50	15.00	7.50	
23	मिजोरम (1)								
	लवंगतलाय	45.00		7.50	7.50	15.00	30.00	22.50	22.50
24.	नागालैंड (1)								
	मोन	45.00		15.00	7.50	15.00	37.50	30.00	30.00
25	त्रिपुरा (1)								
	धल्लाई	45.00	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	20.87	20.87
26	उत्तरांचल (3)								
	चंपावत	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.00	12.00
	चमोली	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.21	12.21
	टिहरी गढ़वाल	45.00		7.50	7.50	7.50	22.50	12.09	12.09
	योग	135.00	0.00	22.50	22.50	22.50	67.50	36.30	36.30
27.	सिक्किम (1)	45.00		7.50	7.50	22.50	37.50	32.69	25.88
28	नाबार्ड	9.30		1.08	3.24	1.65	5.97		
	योग	6624.30	402.50	1241.08	1210.74	1546.65	4400.97	3101.90	2753.75

विवरण-II-(ख)

बी०आर०जी०एफ० के तहत राज्यों के लिए क्षमता निर्माण हेतु जारी निधि

क्र० सं०	राज्य	जिलों की संख्या	कुल पात्रता	2006-07 (करोड़ रुपए में)
1.	सिक्किम	1	1 करोड़	0.9492
2.	पश्चिम बंगाल	11	11 करोड़	10.5
	योग			11.4492

राष्ट्रीय राजमार्ग-60 पर पुलों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

1153. श्री सुनील खां : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के अमरकानन तथा डांग मेजिया तथा तारापुर के निकट साल पुल के तीन पुल जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) ये तीनों पुल एक लेन चौड़ाई के संयुक्त ढांचे हैं। अभी विगत में डैक-स्लेब में कुछ क्षति हुई है जिसकी शीघ्र मरम्मत कर दी गई है अब ये सभी यातायात योग्य स्थिति में है। इन तीनों पुलों का पुनर्निर्माण कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में शुरू किया जाएगा।

युवक संयोजकों के रिक्त पद

1154. श्री सी०एच० विजयशंकर : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवा केन्द्रों में युवक संयोजकों तथा अन्य काडरों के कई पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या युवक संयोजकों की नियुक्ति नहीं किए जाने से युवक कार्यक्रमों का प्रबंधन अप्रभावी हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (च) नेहरू युवा संगठन (एन०वाई०के०एस०) में, युवा समन्वयकों के 311 पदों सहित, 808 स्वीकृत पदों की तुलना में, वर्तमान में, नेहरू युवा केन्द्र संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 2208 है। वर्तमान में, अतिरिक्त पदों को तर्कसंगत बनाने और नियमन करने की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने के लिए विचाराधीन है। इस समय राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना और राष्ट्रीय सद्भावना योजना के अंतर्गत, युवा क्लबों और स्वयंसेवकों को सम्मलित करने के साथ, जो भी आवश्यक हो, उन्हें अतिरिक्त कार्यप्रभार देकर, युवा समन्वयकों के माध्यम से नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जाना

1155. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों विशेष रूप से राजस्थान में 'सिंगल लेन चौड़ाई' तथा 'इंटरमीडिएट लेन चौड़ाई' वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की इन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79, चित्तौड़गढ़ से नीमच तक चार लेन का किए जाने योग्य है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस परियोजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(च) उक्त परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में एकल लेन और माध्यम लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे यातायात की मात्रा, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के चित्तौड़गढ़ से नीमच के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के खंड को चार लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	एकल लेन और मध्यम लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई (कि०मी०)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	300
2.	आंध्र प्रदेश	356
3.	अरुणाचल प्रदेश	340
4.	असम	779
5.	बिहार	1952
6.	छत्तीसगढ़	773
7.	गोवा	96
8.	गुजरात	228
9.	हरियाणा	327
10.	हिमाचल प्रदेश	847
11.	जम्मू-कश्मीर	792
12.	झारखंड	941
13.	कर्नाटक	610
14.	केरल	290
15.	मध्य प्रदेश	1426
16.	महाराष्ट्र	268
17.	मणिपुर	510
18.	मेघालय	444
19.	मिजोरम	784
20.	नागालैंड	379
21.	उड़ीसा	1700
22.	पंजाब	55
23.	राजस्थान	1538
24.	सिक्किम	62
25.	तमिलनाडु	104
26.	त्रिपुरा	333
27.	उत्तर प्रदेश	2253
28.	उत्तराखंड	1510
29.	पश्चिम बंगाल	623

डॉल्फिन/सेल्युलर सेवा

1156. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉल्फिन/सेल्युलर सेवा के उपभोक्ता विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने मोबाइल फोन को ऑपरेट करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डॉल्फिन/सेल्युलर सेवा उपभोक्ताओं के लिए किन्हीं विशिष्ट कठिनाईयों की सूचना नहीं मिली है। तथापि, नेटवर्क में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और बेहतर कवरेज के लिए समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:–

(i) 2007-08 में 146 बेस ट्रांसीवर स्टेशन चालू किए जाने की योजना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 4 नगरों में छह इंडोर समाधान कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा कवरेज में सुधार लाने के लिए 2007-08 में 20 इंडोर समाधान चालू किए जाने की योजना है।

(ii) प्रणाली की श्रेष्ठ प्रचालनात्मक दशाओं में कायम रखने के लिए सतत आधार पर नेटवर्क का अधिकतम उपयोग किया जाता है।

(iii) एम०टी०एन०एल० अपने मोबाइल उपभोक्ताओं को अनेक मूल्यवर्द्धित सेवाओं की भी पेशकश कर रहा है। बदले हुए परिदृश्य में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नयी बिलिंग प्रणाली चालू की गई है।

यकृत तथा गुर्दा प्रत्यारोपण सुविधाएं

1157. **श्री कैलाश मेघवाल :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न अस्पतालों में मानव यकृत तथा गुर्दा प्रत्यारोपण शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से संस्थान/अस्पताल हैं जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) उक्त शल्यक्रिया में अनुमानत: कितनी लागत आती है;

(घ) प्रत्यारोपण शल्यक्रिया के लिए मरीजों को यकृत तथा गुर्दा किस प्रकार उपलब्ध कराया जाता है;

(ङ) क्या सरकार उक्त शल्यक्रिया के लिए मरीजों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) संघ क्षेत्रों में जिगर और गुर्दे के प्रत्यारोपण संबंधी शल्य चिकित्सा के लिए पंजीकृत किए गए अस्पतालों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। संबंधित राज्यों में विभिन्न समुचित प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों में मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अस्पतालों को पंजीकृत किया जाता है। तथापि, भारत सरकार इस सूचना को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखती है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार निजी क्षेत्रों में जिगर प्रत्यारोपण की शल्य चिकित्सा पर होने वाले खर्च की धनराशि लगभग 15-20 लाख रुपए है जबकि इस क्षेत्र में गुर्दे के प्रत्यारोपण की लागत लगभग 2-3 लाख रुपए है। सरकारी क्षेत्र में उपर्युक्त शल्य चिकित्सा की लागत में रियायत दी जाती है, अत: सरकारी क्षेत्र में इस पर आने वाली लागत निजी क्षेत्र की अपेक्षा कम है।

(घ) प्रत्यारोपण के लिए दो प्रकार के दाता हैं अर्थात (i) जीवित दाता (संबंधित अथवा असंबंधित) (ii) मृत दाता। प्रत्यारोपण की क्रिया-विधि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और नियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित की गई है।

(ङ) और (च) गरीब और जरूरत मंद रोगी कतिपय शर्तें पूरी करने की शर्त पर किसी अन्य बीमारी के समान ही राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार किसी सरकारी अस्पताल में जीवन को खतरे में डालने वाले विभिन्न रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से वित्तीय सहायता मांग सकते हैं।

विवरण

गुर्दे और जिगर के प्रत्यारोपण के लिए टी०एच०ओ०ए० 1994 के तहत पंजीकृत अस्पतालों की सूची

1.	निदेशक स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़	गुर्दा
2.	कमान्डेंट, आर्मी (आर० एण्ड आर०) अस्पताल दिल्ली छावनी दिल्ली-110010	जिगर/गुर्दा

3. चिकित्सा अधीक्षक — गुर्दा
बत्रा अस्पताल एण्ड चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र
तुगलकाबाद,
नई दिल्ली-110062

4. चिकित्सा निदेशक — जिगर/गुर्दा
सर गंगा राम अस्पताल
सर गंगा राम मार्ग
नई दिल्ली-110060

5. निदेशक — जिगर/गुर्दा
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारी नगर
नई दिल्ली-110029

6. चिकित्सा अधीक्षक — गुर्दा
पुष्पावती सिंघानिया अनुसंधान संस्थान
प्रैस एन्कलेव मार्ग, शेख सराय चरण-II
नई दिलली-110017

7. निदेशक — जिगर/गुर्दा
सेंट स्टीफन अस्पताल
तीस हजारी
दिल्ली-110054

8. उप प्रबंधक — जिगर/गुर्दा
आई०पी० अपोलो अस्पताल
सरीता विहार दिल्ली मथुरा रोड
नई दिल्ली-110044

9. चिकित्सा अधीक्षक
जयपुर गोल्डन अस्पताल
2-3 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-3
रोहिणी
नई दिल्ली-110085

10. चिकित्सा अधीक्षक — गुदा
राजकीय जनरल अस्पताल सं० 1
विक्टर साइमन स्ट्रीट, पांडिचेरी-605076

11. निदेशक — जिगर
जी०पी० पंत अस्पताल
नई दिल्ली-110002

12. चिकित्सा निदेशक — गुर्दा
फोर्टीज फ्लाइड लेफिटनेंट राजन धाल अस्पताल,
सेक्टर-बी, पाकेट-1, अरूण आसफ अली मार्ग
वसन्त कुंज
नई दिल्ली-110070

[हिन्दी]

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट

1158. **श्री हंसराज गं० अहीर :**
श्री के०सी० पल्लानी शामी :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नवम्बर प्लेटों को लागू करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाई सिक्योरिटी नवम्बर प्लेटों को लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटों को लागू करने के लिए स्कीम को कार्यान्वित करना पूर्णत: संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(घ) यह स्कीम नए वाहनों के संबंध में 31.10.2006 तक और प्रयोगरत वाहनों के संबंध में उसके बाद दो वर्ष के अंदर लागू की जानी थी।

यूरेनियम की खोज

1159. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विदेशों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य यूरेनियम भंडार का शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु उपयोग करने के लिए अधिग्रहण करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) इस संबंध में अभी तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर के मद्दे नज़र ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

1160. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र ने गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा कितना निवेश किया गया है; और

(ग) गांवों में बेसिक तथा सेल्युलर टेलीफोन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) प्राइवेट टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस की शर्तों के अनुसार गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की दृष्टि से निवेश करने की कोई शर्तें नहीं हैं। सरकार गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

तथापि, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू०एस०ओ०एफ०) गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए नीचे दिए ब्योरे के अनुसार, निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं सहित सभी सेवा प्रदाताओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है:–

(i) यू०एस०ओ०एफ० ने सितम्बर 2004 में रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड (आर०आई०एल०) के साथ 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले तथा सार्वजनिक टेलीफोन (पी०सी०ओ०) सुविधा सहित गांवों में 21,431 ग्रामीण सामुदायिक फोन (आर०सी०पी०) प्रदान करने के लिए करार किया है – 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार आर०आई०एल० द्वारा 15,531 आर०सी०पी० प्रदान कर दिए गए हैं।

(ii) यू०एस०ओ०एफ० ने मार्च 2005 में आर०आई०एल०, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (टी०टी०एल०) और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (महाराष्ट्र) (टी०टी०एल०-एम०एच०) के साथ वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य क्रमश: 203, 172 और 43 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में मांग पर ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें (आर०डी०ई०एल०) प्रदान करने के लिए भी करार किया है – 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार आर०आई०एल०, टी०टी०एल० और टी०टी०एल०-एम०एच० द्वारा क्रमश: 4,64,276, 5,00,023 और 1,40,192, आर०डी०ई०एल० प्रदान कर दी गई हैं।

(ग) सरकार देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थिर/मोबाइल टर्मिनल का इस्तमाल करके वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) जैसी वायरलैस अभिगम सेवाओं सहित मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई कर रही है। यह अवसंरचना उन विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थापित की जाएगी जहां इस समय कोई स्थिर वायरलैस मोबाइल कवरेज नहीं है। इस प्रयोजन हेतु 18.1.2007 को निविदा दस्तावेज जारी किया जा चुका है और बोलियां प्राप्त हो गई हैं।

[हिन्दी]

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अनुमति

1161. **श्री संजय धोत्रे** :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण (ट्राई) ने भारत में इंटरनेट टेलीफोन प्रदान करने के लिए 128 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज तक कितने प्रदाताओं की अनुमति दी गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का रख-रखाव

1162. श्री एम० राजामोहन रेड्डी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव तथा मरम्मत कार्य के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके लंबित रहने का क्या कारण है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ये प्रस्ताव कब तक मंजूर कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों के लिए राज्य सरकार ने 29.56 करोड़ रु० के 20 प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें से 17.70 करोड़ रु० के 9 प्रस्तावों को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष 11 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए चालू वर्ष के दौरान धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पद

1163. श्री बालेश्वर यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो केन्द्र सरकार के अधीन हैं, में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। रिक्त पड़े हुए विशेषज्ञों के पदों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्रम सं०	संस्थान का नाम/अस्पताल का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	138
2.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	13#
3.	सफदरजंग अस्पताल	16#

#संवीदा आधार पर भरे गए पदों को छोड़कर

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने संस्थान के 128 रिक्त पदों को विज्ञापित किया है। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के रिक्त पदों को भरने के वास्ते संघ लोक सेवा आयोग से आवश्यक सिफारिशें करने हेतु आग्र किया गया है। इसके साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियमित नियुक्ति होने तक डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पतालों में ठेके पर नियुक्तियां भी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

विदेशों में आप्रवासियों की दशा

1164. श्री एस०के० खारवेनथन :
श्रीमती करूणा शुक्ला :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में देश-वार कितने भारतीय आप्रवासिक तथा कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न देशों विशेष रूप से खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों तथा अनिवासी भारतीयों के होते शोषण तथा उनके द्वारा झेली जा रही समस्याओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विदेश में मर जाने पर मृत शरीर को देश वापस भेजने में हो रहे विलंब की घटनाओं की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राजनयिक मिशनों को आकस्मिक स्थिति आने पर खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) भारतीय श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करने के बाद विभिन्न देशों में उत्प्रवास पर गये भारतीयों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) विदेशों में, विशेष रूप से खाड़ी देशों में कार्य कर रहे भारतीय नागरिकों से समय-समय पर वेतन का भुगतान न किये जाने, दुर्व्यवहार और रहन-सहन की खराब परिस्थितियों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्राप्त शिकायतों के आधार पर 329 विदेशी नियोक्ताओं को काली सूची में डाला गया है।

(घ) और (ङ) सामान्य तौर पर विदेशों में कार्य करते समय मृत्यु की दशा में भारतीयों के शवों को स्वदेश लाने में देरी के कोई मामले नहीं होते हैं। आमतौर पर प्रक्रिया को पूरा होने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तथापि, अस्वभाविक मृत्यु के मामलों में कभी-कभी देरी होती है क्योंकि जांच और औपचारिकताओं को पूरा करने में अधिक समय लग जाता है।

(च) और (छ) भारतीय मिशन आकस्मिकताओं की दशा में भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक दूतावास नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(ज) भारतीय मिशन शिकायतों को स्थानीय नियोक्ताओं और साथ ही स्थानीय सरकार के प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं। मिशनों द्वारा श्रमिकों को कानूनी और परामर्शी सहायता भी दी जाती है। प्रभावित श्रमिकों को प्रवासी भारतीय एसोसिएशनों के समन्वय से सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि श्रमिकों की शिकायतें भारत में पंजीकृत भर्ती एजेन्टों से संबंधित होती हैं तो उत्प्रवास अधिनियम 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। यदि किसी अपंजीकृत एजेंट को शामिल पाया जाता है तो उत्प्रवास अधिनियम 1983 के उल्लंघन के लिए एजेंट के विरूद्ध कार्रववाई के लिए मामले को संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को सौंपा जाता है।

विवरण

वर्ष 2004 के दौरान दी गई देश-वार उत्प्रवास स्वीकृतियां

क्रमांक	देश	उत्प्रवास स्वीकृतियों की संख्या
1	2	3
1.	संयुक्त अरब अमीरात	1,75,262
2.	सऊदी अरब	1,23,522
3.	कुवैत	52,064
4.	ओमान	33,275
5.	मलेशिया	31,464
6.	बहरीन	22,980
7.	कतर	16,325
8.	मॉरिशस	3,544
9.	मालदीव	3,233
10.	जॉर्डन	2,576
11.	लीबिया	2,303
12.	श्रीलंका	914
13.	सूडान	868
14.	नाईजीरिया	848
15.	जॉर्जिया	811
16.	इजराइल	647
17.	अफगानिस्तान	552
18.	ब्रुनई	543
19.	गुनई	459
20.	सिसल्स	332
21.	यमन	279

1	2	3
22.	इरान	239
23.	तुर्कमेनिस्तान	207
24.	इराक	195
25.	अल्जीरिया	168
26.	हॉंगकॉंग	125
27.	मिस्र	122
28.	कॉंगो	120
	अन्य (61 देश)	983
	कुल	4,74,960

वर्ष 2005 के दौरान दी गई देश-वार उत्प्रवास स्वीकृतियां

क्रमांक	देश	उत्प्रवास स्वीकृतियों की संख्या
1	2	3
1.	संयुक्त अरब अमीरात	194412
2.	सऊदी अरब	99879
3.	मलेशिया	71041
4.	कतर	50222
5.	ओमान	40931
6.	कुवैत	39124
7.	बहरीन	30060
8.	मालदीव	3423
9.	श्रीलंका	2416
10.	लीबिया	2226
11.	मॉरिशस	1965
12.	सूडान	1930
13.	जॉर्डन	1851
14.	ब्रुनई	1662
15.	नाईजीरिया	1389
16.	माले	1033
17.	सिसेल्स	1030
18.	अफगानिस्तान	739
19.	इसराईल	585
20.	यमन	352
21.	वेस्ट इण्डीज	333
22.	अजरबैजान	282
23.	कजाकिस्तान	216
24.	इरान	182
25.	रूस	180
26.	हॉंगकांग	150
27.	जाम्बिया	145
28.	गुनिया	145
29.	अल्जीरिया	138
30.	तन्जानिया	131
31.	कॉंगो	127
32.	मिस्र	84
33.	इण्डोनेशिया	49
34.	बोत्सवाना	44
35.	तुर्कमेनिस्तान	42

1	2	3
36.	ताजिकिस्तान	37
37.	असमारा (इरीटेरिया)	32
38.	केन्या	31
39.	चीन	25
40.	इथोपिया	20
41.	सीरिया	17
42.	लेबनान	16
43.	फिजी	16
44.	यूक्रेन	15
45.	फिलीपींस	15
46.	घाना	14
47.	डिजीबोटी	13
48.	मोजाम्बिक	12
49.	बरमुडा	11
50.	जिम्बाबवे	6
51.	ब्रिटीश वेस्ट इण्डीज	6
52.	कम्बोडिया	5
53.	चीली	5
54.	ग्रेनाडा	5
55.	मलावी	5
56.	यूगान्डा	4
57.	गेमान द्वीप	4
	अन्य	21
	योग	548853

वर्ष 2006 के दौरान दी गई देश-वार उत्प्रवास स्वीकृतियां

क्रमांक	देश	उत्प्रवास स्वीकृतियों की संख्या
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	829
2.	अल्जीरिया	75
3.	अंगोला	97
4.	एंटीगुआ	1
5.	अरबैजान	29
6.	इतितेरिया	8
7.	बहरीन	37688
8.	बारबाडोस	23
9.	बोत्सवाना	44
10.	ब्राजील	20
11.	ब्रुनई	862
12.	ब्रुन्डी	1
13.	बरमुडा	16
14.	कम्बोडिया	0
15.	चीन	222
16.	कोंगो	23
17.	चीली	4
18.	केमान आईलैण्ड	4
19.	डुमाली	27
20.	डीजीबूटी	243
21.	मिस्र	173

1	2	3
22.	इथोपिया	22
23.	फिजी	23
24.	घाना	27
25.	ग्रेनाडा	4
26.	गाबोन	1
27.	जाम्बिया	2
28.	गुयाना	135
29.	गुनिया	28
30.	हांगकांग	217
31.	इंडोनेशिया	36
32.	इरान	180
33.	इजराइल	406
34.	जमैका	103
35.	जोर्डन	1485
36.	कजाकिस्तान	434
37.	केन्या	323
38.	सऊदी अरब	134059
39.	कुवैत	47449
40.	किंगस्टन	2
41.	लेबनान	43
42.	लीबिया	1371
43.	मेडागास्कर	1
44.	मालावी	36
45.	मलेशिया	36500
46.	मालदीव	4671
47.	मकाओ	1
48.	मॉरिशस	1795
49.	मंगोलिया	55
50.	मोरक्को	14
51.	मोजाम्बिक	61
52.	म्यमार	33
53.	नौरोबी	2
54.	नाम्बिया	1
55.	नीदरलैण्ड	1
56.	नाईजीरिया	1050
57.	एन०आई०यू०ई०	11
58.	ओमान	67992
59.	पालाउ	1
60.	फिलीपींस	40
61.	कतर	76324
62.	रूस	331
63.	सेनेगल	14
64.	सिसेल्स	1874
65.	सिंगापुर	1
66.	सोमालिया	11
67.	श्रीलंका	1840

1	2	3
68.	सेंट लूसिया	7
69.	सेंट मार्टिन	6
70.	सूडान	1240
71.	सीरिया	12
72.	ताईवान	29
73.	तन्जानिया	67
74.	तजाकिस्तान	95
75.	थाईलैण्ड	629
76.	टोगो	1
77.	त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो	8
78.	तुर्की	1
79.	तुर्क एण्ड काइकोस	1
80.	तुर्कमेनिस्तान	154
81.	संयुक्त अरब अमीरात	254774
82.	युगान्डा	34
83.	युक्रेन	17
84.	वियतनाम	2
85.	वेस्ट अफ्रीका	4
86.	वेस्ट इण्डीज	6
87.	यमन	354
88.	जाम्बिया	42
89.	जिम्बाब्वे	30
	कुल	676912

[हिन्दी]

पर्यावरणीय मंजूरी

1165. **श्री शिशुपाल एन० पटले :**
श्री मो० ताहिर :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में पूरा नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) राज्य-वार विलंबित अवधि तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किलोमीटर के राज्य-वार कितनी है, जिनके निर्माण में विलंब हुआ है और इनके निर्माण में कितनी अवधि की देरी हुई;

(घ) क्या निर्माण कार्य में हुए विलंब के कारण लागत में हुई वृद्धि का भी आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्योरा क्या है;

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इन राजमार्गों को पूरा करने के लिए कब तक पर्यावरणीय मंजूरी मिल जाएगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

चंबल नदी पर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पुल

1166. **श्री अशोक अर्गल** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटावा-भिंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबल नदी पर पुल परिवहन के योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस नदी पर नए पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना का ब्योरा क्या है; और

(ङ) कब तक नए पुल का निर्माण कार्य हो जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, नहीं। इटावा-भिंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चंबल नदी पर पुल इस समय यातायात योग्य स्थिति में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल को कोयले का आवंटन

1167. **श्री जोवाकिम बखला :**
श्री हितेन बर्मन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में घरेलू तथा औद्योगिक उपभोग के लिए कितने कोयले की मासिक आवश्यकता है;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक गुणवत्ता-वार तथा दर-वार राज्य को वास्तव में कितने कोयले का आबंटन किया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार पश्चिम बंगाल को कोयले का आवंटन बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) कोयले की मांग का आकलन राज्य-वार नहीं किया जाता है। यह उपभोक्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमानित मांग के आधार पर किया जाता है। पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य की यूनिटों को प्रेषित कोयले की कुल मात्रा नीचे दिए गए अनुसार है:–

(आंकड़े मिलियन टन प्रतिवर्ष में)

वर्ष	पश्चिम बंगाल को कोयले का प्रेषण
2004-05	27.454
2005-06	29.087

सी०आई०एल० की सहायक कंपनियों द्वारा पश्चिम बंगाल को प्रेषित कोयले की कोटि "ए" से "एफ" ग्रेड तक व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं तथा तद्नुसार कीमतें भी भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) से (ङ) कोयले तथा परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त पर उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर कोयले की आपूर्ति की जाती है।

प्रति व्यक्ति आबंटन

1168. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषरूप से महाराष्ट्र के सूखाप्रवण क्षेत्रों के लिए कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु कितना प्रति व्यक्ति आबंटन किया गया है; और

(ख) राज्य द्वारा कितनी राशि की मांग की गई तथा योजना आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रकों के लिए कोई विशेष प्रति व्यक्ति राशि आबंटित नहीं की गई है। तथापि, राज्य योजना के तहत् इन दोनों क्षेत्रकों के लिए वर्ष-वार आबंटन एवं व्यय तथा साथ ही साथ महाराष्ट्र के केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी०एस०एस०) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए आबंटित/जारी निधियों के ब्यौरे, जिसमें गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए की गई विशेष आबंटन राशि शामिल है, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

कृषि एवं ग्रामीण विकास दोनों के लिए राज्य योजना के तहत् वर्ष-वार आबंटन एवं व्यय, साथ ही साथ महाराष्ट्र के पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	वर्ष	राज्य योजना		केन्द्र प्रायोजित स्कीमें		कुल	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
कृषि	2003-04	465.25	322.24	131.86	120.80	597.11	443.04
	2004-05	183.50	324.00	239.08	207.81	422.58	531.81
	2005-06	302.30	367.47	112.92	67.84	415.22	435.31
ग्रामीण विकास	2003-04	1088.17	143.78	1116.48	954.99	2204.65	1098.47
	2004-05	217.15	162.81	1160.42	966.64	1377.57	1129.45
	2005-06	964.49	153.39	1455.52	1296.13	2420.01	1449.52
सभी क्षेत्रक	2003-04	12052.50	7411.74	3330.70	3235.01	15383.20	10646.75
	2004-05	9665.25	9817.74	3611.93	3429.06	13277.18	13246.48
	2005-06	11,014.03	14674.21	4,434.78	4113.84	15448.81	18787.55

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आबंटित/जारी निधियां

(रुपये लाख में)

कार्यक्रम	आदि शेष	कुल आबंटन	कुल जारी निधियां
1	2	3	4
2003-04			
एस०जी०एस०वाई०	790.28	8436.65	7780.28
एस०जी०आर०वाई०-I	3720.66	21785.79	20512.28
एस०जी०आर०वाई०-II	1920.68	21825.20	20996.75
आई०ए०वाई०	1765.91	16727.38	16420.83
डी०पी०ए०पी०			1484.30*
आई०डब्ल्यू०डी०पी०			949.41*
2004-05			
एस०जी०एस०वाई०	680.20	10560.52	9664.90
एस०जी०आर०वाई०	3291.00	46229.57	45756.39
आई०ए०वाई०	1798.89	22004.63	20758.84
एन०एफ०एफ०डब्ल्यू०पी०		15495.26	15495.26
डी०पी०ए०पी०			3486.00*
आई०डब्ल्यू०डी०पी०			1660.06*

1	2	3	4
2005-06			
एस०जी०एस०वाई०	780.19	10560.52	9965.02
एस०जी०आर०वाई०	3373.08	55386.35	52747.88
आई०ए०वाई०	793.31	19619.41	23408.47
एन०एफ०एफ०डब्ल्यू०पी०/ एन०आर०ई०जी०ए०	1028.90	34504.70	25357.82
डी०पी०ए०पी०			4449.39*
आई०डब्ल्यू०डी०पी०			2051.93*

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

*कुल आबंटन/कुल जारी निधि

एस०जी०एस०वाई० स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

एस०जी०आर०वाई० सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

आई०ए०वाई० इंदिरा आवास योजना

एन०एफ०एफ०डब्ल्यू०पी० राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अनाज

डी०पी०ए०पी० सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम

आई०डब्ल्यू०डी०पी० एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

एन०आर०ई०जी०ए० राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

सिम कार्डों की कमी

1169. **श्री जी०एम० सिद्दीश्वर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषरूप से कर्नाटक में सिम कार्डों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। सिम कार्डों की कोई कमी नहीं है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 2007 तक भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) ने देश भर में 72,78,603 सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन दिये जिनमें कर्नाटक राज्य में दिये गये 289460 सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन भी शामिल है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) एवं (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डायरिया का उन्मूलन

1170. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कई लोग डायरिया से असमय मृत्यु के शिकार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मौते गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) पिछले 3 वर्षों के अतिसार के कारण महाराष्ट्र सहित राज्यवार मौतों के मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है और राज्य सरकारें प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से हैजे इत्यादि, जैसे रोगों के लिए चिकित्सीय राहत की व्यवस्था की देखभाल करती हैं। पीने के गन्दे (असुरक्षित) पानी, गन्दगी और अस्वच्छता, अतिसार के कुछेक कारण हैं। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए निवारक उपायों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना, वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता, मानक मल का सुरक्षित निपटान करना, समुचित स्वास्थ्य शिक्षा देना शुरू करना, निगरानी और मानीटरिंग, क्लोरीन और ओर्स के पैकेटों इत्यादि का वितरण करना शामिल है।

भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रयासों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, समग्र सफाई अभियान, स्कूल सफाई और स्वच्छता शिक्षा तथा ग्रामीण और शहरी पीने के पानी की आपूर्ति की समस्याओं से संबंधित गुणवत्ता का सामना करने के लिए कम लागत (सस्ती) सफाई योजना के अंतर्गत धन प्रदान करके पूरा करती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है और निगरानी अतिसार सहित संचारी रोगों के प्रकोपों का शुरू में ही पता लगाने और उनका निवारण तथा नियंत्रण करने का कार्य करता है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान-दिल्ली द्वारा पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने का भी विचार किया गया है।

भारत सरकार ने नवम्बर, 2004 में अतिसार सहित विभिन्न रोगों के प्रकोपों की पहचान करने के कार्य को आगे सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम चलाया है ताकि इनका शुरू में ही उपचार करने संबंधी कार्यकलाप किए जा सकें और ऐसे रोगों के कारण होने वाली मौतों, विकलांगता को कम किया जा सके।

विवरण

भारत में तीव्र अतिसार रोग के कारण सूचित किए गए रोगी और मौतें-2004
जठशन्त्रशोथ सहित

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरूष		महिला		कुल		संदर्भाधीन अवधि तक
		मामलें (रोगी)	मौतें	मामलें (रोगी)	मौतें	मामलें (रोगी)	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	675248	67	681634	49	1356882	116	दिसम्बर, 2004
2.	अरूणाचल प्रदेश	–		–		–		प्राप्त नहीं हुए
3.	असम	259324	17	247644	3	506968	20	दिसम्बर, 2004
4.	बिहार	–		–		–		प्राप्त नहीं हुए
5.	छत्तीसगढ़	–		–		–		प्राप्त नहीं हुए
6.	गोवा	5161	0	4958	0	10119	0	दिसम्बर, 2004
7.	गुजरात	221378	6	201456	4	422834	10	दिसम्बर, 2004
8.	हरियाणा	132214	23	135678	16	267892	39	दिसम्बर, 2004
9.	हिमाचल प्रदेश	217567	27	231009	10	448576	37	दिसम्बर, 2004
10.	जम्मू-कश्मीर	–		–		508144	16	दिसम्बर, 2004
11.	झारखंड	–		–		–		प्राप्त नहीं हुए
12.	कर्नाटक	622583	355	507227	207	1129810	562	दिसम्बर, 2004
13.	केरल	250858	11	289223	10	540081	21	दिसम्बर, 2004
14.	मध्य प्रदेश	208414	58	196057	29	404471	87	दिसम्बर, 2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	महाराष्ट्र	296596	24	281955	33	578551	57	दिसम्बर, 2004
16.	मणिपुर	6495	1	6159	2	12654	3	दिसम्बर, 2004
17.	मेघालय	65772	14	69877	9	135649	23	दिसम्बर, 2004
18.	मिजोरम	8533	6	8015	3	16548	9	दिसम्बर, 2004
19.	नागालैंड	4698	0	4268	0	8966	0	दिसम्बर, 2004
20.	उड़ीसा	213548	33	164277	11	377825	44	दिसम्बर, 2004
21.	पंजाब	89266	55	91630	23	180896	58	दिसम्बर, 2004
22.	राजस्थान	200095	15	154088	11	354183	26	दिसम्बर, 2004
23.	सिक्किम	28023	1	24095	1	52118	2	दिसम्बर, 2004
24.	तमिलनाडु	—	—	—		281795	41	दिसम्बर, 2004
25.	त्रिपुरा	18955	16	18470	14	37425	30	दिसम्बर, 2004
26.	उत्तरांचल	62463	27	41746	6	104209	33	दिसम्बर, 2004
27.	उत्तर प्रदेश	—	—	—		6656	1	जनवरी, 2004
28.	पश्चिम बंगाल	1192585	873	1133613	698	2326198	1571	दिसम्बर, 2004
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16638	3	14233	1	30871	4	दिसम्बर, 2004
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	3491	8	मई, 2004
31.	दादर व नगर हवेली	49948	14	41715	8	91663	22	दिसम्बर, 2004
32.	दमन एवं दीव	2478	0	2490	0	4968	0	दिसम्बर, 2004
33.	दिल्ली	78959	45	58362	34	137321	79	दिसम्बर, 2004
34.	लक्षद्वीप	4294	1	3745	0	8039	1	दिसम्बर, 2004
35.	पांडिचेरी	71683	14	69752	5	141435	19	दिसम्बर, 2004
	कुल	5003776	1686	4683376	1187	10487238	2939	

आंकड़े अनन्तिम हैं, कवरेज को ठीक तरह से न बताए जाने के कारण तुलनीय नहीं हैं।

— सूचित नहीं किया गया।

पुरूष और महिला का जोड़ कुल आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों ने अलग से लिंगवार सूचना नहीं भेजी है।

स्रोत : राज्यों/संघ क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें

भारत में तीव्र अतिसार रोग के रोगी और इसके कारण हुई मौतें तीव्र अतिसार रोग-2005
(आंत्र शोथ) (गेम्ड्रो इन्टेराइटिस)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	पुरूष		महिला		कुल		अवधि
		रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	808458	178	806118	70	1614276	248	दिसंबर, 05
2.	अरूणाचल प्रदेश	16571	6	15726	10	32297	16	दिसंबर, 05
3.	असम	578045	89	213546	55	791591	144	दिसंबर, 05
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	एन०आर०
5.	छतीसगढ़	–	–	–	–	–	–	एन०आर०
6.	गोवा	1219	0	1124	0	2343	0	अप्रैल, 05
7.	गुजरात	241708	8	228967	7	470675	15	दिसंबर 05
8.	हरियाणा	148184	12	146233	20	294417	32	दिसंबर 05
9.	हिमाचल प्रदेश	194898	18	206860	3	401758	21	दिसंबर 05
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	528677	2	दिसंबर 05
11.	झारखंड	8178	1	5270	2	13448	3	जनवरी से मार्च 2005 के अलावा
12.	कर्नाटक	517132	157	476488	105	993620	262	दिसंबर 05
13.	केरल	240240	3	300613	2	540853	5	दिसंबर 05
14.	मध्य प्रदेश	270263	44	231498	21	501761	65	दिसंबर 05
15.	महाराष्ट्र	366905	23	363012	15	729917	38	दिसंबर 05
16.	मणिपुर	9592	0	9180	2	18772	2	दिसंबर 05
17.	मेघालय	83805	26	75245	30	159050	56	दिसंबर 05
18.	मिजोरम	7741	6	7533	4	15274	10	दिसंबर 05
19.	नागालैंड	1885	0	1749	0	16081	0	दिसंबर 05
20.	उड़ीसा	198940	58	151237	34	350177	92	दिसंबर, 05
21.	पंजाब	87715	15	87936	18	175651	33	दिसंबर, 05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	राजस्थान	216815	7	168218	6	385033	13	दिसंबर, 05
23.	सिक्किम	25453	1	25164	0	50617	1	दिसंबर, 05
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–	351818	134	दिसंबर, 05
25.	त्रिपुरा	87594	22	79235	19	166829	41	दिसंबर, 05
26.	उत्तरांचल	24029	3	24451	1	48480	4	नवंबर, 05
27.	उत्तर प्रदेश	185390	74	150016	51	335406	125	दिसंबर, 05
28.	पश्चिम बंगाल	829839	404	774729	278	1604568	682	अगस्त, 05
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	12397	5	10433	1	22830	6	दिसंबर, 05
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	उपलब्ध नहीं
31.	दादर व नगर हवेली	31681	2	31724	4	63405	6	दिसंबर, 05
32.	दमन एवं दीव	1220	0	1293	0	2513	0	नवंबर, 05
33.	दिल्ली	81077	47	55679	41	136756	88	दिसंबर, 05
34.	लक्षद्वीप	3632	0	3156	0	6788	0	दिसंबर, 05
35.	पांडिचेरी	82017	1	70761	2	152778	3	दिसंबर, 05
	कुल	5362323	1210	4723194	801	10978459	2147	

आंकड़े अनन्तिम हैं, कवरेज को ठीक तरह से न बताए जाने के कारण तुलनीय नहीं हैं।

एन०आर० – सूचित नहीं किया गया।

पुरूष और महिला का जोड़ कुल आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों ने अलग से लिंगवार सूचना नहीं भेजी है।

स्रोत : राज्यों/संघ क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट

भारत में मुख्य संचारी रोगों के कारण सूचित रोगी और मौतें तीव्र अतिसार रोग-2006

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरूष		महिला		कुल		संदर्भाधीन अवधि तक
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	569558	81	569898	32	1139456	113	नवंबर, अगस्त 06 को छोड़कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	प्राप्त नहीं हुए
3.	असम	—	—	—	—	—	—	प्राप्त नहीं हुए
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	प्राप्त नहीं हुए
5.	छत्तीसगढ़	36118	1	29261	0	65379	1	जुलाई, जुलाई 06 को छोड़कर
6.	गोवा	—	—	—	—	—	—	प्राप्त नहीं हुए
7.	गुजरात	199406	2	182650	2	382056	4	दिसंबर, 06
8.	हरियाणा	115060	14	110863	19	225923	33	सितम्बर, 06
9.	हिमाचल प्रदेश	143662	7	155754	16	299416	23	नवंबर, अक्टूबर, 06 को छोड़कर
10.	जम्मू डिविजन	101047	11	66628	5	304752	32	दिसंबर, 06
	कश्मीर डिविजन	118135	0	96430	0	214565	0	दिसंबर, 06
11.	झारखंड	7534	1	7218	0	14752	1	दिसंबर, 06
12.	कर्नाटक	451733	464	418808	810	870541	1274	नवंबर, 06
13.	केरल	200553	2	238128	2	438681	4	नवंबर, 06
14.	मध्य प्रदेश	166571	53	152364	35	318935	88	जुलाई, 06
15.	महाराष्ट्र	50159	2	51189	1	101348	3	मार्च, जनवरी 06 को छोड़कर
16.	मणिपुर	5837	7	5187	5	11024	12	सितम्बर, 06
17.	मेघालय	78464	17	73019	13	151483	30	अगस्त, 06
18.	मिजोरम	8414	10	8156	9	16570	19	नवंबर, 06
19.	नागालैंड	4662	0	4514	0	9176	0	जुलाई, 06
20.	उड़ीसा	186375	26	138668	13	325043	39	अक्टूबर, 06
21.	पंजाब	85178	32	85719	26	170897	58	नवम्बर, 06
22.	राजस्थान	157911	17	123266	4	281177	21	अक्टूबर, 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सिक्किम	25646	4	25787	4	51433	8	दिसंबर, 06
24.	तमिलनाडु	—	—	—	—	116062	12	नवंबर, 06
25.	त्रिपुरा	78982	25	71768	22	150750	47	नवंबर, 06
26.	उत्तरांचल	51131	4	43615	2	94746	6	दिसंबर, 06
27.	उत्तर प्रदेश	148415	26	119220	19	267635	45	नवंबर, 06
28.	पश्चिम बंगाल	1010257	410	950943	291	1961200	701	सितंबर, 06
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9070	1	7100	0	16170	1	सितंबर, 06
30.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	प्राप्त नहीं हुआ
31.	दादर व नगर हवेली	35880	1	38781	3	74661	4	दिसंबर, 06
32.	दमन एवं दीव	18	0	27	0	45	0	जनवरी, अप्रैल और मार्च 06 को छोड़कर
33.	दिल्ली	56689	49	37709	36	94398	85	दिसंबर, 06
34.	लक्षद्वीप	3532	0	3190	0	6722	0	नवंबर, 06
35.	पांडिचेरी	61707	2	55104	3	116811	5	अक्टूबर, 06
	कुल	4157.04	1239	2870964	1372	8291807	2669	

आंकड़े अनन्तिम हैं, कवरेज को ठीक तरह से न बताए जाने के कारण तुलनीय नहीं हैं।

— सूचित नहीं किया गया।

पुरूष और महिला का जोड़ कुल आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों ने अलग से लिंग-वार सूचना नहीं भेजी है।

स्रोत : राज्यों/संघ क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय

1171. श्री अनवर हुसैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर पूर्व क्षेत्र में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन०ए०सी०ओ०) का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना गुवाहाटी असम में किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर ली गई है।

(ग) अप्रैल, 2007 के अंत तक क्षेत्रीय कार्यालय के चालू होने की आशा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर बाईपास का निर्माण

1172. **श्री संतोष गंगवार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर कितने बाईपासों का निर्माण कार्य किया जाना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बरेली होकर बाईपास का निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक प्रस्ताव मंजूर कर दिया जाएगा तथा निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के दिल्ली-मुरादाबाद खंड पर बाइपास के निर्माण के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के लखनऊ-सीतापुर खंड को चार लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-111क में शुरू किया गया है जिसमें किसी बाइपास के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के मुरादाबाद-बरेली और बरेली-सीतापुर खंडों के लिए परियोजना का डिजाइन तैयार करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-111ख के अंतर्गत शुरू किया गया है। चूंकि बरेली बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पहले ही शुरू हो गया है और बाइपास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मसौदा भी मंत्रालय में तैयार कर लिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उक्त परियोजना डिजाइन को अंतिम रूप देते समय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के इस मसौदे पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोगी

1173. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास तथा कल्याण हेतु कोई योजना भेजने के लिए सरकार को कोई निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने तथा उन्हें सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए कोई स्कीम अथवा योजना प्रस्तुत करने हेतु मद्रास उच्च न्यायालय से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी औषधालयों के माध्यम से कुष्ठ सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन प्रभावित व्यक्तियों अर्थात अशक्तता वाले रोगियों को मदद और सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:–

(i) ब्लाक स्तर पर अशक्तता निवारण शिविर आयोजित करना जहां कुष्ठ रोग की अशक्तता वाले रोगियों को स्वयं परिचर्या प्रैक्टिस पर एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ii) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं, जिनका प्रबंध संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, केन्द्रीय सरकारी कुष्ठ शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्रों, निर्धारित मेडिकल कालेजों में पुन: सृजनात्मक (रिकंस्ट्रक्टिव) शल्य चिकित्सा आपरेशन आयोजित करना। हाल ही में अशक्तता निवारण और चिकित्सीय पुनर्वास योजना के अधीन रिकंस्ट्रक्टिव शल्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु संस्थाओं/केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के प्रयास जारी हैं।

(iii) जरूरतमंद रोगियों को जिला कुष्ठ सोसायटियों, गैर सरकारी संगठनों और आई०एल०ई०पी० संस्थाओं के जरिए एम०सी०आर० फुटवीयर प्रदान करना।

ये सेवाएं अशक्त व्यक्तियों को नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए अर्हता मानदंड

1174. **श्री ई०जी० सुगावनम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट नर्सिंग काउंसिलें नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए भेदभावपूर्ण अर्हता मानदंड, जैसे वैवाहिक स्थिति या शारीरिक क्षमताएं अपनाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नर्सिंग प्रवेश की शर्तों को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय उपचर्या परिषद ने उपचर्या पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई मानदण्ड, जैसे वैवाहिक स्थिति अथवा शारीरिक अपेक्षाएं निर्धारित नहीं की हैं। तथापि, उम्मीदवारों द्वारा उपचर्या पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वस्थता एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(ग) भारतीय उपचर्या परिषद ने उपचर्या पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विवाहित, तलाकशुदा अथवा विधवा महिला जैसे पात्रता मानदण्ड लागू न करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य उपचर्या परिषदों को अनुदेश जारी किए हैं।

पत्तनों की क्षमता में वृद्धि

1175. **श्री के०सी० पल्लानी शामी** : क्या **पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के पत्तनों की क्षमता में सरकारी-निजी भागीदारी द्वारा वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें सरकार तथा निजी क्षेत्र की कितनी भागीदारी है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया के हिस्से के रूप में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे महापत्तनों में क्षमता बढ़ाने के उपाय, समुद्री व्यापार की मांगें ध्यान में रख कर, पत्तनों से संबंधित विकास-योजनाएं कार्यान्वित करके और उत्पादकता इत्यादि में बेहतरी लाकर किए जाते हैं। 31.03.2006 को रही स्थिति के अनुसार, महापत्तनों की कुल क्षमता, 456.20 मिलियन टन प्रति वर्ष की है। पोत-परिवहन-विभाग द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय समुद्रीय विकास-कार्यक्रम में, निर्धारित अवधि में कार्यान्वित किए जाने हेतु कुल 387 विशिष्ट परियोजनाएं चुन ली गई हैं। उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत, कुल 1,00,339 करोड़ रु० का निवेश किया जाना है। इसमें से 55,804 करोड़ रु० की धनराशि के निवेश से युक्त कुल 276 परियोजनाएं, महापत्तनों से संबंधित हैं और शेष धनराशि के निवेश से युक्त परियोजनाएं, पोत-परिवहन-क्षेत्र तथा अंतर्देशीय जल-परिवहन-क्षेत्र में संबंधित हैं। महापत्तनों के संबंध में परिकल्पित 55,804 करोड़ रु० की धनराशि में से, 34,505 करोड़ रु० की धनराशि, गैर सरकारी क्षेत्र से, मुख्यत: घाटों एवं टर्मिनलों को विकसित करवाए जाने और उनका संचालन किए जाने इत्यादि जैसी वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में सुलभ हो जानी अपेक्षित है। शेष धनराशि, सरकारी अनुदानों और महापत्तनों के आंतरिक तथा अतिरिक्त बजट-संसाधनों से युक्त सरकारी निधियों द्वारा वहन की जानी प्रस्तावित है। इस प्रकार, सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी, महापत्तनों के संबंध में उपर्युक्त कार्यक्रम किए जाने का एक महत्वपूर्ण साधन होगी।

चिकित्सकों की ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य तैनाती

1176. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी चिकित्सकों को स्थायी पंजीकरण प्रदान करने के पूर्व उनकी एक वर्ष के लिए गांवों में तैनाती को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय का चिकित्सकों तथा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा विरोध किया गया है;

(घ) उक्त निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या एक वर्ष की गांवों में तैनाती के दौरान चिकित्सकों को कोई पारिश्रमिक दिया जाएगा;

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या निजी महाविद्यालयों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ज) सरकार ने श्री जावेद चौधरी, पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए चिकित्सा शिक्षा पर एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्य दल से अन्य उपायों के अलावा चिकित्सा पाठ्यक्रम

की पाठ्यचर्या में संशोधन सहित ग्रामीण और अल्प सेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की अन्य संभावनाओं के साथ-साथ एम०बी०बी०एस० डाक्टरों के लिए ग्रामीण सेवा को कैसे आकर्षित बनाया जा सकता है, के बारे में उपायों का सुझाव देने की अपेक्षा की गई थी। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और वह सरकार के विचाराधीन है।

अनुसंधान के लिए संविदा देना

1177. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विषयों पर अनुसंधान संविदाएं परामर्शदाताओं, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षिक तथा अनुसंधान संगठनों को दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो संविदाएं देने के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन अनुसंधान संगठनों को ये संविदाएं दी गई तथा इनकी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुसंधान संविदाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार उनके बाह्य अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत उनके विशेष महत्व के क्षेत्रों में स्वास्थ्य अनुसंधान करने के लिए मेडिकल और अन्य कालेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, प्रयोगशालाओं और गैर सरकारी संगठनों में काम कर रहे वैज्ञानिकों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। नीचे दिए अनुसार तीन किस्म की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है:–

(i) **तदर्थ परियोजना** : ये अन्वेषणोन्मुख होती हैं जिनमें कोई वैज्ञानिक अपनी रूचि के क्षेत्र में एक अनुसंधान परियोजना तैयार करता है।

(ii) **कार्यदलोमुखी परियोजनाएं** : ये विशेष उद्देश्यों और लक्षित परिणामों के साथ समयबद्ध आधार पर केन्द्रीय स्तर पर शुरू किए गए कार्यक्रम हैं। ये विशेष विषयक क्षेत्रों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा केन्द्रीय स्तर पर शुरू किए जाते हैं और अभिज्ञात वैज्ञानिकों को परियोजना के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(iii) **उन्नत अनुसंधान केन्द्र** : ये परियोजनाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि और मान्यता वाले वैज्ञानिक से प्राप्त होती हैं। वैकल्पिक रूप से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् किसी विशेष अनुसंधान आवश्यकता का चयन भी कर सकती है और चयनित व्यक्तियों/केन्द्रों जिन्होंने उसी क्षेत्र में उत्कृष्टता सिद्ध कर दी है, तथा जिनके पास और कार्य करने के लिए जरूरी अवसंरचना है, से आवेदन मंगवाए जाते हैं। ये केन्द्र किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से विशेष रूप से चयनित अनुसंधान कार्य पर गहन अनुसंधान करते हैं।

(ख) परियोजनाएं प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता, विषय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ तर्कसंगतता होनी चाहिए

(ii) विज्ञान में अंतराल को भरने के लिए नए ज्ञान का सृजन

(iii) परियोजना की वैज्ञानिक मेरिट

(iv) अन्वेषक को संस्थान का स्थायी कर्मचारी होना चाहिए, उसके पास शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए और उसने विषय पर कुछ प्रारंभिक कार्य शुरू किया हो

(v) अनुसंधान करने के लिए मेजबान संस्थान को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करनी चाहिए

(vi) गैर-सरकारी संगठन या निजी संस्थानों के लिए: इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास अनुसंधान निकाय के रूप में पंजीकृत होना चाहिए

(vii) संस्थान को आवर्ती व्यय में सभी सरकारी मानकों को अपनाना चाहिए और वह किसी सांविधिक निकाय अथवा ए०जी०सी०आर० द्वारा मान्यता प्राप्त किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित लेखा विवरण जिसे संस्थान के शासी निकाय/कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया हो, प्रदान करने पर सहमत हो।

(ग) विभिन्न किस्म के संगठनों को वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है:

क्रमांक	संगठन की किस्म	2004	2005	2006
1.	सरकारी अस्पताल	3	2	3
2.	निजी अस्पताल	2	2	5
3.	सरकारी मेडिकल कालेज	27	21	28
4.	निजी मेडिकल कालेज	6	7	25
5.	सरकारी अनुसंधान संस्थान	51	85	134
6.	निजी अनुसंधान संस्थान	11	8	16
7.	सरकारी विभाग	1	—	1
8.	विश्वविद्यालय	9	19	43
9.	अन्य	8	10	23
	कुल	118	154	278

(घ) ऐसे सभी वैज्ञानिकों जिनको भरतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की गई हैं, की सूची भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वेबसाइट (www.icmr.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी०जी०एच०एस० औषधालयों का कम्प्यूटरीकरण

1178. श्री तूफानी सरोज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के सभी सी०जी०एच०एस० औषधालयों में कम्प्यूटर उपलबध कराए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन औषधालयों का ब्यौरा क्या है जहां कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) शेष औषधालयों में कम्प्यूटर कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) लक्ष्मीनगर, नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक तथा संसदीय सौध में सी०जी०एच०एस० औषधालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अगस्त, 2007 के अंत तक दिल्ली के अन्य औषधालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

ऐरोस्पेस विश्वविद्यालय की स्थापना

1179. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐरोस्पेस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किया जाएगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) अंतरिक्ष विभाग के पास तिरूवनंतपुरम के निकट भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। यह संस्थान अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरस्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टरेट पश्चात् कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करेगा। यह संस्थान मुख्यत: हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अत्यंत कुशल मानवशक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिप्रेत है।

(ग) इस संस्थान का प्रचालन शैक्षिक सत्र 2007-08 से प्रारंभ किए जाने की योजना है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

1180. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग (ए०आर०सी०) ने आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादरोधी मशीनरी से जुड़ी प्रौद्योगिकी का पूर्ण ओवरहॉल करने और आसूचना नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्ट में आसूचना एजेंसियों का उन्नयन करने और आतंकवाद से निपटने के तंत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल करने पर जोर दिया गया है;

(घ) ए०आर०सी० द्वारा की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सकरार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भाषा का अनिवार्य अध्यापन

1181. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री मो० ताहिर :
प्रो० महादेव राव शिवनकर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन०के०सी०) ने भाषा के अध्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है जैसाकि दिनांक 12 जनवरी, 2007 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन कला से सुकर अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना का सुझाव दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन.के.सी.) की सिफारिश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रस्ताव जांच हेतु मानव ससांधन विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है।

विवरण

भाषाओं से संबंधित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट से उद्धरण:

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सुविज्ञ समाज हेतु आधार के रूप में समावेशी (इनक्लूसिव) समाज के महत्व पर बल दिया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भाषा के महत्व को केवल शिक्षा के साधन अथवा सम्पर्क साधन के रूप में ही अपितु पहुंच के अवधारक के रूप में भी उसके महत्व को समझा है। अंग्रेजी भाषा की समझ और उस पर अधिकार, उच्च शिक्षा, रोजगार संभावनाओं व सामाजिक अवसरों तक पहुंच के अवधारक हैं। स्कूल छोड़ने वाले जो भाषा के रूप में अंग्रेजी में प्रशिक्षित नहीं हैं वे उच्च शिक्षा की दुनिया में हमेशा पंगु बने रहते हैं। ज्यादातर पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। यदि ऐसा न हो तब भी बहुत से विषयों में किताबें और पत्र-पत्रिकाएं (जर्नल्स) केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। और जो लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते हैं उन्हें हमारे प्रमुख शिक्षा संस्थानों में अपने लिए जगह बनाने हेतु प्रतिस्पर्धा करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। यह प्रतिकूल परिस्थिति आगे चलकर कार्यक्षेत्र में और भी प्रबल हो जाती है, ऐसा केवल व्यावसायिक पेशों में ही नहीं अपितु समग्र सफेदपोश पेशों में भी होता है।

यह सत्य उन पर लागू नहीं होता है, जो यह समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा बेहतर जीवन संबंधी अवसरों तथा पहुंच का महत्वपूर्ण अवधारक है। उपलब्ध सूचना सुझाती है कि मध्य और निम्न आयवर्ग वाले परिवार अपनी संतुलित आय का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को अपेक्षाकृत महंगे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजने पर खर्च करते हैं।

इस प्रकार के शैक्षिक अवसर बच्चों हेतु प्राथमिकता पर है जो कि परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लगभग बराबर है। परन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक है जिनके पास ऐसे निवेश हेतु संसाधन नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप स्कूलों से बहिष्करण होता है। हमारा विश्वास है कि सार्वजनिक प्रावधान के माध्यम से समावेश संभव है।

यह स्थिति की विडम्बना है। अंग्रेजी एक सदी से अधिक समय से हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा रही है। फिर भी अंग्रेजी बहुत से युवाओं की पहुंच से दूर है, जिससे बहुत ही असमान पहुंच हो जाती है। वास्तव में, अब भी ऐसे लागों का प्रतिशत एक से अधिक नहीं है जो इसे दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं।

ऐसी सच्चाइयों को रातों रात बदला नहीं जा सकता, परन्तु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यह समझता है कि अब वो समय आ गया है कि हम अपने लोगों को, आम लोगों को, स्कूलों में भाषा के रूप में अंग्रेजी

पढ़ाएं। इस क्षेत्र में शीघ्र कार्रवाई से, एक समावेशी समाज के निर्माण में सहयोग मिलेगा और इससे भारत एक सुविज्ञ समाज में परिवर्तित हो सकेगा। केवल 12 वर्षों में, देश में स्कूल छोड़ने वालों को उच्च शिक्षा में और अधीक समान पहुंच उपलब्ध हो सकेगी और उसके बाद तीन से पांच वर्षों में, रोजगार अवसरों में और अधिक पहुंच उपलब्ध हो सकेगी।

इस विषय पर अनौपचारिक परामर्शों में लगे हुए आयोग में सरकार, शैक्षिक जगत, मीडिया और उद्योग के लोगों को लगाया गया है। इसने राज्यों के कुछ मुख्य-मंत्रियों से परामर्श किया है, संसद सदस्यों से भी परामर्श किया गया है। औषधि और कानून तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के पेशें में लगे हुए लोगों से भी परामर्श किया गया है। इस बात पर मतैक्य था कि इसे किया जा सकता है और कर दिया जाना चाहिए। प्रथम उपायों के संबंध में रीतिविधान का पता लगाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। इस समूह द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विचार-विमर्शों में इनपुट के रूप में उपयोग किया गया था।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सिफारिश करता है कि एक भाषा के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण बच्चे की प्रथम भाषा (या मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा) के साथ स्कूल में कक्षा 1 से शुरू किया जाना चाहिए, भाषा अधिगम के इस चरण में व्याकरण और नियमों पर असंगत बल दिए बिना दोनों भाषाओं का उपयोग करते हुए बच्चे के लिए अर्थपूर्ण अधिगम अनुभवों के सृजन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यह मानता है कि 9 राज्यों (जिसमें से छ: पूर्वोत्तर में हैं, और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में कक्षा I और इससे आगे की कक्षाओं में अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 12 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने प्राथमिक स्कूल में कक्षा V से अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय बना दिया है। तथापि, कार्यान्वयन धीमा है और अंग्रेजी भाषा शिक्षण की गुणवत्ता काफी अच्छी नहीं है। सहायता प्रणालियां जैसे अध्यापकों की संख्या अथवा शिक्षण सामग्री, न तो पर्याप्त हैं और न ही उपयुक्त हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक मूलभूत परिवर्तन की सिफारिश करता है जिसका आशय कक्षा I और उससे आगे की कक्षाओं में राष्ट्र व्यापी आधार पर अंग्रेजी शिक्षण आरम्भ करना है। यह अकेला आधार नहीं होगा बल्कि इसे स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना है।

भाषा अधिगम को अलग नहीं किया जा सकता, और इसे अंतर्वस्तु अधिगम के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। अत: अंग्रेजी का उपयोग स्कूल में कक्षा III से आरंभ करके गैर-भाषी, अंतर्वस्तु विषयों को पढ़ाने के लिए भी किया जाना चाहिए। इसके लिए विषयों का चुनाव स्कूलों पर छोड़ा जा सकता है जो उनके यहां उपलब्ध अध्यापकों की दक्षता तथा सामग्री पर निर्भर करेगा। इससे बहुमाध्यम स्कूलों का सृजन होगा, इससे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और क्षेत्रीय भाषा माध्यम स्कूलों के बीच विभाजन कम होने में सहायता मिलेगी।

रट्टा शिक्षण के माध्यम से अर्जित एकल विषयों की प्रवीणता देने वाले विशिष्ट उपलब्धि लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक स्थितियों को अर्थ देने के लिए भाषा अधिगम और शिक्षण का अध्यापन उपयुक्त रूप से प्रसंग गत होना चाहिए। इसके लिए, भाषा दक्षता के प्रमाणन और भाषा अध्यापकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय परीक्षा सेवा (एन०टी०एस०) का गठन किया जाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा अध्यापकों के एक बड़े पूल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अंग्रेजी में उच्च दक्षता और अच्छी संवाद दक्षता वाले स्नातकों को बिना किसी शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता के ही भर्ती किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा सेवा द्वारा तैयार की गई उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन किया जाना चाहिए तब उन्हें लघुआवधिक स्थिति निर्धारण दिया जाए। देश के लगभग चार मिलियन स्कूल अध्यापकों को उनके विषय की विशेषज्ञता के बिना, प्राथमिक स्तर पर, अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा लघुआवधिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अंग्रेजी में उनकी दक्षता सुधार हेतु प्रशिक्षित किया जाए। बहुत से अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्यापकों की आवश्यकताओं के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित नहीं है। अत: पाठ्यक्रम में भाषा की केन्द्रीयता के महत्व को समझते हुए सम्पूर्ण अध्यापक प्रशिक्षण प्रणाली जो भाषा शिक्षण संबंधी प्रशिक्षण सहित विद्यमान सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करती है, की समयक रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है।

देश में अंग्रेजी भाषा परिवेश की भिन्नता के समाधान के लिए अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें बहुलता में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कतिपय मानक बनाए रखे जाएं, प्रत्येक चरण पर पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु के संबंध में बेंचमार्क निर्धारित किए जाएं। इसके लिए, कक्षा I और XIII के लिए, प्रत्येक स्तर पर अध्यापन कला से सुकर अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा इन्हें मॉडल के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए और आसान पहुंच के लिए इन्हें स्वेच्छा से वेब पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य बोर्ड स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०ई०आर०टी०) द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखा जाए, पाठ्य पुस्तकें लिखने की आवश्यकता को और अधिक विकेन्द्रीकृत किए जाने की आवश्यकत है। इस कार्य

को और अधिक सहयोगशील बनाने के लिए, पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में उस क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित सिविल सोसाइटी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

चूंकि, भाषा शिक्षण के लिए न केवल सीधे अनुदेश के माध्यम से अपितु वातावरण के आत्मसातकरण के माध्यम से भी स्थान की आवश्यकता होती है, अत: क्लास रूम को उपयुक्त अनुपूरक दृश्य-श्रव्य और मुद्रित सामग्री से सुज्जित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्लास रूम में स्रोत पुस्तकालय स्थापित किए जा सकते हैं, जिसमें विषयों की भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों की आयु के अनुसार उपयुक्त पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, अखबारों, दृश्य-श्रव्य सामग्री और पोस्टर इत्यादि शामिल हों। क्लास रूम के बाहर भी विशिष्ट द्विभाषी रेडियो और टी०वी० चेनलों के माध्यम से भाषा अधिगम अवसर सृजित किए जाने चाहिए, इन्हें अंग्रेजी के औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण एवं अधिगम के लिए भी आरंभ किया जा सकता है। ज्ञान पर चर्चा करने एवं उसके प्रसार तथा क्लासरूम से बाहर अंग्रेजी के उपयोग को बढ़ाने के लिए ज्ञान क्लब (नोलेज-क्लब) बनाए जा सकते हैं। यह निश्चित है कि भाषा अधिगम के लिए व्यापक संसाधनों की आवश्यकता है, अत: इस आवश्यकता के समाधान के लिए अंग्रेजी भाषा संसाधन (अध्यापक और सामग्री) तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारंभ करनी चाहिए।

इस विचार के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को समान साझेदारों की आवश्यकता होगी। अत: राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यह प्रस्ताव करता है कि कक्षा I में आरंभ से ही क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त, एक भाषा के रूप में अंग्रेजी के शिक्षण हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी मुख्य मंत्रियों के साथ इस मामले पर चर्चा करें। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि बारह वर्षों की स्कूली शिक्षा के पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम दो भाषाओं में प्रवीण होगा।

डायरिया से होने वाली मौतों पर यू०एन०डी०पी० रिपोर्ट

1182. श्री बसुदेव आचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू०एन०डी०ए०पी० रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि भारत में डायरिया से होने वाली मौतें विश्व में डायरिया से होने वाली कुल मौतों का एक तिहाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) यू०एन०डी०पी० के लिए प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, 2006 के अनुसार भारत में अतिसार से 4,50,000 लोगों की मृत्यु होती है।

(ग) से (घ) स्वास्थ्य मुख्यतया राज्य का विषय है और प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए हैजा इत्यादि जैसे रोगों के लिए चिकित्सा राहत की व्यवस्था की देखभाल राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। असुरक्षित पेय जल, अपर्याप्त सफाई व्यवस्था और स्वच्छता अतिसार के कुछ कारण हैं। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए निवारक कार्रवाईयों में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था, वैयक्तिक एवं सामुदायिक स्वच्छता में सुधार, मानव मल-सूत्र का सुरक्षित निपटान, उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा, निगरानी तथा मानीटरिंग, क्लोरीन की गोलियों एवं ओ०आर०एस० पैकेटों का वितरण शामिल हैं।

भारत सरकार ग्रामीण एवं शहरी पेय जल आपूर्ति के संबंध में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, पूर्ण सफाई अभियान, स्कूल सफाई तथा स्वच्छता शिक्षा एवं निम्न लागत वाली सफाई योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा अतिसार सहित संचारी रोगों की निगरानी, शीघ्र पहचान तथा निवारण एवं नियंत्रण करता है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा पेय जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तकनीकी सहायता भी दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार ने अतिसार सहित विभिन्न रोगों के प्रकोपों की पहचान को और सुदृढ़ करने के लिए नवम्बर, 2004 में एक समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है जिससे कि शुरू में ही रोकथाम उपाय किए जा सकें और ऐसे रोगों की घटना, इनसे होने वाली अशक्तता और मौतों को रोका जा सके।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री की जापान यात्रा

1183. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हालिया जापान यात्रा के दौरान जापान के सहयोग से दिल्ली-मुंबई-मल्टी-मॉडल फ्रेट कॉरिडार के साथ-साथ

एक औद्योगिक कॉरीडार की स्थापना के लिए एक समझौता किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जापान के साथ किए गए समझौते की शर्तें क्या हैं और इसके अंतर्गत जापान का सहयोग किस प्रकार का और कितना होगा;

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के प्रधान मंत्री की दिसंबर, 2006 में हुई जापान की यात्रा के दौरान ''दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर' स्थापित करने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता-ज्ञापन में मुम्बई और दिल्ली के बीच, डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि पहले ही निर्माणाधीन है, के साथ एक औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयायेग की व्यवस्था है ताकि जापान द्वारा निवेश सहित अधिकतम निवेश प्राप्त हो सके। इस प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर में सुविधाएं विकसित करने के लिए जापानी पक्ष सहायता प्रदान करने पर विचार करेगा। सरकार ने परियोजना की रूप रेखा तय करने के लिए अधिकारियों के एक दल का गठन किया है।

जंक डी०एन०ए०

1184. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंटर फॉर सेलुअर और मौलीक्यूलर बायोलॉजी (सी०सी०एम०बी०), हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि जंक डी०एन०ए० में बहुत से रहस्य छिपे होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस खोज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह खोज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किस हद तक सहायक होगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुसार ''मानव जीनोम का 98.8% से अधिक भाग सामान्यतया जंक'' के रूप में उल्लिखित नॉन-कोडिंग डी०एन०ए० से बना होता है। 1.2% से कम भाग प्रोटीन के मानवीय डी०एन०ए० कोड से बना होता है। आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती जंक डी०एन०ए० (नान-कोडिंग सेक्वेंससे) के कार्यों का पता लगाना है वाई गुणसूत्र मनुष्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें पुरूषत्व के जीन होते हैं। वाई गुणसूत्र के दो-तिहाई केवल आवृत्तिमूलक डी०एन०ए० से निर्मित होते हैं जिन्हें जंक के रूप में माना जाता है। सेंटर फार सेल्युलर एंड मालीक्युलर बायोलाजी में किए गए अध्ययन से पहली बार सुस्पष्ट साक्ष्य प्रदर्शित हुआ है कि गुणसूत्र के मेगा बेस रिपीट ब्लाक जिसे पहले जंक डी०एन०ए० के रूप में समझा जाता था, की वृषण (टेस्टीज) में नए आर०एन०ए० में प्रतिकृति की जाती है, जिससे अन्य गुणसूत्र में मौजूद जीन की अभिव्यक्ति नियंत्रित होती है। यह ''वाई जंक'' के कार्य का प्रथम निदर्शन है।

उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण

1185. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती अर्चना नायक :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार :
श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :
श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री मोहन सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन०के०सी०) ने वर्ष 2015 तक विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है, जैसा कि दिनांक 13 जनवरी, 2007 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की भी सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने संपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत लाने की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिए निजी निवेश की अनुमति देने की सिफारिश की है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के विस्तार की सिफारिश की है। उच्चत शिक्षा संबंधी सिफारिशों के अनुसार, "उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देशव्यापी लगभग 1500 विश्वविद्यालयों में व्यापक स्तर पर विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। जिससे कि वर्ष 2015 तक भारत कम-से-कम 15 प्रतिशत तक सकल नामांकन अनुपात हासिल कर सके ।"

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की उच्चतर शिक्षा से संबंधित सिफारिशों पर उच्चतर शिक्षा विभाग, एम०एच०आर०डी० की टिप्पणी मांगी गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इन सिफारिशों पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा श्रम व रोजगार मंत्रालय की टिप्पणी मांगी गई है।

(छ) जी, हां।

(ज) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की उच्चतर शिक्षा से संबंधित सिफारिशों पर उच्चतर शिक्षा विभाग, एम०एच०आर०डी० की टिप्पणी मांगी गई है।

विवरण

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का उद्धरण।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वी०ई०टी०) को देश के शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग समझता है। बदलते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वी०ई०टी० की प्रभावी भूमिका तथा भारत को जनांकिकी लाभ प्राप्त करने के क्रम में, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण अवयवों का पुन: परिभाषित करने तथा उन्हें लचीला, समकालीन, युक्तिसंगत समावेशी तथा सृजनात्मक बनाने की तत्काल आवश्यकता है। सरकार वी०ई०टी० के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे पहले से ही अवगत है तथा कई महत्वपूर्ण पहले पहले ही कर चुकी है। उद्योग समूहों, शिक्षाविदों से विचार विमर्श तथा नागरिक अर्थोपाय के माध्यम से इन पहलों को मजबूत कर निम्नलिखित अल्पकालीन कार्यनीतियों की सिफारिश करता है।

1. **व्यावसायिक शिक्षा को पूर्णत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम०एच०आर०डी०) के अधीन करना:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वी०ई०टी० की भूमिका तथा शिक्षा के अन्य माध्यमों से इसके लिंकेजेज के महत्व को देखते हुए सरकार वी०ई०टी० के सभी पहलुओं को एम०एच०आर०डी० के अधीन करने पर विचार कर सकती है। वर्तमान में वी०ई०टी० एम०एच०आर०डी० तथा श्रम मंत्रालय के क्षेत्र में आता है जिसके कारण वी०ई०टी०, ढांचे का खण्डित प्रबंधन होता रहा है। एम०एच०आर०डी० कार्यनीति प्रतिपादित करने, सरकार को सलाह देने तथा औद्योगिक एवं कार्यबल विकास से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास शुरू करने हेतु एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा आयोजना एवं विकास संस्थान की स्थापना पर विचार कर सकती है।

2. **निम्नलिखित उपायों के माध्यम से मुख्य शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत वी०ई०टी० के लचीलेपन को बढ़ाना:**

(i) छात्रों को बाद के चरणों में शिक्षा की मुख्यधारा में लौटने के लिए सामान्य शिक्षा (जैसे अंक संबंधी कौशल) के सभी पहलुओं को यथा संभव वी०ई०टी० में बनाए रखना।

(ii) विभिन्न शैक्षिक उपलब्धियों वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं एवं पालीटेक्निकों के पाठ्यक्रमों में भिन्न अनुक्रम होने चाहिए।

(iii) कतिपय ट्रेडों के प्रावेशिक योग्यताओं में ट्रेड की अपेक्षाएं दर्शाई जानी चाहिए। (उदाहरण के लिए दसवीं में प्रवेश के लिए योग्यता कुछ मामलों में कक्षा VIII तक शिथिल की जा सकती है।) व्यावसायिक शिक्षा माध्यम में छात्रों को बहु प्रवेश लेने और छोड़ने के विकल्प की अनुमति होनी चाहिए।

(iv) व्यावसायिक शिक्षा माध्यम और स्कूल शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा में लिंक स्थापित होनी चाहिए।

(v) प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कतिपय कौशल प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों की सभी स्कूलों में शुरू किया जाना चाहिए।

(vi) विभिन्न साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा स्कीमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण होनी चाहिए।

(vii) अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जीवनपर्यन्त कौशल उन्नयन के लिए स्कीमें शुरू करना।

(viii) बहु-कौशल व्यक्तियों के काडर बनाने के लिए प्रावधान होने चाहिए।

3. व्यावसायिक शिक्षा के प्रभाव को निर्धारित करना एवं मॉनीटर करना: आंकड़ों को आवधिक रूप से एकत्र तथा रोजगारिता प्रशिक्षण के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए उसका विश्लेषण करना चाहिए। लगातार सुधार के लिए मजदूरी प्रीमियम अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण स्नातक द्वारा उपयोग किए जा रहे अन्य लाभ, प्रशिक्षण संस्थानों में सीट की उपयोगिता, रोजगार पर-प्रशिक्षण की प्रकृति, और विभिन्न स्कीमों की दक्षता की आनुभाविक प्रमाण जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण की मांग की प्रकृति तथा मात्रा एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रमाणपत्रधारी के बेमेल कौशल एवं श्रम बाजार की आवश्यकताओं को समझने के लिए जनसाधन विश्लेषण पर विस्तृत रूप से से कार्य करना एक आवश्यक कदम है। यह कार्य प्रस्तावित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योजना संस्थान द्वारा किया जा सकता है।

4. व्यावसायिक शिक्षा के लिए आबंटित किए जा रहे संसाधन को बढ़ाना: प्रति व्यक्ति शर्तों में, व्यावसायिक शिक्षा की लागत सामान्य शिक्षा से अधिक है, तथापि व्यावसायिक शिक्षा पर किए जा रहे सार्वजनिक व्यय, सामान्य सेकेन्डरी शिक्षा की तुलना में काफी कम है। विनिर्माण एवं सेवा में कौशल जनसाधन के लिए किए गए मांग के अनुसार, सरकार को शिक्षा पर किए जाने वाले कुल सार्वजनिक व्यय का कम से कम 10-15 प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा स्कीम को वित्तीय सहायता देने के लिए अतिरिक्त निधि को उपलब्ध कराने के कुछ उपायों पर विचार किया जा सकता है जो निम्नलिखित है:

(i) फीस में बढ़ोत्तरी, जो छात्र ऋण स्कीम के साथ संलग्नित है। यह भी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को बाजार की जरूरतों के मुताबिक अधिक उत्तरदायी बनाता है।

(ii) नियोक्ता पर उपकर के माध्यम से निधि एकत्र करना (उदाहरण के लिए सभी कर्मचारियों के वेतनों का दो प्रतिशत जैसा की सिंगापुर में है)।

(iii) कंपनियों को सार्वजनिक व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्त देने के लिए बाध्यकारी बनाना (जैसा कोरिया में है)।

5. नवाचारी सुपुर्दगी मॉडलों के माध्यम से क्षमता का विस्तार करना: कौशल एवं अकुशल मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता है। सरकार, सार्वजनिक निजी साझेदारी, विकेन्द्रीकृत सुपुर्दगी, दूरवर्ती शिक्षा एवं कम्प्यूटरीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे नए सुपुर्दगी मॉडलों को अपनाकर क्षमता में वृद्धि कर सकता है। इसी समय, सरकार गुणवत्ता के उपाय जैसे कुछ न्यूनतम मानदंड को शुरू करेगी, और यह सुनिश्चित करती है कि सभी सार्वजनिक एवं निजी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान इस पर दृढ़ हो।

6. असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों को बढ़ाना: असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यक्रम प्रवेशियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना कड़ी चुनौती है जो रोजगार के सबसे अधिक मांग के लिए हिसाब रखते है। असंगठित क्षेत्र को आवश्यकताओं कौशल प्रदान करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने की आवश्यकता है। इन्हें पाठ्यविषयों और प्रायोगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में औपचारिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए सरकार को एक सुलभकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए तथा वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण का यह पहलू सम्पूर्ण प्रणाली की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

7. चालू संस्थागत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना: वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आईज०) और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आई०टी०आईज०) की पहचान निम्न गुणवत्ता वाले प्रशिक्षक, लचीलेपन की कमी तथा पुरानी अवसंरचना जैसी समस्याओं से जूझने की बनी हुई है। वर्तमान संस्थानों में सुधार के निम्नलिखित उपाय हे:

(i) कार्यात्मक स्वायत्तता के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए, स्थानीय विपणन जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आई०टी०आईज० को सुदृढ़ करने तथा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपनाने के लिए और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए।

(ii) अच्छे निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आंतरिक एवं

बाह्य क्षमता के संकेतकों को विकसित (प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान द्वारा) किया जाना चाहिए।

(iii) साक्षरता, अंक संबंधी, संवाद कौशल, उद्यमिता से संबंधित माड्यूल तथा कार्यस्थल के आवश्यकताओं से संबंधित अन्य सामान्य कौशलों को सभी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) विशिष्टता के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों में विभिन्न अनुक्रम शामिल किया जाना चाहिए।

(v) छात्रों को उनके डिग्री अथवा डिप्लोमा के अंश के रूप में टूल्स, व्यापार संस्थाओं की सदस्यता आदि जैसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(vi) उद्योग व व्यापार में सहभागिता न केवल इंटर्नशिप चरण में बल्कि परिक्षाओं और प्लेसमैण्टस के समय भी बढ़ानी चाहिए।

(vii) पाठ्यक्रम की नियमित मॉनीटरिंग व अद्यतन किया जाना चाहिए।

(viii) कौशल व पाठ्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान में दिए जा रहे कौशलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

(ix) शिक्षण अंग्रेजी के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं में भी होनी चाहिए।

(x) अवसंरचना का नियमित रूप से उन्नयन किया जाना चाहिए।

(xi) शिक्षण गुणवत्ता में व्यापक सुधार होना चाहिए।

8. एक मजबूत नियामक एवं अभिज्ञात ढांचा सुनिश्चित करना: अपेक्षित आधुनिकीकरण एवं विस्तार प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू नए संस्थानों के प्रवेश एवं सभी संस्थानों की अभिज्ञातता को विनियमित करना होगा। अत: राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की यह सिफारिश है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु एक स्वतंत्र नियामक एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए। यह निकाय अभिज्ञात एजेंसियों को लाइसेंस देगा तथा प्रमाणीकरण का मानदण्ड निर्धारित करेगा। निकाय द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया व कार्यविधि सरल व पारदर्शी होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्रक में अबाध रूप से विकास सुनिश्चित किया जा सके।

9. उचित प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना: वर्तमान में, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदों (एस०सी०टी०वी०) के सहयोग से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०टी०) द्वारा की जाती है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया के उचित कार्य निष्पादन के लिए एन०सी०बी०टी०, एस०सी०वी०टी० और रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय के भूमिकाओं का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए। भारत और विदेश दोनों में नियोक्ता द्वारा प्रमाणीकरण की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकृत प्रशिक्षण दाताओं के एक डाटाबेस के साथ-साथ प्रमाणीकृत कामगारों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान भी शुरू की जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पहचान में प्रमाणीकृत व्यक्तियों के बारे में कौशल व योग्यता के संबंध में सूचना होनी चाहिए जिसका कामगारों की गतिशीलता उपलब्ध कराना, बैंक लिंकेजों एवं उद्यमशीलता पहलों को बढ़ावा देने में प्रयोग किया जा सके।

10. री-ब्राण्डिंग का कार्य शुरू करना : व्यापक रूप से यह माना जाता है कि भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण का मैनुअल श्रम के साथ नकारात्मक संबंध का होना एक महत्वपूर्ण समस्या है। आधुनिक कौशल अपेक्षाओं और कार्यबल में प्रतिस्पर्धात्मकता की बराबरी करने के लिए एक व्यापक री-ब्राण्डिंग का कार्य करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय कौशल मिशन का यह प्रमुख कार्य हो सकता है। 'व्यावसायिक शिक्षा' जैसे शब्दों के बदले ''कौशल विकास'' जैसे शब्दों का प्रयोग एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। प्रशिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों के लिए कैरियर के चुनाव का प्रयास तथा उद्यमशीलता प्रशिक्षण माड्यूल प्रारंभ करने चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में सार्वजनिक व निजी निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण है। ग्यारहवीं योजना में व्यय की मात्रा का निर्धारण करने से पहले संख्या, कौशल एवं प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में जनशक्ति आवश्यकताओं का एक विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण निजी निवेश व भागीदारी सुलभ कराने के लिए एम०एच०आर०डी० द्वारा एक स्पष्ट और समर्पित संसाधन के रूप में बनाया गया मजबूत ढांचा, एक पूर्वापेक्षा है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वी०ई०टी० की गुणवत्ता और छवि को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की जिससे कि इसे सामान्य माध्यमिक शिक्षा एवं यथा संगत, की तुलना में देखा जा सके।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा का अनुपालन न किया जाना

1186. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्रचालकों ने 74 प्रतिशत की बढ़ाई गई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) सीमा के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है; जैसा कि दिनांक 22 दिसंबर, 2006 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने रिमोटएक्सेस द्वारा मरम्मत के संबंध में मानदंडों पर अमरीका और अन्य देशों द्वारा व्यक्त की गई चिंता के पश्चात एफ०डी०आई० मानदंडों का पुनर्निर्धारण किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) मौजूदा दूरसंचार प्रचालकों को दिनांक 03.11.2005 के प्रेस नोट 5(2005) की शर्तों का, जिनमें सुरक्षा संबंधी शर्तें शामिल हैं, अनुपालन करने के लिए 2 अप्रैल, 2007 तक का समय दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मंत्रिमंडल ने सुरक्षा संबंधी शर्तों और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्कों तक दूरस्थ अभिगम संबंधी रक्षोपायों की जांच करने तथा अपेक्षित किसी प्रकार के सुदृढ़ीकरण या परिवर्तनों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दिशा निर्देशों में उन्हें परिलक्षित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक समूह का गठन किया है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिव, गृह मंत्रालय, सचिव रक्षा मंत्रालय, वित्त सचिव और सचिव दूरसंचार विभाग शामिल है।

जंक फूड पर प्रतिबंध

1187. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों में जंक फूड और कोला पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर कब तक प्रतिबंध लगाया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सरकार जंक फूड के उपयोग को निरूत्साहित करने और लोगों को पौषणिक और स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने स्कूल और कालेज कैंटीनों से जंक फूड और कार्बोनेटिड पेयों को हटाने हेतु अनुदेश जारी करने पर विचार करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं कि वे अपने-अपने राज्यों के आयुर्विज्ञान और कृषि विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शैक्षिक संस्थाओं की कैंटीनों से जंक फूड और कार्बोनेटिड पेयों को हटाने हेतु अनुदेश देने पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

जंक फूड से बचने की सलाह देने वाली सूचना शिक्षा सम्प्रेषण सामग्री तैयार की गई है और राज्यों को परिचालित की गई है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

1188. **श्री अनन्त नायक** :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री पी० राजेन्द्रन :
श्रीमती सी०एस० सुजाता :
श्री परसुराम माझी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-एक और चरण-दो के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चरण-तीन में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-तीन को कार्यान्वित करने के लिए क्या योजनाएं हैं और इस हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-II के मूल्यांकन का कार्य एक कन्सोर्टियम को सौंपा है जिसमें भारतीय स्वास्थ्य प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर, भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता और जॉन हापकिन्स यूनिवर्सिटी, यू०एस०ए० शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में एच०आई०वी०/एड्स के फैलने को नियंत्रित करने के लिए नाको अपना ध्यान उच्च जोखिम वाले जनसंख्या समूहों के बीच लक्षित कार्यकलाप कार्यनीति का विस्तार करने, विशेष रूप से युवा और महिला समूहों के बीच व्यवहार परिवर्तन के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करने, आसानी से लग जाने वाले संक्रमण के उपचार सहित जरूरतमंद रोगियों के लिए परिचर्या, सहायता और उपचार में वृद्धि करने और रिट्रोवायरल रोधी औषधों की नि:शुल्क व्यवस्था करने और एच०आई०वी० कार्यकलाप कार्यनीतियों को मुख्य धारा से जोड़ने पर केन्द्रित कर रहा है। कार्यक्रम को लागू करने हेतु 6806 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया है जिसमें से 75 प्रतिशत निवारण के लिए, 17 प्रतिशत उपचार के लिए और शेष प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए है।

[हिन्दी]

बी०एस०एन०एल० द्वारा उठाई गई हानि

1189. श्रीमती नीता पटैरिया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०एस०एन०एल० को स्पेक्ट्रम चार्ज और लाइसेंस शुल्क से अपनी कमाई को हटाने के कारण भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान बी०एस०एन०एल० की स्पेक्ट्रम चार्ज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बी०एस०एन०एल० को इस घाटे से उबारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या बी०एस०एन०एल० ने दिल्ली और मुंबई में मोबाइल सेवा का प्रचालन करने के लिए आवेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) प्रारंभ से ही लाभ अर्जित करने वाली कंपनी रही है। वर्ष 2005-06 में, बी०एस०एन०एल० का निवल लाभ 8,939.69 करोड़ रु० था स्पैक्ट्रम प्रभारों और लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति 2005-06 तक प्रदान की गई थी ताकि ग्रामीण टेलीफोनी व सामाजिक रूप से वांछनीय अन्य परियोजनाओं के कारण हुई हानि की पूर्ति की जा सके।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) बी०एस०एन०एल० ने दिल्ली और मुंबई मेट्रो सेवा क्षेत्रों में स्थिर और मोबाइल सेवाएं प्रचालित करने के लिए एकीकृत अभिगम सेवा (यू०ए०एस०) लाइसेंस प्रदान करने के लिए 28.7.2006 को दूरसंचार निगम को आवेदन किया था। तथापि, सरकार ने दिल्ली और मुंबई सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रचालन संबंधी बी०एस०एन०एल० के आवेदन को रद्द कर दिया है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े जिलों के लिए नए दिशानिर्देश

1190. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए नए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दिशानिर्देशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में 250 जिले शामिल हैं। इस सूची में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारण्टी योजना द्वारा शामिल किए गए 200 जिले तथा अगस्त, 2004 में योजना आयोग द्वारा स्थापित बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर एक अंतर मंत्रालय टास्क ग्रुप द्वारा अभिज्ञात जिले शामिल हैं।

जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है। दिशा-निर्देशों के मूल तत्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन चालू वित्त वर्ष से दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो रहा है।

विवरण-I

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष-जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. अदिलाबाद
2. अनन्तपुर
3. चित्तूर
4. कुड्डप्पा
5. करीमनगर
6. खम्माम
7. महबूब नगर
8. मेडक
9. नालगोंडा
10. निजामाबाद
11. रंगारेड्डी
12. विजयनगरम
13. वारंगल

अरूणाचल प्रदेश

अपर सुवनश्री

असम

1. बारपेटा
2. बोंगईगांव
3. कचार
4. धेमाजी
5. गोलपारा
6. हैलाकंडी
7. कारवी आगलोंग
8. कोकराझार
9. मारीगांव
10. उत्तरी लखीमपुर (लक्षा)
11. उत्तरी कचार हिल्स

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बेगूसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुई
12. जहानाबाद
13. कैमूर/भभुआ
14. कटिहार
15. किशनगंज
16. खगड़िया
17. लक्खीसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुज्जफरपुर
22. नालन्दा
23. नवादा
24. पटना
25. पश्चिम चंपारण
26. पूर्वी चंपारण
27. पूर्णिया
28. रोहतास
29. सहरसा
30. समस्तीपुर
31. सारण
32. शेखपुरा
33. शिवहर
34. सीतामढ़ी
35. सुपौल
36. वैशाली

छत्तीसगढ़

1. बस्तर
2. बिलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतरी
5. जसपुर
6. कांकेर
7. कवर्धा
8. कोरबा
9. कोरिया
10. महसमुंड
11. रायगढ़
12. राजनांदगांव
13. सरगुजा

गुजरात

1. बनस्कनथा
2. डांग्स
3. दाहोड
4. नर्मदा
5. पंचमहल
6. साबरकंथा

हरियाणा

1. मोहिंदरगढ़
2. सिरसा

हिमाचल प्रदेश

1. चंबा
2. सिरमौर

जम्मू और कश्मीर

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. पूंछ

झारखंड

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवघर

4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरिडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हजारीबाग
11. जामतारा
12. कोडरमा
13. लातेहार
14. लोहरदग्गा
15. पश्चिम सिंहभूम
16. पाकुड़
17. पलामू
18. रांची
19. साहिबगंज
20. सरायकेला
21. सिमडेगा

कर्नाटक

1. बीदर
2. चित्रदुर्ग
3. देवनगिरि
4. गुलबर्गा
5. रायचुर

केरल

1. पालक्कड

2. वनाड

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बरवानी
3. बेतुल
4. छत्तरपुर
5. दमोह
6. धार
7. दिनदोरी
8. गुना
9. झाबुआ
10. कांटी
11. खंडवा
12. मंडला
13. पन्ना
14. राजगढ़
15. रीवा
16. सतना
17. सिनोई
18. शहडोल
19. शिवपुर
20. शिवपुरी
21. सिद्धी
22. टिकमगढ़
23. उमरिया
24. पश्चिम निमर

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर
2. अमरावती
3. औरंगाबाद
4. भांडरा
5. चंद्रपुर
6. धुले
7. गदचिरोली
8. गोंदिया
9. हिंगोली
10. नार्देड
11. नंडरबार
12. यवतमाल

मणिपुर

1. चंदेल
2. चुरचंद्रपुर
3. तमेंलांग

मेघालय

1. रि भोई
2. दक्षिण गारो हिल्लस
3. पश्चिम गारो हिल्लस

मिजोरम

1. लवंगतलाय
2. स्याहा

नागालैंड

1. मोन

2. तुयेनसांग
3. वोरखा

उड़ीसा

1. बोलांगिर
2. बौध
3. देवागढ़
4. धेंकनाल
5. गाजापट्टी
6. गंजाम
7. झरसुगुड्डा
8. कालाहांडी
9. क्योंझर
10. कोरापुट
11. मलकानगिरी
12. मयूरभंज
13. नवरंगपुर
14. नुआपाडा
15. फूलवानी
16. रायगढ़
17. संबलपुर
18. सोनपुर
19. सुंदरगढ़

पंजाब

1. होशियारपुर

राजस्थान

1. वंशवारा

2. बारमेर
3. चितौड़गढ़
4. डुंगरपुर
5. जैसलमेर
6. जालौर
7. झलवर
8 करोली
9. सवाई माधोपुर
10. सिरोही
11. टॉक
12. उदयपुर

सिक्किम

1. उत्तर सिक्किम

तमिलनाडु

1. कुड्डलौर
2. डिंडिगुल
3. नागपट्टनम्
4. शिवगंगी
5. त्रिवनमल्ली
6. विल्लुपुरम

त्रिपुरा

1. धल्लाई

उत्तर प्रदेश

1. अंबेदकर नगर
2. आजमगढ़
3. बहराइच
4. बलरामपुर
5. बांदा
6. बाराबंकी
7. बस्ती
8. बदायूं
9. चंदौली
10. चित्रकूट
11. एटा
12. फरुखाबाद
13. फतेहपुर
14. गोंडा
15. गोरखपुर
16. हमीरपुर
17. हरदोई
18. जालौन
19. जौनपुर
20. कौशांबी
21. कुशीनगर
22. लखिमपुर खीरी
23. ललितपुर
24. महराजगंज
25. महोवा
26. मिरजापुर
27. प्रतापगढ़
28. रायबरेली
29. संत कबीर नगर
30. सरावस्ती
31. सिद्धार्थ नगर
32. सीतापुर
33. सोनभद्र
34. उन्नाव.

उत्तरांचल

1. चमोली
2. चंपावत
3. टिहरी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल

1. बांकुरा
2. बीरभूमि
3. दक्षिण दिनाजपुर
4. जलपाईगुड़ी
5. मालदा
6. मिदनापुर (पूरब)
7. मिदनापुर (पश्चिम)
8. मुर्शिदाबाद
9. पुरूलिया
10. 24 परगवा दक्षिण
11. उत्तर दिनाजपुर

विवरण-II

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) के घटक जिलों हेतु दिशा-निर्देशों के मूल तत्व

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के गठन का उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। निधि से चुने हुए जिलों में विकास के लिए दी जाने वाली राशि के प्रवाह में वृद्धि करने तथा उसे समन्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि : (क) स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी अन्य आवश्यताओं की ऐसी नाजुक कड़ियों को जोड़ा जा सके और मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ठीक नहीं हो पा रही हैं; (ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायत और नगरपालिका स्तर की शासन व्यवस्था को क्षमता सृजन के माध्यम से पर्याप्त सुदृढ़ करना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहभागितापूर्ण नियोजन, निर्णय करने, क्रियान्वयन और निगरानी में मदद मिले; (ग) स्थानीय निकायों को नियोजन, क्रियान्वयन और योजनाओं की निगरानी में पेशेवर सहायता उपलब्ध कराना; (घ) पंचायतों को सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में सुधार करना तथा अपर्याप्त स्थानीय क्षमता तथा सबको इनका फायदा दिलाने में विद्यमान कमियों को दूर करना।

बी०आर०जी०एफ० जिलों के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। मंत्रालय ने हाल ही में बी०आर०जी०एफ० के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं तथा जारी किए है। दिशा-निर्देश पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाईट

(httpp://www. panchayat.gov.in) पर भी उपलब्ध है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मूल तत्व निम्नवत् है।

(i) राष्ट्रीय सम विकास योजना में समाविष्ट सभी 147 जिलों समेत 250 जिलों को बी०आर०जी०एफ० में शामिल किया गया है।

(ii) बी०आर०जी०एफ० के दो वित्त पोषण विण्डो हैं जिनके नाम हैं – क्षमता निर्माण निधि प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2006-07 के लिए की प्रर्याप्त रूप में अनाबंटित (अनटायड) अनुदान 3500 करोड़ रुपये (ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान परिव्यय बाद में सूचित किया जाना है)

(iii) प्रर्याप्त रूप से अनाबंटित अनुदान को निम्नवत रूप में जिलों के बीच वितरित किया जाएगा (क) प्रत्येक जिला प्रति वर्ष निर्धारित कम से कम 10 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करेगा तथा (ख) इस स्कीम के तहत शेष आबंटन कुछ जिलों की जनसंख्या तथा क्षेत्र और सभी पिछड़े जिलों की जनसंख्या तथा क्षेत्र के हिस्से के आधार पर किया जाएगा।

(iv) सभी 147 आर०एस०वी०वाई० जिलों को आर०एस०वी०वाई० के तहत अनुमोदित योजनाओं के पूर्ण हो जाने तक जहां तक वह अनुमोदित है, निधियां (विद्यमान प्रबोधन शुल्क के साथ) निर्मुक्त की जाएगी। गैर आर०एस०वी०वाई०-बी०आर०जी०एफ० जिले इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप 2006-07 में जिला योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

(v) संबंधित जिले के पिछड़े जिले के भीतर प्रत्येक पंचायत अथवा नगरपालिका बी०आर०जी०एफ० के तहत योजना के लिए एक इकाई होगी। प्रत्येक पंचायत तथा नगरपालिका द्वारा तैयार की गई योजना को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप गठित जिला आयोजना समिति द्वारा जिला योजना के रूप में समेकित किया जाए।

(vi) जिला योजना के समेकन के दौरान यह सुनिश्चित करने के प्रति विशेष सर्तकता बरती जाएगी कि जिला योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास से संबंधित मसलों का समाधान किया जाए।

(vii) राज्य सरकार एक विभाग, प्रधानत: पंचायती राज विभाग, राज्य स्तर पर एक नोडल विभाग के रूप में, जो इस कार्यक्रम के प्रबंधन, प्रबोधन तथा मूल्यांकन के लिए जिम्मेवार होगा, पदनामित करेगी।

(viii) एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति जिसके प्रमुख राज्य मुख्य सचिव होंगे तथा सदस्य राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से होंगे, जो बी०आर०जी०एफ० के घटक जिलों के तहत हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित जिला योजना पर विचार करेंगे तथा अनुमोदित करेंगे।

(ix) सभी निधियां राज्य सरकारों के संचित निधि को अंतरित की जाएगी। जो निधियां पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को राज्य सरकारों द्वारा अंतरित की जानी है वे निधियां संचित निधि की निर्मुक्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर उनके बैंक लेखों में अंतरित कर दी जाएगी।

(x) लेखा परीक्षा, कार्यों का निरीक्षण, कार्यों के सत्यापन की पुस्तिका तैयार करना तथा प्रगति रिपोर्ट को तैयार करना जैसे कार्य विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किए जाएंगे।

(xi) राज्य तथा जिले जो संविधान के भाग-9 भाग 9-ए के द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं के लिए अध्याय-5 में अलग दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

ठेकेदारों के माध्यम से कोयला उत्पादन

1191. श्री सांताश्री चटर्जी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का 50% से ज्यादा उत्पादन ठेकेदारों और ठेका श्रमिकों के जरिए किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेकेदारों और ठेका श्रमिकों को कानून के अनुसार काम पर लगाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को प्राधिकारियों द्वारा ऐसे कानून के उल्लंघन के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) 2005-06 में कोयले के 343.39 मि०ट० के कुल उत्पादन में से केवल 160.34 मि०ट० कोयला कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) तथा उसकी सहायक कंपनियों में किराए के उपकरणों/आउटसोर्सिंग द्वारा उत्पादित किया गया। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और इसके अधिक लाभदायक होने के कारण आउटसोर्सिंग की जा रही है ताकि सी०आई०एल० द्वारा कोयले की मांग को पूरा किया जा सके।

(ग) और (घ) सी०आई०एल० तथा उसकी सहायक कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से संविदा आधार पर श्रमिकों को नियोजित नहीं करती हैं/नहीं रखती हैं। तथापि, जो कतिपय कार्य स्थायी तथा चिरस्थायी स्वरूप के नहीं हैं, को ठेके पर दिया जाता है। इनके लिए ठेकेदार अपने कामगारों को लगाते हैं। सेवा की शर्तें तथा निबंधन, अन्य सुविधाएं/लाभ आदि ठेके के करार एवं ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाकिस्तान संबंध

1192. **श्री काशीराम राणा :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कश्मीर मुद्दे के समाधान सहित भारत-पाकिस्तान संबंध में सुधार लाने के लिए कुछ नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 2006 में एक भारतीय समाचार चैनल पर साक्षात्कार में, राष्ट्रपति मुशर्रफ ने जम्मू एवं कश्मीर से सम्बद्ध कुछ प्रस्ताव दिए थे, जो उनके द्वारा पूर्व में दिए गए प्रस्तावों के अनुरूप थे। इनमें उन क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें ये प्रस्ताव लागू होंगे, नियंत्रण रेखा को असंगत बनाना, विसैन्यीकरण, स्व-शासन तथा संयुक्त प्रबंधन शामिल हैं।

(ग) जम्मू और कश्मीर के मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता के दायरे में विचार किया जा रहा है। उपर्युक्त वार्ताओं में हमारा बराबर यही मानना रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक अभिन्न भाग है और जम्मू एवं कश्मीर के मसले का समाधान बातचीत के द्वारा ही हो सकता है। इस भू-क्षेत्र में विसैन्यीकरण अथा सुरक्षाबलों की पुन: तैनाती का निर्णय वर्तमान सुरक्षा स्थिति के स्वयं अपने आकलन पर आधारित भारत सरकार का सम्प्रभुतासम्पन्न निर्णय है। जम्मू एवं कश्मीर पहले से ही भारतीय संविधान के अधीन स्वायत्त है और वहां लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार है।

कोयला वितरण नीति

1193. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री हंसराज गं० अहीर :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री उदय सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले के विपणन के लिए ई-ऑक्शन प्रणाली को बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोयला वितरण नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) से (च) वर्ष 2004-05 में लागू ई-नीलामी के जरिए कोयले की बिक्री को माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। कोल इंडिया लि० ने अन्तरिम रूप से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ई-बुकिंग योजना लागू की है कि नॉन-लिंकड उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति बाधित न हो। माननीय उच्चतम

न्यायालय की टिप्पणियों और निदेशों को ध्यान में रखते हुए कोयले के वितरण के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में 29 दिसम्बर, 2006 को एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता

1194. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता मांगी जाएगी;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयोगशालाओं और अनुसंधान कार्य में कुशल औषध विनिर्माताओं, केमिस्टों और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता में एक नए निकाय का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य सरकारें मुख्य रूप से निवारक, संवर्धक और रोगहर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग और एड्स जैसे केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करती है। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया है। जिसमें अभी स्तरों पर अर्थात् उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों को अपनाए जाने की व्यवस्था है। बाह्य सहायता जुटा कर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार को तथा कुछ राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार करना और उनका दर्जा बढ़ाना है और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण जैसे यूनिसेफ, यू०एन०एफ०पी०ए०, अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यू०के०, संयुक्त राज्य अन्तरराष्ट्रीय विकास अभिकरण, यूरोपियन कमीशन आदि सरकार के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

दूरसंचार सर्किलों में रिक्तियां

1195. श्री अनिल बसु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, सर्किलवार और श्रेणीवार बी०एस०एन०एल०/एम०टी०एन०एल० में कितनी रिक्तियां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए रिक्तियों को भरने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भरा जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंग प्रत्यारोपण

1196. श्री के०एस० राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यारोपण के लिए अंगों को मांग और आपूर्ति में कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दाताओं को आकर्षक प्रोत्साहन देकर बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट नीति और दिशानिर्देश तैयार करने और प्रत्येक जिला मुख्यालय में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अस्पतालों में प्रत्यारोपण केन्द्र और सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 शव और मस्तिष्क मृत अंग दान को सुकर बनाता है और यह अधिनियम (i) चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को निकालने और प्रत्यारोपण को विनियमित करता है, अधिनियम के अंतर्गत केवल पंजीकृत अस्पतालों में ही प्रत्यारोपण करने को अनिवार्य बनाता है; (ii) मानव अंगों में व्यावसायिक कार्य को प्रतिबंधित करता है; (iii) मस्तिष्क मृत्यु को वैध बनाता है और न केवल शव वृक्क प्रत्यारोपण करने को संभव बनाता है बल्कि मस्तिष्क मृत दाताओं का उपयोग करते हुए हृदय, फेफड़े, जिगर और अन्य अंगों तथा टिश्यू प्रत्यारोपण को भी संभव बनाता है।

भारत में मृत्यु के बाद अंगों का दान स्वीकार किया गया है। परन्तु मांग को पूरा करने के लिए दान किए गए अंगों की संख्या पर्याप्त नहीं है। देश में अंगदाताओं की संख्या रिश्तेदारों की सहमति प्राप्त करने में असमर्थता के कारण बहुत कम है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंग दान, मानव अंगों के उचित और न्यायसंगत वितरण और मानव अंगों के अधिकतम उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुविधा और नोडल केन्द्र के रूप में अंग पुन: प्राप्ति बैंकिंग संगठन (ओ०आर०बी०ओ०) की स्थापना की है। ओ०आर०बी०ओ० शव अंग दान का समन्वय करता है। ओ०आर०बी०ओ० ने आम जनता के लिए पुस्तिकाएं और प्रदर्शन के लिए पोस्टर प्रकाशित किए हैं। ओ०आर०बी०ओ० धार्मिक निकायों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के साथ नियमित तौर पर जागरूकता अभियान चलाता है। दिल्ली में सही रूप से कार्य करने के लिए तथा समन्वय प्रक्रिया अथवा अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए ओ०आर०बी०ओ० ने 15 अस्पतालों (सरकारी, सार्वजनिक और चेरिटेबल) का एक नेटवर्क बनाया है।

गैर सरकारी संगठन और मल्टी आर्गेन हारवेस्टिंग एंड नेटवर्क, हैदराबाद; फाउंडेशन फॉर आर्गेन रिट्रिवेल एंड ट्रांसप्लांट एजूकेशन, चेन्नई; और जोनल ट्रांसप्लांट कोर्डिनेशन कमेटी, मुम्बई जैसे संस्थान न केवल शव दान प्रत्यारोपण कार्यकलापों को समन्वित करते हैं बल्कि इसके बारे में लोगों को शिक्षित भी करते हैं।

लोक स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना

1197. डा० एम० जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में लोक स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद में स्थित वृहद लोक स्वास्थ्य अवसंरचना के महेनजर शहर में ऐसे एक संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ऐसे संस्थानों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सरकार ने भारत में जनस्वास्थ्य के विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करने में भारतीय जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पी०एच०एफ०आई०) की सहायता करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठान सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाला एक स्वायत्त संस्थान है जिसमें भारत सरकार का प्रस्ताव आरंभिक 200 करोड़ रुपए वाले पी०एच०एफ०आई० कार्पस में 65 करोड़ रुपए तक का एकबारगी अनुदान देने का है जबकि अन्य एक-तिहाई बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से प्राप्त होगा और शेष भाग भारत और विदेश, दोनों के उच्च नेटवर्क वाले कारपोरेटों/व्यक्तियों से प्राप्त होगा। स्कूलों को स्थापित किए जाने की वास्तविक अवस्थिति का निर्णय भारतीय जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठान द्वारा लिया जाना है।

(ग) और (घ) जैसा कि भारतीय जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठान द्वारा सूचना दी गई है, यह प्रतिष्ठान हैदराबाद में जनस्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ कार्य कर रहा है।

(ङ) भारतीय जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अनुसार प्रथम जनस्वास्थ्य संस्थान के जुलाई, 2008 में चालू होने की संभावना है।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में उपकरण

1198. श्री चौ० मुनव्वर हसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न अस्पतालों में 1 जनवरी, 2006 से आज तक नए नैदानिक उपकरणों की खरीद/मरम्मत में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) आज तक खराब पड़ी ऐसी नैदानिक मशीनों/उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों का विश्वास बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जहां तक सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, वहां पर उपकरणों से सुसज्जित जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जनवरी, 2006 से आज की तारीख तक नैदानिक/जांच उपकरणों के प्रापण/मरम्मत के लिए खर्च की गई धनराशि नीचे दी गई है:–

क्र० सं०	अस्पताल का नाम	धनराशि
1.	सफदरजंग अस्पताल	272.64 लाख रुपए
2.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	494.34 लाख रुपए
3.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल	223.78 लाख रुपए

अस्पताली सेवाओं/अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और उसे आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

स्केलेटल फ्लोरोसिस

1199. **श्री मधु गौड़ यास्खी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में लाखों लोग महामारी स्केलेटल फ्लोरोसिस से प्रभावित हुए हैं जिससे उनमें विकलांगता आ चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्लोरोसिस से पीड़ित लोग अक्सर भोजन तथा पानी में फ्लोराइड के बहु स्रोतों का सेवन करते पाये गए हैं जैसा कि डब्ल्यू०एच०ओ० की रिपोर्ट में बताया गया है; और

(घ) यदि हां, तो स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी महामारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) स्केलेटल फ्लूरोसिस, फ्लरोसिस के तीन रूपों में से एक है। देश में पेय जल के फ्लोरिन कन्टेंट के आधार पर 19 राज्यों में फ्लूरोसिस एक समस्या है। ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड और छत्तीसगढ़। अनुमान है कि देश में फ्लूरोसिस से वास्तव में प्रभावित जनसंख्या 25 मिलियन है।

(ग) सामान्य तौर पर फ्लोराइड पीने के पानी और खाद्य उत्पादों के जरिए लिया जाता है। फ्लोराइड के अन्य स्रोत औद्योगिक उत्सर्जन, औषधयुक्त फ्लोराइड हैं।

(घ) फ्लोराइड को सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था करके नियंत्रित किया जाता है। पीने के पानी की व्यवस्था करना राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार ग्रामीण पेय जल की आपूर्ति के संबंध में गुणवत्ता से संबंद्ध समस्याओं और संपोषणीय मुद्दों को हल करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना – ग्रामणी पेय जल के अधीन निधियां प्रदान करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयास में सहायता करती है। पेय जल आपूर्ति विभाग के साथ यूनिसेफ ने पेय जल में फ्लोराइड का आकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों को आयन मीटरों की आपूर्ति की है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान फ्लूरोसिस के बारे में जागरूकता पैदा करने और देश में फ्लूरोसिस को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जन स्वास्थ्य अभियंताओं और चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

सरकार राष्ट्रीय फ्लूरोसिस निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम में शुरू करने पर विचार कर रही है।

खाड़ी देशों के साथ समझौता ज्ञापन

1200. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान तथा बहरीन जैसे कई खाड़ी देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन समझौता ज्ञापनों के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) खाड़ी देशों में कार्यरत कामगारों की देश-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच श्रमशक्ति भर्ती में सहयोग हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी हां, प्रस्तावित समझौता ज्ञापन में भारत और खाड़ी देशों के बीच श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की व्यवस्था है। उद्देश्य सही और मानवीय प्रवासी रोजागर का संवर्धन, प्रवासी भारतीय श्रमिकों की सभी श्रणियों का कल्याण और संरक्षण करना तथा संयुक्त समितियों की मार्फत श्रम विवादों को हल करना है।

(ग) मिशनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार खाड़ी में कार्य कर रहे भारतीयों की संख्या निम्नलिखित है:

क्रमांक	देश का नाम	श्रमिकों की संख्या
1.	कुवैत	4,77,938
2.	कतर	2,20,000
3.	सऊदी अरब	12,39,686
4.	ओमान	6,68,277
5.	बहरीन	2,18,242
6.	संयुक्त अरब अमीरात	7,70,000

(घ) और (ङ) संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और भारत सरकार के बीच जनशक्ति के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर 13.12.2006 को हस्ताक्षर किये गये थे। प्रवासी रोजगार संवर्धन, उत्प्रवासी श्रमिकों की सभी श्रेणियों के लिए कानूनी संरक्षण, श्रमिकों के अवैध उत्प्रवास पर रोक और समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी और इससे संबंधित विषयों को हल करने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन के लिए समझौता ज्ञापन में विशिष्ट प्रावधान शामिल किये गये हैं।

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाओं के मामले

1201. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : **क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को घातक सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु अनुसंधान, सड़क सुधार, खतरनाक वाहनों को छोड़ने तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त अनुवीक्षण बनाए रखने जैसे वैज्ञानिक उपाय अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनका ब्योरा देने का भी आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए मुआवजा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश में घातक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वैज्ञानिक पद्धत का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने हेतु कोई निर्देश नहीं दिया है। तथापि, इस विभाग ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:–

(i) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की आयोजना स्तर पर सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन व्यवस्था का उपयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था की शुरूआत, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(iii) असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना।

(v) देश में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(vi) दृश्य-श्रव्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रचार अभियान।

(vii) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(viii) वाहनों के सुरक्षा मानक कठोर बनाना।

(ix) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत पूरा हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 50 कि०मी० की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

(x) दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन आदि का बनाना और सुधारना।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) ब्योरे इस समय नहीं दिए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

गैर-पंजीकृत पार्सल व्यवस्था में कमी

1202. **श्री सुप्रीय सिंह :**
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक के अपंजीकृत पार्सल व्यवसाय में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2004-05 के दौरान इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रेल के साथ संयुक्त पार्सल प्रोडक्ट संबंधी पहल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने पार्सल व्यवसाय के कहां तक पुनर्जीवित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) अपंजीकृत पार्सल व्यवसाय के मामले में वर्ष 2004-2005 में वर्ष 2003-2004 की तुलना में थोड़ी गिरावट आई। हालांकि, वर्ष 2004-2005 की तुलना में 2005-2006 में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई।

वर्ष 2003-2004 से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:—

(रुपयों में)

पार्सल का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
अपंजीकृत	118380114	117078465	152032334

(ग) से (ङ) डाक विभाग और रेल मंत्रालय पार्सल और लॉजिस्टिक्स पोस्ट पारेषणों को रेल नेटवर्क के माध्यम से भेजने के लिए एक संयुक्त उत्पाद के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इस संयुक्त उत्पाद से हमारे पार्सल व्यवसाय में और वृद्धि होने की आशा है।

एन०एच०ए०आई० द्वारा निजी पार्टियों को ठेका देना

1203. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) द्वारा निजी पार्टियों को दिए गए ठेकों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ ठेके एन०एच०ए०आई० द्वारा समाप्त कर दिए गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 317 ठेके जिसमें 12428 कि०मी० लंबाई है, निजी क्षेत्र को सौंप दिए हैं। इनमें से कुछ ठेके ठेकेदारों द्वारा श्रम और मशीनरी के घटिया संग्रहण और अत्यधिक धीमी प्रगति के कारण रद्द कर दिए गए हैं। रद्द कर दिए ठेकों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधी रद्द ठेके

क्रम सं०	खंड	वित्तपोषण	रा०रा० सं०	लंबाई (कि०मी०)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
	स्वर्णिम चतुर्भुज				
1.	चित्रदुर्ग बाइपास	ए०डी०बी०	4	18	शेष कार्य दिसंबर, 2006 में सौंपा गया
2.	गंजम से इच्छापुरम (ओ०आर०-viii)	एन०एच०ए०आई	5	50.8	शेष कार्य 31 मार्च, 2006 में सौंपा गया
3.	शिकोहाबाद से इटावा (जी०टी०आर० आई०पी० I-बी)	डब्ल्यू०बी०	2	59.02	शेष कार्य 5 सितम्बर, 2006 में सौंपा गया
4.	श्रीकाकुलम से चंपावती (ए०पी०-1)	एन०एच०ए०आई०	5	48	शेष कार्य दिसंबर, 2005 में सौंपा गया
5.	इटावा बाइपास	एन०एच०ए०आई०	2	13.6	शेष कार्य दिसंबर, 2005 में सौंपा गया
6.	हवेरी से हरिहर	एन०एच०ए०आई०	4	56	16 जनवरी, 2007 को रद्द किया गया
7.	हरिहर से चित्रदुर्ग	एन०एच०ए०आई०	4	77	16 जनवरी, 2007 को रद्द किया गया
	उत्तर-दक्षिण				
8.	पंछी गुजरात से कमसपुर (सोनीपत) तक 6 लेन बनाना (एन०एस०-17/एच०आर०)	एन०एच०ए०आई०	15	21.7	शेष कार्य 18 अक्तूबर, 2005 को पुन: सौंपा गया
9.	हरियाणा/दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक (एन०एच०-18/डी०एल०) तक 8 लेन बनाना	एन०एच०ए०आई०	1	12.9	शेष कार्य 5 अक्तूबर, 2005 को पुन: सौंपा गया
10.	गुंडला पोंचमपल्ली से बावनपल्ली/464 से 474 और 9.20 से 22.30 कि०मी०/ (एन०एस०-23)	एन०एच०ए०आई०	7	23.1	शेष कार्य को 30 जून, 2005 को पुन: सौंपा गया

1	2	3	4	5	6
11.	कन्याकुमारी से पानागुडी (एन०एस०-32)	एन०एच०ए०आई०	7	23.1	ठेका रद्द किया गया
	पूर्व पश्चिम				
12.	लखनऊ से कानपुर (ईडब्ल्यू/3ए)	एन०एच०ए०आई०	25	16	शेष कार्य पुन: सौंपा गया

डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन

1204. श्री एन०एस०वी० चित्तन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषरूप से तमिलनाडु संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए डाकघरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) डाक विभाग की नीति के अनुसार देश के सभी विभागीय डाकघरों को चरणबद्ध रूप से टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कर दिया जाएगा।

विवरण

31.3.2006 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए डाकघरों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	टेलीफोन कनेक्शन वाले विभागीय डाकघरों की संख्या	टेलीफोन कनेक्शन वाले अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1767	6
2.	असम	440	7
3.	बिहार	1042	99
4.	छत्तीसगढ़	334	128 डब्ल्यू०एल०एल०
5.	दिल्ली	421	शून्य
6.	गुजरात	1299	7
7.	हरियाणा	458	5
8.	हिमाचल प्रदेश	378	शून्य
9.	जम्मू-कश्मीर	138	1
10.	झारखंड	321	शून्य
11.	कर्नाटक	1692	180
12.	केरल	1454	727
13.	मध्य प्रदेश	1008	1
14.	महाराष्ट्र	1777	शून्य
15.	गोवा	207	शून्य
16.	त्रिपुरा	65	शून्य
17.	मेघालय	47	शून्य
18.	मणिपुर	35	शून्य
19.	मिजोरम	39	शून्य
20.	नागालैंड	31	शून्य

1	2	3	4
21.	अरुणाचल प्रदेश	42	शून्य
22.	उड़ीसा	845	1502
23.	पंजाब	790	3
24.	चंडीगढ़	46	शून्य
25.	राजस्थान	650	शून्य
26.	तमिलनाडु	1341	13 + 167 पी०सी०ओ०
27.	पांडिचेरी	22	शून्य
28.	उत्तर प्रदेश	1595	1069
29.	उत्तरांचल	288	शून्य
30.	पश्चिम बंगाल	1649	252
31.	सिक्किम	23	शून्य
32.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	27	शून्य
	कुल	20271	4167

एच०आई०वी०/एड्स की जागरूकता

1205. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार 73 प्रतिशत युवाओं को एच०आई०वी० के बारे में भ्रान्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्यो उक्त सर्वेक्षण के अनुसार अविवाहित युवतियों की तुलना में विवाहित स्त्रियों में एच०आई०वी० से ग्रसित होने की संभावना अधिक होती है; और

(घ) यदि हां, तो समाज के इस वर्ग में एच०आई०वी० के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) 2001 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय व्यवहार निगरानी सर्वेक्षण के अनुसार, 73 प्रतिशत युवा जनसंख्या में संचरण की कुछ गलत विधियों जैसे मच्छर द्वारा काटने और साथ बैठ कर भोजन करने के संबंध में भ्रांतियां थी। तथापि 2006 के दौरान यह प्रतिशतता कम होकर 49.4 प्रतिशत रह गई है। रिपोर्ट में अविवाहित लड़कियों की तुलना में युवा दुल्हनों के अधिक संवेदनशील होने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की कोर कार्यनीति रोकथाम बनी हुई है। जन प्रचार माध्यमों और अन्तर वैयक्तिक चैनलों के जरिए यौन क्रिया से परहेज करने और इस में देरी करने, अपने सहभागी के प्रति ईमानदार रहने तथा कंडोम का सही और लगातार इस्तेमाल करने का प्रचार-प्रसार करने हेतु युवाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सूचना शिक्षा संप्रेषण अभियानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। युवाओं के बीच स्वयं का बचाव करने हेतु जीवन दक्षता विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

[हिन्दी]

रेल-सड़क लिंकेज परियोजनाएं

1206. **श्री वी०के० थुम्मर :**
श्री जीवाभाई ए० पटेल :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य-सरकारों से प्राप्त कई रेल-सड़क लिंकेज परियोजनाएं सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं में वर्ष-वार तथा परियोजना-वार कितनी प्रगति की गई है; और

(घ) गुजरात में समुद्रीय पत्तनों तक रेल तथा सड़क-संपर्क में तेजी लाने के लिए केन्द्र-सरकार द्वारा क्या क़दम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) संघ-सरकार, केवल राष्ट्रीय राजमार्गों को ही विकसित करवाने और उनका रख-रखाव करवाने तथा देश के महापत्तनों

का राष्ट्रीय राजमार्गों से संपर्क क़ायम करवाने की ज़िम्मेदार है। इस समय, गुजरात में एक ही महापत्तन, अर्थात् कांडला-पत्तन है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8क से अच्छी तरह से जुड़ा है। फिर भी, राष्ट्रीय राजमार्ग-विकास-कार्यक्रम के चरण-III में शामिल की गईं, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करके उन्हें बढ़ाए जाने की परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाएं निष्पादित किए जाने से गुजरात के कुछ लघु पत्तनों से सड़क-संपर्क बेहतर बनाना भी सुकर हो जाएगा। ये परियोजनाएं, नीचे दर्शाई जा रही हैं:—

परियोजना	स्थिति
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8क का कांडला-मुन्द्रा-पत्तन-खंड	राष्ट्रीय राजमार्ग-8 क के 73 किलोमीटर के खंड को चार लेनों का बनाए जाने की परियोजना के संबंध में विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु कीमतों की बोलियों से युक्त निविदाएं आंकी जा रही हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 का सूरत-हज़ीरा-पत्तन-खंड	राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के 29 किलोमीटर के खंड को चार लेनों का बनाए जाने की परियोजना के संबंध में विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट प्रारंभिक अवस्था में है।

गुजरात में लघु पत्तनों का रेल से संपर्क क़ायम किए जाने के क्रम में, गुजरात के महत्वपूर्ण लघु पत्तनों का बड़ी रेल लाइन से संपर्क क़ायम करने की दृष्टि से, गुजरात समुद्रीय बोर्ड ने मैसर्स रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकॉनोमिक सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से प्रौद्योगिकी-व्यवहार्यता-अध्ययन आरंभ करके पूरा कर लिया था। इस बारे में गुजरात की राज्य-सरकार और रेल-बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 20 जुलाई 2006 को विचार-विमर्श हो गया है। इसी बीच, रेलवे, गुजरात में लघु पत्तनों का रेल से संपर्क क़ायम करने की निम्नलिखित परियोजनाएं निष्पादित कर रहा है:—

पत्तन का नाम	स्थिति
देहज-पत्तन (भरूच-सामनी-दहेज-अमान (गेज) का बदला जाना)	उपर्युक्त परियोजना, रेल-विकास-निगम द्वारा विशेष प्रयोजनीय वाहन अर्थात् भरूच-दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित किए जाने हेतु संस्वीकृत कर दी गई है। उपर्युक्त विशेष प्रयोजनीय वाहन, उपर्युक्त परियोजना निष्पादित करेगा। उपर्युक्त क्रम में हिस्सेदार-क़रार, 12.01.2007 को निष्पादित किया चुका है। उपर्युक्त परियोजना की प्रत्याशित लागत, 165.77 करोड़ रु० है।
हज़ीरा-पत्तन (सूरत-हज़ीरा-नई लाइन)	उपर्युक्त परियोजना के संबंध में राजस्व के आबंटन और रियायत-क़रार को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, उपर्युक्त परियोजना कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष परियोजनीय वाहन क़ायम किया जाना है।
धोलेरा-पत्तन	इस पत्तन से रेल का संपर्क क़ायम किए जाने हेतु रेल-विकास-निगम प्रारंभिक इंजीनियरी-सह-यातायात सर्वेक्षण कर रहा है।
बेदी और नये बेदी पत्तन का रेल से संपर्क	उपर्युक्त परियोजना के संबंध में, रेल-बोर्ड, मैसर्स रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकॉनोमिक सर्विसेज लिमिटेड (राइटस) द्वारा तैयार की गई अध्ययन-रिपोर्ट का आकलन कर रहा है।

[अनुवाद]

सेतुसमुद्रम-परियोजना में बाधाएँ

1207. **श्री प्रह्लाद जोशी :**
श्रीमती करूणा शुक्ला :
श्री संतोष गंगवार :

क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में प्रस्तावित सेतुसमुद्रम परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को अंतर्जलीय सेतु को तलकर्षण से बचाने के लिए कोई सुझाव अथवा विकल्प मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपर्युक्त परियोजना से संबंधित निर्माण-कार्य का भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 02.07.2005 को उद्घाटन किया गया और उपर्युक्त निर्माण-कार्य चल रहा है। उपर्युक्त परियोजना में मुख्यत: दो स्थानों अर्थात् एडम्स ब्रिज और पाल्क स्ट्रेट तथा पाल्क की खाड़ी पर निकर्षण का कार्य किया जाना है। जैसा कि अनुमान लगाया गया है, कुल 82.5 मिलियन घन मीटर के क्षेत्र का निकर्षण किया जाना अपेक्षित है। भारतीय निकर्षण-निगम लिमिटेड, विशाखापट्टणम को उपर्युक्त परियोजना से संबंधित निकर्षण का कार्य सौंप दिया गया है। एडम्स ब्रिज पर निकर्षण का कार्य, 11.12.2006 को आरंभ कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त परियोजना निष्पादित किए जाने के खिलाफ अभिवेदन मिले हैं। फिर भी, उपर्युक्त परियोजना से संबंधित प्राधिकारियों के पास उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त परियोजना-क्षेत्र में जल के नीचे कोई भी निर्माण-कार्य नहीं है।

(च) विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट के अनुसार, उपर्युक्त परियोजना के निष्पादन से संबंधित कार्य, नवम्बर, 2008 तक पूरा कर लिया जाना नियत है।

निजी सेलफोन कंपनियां

1208. **श्रीमती पी० सतीदेवी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही निजी सेलफोन कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) नई कंपनियां शुरू करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या निजी सेलफोन कंपनियां उपभोक्ताओं को अधिक आकर्षक योजनाएं दे रही हैं जिससे बी०एस०एन०एल० तथा एम०टी०एन०एल० बुरी तरह प्रभावित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) देश में सेल फोन सेवाओं सहित अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए 27 निजी कंपनियों को प्रचालन हेतु लाइसेंस दिए गए हैं।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार नई कंपनी की शुरूआत की जा सकती है।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अनुसार उनकी योजनाएं समान रूप से आकर्षक तथा वहनीय हैं एवं वे बाजार की अपेक्षा के अनुरूप तथा समाज के सभी वर्गों के लिए उपर्युक्त हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1209. **श्री पी० करूणाकरन :**
डा० के० धनराजू :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि हर राज्य में जन्म देने संबंधी जटिलताओं के चलते हर सात मिनट में एक महिला की मौत

हो जाती है, ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाएं, डाक्टर तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 22669 है। मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार लगभग 7.5 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा के बगैर, लगभग 38.9 प्रतिशत प्रयोगशाला तकनीशियन के बगैर और लगभग 17.7 प्रतिशत फार्मासिस्ट के बगैर थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अनिवार्य जन स्वास्थ्य सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करने हेतु सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

- आउटरीच सेवाओं के लिए सहायता सुनिश्चित करके।
- अनिवार्य औषधों और उपकरणों की नियमित आपूर्ति।
- चौबीसों घंटे सेवाएं।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयुष चिकित्सक की तैनाती कर के एकल चिकित्सक वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 2 चिकित्सकों वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना।
- मानक उपचार प्रोटोकोल प्रदान करना और चिकित्सा अधिकारियों और परा चिकित्सीय कार्यकर्ताओं को उनके उपयोग में प्रशिक्षण देना।

बाई पास सड़क का निर्माण

1210. **डा० के०एस० मनोज** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ अलापुजा पर बाई पास सड़क सभी पूरी की जानी है जबकि इसकी शुरूआत हुए पच्चीस वर्ष बीत चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरे होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को केरल सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 कि०मी० लंबाई वाले फ्लाईओवर के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (घ) अलापुजा बाइपास की कुल लंबाई 7.580 कि०मी० है। बाइपास के लिए भूमि अधिगृहीत करने के बाद निर्माण कार्य दो चरणों में शुरू किया गया। 3.730 कि०मी० लंबाई के लिए बाइपास का चरण-I पहले ही पूरा कर लिया गया है। बाइपास के चरण-II में 3.850 कि०मी० लंबाई शामिल है। 20.5.2003 को स्वीकृत 2 आर०ओ०बी० को छोड़कर शेष लंबाई में कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को दिसंबर, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इस बाइपास के कार्यान्वयन में विलंब का प्रमुख कारण भूमि अग्रिहण में विलंब है।

(ङ) और (च) इस मंत्रालय में अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शारीरिक शिक्षा संस्थान

1211. **श्री नवीन जिन्दल** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शारीरिक शिक्षा देने वाले तथा खेल विज्ञान संबंधी संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस संस्थानों द्वारा संस्थान-वार कितनी छात्रों को प्रशिक्षित किया गया;

(ग) क्या ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय

प्रतिस्पर्धाओं के लिए युवा लड़के-लड़कियों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान देते हैं;

(घ) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे और संस्थान खोलने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) खेल राज्य का विषय है तथा अपने-अपने राज्यों में शारीरिक शिक्षा तथा खेल विज्ञान सहित खेलों के संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाना राज्य सरकारों का प्रमुख दायित्व है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में शारीरिक शिक्षा तथा खेल विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने से संबंधित कोई भी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारत सरकार के अधीन दो संस्थान हैं जो शारीरिक शिक्षा प्रदान करते हैं (1) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल०एन०आई० पी०ई०), ग्वालियर (मध्य प्रदेश) तथा (2) लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज (एल०एन०सी०पी०ई०) त्रिवेन्द्रम (केरल), इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला (पंजाब) भी खेल औषधि से संबंधित पाठ्यक्रम चलाता है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त/उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :–

एल०एन०आई०पी०ई०, ग्वालियर	358
भाखेप्रा, एल०एन०सी०पी०ई०, त्रिवेन्द्रम	150
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला	11

(ग) जी, नहीं, क्योंकि ये संस्थान सामान्यतः युवक तथा युवतियों को शारीरिक शिक्षा में शिक्षण/प्रशिक्षण देने पर केन्द्रित हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) वर्तमान में, इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य में विलंब

1212. **श्री जीवाभाई ए० पटेल :**
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री जुएल ओराम :
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य काफी धीमा चल रहा है और वे अपने निर्धारित समय से पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथ इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य की वर्तमान परियोजना-वार स्थिति क्या है;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई; और

(च) इन परियोजनाओ की पूर्ति हेतु निर्धारित तिथियां क्या हैं?

पोत पविहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 728 करोड़ रु० के 43 निर्माण कार्य हैं जिनमें से प्रत्येक की परियोजना लागत 5 करोड़ रु० से अधिक है जो राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए थे। इन कार्यों की प्रगति धीमी है। और इनमें विलंब हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ निर्माण कार्यों को पूरा करने में कुछ विलंब हुआ है। भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब से संबंधित समस्याएं, पर्यावरण और वन स्वीकृति में विलंब, कुछ ठेकेदारों का निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन, रेल उपरि पुलों की स्वीकृति में विलंब, देश के कुछ भागों में निरंतर और भारी बारिश और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था तथा उग्रवाद की समस्या कार्यों को पूरा करने में विलंब के मुख्य कारण हैं।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क में 1110 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार का प्रावधान है। 736 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू हो गया है। शेष 374 कि०मी० लंबाई कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई है।

(घ) कमियों को दूर करने के उद्देश्य से कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाती है। कमियों को दूर करने के साथ-साथ निगरानी के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित उपाय भी किए जा रहे हैं:–

(i) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है।

(iii) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, रेल उपरि पुलों की स्वीकृत आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि राज्यवार और संगठनवार आबंटित की जाती है न कि परियोजना वार। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यवार और संगठन वार आबंटित धनराशि और व्यय के ब्योरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। परियोजना के पूरा होने की लक्ष्य तारीख का निर्धारण परियोजना के स्वरूप, धनराशि, प्रयुक्त निर्देश और स्थान के आधार पर किया जाता है। कार्य पूरा करने की तारीख परियोजना दर परियोजना अलग-अलग होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की अनुमोदित परियोजनाओं को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क को मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजना की स्थिति

क्रम सं०	परियोजना	कुल लंबाई (कि०मी०)	चाल लेन (कि०मी०)	कार्यान्वयनाधीन		सौंपने हेतु शेष (कि०मी०)
				लंबाई (कि०मी०)	ठेकों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्वर्णिम चतुर्भुज	5846	5521	325	35	–
2.	उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महमार्ग	7300	964	5266	146	908
3.	पत्तन संपर्क तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग	1325	427	857	23	41

1	2	3	4	5	6	7
4.	एन०एच०डी०पी०-IIIक	4000	30	1296	20	2674
5.	एन०एच०डी०पी०-V	6500	–	148	2	6352
6.	एन०एच०डी०पी०-VI	1000	–	–	–	प्राथमिकता और अध्ययन के लिए 1000 अभिनिर्धारित खंड
	योग	25971	6942	7892	226	10975

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन और व्यय

		2003-04		2004-05		2005-06	
क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रु०)	व्यय (करोड़ रु०)	आबंटन (करोड़ रु०)	व्यय (करोड़ रु०)	आबंटन (करोड़ रु०)	व्यय (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	103.00	102.61	90.00	89.86	70.00	69.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.10	4.05	6.00	5.91	6.00	6.00
3.	असम	106.83	106.74	78.00	78.00	58.00	58.00
4.	बिहार	70.17	52.07	66.07	47.11	65.00	64.92
5.	चंडीगढ़	1.50	1.72	1.00	1.00	1.00	0.89
6.	छत्तीसगढ़	45.17	42.39	35.00	34.89	49.85	49.34
7.	दिल्ली	10.00	13.39	4.00	3.95	1.00	0.51
8.	गोवा	24.00	23.18	5.00	5.00	6.00	6.00
9.	गुजरात	60.24	60.24	60.00	53.64	94.50	94.50
10.	हरियाणा	52.50	53.66	46.00	37.87	57.42	57.42
11.	हिमाचल प्रदेश	32.00	27.78	45.00	40.48	39.00	39.00
12.	जम्मू-कश्मीर	4.00	4.00	0.22	0.21	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	झारखंड	36.70	33.00	35.00	14.04	40.00	39.97
14.	कर्नाटक	146.37	154.48	76.91	76.90	84.00	84.00
15.	केरल	95.00	95.00	60.00	58.38	65.00	65.99
16.	मध्य प्रदेश	72.52	72.35	83.00	82.86	74.07	73.61
17.	महाराष्ट्र	120.00	109.00	70.00	65.64	112.00	111.93
18.	मणिपुर	15.95	15.16	14.00	13.78	20.00	20.00
19.	मेघालय	39.30	35.92	28.00	28.26	24.00	24.18
20.	मिजोरम	31.00	31.00	25.00	24.91	15.75	15.75
21.	नागालैंड	11.50	11.48	16.00	16.00	11.25	11.25
22.	उड़ीसा	68.00	68.00	72.75	72.33	66.00	65.77
23.	पांडिचेरी	2.20	2.20	2.13	2.13	2.65	2.64
24.	पंजाब	48.73	48.72	53.00	50.72	62.50	62.50
25.	राजस्थान	44.27	44.23	60.00	46.45	83.00	83.00
26.	तमिलनाडु	87.00	80.79	85.00	65.31	86.00	81.80
27.	उत्तराखंड	19.10	18.38	27.00	26.48	40.00	40.00
28.	उत्तर प्रदेश	89.05	89.05	172.00	171.99	186.00	185.97
29.	पश्चिम बंगाल	73.00	69.79	70.00	71.90	56.00	55.75
30.	सीमा सड़क संगठन	256.00	256.00	210.00	320.00	415.00	311.12
31.	भातीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	8724.74	8715.87	3848.00	6301.00	7019.74	6305.56

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए बजट

1213. **श्री रशीद मसूद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2007-08 के लिए योजना आयोग द्वारा शिक्षा के अनुमोदित बजट को बढ़ाया गया है;

(ख) वर्ष 2007-08 के लिए उच्चतर तकनीकी शिक्षा के मदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने वर्ष 2007-08 के लिए माध्यमिक स्कूली शिक्षा हेतु बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतर शिक्षा (तकनीकी सहित) हेतु वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान 6483 करोड़ रुपये है। उच्चतर शिक्षा विभाग (एम०एच०आर०डी०) की स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। माध्यमिक शिक्षा हेतु आबंटन बजट अनुमान 2006-07 में 1067 करोड़ रुपये से बजट अनुमान 2007-08 में 3164 करोड़ रुपये करके 196.53% बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

मधुमेह के रोगियों के लिए हर्बल औषधि

1214. **श्री नरहरि महतो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुधमेह रोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने मधुमेह का इलाज करने के लिए 'विजयसार' नामक एक हर्बल औषधि का परीक्षण किया है और इसकी सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हर्बल औषधि का उत्पादन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के संशोधित अनुमानों (2004) के अनुसार भारत में मधुमेह के 32 मिलियन रोगी हैं तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (2002) ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक विश्व में मधुमेह के रोगियों की बहुत अधिक संख्या (80 मिलियन) भारत में होगी।

(ख) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 'विजयसार' पर कार्य दल बहुकेन्द्रिक नैदानिक परीक्षण किया है जिससे प्रदर्शित हुआ है कि यह निदान किए गए मधुमेह के नए रोगियों तथा उन रोगियों जिनमें एक ओरल मधुमेह-रोधी औषध के सेवन से मधुमेह का नियंत्रण नहीं होता है, में प्रयुक्त किए जाने हेतु एक सुरक्षित फार्मुलेशन है। अनेक प्रयासों के बावजूद मानकीकृत फार्मूलेशन की सतत आपूर्ति के लिए कच्ची सामग्री की अनिश्चित उपलब्धता द्वारा अन्त में उत्पन्न संदिग्ध व्यावसायिक व्यवहार्यता के कारण फार्मा उद्योग प्रौद्योगिकी अंतरण को अपनाने का इच्छुक नहीं है। 'विजयसार' वृक्ष जिसका लकड़ी के रूप मे व्यावसायिक महत्व है, की घटती हुई संख्या से यह समस्या और भी बढ़ गई है और सस्ती ओरल सिंथेटिक औषधें पहले से ही बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं।

पत्रों, पार्सलों इत्यादि के लिए विमान पट्टे पर लेना

1215. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्रों, पार्सलों तथा कार्गो को विमान से ले जाने हेतु विमान पट्टे पर लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है और इससे कितना राजस्व अर्जित किए जाने की आशा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) डाक विभाग को किसी विश्वसनीय रेल/हवाई नेटवर्क के अभाव में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में डाक के संवहन के मामले में विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अत: यह प्रस्ताव है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में डाक की ढुलाई के लिए इंडियन एयरलाइंस से एक मालवाही जहाज पट्टे पर लिया जाए। इस प्रयोजन के लिए 12 करोड़ रु० के शुरूआती व्यय के अतिरिक्त प्रति वर्ष लगभग 36 करोड़ रु० का व्यय होगा। इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र को डाक विभाग द्वारा देश के अन्य भागों में प्रदान की जा रही सेवाओं के समान की गुणवत्ता उपलब्ध कराना है। इससे यह उम्मीद भी की जा रही है कि डाक की मात्रा बढ़ने के कारण अतिरिक्त राजस्व अर्जित हो पाएगा।

प्रशासनिक सतर्कता यूनिट

1216. **श्री रनेन बर्मन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु दिशानिर्देश जारी करने वाली तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और उनके कार्यकरण पर निगरानी रखने वाली प्रशासनिक सतर्कता यूनिट इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु यूनिट द्वारा दिया दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये समीक्षा किन-किन तारीखों तक की गई थी; और

(ङ) इस संबंध में की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न मंत्रालय भ्रष्टाचार-रोधी गतिविधियों संबंधी अपनी वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार करते हैं। इस संबंध में हुई प्रगति की तिमाही आधार पर कार्मिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

एन०टी०पी०सी० को कोयला ब्लॉक आवंटन

1217. **श्री जी० करुणाकर रेड्डी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) ने रक्षित खनन हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एन०टी०पी०सी० को कोयला ब्लॉक जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार आवंटित कोयला ब्लॉकों के नाम क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। कैप्टिव खनन हेतु कोयला ब्लॉकों की पेशकश करने के लिए नवम्बर, 2006 के महीने में सरकार द्वारा जारी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में एन०टी०पी०सी० ने मन्दाकिनी, गणेशपुर, गौरांडीह ए०बी०सी० तथा फतेहपुर पूर्वी कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन किया है।

(ग) और (घ) सरकार ने नवम्बर, 2006 के विज्ञापन के उत्तर में आवेदन किए गए किसी कोयला ब्लॉक का अभी तक आवंटन नहीं किया है। तथापि, एन०टी०पी०सी० को नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार कोयला ब्लॉकों का आबंटन कर दिया गया है:–

क्र० सं०	ब्लॉक का नाम	स्थान
1.	पकरी-बरवाडीह	नार्थ कर्णपुरा, झारखंड
2.	तलईपल्ली	मंड-रायगढ़ छत्तीसगढ़
3.	केरानदरी	नाथ कर्णपुरा, झारखंड
4.	चत्ती बरियाता	नार्थ कर्णपुरा, झारखंड
5.	दुलंगा	ईब वैली, उड़ीसा
6.	ब्रहमणि	ब्रहमणि, झारखंड
7.	चिचरो पतसीमल	ब्रहमणि, झारखंड

बर्ड फ्लू की रोकथाम

1218. **श्रीमती मेनका गांधी** :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्ड फ्लू की रोकथाम हेतु दवाईयों की खरीद की है;

(ख) कंपनी-वार खरीदी गई दवाईयों की मात्रा तथा कीमत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए कोई टीका विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनीवार खरीदी गई दवाई की मात्रा और कीमत नीचे दी गई है:–

मात्रा	कीमत	दवाई	कम्पनी
7,00,000 कैप्सूल	4,97,00,000 रुपए	फ्लूवीर (ओसेलटामीवीर)	मैसर्ज हिटरो ड्रग्स
3,00,000 कैप्सूल	2,65,82,400 रुपए	तामिफ्लू (ओसेलटामीवीर)	मैसर्ज टकसाल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड

(ग) और (घ) इस समय एवियन इन्फ्लूएंजा के मानव रोगियों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में उचित उपचार का अभाव

1219. श्री गिरिधारी यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिल्ली के बाहर से आने वलो रोगियों का उचित चिकित्सा उपचार नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को संसद सदस्यों से शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों से सरकार को प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है तथा इस पर क्या कार्रवाही की गई है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों का संबंध है, अस्पताल आने वाले सभी रोगियों को चाहे वे किसी भी राज्य के हों, शीघ्रतापूर्वक उपयुक्त उपचार प्रदान किया जाता है। जब कभी उपचार में संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसकी जांच अस्पतालों के शिकायत निपटान समिति द्वारा की जाती है। प्रत्येक अस्पताल में शिकायतों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

अस्पतालों के स्टाफ को यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश दिए जाते हैं कि उपचार प्रदान करते समय रोगियों के साथ विनम्रतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाए।

[अनुवाद]

चिकनगुनिया उन्मलून

1220. श्री पी० मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकनगुनिया के उन्मूलन पर नई दिल्ली में हाल ही में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी राज्यों को पर्याप्त दवाइयों की आपूर्ति की जाती है; और

(घ) क्या स्थिति अब नियंत्रण में है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। चिकनगुनिया प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक दिनांक 11.10.06 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में चिकनगुनिया की स्थिति तथा संबंधित राज्यों द्वारा किए गए उपचारी उपायों पर चर्चा करने के लिए की गई। सभी राज्यों को युद्ध स्तर पर निवारण एवं नियंत्रण उपाय करने की सलाह दी गई। भारत सरकार ने चिकनगुनिया प्रभावित 11 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को फागिंग मशीन, पाइरेथ्रम सत्व (2%), टेमेफास, कीटनाशक विसंक्रामित मच्छरदानियों के प्रापण तथा जागरूकता अभियान चलाने के लिए 2160.46 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है।

राज्यों को इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया, दोनों का प्रयोग करते हुए गहन एवं संकेन्द्रित जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई।

चिकनगुनिया के निदान के लिए बारह शीर्ष रेफरल केन्द्रों का निर्धारण किया गया है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे का निर्धारण चिकनगुनिया ज्वर का पता लगाने के लिए जांच किटों की सप्लाई करने हेतु किया गया है।

(ग) चिकनगुनिया के उपचार के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। तथापि, संबंधित सरकारों द्वारा सहायक उपचार के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) जी, हां।

विवरण

चिकनगुनिया के निदान के लिए 12 शीर्ष रेफरल केन्द्र

1. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली
3. राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे
4. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, चंडीगढ़
5. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर
6. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
7. राष्ट्रीय हैजा एवं आन्त्ररोग संस्थान, कोलकाता
8. क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ़ असम
9. किंग्स इंस्टीट्यूट आफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, चेन्नई
10. इंस्टीट्यूट आफ प्रिवेंटिव मैडिसिन, हैदराबाद
11. बी०जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
12. राज्य विषाणु विज्ञान संस्थान, अल्लप्पुझा, केरल

[हिन्दी]

विदेश मंत्री का म्यामांर का दौरा

1221. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेश मंत्री ने म्यांमार का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस अवसर पर कौन-कौन से द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए; और

(घ) क्या वार्ता के दौरान भारत के विरुद्ध म्यांमार से आतंकवादी गतिविधियों संबंधी मुद्दे भी उठाए गए?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) विदेश मंत्री, 19-21 जनवरी, 2007 तक म्यांमा की सरकारी यात्रा पर गए। म्यांमा के नेताओं के साथ उनकी बैठकों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पहलुओं पर चर्चा हुई जिनमें भारत-म्यांमा सीमा पर भारतीय विद्रोही गुटों की गतिविधियां, विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन, सीमा प्रबंधन, व्यापार को बढ़ाने के उपाय तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग शामिल थे।

[अनुवाद]

केरल में आयुर्वेद महाविद्यालय

1222. **श्री पी०सी० थामस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में स्थित विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालयों के विकास हेतु केंद्रीय सहायता के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आयुर्वेद कॉलेजों के विकासार्थ केंद्रीय सहायता संबंधी परियोजनाओं की स्थिति

क्र० सं०	कॉलेज का नाम	परियोजना	केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, त्रिप्पुनितुरा (पी०जी० शल्यतंत्रम स्पेशियालिटी)	71,79,437.00 रु० की वजीफे की राशि का भुगतान संबंधी प्रस्ताव	14,25,887/- रुपये अनुमोदित किए गए हैं लेकिन पूर्ववर्ती अनुदानों के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण जारी नहीं किया गया।
2.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, तिरुवनंतपुरम (पी०जी० पंचकर्म कौमारम अगतम)	पी०जी० घटक के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव-वजीफा	30.06.05 को 43.00 लाख रुपये और 25.2.05 को 12.60 लाख रुपये जारी किया गया। इसके अलावा 23.80 लाख रुपये और 40.50 लाख रुपये को सहायता अनुमोदित की गई है लेकिन पूर्ववर्ती अनुदानों के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण जारी नहीं किया गया।
3.	राजकीय पी०एस० वेरियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाक (अगतम मानसिक रोग)	13.56 लाख रुपये और 11.60 लाख रुपये का पी०जी० वजीफा संबंधी प्रस्ताव	अगद तंत्र में 11.38 लाख रुपये और मानस रोग में 11.16 लाख रुपये अनुमोदित लेकिन पूर्ववर्ती अनुदानों के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण जारी नहीं किया गया।
4.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, कन्नूर (क्रिया शरीरम रोगनितानम)	36.37 लाख रुपये का पी०जी० वजीफा संबंधी प्रस्ताव	24.30 लाख रुपये अनुमोदित लेकिम पूर्ववर्ती अनुदानों के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण जारी नहीं किया गया।
5.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, कन्नूर (पुरुष हॉस्टल का निर्माण)	60 लाख रुपये संबंधी प्रस्ताव	24.30 लाख रुपये अनुमोदित लेकिन पूर्ववर्ती अनुदानों के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण जारी नहीं किया गया।
6.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, त्रिप्पुनितुरा (आंत्र गैस विकारों के लिए परियोजना)	सी०एम०ई० संबंधी प्रस्ताव-0.50 लाख रुपये	
7.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, त्रिप्पुनितुरा (सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम)	सी०एम०ई० संबंधी प्रस्ताव-0.50 लाख रुपये	7.9.06 को 1.00 लाख रुपये अनुमोदित लेकिन पूर्ववर्ती अनुदानों के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण जारी नहीं किया गया।
8.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, त्रिप्पुनितुरा (शल्यतंत्र विभाग के लिए विकास योजना)	72.79 लाख रुपये का पी०जी० वजीफा संबंधी प्रस्ताव	14.25 लाख रुपये अनुमोदित लेकिन पूर्ववर्ती अनुदानों के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण जारी नहीं किया गया।

1	2	3	4
9.	वैद्यरत्नम पी०एस वेरियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टकल (स्नातकपूर्व कॉलेजों की वर्तमान सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण)	स्नातकपूर्व घटक के अंतर्गत वर्तमान सुविधा का सुदृढ़ीकरण	25.00 लाख रुपये अनुमोदित लेकिन पूर्ववर्ती अनुदानों के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण जारी नहीं किया गया।
10.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज, ओल्लुर (स्नातकपूर्व) कॉलेजों की वर्तमान सुविधाओं का सुदृढ़करण)	स्नातकपूर्व घटक के अंतर्गत वर्तमान सुविधा का सुदृढ़ीकरण	13.12.2006 को 26.50 लाख रुपये जारी किए गए।

एडजस्टेबल स्ट्रेचरों की अनुपलब्धता

1223. श्री रघुनाथ झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एडजस्टेबल स्ट्रेचर उपलब्ध हैं और सफदरजंग अस्पताल में ये उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारी-भरकम और वृद्ध रोगियों के कल्याणार्थ सभी स्ट्रेचरों को एडजस्टेबल स्ट्रेचरों से तत्काल बदलने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। रोगियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सफदरजंग अस्पताल में डिटैचेबल पेसेंट ट्राली/स्ट्रेचर और फुट स्टेप्स उपलब्ध हैं।

सुरंग का निर्माण

1224. श्री चुएल ओराम : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लेह की बारहमासी गंतव्य बनाने के लिए एक लंबी सुरंग के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण लागत सहित इस परियोजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अनुमानित लागत और लक्ष्य सहित सुरंग के ब्योरे इस प्रकार हैं:–

क्रम सं०	सुरंग का नाम	लंबाई	लागत	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1.	रोहतांग सुरंग	8.802 कि०मी०	1410.37 करोड़ रु०	31 मार्च, 2014
2.	शिनखुनला सुरंग	4.00 कि०मी०	525.00 करोड़ रु० (अनंतिम)	सिद्धांततः अनुमोदित। वास्तविक लागत और पूरा करने की लक्ष्य तिथि साध्यता अध्ययन करने के बाद ही निश्चित की जा सकती है।
3.	जोजिला सुरंग	12.00 कि०मी०	1333.00 करोड़ रु० (अनंतिम)	सिद्धांततः अनुमोदित। वास्तविक लागत और पूरा करने की लक्ष्य तिथि साध्यता अध्ययन करने के बाद ही निश्चित की जा सकती है।
4.	जेड-मोड़ सुरंग	3.10 कि०मी०		

एड्स का टीका

1225. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स के टीके के संबंध में कोई जांच हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जांचों में भारत का सहयोग कितना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक किसी भी देश में किसी भी एड्स वैक्सीन को लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर तथा भारत में वैक्सीन के विकास के लिए अनेक अध्ययन जारी हैं

(ग) एडेनो एसोसिएटेड वाइरस (ए०ए०वी०) आधारित वैक्सीन का प्रयोग करते हुए चरण-I के मानवीय वैक्सीन परीक्षण की जांच राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे में 30 स्वस्थ वालंटियरों पर की गई। परीक्षण का प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक प्रायोगिक वैक्सीन मोडिफाइड वैक्सिनीया अंकारा (एम०वी०ए०) पर क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई में चरण-I का परीक्षण किया जा रहा है।

लिंग परिवर्तन

1226. श्री के०सी० सिंह 'बाबा" : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी और सरकारी अस्पतालों द्वारा लिंग परिवर्तन के आपरेशनों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या इन आपरेशनों को किसी कानून/नियम के तहत अनुमति प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो 'जेंडर आइडेंटिटि डिस-आर्डर' के मामलों में ऐसे आपरेशनों को अनुमति देने संबंधी कानून को बनाने के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) लिंग परिवर्तन की इच्छा आमतौर पर उन लोगों की होती है जिन्हें लिंग चयन विकार (जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर) होते हैं जिनकी पहचान सतत क्रॉस्ड जेंडर आइडेंटीफिकेशन और अपने स्वयं के लिंग के साथ निरंतर असुविधा अथवा सेक्स में लिंग की भूमिका में अनुपयुक्तता के कुछ बोध द्वारा होती है और इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहले किसी मनश्चिकित्सक द्वारा जांच करना जरूरी है। कुछ मामलों में, चिकित्सा की जरूरत होती है जहां तक लिंग परिवर्तन रोगी की भलाई के लिए हो सकता है।

लिंग चयन विकार के ऐसे रोगियों के लिए लिंग पुन:संरचना सर्जरी अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य उपचार है बशर्ते रोगी मानक उपचार के मानदंड पूरा करता हो और उसका मनश्चिकित्सीय मूल्यांकन हो चुका है। भारत में इस सर्जरी के लिए केवल समिति सुविधाएं हैं और वे भी ज्यादातर निजी क्षेत्र में हैं। हमारे देश में 'लिंग पुन:संरचना सर्जरी' करने के संबंध में कानून मूक प्रतीत होता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

1227. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों से विशेषकर झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से राष्ट्रीय राजमार्गों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलों के विकास/मरम्मत/रखरखाव/उन्नयन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई और इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों सहित और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पुलों के विकास और अनुरक्षण के लिए चालू वर्ष के दौरान दिनांक 31.1.2007 तक प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये कार्य पूरे वर्ष में किए गए नेमी मरम्मत कार्यों और बरसाती मौसम के दौरान जब कभी अपेक्षित हो, आपात मरम्मत कार्यों के अलावा हैं। राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को उनके वार्षिक योजना कार्यक्रम में शामिल होने, धनराशि की उपलब्धता और चालू कार्यों की मात्रा के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। ऐसी स्वीकृति के लिए किसी समय सीमा का बता पाना इस समय संभव नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में दिल्ली, मुंबई चेन्नै कोलकाता औरा दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना शामिल है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों

पर क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत की जा रही है/मजबूत बनाया जा रहा है।

विवरण

चालू वर्ष 2006-07 के दौरान 31.1.2007 की स्थिति के अनुसार विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत प्रस्ताव	
		विकास (संख्या)	अनुरक्षण (संख्या)	विकास (संख्या)	अनुरक्षण (संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26	17	21	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	0	0
3.	असम	18	15	7	15
4.	बिहार	30	16	17	11
5.	चंडीगढ़	1	0	1	0
6.	छत्तीसगढ़	39	12	14	12
7.	दिल्ली	3	0	0	0
8.	गोवा	6	2	4	2
9.	गुजरात	38	13	16	13
10.	हरियाणा	50	9	20	6
11.	हिमाचल प्रदेश	69	19	26	11
12.	झारखंड	42	10	17	10
13.	कर्नाटक	32	19	21	19
14.	केरल	20	13	10	13
15.	मध्य प्रदेश	44	37	13	23
16.	महाराष्ट्र	64	25	30	9
17.	मणिपुर	4	10	0	1
18.	मेघालय	8	8	0	1
19.	मिजोरम	8	6	0	1
20.	नागालैंड	4	5	0	3
21.	उड़ीसा	50	18	30	16
22.	पांडिचेरी	2	1	1	0
23.	पंजाब	47	12	14	9
24.	राजस्थान	30	43	18	38
25.	तमिलनाडु	83	10	39	2
26.	उत्तर प्रदेश	13	9	4	7
27.	उत्तराखंड	63	17	31	17
28.	पश्चिम बंगाल	29	11	9	7

[अनुवाद]

कन्या शिशु को प्रोत्साहन

1228. श्री विजय कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कन्या शिशु भ्रूण के गर्भपात की संख्या में कमी लाने के लिए नि:शुल्क शिक्षा, अतिरिक्त पी०डी०एस० राशन और कर रियायतों के माध्यम से कन्या शिशु को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रथा के विरूद्ध सामाजिक और धार्मिक संगठनों को एकजुट कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें क्या भूमिका प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) लड़कियों की स्थिति को सुधारने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में इनपुटस के रूप में निम्नलिखित कदम उठाने के सुझाव दिए गए हैं:–

- निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण स्थितियों को पूरा करने पर सशर्त नकद और गैर-नकद स्थानांतरण–
  - जन्म ओर पंजीकरण
  - स्वास्थ्य और प्रतिरक्षण
  - स्कूल अवधारणा
  - 18 वर्ष के बाद विवाह की आयु में विलंब
- लड़कियों के लिए बीमा कवर के घटक

सुरक्षा नेट के रूप में लड़कियों के लिए बीमा कवर और उपयुक्त चिकित्सा और शैक्षणिक घटकों के साथ 18 वर्ष की आयु पर लड़कियों को एकमुश्त राशि प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

(ग) और (घ) सामाजिक और धार्मिक संगठनों को गतिशील बनाकर प्रसवपूर्व लिंग चयन और बालिका भ्रूणहत्या की प्रथा के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय/जिला/ब्लाक स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इस विषय पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से गुजरात से पंजाब तक स्वामी अग्निवेश, विश्व आर्य समाज परिषद् द्वारा शुरू की गई पदयात्रा का वित्त पोषण किया था। यू०एन०एफ०पी०ए० ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के श्री श्री रवि शंकर की अध्यक्षता में विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं की बैठक बुलाई थी। पंजाब सरकार ने राज्य में प्रवचन और समर्थन के लिए श्री दमदमा साहिब और आनन्दपुर साहिब तख्त के जत्थेदारों को शामिल किया है।

[हिन्दी]

अंधत्व उन्मूलन कार्यक्रम

1229. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय अंधत्व उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में मोतियाबिंद के आपरेशनों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त अनुदानों से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और प्रत्याशित अनुदानों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक योजना आबंटन में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिंद और अन्य नेत्र परिचर्या कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान के रूप में 354.50 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश को दी गई है।

तथापि, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मोतियाबिंद आपरेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष (2006-07) के दौरान मोतियाबिंद और अन्य व्यापक नेत्र परिचर्या कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान के रूप में 406.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत और जारी की गई है।

उपरोक्त के अलावा, वर्तमान वित्तीय वर्ष (2006-07) के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्र उपकरणों के प्रापण के लिए राज्य को 181.00 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि भी जारी की गई है।

[अनुवाद]

हिमालयी क्षेत्र में सड़क संपर्क

1230. श्री कीरेन रिजीजू : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हिमालयी क्षेत्र में सड़क संपर्क की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अरुणाचल प्रदेश में सड़क संपर्क के लिए कौन-कौन से विशिष्ट मार्गों की पहचान की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इस मंत्रालय की नीति के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों को खोलने में मदद करने वाले सड़कों पर अन्य बातों के साथ-साथ नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करते समय विचार किया जाता है। हिमालय क्षेत्र में सड़क संपर्क के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है। तथापि, सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, जम्मू और

कश्मीर में सड़क विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज, और हिमालय क्षेत्र में सड़कों सहित इन क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए भारत-चीन सीमा पर सीमावर्ती सड़कों के विकास जैसे पृथक कार्यक्रमों को शुरू किया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 3228 कि०मी० लंबाई, राज्यीय सड़कों, जनरल स्टाफ सड़कों तथा सामरिक महत्व की सड़कों की 4388 कि०मी० का उन्नयन/सुधार कार्य शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की 1110 कि०मी० और राज्यीय सड़कों तथा जनरल स्टाफ सड़कों की 200 कि०मी० लंबाई के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण-क को अनुमोदित कर दिया है। जम्मू और कश्मीर में सड़क विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 795 कि०मी० लंबाई और राज्यीय सड़कों की 297 कि०मी० लंबाई का उन्नयन/सुधार कार्य शामिल है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग 608 कि०मी० की कुल लंबाई के 27 सड़क संपर्कों का चरणवार निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) अरुणाचल प्रदेश में लूमला से ताशीगांग तक वाया डूडूनघर (भारत-भूटान सड़क) राज्यीय सड़क की 36 कि०मी० लंबाई का सुधार कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण-क में शामिल है जिसे वर्ष 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारत-चीन सीमा पर सीमा क्षेत्र में सड़क संपर्कों के एक भाग के तौर पर अरुणाचल प्रदेश में 5 मार्गों अर्थात् (i) रामा सापेर-मागो-चुना, (ii) जिमीथांग-सुरवासांबा-खिंजेमाने, (iii) सुगात्सर-खरसंग ला, (iv) यरलूंग-लमंग और (v) बोना-जोलिंग के बीच सड़क संपर्क, को शामिल किया गया है। जिसकी लगभग 130 कि०मी० लंबाई है और इन सड़कों के निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है जिसे वर्ष 2012-13 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

नौकरशाहों द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति

1231. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई नौकरशाहों, वैज्ञानिकों और व्यवसायिकों ने निजी संगठनों में नौकरी के लिए सरकारी नौकरी को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति सरकारी नौकरी को छोड़कर निजी क्षेत्र में चले गए हैं;

(घ) क्या ये सरकारी कर्मचारी समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने के पश्चात् इन नौकारियों को पाने से पहले नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (च) सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति (स्वैच्छिक) मांगने से संबंधित नियमों के अंतर्गत, संबंधित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर सकते हैं और ऐसे मामलों में से कुछ निजी संगठन में काम करने के इरादे से हो सकते हैं। जो व्यक्ति सरकारी सेवा छोड़कर निजी क्षेत्र में चल गए हैं उनसे संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं क्योंकि वर्तमान नियमों के अंतर्गत, समूह ''क'' के भूतपूर्व पदधारियों को छोड़कर अन्य भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के बाद निजी संगठन में काम करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तथापि, यदि समूह ''क' के कर्मचारी अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर व्यावसायिक रोजगार प्राप्त करते हैं तो उनके लिए सरकार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। यदि संबंधित पेंशनभोगी द्वारा व्यावसायिक रोजगार प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्वानुमति लेने के नियम का पालन नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1927 के नियम 10 में दण्डात्मक प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं।

स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली

1232. श्री एल० राजगोपाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में 6% से 30% तक प्रशिक्षित कार्मिकों का अत्यधिक अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग के साथ सी०आई०आई० द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ष 2004 में 12,50,000 की तुलना में वर्ष 2010 में 26,02,440 रोजगार की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2010 तक उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक योजना बनाई जा रही है; और

(ङ) इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत क्या उपाय किये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) जी, हां। ग्यारहवीं, पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि इस समय हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली में प्रशिक्षित कार्मिकों का काफी अभाव है। राज्यों में डाक्टरों के 6% से 30% पद खाली पड़े रहते हैं।

(ख) भारतीय में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी संबंधी बुलेटिन, 2006, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला)/ए०एन०एम० के पदों में समग्र कुल कमी 19311 थी। इसी तरह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के मामले में 64211 की कमी थी। स्वास्थ्य सहायक (महिला)/एल०एच०वी० के मामले में 4214 पदों की कमी थी और इसी तरह स्वास्थ्य सहायक (पुरुष) में 5290 पदों की कमी थी।

संस्वीकृत पदों में से भी, सभी स्तरों पर पदों का महत्वपूर्ण प्रतिशित खाली है। उदाहरणत:, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष) में संस्वीकृत पदों के लगभग 24% की तुलना में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/ए०एन०एम० के संस्वीकृत पदों में से लगभग 4.7 प्रतिशत पद खाली थे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, महिला स्वास्थ्य सहायक/एल०एच०वी० के संस्वीकृत पदों का लगभग 13.1% पुरूष स्वास्थ्य सहायकों का 25.4% और डाक्टरों के संस्वीकृत पदों में से 17.4% खाली थी। उपकेन्द्र के स्तर पर, लगभग 4.77% में कोई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए०एन०एम० नहीं थी, लगभग 39.2% में कोई पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं था और लगभग 2.78% केन्द्रों में महिला और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता दोनों ही नहीं थे, जिससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या में काफी अभाव दिखाई देता है।

(ग) भारतीय उद्योग संघ (सी०आई०आई०) ने योजना आयोग के साथ 11वीं योजना में क्षेत्रकीय विकास और रोजगार नामक एक दस्तावेज तैयार किया है, स्वास्थ्य सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्रक है जिसका विश्लेषण किया गया है और जांच की गई है तथा इसमें रोजगार संभावना का अनुमान लगाया गया है। भारतीय उद्योग संघ द्वारा शुरू किए गए कार्य के अनुसार, वर्ष 2010 में स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्रक में 26,02,440 रोजगार संभावनाएं हैं जो कि वर्ष 2004 में 12,50,000 थीं।,

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षी योजना की तैयारी के संदर्भ में योजना आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 11 कार्यदलों और चार संचालन समितियों तथा मानव संसाधन योजना संबंधी कार्यबल का गठन किया है। संचालन समितियों की सिफारिशों के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना अन्य बातों के साथ जनसाधन आवश्यकता सहित स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करेगी।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012) के कार्यान्वयन का ढांचा मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले उपायों को दर्शाता है। जिसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई स्वास्थ्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पैरा-मेडिक्स एवं डाक्टरों को लगाना, अनिवार्य ग्रामीण तैनाती/ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन तथा आजीविका प्रोन्नति (कॅरिअर प्रोग्रेसन) प्रणाली जो तैनातियों को विभिन्न ग्रेडों में स्पष्ट करती है, शामिल हैं।

एन०आर०एच०एम० निश्चेतकों, स्त्री रोग विशेषज्ञों, शल्य चिकित्सकों, बाल रोग चिकित्सकों इत्यादि के मुख्य कमियों पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है, इसके साथ ही निदान विधा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और नियमित सेवा कालीन प्रशिक्षण जो यह सुनिश्चित करता है कि सारे स्टाफ की दक्षता और अभिप्रेरण स्तरों का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाए व उनको अपग्रेड किया जाना भी शामिल है।

स्पेक्ट्रम प्रभार लगाना

1233. **श्री एम० अप्पादुरई** : क्या संचार और सचूना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी०एस०एन०एल० पर स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने का क्या प्रभाव है;

(ख) क्या सरकार का विचार बी०एस०एन०एल० को स्पेक्ट्रम प्रभारों में और छूट देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) स्पेक्ट्रम प्रभार बी०एस०एन०एल० को आवंटित स्पेक्ट्रम के लिए लगाए जाने वाले प्रभार होते हैं। स्पेक्ट्रम दुलर्भ प्राकृतिक

संसाधन है तथा इसके प्रयोग हेतु सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रभार का भुगतान करना होता है। बी०एस०एन०एल० ने स्पेक्ट्रम प्रभारों के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 334.06 करोड़ रु० की राशि का भुगतान किया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल/डैंटल कालेजों की सीटों में वृद्धि

1234. **श्री फ्रान्सिस फैन्थम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय दन्त परिषद का विचार आगामी शैक्षणिक वर्ष में ओ०बी०सी० आरक्षण के मद्देनजर विभिन्न राज्यों के सभी मेडिकल/डैंटल कालेजों में सीटें बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा एम०सी०आई० और डी०सी०आई० को जारी किये गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद संस्तुति करने वाले निकाय हैं। केन्द्र सरकार को मेडिकल/डैंटल कालेजों/संस्थाओं से समय-समय पर प्राप्त हुए मेडिकल/डैंटल पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर इन विनियामक परिषदों से परामर्श करके विचार किया जाता है। तथापि, मेडिकल/डैंट पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि करने की अनुमति इस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए इस संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद को निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में नैदानिक परीक्षण

1235. **श्री अजीत जोगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित सभी केन्द्र सरकार के अस्पतालों में विभिन्न नैदानिक परीक्षण सुविधाओं के लिए बहुत अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अस्पतालों में नैदानिक परीक्षणों को कम समय में पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, आपाती जांचों की सुविधाएं चौबीसों घण्टे उपलब्ध हैं। तथापि, रोगियों की अत्यधिक संख्या के कारण नेमी किस्म की और विशिष्ट जांचों के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन अस्पतालों पर दबाव को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने सी०जी०एच०एस० लाभार्थियों के लिए ऐसी जांचें करने हेतु निजी नैदानिक प्रयोगशालाओं का पैनल बनाया है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में छह राज्यों में एम्स जैसी संस्थाएं स्थापित करने और 13 संस्थाओं का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। इससे दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों पर काम का दबाव कम हो सकेगा।

[अनुवाद]

डेंगू और चिकनगुनिया के लिए परीक्षण सुविधाएं

1236. **श्री अनंत कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोगियों में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी घातक बीमारियों का पता लगाने के लिए सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अधिकतर जिला मुख्यालयों में इन बीमारियों की जांच के लिए स्थानीय जांच केन्द्र नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उइाए जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) निम्नलिखित संस्थाओं/अस्पतालों में डेंगू/चिकनगुनिया का पता लगाने के लिए जांच सुविधाएं उलपब्ध हैं:–

1. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली
3. राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र

4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर

5. संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

6. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़

7. राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्रशोध संस्थान, कोलकाता

8. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ़

9. किंग इस्टिट्यूट ऑफ प्रीवेंटिव मेडिसिन, चेन्नई, तमिलनाडु

10. इंस्टिट्यूट ऑफ प्रीवेंटिव मेडिसिन, हैदराबाद

11. बी०जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद

12. स्टेट वाइरौलोजी इन्स्टिट्यूट, अलापुजा, केरल।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने प्रभावित राज्यों में डेंगू और चिकनगुनिया में जिला एवं मेडिकल कालेज अस्पतालों में डेंगू एवं चिकनगुनिया के निदान के लिए राज्यों के साथ परामर्श करके प्रहरी निगरानी अस्पतालों का चयन किया। प्रहरी निगरानी अस्पतालों की सभी सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

प्रहरी निगरानी अस्पतालों की सूची

राज्य का नाम	प्रहरी अस्पताल/संस्थान
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1. एम०जी०एम० अस्पताल, वारांगल
	2. रूया अस्पताल, तिरूपति
	3. सरकारी अस्पताल, गुंटूर
	4. सरकारी अस्पताल, विजयवाड़ा
	5. सरकारी अस्पताल, करीमनगर
	6. सरकारी अस्पताल, नीजामाबाद
	7. सरकारी अस्पताल, अनंतपुर
	8. वी०वी०आर०आई०, हैदराबाद
	9. मेडिकल कालेज, कुरनूल
	10. मेडिकल कालेज, महबूबनगर
2. गोवा	1. होस्पीसिओ अस्पताल, मार्गो, साऊथ गोवा
	2. गोवा मेडिकल कालेज, गोवा
3. महाराष्ट्र	1. इंदिरागांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर
	2. बी०जे० मेडिकल कॉलेज, पुणे
	3. सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद
	4. जिला अस्पताल, भण्डारा
	5. जिला अस्पताल, गोण्डिया
	6. जिला अस्पताल, वार्धा
	7. जिला अस्पताल, गढ़चिरौली
4. गुजरात	1. एन०एच० म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद
	2. सरकारी मेडिकल कॉलेज, बदोदरा
	3. सरकारी मेडिकल कॉलेज, सूरत
	4. म्युन्सिपल मेडिकल कॉलेज, सूरत
	5. एम०पी० शाह, मेडिकल कॉलेज, जामनगर
	6. सरकारी मेडिकल कॉलेज, राजकोट
	7. सरकारी मेडिकल कॉलेज, भावनगर
5. मध्य प्रदेश	1. मेडिकल कॉलेज, भोपाल
	2. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर
	3. मेडिकल कॉलेज, रीवा
	4. मेडिकल कॉलेज, जबलपुर
	5. मेडिकल कॉलेज, इंदौर
6. दिल्ली	1. अग्रसेन सेन जैन अस्पताल
	2. गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल, रघुवीर नगर, दिल्ली

1	2
	3. स्वामी दयानन्द अस्पातल, शाहादरा, दिल्ली
	4. बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पातल, जहांगीरपुरी, दिल्ली
	5. भगवान महावीर अस्पताल, पीतमपुरा, दिल्ली
	6. शास्त्रीपार्क अस्पताल, दिल्ली
	7. राजा हरीश चन्द अस्पताल, नरेला, दिल्ली
	8. एन०सी० जोशी मेमोरियल अस्पताल, करोलबाग, दिल्ली
	9. कस्तूरबा अस्पताल, निकट जामा मस्जिद, दिल्ली
	10. अरूणा आसफ अली अस्पताल, मंगोलपुरी, दिल्ली
	11. हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली
	12. संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी, दिल्ली
	13. बी०एस०ए० अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली
	14. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
	15. मालविया नगर अस्पताल, मालवियानगर, दिल्ली
	16. एस०वी०बी० पटेल अस्पताल, पटेल नगर
	17. ए०बी०जी० अस्पताल, मोती नगर, दिल्ली
	18. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली
	19. एम०डी०एम०सी० चरकपालिका अस्पताल, मोतीबाग नई दिल्ली
	20. लोक नायक अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, दिल्ली
	21. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरीनगर, दिल्ली
	22. जी०टी०बी० अस्पताल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली
	23. जी०बी० पन्त अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दिल्ली
	24. चाचा नेहरू चिल्ड्रेन अस्पताल, गीता कालोनी, दिल्ली
	25. लालबहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ीपुर दिल्ली
	26. राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल, आफरपुर, दिल्ली
	27. महर्षि वाल्मिकी अस्पताल, पूतखूर्द, दिल्ली
	28. डा० हेडगेवर आरोग्य संस्थान, कड़कड़डूमा, दिल्ली
	29. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, पचकुइयां रोड़, नई दिल्ली।
7. पंजाब	1. सिविल अस्पताल, लुधियाना
8. राजस्थान	1. एस०एम०एस० अस्पताल
	2. जे०के० लोन अस्पताल
	3. उमेद अस्पताल, जोधपुर
	4. एस०एम०डी०एम०, जयपुर
	5. एम०बी० अस्पताल, कोटा
	6. एस०पी० मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
	7. आर०एन०टी० मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
	8. जे०एल०एन० मेडिकल कॉलेज, अजमेर
9. हरियाणा	1. स्टेट बैक्टेरियोलोजिकल लेबोरेटरी, करनाल
	2. बी०के० अस्पताल, फरीदाबाद
	3. जिला अस्पताल, कैथल

1	2
	4. जिला अस्पताल, कुरूक्षेत्र
	5. जिला अस्पताल, अम्बाला
10. कर्नाटक	1. सेन्ट्रल लैब० (एचक्वायर्स) बेंगलौर
	2. जिला अस्पताल, कोलार
	3. वेलारी मेडिकल कॉलेज
	4. जिला अस्पताल, देवनगेरे
	5. जिला अस्पताल, बेलगम
	6. जिला अस्पताल, डी० कनाडा
	7. एस०एन०आर० अस्पताल, कोलार
	8. वी०आई०एम०एस० वेल्लारी
	9. चीगाटेरी जनरल अस्पताल, देवनगर
11. केरल	1. सरकारी टीडी मेडिकल कालेज, कम्पूर, बंदनाम, अल्लापूझा
	2. जिला अस्पताल, कोट्टायम
12. तमिलनाडु	1. कन्याकुमारी मेडिकल कॉलेज
	2. तिरूनेलवेली मेडिकल कॉलेज
	3. टूथकुडी मेडिकल कॉलेज
	4. तंजावूर मेडिकल कॉलेज
	5. मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज, सलेम
	6. कोयमबटूर मेडिकल कॉलेज
	7. के०ए०पी० विश्वनाथन मेडिकल कालेज, त्रिची
	8. थेनी मेडिकल कॉलेज
	9. चेंगलयट्टू मेडिकल कॉलेज
	10. मदुराई मेडिकल कॉलेज
	11. वेल्लोर मेडिकल कॉलेज
	12. मद्रास मेडिकल कॉलेज
	13. इंस्टिट्यूट ऑफ वेक्टर कन्ट्रोल और जूनोसेस हासूर
13. पश्चिम बंगाल	1. वर्दवान मेडिकल कॉलेज, अस्पताल
	2. स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिकल, कोलकाता
14. बिहार	1. पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
15. उत्तर प्रदेश	1. रीजनल लैब० स्वास्थ्य भवन, लखनऊ
	2. जिला अस्पताल, गाजियाबाद
	3. एल०एल०आर०एम० मेडिकल कॉलेज, मेरठ
	4. एम०एल०बी० मेडिकल कॉलेज, झांसी
	5. मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद
	6. आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस विश्वविद्यालय, बनारस
	7. एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा
	8. जी०एस०वी०एम० मेडिकल कॉलेज, कानपुर
	9. के०जी०एम०यू० लखनऊ

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं का अभाव

1237. श्री ई० पोन्नुस्वामी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश और एंबुलेंसों जैसी सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क सुविधाओं में कमी का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों को एंबुलेंस प्रदान की जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी राष्ट्रीय राजमार्गों के पूर्ण खंडों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण और निर्माण, प्रचालन तथा हस्तांतरण ठेकों के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के 50 कि०मी० के औसत अंतराल पर एक एंबुलेंस तैनात करता है। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 50 कि०मी० पर मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान करने की एक नीति बनाई है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसी सेवाओं के अभाव को अभिनिर्धारित करने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

सामान्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था करना मंत्रालय की नीति नहीं है क्योंकि वाहन यातायात अपने ही प्रकाश मे चलता है।

हज के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना

1238. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी राज्यों के लिए हज यात्रा से नौ माह पूर्व हज यात्रियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र संबंधी कृतिक बल

1239. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक नागरिक को दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र में समन्वय के लिए एक कृतक बल को गठित करने का है; और

(ग) इस कृतिक बल का गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई है। सरकार द्वारा बनाई गई नई दूरसंचार नीति से प्रचालकों में उपभोक्ताओं को अधिकतम लागत प्रभावी कीमत पर नवीनतम और सर्वोत्तम दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की प्रतिस्पर्द्धा आ गई है। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क 20 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराने में सक्षम है। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, सेल्युलर मोबाइल सेवाओं जैसी नवीनतम दूरसंचार सेवाएं लोगों को पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। अब सेल्युलर मोबाइल सेवाओं में प्रतिमाह लगभग 70 लाख कनेक्शनों की वृद्धि हो रही है। सरकार तीसरी और भावी पीढ़ी की मोबाइल सेवाएं शुरू करने के संबंध में उपयुक्त नीति बनाने जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने के लिए, सरकार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का उपयोग करते हुए दूरसंचार अवसंरचना का विकास कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सी०आई०एल० का बकाया

1240. **श्री जोवाकिम बखला** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्ड और कोयला के अन्य बड़े ग्राहकों ने कोल इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा उठाए गए कोयले हेतु भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड का ग्राहक-वार बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इनके क्या प्रभाव पड़े हैं और इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इससे संबंधित नीति में कोई परिवर्तन किया है अथवा परिवर्तन की इच्छुक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कोयले की कालाबाजारी की समस्या और माफिया द्वारा कोयले की चोरी से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) राज्य विद्युत बोर्डों और कोयले के अन्य प्रमुख उपभोक्ता उठाए गए कोयले के लिए कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) को भुगतान कर रहे हैं। तथापि, कुछ बकाया राशि है।

(ख) 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार सी०आई०एल० की कुल 3380.98 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला कंपनियों द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु किए गए उपाय निम्नानुसार है:–

(1) प्रतिभूतिकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार कोयला कंपनियां कोयले की आपूर्ति के बिलों के भुगतान हेतु राज्य विद्युत बोर्डों पर आई०आर०एल०सी० खोलने का दबाव डाल रही हैं। कुछ राज्य विद्युत बोर्डों ने आई०आर०एल०सी० खोल दिया है और यह योजना सफलतापूर्वक प्रचालन में है। अन्यों से इसका आग्रह किया जा रहा है।

(2) बिलों में निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न करने के मामले में प्रतिभूतिकरण योजना में सप्लाई के नियमन का प्रावधान है। भुगतान में चुक होने के मामले में कोयला कंपनियां चयनित रूप से कोयले की आपूर्ति को विनियमित कर रही है।

(3) प्रतिभूतिकरण योजना के प्रावधान के अनुसार कोयला कंपनियां योजना में निर्धारित समय-सीमा के बाद भुगतान में विलम्ब के मामलों में ब्याज का दावा कर रही हैं।

(4) कोयला कंपनियों बिलों के भुगतान में चूक मामलों में तथा राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए विवादों को हल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवधिक रूप से बैठकें कर रही हैं।

(ग) ऊपर बताए गए उपायों के परिणामस्वरूप बकाया देयताओं में धीरे-धीरे गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार सी०आई०एल० का कुल बकाया 4724.35 करोड़ रुपए था, जो 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार घटकर 3380.98 करोड़ रुपए रह गया है। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों के दौरान 1342.37 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान प्राप्त किया गया है।

(घ) और (ङ) बकाया की वसूली की मौजूदा नीति में इस स्तर पर संशोधन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) सरकार और कोयला कंपनियों ने कोयला माफिया द्वारा काला-बाजारी की समस्या तथा कोयले की चोरी से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए है:–

(1) कोयले की चोरी से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच सी०आई०एल० तथा इसकी सहायक कंपनियों के सतर्कता विंगों द्वारा करायी जाती है। जहां बाह्य पार्टियां कथित रूप से शामिल होती हैं, वहां आरोपों की जांच-पड़ताल करने के लिए सी०बी०आई० को भी कहा जाता है।

(2) कोयलाधारी राज्यों की राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

(3) कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है, अत: कोयला कंपनियां राज्य प्राधिकारियों के समर्थन से कोयले की उठाईगिरी के मामले का समाधान निकाल रही हैं।

(4) कोयले की चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

(i) अवैध कोयला डिपो तथा कोयले के अवैध संचालन के बारे में आसूचना रिपार्टों का संग्रहण करना तथा निवारक कार्रवाई करने के लिए जिला प्राधिकारियों को सूचित करना।

(ii) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर चैक-पोस्ट स्थापित करना।

(iii) वॉच-टावरों का निर्माण करना तथा कोयला स्टैकिंग क्षेत्र के इर्द-गिर्द प्रकाश की व्यवस्था करना।

(iv) पिटहैड डिपों के इर्द-गिर्द कांटेदार बाड़ लगाना/दीवार

बनाना, रात के समय सशस्त्र गार्डों की तैनाती सहित स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करना।

(v) भरे हुए रेकों को सशस्त्र गार्डों की सुरक्षा में रेलवे तौलसेतुओं तक ले जाना तथा रेलवे ट्रैकों में, जहां वैगनों के लूटे जाने की संभावना होती है, रेलवे सुरक्षा बल (आर०पी०एफ०) के साथ संयुक्त रूप से गश्त लागना।

(vi) अवैध खनन स्थलों को सील करना।

(vii) चोरी अथवा उठाईगिरी के कार्य में पकड़ी गयी परिवहन गाड़ियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करना।

(viii) कोयले की चोरी/उठाईगिरी में महिलाओं और बच्चों के लिप्त होने को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड लगाना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का पुन:आकलन करके सुरक्षा स्कंध को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा कार्य की क्षमता वाले अधिकारियों का ऊर्ध्वाधर संचलन तथा कनिष्ठ, मध्यम तथा वरिष्ठ स्तरों पर अर्हता प्राप्त सुरक्षा कार्मिकों को लगाना।

(ix) मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण, सी०आई० एस०एफ० कार्मिकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा स्कंध में नए भर्ती हुए कार्मिकों को मूल प्रशिक्षण देना।

विवरण

क्र०सं०	उपभोक्ताओं के नाम	देय
1	2	3
	विद्युत	
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी०एस०ई०एस०)	196.58
2.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जे०एस०ई०बी०)	82.77
3.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यू०पी०आर०वी०यू०एन०एल०)	93.40
4.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पी०एस०ई०बी०)	244.89
5.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टी०एन०ई०बी०)	15.57
6.	हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०जी०सी०एल०)	25.17
7.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आर०आर०वी०यू०एन०एल०)	99.04
8.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम०एस०ई०बी०)	151.45
9.	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एम०पी०ई०बी०)	385.43
10.	छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड (सी०एस०ई०बी०)	52.72
11.	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जी०यू०वी०एन०एल०)	8.41
12.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यू०बी०एस०ई०बी०)	1.29
13.	पश्चिम बंगाल पावर डवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यू०बी०पी०डी०सी०एल०)	133.90
14.	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (ए०पी०जी०ई०एन०सी०ओ०)	8.06
15.	कर्नाटक पावर कंपनी लिमिटेड (के०पी०सी०एल०)	12.62

1	2	3
16.	दुर्गापुर प्राजेक्ट लिमिटेड (डी०पी०एल०)	21.32
17.	दामोदर वैली कारपोरेशन (डी०वी०सी०)	179.84
18.	दिल्ली विद्युत विद्युत बोर्ड (डी०वी०बी०)	3.85
19.	बदरपुर थर्मल पावर कारपोरेशन (बी०टी०पी०एस०)	334.48
20.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०)	357.64
21.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को)	1.34
22.	कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (सी०ई०एस०सी०)	5.59
23.	अहमदाबाद विद्युत कारपोरेशन (ए०ई०सी०)	2.46
24.	बोम्बे सबर्बन इलैक्ट्रिक कंपनी (बी०एस०ई०एस०)	1.47
25.	दिसेरगढ़ पावर स्टेशन कंपनी (डी०पी०एस०सी०)	2.61
26.	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी०वी०एन०एल०)	103.69
27.	उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन (ओ०पी०जी०सी०)	4.39
	कुल विद्युत	2529.93
	इस्पात	
28.	दुर्गापुर स्टील प्लांट	132.22
29.	राउरकेला स्टील प्लांट	164.65
30.	बोकारो स्टील प्लांट	145.79
31.	भिलाई स्टील प्लांट (बोकारो)	276.47
32.	''इस्को'' स्टील प्लांट	11.66
33.	इंडियन आयरन स्टील कंपनी	26.12
34.	टाटा आयरन स्टील कंपनी	0.99
35.	राष्ट्रीय इस्पात निगम (विजाग)	46.08
	कुल इस्पात	803.98
36.	लोको	4.80
37.	सरकार	42.27
	कुल अन्य	47.07
	कुल योग	3380.98

एल०पी०जी० से चलने वाले वाहन

1241. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री जी० करूणाकर रेड्डी :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में राज्य-वार अधिकृत रूप से एल०पी०जी० से चलने वाले कुल कितने वाहन हैं;

(ख) एल०पी०जी० के लिए समुचित अनुमति के बिना चलने वाले वाहनों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण प्राधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रकार, यह सूचना केंद्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) उचित अनुमति के बिना एल०पी०जी० पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जानी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

कोयला खान परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण

1242. श्री हंसराज गं० अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) की संबद्ध कंपनी विकोली की अकोना-मराडा कोयला खान परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खान परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहीत करने के बाद कृषकों की क्षतिपूर्ति दावों का निपटान कर दिया है और आश्रितों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां

(ख) दिनांक 16.10.2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०आ० सं० 2576 के द्वारा कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत अकोना और मराडा गांवों की 415.83 हैक्टेयर काश्तकारी भूमि को अधिसूचित किया गया है।

(ग) और (घ) कलेक्टर, चन्द्रपुर से दरों से प्राप्त होने पर मुआवजा पंजी तैयार की जाएगी जिसके लिए उनसे अनुरोध किया गया है। किसानों से भूमि का वास्तविक कब्जा अभी नहीं लिया गया है।

(ङ) मुअवजा राशि को अंतिम रूप देने और भूमि का वास्तविक कब्जा लेने के बाद मुआवजा और रोजगार पर कंपनी के नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1243. श्री ई०जी० सुगावनम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कितने डाकघरों का राज्य-वार कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ख) वर्ष के दौरान कितने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के कई शहरों में लॉजिस्टिक डाक सेवाओं को आरंभ किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) आज की स्थिति के अनुसार देश भर में 8163 बड़े डाकघरों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए डाकघरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान 100 और डाकघरों में कम्प्यूटरों की आपूर्ति कराने का आर्डर दे दिया गया है।

(ग) और (घ) अगले तीन वर्षों के लिए डाकघरों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ङ) और (च) डाक विभाग ने ग्राहकों को किसी भी भार के सामान या बड़ी प्रेषितियों को भेजने हेतु लॉजिस्टिक्स पोस्ट की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य प्रमुख शहरों और नगरों को एक हब एंड स्पोक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हुए भारत भर के ग्राहकों को समग्र लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करना है।

विवरण

28.2.2007 की स्थिति के अनुसार कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए डाकघरों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	494
2.	असम	262
3.	बिहार	293
4.	छत्तीसगढ़	93
5.	दिल्ली	278
6.	गुजरात	527
7.	हरियाणा	170
8.	हिमाचल प्रदेश	128
9.	जम्मू-कश्मीर	72
10.	झारखंड	126
11.	कर्नाटक	511
12.	केरल	608
13.	मध्य प्रदेश	278
14.	महाराष्ट्र एवं गोवा	929
15.	उत्तर पूर्वी राज्य (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा)	119
16.	उड़ीसा	255
17.	पंजाब	255
18.	राजस्थान	283
19.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	900
20.	उत्तर प्रदेश	768
21.	उत्तरांचल	138
22.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सहित)	676
	कुल	8163

गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय खेल

1244. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2007 में गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है जैसाकि दिनांक 9 जनवरी, 2007 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोजकों एवं प्रतिभागियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संबंधित प्राधिकारी उल्फा गतिविधियों के कारण राज्य में विद्यमान स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय खेल को स्थगित करने अथवा इसका स्थान बदलने पर विचार कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन खेलों में कितने प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है;

(ज) खेल पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(झ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा असम को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) 33वें राष्ट्रीय खेल 9 से 18 फरवरी, 2007 को गुवाहाटी में आयोजित किए गए, जिनमें 32 खेल विद्याओं में प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। 30 राज्यों, 2 केन्द्र शासित क्षेत्र और सैन्य खेल नियंत्रण बोर्ड ने इन खेलों में भाग लिया।

(ग) और (घ) समुचित सुरक्षा प्रबंध किए गए थे और खेलों का आयोजन बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्वक किया गया।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते। खेलों का आयोजन किया जा चुका है।

(छ) कुल 6872 एथलीटों/खिलाड़ियों ने खेलों में भाग लिया।

(ज) राष्ट्रीय खेलों पर कुल व्यय लगभग 288.77 करोड़ रु० हुआ।

(झ) केन्द्र सरकार द्वारा असम राज्य का खेलों के आयोजन के लिए 148.00 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

सऊदी अरब में भारतीयों को टीका लगाना

1245. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब ने अपने देश में आने वाले भारतीयों को पोलियों का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सऊदी अरब ने इस निर्णय से हजयात्रियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सऊदी अरब का यह निर्णय पोलियों उन्मूलन संबंधी वैश्विक सलाहकार समिति की सिफारिश का परिणाम है;

(च) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(छ) क्या हज यात्रा के आरंभ से पहले समिति की सिफारिशों का व्यापक प्रचार किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, हां। सऊदी अरब दूतावास ने सूचना दी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के आधार पर सऊदी अरब जाने वाले लोगों को उस देश में उनके आगमन से एक माह पूर्व पोलियो ड्राप्स लेना आवश्यक होगा।

सूचना प्राप्त होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय में ओरल पोलियो वैक्सीन देने तथा सऊदी अरब के लिए प्रस्थान करने से पूर्व हज यात्रियों को इस आशय का प्रमाणपत्र देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।

इस कार्यवाई के कारण इस मंत्रालय अथवा विदेश मंत्रालय तथा सऊदी अरब में हमारे मिशन में हज यात्रियों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

(ङ) जी, हां।

पोलियो उन्मूलन संबंधी वैश्विक सलाहकार समिति की सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) से (ज) जी, हां। सभी राज्य सरकारों से हज यात्रियों को ओरल पोलियो वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं करने की अपेक्षा की गई थी। उनसे हवाई अड्डों पर तथा राज्य हज समिति के कार्यालय में पोलियो बूथ खोलने का भी अनुरोध किया गया था।

हज समिति ने देश भर के प्रमुख समाचार-पत्रों के माध्यम से सभी सम्बद्ध एजेंसियों अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हज समितियों को प्रेस विज्ञप्ति जारी की। विभिन्न राज्य हज समितियों विशेषतौर पर पोतारोहण स्थलों की देखरेख करने वाली समितियों ने सभी जिला अस्पतालों, ग्रामीण अस्पतालों, चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, निगम अस्पतालों, हज शिविरों तथा पोता-रोहण केन्द्रों के हवाई अड्डों पर भी पोलियो बूथ स्थापित किए हैं।

विवरण

पोलियो उन्मूलन संबंधी वैश्विक सलाहकार समिति की सिफारिशें:

संचरित पोलियो वायरस के अंतरराष्ट्रीय फैलाव के जोखिम पर काबू पाने के लिए एक बहुत-आयामी कार्यनीति की आवश्यकता है। ए०सी०पी०ई० द्वारा पहले की गई तकनीकी सिफारिश के अलावा, वाइल्ड पोलियो वाइरस के अन्तरराष्ट्रीय फैलाव के खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए।

नाइजीरिया तथा भारत के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों के सीमावर्ती देशों को उपयुक्त मापदण्ड का एस०आई०ए० राउंड प्रति वर्ष तब तक आयोजित करते रहना चाहिए जब तक कि पड़ोस के स्थानिकमारी वाले क्षेत्र में रोग संचरण बंद न हो जाए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रकाश ''इन्टरनेशनल ट्रैवल एंड हैल्थ'' को यह सिफारिश करने हेतु अद्यतन बनाय जाना चाहिए कि पोलियो संक्रमित क्षेत्रों के सभी यात्रियों को राष्ट्रीय नीति के अनुसार पोलियो के लिए पूर्णतया रोग प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए। पोलिया रोग प्रतिरक्षण न कराने वो व्यक्तियों को भावी यात्रा की तिथि से एक माह पूर्व तक प्रतिरक्षण की पूर्ण प्राथमिक प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी चाहिए। पहले से रोग प्रतिरक्षित व्यक्तियों को यात्रा से पूर्व एक से चौबीस माह के बीच एक बूस्टर खुराक लेनी चाहिए।

अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के अन्तर्गत पोलियो संक्रमित क्षेत्रों के यात्रियों के लिए पोलियो प्रतिरक्षण संबंधी एक स्थायी सिफारिश की जानी चाहिए। अन्य उपलब्धों में इसे ये सिफारिशें करनी चाहिए कि:–

(क) जिन व्यक्तियों ने पोलियो रोग प्रतिरक्षण की पूर्ण प्रतिरक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं की है उन्हें भावी यात्रा की तारीख से कम-से-कम एक माह पूर्व पूर्ण प्राथमिक प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी चाहिए।

(ख) पूर्व में प्रतिरक्षित व्यक्तियों को यात्रा से पूर्व एक माह से चौबीस माह के मध्य ओ०पी०वी० की एक बूस्टर खुराक लेनी चाहिए, तथा

(ग) अल्पसूचना (अर्थात् प्रस्थान के एक माह से कम) पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को प्रस्थान से पूर्व पोलियो वैक्सीन की एक खुराक लेनी चाहिए।

प्रवेश के केन्द्र पर पोलिया वैक्सीन की एकल खुराक से पोलियो संक्रमित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के रोग प्रतिरक्षण से दूसरे देश को संचरित होने वाले वाइरस के फैलाव का खतरा कम हो सकता है।

पोलियो संक्रमित क्षेत्रों के यात्रियों को रोग प्रतिरक्षित करने के लिए श्रेष्ठ वैक्सीन ट्रिवैलेन्ट ओ०पी०वी० है।

ये सिफारिशें पोलियो संक्रमित क्षेत्रों में अन्तिम वाइल्ड पोलियो वाइरस का पता लगने के बाद न्यूनतम 6 माह तक लागू रहनी चाहिए। यदि संक्रमित देश में प्रमाणन मानक निगरानी मौजूद नहीं है तो सिफारिश को न्यूनतम 12 माह तक प्रभावी रहना चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए कि आई एच आर (2005) के लिए विशेषज्ञ रोस्टर में समुचित पोलियो विशेषज्ञता उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम से छूट

1246. **श्री असादूद्दीन ओवैसी :**
श्री अमिताभ नन्दी :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं दिल्ली मेट्रो सहित कुछ जाने-माने लोग अधिकरणों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकार से स्वयं को बाहर रखने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार विनियामक को उक्त छूट हेतु विभिन्न अधिकरणों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यकरण पर 837 लोक अधिकरणों द्वारा दायर विवरणियों के संबंध में अपनी प्रथम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) संलग्न विवरण में दर्शाए गए लोक प्राधिकारियों ने सूचना

का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से छूट का अनुरोध किया है।

(घ) सरकार ने अधिनियम की द्वितीय अनुसूची को संशोधित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है जिसमें ऐसे संगठनों के नाम हैं जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट 2005-2006 सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

विवरण

उन लोक प्राधिकारियों की सूची जिन्होंने छूट प्राप्त करने का अनुराध किया है।

1. सशस्त्र बल (सेना, वायु सेना, जल सेना और तटरक्षक)
2. रक्षा मंत्रालय (आंशिक छूट)
3. रेलवे सुरक्षा बल
4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आसूचना महानिदेशालय
5. आयकर अन्वेषण महानिदेशालय
6. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन
7. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (आंशिक संशोधन)
8. नागर विमानन ब्यूरो सुरक्षा
9. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
10. संघ लोक सेवा आयोग (आंशिक छूट)

[हिन्दी]

सकल बजटीय सहायता

1247. श्री संतोष गंगवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना राज्यों की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राज्यों को दी जाने वाली सकल बजटीय सहायता में वृद्धि करने की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) और (ख) व्यय बजट (खण्ड-1) 2007-08 के अनुसार, राज्यों को केन्द्रीय सहायता हेतु कुल सकल बजटीय सहायता वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) में 38,961.48 करोड़ रुपये में 20.96 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2007-08 (बजट अनुमान) में 47,127.04 करोड़ रुपये कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाकिस्तान और चीन के बीच संयुक्त उद्यम परियोजना

1248. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी इंजन के साथ मल्टी रोल फाइटर प्लेनों के उत्पादन के लिए पाकिस्तान और चीन के बीच कोई संयुक्त उद्यम है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि ज्वाइंट फाइटर-17 (जे०एफ०-17) थंडर, जिसे फाइटर चायना-1 (एफ०सी०-1) फीयर्स ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण चीन के चेंग्दु एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कार्पोरेशन और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जा रहा है। जे०एफ०-17 को पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल किए जाने की उम्मीद है। कुछ खबरों में ये भी कहा गया है कि इस विमान चालन की शक्ति के लिए इसमें रूसी मूल का आर०डी०-93 एयरो इंजन लगाया जाएगा।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों की निगरानी में सदैव सतर्कता बरतती है जो भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करती हैं, और इन हितों की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1249. श्री अनन्त नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का हस्तांतरण किया गया है/किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की है।

[हिन्दी]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा पत्तन शुल्क में कमी

1250. **श्री शिशुपाल एन० पटले :**
श्री रशीद मसूद :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का विचार पत्तन शुल्कों की दरों में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन शुल्क में कुल कितने प्रतिशत की कमी की गई है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप होने वाली दूरसंचार दरों में कमी के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(घ) क्या उक्त दरों में कमी के फलस्वरूप दूरसंचार से राजस्व संग्रहण में होने वाली वृद्धि/गिरावट के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपभोक्ताओं हेतु बुनियादी टेलीफोन एवं सेल्युलर फोन के प्रशुल्क में कितने प्रतिशत की कमी आई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पोर्ट प्रभारों पर संशोधित विनियम 2 फरवरी, 2007 को जारी किया जो 1 अप्रैल, 2007 से लागू होगा। इन विनियमों में संशोधन से विभिन्न स्लैबों के मौजूदा पोर्ट प्रभारों में लगभग 23% से 29% तक की कमी होगी।

(ग) बुनियादी फोनों के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशुल्क तथा मोबाइल फोनों के मामले में रोमिंग प्रशुल्क और पट्टेशुदा सर्किटों के प्रशुल्क को छोड़कर दूरसंचार प्रशुल्कों को आस्थगित रखा गया है। सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में ट्राई द्वारा निर्धारित मानक प्रशुल्क योजना के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को वैकल्पिक पैकेज के तौर पर किराए और नि:शुल्क कॉलों में किसी भी प्रकार के मेल की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) अंतरसंयोजन प्रदाता के नेटवर्क इंटरफेस पर समाप्त होने वाले अंतरसंयोजन लिंकों के लिए पोर्ट प्रभार अंतरसंयोजन के इच्छुक पक्ष द्वारा अंतरसंयोजन प्रदाता को देय होता है। पोर्ट प्रभारों में कपी औसत राजस्व प्रति प्रयोक्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई नहीं है। अत:, दूरसंचार के राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी या कमी का आकलन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय दिवस

1251. **श्री काशीराम राणा :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2007 के प्रथम सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2007 का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष यथा 2006 की तुलना में सम्मेलन में कितने प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया और इसमें अंतर के क्या कारण हैं;

(ग) सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा पर की गई और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) निवेश एवं स्थानीय सहायता इत्यादि के संबंध में प्रवासी भारतीयों द्वारा क्या मुख्य चिंता व्यक्त की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रवासी भारतीयों से और अधिक निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्हें कुछ और रियायत एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) प्रवासी भारतीय दिवस 2007 नई दिल्ली में 7 से 9 जनवरी, 2007 के दौरान आयोजित किया गया था। हैदराबाद में 7 से 9 जनवरी 2006 को हुए प्रवासी भारतीय दिवस 2006 में भुगतान सहित 916 प्रतिनिधियों की तुलना में इस सम्मेलन में भुगतान सहित 1094 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) सम्मेलन के मुख्य केन्द्र स्वास्थ्य, युवशक्ति, शिक्षा स्वास्थ्य परिचर्या, महिलाएं, निवेश, प्रोद्यौगिकी, मीडिया आदि थे।

(घ) से (छ) सरकार ने प्रवासी भारतीयों से निवेश के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति तैयार की है। अधिकांश क्षेत्र ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले हैं। विदेशी प्रत्येक निवेश नीति के अंतर्गत प्रवासी भारतीयों को उपलब्ध सुविधाएं संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

1. अप्रवासी भारतीय आवास और वास्तविक सम्पदा विकास में स्वत: माध्यम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं:

- सेवा भूखण्डों का विकास और तैयार आवासीय परिसरों का निर्माण;
- व्यवसाय केन्द्रों और कार्यालयों सहित आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों वाली वास्तविक सम्पदा में निवेश;
- नगर विकास;
- शहर और क्षेत्रीय स्तर पर शहरी संरचना सुविधाएं, जिनमें सड़कें और पुल शामिल हैं;
- उपर्युक्त गतिविधियों में भागीदारीपूर्ण उद्यमों में निवेश;
- आवास वित्त संस्थाओं में निवेश।

2. अप्रवासी भारतीय विमान टैक्सी संचालन में लगी भारतीय कम्पनियों में 100 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। (विदेशी कम्पनियों के लिए केवल 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है)

अप्रवासी भारतीयों को अन्य सुविधाएं

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत निवेशों के अतिरिक्त अप्रवासी भारतीय निम्नलिखित गतिविधियों/क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम विनियमों की विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी निवेश कर सकते हैं:

- म्यूच्वल फन्ड;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉन्ड में निवेश;
- कृषि/बागान गतिविधि अथवा वास्तविक सम्पदा व्यवसाय को छोड़कर स्वामित्व/भागीदारी मामलों में 100 प्रतिशत इक्विटी तक निवेश (विदेशी कम्पनियों को भागीदारी फर्मों/स्वामित्व वाले मामलों में निवेश की अनुमति नहीं है)
- पोर्टफोलियो निवेश योजनाएं: अप्रवासी भारतीयों को पोर्टफोलियो योजना के अंतर्गत शेयर बाजारों से माध्यमिक बाजार खरीदारियों की मार्फत शेयरों और डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति है। निवेश की सीमाएं क्रमश: 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है। ये सीमाएं विदेशी संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो निवेश के अतिरिक्त हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अप्रवासी भारतीयों के निवेशों की भरमार न जो जाए।
- अप्रवासी भारतीय कृषि भूमि/बागान सम्पत्ति/फार्म हाउस के अलावा अचल सम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी सम्पत्तियों को अन्य अप्रवासी भारतीय निवासी को हस्तांतरित कर सकते हैं।

पोलियो के मामले

1252. श्री अधीर चौधरी :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री सी०के० चन्द्रप्पन :
श्री रघुनाथ झा :
श्री ए०साई प्रताप :
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री निखिल कुमार :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री पी० मोहन :
श्री एस०के० खारवेनथन :
श्री प्रह्लाद जोशी :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में देश के कई भागों में पोलियो के कई नए मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे देश के "पोलियो-मुक्त" होने के दावे पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो देश में पोलियो का उन्मूलन करते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में पोलियो मामलों का वर्तमान अनुमान क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2007 के दौरान अभी तक पांच राज्यों में वाइल्ड पोलियो वायरस के 11 मामलों का पता चला है जो नीचे दिए अनुसार हैं:—

उत्तर प्रदेश	3
बिहार	5
हरियाणा	1
महाराष्ट्र	1
आन्ध्र प्रदेश	1

देश में पोलियो की महामारी स्थिति की समीक्षा दिसम्बर, 2006 के दौरान पोलियो संबंधी भारतीय विशेषज्ञ परामर्श समूह द्वारा की गई थी और उसका विचार था कि पूरक प्रतिरक्षण गुणवत्ता कार्यकलाप मोनो वलेंट मुखीय पोलियो वैक्सीन और 2006 में प्रकोप के कारण 2006 के अन्त तक वाइलड पोलियो वायरस टाइप I से प्रतिरक्षित जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। पोलियो संबंधी भारतीय विशेषज्ञ परामर्शी समूह इस बात से आश्वासत था कि उपयुक्त कार्यनीतियों के कार्यान्वयन से भारत में 2007 में वाइल्ड पोलियो वायरस का संचरण रोका जा सकता है।

(घ) और (ङ) देश से पोलियो के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(क) पोलियो टाईप I और टाईप 3 के संचरण को खत्म करने के लिए मोनोवेंलट मुखीय पोलियो वैक्सीन I और 3 का कार्यनीतिक और लक्षित उपयोग।

(ख) 2007 के पहले भाग में वाइल्ड पोलियो वायरस के प्रति उत्तर प्रदेश और बिहार के उच्च जोखिम वाले जिलों में बच्चों के प्रतिरक्षण में तजी लाने के लिए प्रतिरक्षण दौरों की संख्या बढ़ाना।

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रतिरक्षण अभियानों की गुणवत्ता को सुधारने और उसे बनाए रखने के लिए सतत प्रयास।

(घ) बेहतर स्वीकार्यता और सम्पूर्ण समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक नेताओं और स्थानीय नेताओं के सहयोग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुग्राहिता प्रयासों को बढ़ाना।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन चयनित आशा कार्यकर्ताओं को भी अब पल्स पोलियो प्रतिरक्षण में, विशेषकर नवजात शिशुओं और दवाई लेने से छूट गए बच्चों का पता लगाने और उन्हें आंगनवाड़ियों में मासिक स्वास्थ्य और पोषण दिवसों पर वैक्सीन देने के कार्य में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के मानवाधिकार संबंधी मुद्दे

1253. श्री संजय धोत्रे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश में हिन्दुओं के जबरन अपहरण की बढ़ती घटनाओं की शिकायतों के संबंध में चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन से गैर-कानूनी ढंग से अपहृत अथवा हिरासत में लिए गए उक्त नागरिकों को रिहा करने अथवा व्यक्तियों की सूची जारी करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2006 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के हिंदुओं के अपहरण, लापता होने और जबरन धर्म-परिवर्तन के मामलों में 2006 में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि आयोग ने तीन हिंदू बालिकाओं के अपहरण के मामले में उनकी बरामदगी के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की थी और प्रेस के साथ उनके माता-पिता की मुलाकात की व्यवस्था की थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया कि बालिकाओं को एधी कल्याण केंद्र में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें तब तक संरक्षण प्रदान किया जाए जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि उन्हें वास्तव में इस्लाम धर्म अपनाने को बाध्य किया गया था।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जल-परिवहन-क्षेत्र में वृद्धि

1254. श्री के०एस० राव : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय जल-परिवहन-क्षेत्र हेतु उपलबध अवसंरचना एवं कारोबार-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि के क्या अनुमान हैं और अनुमानि वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करने हेतु क्या क़दम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने और पोत-निर्माण एवं टर्मिनलों के निर्माण हेतु सरकारी संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों अर्थात् राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-1-हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा-भगीरथी-हुगली-नदी-प्रणाली, राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-2-धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-3-उद्योग मंडल और चम्पाकारा नहरों के साथ-साथ, कोट्टायम से कोल्लम तक पश्चिम तट-नहर पर उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्योरा, विवरण के रूप में संलग्न है। पिछले तीन वर्ष के दौरान, देश में अंतर्देशीय जल-परिवहन के साधन (संगठित क्षेत्र) द्वारा लाए-ले जाए गए जहाजी माल का ब्योरा निम्नलिखित है:–

वर्ष	जहाजी माल का संचलन (बिलियन टन किलोमीटर में)
2003-04	1.628
2004-05	2.468
2005-06	2.823

(ख) अगले पाँच वर्ष में अर्थात् वर्ष, 2011-12 तक, यह अनुमानित है कि अंतर्देशीय जल-परिवहन के माध्यम से किया जाने वाला जहाजी माल का परिवहन, 5.0 बिलियन टन किलोमीटर के स्तर तक पहुंच जाएगा।

यह अनुमानित विकास हासिल करने की दृष्टि से उठाए जाने प्रस्तावित किए गए कदम निम्नलिखित हैं:–

(i) मौजूदा तीन राष्ट्रीय जलमार्गों को पूरी तरह से कार्य करने योग्य बनाया जाना।

(ii) नए राष्ट्रीय जलमार्गों को घोषित और उन्हें विकसित किया जाना।

(iii) अंतर्देशीय जल-परिवहन से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित किए जाने, उनका संचालन और प्रबंधन किए जाने से संबंधित काम-काज में गैर सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना।

(iv) गैर सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत अंतर्देशीय जल-परिवहन-बेड़ा बढ़ाया जाना सुकर और सुसाध्य बनाने में सहायक फ्रेमवर्क मुहैया करवाया जाना।

(ग) और (घ) इस क्रम में चार समझौता-ज्ञापन निष्पादित करके (चार समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके) शुरूआत की जा चुकी है,

जिनमें से एक समझौता-ज्ञापन, पश्चिम बंगाल में बंडेल, कोलाघाट और बज-बज में तीन प्लवमान जेटियों का निर्माण तथा उनका संचालन किए जाने की दृष्टि से एक संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने के बारे में है और अन्य तीन समझौता - ज्ञापन, कोलकाता-मोंगला, कोलकाता-धुबरी तथा कोलकाता-पांडु-जलमार्गों पर बजरे खरीदे जाने, उनका संचालन एवं उनका प्रबंधन किए जाने के बारे में संयुक्त उद्यम के बारे में है। उपर्युक्त तीन राष्ट्रीय जलमार्गों को पूरी तरह से कार्य करने योग्य बना दिए जाने के बाद और गैर सरकारी निवेश सुलभ होना प्रत्याशित है। अत्यावश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं शीघ्रता से कायम किए जाने की कार्रवाई पहले से ही चल रही है।

विवरण

राष्ट्रीय जलमार्गों पर उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्योरा

जलमार्ग	नौचालनात्मक जलमार्ग	नौचालन से संबंधित साधन-सुविधाएं	टर्मिनल
राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1	उपर्युक्त जलमार्ग में, वर्ष के अधिकांश समय, हल्दिया और पटना के बीच फैले 1020 किलोमीटर के जल-क्षेत्र में 2.0 मीटर की अल्पतम उपलब्ध-अपेक्षित गहराई, पटना और वाराणसी के बीच फैले 363 किलोमीटर के जल-क्षेत्र में 1.5 मीटर की अल्पतम उपलब्ध-अपेक्षित गहराई तथा इलाहाबाद और वाराणसी के बीच फैले 237 किलोमीटर के जल-क्षेत्र में 1.0 मीटर की अल्पमत उपलब्ध-अपेक्षित गहराई क़ायम रखी जाती है।	समूचे जलमार्ग में दिन के समय नौचालन से संबंधित साधनों-सुविधाओं को मुहैया करवाया जाता है। त्रिवेणी और फरक्का के बीच फैले 364 किलोमीटर के जल-क्षेत्र में रात के समय नौचालन से संबंधित साधनों और सुविधाओं को भी मुहैया करवाया जाता है।	हल्दिया, कोलकाता, पाकुर, फरक्का, पटना, भागलपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में टर्मिनल मौजूद हैं।
राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 2	उपर्युक्त जलमार्ग में, वर्ष के अधिकांश समय, धुबरी और डिब्रूगढ़ के बीच फैले 768 किलोमीटर के जल-क्षेत्र में 2.0 मीटर की अल्पतम उपलब्ध-अपेक्षित गहराई तथा डिब्रूगढ़ और सदिया में फैले 123 किलोमीटर के जल-क्षेत्र में 1.2 मीटर की अल्पतम उपलब्ध-अपेक्षित गहराई क़ायम रखी जाती है।	समूचे जलमार्ग में दिन के समय नौचालन से संबंधित साधनों-सुविधाओं को मुहैया करवाया जाता है। धुबरी और पांडु के बीच फैले 255 किलोमीटर के जल-क्षेत्र में रात के समय नौचालन से संबंधित साधनों और सुविधाओं को भी मुहैया करवाया जाता है।	धुबरी, जोगीघोपा, पांडु, तेजपुर, सिलघाट, जामगुड़ी और बोगीबिल में टर्मिनल मौजूद हैं।
राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3	उपर्युक्त जलमार्ग में, वर्ष के अधिकांश समय, कोच्चि से तक्काजी के बीच और उद्योगमंडल एवं चम्पाकारा नहरों के बीच फैले 121 किलोमीटर के जल-क्षेत्र में 2.0 मीटर की अल्पतम उपलब्ध-अपेक्षित गहराई और उपर्युक्त जलमार्ग के शेष जल-क्षेत्र में 1.0 मीटर की अल्पतम उपलब्ध-अपेक्षित गहराई क़ायम रखी जाती है।	समूचे जलमार्ग में दिन के समय नौचालन से संबंधित साधनों-सुविधाओं को मुहैया करवाया जाता है। चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों के साथ-साथ, कोच्चि और अलापुझा के बीच फैले 112 किलोमीटर के जल-क्षेत्र में रात के समय नौचालन से संबंधित साधनों और सुविधाओं को भी मुहैया करवाया जाता है।	कोट्टापुरम, अलुवा, मराडु, वाइकोम, तनीरमुख्म (चेरतला), त्रिकुनापुझा और कायमकुलम में टर्मिनल मौजूद हैं।

ओ०सी०आई० कार्ड धारकों को प्रोत्साहन

1255. **श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य लाल फीताशाही का परित्याग करते हुए सुगम शासकीय प्रक्रियाओं को उपयुक्त रूप से विकसित करते हुए भारत में निवेश करने एवं कार्य करने हेतु ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड-धारकों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : सरकार ने प्रवासी भारतीयों से निवेश के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति तैयार की है। अधिकांश क्षेत्र ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले हैं। प्रवासी नागरिकता कार्ड धारकों को भारत में निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए रोजगार वीजा की आवश्यकता नहीं है।

मोबाइल उपभोक्ताओं का सत्यापन

1256. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड** :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल आपरेटरों द्वारा बड़ी संख्या में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं का सत्यापन नहीं कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है; और

(ग) उपभोक्ताओं के शत-प्रतिशत सत्यापन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (ग) दूरसंचार विभाग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया कि मोबाइल सेवा प्रदाता अपने लाइसेंस करारों में यथा-विहित उपभोक्ता सत्यापन संबंधी अपेक्षाओं को सामान्यत: पूरा नहीं कर रहे हैं।

दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद शहरों तथा हरियाणा राज्य में इसकी जांच हेतु विशेष अभियान चलाया। जांच किए गए नमूनों में, यह पाया गया कि लगभग 60% प्री-पेड उपभोक्ताओं तथा लगभग 93% पोस्ट-पेड उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता सत्यापन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा था। विशेष अभियान के प्रेक्षणों के आधार पर, संबंधित सेवा प्रदाताओं को ऐसे कनेक्शनों को काटने के लिए निदेश जारी किए गए जो बिना उचित सत्यापन के जारी किए गए हैं।

सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को मार्च, 2007 के अंत तक मौजूदा उपभोक्ताओं को दस्तावेजों के पुनर्सत्यापन हेतु दिनांक 22 नवंबर, 2006 को अनुदेश भी जारी किए गए हैं। तत्पश्चात् बिना उचित सत्यापन के किसी नंबर के प्रयोग में रहने पर लाइसेंसधारक द्वारा उपभोक्ता का नंबर तत्काल काटे जाने के अतिरिक्त लाइसेंसधारक पर उपभोक्ता के नंबर के सत्यापन संबंधी प्रति उल्लंघन हेतु 1000 रु० का न्यूनतम दंड लगाया जाएगा।

कोयले को तरल ईंधन एवं गैस में बदलना

1257. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतन टाटा की अध्यक्षता वाले निवेश आयोग ने कोयले को तरल ईंधन एवं गैस में बदलने की संभावना की जांच करने के निर्देश दिए है जैसा कि दिनांक 6 जनवरी 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सकरार ने उक्त संभावना की जांच करने हेतु अन्तर्मंत्रालीय समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) और (ख) निवेश आयोग के अध्यक्ष श्री रतन टाटा ने प्रधानमंत्री को भारत में कोयले की तरल ईंधन (सी०टी०एल०) में बदलने संबंधी उद्योग की स्थापना पर एक प्रस्तुतीकरण दिया है। यह प्रस्तुतीकरण, भारत की तेल सुरक्षा में सी०टी०एल० की भूमिका, भारत में सी०टी०एल० की संभावना और सी०टी०एल० के लिए सरकार की सरलीकरण पर ध्यान आकर्षित करती है। विचार-विमर्श के बाद योजना आयोग में, प्रस्ताव की जांच तथा भविष्य की कार्यवाही के

लिए समय सीमा के भीतर विशिष्ट रोड मैप की सिफारिश करने के लिए एक अन्तर मंत्रालय समूह की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था।

(ग) से (ङ) सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है जो मार्च 2007 के अंत तक योजना को सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। अंतर-मंत्रालयी समूह के सदस्य निम्नलिखित हैं:

सचिव, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय

सचिव, कोयला मंत्रालय

सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

सचिव, आई०पी०पी० विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सचिव, डी०एस०टी० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग।

कृत्रिम हृदय वाल्व "चित्र"

1258. **श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भात के प्रथम कृत्रिम हृदय वाल्व "चित्र" का उन्नत रूप तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) कृत्रिम वालव प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले निर्धन हृदय रोगियों की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के कृत्रिम हृदय वाल्व का सुधरा हुआ रूप टी०टी०के०-सिट्रा बाल्व डी०एस०आई०आर०, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से उनकी पी०ए०टी० एस०ई०आर० योजना के अधीन श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम और टी०टी० के हैल्थकेयर लिमिटेड, चेन्नई के बीच एक सहयोगी परियोजना के अधीन विकास और परीक्षण की अग्रिम अवस्था में हैं। इस नए रूप के 2007 की अन्तिम तिमाही के दौरान क्लिनिकल मूल्यांकन किए जाने की आशा है। नए माडल का विनिर्माण मूल्य वही होने की आशा है जो वर्तमान मॉडल का है। टी०टी० के हैल्थ केयर लिमिटेड ने इस अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई क्षमता के साथ त्रिवेन्द्रम में एक नया संयंत्र स्थापित किया है।

[हिन्दी]

हज राजसहायता

1259. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने जनवरी, 2007 में हज राजसहायता के संबंध में केंद्र सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) और (ख) यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है तथापि सरकार को हज समिति अधिनियम, 1959 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका का नोटिस प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

भारत-पाक संयुक्त आयोग

1260. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत-पाक संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां। पांचवें संयुक्त आयोग की बैठक 21 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में हुई थी। इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने की थी। इस बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार, पर्यावरण एवं पर्यटन के क्षेत्रों में आठ तकनीकी स्तर के कार्यदलों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई। सभी आठ तकनीकी स्तर के कार्यदलों की रिपोर्ट, संयुक्त आयोग में प्रस्तुत की गई और उन पर चर्चा हुई।

संयुक्त आयोग की चर्चाओं से अधिकाधिक द्विपक्षीय सहयोग होने और हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए एक संरचनात्मक आधार उपलब्ध होने की उम्मीद है।

मस्तिष्क ज्वर

1261. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री देविदास पिंगले :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री मो० ताहिर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश के कई भागों में मस्तिष्क ज्वर के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक उक्त कितने मामलों का राज्य-वार पता लगा है; और

(ग) इस घातक रोग से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) 2006 के दौरान मेनिनजाइटिस के रोगियों की राज्यवार संख्या जिसमें दिल्ली भी शामिल है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) रोग को रोकने और अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करना प्रमुखत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। शीघ्र निदान और तुरन्त उपचार करने, रोगियों के सम्पर्क का पता लगाने और केमोप्रोफाइलेक्सिस प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए थे। सामुदायिक सहभागिता के साथ आई०ई०सी० कार्यकलाप शुरू किए गए थे। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में अस्पतालों से नूमने प्राप्त करने और स्थिति की मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। मेनिनजाइटिस रोग के निवारण और नियंत्रण के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को परिचालित किए गए थे। सभी अस्पतालों को प्रशिक्षण और प्रयोगशाला सहायता प्रदान की गई थी।

विवरण

भारत में प्रमुख संचारी रोगों के सूचित रोगियों तथा इनसे हुई मौतों की संख्या मेनिंगोकोक्कल मेनिनजाइटिस – 2006

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरूष		महिला		कुल		निम्नलिखित तक संदर्भ अवधि
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	405	6	423	5	828	11	अगस्त 06 को छोड़कर नवम्बर
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	एन०आर०
3.	असम	–	–	–	–	–	–	एन०आर०
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	एन०आर०
5.	छत्तीसगढ़	87	2	3	1	90	3	जुलाई, 06
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	एन०आर०
7.	गुजरात	33	4	21	3	54	7	दिसंबर, 06
8.	हरियाणा	6	0	1	0	7	0	सितम्बर, 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	अक्टूबर, 06 को छोड़कर नवम्बर
10.	जम्मू डिविजन	0	0	0	0	6	0	दिसंबर, 06
	कश्मीर डिविजन	0	0	0	0	0	0	दिसंबर, 06
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	दिसंबर, 06
12.	कर्नाटक	2	0	1	0	3	0	नवंबर, 06
13.	केरल	17	2	6	0	23	2	नवंबर, 06
14.	मध्य प्रदेश	34	2	31	1	65	3	जुलाई, 06
15.	महाराष्ट्र	18	5	15	3	33	8	जनवरी, 06 को छोड़कर मार्च
16.	मणिपुर	40	4	15	2	55	6	सितम्बर, 06
17.	मेघालय	46	6	29	4	75	10	अगस्त, 06
18.	मिजोरम	38	0	50	0	88	0	नवंबर, 06
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	जुलाई, 06
20.	उड़ीसा	33	1	12	3	45	4	अक्टूबर, 06
21.	पंजाब	16	5	9	0	25	5	नवम्बर, 06
22.	राजस्थान	14	1	0	0	14	1	अक्टूबर, 06
23.	सिक्किम	3	0	1	0	4	0	दिसंबर, 06
24.	तमिलनाडु	—	—	—	—	8	0	नवंबर, 06
25.	त्रिपुरा	40	6	21	3	61	9	नवंबर, 06
26.	उत्तरांचल	35	0	23	0	58	0	दिसंबर, 06
27.	उत्तर प्रदेश	12	2	1	1	13	3	नवंबर, 06
28.	पश्चिम बंगाल	391	44	253	41	644	85	सितंबर, 06
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4	0	3	1	7	1	सितंबर, 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	एन०आर०
31.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	दिसंबर, 06
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	जनवरी तथा मार्च, 06 को छोड़कर अप्रैल
33.	दिल्ली	237	39	82	19	319	58	दिसंबर, 06
34.	लक्षद्वीप	4	0	2	0	6	0	नवंबर, 06
35.	पांडिचेरी	35	0	35	1	70	1	अक्टूबर, 06
	कुल	1550	129	1037	88	2601	217	

आंकड़े अनन्तिम हैं और दोषपूर्ण परिभाषित कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

– सूचित नहीं किया गया।

पुरुष और महिला का योग कुल आंकड़ों के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अलग-अलग लिंगवार सूचना नहीं दी है।

स्रोत : राज्यों/संघ क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।

जेलों में एच०आई०वी० रोगियों की संख्या में वृद्धि

1262. **श्रीमती पी० सतीदेवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेलों में एच०आई०वी० पॉजिटिव मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में विशेषकर जेलों में एच०आई०वी० के प्रसार की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीति उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच लक्षित कार्यकलापों, सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण, उक्त निरापदता, परामर्श सेवाओं आदि जैसे कार्यकलापों के जरिए रोकथाम करने की बनी हुई। आज की तारीख के अनुसार जेल में बन्द कैदियों के बीच एच०आई०वी० और एड्स के निवारण के लिए जेलों में 45 लक्षित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल

1263. **डा० के०एस० मनोज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर स्पेशियालिटी पंचकर्म अस्पताल के निर्माण हेतु 7.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किन क्षेत्रों को लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एमपीलेड योजना के अंतर्गत राशि में वृद्धि

1264. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :** क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एमपीलेड योजना के अंतर्गत कार्य की लागत में वृद्धि को देखते हुए प्रत्येक सांसद को आवंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि करने का काई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी०के० वासन) : (क) और ख) प्रति सांसद की राशि 2 करोड़ रु० से 5 करोड़ रु० करने हेतु सां०स्था०क्षे०वि०यो० निधि के वार्षिक आबंटन में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव इस मंत्रालय के परीक्षणाधीन है।

भारतीय प्रवासी मजदूर

1265. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई ने भारतीय प्रवासी मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार होने का निर्माण उद्योग में 107 मजदूर शिविरों को बंद करने के आदेश दिए हैं जैसाकि दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 के 'द टाईम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय मजदूरों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

1266. **श्री एम० अंजन कुमार यादव :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों का किलोमीटर में स्थान-वार ब्योरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसमें कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कोलकाता-चेन्नै खंड के स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 5 की 559 कि०मी० लंबाई को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चार लेन का बनाया गया है।

(ख) से (घ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में 2 से 27 महीनों का विलंब हुआ जो भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों में कठिनाई, कुछ ठेकेदारों के खराब कार्य निष्पादन और कुछ ठेकों को रद्द करने आदि के कारण रहा है। फिर भी इन परियोजनाओं को मार्च, 2006 से पहले ही पूरा किया जा चुका है। सिवाय श्रीकाकुलम-चंपावती खंड के जिसमें कुछ ठेकागत समस्या के कारण विलंब हुआ था। चूंककर्ता ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और शेष कार्य को सौंप दिया गया है जिसे अप्रैल, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

खाड़ी में आप्रवासी भारतीय

1267. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :**
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश विशेषकर खाड़ी देशों में नौकरियों के लिए जाने वाले लोगों को आप्रवास कोष में फीस जमा करानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह प्रणाली कब से शुरू की गई है;

(ग) इस कोष की स्थापना का क्या उद्देश्य है;

(घ) इससे अब तक कितनी धनराशि एकत्रित की जा चुकी है;

(ङ) क्या इस कोष का इस्तेमाल प्रवासी भारतीय मजदूरों की सहायता तथा विदेश में वापसी पर उनके पुनर्वास के लिए किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : (क) से (च) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के नियम 17 के अनुसार, एक उत्प्रवासी जिसे विदेशी नियोकता द्वारा सीधे ही भर्ती किया जाता है, उसे सुरक्षा राशि के रूप में एक तरफ का हवाई भाड़ा जमा करना होता है ताकि यदि जरूरत पड़े तो उसकी स्वेदश लौटने की लागत को पूरा किया जा सके। यह राशि सम्बन्धित उत्प्रवासी के वापस लौटने पर अपेक्षित दस्तावेज जमा करने पर देय होती है। तथापि, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2003 (2006 में यथा संशोधित) के लागू होने के बाद से 25.12.2003 से एक तरफा हवाई भाड़ा जमा करने को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उक्त बीमा योजना में स्वदेश लौटने पर ऐसी राशि की अदायगी का प्रावधान है।

वर्ष 2006 के अंत में, उत्प्रवासियों द्वारा जमा कराई गई बकाया राशि 26.93 करोड़ रुपये (लगभग) थी। स्वदेश लौटने पर उत्प्रवासियों द्वारा दावे प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है।

भारतीय दूतावासों के लिए सम्पत्ति कर में छूट

1268. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूतावासों को सम्पत्ति कर पर दी जा रही राहत के विस्तारण की वजह से सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई है जैसाकि दिनांक 29 जनवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राहत का विस्तार उन देशों तक भी कर दिया है जो अपने देशों में भारतीय दूतावासों को ऐसी कोई कर राहत प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(घ) कौन-कौन से देश भारतीय दूतावासों से कर वसूल कर रहे हैं; और

(ङ) सेवा कर और अन्य करों की वसूली के लिए सरकार की क्या नीति है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं। रायनयिक संबंधों पर विएना अभिसमय 1961 के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत "मिशन के परिसर, चाहे वह स्वामित्व वाले हों अथवा पट्टे पर लिए गए हों, के संबंध में, प्रदत्त विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रातिनिधिक भुगतान को छोड़कर भेजने वाले राज्य और मिशन प्रमुख को सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा नगरपालिका की बकाया राशियों और करों से छूट प्राप्त होगी"। यह न केवल भारत स्थित विदेशी मिशनों अपितु विदेश स्थिति भारतीय मिशनों पर भी लागू होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सभी देशों ने मिशन प्रमुख और चांसरी के भारत के स्वामित्व वाले अथवा पट्टे पर लिए गए आवासों और परिसरों को भूमि/संपत्ति कर के भुगतान से छूट प्रदान की है।

(ङ) सरकार की नीति रायनयिक संबंधों पर विएना अभिसमय 1961 के प्रावधानों पर आधारित है।

भारत-नेपाल-भूटान के बीच नई रेल लाइन

1269. **श्री रूपचंद मुर्मू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत, नेपाल और भूटान के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना के व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्विपक्षीय संबंधों के क्षेत्र में नेपाल और भूटान के साथ मैत्री समझौतों का नवीकरण करने का प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावित बदलावों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत और नेपाल के बीच पांच सीमापार रेल सम्पर्क और भारत तथा भूटान के बीच पांच सीमा पार रेल सम्पर्कों की स्थापना करने के संबंध में इस समय व्यवहार्यता अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने भारत और भूटान के बीच 8 अगस्त, 1949 को सम्पन्न संधि को अद्यतन किया है। अद्यतन भारत-भूटान मैत्री संधि नई दिल्ली में 8 फरवरी, 2007 को सम्पन्न की गई। अद्यतन

संधि में दोहराया गया कि भारत और भूटान के बीच चिरस्थायी शांति और मैत्री रहेगी। यह उन प्रावधानों को समाप्त करती है जो समय के साथ पुराने हो गए हैं। इसमें परस्पर तथा सुदीर्घ लाभ के लिए आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ तथा विस्तारित करने और संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए नई व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें दोनों देशों के राष्ट्रिकों के साथ संव्यवहार, अथवा मुक्त व्यापार व्यवस्था जो हमारे बीच है, में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस संधि में दोनों देश अपने राष्ट्रिकों के हितों में सम्बद्ध मसलों पर एक दूसरे के साथ निकट सहयोग और एक-दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा और हित को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों के लिए अपने भूक्षेत्र को इस्तेमाल न करने देने के लिए वचनबद्ध हैं।

विदेशी जेलों में भारतीय कैदी

1270. **श्री अविनाश राय खन्ना : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों की जेलों में भारतीय कैदियों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने कैदियों की सुरक्षित रिहाई के लिए संबंधित देशों के साथ मुद्दे को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) विभिन्न देशों में भारतीय कैदियों का उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) भारत सरकार, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के माध्यम से विदेशी जेलों से भारतीय राष्ट्रिकों की शीघ्र रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करती है और जरूरी सहायता उपलब्ध कराती है, जिसमें शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करना, सजा में कमी किए जाने की मांग करना, बंदियों और कैदियों के लिए कौंसली सहायता की मांग करना, कानूनी और अन्य मामलों में सलाह/दिशानिर्देश प्रदान करना, भारत में उनके रिश्तेदारों के साथ बातचीत करना, विदेशों की जेलों में कैदियों के साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना, रिहा हो गए कैदियों के भारत प्रत्यावर्तन को सुसाध्य बनाना शामिल है।

(घ) लागू नहीं।

विवरण

विभिन्न देशों में भारतीय कैदियों का ब्यौरा

देश	जेलों में भारतीयों की संख्या
1	2
1. अफगानिस्तान	शून्य
2. अल्बानिया	शून्य
3. अल्जीरिया	शून्य
4. अंगोला	शून्य
5. अर्जेंटीना	शून्य
6. आर्मेनिया	शून्य
7. आस्ट्रिया	उपलब्ध नहीं
8. आस्ट्रेलिया	35
9. अजरबैजान	शून्य
10. बहरीन	101
11. बेलारूस	3
12. बेनिन	शून्य
13. बंगलादेश	893
14. बेल्जियम	उपलब्ध नहीं
15. भूटान	36
16. बोस्निया और हरजेगोविना	शून्य
17. बोत्सवाना	1
18. ब्राजील	शून्य
19. ब्रुनई	16
20. बुलगारिया	शून्य
21. बुरुण्डी	शून्य

1	2
22. बुर्किना फासो	शून्य
23. कम्बोडिया	शून्य
24. कोस्टा रिका	शून्य
25. कनाडा	21
26. चाड	शून्य
27. चिली	शून्य
28. चीन	3
29. कोलंबिया	शून्य
30. कॉंगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)	शून्य
31. कोत-द-आइवर	1
32. क्रोएशिया	शून्य
33. क्यूबा	2
34. साइप्रस	शून्य
35. चैक गणराज्य	37
36. डेनमार्क	उपलब्ध नहीं
37. जिबूती	शून्य
38. इक्वाडोर	शून्य
39. अल सलवाडोर	शून्य
40. मिस्र	शून्य
41. एस्तोनिया	शून्य
42. एरीत्रिया	शून्य
43. इथोपिया	शून्य
44. फिजी	शून्य
45. फिनलैण्ड	1
46. फ्रांस	उपलब्ध नहीं
47. जर्मनी	उपलब्ध नहीं
48. घाना	शून्य
49. गिनी	शून्य
50. गयाना	1
51. ग्वाटेमाला	शून्य
52. ग्रीस	24
53. होण्डुराम	शून्य
54. हंगरी	शून्य
55. इन्डोनेशिया	11
56. ईरान	15
57. इराक	शून्य
58. आइसलैण्ड	शून्य
59. आयरलैण्ड	शून्य
60. इजरायल	9
61. इटली	57
62. जमैका	शून्य
63. जापान	12
64. जोर्डन	16
65. कजाकिस्तान	1
66. केन्या	शून्य
67. कोरिया (डी०पी०आर०)	शून्य
68. कोरिया (गणराज्य)	शून्य
69. कुवैत	106

1		2
70.	किर्गिस्तान	शून्य
71.	लाओ पी०डी०आर०	शून्य
72.	लेबनान	50
73.	लीबिया	शून्य
74.	लक्ज़मबर्ग	शून्य
75.	मेडागास्कर	शून्य
76.	मलेशिया	545
77.	मालदीव	8
78.	मारीशस	21
79.	मेक्सिको	शून्य
80.	मोल्दोवा	6
81.	मोरक्को	3
82.	मंगोलिया	शून्य
83.	मोज़ाम्बिक	शून्य
84.	म्यांमा	16
85.	नामीबिया	शून्य
86.	नेपाल	शून्य
87.	नीदरलैण्ड	उपलब्ध नहीं
88.	नीदरलैण्ड एन्टिल्स (सेंट मार्टेन)	2
89.	न्यूजीलैण्ड	29
90.	नाइजीरिया	शून्य
91.	निकारागुआ	शून्य
92.	नार्वे	शून्य
93.	ओमान	54
94.	पाकिस्तान	655
95.	फिलीस्तीन	शून्य
96.	पनामा	शून्य
97.	पपुआ न्यू गिनी	शून्य
98.	पेरू	शून्य
99.	फिलीपीन्स	27
100.	पोलैन्ड	30
101.	पुर्तगाल	10
102.	कतर	32
103.	रवाण्डा	1
104.	रोमानिया	1
105.	रूसी परिसंघ	3
106.	सऊदी अरब	1116
107.	सर्बिया और मोन्टनेग्रो	1
108.	सेनेगल	शून्य
109.	सेशेल्स	1
110.	सिंगापुर	791
111.	स्लोवाक गणराज्य	100
112.	साउथ अफ्रीका	शून्य
113.	स्पेन	12
114.	श्रीलंका	59
115.	सूडान	शून्य
116.	सूरीनाम	शून्य
117.	स्वीडन	1

1	2
118. स्विटजरलैण्ड	उपलब्ध नहीं
119. सीरिया	शून्य
120. ताजिकिस्तान	1
121. तंजानिया	शून्य
122. थाइलैण्ड	40
123. त्रिनिडाड एन्ड टोबैगो	शून्य
124. ट्यूनीसिया	शून्य
125. तुर्की	शून्य
126. तुर्कमेनिस्तार	शून्य
127. युगांडा	1
128. संयुक्त अरब अमीरात	825
129. यू०के०	239
130. यूक्रेन	1
131. संयुक्त राज्य अमरीका	194
132. उजबेकिस्तान	शून्य
133. वेनेजुएला	शून्य
134. वियतनाम	शून्य
135. यमन	शून्य
136. जांबिया	शून्य
137. जिम्बाबवे	शून्य
कुल	6277

कम्प्यूटरों की खरीद

1271. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित दरों से ऊंची दरों पर कम्प्यूटरों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) विभाग ने बहुउद्देशीय काउंटर मशीन (एम०पी०सी०एम०) परियोजना के लिए दिनांक 21.3.2001 को मेसर्स कॉम्पैक कम्प्यूटर्स (इंडिया) प्रा० लि० को 1.70 लाख रु० की दर से 104 सर्वरों की आपूर्ति के लिए आर्डर दिया है। इसके साथ-साथ वैरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वी०एस०ए०टी०) मनीआर्डर पारेषण परियोजना के लिए दिनांक 28.3.2001 को मेसर्स आई०बी०एम० को 1.28 लाख रु० की डी०जी०एस० एण्ड डी० की अनुमोदित दर से 5 सर्वरों की खरीद का आर्डर दिया गया है। दोनों मामलों में सर्वरों का कॉनफिगरेशन समान नहीं था। मूल्य में अंतर का यही कारण था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निठारी मामले की सी०बी०आई० जांच

1272. **श्री रामदास आठवले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश केक निठारी गांव के नरकंकाल मामले जांच शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) जांच को तत्काल पूरा करने के लिए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) डी-5, सेक्टर-31, नोएडा के परिसर के बरामद नरकंकाल और हड्डियों इत्यादि का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शवपरीक्षण (पोस्टमॉर्टम) कराया गया और उसके बाद डी०एन०ए० प्रोफाइलिंग और मैचिंग के लिए डी०एन०ए० अंगुलिछाप (फींगरप्रिंट) और निदान केन्द्र (सी०डी०एफ०डी०) हैदराबाद को भेज दिया गया। पीड़ितों के रिश्तेदारों के खून के नमूने ले लिए गए हैं और डी०एन०ए० मैचिंग के लिए सी०डी०एफ०डी०, हैदराबाद को भेज दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सभी मामलों की जांच शीघ्रता से पूरी करने का प्रयास करता है। मामलों की शीघ्रता से निपटाने हेतु मासिक और तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करने की एक निर्धारित व्यवस्था है जहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन मामलों की जांच की जाती है जिनकी जांच-पड़ताल चल रही है। विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच-पड़ताल को अंतिम रूप देने के लिए मानक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अपराध) मैनुअल में भी निर्धारित किए हुए हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय है और इसलिए अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने और पंजीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, सरकार अपराध रोकने के मामले को अत्यधिक महत्व देती है और इसलिए, समय-समय पर, राज्य सरकारों, और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी है कि वे बच्चों सहित समाज के दुर्बल/कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों की रोकथाम पर विशेष जोर देते हुए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अपराधों के निवारण और नियंत्रण के मसले पर अधिक ध्यान केन्द्रित करें।

(घ) जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा

1273. **श्री गणेश सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (एम०एफ०एन०) का दर्जा देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) पाकिस्तान ने अपने दायित्वों, जिसमें विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आने वाले दायित्व भी शामिल हैं, के बावजूद भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा अभी तक नहीं दिया है और इसके लिए असंगत राजनैतिक कारणों का हवाला दिया है।

(घ) सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान के साथ निरंतर उठाया है और भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने के दायित्व की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया है।

विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशन

1274. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि हैं;

(ख) क्या सरकार की कतिपय देशों में नए मिशन खोलने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में अपने मिशन खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) आज संयुक्त राष्ट्र के 116 सदस्य-राज्यों में भारत का आवासी राजनयिक प्रतिनिधित्व है।

(ख) से (घ) सोंखला (थाईलैन्ड), जुबा (सूडान), गुआंगझू (चीन) और कराची (पाकिस्तान) में प्रधान कोंसलावास अथवा कोंसलावास खोलने का निर्णय लिया गया है। विदेशों में मिशन खोलने का निर्धारण भारत के समग्र नीतिगत हित को ध्यान में रखकर उपलब्ध वित्तीय और मानव संसाधनों के अनुसार किया जाता है। विदेशों में और अधिक मिशन खोलने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय महिलाओं को पासपोर्ट

1275. **श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अनिवासी भारतीय से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं तथा अपने पति से विदेशों में मिलने जाने हेतु उनके पासपोर्ट पर विवाह का अनिवार्य प्रमाणन करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

[अनुवाद]

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल) : महोदय, कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहेब, मैं आपको अवसर दूंगा। पहले सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों की कार्यवाही पूरी हो जाने दीजिये।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (2ख) के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पत्तन (संशोधन) नियम, 2007 जो 11 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 16(अ) में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 767 (अ) जो 22 दिसंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा संशोधित तारीख को पुन: अधिसूचित किए जाने तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (लैंडिंग स्थानों, व्हार्वस, क्वेस, भांडागार, शेड्स और अन्य प्रकीर्ण सेवाओं के उपयोग के लिए दरों का निर्धारण) संशोधन नियम, 2004 के कार्यान्वयन की तारीख को अस्थगित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, *देखिये* सं० एल०टी० 5840/07]

(3) महत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 17(अ) जो 11 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (पेंशन निधि) विनियम, 2004 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* सं० एल०टी० 5841/07]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारतीय तार, अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) क्रेनों के दूरस्थ नियंत्रण के लिए 335 मेगाहर्ट्ज में निम्न शक्ति वाले बेतार उपस्कर का उपयोग (लाइसेंस की अवश्यकता से छूट) संशोधन नियम, 2006 जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 34(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिटीजन बैंड 26.957-27.283 मेगाहर्ट्ज में निम्न शक्ति वाले बेतार उपस्कर का उपयोग (लाइसेंस की अवश्यकता से छूट) संशोधन नियम, 2006 जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 35(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) फ्रीक्वेंसी बैंड 5 गीगाहर्ट्ज में निम्न शक्ति वाले बेतार उपस्कर का आन्तरिक उपयोग (लाइसेंस की अवश्यकता से छूट) संशोधन नियम, 2006 जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 36(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस (आर०एफ०आई०डी०) में फ्रीक्वेंसी बैंड 865-867

[डा० शकील अहमद]

मेगाहर्ट्ज में निम्न शक्ति वाले बेतार उपस्कर का उपयोग (लाइसेंस की अवश्यकता से छूट) संशोधन नियम, 2006 जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बेतार उपस्कर का बाहरी उपयोग (लाइसेंस की अवश्यकता से छूट) नियम, 2007 जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* सं० एल०टी० 5842/07]

(2) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 2006 जो 21 दिसंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 762(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, *देखिये* सं० एल०टी० 5843/07]

(3) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, *देखिये* सं० एल०टी० 5844/07]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का०आ० 2015(अ) जो 24 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दो) का०आ० 2096(अ) जो 13 दिसंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-मुजफ्फरनगर खंड) में राप्ती पुल सहित गोरखपुर बाईपास के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का०आ० 2049(अ) जो 30 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाईपासों (झांसी-ललितपुर खण्ड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए तथा भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चार) का०आ० 2050(अ) जो 30 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०ई० 2 (इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (गाजियाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 2057(अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1309(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का०आ० 2075(अ) जो 7 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर-लक्ष्मणनाथ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का०आ० 2058(अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1290(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का०आ० 2059(अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 (बारासात-बंगांव खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का०आ० 2142(अ) जो 22 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का०आ० 22(अ) जो 10 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 (बारासात-बंगांव खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 22(अ) जो 10 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 25 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2057(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(बारह) का०आ० 24(अ) जो 10 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 25 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2058(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तेरह) का०आ० 61(अ) जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (अम्बाला-जिरकपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 38(अ) जो 12 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर चंडीगढ़-रोपड़ मार्ग पर कुरली के समीप रेल उपरि पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पंद्रह) का०आ० 2062(अ) जो 1 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट और पठानकोट-जम्मू खण्डों) के निर्माण (चौड़ा करने/ चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का०आ० 2090(अ) जो 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 14 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1505(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(सत्रह) का०आ० 2136(अ) जो 21 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1510(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(अठारह) का०आ० 3(अ) जो 2 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०ई०-दो (ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे) (फरीदाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का०आ० 19(अ) जो 9 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन के बारे में है।

(बीस) का०आ० 46(अ) और का०आ० 47(अ) जो 17 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर-खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का०आ० 188(अ) जो 13 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली खण्ड) के टॉल प्लाजा (सोलह लेन वाला) के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[श्री के०एच० मुनियप्पा]

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिये सं० एल०टी० 5845/07]

(3) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (3) के अंतर्गत दमण और दीव मोटर वाहन (पहला संशोधन) नियम, 2006 जो दमण और दीव के राजपत्र में 29 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या ए०डी०टी०आर०-104-खंड II/2006-07/25 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये सं० एल०टी० 5846/07]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं–

(1) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिये सं० एल०टी० 5847/07]

(3) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये सं० एल०टी० 5848/07]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिये सं० एल०टी० 5849/07]

(3) संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत जारी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल ग्रुप 'क' (राजपत्रित) लिपिकवर्गीय पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 जो 1 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 730(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये सं० एल०टी० 5850/07]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5851/07]

(3) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश), भोपाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश), भोपाल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिये* सं० एल०टी० 5852/07]

(5) (एक) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी ऑफ केरल (सर्व शिक्षा अभियान), तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी ऑफ केरल (सर्व शिक्षा अभियान), तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5853/07]

(6) (एक) उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5854/07]

(9) (एक) उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-तीन), लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-तीन), लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5855/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं अपने साथी श्री जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5856/07]

[श्री विजय हान्डिक]

(3) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5857/07]

(5) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5858/07]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं अपने साथी श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रैंटिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रैंटिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5859/07]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5860/07]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन फार उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन फार उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन फार उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* सं० एल०टी० 5861/07]

मध्याह्न 12.1½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : महोदय, मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश में आरक्षण सहित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन के बारे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.1¼ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) 2006-07

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं वर्ष 2006-07 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं० एल०टी० 5864/07]

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

2 मार्च, 2007 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आपकी सूचना के लिए, मैं गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य की प्रमुख मदों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

चूंकि तारांकित प्रश्नों को सभा में व्यवधान के कारण मौखिक उत्तरों के लिए नहीं रखा जा सका, 702 अतारांकित प्रश्नों के साथ-साथ 80 तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

इस अवधि के दौरान अत्यावश्यक लोक महत्व के 12 मामले सभा के आज के लिये स्थगन से पूर्व उठाये गये थे। इस अवधि के दौरान नियम 377 के अधीन भी 40 मामले उठाए गए थे।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है, चार विधेयक सभा में पुर:स्थापित किए गए थे।

सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन घंटे और 33 मिनट तक चर्चा की। तथापि, चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

26 फरवरी 2007 को रेल मंत्री द्वारा वर्ष 2007-08 का रेल बजट प्रस्तुत किया गया। इस अवधि के दौरान वर्ष 2007-08 का बजट (सामान्य) वर्ष भी सभा में प्रस्तुत किया गया।

इस अवधि के दौरान, एक को गई कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

गत सप्ताह के दौरान व्यवधान एवं स्थगन के कारण हमनें 18 घंटे और 44 मिनट का समय व्यर्थ गवाया।

माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही के सुचारू ढंग से संचालन में आपका सहयोग चाहता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 12.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि कल 6.3.2007 को आयोजित नेताओं की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:—

(एक) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा प्रश्न काल के बाद की जाए और इसे आज देर तक

बैठकर और भोजनावकाश पर जाये बिना ही समाप्त किया जाये और प्रधान मंत्री इस चर्चा पर कल गुरूवार, 8 मार्च, 2007 को मध्याह्न 12 बजे उत्तर दें। इसके तुरन्त बाद सभा खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य भागीदारी) अध्यादेश 2007 के निरनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्प तथा अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक पर विचार करने एवं उसे पारित करने के बारे में संयुक्त चर्चा शुरू करे। उपर्युक्त मद की समाप्ति के बाद, सभा देर तक बैठकर रेल बजट 2007-08 पर सामान्य चर्चा, 2007-08 के लिए लेखानुदान मांगे (रेलवे) पर चर्चा एवं मतदान, 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे), और रेल अभिसमय समिति के पांचवे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों संबंधी सरकारी संकल्प को चर्चा के लिए ले सकती है यह चर्चा शुक्रवार, 9 मार्च 2007 को भी जारी रह सकती है और रेल मंत्री इस वाद-विवाद पर उसी दिन उत्तर दें।

शुक्रवार, 9 मार्च 2007 के लिये निर्धारित गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को न लिया जाए।

(दो) सोमवार, 12 मार्च 2007 से सभा द्वारा सामान्य बजट 2007-08; लेखानुदान मांगे (सामान्य) 2007-08 पर चर्चा एवं मतदान और अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) 2006-07 को संयुक्त चर्चा के लिए लिया जाये।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अपराह्न 12.05 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.5½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नए जिलों को सम्मिलित किया जाना

[हिन्दी]

***ग्रामीण विकास मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से पारित राष्ट्रीय नियोजन गारंटी अधिनियम 2005 (एन०आर०ई०जी०ए०) सितम्बर, 2005 में अधिसूचित किया गया था। एन०आर०ई०जी०ए० में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोज़गार की मांग करने पर एक वित्त वर्ष में 100 दिन तक के अकुशल शारीरिक कार्य के रूप में स्थानीय रोज़गार की मांग करने पर एक वित्त वर्ष में 100 दिन तक के अकुशल शारीरिक कार्य के रूप में स्थानीय रोज़गार किये जाने की गारंटी है।

एन०आर०ई०जी०ए० की धारा 1(3) में यह उल्लेख है कि यह अधिनियम उस संपूर्ण राज्यक्षेत्र को जिम पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर लागू होगा। आरम्भ में एन०आर०ई०जी०ए० को 2 फरवरी, 2006 को देश के 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था। इन 200 जिलों में 1.66 करोड़ परिवारों को रोज़गार दिया गया है जिसके फलस्वरूप 6 लाख कार्यों पर रोज़गार के 64 करोड़ श्रमदिवस सृजित हुये हैं।

एन०आर०ई०जी०ए० के अंतर्गत कवरेज के विस्तार को दृष्टि में रखते हुये, इसके अंतर्गत 130 और जिलों को शामिल किया गया है।

अतिरिक्त जिलों का निम्नलिखित मानदंडों पर निर्धारण किया गया है:

(1) बी०आर०जी०एफ० जिलों की सूची से 50 जिले।

(2) ऐसे 15 और जिले, जहां किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटनायें हुई हैं।

(3) ऐसे 5 और जिले, जिन्हें अलग कर दिया गया था और एन०एफ०एफ०डब्ल्यू०पी०/आर०एस०वी०वाई०/बी०आर०जी०एफ० से पहले से ही शामिल जिलों के साथ उनके मूल नाम सहित बनाया गया था। नये नामों

---

*ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 5863/07

वाले ऐसे बनाये गये जिले, जिन्हें इन कार्यक्रमों से बाहर छोड़ दिया गया था, अब शामिल कर दिये गये हैं।

(4) एन०एफ०एफ०डब्ल्यू०पी० जिलों के निर्धारण के लिये उपयोग में लाई गई योजना की पिछड़ेपन की रैंकिंग, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या, कृषि उत्पादकता के व्युत्क्रम और कृषि मजदूरी के व्युत्क्रम, से 34 जिले चुने गये हैं।

(5) समान वितरण करने की दृष्टि से प्रत्येक विशेष श्रेणी के राज्य और साथ ही ऐसे राज्यों से भी, जिनकी न्यूनतम संख्या उर्पुयक्त (1) से (5) मदों में शामिल नहीं है, कम से कम 2 और जिले चुने गये हैं। इसमें 22 जिले आते हैं।

(6) 4 जिलों को लर्निंग इम्पैक्ट जिलों के रूप में लिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। उत्तर प्रदेश के जिलों की सूची बाद में जारी की जाएगी।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अतिरिक्त जोड़े जाने वाले जिलों के नाम

क्र०सं०	राज्य/जिला
1	2
	आंध्र प्रदेश (6)
1.	नेल्लौर
2.	पूर्वी गोदावरी
3.	श्रीकाकुलम
4.	कुरनूल
5.	प्रकासम
6.	गुंटूर
	अरूणाचल प्रदेश (2)
7.	चांगलांग
8.	लोहित
	असम (6)
9.	मोरीगांव
10.	दरंग
11.	नलबारी
12.	हेलाकंडी
13.	बारपेटा
14.	कछार
	बिहार (15)
15.	शेखपुरा
16.	सिवान
17.	खगडिया
18.	मधेपुरा
19.	सहरसा
20.	सीतामढ़ी
21.	पश्चिमी चम्पारण
22.	बांका
23.	भागलपुर
24.	पूर्वी चम्पारण
25.	बेगुसराय
26.	गोपालगंज
27.	बक्सर
28.	सारण
29.	अरवल
	छत्तीसगढ़ (4)
30.	कोरबा

1	2
31.	जाँजगीर-चांपा
32.	महासमुंद
33.	रायपुर
	गुजरात (3)
34.	वलसाड
35.	भरूच
36.	नवसारी
	हरियाणा (2)
37.	अम्बाला
38.	मेवात
	हिमाचल प्रदेश (2)
39.	कांगड़ा
40.	मण्डी
	जम्मू व कश्मीर (2)
41.	अनन्तनाग
42.	जम्मू
	झारखण्ड (2)
43.	पूर्वी सिंहभूम
44.	देवधर
	कर्नाटक (6)
45.	बेल्लारी
46.	हसन
47.	चिकमंगलूर
48.	बेलगांम
49.	शिमोगा
50.	कोडागू
	केरल (2)
51.	ईडुकी
52.	कासरगोड़
	मध्य प्रदेश (13)
53.	छिंदवाड़ा
54.	हरदा
55.	पन्ना
56.	कटनी
57.	दिवास
58.	गुना
59.	रेवा
60.	दतिया
61.	दमोह
62.	राजगढ़
63.	अनूपपुर
64.	अशोकनगर
65.	बुरहानपुर
	महाराष्ट्र (6)
66.	ठाणे
67.	वर्धा
68.	बुलढाना
69.	ओसमानाबाद
70.	अकोला
71.	वाशिम

1	2
	मणिपुर (2)
72.	चन्देल
73.	चूराचंदपुर
	मेघालय (3)
74.	पूर्वी खासी हिल्स
75.	जैतिया हिल्स
76.	रिभोई
	मिजोरम (2)
77.	चम्पई
78.	लुंगलई
	नागालैंड (4)
79.	कोहिमा
80.	मोकाक्चुंग
81.	त्वेनसांग
82.	वोखा
	उड़ीसा (5)
83.	बारगढ़
84.	आंगुल
85.	बालासोर
86.	भद्रक
87.	जाजपुर
	पंजाब (3)
88.	नवांशहर
89.	जालंधर
90.	अमृतसर

1	2
	राजस्थान (6)
91.	टोंक
92.	सवाई माधोपुर
93.	चितौड़गढ़
94.	बाड़मेर
95.	जालौर
96.	जैसलमेर
	सिक्किम (2)
97.	पूर्वी सिक्किम
98.	दक्षिणी सिक्किम
	त्रिपुरा (2)
99.	दक्षिणी त्रिपुरा
100.	पश्चिमी त्रिपुरा
	तमिलनाडु (4)
101.	तंजावुर
102.	तिरूवरूर
103.	तेरूनलवेली
104.	करूर
	उत्तराखण्ड (2)
105.	उद्यमसिंह नगर
106.	हरिद्वार
	पश्चिम बंगाल (7)
107.	कूचबिहार
108.	नादिया
109.	वर्धमान

1	2
110.	मिदनापुर पूर्वी
111.	उत्तरी 24 परगना
112.	हुगली
113.	दार्जीलिंग

उत्तर प्रदेश के जिलों की सूची अलग से जारी की जाएगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री शिवराज पाटील एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने वायदा किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, मैं आपसे इसे न पढ़ने के लिये कह रहा था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : मथुरा को नहीं लिया गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसा करने का यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

अब कुछ नहीं होगा। हम मना कर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज़ बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य की हत्या के संबंध में वक्तव्य के बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त अन्य कोई एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक गंभीर मामला है। कृपया सुनिए। आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने एक सहकर्मी खो दिया है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.11 बजे

(दो) 4 मार्च, 2007 को नक्सली हमले में श्री सुनील कुमार महतो, संसद सदस्य की दुःखद हत्या

[अनुवाद]

****गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गहरे दुख और वदेना के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे०एम०एम०) के माननीय संसद सदस्य श्री सुनील कुमार महतो और उनके दो अंग रक्षक और जे०एम०एम० के एक स्थानीय नेता की झारखंड राज्य के पूर्व सिंह भूम जिले के धरशिला थाना के अंतर्गत बगुरिया ग्राम में 4 मार्च 2007 को सायं लगभग 5.30 बजे की गयी दुखद हत्या के बारे में माननीय सदन को बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस घटना में तीन अन्य व्यक्ति भी गोलियों से जख्मी हो गए थे।

माननीय संसद सदस्य झारखंड सशस्त्र पुलिस के चार सुरक्षाकार्मिकों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों के साथ वहां स्थानीय स्तर का फुटबाल मैंच देखने गए थे। ग्रामीणों की तरह दिखने वाले सशस्त्र हमलावार छोटे हथियारों के साथ दर्शकों के मध्य मौजूद थे। नियोजित कदम से लगभग 40-50 नक्सलियों जिनमें महिला सदस्य भी थी; ने अंगरक्षकों पर काबू पा लिया; उनके हथियार छीन लिए और माननीय संसद सदस्य और उनके अंगरक्षकों पर गोलियां चलाईं/नक्सली चार

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० पत्र०टो० 5862/07

आर०एन० एस०ए०एस० राइफलें और गोलाबारूद भी अपने साथ ले गए। आरम्भिक रिपोर्टों के अनुसार हमलावरों ने हत्या के बाद नक्सली समर्थक नारे लगाए।

सूचना मिलने के तत्काल पश्चात् घरशिला थाने से पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचा। निकटवर्ती उत्तर राज्जीय सीमा को सील करने के लिए एस०पी० पुरूलिया (पश्चिम बंगाल) से सम्पर्क किया गया। सीमा के दोनों ओर तलाश अभियान चल रहा है। राज्य मुख्यालय से भेजी गई है। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक दक्षिण छोटा नगर क्षेत्र में नक्सलविरोधी कार्यों का निरीक्षण करने हेतु जमशेदपुर में डेरा डाले हुए हैं। राज्य में अत्यधिक चौकसी बढ़ा दी गई है।

भारत सरकार इस अमानवीय और दुखद घटना की निंदा करती है। माननीय गृह राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) ने राज्य का दौरा किया है और राज्य प्रशासन को आश्वासन दिया है कि केन्द्र हर सम्भव सहायता प्रदान करेगा। गृह मंत्रालय स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए हैं।

केन्द्र सरकार गृह मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नक्सल प्रभावित राज्यों को वित्तीय, तकनीकी और वार्षिक राशि संबंधी सहायता प्रदान करती है।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत गत छह वर्षों में झारखंड को 182.72 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार, हथियार और बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने हेतु उपकरणों की खरीद के लिए राज्य को पन्द्रह करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दिया जा रहा है। झारखंड को अब तक सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) के अंतर्गत 20.92 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

सामाजिक आर्थिक स्तर पर इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए पिछड़ा जिला पहल योजना के अन्तर्गत अब तक झारखंड को 450 करोड़ रु० जारी किए गए हैं। राज्य ने 348.18 करोड़ रुपए का उपयोग किया है।

इसके अतिरिक्त राज्य को प्रदान किए गए हैं:

- 16 बख्तर बंद गाड़ियां
- पिछले तीन वर्षों से लगातार सी०आर०पी०एफ० की तीन बटालियन
- केन्द्र द्वारा तीन आई०आर० बटालियन की मंजूरी दी गई है। राज्य ने अब तक एक बटालियन तैयार की है। केन्द्र सरकार पूर्व में प्रदान की जा रही प्रति बटालियन के लिए 13 करोड़ रुपए के मुकाबले प्रति बटालियन 20.75 करोड़ रु० प्रदान करेगी।

सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत नक्सल प्रभावित राज्यों को आज तक 218.52 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को गोलाबारूद, पुलिस कार्मिकों की गतिशीलता, हथियार डालने वाले नक्सलियों के पुनर्वास, मारे गए लोगों तथा सुरक्षा बलों को अनुग्रह राहत, सुरक्षा बलों को बीमा, आदि के लिए व्यय हेतु राज्यों प्रतिपूर्ति दी जाती है। पुलिस के आधुनिकीकरण के अंतर्गत कुल व्यय वर्ष 2000-01 से लगभग 4000 करोड़ रुपए है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगाया गया है। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित राज्यों को सी०आर०पी०एफ० की 33 बटालियन मुहैया कराई गई है जिनका खर्च लगभग 1200 करोड़ रुपए है। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को भी 40 प्रतिशत रिक्तियां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं से भरे जाने का निर्देश जारी किया गया है।

देश में नक्सली समस्या की स्थिति गंभीर है फिर भी राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों के कारण इसमें कुछ कमी के आधार नजर आये हैं। आंध्र प्रदेश ने इस समस्या को ग्रेहाउन्ड्स नामक विशेष बल और अन्य उपायों के माध्यम से नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

कुल मिलाकर पूरे देश में वर्ष 2005 में हुई नक्सली हिंसा की 1608 घटनाएं 2006 में घटकर 1509 हो गई थी अर्थात् इसमें 6.15 प्रतिशत की गिरावट आई है।

केंद्र सरकार ने भी नक्सली गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु कठोर तंत्र लागू किया है और इस समस्या का मुकाबला करने और इस पर ध्यान देने की रणनीति तैयार की है।

तथापि, यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों के बीच और राज्य और केन्द्र के बीच बेहतर स्वीकार्य परिणाम प्राप्त करने हेतु और सघन और सहयोगात्मक प्रयास किए जाएं। हम आशा करते हैं कि राज्य पुलिस की इच्छाशक्ति और कार्यनिष्ठा के साथ-साथ वित्तीय, तकनीकी समर्थन जिसमें भारत सरकार की ओर से उपस्कर और मानवबल का समर्थन शामिल है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सूचना दीजिए, हम इस पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : हमने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक विस्तृत वक्तव्य दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया सहयोग करें। कृपया बैठ जाएं। उन्हें जैसे ही अवसर मिला उन्होंने आकर इस गंभीर घटना, जिसमें हमने अपने एक योग्य सहयोगी को खो दिया है, के संबंध में वक्तव्य दिया है। यह मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें आपसी टोका-टोकी नहीं करनी चाहिए। हम इस संबंध में व्यस्थित रूप से चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा। इस मामले की गंभीरता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। माननीय मंत्री महोदय ने आकर इस गंभीरता का उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सुरक्षा संबंधी व्यवस्था पर्याप्त थी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पर्याप्तता के बारे में उत्तर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री दासगुप्त।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के निदेश पर किए गए सुरक्षा उपाय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे सबों की अनुमति देनी होगी। मुझे इसका खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में व्यवधान हो रहा है। अत: कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, माननीय मंत्री महोदय को इस घटना पर खेद प्रकट करना चाहिए। हमने अपने एक सहयोगी को खोया है और वे कह रहे हैं कि *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : कृपया मेरे वक्तव्य का प्रथम वाक्य पढ़ें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा की ओर से खेद व्यक्त किया है।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, उन्हें दुख प्रकट करना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार की बातें न करें। ऐसा न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक विधेयक पुर:स्थापित किया जाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्न काल की समाप्ति और सभापटल पर पत्र रखे जाने के तुरंत पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की जायेगी लेकिन अपने माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं प्रो० राम गोपाल यादव और उनके दल के अन्य माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। यह अपवाद उनके लिए केवल आज भर के लिए है।

प्रो० यादव, कृपया यथासंभव अपनी बात संक्षेप में रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव (संभल) : श्रीमान, आपने अनुमति दी। *(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

थोड़ा डिसीप्लिन मानिए। बैठ जाइए प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लिखकर दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो दिया है, वह मैं देखूंगा। आपका मैटर अंडर कंसीडरेशन है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका मामला विचाराधीन है। केवल प्रो० राम गोपाल यादव के भाषण को ही रिकॉर्ड में सम्मिलित किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप यहां उपस्थित सदस्यों और मित्रों के प्रति सम्मान की भावना नहीं रख रहे हैं। आप उनके भाषण में बाधा डालते हैं। क्या अपने मित्रों के प्रति सम्मान दिखाने का यही तरीका है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान की, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, एक पब्लिक इंटरैस्ट लिटिगेशन में 1 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच ने एक फैसला दिया। मैं इस संबंध में यह बताना चाहता हूं कि बिल्कुल एक ही याचिकाकर्ता द्वारा, इसी तरह की एक आइडेंटीकल रिट पिटीशन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बेसलैस मानते हुए निरस्त कर दिया था। दुबारा इस रिट पिटीशन के संबंध में दिनांक 15.12.2005 को सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशनर को यह डायरैक्ट किया कि क्या वे किसी राजनैतिक दल से संबंधित हैं, यह बताएं। इस संबंध में काउंटर एफीडेविट में पिटीशनर ने अगले ही दिन, यानी दिनांक 16.12.2005 को कहा।

[अनुवाद]

एक अत्यंत साधारण साधन का व्यक्ति होने के कारण वे निश्चितरूप से राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं थे। तथापि, उन्हें किसी प्रकार कांग्रेस द्वारा गत विधान सभा चुनाव में अपने दल में शामिल कर लिया गया जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के श्री राजनाथ सिंह के विरूद्ध चुनाव लड़ा। इसके अतिरिक्त अभिसाक्षी का कांग्रेस दल से कोई संपर्क अथवा संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमान्, एक नहीं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह न्यायालय की टिप्पणी हैं। हम इसपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : श्रीमान्, एक नहीं अनेक मामलों में, माननीय सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बैंच ने, इस संबंध में कुसुमलता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक दायर पब्लिक लिटीगेशन में वर्ष 2006 की एक बैंच ने कहा कि :

[अनुवाद]

जनहित याचिका, जो अब विधिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है, को "प्रचार हित याचिका" अथवा "निजी हित

[प्रो० राम गोपाल यादव]

याचिका'' अथवा ''राजनीतिक हित याचिका'' नहीं बनाया जाना चाहिए''

[हिन्दी]

महोदय, एक लार्जर बैंच ने जो तीन जजो की बैंच थीं, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। उन्होंने बाल्को एम्पलाइंज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि :

[अनुवाद]

न्यायालय को निश्चितरूप से राजनीतिज्ञों और अन्य व्यक्तियों द्वारा विधिक प्रशासनिक कार्यवाही में विलंब करने हेतु किसी प्रक्रिया अथवा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इसका दुरूपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए...''।

न्यायायल को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि यह अपने न्यायिक कृत्यों की सीमाओं से इतर होकर उन क्षेत्रों में अतिक्रमण न करे जो संविधान द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के लिए सुरक्षित हैं।

[हिन्दी]

मैं यह सब इसलिए आपको बता रहा हूं कि किस तरह से राजनीतिक उद्देश्य के लिए चुनाव के वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने के लिए यह सब किया जा रहा है। एक और मामले में, तीन जजेज की बैंच, जिसमें चीफ जस्टिस श्री सभ्रवाल भी थे, उन्होंने कहा कि:

[अनुवाद]

''तथापि न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के द्वारा लाया गया कोई मामला जाजय हो सकता है परन्तु न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आदेश पर इस मामले की जांच करने से इंकार कर देता है जो वास्तव में जनहित याचिका दायरकर्ता नहीं है और जिसकी सहायता और विश्वसनीयता संदेहास्पद हैं।''

[हिन्दी]

ये सारी चीजें स्पष्ट हैं और इसके बाद जिस बैंच ने यह Q$yk fn;k g$ ml cs usLo:aviusigysQ$yseadgk

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध में निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : मैं जजमेंट या किसी पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन स्वयं यह अनूठा ऐसा जजमेंट है, जिसमें बिना आरोप लगाये हुए यह किसी एजेंसी से कहा गया है कि वह यह देखे कि कोई आरोप बनता है या नहीं बनता है। यह नहीं कि कोई आरोप है तो उसकी जांच करे, बल्कि पहले वह एजेंसी आरोपों को ढूंढे और उसके बाद देखे और केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करे। जबकि न्यायालय ने हमेशा आम तौर पर जो भी फैसले दिये हैं, वह दिये हैं कि जब न्यायपालिका खुद जांच करवाती है तो रिपोर्ट स्वयं मांगती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : मैं यह कह रहा हूं कि यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसी दौरान बनी है, हमें एक सी०डी० मिली, उस सी०डी० में भी किस तरह से *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस निर्णय के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : जिस तरीके से उस सी०डी० में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सभा का कार्य संचालन करने दें। कृपया खंडपीठ के संबंध में कोई टिप्पणी न करें। श्री हांडिक मैं यहां कार्य संचालन के लिए हूं। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने उन्हें अनुमति ही है। आप क्या कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो उचित नहीं है तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। यहां निर्णय को चुनौती न दें। श्री यादव, आप न्यायाधीशों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित रिकार्ड मेरे संज्ञान में लाएं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : जो फैक्ट्स हैं, मैं वह बता रहा हूं। मैं कमेण्ट्स नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि उस सी०डी० *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइये। आपकी सीट वहां है, आप यहां आकर क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : श्रीमन्, मैंने कहीं भी किसी तरह का एम्पर्सन किसी माननीय जज पर नहीं किया। बल्कि मैं यह कहता हूं कि याचिकाकर्ता ने जो बातें कही हैं, वे जजों पर लांछन लगाने वाली हैं। मैं यह कहना चाहता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृपया आप बैठ जाइए और बोलने से पूर्व मेरी अनुमति लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसका निर्णय नहीं लेंगे और दुर्भाग्यवश यह कार्य मुझे करना है।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही-वृत्तांत में एक शब्द भी शामिल न करें। एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। माननीय सदस्य, श्री मिस्त्री, मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। नियमविरूद्ध किए गए किसी कार्य को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मैं देखूंगा कि इसे निकाल दिया गया है। मैं प्रोफेसर साहेब से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया किसी न्यायाधीश के विरूद्ध कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करे, जिसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अगर अपनी सीमा का त्याग करेगा तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। यह एक ऐसी बीमारी हो गई है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कोई चर्चा नहीं हो सकती है और कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है। यह क्या हो रहा है? क्या आप अध्यक्ष हैं। आप वहां बैठ कर इस प्रकार निर्णय ले रहे हैं मानो आप अतिरिक्त अध्यक्ष हों। इस सभा में क्या हो रहा है? यदि आप लोगों को मुझपर विश्वास नहीं है तो मुझे हटा दें। मैं यह नहीं होने दूंगा

प्रो० यादव मैं आपसे स्पष्ट रूप से अनुरोध करता हूं कि कृपया किसी न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर कोई टिप्पणी नहीं करें।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : सर, मेरा अगर एक भी शब्द कहीं न्यायपालिका पर रिफ्लैक्ट करता हो तो आप उसको पढ़कर निकाल दीजिए। लेकिन मेरा मित्र, पता नहीं क्यों नाराज हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनको छोड़िये न, वे तो हमसे ही नाराज हैं, आप क्या करेंगे।

प्रो० राम गोपाल यादव : मैं तो यही मांग आपसे कर रहा हूं कि मैं सारे तथ्य आपको दे दूंगा, उसकी जांच कराइये, जिसमें [redacted] फैसला हुआ है। मैं आपको यह तथ्य बताना चाहता हूं कि अखिलेश

[प्रो० रामगोपाल यादव]

दो बार पार्लियामेंट में चुनकर आये हैं और एक-एक पैसे का रिकार्ड एफीडेविट के साथ इन्कम टैक्स में है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने पिछले छः वर्षों में एक पैसे की प्रापर्टी को न खरीदा है और न बेचा है। सारे तथ्य रिकार्ड के साथ दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें कहीं कुछ नहीं मिला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यदि इस सभा के किसी माननीय सदस्य की कोई बात है और यदि वे इसे उचित रूप से मुझे बताते हैं तो मैं इसपर विचार करूंगा। तथ्यों को मेरे सामने जाने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस एजेंसी को यह जांच करने के लिए कहा गया है, उस पर इस देश की जनता का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से या स्वयं संसद की कोई कमेटी बना दी जाए, जो इस मामले की जांच करे और मैं आपसे *(व्यवधान)* आप उस कमेटी का अध्यक्ष मिस्री जी को ही बना दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल चुका हूं।

[अनुवाद]

यदि इस सभा के किसी माननीय सदस्य से संबंधित कोई मामला मेरे ध्यान में लाया जाता है मैं इसपर विचार करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि कानून इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता हो तो किसी माननीय सदस्य को प्रताड़ित किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों की इज्जत के संरक्षक हैं और यह मामला इस सदन के एक सदस्य से संबंधित है, जिसने चुनाव लड़ने से पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति का ब्योरा चुनाव आयोग को दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मोहन सिंह जी, मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत सम्मान का भाव है! कृपया, उन्हें या उनकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को सारा विवरण देते हुए मुझे लिखने दीजिए। मैं इसे देख लूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : केवल राजनीतिक कारणों से सीबीआई को लगाकर, ठीक चुनाव के मौके पर *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 15 को लेगी।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज) : महोदय, मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल खड़े होने से आपको बोलने देंगे, यह कोई रूल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, कृपया उन्हें अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, मैं आपको अनुमति दूंगा। श्री नायडु आपको उनके समर्थन में आने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों के नहीं बैठने से हम किसी को मौका नही दे पाएगें।

[अनुवाद]

जब तक आप बैठते नहीं हैं, कुछ भी नहीं होगा। जब मैं खड़ा हुआ हूं, आप उनको खड़े होने का प्रोत्साहन मत दीजिए। जब मैं खड़ा हूं तो आप को बैठ जाना चाहिए।

मैंने यहां और बाहर की कई बार कहा है कि यदि कोई सदस्य मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला लाता है, जिसपर उसे शिकायत है-इस संबंध में मैंने वादा किया है- कि मैं इस पर अपने पूरे क्षमता के साथ ध्यान दूंगा और मैं सभा के किसी माननीय सदस्य के बिना किसी कारण के कोई नुकसान नहीं होने दूंगा सिवाय इसके कि . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नायडू, आप चिंता क्यों करते हैं?

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, कृपया, उन्हें अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके कहने से उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं। इतने अधिक लोगों को अनुमति देने की बजाए मैं आपको बोलने की अनुमति अवश्य देता। हां, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कहिए। मैं अपवाद के तौर पर आपको अवसर दे रहा हूं। लेकिन, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं लोक सभा में दूसरी बार जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हूं। चुनाव से पूर्व मैंने सदैव शपथ पत्र द्वारा अपनी संपत्तियों का विवरण दिया है। इंजीनियरिंग करने के बाद हर वर्ष आयकर विभाग में अपनी संपत्ति का विवरण दिया है। जो भी संपत्ति मैंनें खरीदी अथवा बेची है, उसकी निरंतर सूचनाएं मैंने आयकर विभाग को दी हैं। मुझे छः मार्च 2007 के दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार से सूचना मिली कि मेरे पास आय से अधिक संपत्ति है। उसकी जांच कर सीबीआई भारत सरकार को सूचनांए दे। यह मेरे लिए विस्मयकारी सूचना है। चूंकि यह सदन मेरे विशेषाधिकार का संरक्षक है। कौल और शकधर की पुस्तक संसद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषय सदस्य का आचरण के पेज 322 पर लिखा है:

[अनुवाद]

> "जिस व्यक्ति को युक्तियुक्त रुप से यह विश्वास हो जाए कि किसी सदस्य ने ऐसे ढंग से काम किया है जो उसके विचार में सभा की गरिमा या उस स्तर से मेल नहीं खाता जिसकी आशा संसद सदस्य से की जा सकती है, वह इसके बारे में अध्यक्ष या सदन नेता को सूचना दे सकता है। लेकिन यदि प्रारंभिक जांच में यह पता चले कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने गलत तथ्य दिए हैं और उस सदस्य को जानबूझकर या अपनी असावधानी के कारण बदनाम करने की चेष्टा की है, तो उसे सभा के विशेषाधिकार भंग का दोषी माना जाता है।"

[हिन्दी]

दिल्ली से प्रकाशित मार्च 06, 2007 के टाइम्स ऑफ इंडिया के पृष्ठ 15 के "हैडिंग एसैट्स केस: सी०बी०आई० बिगिन्स प्रोब एगेन्सट मुलायम" इसकी ध्वनि से मुझको प्रताड़ित करने के भाव है। इस समाचार को पढ़ने के बाद चूंकि लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी विशेषाधिकार के संरक्षक हैं- मेरे खिलाफ रिश्वत लेने, भ्रष्टाचार अथवा घोटला करने का कोई आरोप नहीं है, न तो मुझे किसी मामले में फंसया गया है।

अत: श्रीमन् भारत सरकार के गृह मंत्री और इस तरह के असत्य निराधार आरोप के कर्ता-धर्ता लोगों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं और इस प्रकरण की जांच लोक सभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा कराने की मांग करता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, आप क्या कहा रहे हैं? वह शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। मैं इसे देखूंगा। मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, किसी अनुपूरक प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम आपका आदर करते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम भी आपका आदर करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं देंगे। हम आपसे ज्यादा आपका आदर करते हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12:35 बजे

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (जम्मू और कश्मीर तक विस्तार) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 15 को लेगें- डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 का जम्मू व कश्मीर राज्य तक विस्तार किए जाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005 का जम्मू व कश्मीर राज्य तक विस्तार किए जाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण खण्ड-दो, भाग 2, दिनांक 07-03-2007 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.36 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन आज के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा।

(एक) 'मेव' जाति को पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ तिजारा, किशनगढ़ खैरतल विधान सभा क्षेत्र में मेव जाति काफी अधिक संख्या में है। इसी प्रकार भरतपुर जिले की कई तहसीलें भी मेव बाहुल्य है ये जाति सामाजिक व शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जातियों में से है। मेव जाति राजस्थान की पिछड़ी जातियों में शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण की पात्रता रखती है। मगर केन्द्रीय सूची में इनका नाम नहीं है। राजस्थान सरकार ने भी काफी लंबे अर्से से केन्द्र से मांग की है कि पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में मेव जाति का नाम दर्ज किया जाए ताकि इस पिछड़ी कौम को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। माननीय प्रधान मंत्री जी व सामाजिक न्याय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेव कौम को केन्द्रीय सूची में दर्ज करायें।

(दो) कुल्हण गांव, डोना और दुदु बसंतगांव, ऊधमपुर के लोगों को पुलिस बल में भर्ती किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (ऊधमपुर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुल्हन गांव, डोडा और डुडू बसंतगढ़, उधमपुर में पचास से अधिक व्यक्तियों का नृशंसतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। भारत सरकार तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के अधिकारियों ने उस स्थानों का दौरा किया और यह वादा किया कि सरकार दोनो क्षेत्रों से व्यक्तियों को पुलिस में भर्ती करेगी और दूरदराज के इन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण भी करेगी। यद्यापि 10 माह से अधिक समय बीत चुका है तथापि कुछ भी नहीं किया गया है। मैं सरकार से इस वादे को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(तीन) मशीनरी और शल्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए करेंसी सिक्कों की डिफेसिंग/पिघलाया जाना रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री बाडिगा रामकृष्णा (मछलीपत्तनम) : भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार देश में किसी भी व्यक्ति को मुद्रा सिक्कों को विकृत करने या पिघलाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो यह दण्डनीय अपराध है। लेकिन सिक्कों को विशेषकर एक रुपये के सिक्कों को पिघलाना हैदराबाद में एक बड़ा व्यापार बन गया है। सिक्कों को पिघला दिए जाने के बाद उन्हें बंगलौर पुणे आदि स्थानों पर भेज दिया जाता है जहां इनका उपयोग मशीनरी के विभिन्न कलपुर्जों और शल्य उपकरणों के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। एक रुपये के सिक्के के चयन करने का कारण यह है कि इसमें स्टील के साथ एलुमिनियम एवं मैग्नेशियम मिला होता है। खुले बाजार में एलुमिनियम एवं मैग्नेशियम की लागत काफी अधिक है और यहां तक कि यह शुद्ध रुप में मिलता भी नहीं है। अत: मशीन के कलपुर्जों का विनिर्माण करने वालों ने कलपुर्जों के निर्माण के लिये एक रुपये के सिक्कों से कच्ची सामग्री प्राप्त करने का यह आसान तरीका अपना लिया है। यह कार्यप्रणाली बहुत ही सरल है। लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, दुकानों से 120 से 150 रुपये तक देकर एक रुपये के सौ सिक्के एकत्रित कर लेते हैं। सिक्को के एकत्रित हो जाने के बाद उन्हें बड़े स्क्रेप डीलरों के माध्यम से मेलटींग यूनिटों में भेज दिया जाता है। सिक्कों को पिघलाने के बाद वे एलुमिनियम एवं मैग्नेशियम निकाल लेते हैं और तदन्तर उन्हें मशीन के विभिन्न कलपुर्जों एवं शल्य उपकरणों के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। खुले बाजार में भी उस मिश्रण की अत्यधिक मांग है। अत: लोगों ने यह तरीका अपना लिया है।

अत: मैं भारत सरकार और वित्त मंत्रालय से मुद्रा सिक्कों का दुरुपयोग रोकने हेतु तत्काल कदम उठाने और अपराधियों को दण्डित करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : वर्ष 2004-05 के लिए घरेलू उपभोक्ता व्यय के प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के माध्यम से आकलित गरीबी और गरीबी का अनुपात लगभग 28% था अथवा यदि सर्वेक्षण में पांच गैर खाद्य मदो जैसे कपड़ा जूता, टिकाऊ सामानों, शैक्षणिक एवं संस्थागत चिकित्सा खर्चों को शामिल किया जाए तो यह अनुपात लगभग 22% था। ये सर्वेक्षणों या जिन बातों के आधार पर उन लोगों की सूची तैयार की जाती है जिन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाना है और जो इस प्रकार गरीबी उन्मूलन की विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं विशेषकर इन्दिरा आवास योजना अथवा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अभी मैं केवल दो योजनाओं का नाम ले रहा हूं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

दोनों स्कीमों का ध्यान गरीबी उन्मूलन पर है और बीपीएल सूची दोनो के लिए महत्वपूर्ण है। इसको घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और ग्राम सभा द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसका प्रकाशन किया जाए और आपत्तियां आमंत्रित की जाएं। बीडीओ को इस पर तब तक ध्यान देना चाहिए जब तक कि आपत्तिकर्ता संतुष्ट न हो जाए। यदि आपत्तिकर्ता असंतुष्ट रह जाता है, तो उसकी आपत्तियों की जांच जिलाधिकारी द्वारा की जानी है और इसके बाद ही अंतिम सूची को सार्वजनिक किया जाना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार में घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया और न ही ग्राम सभा की मंजूरी प्राप्त की गई। इसके परिणामस्वरुप, अपात्र व्यक्तियों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है और पात्र व्यक्तियों को बाहर रख दिया गया है। यह एक गंभीर बात है क्योंकि इससे गरीबी उन्मूलन योजनाओं का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। चूंकि यह केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का मामला है, इसलिए केन्द्र सरकार को बिहार में बीपीएल सूची की प्रक्रिया की निगरानी रखनी चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने चाहिए अथवा अन्य कोई उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिये।

(पांच) "अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन तथा पौधारोपण विकास निगम लि०" के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को ऋण स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक मात्र केन्द्रीय सरकारी उपक्रम "अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लि" में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की दुर्दशा की तरफ उत्कृष्ट करना चाहता हूं। इस निगम द्वारा कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान संवितरण के लिए निधियां उपलब्ध न होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय से ऋण स्वीकृत कराने में विलम्ब के कारण नहीं हो पा रहा है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने वित्त मंत्रालय को अनेक अनुस्मारक भेज हैं लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला है।

[श्री मनोरंजन भक्त]

इसलिए मैं वित्त मंत्रालय से पर्यावरण और वन मंत्रालय के ऋण स्वीकृत करने के अनुरोध को अनुमति देने का आग्रह करता हूं।

(छः) स्वजलधारा कार्यक्रम के लिए गुजरात को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर (वडोदरा) : गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अधिक गांवों को स्वजलधारा कार्यक्रम में अंतर्गत कवर करने के कारण गुजरात राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया था। गुजरात सरकार ने कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया था और "पाणि समिति" के गठन के बाद निधियों का अपना अंशदान दे दिया था।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शीघ्र अतिशीघ्र जारी की जायें

(सात) राजस्थान के चुरू जिले में रेल समपार पर चौकीदार तैनात किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू राजस्थान में मानव सहित रेवले क्रॉसिंग की विकट समस्या बनी हुई है। सैंकड़ों वर्षों से रास्ते जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, रेलवे लाईन के कारण बंद हो गए हैं। ये मांग राजस्व रिकार्ड में वर्षों से दर्ज हैं, चुरू संसदीय क्षेत्र में लगभग 450 कि0मी0 मार्ग पर रेलवे लाईन हैं, इतने बड़े लाईन पर रेलवे लाईन को पार करने में मात्र 24 मानव सहित क्रॉसिंग है व मानव रहित रेलवे कॉसिंग दो चार हो सकते हैं, ये रेलवे क्रॉसिंग भी अधिकांश शहरों के दोनों तरफ है। मेरी गृह तहसील राजगढ़, जिला चुरू राज. के रेलवे स्टेशन सादुलपुर की चुरू मुख्यालय तक की दूरी 56 कि0मी0 ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 2 ही रेलवे समपार है, कल्पना कीजिए इतने लंबे रास्ते की ग्रामीण जनता कैसे रेलवे लाईन को पार कर रही है, आज प्रत्येक घर में ऊंट गाड़ी, ट्रेक्टर, जीप आदि है, कैसे किसान इनका उपयोग कर पा रहा होगा। मैंने इस मुद्दे को बार-बार उठाया है लेकिन आज तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई है व रेलवे समपार के मामले की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि गांवों को आपस में जोड़ने वाले रास्तों पर जहां से रेलवे लाईन को पार करना पड़ता है, वहां मानव सहित रेलवे क्रॉसिंग की व्यवस्था ग्रामीण जनता को राहत प्रदान करे।

(आठ) हिमालयी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने के आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम) : यदि विकास के पैमाने से देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्र देश में सर्वाधिक उपेक्षित है।

यह नोट करना विस्मयकारी है कि हिमालयी क्षेत्र के पार चीन की तरफ व्यापक पैमाने पर विकास कार्य विशेषकर सड़क एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के कार्य किये जा रहे हैं। आयोजना प्रक्रिया की आवश्यकता अपने सतत विकास के संबंध में हिमालयी क्षेत्र पर ध्यान देने की है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास एवं सुरक्षा के लिए हिमालय का विकास एवं पर्यावरणीय सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र विशेषकर अरूणाचल प्रदेश जिस पर सरकार ने 1962 के चीन के आक्रमण के बावजूद अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है, को यथासंभव शीघ्र कायाकल्प करने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करें। अरुणाचल प्रदेश को एक विशेष राज्य मानते हुए राज्य की अति दुर्गम स्थलाकृति एवं वहां पर पर्यावरणीय कठिनाइयों के कारण रेल, विमान संपर्क, अन्तर्देशीय जलमार्गों की कमी को पूरा करने के लिये राज्य में पर्याप्त सड़क अवसंरचना प्रदान की जाए।

इस संदर्भ में अरूणाचल प्रदेश के लोगों के मन में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की गहरी भावना और राष्ट्रीय एकता एवं भारत की अखंडता के प्रति उनकी निरपेक्ष प्रतिबद्धता की पहचान और सराहना की जानी चाहिए।

(नौ) बिहार के गुलाबबाग, पूर्णिया से दरभंगा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-57 पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : महोदय, एन.एच.-57 गुलाब बाग, पूर्णियां से दरभंगा का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जो कांट्रेक्टर काम लिए हुए हैं, वह कार्य में कोई दिलचस्पी नही ले रहा है। जो कार्य हुआ है, वह भी गुणवत्ता के कसौटी पर निम्न

स्तर का है। एन.एच.-57 राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी मार्ग है। यह सड़क सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण इसकी उपयोगिता और अधिक हो जाती है। वैसे ही बिहार में प्रस्तावित 892 कि0मी0 एन. एच. का कार्य जैसे एन.एच.-106 वीरपुर से थाना वीहपुर अभी शुरू नहीं हुआ है। यह पहले और दूसरे चरण का प्रस्तावित एन.एच. है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि बिहार के प्रति अन्याय नहीं होने दे और वहां एन.एच.-57 के साथ-साथ सभी एच.एच. का कार्य अबिलम्ब पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने की कृपा करें।

(दस) उत्तर प्रदेश के बरेली में बंद पड़ी सिंथेटिक केमिकल फैक्ट्री का अधिग्रहण करने और उसे चलाए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित निजी सिन्थेटिक्स केमिकल्स, जो कृत्रिम रबड़ बनाने की फैक्ट्री है पिछले सात वर्षों से बंद पड़ी है। इस फैक्ट्री में कार्यरत स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों के देयों का भी भुगतान नहीं किया गया है। यह फैक्ट्री एशिया की एकमात्र रबड़ बनाने की फैक्ट्री है। परन्तु, प्रबंधन की नीतियों के कारण बंद पड़ी है जिससे इसमें कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बंद पड़ी फैक्ट्री को अधिगृहीत कर चलाने तथा कर्मचारियों के बकाया देयों के भुगतान का प्रबंध किया जाये।

(ग्यारह) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिश्रमिक में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती सी०एस० सुजाता (मवेलीकारा): पूरे देश में फैले लगभग 7 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रो में लगभग 14 लाख महिलाएं कार्य कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज विशेषकर गांव के गरीब लोगों के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवा के क्षेत्र में विद्यालय पूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य एवं रैफरल सेवाएं, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं और छ: वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं। लेकिन यह अपेक्षाकृत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये गरीब महिलाएं अल्प राशि के लिए कार्य करने के बाध्य हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1000 रुपये और सहायक को 500 रुपये मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी को विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं को मिलाकर एक पूर्णकालिक सेवा बनाते हुए 'चाइल्डकेअर कम क्रेच' में बदला जाना चाहिए। जीवन निर्वाह की बढ़ती लागत के मद्देनजर पारिश्रमिक में पर्याप्त वृद्धि की जाए। एक हजार लोगों पर एक केन्द्र के अनुपात के हिसाब से आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि की जाए। मैं इस संबंध में सरकार से अत्यावश्यक उपाय करने का आग्रह करता हूं।

(बारह) बुन्देलखंड क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बेहतरी के लिए शुरू की गयी केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शामिल करने और इसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : महोदय, देश में विश्व स्तर के तकनीशियन तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू तथा विश्व बैंक निधिकरण की सहायता से 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में माडयूलर पद्धति के आधार पर बहु-कौशलीय पाठयक्रम आरंभ किये जा रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है।

महोदय, उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, जालौन, बांदा, झांसी एवं ललितपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की हालत बहुत दयनीय है। अत: उक्त क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की हालत सुधारने, छात्रों को विश्व स्तर का तकनीशियन बनाने तथा उचित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों को इस योजना में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना तथा सभी तरह की सुविधाएं जो अन्य राज्यों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही हैं, को भी उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। उक्त क्षेत्र में 20 हजार की आबादी पर एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना अत्यंत आवश्यक है। बुंदेलखंड क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यहां पर रहने वाली जनता बहुत ही गरीब एवं पिछड़ी हुई है, जिस कारण निजी संस्थानों में भारी भरकम फीस देकर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती। परिणामस्वरूप यहां के छात्र सुविधाओं के अभाव में पिछड़ जाते हैं और मजदूरी एवं छोटे मोटे काम करके गुजारा करते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अभाव के कारण ज्यादातर जनता अकुशल मजदूर के रूप में कार्य करती है। लोगों का जीवन स्तर सुधारने तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उक्त योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बुंदलेखंड के उक्त सभी जिलों में लागू किया जाए तथा आवश्यकता के आधार पर नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को खोला जाए। वर्तमान में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों

[श्री राजनरायन बुधौलिया]

में दूसरी और तीसरी पाली में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करायी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षण मिल सके तथा प्रशिक्षण मिलने के उपरांत रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिल सके और बुंदेलखंड के लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।

(तेरह) बिहार के पटना शहर में एम्स की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, प्रस्तावित छः एम्स में एक पटना, बिहार में स्थापित हो रहा है। इस एम्स का कार्यक्रम 2002-03 के बजट में बना था। अब करीब पिछले छः वर्षों में अभी तक जो प्रगति हुई है, इससे मालूम होता है कि पटना एम्स अगले 10 वर्षों में भी बन जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। बिहार देश का अति पिछड़ा प्रदेश है वहां के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली या अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। ज्यादातर मरीज गरीबी के कारण तो अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं और उनकी जान चली जाती है। एक एम्स पटना में बन जाने से बिहार के लोगों को काफी राहत मिलेगी, खास कर दूरदराज के मरीज जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकृट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि पटना में स्थापित हो रहे एम्स का कार्य तेजी से करवाने और शीघ्र पूरा कराने के लिए समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

(चौदह) तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदूर में पुलिकट झील का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए० कृष्णा स्वामी (श्री पेरूम्बुदूर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुलिकट झील एक प्रसिद्ध उथले जल वाली झील है जोकि सबसे पुराना पत्तन था जिसका उपयोग पुर्तगाल के लोगों द्वारा किया जाता था। अब यह झील राज्य सरकार द्वारा अपनी सूची में पर्यटन केन्द्र के रुप में सम्मिलित है और केन्द्र सरकार भी सहयोग कर रही है। लेकिन इसके सबसे पुराना पत्तन होने के साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से इस स्थान की पहचान करने और उस निर्मित एवं सबसे प्राचीन पत्तन की बिना किसी विलम्ब के रक्षा करने का अनुरोध करता हूं।

(पन्द्रह) लौह अयस्क के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : विश्व में इस्पात के मूल्य में हाल में हुई वृद्धि और भारतीय इस्पात क्षेत्र के पुनरूद्धार एवं वित्तीय सुदृढ़ीकरण से सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में अनेक नयी एवं विस्तार परियोजनाएं अस्तित्व में आ रही हैं। सकल घरेलू उत्पाद में हो रही सुखद वृद्धि के स्पष्ट संकेत एवं इस्पात के उपभोग में वृद्धि के साथ इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता से बढ़ रही घरेलू खपत एवं सतत निर्यात की आवश्यकता पूरी करने में मदद मिलेगी बशर्ते गुणवत्ता एवं मूल्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बने रहें। आयात एवं निर्यात में भारतीय इस्पात उद्योग की बढ़त सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय हित के लिये यह आवश्यक है कि इस्पात उद्योग के विस्तार हेतु लौह अयस्क का अच्छा भण्डार उपलब्ध हो और इसमें वृहत आर्थिक गुणक की विशेषता हो बजाए इसके कि लौह अयस्क के निर्यात को जारी रखने पर ज्यादा जोर दिया जाए। इसलिए लौह अयस्क के निर्यात के बजाए, हमें मूल्य संवर्धन एवं इस्पात एवं इस्पात उत्पादों के निर्यात पर बल देना चाहिए। इससे वायदा समेकन होगा और देश को और अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी।

उड़ीसा और देश में अन्य कहीं भी मौजूदा एवं इस्पात की नयी क्षमता के रक्षित उपभोग के लिए लौह अयस्क की भारी आवश्यकता के मद्देनजर मैं सरकार से लौह अयस्क, विशेषकर 60 प्रतिशत फी. कन्टेंट से अधिक वाले लौह अयस्क के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूं। लौह अयस्क के निर्यात में धीरे-धीरे कटौती करने की योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। अंततोगत्वा लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना है। महत्वपूर्ण यह है कि घरेलू उद्योग की पूरी आवश्यकता निर्यात पर उपयुक्त प्रतिबंध के माध्यम से किफायती मूल्य पर पूरी की जानी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकारों और पणधारकों के परामर्श से एक सुविचारित परिवर्तन योजना बनाई जाए।

(सोलह) कोंकण क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : कोंकण क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड की लगातार मांग की जाती रही है। कोंकण क्षेत्र विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र की तरह ही पिछड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा ने 13 मार्च, 1989 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(2) में उपयुक्त संशोधन करते हुए कोंकण के लिए एक अलग विकास बोर्ड हेतु अनुरोध करते हुए सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है। इस संबंध में राज्य सरकार का औपचारिक प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष 24.04.1989 को रखा गया था।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18 जुलाई, 2005 के जरिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि कोंकण के लिए अलग विकास बोर्ड का गठन करने हेतु राज्य विधानसभा के दोनों सदनों का विचार जाना जाए।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार राज्य विधानसभा ने 15 दिसंबर, 2005 को कोंकण के लिए अलग विकास बोर्ड हेतु अनुरोध करते हुए पुन: सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया।

कोंकण के लिए अलग विकास बोर्ड का मामला अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित है। अत: मैं कोंकण के लिए अलग विकास बोर्ड गठित करने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ।

(सत्रह) हस्तनिर्मित बीड़ी पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी) : केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में हाथ से बनी हजार बीड़ियों के बंडल पर उत्पाद कर की लेवी में 7/- रुपए से लेकर 11/- रुपए तक की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। यह 60 प्रतिशत तक की वृद्धि है। परन्तु सिगरेट पर केवल 5 प्रतिशत उत्पाद कर की वृद्धि का प्रस्ताव है। बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिक बहुत गरीब लोग हैं। तमिलनाडु में हमारे यहां 15 लाख बीड़ी कामगार हैं। उनमें से 5 लाख लोग तिरूनेलवेली जिले में रहते हैं। इन बीड़ी कामगारों में से करीब 4 लाख लोग मेरे तेनकासी संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। उत्पाद कर में की गई यह वृद्धि उन्हें अवश्य ही बुरी तरह प्रभावित करेगी।

केन्द्र सरकार जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगो के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत कर रही है उसे कई गरीब लोगों को आजीविका प्रदान करते हुए बीड़ी उद्योग और उससे जुड़े कामगारों को मद्द करने के बारे में अवश्य ही सोचना चाहिए। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि यह हाथ से बनी बीड़ी पर उत्पाद कर में वृद्धि नहीं करे क्योंकि इससे बीड़ी उद्योग के साथ-साथ गरीब बीड़ी कामगार और उनेक परिवार प्रभावित होंगे।

(अठारह) एथनॉल के उत्पादन के लिए एक ठोस नीति घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : हमारे देश के पास चीनी का निर्यात करने हेतु चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध था और चीनी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी बेहतर था। तथापि, उस समय चीनी के निर्यात पर पांबदी लगा दी गई थी और जिसकी वजह से किसानों ने चीनी का बेहतर मूल्य वसूलने का एक अच्छा अवसर खो दिया।

अब यह पांबदी उस समय हटाई गई है जब चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिर चुके हैं। इस नीति के परिणामस्वरूप भारतीय किसानों ने चीनी का बेहतर मूल्य पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया। अत: सरकार को किसानों को हुई इस हानि का मुआवजा देने हेतु कोई उपाय अवश्य करना चाहिए।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर गन्ना उत्पादक देशों में ईथेनॉल और चीनी उत्पादन के संबंध में भविष्य के लिए ठोस नीति है। वास्तविकता यही है कि ब्राजील की तेल की अधिकांश आवश्यकता एथनॉल उत्पादन के माध्यम से पूरी की जा रही है और व अब अपने ईथेनॉल और चीनी का भी निर्यात कर रहे हैं। जब कृषि संबंधी परिस्थितियां समान हैं भारत के पास एथनॉल के संबंध में कोई ठोस नीति नहीं है और इसे सरकार से समर्थन भी प्राप्त नहीं है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए एथनॉल उत्पादन के संबंध में भविष्य के लिए कोई ठोस नीति बनाए और कृतार्थ करें।

(उन्नीस) महाराजगंज-मशरक रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, बिहार प्रांत का महाराजगंज, जहां सिवान जिले का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है, वहीं मशरक सारण जिले का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र भी है। अंग्रेजी हुकूमत के समय छपरा से जो रेल लाइन निकली थी, उसका अंतिम छोर मशरक ही हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद उसका गोरखपुर तक विस्तार किया गया। दूसरी तरफ छपरा से गोरखपुर वाया एकमा, दुरौंदा, रेल लाइन जाती है, जिसके मध्य में दुरौंदा से मात्र 6 कि. मी. की दूरी पर महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय अवस्थित है। दुरौंदा से महाराजगंज रेल लाइन चालू है, परन्तु बीच की दूरी जो महाराजगंज से मशरक की है नहीं जुटने के कारण व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस रेल लाईन के चालू हो जाने से सारण जिला का मशरक एवं सिवान जिला का महाराजगंज प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र आपस में जुड़ जायेगा। महाराजगंज-मशरक रेल लाईन चालू होने से जहां व्यवसाय की बढ़ोत्तरी होगी वहीं ग्रामीण इलाके के लोगों को भी आवागमन

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

में काफी सुविधा होगी। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में इस रेल लाईन का शिल्यानास किया जा चुका है, परन्तु अभी तक इस रेल लाइन को चालू नहीं किया जा सका है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा स्वीकृत महाराजगंज-मशरक रेल लाईन का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की मांग करता हूं।

(बीस) दक्षिण तमिलनाडु में माचिस इकाइयाँ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी) : दक्षिण तमिलनाडु में सत्तुर, कोविलपट्टी, शिवकाशी, विरुधूनगर और श्रीविलिवपुत्तुर क्षेत्रों में हाथ से निर्मित की जाने वाली माचिस उद्योग की करीब 3500 ईकाइयां हैं। ये लगभग 2 लाख लोगों को आजीविका प्रदान कर रहीं हैं।

वर्तमान में हस्त निर्माण क्षेत्र मशीनी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा महसूस किया जाता है कि इस प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी।

इसके लिए सत्तुर, कोविलपट्टी, विरुधूनगर, श्रीविलीपुत्तुर, कालूगुमलई और गुडियाथम प्रत्येक स्थान पर 1.30 करोड़ रुपए की लागत से 6 समान सुविधा सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि एस.आई.एस.आई. चेन्नई के माध्यम से माचिस उद्योग समूह स्थापित करने के लिए लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्यवाई की जाए।

(इक्कीस) कन्नड़ फिल्मों के प्रतिष्ठित कलाकार डा. राजकुमार को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा) : मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह कन्नड़ फिल्मों के महानायक डा. राजकुमार को भारत रत्न से सम्मानित करे। डा. राजकुमार भारतीय सिनेमा में ऐसे अद्वितीय कन्नड़ अभिनेता थे जिन्होंने 206 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनके द्वारा निभाए गए चरित्रों में हास्य से लेकर मार-धाड़ वाली भूमिका, प्रेमी से लेकर दोहरी-तिहरी भूमिकाएं, पौराणिक भूमिकाओं से लेकर आधुनिक सामाजिक समस्याओं पर आधारित भूमिकाएं शामिल हैं। उन्हें 1983 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने 1993 में उन्हें राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'कर्नाटक रत्न' से सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1995 में उन्हें 'दादा साहेब फाल्के' सम्मान से सम्मानित किया। 1995 में ही उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के केन्चुकी राज्य के गर्वनर द्वारा बगंलोर में 'केन्चुकी कोलोनल सम्मान' दिया गया। उनके प्रशंसकों ने उन्हें 'नट सार्वभोग' की उपाधि दी जिसका अर्थ अभिनय सम्राट होता है। डा. राजकुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वर्ग के लिए 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी अभिनेता द्वारा जीते गये सर्वाधिक पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वर्ग में उन्होंने राज्य के 9 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ गायक वर्ग में भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

यदि भारत सरकार डा. राजकुमार को राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित करती है तो यह राष्ट्र को सम्मान देने जैसा होगा। 5 करोड़ कन्नडिगों की ओर से मैं भारत सरकार से डा. राजकुमार को 'भारत रत्न' से सम्मानित करने का आग्रह करती हूँ।

अपराह्न 12.37 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 17 श्री महताब, आपकी पार्टी के लिए नियत समय से पहले ही चार मिनट अधिक हो चुके हैं लेकिन मैं आपको पाँच मिनट का समय और दूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब : अध्यक्ष महोदय, कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा के दौरान मैं बता रहा था कि भारत में प्रति वर्ष 30,000 डॉक्टर बनते हैं फिर भी यहां पाकिस्तान को छोड़कर अन्य किसी पड़ोसी देश की तुलना में शिशु प्रत्याशा दर अधिक नहीं हो पायी है। यहां की अपेक्षा बंगलादेश में शिशु एवं बाल मृत्यु दर बहुत ही कम है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : बाल टीकाकरण श्रीलंका में वस्तुत: सर्वव्यापी

हो चुका है। हम इस मामले में बहुत पीछे है और इसमें सुधार लाने पर कोई विशेष चर्चा ही नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को आपस में कुछ चर्चा करनी है, तो वे इनर लॉबी, आउटर लॉबी, एवं सेंट्रल हाल में से कही भी जा कर चर्चा कर सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : भावी भारत का निर्माण विगत की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता है। ज्ञान एक संसाधन है जिसे नीतिनिर्माण में यथोचित स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। यही एक ऐसा शब्द है जिस पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम एवं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा जोर देते रहे है। सुझाव यह है कि भारत को एक ज्ञान आधारित समाज के रुप में स्थापित व सुदृढ़ किया जाए। इस प्रक्रिया की शुरुआत 1990 के दशक के आरंभ में ही हो चुकी है। डा. सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र-दर-क्षेत्र एवं खंड-दर-खंड मुक्त कर दिया है।

अपराह्न 12.40 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]

डेढ़ दशक के बाद, एक ऐसे जहाज जिसका पाल उसके गति पकड़ने से पहले ही खोल दिया गया हो, के कप्तान के रुप में उन्हें मानना होगा कि इस जहाज को और आगे चलाने के लिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदस्य महोदय, पिछली बार आपको आवंटित समय से अधिक समय दिया गया था।

श्री भर्तृहरि महताब : माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही यह बात बता चुके हैं और आप उसी को दोहरा रहे हैं। इस चर्चा के लिए दस घंटे आवंटित किए गये हैं।

सभापति महोदय : आपने आवंटित समय से दुगुना समय ले लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, डेढ़ दशक के बाद, एक ऐसे जहाज जिसका पाल उसके गति पकड़ने से पहले ही खोल दिया गया हो, के कप्तान के रूप में उन्हें मानना होगा कि इस जहाज को और आगे चलाने के लिए, इसके खिवैये को ज्ञान रूपी अस्त्रशस्त्र से लैस करना होगा। सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना होगा। क्या इसकी चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई है।

हमारे विरोध का कारण यह है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को उनका उचित हक देने से इन्कार क्यो किया जा रहा है। देश में खनिज भंडार से समृद्ध राज्य में भुखमरी की स्थिति क्यों है? यहां तक कि राष्ट्रीय विकास की अवधारणा के खातिर राष्ट्रीय कल्याण के नाम पर क्षेत्रीय कल्याण को कम अहमियत क्यों दी जा रही है? उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में लगभग 100 छोटे बड़े खनिजों का भंडार है, फिर भी राज्य अभिशप्त है क्योंकि वहन शुल्क समानता नीति सहित दोषपूर्ण नीति एवं योजनाओं के अंतर्गत बुनियादी सामाजिक व आर्थिक अवसंरचना के लिए भी आवश्यक निधि प्रदान नहीं की गई है जिसके कारण लोग यहां तक कि अपनी रोटी रोजी के लिए भी दूरदराज की फर्मों व क्षेत्रों की और पलायन के लिए मजबूर हैं।

अन्वेषण, खनन, निर्यात एवं प्रसंस्करण जैसे कार्यों में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने शायद ही इन क्षेत्रों के लिए किसी रोजगार या आय का सृजन किया हो। संघीय राजनीति के नाम पर हो रहे धोखाधड़ी के कारण उड़ीसा को दशकों मे इस्पात संयंत्र नही दिया गया है। इन खनिज संसाधन समृद्ध राज्यों को खनन रॉयल्टी से प्राप्त होने वाली आय बहुत ही कम है। पेट्रोलियम और सोना सहित प्रथम अनुसूची में उल्लिखित आण्विक विशिष्ट सामरिक खनिजों को छोड़कर केन्द्र को रॉयल्टी संबंधी प्रावधान क्यों तय करने चाहिए जबकि उदाहरणों से यह साफ हो जाता है कि ये सारे प्रावधान उचित रुप से निर्धारित नहीं किए गये हैं? 1980 तक कम से कम तीन दशकों तक रॉयल्टी दर बहुत ही कम रही और इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। लौह-अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, मैगनीज एवं क्रोमियम जैसे प्रमुख खनिजों तथा दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के लिए निर्धारित की गयी नयी अंतर्राष्ट्रीय दरें स्थानीय हितों को ध्यान मे रखकर तय नहीं की गयी हैं।

उड़ीसा में नालको के एल्यूमिनिया बनाने वाले बॉक्साइट पर यदि विचार करें, तो पाते हैं कि एल्यूमिनिया के बाजार निर्धारित कीमत और रॉयल्टी राजस्व में लगभग 1200 करोड़ रुपये का अंतर है और यह एक तरह से राज्य को प्रतिवर्ष होने वाला घाटा है। अधिकारियों के स्तर पर इतनी कम दर निर्धारित की जाती है कि यह वास्तविक नहीं होती है। पूरी दुनिया में राज्यों द्वारा रॉयल्टी दर निर्धारित किया जाना कोई दुर्लभ परिपाटी नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा और मलेशिया जैसे देशों ने रॉयल्टी संबंधी कानून बनाने या रॉयल्टी निर्धारित करने की अनुमति अपने-अपने राज्यों को दे रखी है। इंडोनेशिया ने भी अपने प्राधिकार को विकेन्द्रीकृत कर दिया है।

सरकारी एवं गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा खनिजों का किया जा रहा अंधाधुंध दोहन, जिसका प्रंसस्करण संबंधित राज्य में या तो नही

[श्री भर्तृहरि महताब]

किया गया या कम किया गया, से हुई कड़वी अनुभुति से क्या ऐसा नहीं लगता कि हम दोहरा रॉयल्टी मानदंड अपना सकते है- एक उन खनिजों के लिए जो राज्य के अंदर मूल्य संवर्धन के लिए हों और दूसरा उन खनिजों के लिए जो बाहर भेजे जाते हैं। इससे खनिज संसाधनों पर राज्य का बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित हो सकेगा तथा रॉयल्टी राजस्व में वृद्धि हो सकेगी।

मैं इस सदन से आग्रह करता हूँ कि केन्द्रीय राजस्व ढांचा एवं विधायी प्राधिकार में एकरुपता लाने हेतु इसकी संवीक्षा की जाए क्योंकि ऐसा नही होने के कारण क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर्याप्त रुप से नही हो सका और खनिज संसाधन संयत्र राज्य में असंतोष व्यापत रहा है और इसके दुष्परिणाम साफ तौर पर दृष्टिगोचर है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि सरकार को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सूचना का अधिकार हमारे नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाने का एक माध्यम है। क्या सरकार लोकपाल विधान की अपरिहार्यता को भूल गई है? लोक पाल विधान को अधिनियमित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? 2005 में देहरादून में लोकायुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस संबंध में यू.पी.ए. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। मंत्री महोदय ने दिसम्बर 2005 में इस सदन में आश्वासन दिया था कि ज्यों ही मंत्री समूह का *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपने उसी लम्बे भाषाण को दुहरा रहे हैं कि जो आपने पिछली बार मेरे पीठासीन रहते दिया था। आपको संक्षेप में बोलना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं यह बात उठा रहा हूँ कि मंत्री समूह जिसकी अध्यक्षता *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लम्बे भाषण पढ़ने की उसी प्रक्रिया की पुनरावृति कर रहे हैं जैसा कि आपने पिछली बार मेरे पीठासीन रहते किया था। यदि हम ऐसा करते रहे तो इस चर्चा को हम समय पर समाप्त कैसे कर पायेंगे?

श्री भर्तृहरि महताब : मैं अपने उसी भाषण को जारी रख रहा हूं जिसके बारे में पिछली बार आपने कहा कि मैं आगे भाषण जारी रख सकता हूँ।

महोदय, लोकपाल और पारदर्शिता के संबंध में सदन के नेता, श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया गया था *(व्यवधान)* दिसम्बर 2005 में इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि श्री मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह द्वारा रिपोर्ट सौंपने के तुंरत बाद लोकपाल विधेयक पर आगे की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। रिपोर्ट सौपने के बाद महीनो गुजर चुके है। मै सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में क्या कार्यवाई की गई है।

सभापति महोदय : यदि आपके पास कुछ लिखित रूप में है, तो उसे सभा पटल पर रख सकते है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं शिक्षा के संबंध में अंतिम बात बताना चाहता हूँ। मैं केवल शिक्षा के पहलु पर ही अपनी बात कहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में सर्व शिक्षा अभियान का जिक्र किया है, जिसके संबंध में यह कहा गया है कि इसके मौजूदा स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अनुसार इस कार्यक्रम के 50 प्रतिशत व्यय का वहन करने के लिए राज्यों से कहा जा रहा है जिसका तात्पर्य यह हुआ है कि राज्यों द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय दुगुना हो जाएगा। अब राज्य का कुल हिस्सा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। सरकार की मंशा क्या है? क्या यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त करना चाहती है? निर्धन राज्यों को निधि प्रदान किए बगैर आप सब को शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते है?

अब हम अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिए जाने और पिछड़े अल्पसंख्यक समूह की पहचान करने के लिए किए जा रहे प्रयास के बारे में सुन रहा हूँ। आपके पास इस बारे में क्या मानदंड हैं? क्या संविधान आपको ऐसा करने की अनुमति देता है? आप संप्रभु नहीं है। संविधान संप्रभु है। कृपया इस बात को न भूले।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिलना चाहिए लेकिन आर्थिक मापदंड के आधार पर समाज के कमजोर तबकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रो. जॉन केनेथ गालब्रेथ ने एक बार राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी को पत्र लिखकर कहा था कि राजनीतिक संभव कृत्यों की कला नहीं है। यह विध्वंशकारी एवं अरूचिकर के बीच चुनाव करने में निहित होता है। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे खेद है कि यू०पी०ए० सरकार अक्सर विध्वंशकारी विकल्प का चयन कर रही है।

सभापति महोदय : डा० मिश्रा, आपको अधिक से अधिक 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ऐसा अध्यक्ष महोदय के निदेश के अनुसार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा० राजेश मिश्रा (वाराणसी) : सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सरकार की उपलब्धियां पिछले पौने तीन साल में जो रही हैं, उसी का यह नतीजा है कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, पहली बार इस सरकार के राज में देश की जीडीपी 9.2 प्रतिशत हुई है और प्रति व्यक्ति आमदनी में भी काफी वृद्धि हुई है। मैं इस बात के लिए युपीए सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

चाहे आम आदमी हो, कृषि का क्षेत्र हो, व्यापार, शिक्षा, अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित क्षेत्र हो या व्यक्ति की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सबके लिए इस सरकार ने जो कार्य किया है, उसका सारा क्रेडिट मैं प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी समेत पूरी सरकार को देना चाहता हूं। इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की गतिशीलता, रोजगार के ढांचे में बदलाव, नई नौकरियों को सृजन कैसे होगा, पर्यावरण संरक्षण, निर्धनों को आवश्यक जल सुविधा, मानव सुविधाओं का विकास, पुनर्वास का काम, विनिर्माण का निर्माण और पुनर्वास की पुन: स्थापना के लिए इस सरकार के लिए इस सरकार ने काफी प्रयास किया है। भारत निर्माण यूपीए सरकार बनने के बाद उसका कमिटमेंट रहा है। उसके लिए ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना और ग्रामीण पेयजल योजना पर इस सरकार ने पिछले पौने तीन साल में व्यापक और बड़े पैमाने पर काम किए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना पर इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। हमने देखा है कि उस वक्त कई माननीय सदस्य कहा करते थे कि इस योजना पर काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार जो भी पैसा राज्यों को मुहैया कराती है, तो राज्य सरकारों के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो। यहां हमारे उत्तर प्रदेश के वे साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनकी वहां सरकार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन योजना के तहत केन्द्र सरकार ने अरबों रुपये 'आशा' नाम की महिलाओं की नियुक्ति करने की मंशा के लिए प्रदेश सरकार को दिए हैं। लेकिन जब प्रदेश की सरकार इसका विज्ञापन देती है तो लाखों रुपए उस पर ही खर्च कर देती है और इस तरह से पैसे का दुरुपयोग करती है। उस राज्य सरकार के इस विज्ञापन में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर पूरे पेज पर होती है और नीचे पतली लाइन में लिखा होता है "भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पोषित योजना"- इसका मतलब यह है कि अगर किसी योजना के लिए केन्द्र सरकार पैसा देती है, तो उसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकार सही ढंग से नहीं कर सकती, केवल उस योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए अपनी तस्वीर छापने की ही उसकी मंशा रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि भारत सरकार जितनी भी योजनाओं के जिए पैसा देती है, मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रदेश सरकारें और उनके अधीनस्थ अधिकारी, वह काम नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए।

पंडित जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युवल मिशन स्कीम भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। हमारे जैसे लोग महसूस करते हैं कि कई प्रादेशिक सरकारों ने इस योजना का काफी पैसा उठाया और आध ो से ज्यादा काम भी पूरे किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में सात जनपदों में यह योजना जब लागू की गई थी, आज की तारीख तक, करीब डेढ़ साल तक, वहां की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को डीपीआर नहीं भेजी है।

मान्यवर, क्या इससे ज्यादा भी कोई गैर-जिम्मेदाराना सरकार हो सकती है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की हकीकत है। समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य सदन में चर्चा कर रहे थे कि 9 प्रतिशत आमदनी बढ़ी है, यह सही है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि जो 9 फीसदी आमदनी बढ़ी है उस आमदनी में मध्यम-वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों की कितनी आमदनी बढ़ी है और अमीरों की कितनी आमदनी बढ़ी है। उनका तर्क यह है कि अमीरों की आमदनी बढ़ी है और पूरे देश में प्रति-व्यक्ति आमदनी 9.2 प्रतिशत इसीलिए हुई है। हम उनकी बात से सहमत हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एक लिस्ट जारी होनी चाहिए कि पिछले 9-10 वर्षों में जो लोग राजनीति में आये हैं और साईकिल चलाकर लखनऊ पहुंचे हैं, तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वह अरबों-खरबों के मालिक कैसे हो गये? क्या ऐसे लोगों का नाम उस लिस्ट में तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज कष्ट होता है जब सुनते हैं कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आमदनी की जांच होनी चाहिए और केस सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी से सम्मानित सांसद बैठे है। हमारी

[डा० राजेश मिश्रा]

कांस्टीट्यूएंसी से सटे हुए क्षेत्र के माननीय कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी के अंदर 22 दिनों तक धरना दिया और इनकी पार्टी के ऑल-इंडिया अध्यक्ष लगातार धरने पर बैठे रहे। माननीय अटल जी और माननीय आडवाणी जी उनकी कांस्टीट्यूएंसी तक रैलियां निकालते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार उस मांग को मानने से इंकार कर देती है। लेकिन जब स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की पत्नी हाई-कोर्ट जाती है तो उनके हक में फैसला आता है कि इस केस की सीबीआई जांच की जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जिस मांग को करती हो कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आज वही भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ी होती है और कहती है कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, यह कैसा तर्क है?

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : भारतीय जनता पार्टी ने कहां विरोध किया है, कोई विरोध नहीं किया है। आप उनके समर्थन पर सरकार में बैठे हैं। *(व्यवधान)* आप क्या बात कर रहे हैं, किसने विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया है। *(व्यवधान)*

डा० राजेश मिश्रा : पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, आपके उपनेता ने टेलीविजन पर कहा है कि सीबीआई सही नहीं है, उससे जांच नही होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यही सीबीआई और सर्वोच्च न्यायालय जब दिल्ली सरकार और भारत सरकार के खिलाफ परिसीमन विषय पर प्रतिदिन फैसला देती है तो सारे लोग तालियां बजाते है, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ फैसला आता है तो सारे लोग तालियां बजाते हैं, जब गोवा के बारे में फैसला आता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि जिन्होंने खरबों रुपया कमाया है उनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए तो इनको बुरा लगता है। इस तरह के इनकी जो दोहरी पॉलिसी है, पूरे हिंदुस्तान की जनता इससे वाकिफ है और जनता सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों को बधाई दे रही है जिन जजों ने इस ऐतिहासिक फैसले को किया है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। प्रति-व्यक्ति आमदनी की बात होती है कि 9 फीसदी आमदनी बढ़ी है। जब वर्ष 1989 में इनके नेता एटावा से लखनऊ राजनीति करने गये थे तो साईकिल पर गये थे। लेकिन 12-14 सालों में खरबपति हो गये और कहते हैं कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमें फख्र है कि हम उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस प्रदेश में आज सर्वोत्तम विकास हो रहा है और उन्होंने सम्मानित मुख्यमंत्री का नाम लिया था। मुझे इस बारे में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब वे गुजरात में शांति और व्यवस्था की बात करते हैं तो गुजरात के एक सांसद जो उनकी पार्टी के ही हैं वह भय के कारण अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

वे डरते हैं कि कहीं हमारा भी वही हाल न हो जो कभी हीरेन पांडया का हुआ था। वे उनसे नहीं पूछते कि हमारे सांसदों की क्या स्थिति है। पहले उनके सांसद तो बताएं कि गुजरात की बहुत अच्छी स्थिति है, उसके बाद पूरे देश में गर्व के साथ कहें कि हम उस प्रदेश को रिप्रजेंट करते हैं, जहां श्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री हैं।

अपराह्न 1.01 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश की हर योजना की जांच होनी चाहिए। जो पैसा किसी मद में दिया गया उसे डायवर्ट करके क्यों इटावा के सैफई गांव में भेजा गया? उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश और हृदय प्रदेश है, लेकिन क्या वहां का सबसे बड़ा गांव सैफई है? पैसा दिया जाएगा इंदिरा आवास के लिए, पैसा दिया जाएगा मिड डे मील के लिए, पैसा दिया जाएगा सर्व शिक्षा अभियान के लिए, पैसा दिया जाता है सिंचाई के लिए, पैसा दिया जाता है ट्यूबवैल के लिए, नहरों के लिए, पैसा दिया जाता है, राजीव गांधी विद्युत योजना के लिए, एपीडीआर योजना के लिए पैसा दिया जाता है और सारे पैसे को क्यों डायवर्ट करके सैफई और इटावा भेज दिया जाता है? जब तक इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, तब तक भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, वे लागू नहीं हो सकेंगी और आम इंसान को राहत नहीं मिल सकेगी।

महोदय, आतंकवाद की बात होती है। सरकार दुखी है। आतंकवाद एक दिन की उपज नहीं है। पिछले 15-16 सालों की उपज है। जब मैं आतंकवाद की बात कहता हूं तो मुझे लगता है कि जिस समय हिंदुस्तान की आजादी के बाद महात्मा गांधी पर जिन लोगों ने सबसे पहली गोली चलाई, उसी समय आतंकवाद की नींव रखी गई थी। जिन लोगों ने महात्मा गांधी पर गोली चलाई और उस पक्ष में खड़े हो कर दलील दे रहे थे, उन्हें आतंकवादियों का सबसे बड़ा समर्थक कहा जाएगा। हिंदुस्तान की जनता और प्रदेश सरकारों को मिल जुलकर काम करना चाहिए और जब तब आतंकवाद का मिलजुल कर सामना

नहीं किया जाएगा, तब तक हमें आतंकवाद से राहत नहीं मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में बाहरी आतंकवाद से ज्यादा खतरा जो लोग सत्ता दल का झंडा लेकर पिछले तीन सालों से घूम रहे हैं, उनसे हैं। उनसे बड़ा उग्रवादी और आतंकवादी तो उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं। हिंदुस्तान में आतंकवाद बाहर से प्रायोजित है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सत्य तो है कि हर जिले में आप उनकी सरकार बनाते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में श्री मिश्रा के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ और शामिल नहीं किया जाना चाहिए। श्री मिश्रा, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० राकेश मिश्रा : महोदय, ये उनके पक्ष में ही बोलेंगे। जब तक वे उत्तर प्रदेश में जिंदा हैं, तब तक ये भी जिंदा हैं। यह उत्तर प्रदेश का सत्य है। इनका बोलना, इनकी मजबूरी है, यह हम जानते है। मेरा कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो आतंकवाद की स्थिति है और जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आ रहे हैं, उससे सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। जब तक इस तरह की परिस्थिति पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब तक भारत सरकार की विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा। जो सरकार डेढ़ साल में एक साल की डीपीआर न बनवा सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में सीडीपी बनवाने के लिए मेहनत की गई और सीडीपी तैयार हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने डीपीआर बनवाने से इंकार कर दिया। आज तक उत्तर प्रदेश के किसी जनपद का डीपीआर नहीं बना है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र जी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा० राकेश मिश्रा : महोदय, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। इन्हें संसदीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जीपीआर नहीं बनी है। केंद्र सरकार पैसा देगी और राज्य सरकार काम नहीं करेगी तो हम कहेंगे। यहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे। इन्हें भी कष्ट है और उन्हें भी कष्ट है। दोनों को कष्ट होना लाजिमी है।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप जिन प्रांतों में पैसा देते हैं तो उनके कम्पलाएंस की भी जिम्मेदारी लीजिए। यदि कम्पलाएंस करा ले जाएंगे तो आम आदमी को आपके कार्मों का रिजल्ट मिलने लगेगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण समर्थन करते हैं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मेरा प्रधान मंत्री मे यहां उपस्थित रहने का अनुरोध है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं संसद के दोनों सदनों को संबोधित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह अत्याधिक आश्चर्य की बात है कि केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में जल संकट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण यह आपत्ति करने का कोई तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं राष्ट्रीय जल नीति और नदी जल को जोड़ने के बारे में इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय जल कानून की अत्याधिक आवश्यकता है। अति प्राचीन काल से सर एम. विश्वेश्वरैया श्री के०एल० राव, श्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से श्री अटल बिहारी बाजपेयी तक सभी ने नदियों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत कुमार]

को आपस में जोड़ने की आवश्यकता महसूस की और उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने पर जोर दिया। मैं महामहिम राष्ट्रपति के भाषण का उल्लेख करना चाहता हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार : मैं स्वतंत्रता दिवस 2002 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के एक भाग का उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था:

" हमारे सामने भी अनेक चुनौतियां हैं। हमें बार-बार सूखे पड़ने और बाढ़ आने का हल ढूंढ़ना होगा।"

उन्होंने कहा :

"अब हम दीर्घकालिक समस्या पर दृष्टि डालते हैं। हमारे देश में एक भाग में बाढ़ जबकि दूसरे भाग में सूखे की स्थिति होना विरोधीभासी हैं। यह सूखा-बाढ़ निरन्तर देखने को मिल रही हैं। समय की जरूरत यह है कि हमारे पास एक जल मिशन हो जिससे खेतों, ग्रामों, नगरों और उद्योगों को पूरे वर्ष पानी उपलब्ध हो सके और पर्यावरणीय शुद्धता को भी बनाए रखा जा सके। जल मिशन का एक बड़ा भाग हमारी नदियों की नेटवर्किंग का होगा। हमारे देश की प्रौद्योगिकीय और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं से इस स्थिति का हल खोजा जा सकता है और दीर्घकालिक आयोजना और उचित निवेश के साथ इस नदी नेटवर्किंग को वास्तविकता में बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे चारों ओर फैला विशाल समुद्र सस्ती प्रौद्योगिकी के रूप में विलवणीकरण के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था करने में हमारी मदद कर सकता है।"

इसका अर्थ है कि महामहिम राष्ट्रपति ने वर्ष 2002 में ही नदियों को आपस में जोड़ने का उल्लेख किया था। जैसाकि आप भली-भांति जानते हैं कि देश में पहले से ही एक राष्ट्रीय जल नीति है। राष्ट्रीय जल नीति में मद संख्या 5 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है:

"आयोजना में और प्रणालियों के प्रचालन में जल आवंटन की प्राथमिकताएं स्थूलतया भिन्नवत् होनी चाहिए:-

"पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत, पारिस्थितिकी विज्ञान, कृषि उद्योग और गैर कृषि उद्योग, नौवहन और अन्यत्र उपयोग।"

पेयजल का महत्व सर्वव्यापी है। राष्ट्रीय नदी नीति में राज्यों के बीच जल की हिस्सेदारी। वितरण के बारे में भी बताया गया है। पैरा 21.1 में कहा गया है:

"नदी द्रोणी के भीतर जल संसाधनों की उपलब्धता और जरूरतों को उचित महत्व देते हुए राज्यों के बीच जल की हिस्सेदारी। वितरण को राष्ट्रीय संदर्भ द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। द्रोणी वाले राज्यों जिनमें द्रोणी के बाहर वाले वे राज्य भी शामिल हैं जहां पानी की कमी है के मध्य भावी करारों को सरल बनाने हेतु आवश्यक मार्गनिर्देश विकसित किए जाने की आवश्यकता है।"

पैरा 21.2 में रहा गया है:

"न्यायाधिकरण के पास भेजे गए जल विवादों के समय पर अधिनियमित हेतु अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जा सकती है और उसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है।"

महोदय, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में एक प्रमुख समस्या जल की कमी है। हमारे पास पहले से राष्ट्रीय जल नीति है किन्तु राष्ट्रीय जल नीति क्रियान्वित करने के लिए हमें राष्ट्रीय जल कानून की भी जरूरत है। यदि कोई राष्ट्रीय जल कानून नहीं है और यदि अंतर राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम में उचित संशोधन नहीं किये जाते और उसकी समीक्षा नहीं की जाती है तो विभिन्न नदी तटवर्ती राज्यों- ऊपरी नदी तटवर्ती राज्यों और अन्य नदी तटवर्ती राज्यों को न्याय नहीं मिलेगा और उन्हें पानी का उचित हिस्सा नहीं मिलेगा। अत: मैं वास्तव में हैरान हूं जैसे इस सम्माननीय सभा के सभी अन्य माननीय सदस्य हैरान हैं, कि इसका उल्लेख संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्यों नहीं है।

महोदय, उदाहरणार्थ आपराधिक प्रशासन के लिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता है और सिविल प्रशासन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता है। किन्तु जहां तक जल विवादों का संबंध है और जल के हिस्सेदारी का संबंध है हमें राष्ट्रीय जल कानून की जरूरत है। यह विभिन्न राज्यों की एक मांग रही है।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा, गत पचास वर्ष अथवा इससे अधिक समय के दौरान नदी जल को आपस में जोड़ने हेतु मांग की

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाती रही है। हम इसके लाभों को भी जानते हैं। आठ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई रोक सकती है। ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल की सुविधा हो सकती है और औद्योगिक प्रयोजन हेतु भी जलापूर्ति हो सकती है, और 34000 मेगावट विद्युत का सृजन किया जा सकता है। अन्तर्देशीय नौवहन हो सकता है। मै। यहां कैप्टन दिनशा जे. दस्तूर द्वारा प्रस्तावित गंगा कावेरी लिंक परियोजना और गारलैंड कैनाल के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। तत्पश्चात् जल संसाधन मंत्रालय ने अन्तर-द्रोणी अन्तरण की परिकल्पना करते हुए राष्ट्रीय संदर्शी योजना प्रस्तुत की। पुन: 15 अगस्त को जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया माननीय राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। अक्टूबर 2002 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी वर्ष 2012 तक भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने हेतु योजना तैयार करने की सिफारिश की थी।

महोदय सभी माननीय सदस्यों के लाभ के लिए श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के स्वप्नदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत भारत सरकार तत्कालीन राजग जिसमें मेरे प्रिय साथी श्री टी. आर. बालू भी मंत्री थे, ने दिसंबर 2002 में नदी जल को परस्पर जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन की घोषणा की थी। यह भारत सरकार का ऐतिहासिक निर्णय था। हमने एक कृतिक बल का भी गठन किया था *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार : हमने अपने साथी श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में एक कृतिक बल का भी गठन किया था।

महोदय, जब मैं पेयजल, सिंचाई हेतु जल और औद्योगिक उपयोग हेतु जल के बारे में बोलता हूँ तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस देश में नदी-जल संबंधी अनेक विवाद रहे हैं। रावी व्यास से सतलुज, नर्मदा तक और विभिन्न नदियां जिनमें कावेरी नदी भी शामिल है, से जुड़े कई विवाद है। गत माह पांच तारीख को कावेरी जल विवाद अधिकरण ने एक अधिनिर्णय दिया था जिससे कर्नाटक के हितों, कर्नाटक की सिंचाई के हितों, कर्नाटक की पेयजल की आवश्यकताओं के हितों, कर्नाटक के किसानों और कर्नाटक के लोगो के हितों के साथ अन्याय हो रहा है *(व्यवधान)* अत: हम मांग कर रहे है और अनुरोध कर रहे हैं कि केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए *(व्यवधान)* बंगलौर शहर के लिए भी पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। बंगलौर शहर और कर्नाटक राज्य को पीने के लिए ही कम से कम 57 टीएमसी एफ टी पानी की जरूरत है। हमें अपने सिंचाई प्रयोजन हेतु भारी मात्रा में पानी चाहते हैं। *(व्यवधान)* दुर्भाग्यवश, अधिकरण के अधिनिर्णय से कर्नाटक राज्य कर्नाटक की पेयजल सुविधा, कर्नाटक के किसानों और राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

*(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार : इसलिए हम मांग एवं आग्रह करते हैं कि केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे राजपत्र अधिसूचना को रोकना चाहिए *(व्यवधान)* अन्तिम पंचाग की राजपत्र अधिसूचना केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कर्नाटक राज्य को संपूर्ण न्याय की आवश्यकता है। अधिकरण के इस अंतिम पंचाट कर्नाटक के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता डी एम के पार्टी के हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इनके बाद डीएमके के मैम्बर की बारी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : 1892 में, तत्कालीन मैसूर राज्य और मद्रास प्रेसीडेन्सी के बीच एक समझौता किया गया था। 1924 में भी, मद्रास प्रेसीडेन्सी और तत्कालीन मैसूर राज्य में एक समझौता हुआ था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इनके बाद आपकी बारी है। फिर आपने जो कहना हो तब आप कहिएगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : उस समय सारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। 'द मद्रास प्रेसीडेन्सी-तमिलनाडु ने अपनी शक्तियों का प्रयोग

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत कुमार]

किया *(व्यवधान)* उन्होंने 1892 और 1924 में दोनों राज्यों मैसूर राज्य और कर्नाटक राज्य के साथ ऐतिहासिक अन्याय किया है। मामले की ऐसी स्थिति होने से कावेरी जल विवाद अधिकरण के पंचाट में भी उसी प्रकार का अन्याय, कर्नाटक राज्य के मामले में ऐतिहासिक अन्याय किया गया है *(व्यवधान)* इसलिए, हम इसकी मांग करते हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अनंत कुमार जी, अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिए, हमारी मांग है और हम केन्द्र सरकार, माननीय प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं और राजपत्र अधिसूचना को प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार के बाद डीएमके पार्टी के सदस्य बोलेंगे। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : इसलिए अधिकरण के अंतिम पंचाट की कोई राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए। इस समस्या को आपसी समझौता बातो से समाधान करने हेतु सभी नदीतटीय राज्यों की एक बैठक बुलायी जानी चाहिए। मैं इस महान मंच: इस लोक सभा में भी आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर एक चर्चा होनी चाहिए। हमने विस्तृत चर्चा के लिए नियम 193 के अधीन चर्चा हेतु पहले ही एक सूचना दी है। उन्हें अपना विचार रखने दीजिए *(व्यवधान)* हम इस पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अनंत कुमार जी, अब आप कंक्लूड करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : मुझे एक छोटी सी बात कहनी है और उसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं यह नही समझ पर रहा हूं कि क्यों तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु के माननीय सदस्य इस संसद में, जोकि लोकतन्त्र का सर्वोच्च मंच है, विधिवत् वाद-विवाद के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र का मकसद वार्ता एवं वाद-विवाद है। उन्हें वाद-विवाद के लिए तैयार रहना चाहिए *(व्यवधान)* वे यह बात क्यों नहीं समझ, रहे हैं? हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे विधिवत् वाद-विवाद के लिए क्यों तैयार नही हैं। उन्हें वाद-विवाद के लिए तैयार होना चाहिए। *(व्यवधान)* हम विधिवत् वाद-विवाद के लिए तैयार हैं। सभा को वाद-विवाद करने दीजिए। सभा को चाहिए कि वह सैकड़ों साल पुरानी इस समस्या के समाधान के लिए अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता एवं मार्ग निर्देशन से निर्णय लेने में सहायता करे। हम कर्नाटक के लिए न्याय चाहते हैं। हमें कर्नाटक के किसानों के लिए न्याय चाहिए। हम कर्नाटक की पेय जल आवश्यकता के प्रति न्याय चाहते हैं। इसलिए हम मांग एवं आग्रह करते हैं कि केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.19 बजे

(इस समय श्री ई० पोन्नुस्वामी और कुछ अन्य सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 01.45 पुन: समवेत होने के लिए स्थागित होती है।

अपराह्न 1.20 बजे

तत्पश्चात, लोकसभा अपराह्न 1.45 बजे तक के लिए स्थागित हुई।

अपराह्न 1.50 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.50 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। इससे पहले श्री प्रियरंजन दासमुंशी बोलना चाहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दृढ़ विश्वास है और हम महसूस करते हैं कि सभा में हम सभी तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों के साथ-साथ वहां के सभी सम्मलित सदस्यों को सम्मान देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यह मामला माननीय अध्यक्ष के समक्ष ला दिया गया है और वे स्वंय सम्पूर्ण मुद्दे की जांच कर रहे हैं। इस समय इस मुद्दे पर उग्र वाद-विवाद करके दोनो राज्यों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित नहीं होगा। जब दोनों राज्य सरकारें समीक्षा करने हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गयी है तो सरकार को इस समय कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए मेरा उन सभी सदस्यों से जो इस मुद्दे को उठा रहे है, आग्रह है कि वे अपने पर नियंत्रण रखें। जब माननीय अध्यक्ष ने उनकी बात सुनी है तो हम किसी ऐसे सकारात्मक उपाय या तन्त्र की खोज करेंगे कि बाद में इसे सभा के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए। मेरा केवल यही आग्रह है। मैं आग्रह करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। महोदय आशा है कि इस पर उत्तर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री अनंत कुमार से बोलने का अनुरोध करता हूं। *(व्यवधान)*

श्री ए० कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बदूर) : कावेरी अधिकरण पंचाट के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला नहीं जा सकता है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनके बाद आपके दल के सदस्य बोलेंगे और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उनको केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने की अनुमति दूंगा। *(व्यवधान)*

श्री ए० कृष्णास्वामी : यह मामला न्यायाधीन है। इस पर सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। कल की बैठक में अध्यक्ष इस मुद्दे पर वाद-विवाद की अनुमति देने के संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं पुन: कहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रत्येक पैरा में राष्ट्रपति जो कुछ कहना चाहते हैं सभी सदस्य उसी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं किसी सदस्य से नहीं कह सकता कि वे अभिभाषण मे बाहर जाएं या उसी तक सीमित रहें। मेरा केवल यही कहना है कि यह मामला पहले से ही माननीय अध्यक्ष के ध्यान में है; हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए और सभा में हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे अध्यक्ष को ऐसा न लगे कि हम उनका अपमान कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री ए० कृष्णा स्वामी : यह मामला निर्णयाधीन है *(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : कुछ भी निर्णयाधीन नही है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अनंत कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे यह भी निवेदन है कि आप कावेरी विवाद का उल्लेख न करें

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : प्रश्न यह है! संसद की दोनों सभाओं में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय जब इस सम्मानीय सभा या अन्य सभा के माननीय सदस्य बोलते हैं, तो यह स्थापित प्रक्रिया एवं परम्परा के अनुसार होता है और जब कोई मामला राष्ट्रीय महत्व का हो तो उसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल किया जाना चाहिए। वाद-विवाद के दौरान इसी बात का उल्लेख किया जा रहा है।

महोदय, मेरे भाषण के दौरान *(व्यवधान)*

श्री ए० कृष्णा स्वामी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव किया है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा है और आप पहले ही शोर मचा रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : महोदय संशोधन मौजूदा भाषण के लिए दिया गया है। मैं एक नई बात बताना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि नदियों के आपस में जोड़े जाने का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। जब देश में एक राष्ट्रीय जल नीति है, तो उस नीति को क्रियान्वित

[श्री अनंत कुमार]

करने के लिए हमें एक राष्ट्रीय जल कानून की आवश्यकता होती है। श्री एम विश्वेश्वरैया से लेकर डा. अम्बेडकर, डा० के०एल० राव एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विभिन्न दूरद्रष्टाओं की संकल्पना के अनुसार नदियों को आपस में जोड़ने एवं विभिन्न नदी बेसिन से जल का अंतरण करने के लिए एक परियोजना होनी चाहिए क्योंकि अंततोगत्वा यह मसला इस बात से संबंधित है कि बाढ़ और सूखे की स्थिति से निजात कैसे पाये जाए।

महोदय, यह आप जानते ही हैं कि भारत सरकार सूखे एवं बाढ़ राहत के नाम पर प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये का व्यय कर रही है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति की दो पसंदीदा परियोजनाएं हैं। वह संयोजन, नदियों के संयोजन, सड़कों के संयोजन विभिन्न सुविधाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संयोजन की बात करते हैं। वह आध्यात्मिक संयोजन की भी बात करते हैं।

दूसरी बात 'पूरा' पी०यू०आर०ए० यानि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में हैं। वो शहरी सुविधाएं क्या हैं? वे पेयजल एवं बिजली हैं। ग्रामीण अर्थात कृषक समुदाय की बुनियादी आवश्यकताओं में से सिंचाई निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मैंने इस संयोजन एवं 'पूरा' (पी०यू०आर०ए०) के संबंध में एक उदाहरण पेश किया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि दूसरे पक्ष के हमारे मित्र, विशेषतौर पर तमिलनाडु के मित्र, इस विषय पर वाद-विवाद से क्यों बचना चाह रहे हैं। वे वाद-विवाद के विरुद्ध हैं *(व्यवधान)*

महोदय, हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र हैं। संसदीय लोकतंत्र का मतलब ही वाद-विवाद होता है। हम यह कह रहे हैं कि कावेरी अधिकरण आदेश एक भ्रामक आदेश है। यह एक ऐसा आदेश है जिसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। ऐसे आदेश का क्रियान्वयन कोई कैसे कर सकता है? कोई व्यक्ति भ्रामक ओदश का क्रियान्वयन कैसे कर सकता है? कर्नाटक के लिए पेयजल का कोई आवंटन नहीं किया गया है। यह बहुत ही गंभीर मानवीय समस्या है। हमें बंगलौर के लिए 57 टी०एम०सी०, 32 टीएमसी पानी चाहिए और यह उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस आदेश के तहत केवल 1.75 टी०एम०सी० पानी का प्रावधान किया गया है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री अनंत कुमार : महोदय, जब हम एक बार पीने के प्रयोजन के लिए पानी ले लेते हैं, तो सिंचाई के लिए जरा भी पानी नहीं बचेगा ...*(व्यवधान)* अत: यह कर्नाटक वासियों की आजीविका का सवाल है।

महोदय, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था अच्छी है और इसका पूरा श्रेय राज्य सरकार को जाता है। यदि आन्दोलन भी चल रहा है, तो यह भी शांतिपूर्वक एवं अहिंसापूर्वक। मैं विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ कि किसान, विद्यार्थी से लेकर साहित्यकार तक सभी लोग सड़क पर उतर आए हैं। वे इस विषय पर वाद-विवाद के लिए अनुरोध कर रहे हैं। वे वार्तालाप के लिए अनुरोध कर रहे हैं। पूर्व जल संसाधन मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी भी यहाँ हैं और उन्हें हमें जवाब देना चाहिए। केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि कावेरी अधिकरण के अंतिम निर्णय को राजपत्र में अधिसूचित न कराया जाए। दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। केन्द्र सरकार को सभी तटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए। बातचीत के जरिए इसका निदान ढूँढ़ा जाना चाहिए और कर्नाटक राज्य के साथ न्याय किया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई०जी० सुगावनम।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सदस्य महोदय ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। मैं इस सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि यह सरकार इस देश के कानून एवं संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है।

अपराह्न 2.00 बजे

यह सरकार इस देश के कानून एवं संविधान के दायरे से बाहर जाकर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। फिर भी कई मामलों में तमिलनाडु एवं कर्नाटक के लोगों की भावना का सम्मान किया गया है। हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में इस समय कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ई०जी० सुगावनम

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, वे उत्तर दे सकते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि वह उत्तर दें। उन्हें सब मालूम है। वह कर्नाटक के लोगों एवं किसानों की पेय जल संबंधी दुर्दशा से अवगत हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, क्या कोई कैबिनैट मंत्री इस मामले पर टिप्पणी कर सकता है। पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अत: मैं उन्हें इतना कहता हूँ कि हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिसमें किसी को लगे कि हम उनके विरूद्ध है अथवा किसी के पक्ष में हैं *(व्यवधान)*

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : यदि वह चुप हो जाएं, तो मैं संक्षेप में कुछ बताना चाहूँगा *(व्यवधान)*। मैं किसी विषय पर बहस नहीं कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केन्द्र सरकार से केवल अनुरोध कर रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मेरे साथी अधिकरण तथा उसके फैसले के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसे राजपत्र में सूचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा आज ही नहीं शुरू से ही मेरे साथी श्री अनंत कुमार और दूसरों की मंशा रही है *(व्यवधान)*। 1990 से कन्नड़ियों की ऐसी मंशा रही है *(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, यह क्या है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह बीच में बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मुझे बीच में बोलने का अधिकार मिल गया है *(व्यवधान)*। श्री अनंत कुमार आप मान चुके हैं। मुझे बीच में बोलने का अधिकार है *(व्यवधान)*। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है *(व्यवधान)*। आप इससे भयभीत क्यों हैं? *(व्यवधान)* मैं 6 जून 1990 के 'द हिन्दु' की केवल दो पंक्ति उद्धत कर रहा हूँ *(व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथी एवं दूसरे दल के लोग शुरू से ही यानि 1990 से ही इस अधिकरण की स्थापना का विरोध करते रहे हैं। यही कारण है कि वे अधिकरण को जरा भी नहीं चाहते थे कि *(व्यवधान)* इस बात का रिकार्ड है।

महोदय, कर्नाटक सदन के सभा पटल पर श्री विरेन्द्र पाटिल यह बात कर चुके थे और इसका भी रिकार्ड है। 'द हिन्दु' के 6 जून 1990 के अंक में यह उल्लेख है कि:– "उन्होंने कहा कि विगत बीस वर्षों में राज्य के अधिकरण के गठन को रोकने में सफल रहा।" कन्नड़ियों के इन कृत्यों का 1990 से रिकार्ड है *(व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्री ई. जी सुगावनम

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री पी०सी० थामस : यह नियम 376 के अन्तर्गत है *(व्यवधान)*

महोदय, केरल भी प्रभावित पक्षकारों में से एक है। इस मामले में पांडिचेरी भी एक पक्षकार है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के सिवाय कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री टी०आर० बालू : जो कुछ मैंने उद्धृत किया है, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना कहा गया है उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बालू जी, जो आप अब बोल रहे है उसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे दो प्रभावित राज्यो के ही तर्कों के मध्य मिलाया जा रहा है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें केरल, पांडिचेरी और दो अन्य राज्य सम्मिलित हैं।

कोई नहीं कह सकता कि हमें इसके बारे में संसद में कुछ नहीं कहना चाहिए। महोदय, हम इसके विरूद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर रहें हैं *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० थामस : केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु कर्नाटक के हम सभी लोगों की रूचि इसमें है जैसे पूरे राष्ट्र की रूचि इसमें *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत के कुछ भी सम्मिलित न किया जाये।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री सुगावनम का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं, कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा श्री सुगावनम से बोलने अनुरोध है। अब डी एम के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री सुगावनम, कृपया अपना भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण तक सीमित रखें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

***श्री ई०जी० सुगावनम** (कृष्णागिरि) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले महीने की तेईस तारीख को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया। अब सभा संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी पार्टी डी एम के की ओर से और स्वयं अपनी ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

केन्द्र में हमारी संप्रग सरकार ने हमारी वर्धमान अर्थव्यवस्था में एक नयी शक्ति ला दी है। हमारी वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है और यह शीघ्र दो अंको के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। विश्व की वर्धमान अर्थव्यवस्थाओं में हमारे देश का दसवां स्थान है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सभी घटक दल इस प्रगति में योगदान करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के कारण चीन के बाद हमारा स्थान है। जब इस देश में उपलब्ध कुशल श्रमिकों की संख्या की बात आती है तो मानव संसाधन विकास में हमारा पहला स्थान है। रोजगार के लाखों अवसरों का सृजन हुआ है।

मूल्य वृद्धि एक ऐसी समस्या है जो हमें मुहं चिढ़ा रही है। नि:संदेह हमारी संप्रग सरकार द्वारा बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। किन्तु, फिर भी केन्द्र सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि दोनों को रोकने के लिए अपने प्रयास तेज करे। जब भी कभी वस्तुओं का उत्पादन प्रभावित हो अथवा उन की कमी पैदा हो हम उन वस्तुओं का समय रहते आयात करे और इस तरह उसमें उचित समय पर हस्तक्षेप करे। हमारी सरकार मुद्रास्फीति पर काबू पाने और मूल्य वृद्धि को हल करने हेतु उपाय कर रही है। हमारी कृषि विकास की निगरानी किए जाने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे है। सरकार को कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सही कार्यनीति विकसित करनी चाहिए। हमारी कृषि-अर्थव्यवस्था बहुधा सिंचाई सुविधाओं के अभाव में प्रभावित होती है।

हमारे नेता और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा० कलाइग्नर करूणानिधि ने सिंचाई के लिए पानी की कमी पर काबू पाने के लिए नदियों विशेषकर दक्षिण की नदियों को जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने इस परियोजना को शुरू करने और इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए केन्द्र सरकार पर जोर दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी बैठक

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी, में अपने भाषण के दौरान इस पर प्रकाश डाला है। सिंचाई की जरूरतों और पेयजल की जरूरतों दोनों को पूरा करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्रों को पानी मिलना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री ने इस संबंध में भावप्रवण अपील की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनके तर्क पर सकारात्मक रूप से विचार करे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ठीक प्रकार से चल रही है। मैं केन्द्र सरकार और केन्द्रीय विकास मंत्री से जोर देकर कहना चाहता हूं कि कृष्णागिरि और धरमपुरी जिलों पर भी विचार करें और उन्हें एन०आर०ई०जी०ए० के क्षेत्र के अन्तर्गत लाएं क्योंकि ये जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े है और सूखा प्रवण भी हैं। केन्द्र सरकार गरीबों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए और अधिक धनराशि आवंटित कर सकती है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि देश के सभी राज्यों के बच्चों को शिक्षा मिले। तमिलनाडु के हमारे मुख्य मंत्री ने व्यापक शिक्षा प्रदान करने और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए है। मेरी इच्छा है कि उनकी मॉडल योजनाओं का देश भर में अनुसरण किया जाए। सभी राज्य भी तमिलनाडु का अनुसरण कर सकते हैं जो पौष्टिक मध्याहन भोजन योजना का क्रियान्वयन सफलता पूर्वक कर रहा है। तमिलनाडु में बच्चों को दैनिक मध्याहन भोजन के साथ सप्ताह में दो बार अंडे मिल रहे हैं। यह समूचे देश के लिए मिसाल है और सभी राज्य गरीब परिवारों के बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने हेतु इस का अनुसरण कर सकते हैं।

हमारे केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थी दयानिधि मारन सेल फोन के लिए देशभर में किराया, प्रशुल्क और कॉल शुल्क कम करके लगभग क्रांति ले आए हैं। सेल्युलर फोन के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है और भारत शीर्ष देशों में से एक है। मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्विटी तक आम आदमी की पहुंच है। प्रशुल्क और काल शुल्क में पर्याप्त कमी हुई है जबकि साथ ही हमारे केन्द्रीय संचार मंत्री श्री दयानिधि मारन के गतिशील नेतृत्व के अन्तर्गत संचार मंत्रालय के राजस्व में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है भारत के लोग यह आशा करते हैं कि वे बेहतरी के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाना जारी रखेंगे।

वस्त्र उद्योग वस्त्र संबंधी मशीनों की कमी के कारण समस्याओं एवं स्थिरता का सामना कर रहा है। करोड़ो रुपये मूल्य के कपड़े का उत्पादन रूक गया है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वस्त्र उद्योग को वस्त्र संबंधी मशीनों की खरीद हेतु सक्षम बनाने हेतु उदार ऋण प्रदान किये जायें चूंकि पूरे देश में वस्त्र उद्योग में प्रशिक्षित व्यक्तियों एवं दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता है, इसलिए और अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रत्येक बालिका को छात्रवृत्ति और कालेज स्तर तक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजनाएं बनायी जायें। इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी।

हमारे माननीय मंत्री श्री टी. आर. बालू के कहने से चेन्नई में मैरिटाइम इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इसके लिये मैं उन्हें और केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं।

संप्रग के शासन काल में देश समृद्धि की तरफ अग्रसर हो रहा है और हमारी स्वतन्त्रता के 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

कावेरी नदी जल अधिकरण ने अंतिम पंचाट दे दिया है और यह उच्चतम न्यायालय, जो देश का शीर्षस्थ न्यायालय है, की उद्घोषणा के बराबर है। यदि कर्नाटक के हमारे भाई इस पंचाट से निराश हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि वे 90 दिन बीतने से पहले अधिकरण में अपील कर सकते हैं। कावेरी विवाद, जो गत 30 वर्ष से अधिक समय से एक जटिल मुद्दा बना हुआ है, के कारण पड़ोसी राज्यों के बीच मधुर संबंधों में अनेक समस्या पैदा हो गयी हैं। स्थिति खराब है और शांति भंग होने की आशंका है। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार को लोगों की जान एवं माल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कर्नाटक में रहने वाले तमिल वास्तव में सुरक्षित नहीं हैं। मेरे जैसे संसद सदस्य भी बंगलौर आने और यहां से दिल्ली के लिए विमान पकड़ने में सुविधा एवं सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं। मैं कर्नाटक के अपने भाइयों से आग्रह करता हूं कि वे शांतिपूर्वक रास्ते पर चले और माहौल खराब करने से बचे। हम दक्षिण के राज्यों में रहने वाले आपस में भाई-भाई है, ये राज्य एक दूसरे से लगे हुए पड़ोसी राज्य हैं। हम तमिलनाडु के संसद सदस्य माहौल को खराब होने से बचाने के लिए इस मुद्दे को सभा में न उठाने हेतु बार-बार आग्रह कर रहे हैं। यह समस्या केवल दो राज्यों तक ही सीमित नहीं है। इससे दक्षिण के लगभग सभी राज्य जुड़े हैं। मैं डीएमके की ओर से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस जटिल समस्या के स्थायी समाधान हेतु कावेरी अधिकरण के अंतिम पंचाट को अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को संबोधित अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

[श्री सी०के० चन्द्रप्पन]

प्रश्न यह है कि माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक स्थिति को दर्शाने की कोशिश की है और यह कार्य बजट में भी किया गया था *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शान्ति बनाए रखिए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय, स्थिति यह है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह बैठक स्थल नहीं है।

[हिन्दी]

कर्नाटक के जो बादल छाये हुए थे वे चले गये हैं।

[अनुवाद]

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : स्थिति यह है कि हम बड़ी तेजी से नाटकीय विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सूचकांक में अत्यधिक वृद्धि और हरेक बात का उल्लेख किया गया है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं कि हमने उस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है लेकिन मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्हें भी वह गलती नहीं करनी चाहिए जो कि उन लोगों ने की है जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। चुनाव के समय भाजपा बता रही थी कि भारत शाइन कर रहा है लेकिन लोगों ने यह चमक नहीं देखी। वे भी अब वही बात कह रहे हैं कि हम तेजी के साथ हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ वास्तविकताएं भी देखनी हैं। भारत में आज भी पूरे विश्व की निरक्षर आबादी की पचास प्रतिशत आबादी वास करती है। यह एक वास्तविकता है। भारतीय बच्चों में कुपोषण एक भयानक बात है। ऐसा डा. अमर्त्य सेन ने हाल ही में दिल्ली में दिए एक भाषण में कहा था। हमें इन वास्तविकताओं और इसी प्रकार की अन्य बातों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

आर्थिक विकास का अर्थ है धन का समान बंटवारा और यह देखना कि विभिन्न स्तरों पर लोगों को इससे लाभ मिलें। यह दर्शाने का कोई फायदा नही है कि कोई टाटा विदेश जा रहा है, किसी कंपनी का अधिग्रहण कर रहा है और इसे अपने अधिकार में रखेगा। इसी प्रकार के कार्य मित्तल और अम्बानी भी कर रहे है। यह सभी अत्यंत दुर्लभ बातें हैं। भारत के लोग आज भी मुद्रास्फीति, जिसका उल्लेख बजट में भी किया गया है, की समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारी शिकायत है कि मुद्रास्फीति के लिए जो कदम उठाए गए वे अधूरे मन से उठाए गए तथा अप्रभावी रहे। उन्हे इसके बारे में कोई मौलिक निर्णय लेना चाहिए था।

मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र को कमजोर करके, खाद्यान्नों का आयात करके और आपूर्ति पक्ष का सुदृढ़ीकरण करके सरकार मुद्रास्फीति से लड़ने में सफल नहीं होगी। यदि सरकार को मुद्रास्फीति से लड़ना है और उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसे एक नीति बनानी होगी जिससे इस देश का कृषि क्षेत्र, इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। यह कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि भारत के प्रधान मंत्री ने बताई है। इस बारे में भी इस कमजोरी का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। इन कमजोरियों पर पर्दा डाल देने से मेरे विचार से हम देश के लोगों के सामने कोई बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर पाएंगें।

दूसरे, राष्ट्रपति का अभिभाषण यह उल्लेख करते हुए प्रारम्भ हुआ कि यह वर्ष ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ है और सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ है। यह अच्छी बात है लेकिन मुझे यह नहीं ज्ञात है कि राष्ट्रपति ने यह उल्लेख क्यों नहीं किया कि यह शहीद भगत सिंह के जन्म का 100वां वर्ष है। यह भगत सिंह को फांसी देने का भी 75वां वर्ष है। उन्हें 75 वर्ष पहले फांसी दी गई थी। उस घटना पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में पीढ़ियों तक भगत सिंह को याद कर शक्ति का संचार होता रहेगा। परन्तु हमारे राष्ट्रपति ने उसक उल्लेख तक भी नहीं किया। उसका उल्लेख किया जाना चाहिए था।

वे दो या तीन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना भूल गए। आखिरकार यह सरकार यहां विद्यमान है और न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर शासन कर रही है। माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि हम ग्यारहवीं योजना को शुरू करने वाले हैं। यह वर्तमान सरकार के शासन का तीसरा वर्ष है। संप्रग सरकार का आधा समय पूरा हो गया है। महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ?

इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस विधेयक का क्या हुआ जिसका वादा असंगठित क्षेत्र के कल्याण के लिए किया गया था? इसका कोई उल्लेख नही है।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में एक ओर विशिष्ट उल्लेख किया गया था कि सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत स्वास्थ्य आदि के लिए निर्धारित किया जाएगा मैं यह नही कर रहा हूं कि यह इस

वर्ष किया जाना चाहिए, लेकिन यहां इस बात का संकेत होना चाहिए कि वे इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इन पांच वर्षों में, आपने इससे पहले जितना आवंटन किया था उससे कहीं अधिक आवंटन कर दिया है *(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : इस वर्ष 34 प्रतिशत अधिक आवंटन किया गया है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या आप अपने वायदे के अनुसार यह प्रतिशतता हासिल कर लेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय, मैं आपको ही संबोधित कर रहा हूं, लेकिन मुझे सत्ता पक्ष द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि हमें यह सूचित नहीं किया जाता है कि क्या हम वह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। भाषण में ये कुछ खामियां है जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ।

जहां तक विदेश नीति का संबंध है, केवल इसके सकारात्मक पहलू के बारे में बताया जाता है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एन०ए०एम०) का प्रणेता और अगुआ रहा है। लेकिन इसका क्या हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बोलना महज एक औपचारिकता बन कर रह गयी है। भारत विश्व की राजनीतिक ताकतों के बीच गुटनिरपेक्षता की भावना को बढ़ावा देने में अब महत्वपूर्ण भूमिका वैसी नहीं निभा रहा है जो यह कभी निभाया करता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब यह अमेरिका से डरने लगा है।

पूरी दुनिया में सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने की घटना की निंदा की गई लेकिन भारत ने इसे महज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। यह बहुत ही नरम रूख है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि इस कृत्य को पूरी दुनिया में लोकमत को नजरंदाज करते हुए अमेरिका की मदद और इसके इशारे पर अंजाम दिया गया। विदेश नीति में इस प्रकार के रवैये में सुधार किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता के संबंध में यहां कुछ लोग महसूस करते हैं कि पूरी संसद को इन मसलों पर इस तरीके से विचार करना चाहिए जिस तरह से वे चाहते हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि यह भारत जैसे देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में कैसे मदद करेगा? अंततोगत्वा भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों एवं संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं और यहां कई भाषाएं बोली जाती है। यह लगभग एक उपमहाद्वीप है। अतः विभिन्न मुद्दों पर मतभिन्नता होना एक स्वभाविक बात है।

विविधता में एकता का तात्पर्य है कि यहां के लोगों में सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। हम कावेरी जल विवाद जैसे कतिपय मसलों से व्यथित हैं और मुझे आशा है कि वे मुझ पर नहीं चिल्लाएंगे। एक राज्य के रूप में हम व्यथित हैं। मुझे इस बात का डर है कि यदि मुल्लापेरियार बांध की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण नही किया जाता है और वहां एक नया बांध बना दिया जाता है, तो केरल के पांच जिले जलमग्न हो जाएंगे *(व्यवधान)* कृपया इस तरह मे उत्तेजित न हो।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : महोदय यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे यहां उठाया जाएं।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : यहा उपस्थित मंत्रीगण को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे संघीय मंत्रीमंडल के मंत्री है *(व्यवधान)* बादल फटने के कारण आयी अचानक बाढ़ में केरल के पांच जिले बह जाएंगे *(व्यवधान)*। यह क्या है? आप उत्तेजित क्यों हैं? *(व्यवधान)* हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं? क्या वे लोग भारत की एकता को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

श्री ए० कृष्णा स्वामी : महोदय, इस मुद्दे पर चर्चा करने में क्या रखा है? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में श्री सी.के. चन्द्रप्पन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय यह असहिष्णुता लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे लोगों को शोभा नहीं देती। आप में अनुशासन एवं सहिष्णुता की भावना अवश्य होनी चाहिए। मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। *(व्यवधान)*

कृपया मेरी बात सुने; मैं तमिलनाडु के विरोध में कुछ नही कह रहा हूँ, न ही आपके विरोध में *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। वह किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दयानिधि मारन : महोदय, मैं एक तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जिसमें यह कहा गया है कि मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर को बढ़ाना सुरक्षित है। तत्पश्चात् केरल सरकार द्वारा लाए गये संशोधन के विरूद्ध तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक मामला दर्ज कराया है। वह मामला अभी भी न्यायाधीन है। क्या हम ऐसे मामले पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय में लंबित है? माननीय सदस्य महोदय एक ऐसे मामले पर चर्चा कर रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय में लंबित है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : हमारे युवा मंत्री जिसका हवाला दे रहे हैं वह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और हम भी उसके बारे में जानते हैं। एक मंत्री द्वारा इस प्रकार बोले जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० थॉमस : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन, कृपया बोलिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री पी०सी० थॉमस : महोदय, क्या यह व्यवस्था के अनुरूप है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृतांत में श्री चन्द्रप्पन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : तब तक परेशानी की कोई बात नही है जब तक आप अनावश्यक रूप से विरोध व्यक्त नही करते हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना बोलने वाले किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य को कार्यवाही वृतांत में शामिल नही किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मैं एक वरिष्ठ सदस्य हूं, और आप भी एक वरिष्ठ सदस्य है। दुर्भाग्य की बात यह है कि *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री चन्द्रप्पन जी की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : भारत के दक्षिणी भाग में कोई अनावश्यक तनाव नही है। दक्षिणी राज्यों में कुल मिलाकर हमारे बीच अच्छा भाईचारा है। केरल में हम लोग महसूस करते हैं कि केरल की संस्कृति में तमिलनाडु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी मलयालम भाषा को तमिल भाषा की पुत्री समझा जाता है *(व्यवधान)*

श्री के०वी० तंगबालु (सेलम) : उसके बावजूद आप पानी नहीं दे रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : हम पानी देने के विरोध में नहीं हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में व्यवधानों को शामिल न किया जाए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : यदि माननीय सदस्य को इस बात की आशंका है कि केरल पानी नहीं दे रहा है, तो यह गंभीर मामला है लेकिन समस्या क्या है? हमारे पानी से उनके अधिकांश खेतों की सिंचाई होती है *(व्यवधान)*

श्री के०वी० तंगबालु : यह गलत वक्तव्य है। कृपया ऐसे वक्तव्य से सभा को गुमराह न करें *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सी.के चन्द्रप्पन : आप अध्यक्षता कैसे करते है? *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : ऐसे में मैं कैसे बोल सकता हूँ जब प्रत्येक वाक्य के बाद हस्तक्षेप किया जाता हो और वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रियों द्वारा? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बोलते रहिए।

श्री दयानिधि मारन : यह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन कृपया बोलते रहिए।

(व्यवधान)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वे इतने असहिष्णु क्यों हो गए है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रामदास जी, जब आपकी बारी आएगी, तब आप जो कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मुद्दा यह है कि हम इस बारे में अत्यंत चिंतित हैं कि तमिलनाडु को और जल मिलना चाहिए। वहां जल की वास्तव में समस्या है। *(व्यवधान)* आप मुझे बोलने दीजिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

(व्यवधान)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : अन्यथा, उन्हें मुझे लिखित भाषण देना चाहिए जिसे मैं पढ़ूंगा। यदि बात यहां तक आ गई है तो फिर ऐसा ही होगा। यदि मुझे बोलने की अनुमति दी गई है तो कृपया मेरी बात सुनें। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे।

तमिलनाडु वर्षा प्रतिमुख स्थान है। मुझे नहीं पता कि आप 'वर्षा प्रतिमुख प्रदेश' के बारे में जानते हैं कि नहीं। वहां वर्षा नहीं होती इसलिए वहां पर्याप्त जल नहीं है। इसे मानते हुए केरल और तमिलनाडु ने एक सदी पहले एक समझौता किया था। *(व्यवधान)*

श्री एस० कृष्णास्वामी : महोदय, वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह अप्रासंगिक हैं।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : प्रासंगिकता का निर्णय अध्यक्षपीठ द्वारा किया जाएगा न कि आपके द्वारा *(व्यवधान)*। उच्चतम न्यायालय या अधिकरण ही प्रासंगिक है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री चन्द्रप्पन अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय प्रासंगकिता का निर्णय आपने लेना है। मेरा समय तो इन्होंने ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें आपका अधिकार लेने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय, पलक्कड़ में रेल मंडल का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री चन्द्रप्पन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय, यह क्या हो रहा है? क्या वे चाहते हैं कि सभा को उनकी भाषा में बात करनी चाहिए? *(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। केवल श्री चन्द्रप्पन का वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

चन्द्रप्पन जी, अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय, मैं इस शोर-शराबे में कैसे बोल सकता हूँ? *(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पुन्नूस्वामी जी, कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : कौन अलग कर रहा है, हम तो केवल कुछ तथ्य रख रहे हैं। *(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

आप उस समय बोलिए जब आपकी बारी आ जाए। कृपया अब सभा की कार्यवाही बाधित न करें। मैं इस मुद्दे पर अभी चर्चा करने के लिए आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय, मैं केवल यही कह रहा हूं कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कहने में बुराई क्या है? कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव (पटना) : सर, मैं एक सुझाव दूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव की आवश्यकता नहीं है।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है।

यह किसी अन्य बात का हिस्सा है। हमारे अंदर सभी के विचारों को सुनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अन्यथा, हम इस मुद्दे का हल बाहर ही खोज सकते थे। हम संसद में क्यों बैठे हैं? हम संसद में इसलिए बैठे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संसद में सभी बातों पर चर्चा की जाएगी, उन बातों पर भी जिन पर हम असहमत हैं या जो अरूचिकर है। लोकतंत्र में हम इन पर चर्चा करेंगे और आम राय बनाएंगें या कुछ निर्णय करेंगें। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है और इसे विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संसद को विवादास्पद मुद्दों से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

अब, मुद्दा यह है कि प्रत्येक मुद्दे पर यदि कोई यह विचार रखता है कि हम सही है और बाकी सब लोग गलत हैं और हम इस पर चर्चा नहीं करेंगें तो क्या यही लोकतंत्र है? *(व्यवधान)* आप दूसरों की पीठ पर बैठकर सवारी क्यों करना चाहते हैं? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, आपकी भी टर्न आएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें आपसे डर लगता है, इसलिए हम आपको जल्दी बोलने का मौका देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रामदास, आपकी बारी आ रही है। आप इन्हें परेशान न करें।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मैं यह कह रहा हूं कि राष्ट्रीय एकता के लिए 'आपसी आदान-प्रदान' की प्रवृत्ति होनी चाहिए। *(व्यवधान)* हम आपको दे रहे हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि लोग असहिष्णु क्यों हो जाते हैं। सलेम का मात्र नाम लेने से ही वे खड़े हो गए। हम सलेम मंडल के विरूद्ध नहीं है। *(व्यवधान)* माननीय रेल मंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने और इसे अंतिम रूप देने का सुझाव दिया है। दोनों मुख्यमंत्रियों को बैठकर निर्णय करना चाहिए जिसे तमिलनाडु द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। *(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : क्या माननीय सदस्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? संसदीय कार्य मंत्री को उन्हें रोकना चाहिए। यह सब क्या है? *(व्यवधान)*

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : यहां केन्द्र सरकार के रहने का मतलब क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मैं यह कह रहा हूं कि यह बहुत निराशाजनक स्थिति है। इस सभा में राष्ट्रीय आम राय के सभी मुद्दों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर चर्चा की जानी चाहिए, चाहे कुछ लोगों द्वारा इसे पसंद किया जाए या नहीं। यह भिन्न मामला है। चर्चा करना इस सभा का अधिकार है और लोकतंत्र में यही उम्मीद की जाती है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मैं जानता हूँ कि वह क्या कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतना अधिक उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी आँखे बंद नहीं करनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई मतभेद नही है। कतिपय मुद्दों पर मतभेद हैं। इसे कैसे हल करें? यह शोर मचाने से हल नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। लोकतंत्र में इस पर चर्चा की जा सकती है। हमें धैर्य रखना चाहिए; हमें अन्य लोगों के विचारों को सुनने का धैर्य रखना चाहिए और फिर किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। लोकतंत्र में हम इसी प्रकार कार्य करते हैं। *(व्यवधान)*

श्री दयानिधि मारन : कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए। मेरी ओर मत देखिए- ...*(व्यवधान)*

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मैं अध्यक्ष पीठ को ही सम्बोधित कर रहा हूँ: किन्तु मुझे आपकी ओर देखने का पूरा अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : उनका चेहरा सबसे सुन्दर है। ...*(व्यवधान)*

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : हमें कुछ संतोष करना चाहिए कि हम एक सुन्दर मंत्री को देख रहे है! हमें सुन्दर चेहरे की ओर देखने और उसका अनन्द उठाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी जा रही है। मुझे अपनी बात समाप्त करने से पूर्व कुछ कहना पड़ेगा *(व्यवधान)*

लोकतंत्र में जिस चीज की जरुरत होती है वह होता है धैर्य, दूसरों के विचारों को सुनने की सहनशीलता, देने और लेने की प्रवृत्ति और तब ऐसे निर्णय पर पहुंचना जिससे देश की एकता को ठेस न पहुंचे। मैं यहां अपने मित्रों को बता रहा हूँ कि अपनी संख्या दर्शाने से सभा के बीचोबीच जाने से और सदन में कोलाहल करने से यह पता नहीं चलता कि उनके तर्क में दम है; बल्कि वस्तुत: इससे उसकी कमजोरी का पता चलता है और इस बात का भी पता चलता है कि उनका तर्क कमजोर है।

अत: मैं कहूंगा कि पालघाट प्रभाग का मुद्दा, मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा, कावेरी मुद्दा आदि पर कहीं कक्ष में चर्चा नहीं की जा सकती बल्कि उन पर सदन में चर्चा करनी पड़ेगी और कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। यह लोकतंत्रिक अधिकार है।

अत: मैं समझता हूँ कि मेरे मित्रों की सद्बुद्धि और समझ आएंगी; वे सभी मेरे बड़े भाई हैं; उन्होंने विगत में देश की एकता में काफी योगदान दिया है; इस युवा पीढ़ी में भरतियार, तिरुवल्लुवर और अन्य व्यक्तियों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय एकता की वह शानदार परम्परा बनी रहनी चाहिए। यदि वे संसद में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मुझे आशा है कि मेरे इन अच्छे मित्रों को अन्तत: सद्बुद्धि आएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री पी० मोहन (मदुरै) : महोदय, वह 'मसल' (बाहुबल) शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय शब्द नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा प्रस्तुत महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण की शुरूआत 60 वर्ष देश के गणतंत्र होने और 150 वर्ष सत्याग्रह का जिक्र करते हुए की थी। सारा देश और सारी दुनिया जानती है कि अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का सफल प्रयोग बिहार के चंपारन की धरती पर किया था। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां वर्षों महात्मा जी अपनी धर्मपत्नी के साथ चंपारन के सत्याग्रह के लिए इस भूमि पर रुके थे, उन्होंने वहां के किसान, मजदूर, छात्र, अध्यापक और प्राध्यापक सबको जागृत किया था और देश की आजादी की शुरूआत इसी धरती से हुई थी, वह भूमि जहां महात्मा जी रहते थे, चाहे पश्चिमी चंपारन के बिथिहरवा गांधी आश्रम हो या पूर्वी चंपारन में ढाका के बड़रवा लखनसेन हो, ये भारत सरकार के टूरिस्ट मैप पर भी नहीं आए। चम्पारण सत्यागृह

[श्री रघुनाथ झा]

को माइनस करके सत्याग्रह की चर्चा करना बेमानी है। मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चम्पारण सत्याग्रह का जिक्र होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है और ग्रोथ रेट नौ परसैन्ट बताई गई है। लेकिन इस नौ परसैन्ट की वृद्धि का फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा, यह चिंता की बात है। ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया। आज नौ परसैन्ट ग्रोथ रेट है। यहां बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं। मुझे खुशी है कि देश के प्रधान मंत्री एक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। वित्त मंत्री जी भी अर्थशाष्त्र के महान विद्वान हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बहुत बड़े विद्वान अर्थशास्त्री हैं। लेकिन यह कौन सा अर्थशास्त्र है, जो आम लोगों के जनजीवन को सुदृढ़ नहीं कर रहा है। इसमें कौन सी खामी है, कौन सी ऐसी बात है जो आप नौ परसैन्ट ग्रोथ रेट का ढिंढोरा पीटते हैं लेकिन दूसरी तरफ देश के गरीब लोगों को आज भी खाना नहीं मिल रहा है। खाने का सामान महंगे दरों पर मिल रहा है। उनके सामने खाने के सामान की किल्लत है। वे दाल नहीं खा सकते, मोटे अनाज नहीं खा सकते। आखिर वे कौन सी परिस्थितियां हैं। मैं समझता हूं कि इस समस्या पर अर्थशास्त्रियों को विचार करना चाहिए। जब हम लोग अपने गांव, अपने इलाके में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग बड़ी तारीफ करते हो कि बड़े-बड़े अर्थशास्त्री आपके मंत्रिमंडल में हैं, जो आपकी सरकार चला रहे हैं, लेकिन यह कौन सा अर्थशास्त्र है, जो देश की चालीस प्रतिशत से अधिक आबादी को छू भी नहीं पा रहा है। उन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार को तवज्जह देनी चाहिए और विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई की ओर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इशारा किया है। इसी सदन के माननीय सदस्य, हमारे दल के उपनेता, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, जो सार्वजनिक उपभोक्ता मामलों संबंधी स्थाई समिति के चेयरमैन हैं, उनकी एक रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की गई है। उस समिति की रिपोर्ट का एक अंश मैं पढ़ना चाहता हूं - समिति ने सिफारिश की है कि कृषि वस्तु विशेष रूप से मोटे अनाजों, दालों, चीनी सहित खाद्यान्नों का अग्रिम भावी संविदा डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज सहित वस्तु बाजार में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समिति इस बात पर भी बल देना चाहती है कि गैर कृषि वस्तुओं का वस्तु बाजार में व्यापार करने की अनुमति पहले के समान ही रहनी चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने चावल और गेहूं के वायदा बाजार व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो मोटे अनाज, जो अन्न गरीब लोग खाते हैं, उन पर तथा दालों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। अभी दो-तीन दिन से अखबारों में निकल रहा है कि ऐसी बंदिश लगने के बाद साठ हजार मीटरिक टन दाल का व्यापार बैक डेट में किया गया। ये कौन भ्रष्टाचारी हैं, किनके विरुद्ध जांच हो रही है। ये सब किसके आदेश से हुआ। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है, छोटे लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह बैक डेटिंग करके इस तरह के काम करे। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। जब आपने अपने बजट भाषण में घोषणा की तो दामों में गिरावट आनी शुरू हो गई। हम चाहते हैं कि आप सारी चीजों के दाम घटाने का काम कीजिए।

महोदय, कहा जाता है कि प्राइस राइज नियंत्रण करने में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होनी चाहिए - सही बात है कि उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए लेकिन मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका आईबी राज्यों में नहीं रहता है। कहां-कहां स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी जानकारी क्या आईबी को नहीं रहती? क्या आईबी आपको रिपोर्ट नहीं करता है? जो राज्य सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि हम आपको राशन का गल्ला और दूसरा सामान नहीं देंगे? चाहे आप उस पर एक्शन लीजिए, चाहे आप उस पर कार्यवाई कीजिए। अगर आप को वे कोआपरेट नहीं करते तो आप उन्हें क्यों कोआपरेट करते हैं? अगर यह हिम्मत आप दिखाइएगा तो महंगाई जमीन पर आ जाएगी।

यह देश कृषि प्रधान देश है और हमारी आर्थिक उन्नति के लिए कृषि पर बहुत जोर देने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कृषि को छूने का काम किया है लेकिन अस्सी प्रतिशत जो किसान हैं, वे छोटे और मझोले किसान हैं। किसानों के लिए जो सुविधा आपने बढ़ाने का काम किया है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पचास लाख किसानों को आपने इस साल बैंक इस ऋण देने की बात कही है। लेकिन जो छोटे-छोटे किसान है, उनकी तरफ भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि पहले जो हमारा देश खेती के उत्पादन में सरप्लस और आत्म-निर्भर था, आज फिर हमारे यहां अनाज की कमी हो गई है। आपने अपने किसानों को प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया है। आपने किसानों को उचित मूल्य देने का काम नहीं किया है। आपने किसानों को खाद, बीज तथा सुरक्षा नहीं दी है। इस कारण से आज किसान खेती की तरफ से मुकर रहे हैं। हम लोगों के यहां बड़े पैमाने पर आम, लीची, केला और मखाना की खेती होती है। कृषि संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट है कि 60 प्रतिशत फल, सब्जी बर्बाद हो जाते हैं और उसके

लिए कोल्ड स्टोरेज की उचित व्यवस्था नहीं है। आप कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, मार्केट बना सकते हैं। हमारे यहां कृषि बाजार समिति थी। वर्तमान सरकार ने कृषि बाजार समिति को खत्म कर दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होना चाहिए, वह नहीं है। इसलिए इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपसे यह निवदेन करना चाहता हूं। आप किसानों को कम दाम पर ऋण दीजिए। आपने इस साल ऋण पर सूद कम किया है लेकिन इससे भी कम सूद पर किसानों को ऋण मुहैया कराने की आवश्यकता है। सरकार ने भारत निर्माण योजना में 6 आइटम को जोड़ा है। उसमें बिजली को महत्वपूर्ण बनाया है। हम जिस राज्य से आते हैं, उसमें आपका यह लक्ष्य है कि भारत निर्माण योजना के तहत वर्ष 2009 तक आप सभी गांवों को विद्युतीकरण करेंगे। लेकिन अभी तक 2007 तक 40-50 प्रतिशत गांवों का ही विद्युतीकरण किया जा सका है। शेष 60 प्रतिशत गांवों में अभी भी विद्युतीकरण होना बाकी है। आप कैसे दो वर्षों में करेंगें, हमें नहीं मालूम है। लेकिन बिजली अगर लगा भी दीजिएगा तो बिजली कहां है? समय-समय पर आप जो बिजली की कटौती करते हैं, किसानों को बिजली खेती करते के लिए नहीं देते हैं, किसानों की खेती के लिए बिजली मिले, इसके लिए बिजली के निर्माण का क्या हुआ? हमारे यहां 500 मेगावॉट बरौनी को बढ़ाने का, 500 मेगावॉट कांटी-मुजफ्फरपुर को बढ़ाने का विचार था, 500 मेगावॉट कहलगांव को बढ़ाने का था तथा बाढ़ का विद्युत कारखाना, नवी नगर में कारखाना खोलने का जो विचार था, *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, आपके बारह मिनट हो गये हैं।

श्री रघुनाथ झा : सर, अभी मैंने शुरू ही किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री राम कृपाल यादव : सर, आपकी कृपा होगी, तो थोड़ा और बोल लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी कृपा नहीं, ऊपर वाले की होनी चाहिए।

श्री रघुनाथ झा : महोदय, सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। हम जो बिहार से आने वाले लोग हैं, दर्जनों बार इस सदन में चर्चा करते रहे हैं कि हमारा जो बिहार है, उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे यहां बाढ़ से बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। नेपाल से निकलने वाली नदियों से बाढ़ आने से हमारे यहां नुकसान होता है। हमारे सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर, जमीन और खेती बर्बाद हो जाती है। हमारे यहां गरीबों के मकान बर्बाद हो जाते हैं। इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिये सिंचाई व्यवस्था को सुगम बनाना चाहिये। मैं सहमत हूं कि रीवर लिंकिंग का प्रस्ताव होना चाहिये क्योंकि एक तरफ बाढ़ आती है तो दूसरी तरफ सूखा हो जाता है। हमारे यहां 10 लाख हैक्टेयर जमीन पानी में डूब जाती है। उत्तर बिहार में फरका से बक्सर तक हजारों एकड़ जमीन हर साल जल में विलीन हो जाती है, दर्जनों लोगों के जीवन की हानि होती है जिसे बचाने के लिये कोई उपाय नहीं होता है। बाढ़ से जो भी नुकसान होता है, केन्द्र सरकार से उसकी भरपाई नहीं होती है। ये हमारे राज्य बिहार की नदियां नहीं हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं जिनके आने से नुकसान होता है। इसलिये मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि भारत निर्माण योजना के समय बिहार की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पथ निर्माण का काम शुरु हुआ है। भारत सरकार की तरफ से उस योजना में पैसा जा रहा है लेकिन राज्य सरकार द्वारा उस पैसे को उचित ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राज्य के पी.डब्लयू.डी. का राजमार्ग हो, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाये कि वह दिये गये पैसे का उपयोग पथ निर्माण के कार्य में करे। हमारे राज्य में करीब-करीब एक लाख किलोमीटर पथों का निर्माण किया गया है जिन पर 17 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है। मैं जिस राज्य बिहार से आता हूं, वहां ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य संतोषजनक है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में स्वास्थ्य योजना को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में तरह तरह के काम किये जा रहे हैं। बिहार पिछड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से स्वास्थ्य सेवाओं में भी पिछड़ा हुआ है। बिहार हर साल प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति वैसे भी कमजोर हो गई है। इसलिये मेरा आग्रह है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाये।

उपाध्यक्ष जी, हम लोगों ने इस सदन में निवेदन किया था कि नेपाल में जो घटनायें हो रही हैं, उससे हमारे देश में भी आंतकवादी घटनायें बढ़ रही हैं। लोग खुल्लमखुला हथियार लेकर घूम रहे हैं, तस्करी बढ़ रही है, वहां से जाली करंसी नोट आ रहे हैं। इसके अलावा नेपाल के तराई तलाके में रहने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, सैंकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वैसे तो 5-6 हजार की जनसंख्या पर एक मैम्बर पार्लियामेंट

[श्री रघुनाथ झा]

बनाया जा रहा है लेकिन एक लाख की पापुलेशन पर तराई के लोगों के लिये न सेना में जगह दी जा रही है और न पुलिस में भर्ती की जा रही है। हमारे सदियों से नेपाल से रोटी-बेटी के संबंध हैं, हमारे यहां शादी-ब्याह किये जा रहे हैं लेकिन उन लोगों की गतिविधियों पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बिहार में बॉर्डर रोड बनाई जायेगी। बाढ़ के समय, हमारी पुलिस ने कहा था कि बॉर्डर रोड न होने से फोर्स की मूमेंट और चैकिंग नहीं हो सकती है। साथ ही यह भी कहा गया था कि 43 बटालियन की फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वह भी नहीं लगाई जा रही है। मेरा आग्रह है कि इसे करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, अंत में मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को जो पैसा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये या दूसरी योजनाओं के लिये दिया जा रहा है, उसका 40 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, जिसे मैं पूरे दावे के साथ आज सदन में खड़े होकर सबके सामने बोल रहा हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

यदि डेढ़ महीने के अंदर शेष राशि खर्च नहीं होगी तो सरकार को इसकी जो दूसरी किस्त मिलती है, वह नहीं मिलेगी। इसलिए हम सदन के माध्यम से बिहार सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि उन्हें जो पैसा केन्द्र से मिला है, उसको खर्च करने का काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकापुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए एक महान दिन है। मैं कन्नड़ भाषा में बोलने की आपसे अनुमति चाहती हूं जो मेरी मातृभाषा है और मेरे राज्य की भी भाषा है। मैं भारत की संसद में पहली बार लोकतंत्र के इस मंदिर-संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने पर बहुत प्रसन्न हूं।

महोदय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का ससंद में होने वाले किसी अन्य कार्य से अधिक महत्व है। अनेक मुद्दों पर चर्चा करना एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं गर्व महसूस करती हूं कि हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति स्वयं एक महान वैज्ञानिक हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष अनुसंधान और प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। यह केवल मेरी राय ही नहीं है, मैं कर्नाटक की अपनी जनता की राय आपको बता रही हूं।

सबसे पहले अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता की साठवीं वर्षगांठ भारतीय स्वाधीनता के प्रथम युद्ध की एक सौ पचासवीं वर्षगांठ और सत्यागृह आंदोलन का शताब्दी समारोह मनाने की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है।

इन तीनों समारोहों का उल्लेख करने का उद्देश्य ही स्वतंत्रता के महत्व और इसके अर्थ की प्रासंगिकता के बारे में भारत की जनता को सोचने के लिए बाध्य करना है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे महान नेताओं ने उस बड़े उद्देश्य के लिए अपने बहुमूल्य जीवन क्यों न्यौछावर किए।

महोदय, औपनिवेशिक समय में भारतीयों के साथ दासों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। अत्याचार किए जा रहे थे। छूआछूत की परम्परा थी। अंग्रेजों द्वारा हमारी सारी इच्छाएं और जरूरतें कुचली जाती थीं। किसानों, दलितों और छात्रों के साथ पूरे देश में हर जगह दुर्व्यवहार किया जाता था। ऐसी दयनीय स्थिति में देश भर के लोगों ने अंग्रेजों के विरूद्ध बगावत कर दी हमारे लोगों ने बापूजी के नेतृत्व में सत्यागृह आंदोलन शुरू किया, देश भर में स्वतंत्रता आन्दोलन फैल गया। वे भारत को ब्रिटिश शासकों के चंगुल से आजाद कराने के लिए लड़े। हमें उनकी वीरता की सराहना करनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपना महान उद्देश्य प्राप्त किया। उन्होंने हथियारों का उपयोग नहीं किया, न ही वे किसी अभद्र और हिंसक घटनाओं में लिप्त हुए। हमारी जनता ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की। वर्तमान परिस्थिति में अहिंसा की जरूरत और इसके महत्व पर पुन: विचार करने की जरूरत है। देश भर के लाखों लोगों ने ब्रिटिश शासनों के फांसी के तख्तों पर स्वयं को समर्पित करते हुए अपने मूल्यवान प्राण न्यौछावर कर दिए।

मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने अपना जीवन न्यौछावर किया और उन्हें अंग्रेजों के हाथों अपने बच्चों का जीवन खतरे में डालना पड़ा। उन्होंने ब्रिटिश लोगों को सबक सिखाकर इतिहास रच दिया।

कन्नड़ लोगों के गर्व की प्रतीक किटटूर की रानी चेनम्मा ने स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु अंग्रेजों से लोहा लिया। कल आठ मार्च को अन्तर राष्ट्रीय महिला दिवस है। कर्नाटक की गौरव, बहादुर महिला रानी चेनम्मा और सांगोली रेयन्ना जो रानी चेनम्मा की महान

[1]मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

स्वामिभक्त अनुयायी थी, और उन्होंने भी स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान किया था, के योगदान को स्मरण करना हमारा परम कर्त्तव्य है।

आज, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जिसकी ब्रिटिश भारत में गारंटी नहीं थी। भले ही हम आपस में लड़ रहे हों, हम आन्दोलनों में भाग ले रहे हों, पर ऐसा हमारे संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रता के कारण ही संभव हुआ है। समाज के सभी वर्गों के लोग अन्याय के विरुद्ध विरोध प्रकट कर सकते हैं, न्याय पाने के लिए हमें न्यायालयों में जाने का पूरा अधिकार है। संविधान में अभिव्यक्ति के अधिकार और मतदान के अधिकार के साथ-साथ अन्य बुनियादी विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इसी कारण हम ब्रिटिश भारत में नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। इसी कारण हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता की साठवीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, श्री पी०वी० नरसिम्हा राव जी, श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी, श्री एल०डी० देवगौड़ा जी और वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी का ही योगदान है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों के समान अपना सिर गर्व से ऊंचा किए हुए हैं। इसलिए स्वतंत्र भारत का नागरिक होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। स्वतंत्रता की साठवीं वर्षगांठ पर उन्हें याद करना हमारा कर्त्तव्य है।

महोदय, मेरे विचार से सत्याग्रह और अहिंसा की भावना के महत्व पर विचार करने के लिए यहीं उचित समय है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की 20 प्रतिशत आबादी नक्सलवाद का दंश झेल रही है। हाल ही में हमने अपने साथी श्री सुनील महतो को खोया है जिनकी नक्सलियों द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। हमारे युवाओं को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना, लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। यदि ऐसा करने में विलम्ब किया गया, तो मुझे आशंका है कि इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को हानि हो सकती है।

इसलिए सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे आजादी के वास्तविक अर्थ को समझें जिसके लिए हमारे देश के लोगों ने अपने बहुमूल्य जीवन कुर्बान कर दिया। हमें इसकी "पवित्रता" अक्षुण्ण रखने की कोशिश करनी होगी। ऐसा तभी संभव है जब हम आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करेंगे। इससे हमें सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने में मदद मिलेगी। कई ज्वलंत समस्याओं के निदान का उपाय ढूंढने का यही एकमात्र तरीका है। यह बहुत ही चिंता की बात है कि यदि हमें संसद में अपनी समस्याएं एवं विचार व्यक्त करने के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो हम और कहां पर अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं।

महोदय, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए। यही वास्तविकता है। हमारा अंत हो सकता है लेकिन राष्ट्र कायम रहेगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी अगली सदी में भी अस्तित्व में बने रहेंगे। अत: यह सुनिश्चित करना हमारा प्राथमिक कर्त्तव्य बनता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा महान भारत सौंपे जिसकी सुरक्षा को कोई खतरा न हो। यदि हम ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो हमारी भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी।

हमें आजादी की भावना एवं संविधान की गरिमा को बनाए रखने की भावना से जीना चाहिए। अन्यथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के प्रथम पैरा में आजादी की प्रासांगिकता, सत्याग्रह की प्रासांगिकता एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के बारे में कही गई बातों के कोई मायने नही रह जाएंगें।

महोदय, आज मेरा राज्य कर्नाटक भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। यह सोना, रेशम, लोह अयस्क आदि का योगदान कर रहा है। जहां तक बंगलौर का सम्बन्ध है, यह कर्नाटक की राजधानी के रूप में ही नहीं जानी जाती है, बल्कि यह सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। यह लघु भारत है और भारत की अर्थव्यवस्था में 50,000 करोड़ का योगदान कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। पूरी दुनिया के लोग कर्नाटक में रह रहे है। वे लोग सुख एवं शान्ति से जीवन व्ययतीत कर रहे हैं।

महोदय, इस वर्ष हम लोग ग्यारहवीं योजना में प्रवेश कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना नेहरू जी की देन है। स्वतंत्रता के समय हमारे देश की 35 करोड़ आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेहरू जी ने इस पंचवर्षीय योजना को कार्यन्वित किया था। आज हम अपने देश के 110 करोड़ आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे है। हमने हरित क्रान्ति एवं श्वेत क्रान्ति जैसी उपलब्धि हासिल करने में सफलता प्राप्त की और इन उपलब्धियों पर हमें गर्व महसूस करना चाहिये। ये सारी उपलब्धियां पंचवर्षीय योजना की मदद से ही संभव हो पाई। मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है कि हमारी यूपीए सरकार बहुत शीघ्र ग्यारहवीं योजना का शुभारंभ करने वाली है। हमारी सरकार भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेशर]

महोदय, हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने देश में व्याप्त मुद्रास्फीति का जिक्र किया है। हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जब भी कोई बरगद का पेड़ गिरता है, धरती का हिलना लाजमी है।

यदि हम आर्थिक विकास चाहते हैं, तो संघर्ष अवश्य होगा और उसका परिणाम मंहगाई है। मैं मंहगाई की वकालत नहीं कर रहा हूँ। पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव हारकर हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हम इससे बड़ी सीख मिली है कि इस मंहगाई से कैसे निपटा जाए। सरकार ने इसके प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है जिसके कारण हम मंहगाई पर रोक लगाने जा रहे है। मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत ही स्पष्टवादी हूं। इन वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए मैं प्रधानमंत्री महोदय, यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं मंत्रियों की प्रशंसा करता हूँ।

महोदय, मैं ग्यारहवीं योजना के एक बिन्दु का हवाला देना चाहता हूं जो कृषि में जान डालने से संबंधित है। कृषि भारत का मेरूदंड हैं, भारत की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधरित है। यह अच्छी बात है कि भारत सरकार ने कृषि जगत में सक्रियता लाने की आवश्यकता महसूस की है। सिचाई के लिए जल की व्यवस्था किए बिना यह कैसे संभव हो सकता है।

महोदय, हम चम्बल घाटी में नदी नहीं ला सकते है। कावेरी, कावेरी बेसिन में ही बहेगी। हम लड़ें या न लड़े लेकिन कावेरी तो बहती ही रहेगी। कर्नाटक रहेगा, केरल रहेगा। हम कृषको द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटना के संबंध में हम इस सथा में नियम 193 के अंतर्गत कृषकों द्वारा कई बार चर्चा कर चुके हैं। ऐसी चर्चा करने की नौबत क्यों आती? कृषकों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार को उनके लिए आजीविका के उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। सरकार को कृषि के लिए जल प्रदान करना चाहिए। सरकार को नदी जल बंटवारे के संबंध में राज्यों के साथ वार्ता करनी चाहिए।

मैं एक भारतीय हूं। मैं एक कन्नड़ हूं। मैं राष्ट्रवादी हूं। मैं एक सच्चा आदमी हूँ। आज कर्नाटक के काबिनी डेल्टा क्षेत्र के 5 लाख एकड़ में से 4 लाख एकड़ भूमि पर विचार ही नहीं किया जाता है। अधिकरण ने सिंचाई के लिए केवल एक लाख कृषि भूमि पर ही विचार किया है।

मैं 4 लाख एकड़ भूमि पर निर्भर रहने वाले कृषको के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सभी साथियों से अपील करता हूं। महोदय हमें उनकी पीड़ा बांटनी चाहिए और उनके विकास में योगदान करना चाहिए।

महोदय, भारत निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण भारत में ग्राम विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण सिंचाई योजना, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण दूरभाष जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है।

हम यह कहकर चुनाव जीत रहे हैं कि हम किसान की भलाई के पक्षधर है। लेकिन सच्चाई क्या है? महोदय, जब तक कि हम अपने लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति, जो कि बुनियादी मानवीय आवश्यकता है, सुनिश्चित नहीं करते हैं, तब तक हम किसी विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। महोदय, मेरा विश्वास करें, मैं विलासिता की बातें नहीं कर रही हूँ। महोदय, आज हमने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत बंगलौर को भी शामिल किया है। सरकार बंगलौर के लिए करोड़ों रूपये खर्च कर रही है। हम यह राशि उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी से अर्जित लाभ के द्वारा लौटा रहे हैं। श्री दयानिधि जी भी हमारे भाई हैं और वह कर्नाटक के हैं। लेकिन जब हम कावेरी विवाद की बात करते हैं, तो वह हमारी बात नहीं सुन रहे है।

महोदय, बंगलौर वासियों को जल की भारी कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय चार-पांच बार बंगलौर गये हैं। उन्होंने कई शैक्षिक-संस्थानों का दौरा किया। विजन-2020 महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सपना है। यह मेरा सपना नहीं है। महोदय, सपना देखना मुझे अच्छा लगता है। राष्ट्रपति जी हमारे गौरव है, यह सपना उन्होंने हमें दिया है। उन्होंने मुझे भारत का सपना देखने के लिए कहा है। मैं सपना देख रही हूं। इसलिए मैं सदन से दरख्वास्त कर रही हूँ कि मेरे सपने को साकार किया जाए। जब सरकार के कृत्यों में ही विरोधाभास हो तो मैं अपने सपने को साकार कैसे कर पाऊंगी। 2021 में बंगलौर की अनुमानित जनसंख्या पर विचार करते हुए हमें 30 टीएमसी जल की आवश्यकता होगी। हम न्यायालय क्यों जाते हैं? हम अधिकरण में क्यों जाते हैं? इसका कारण यह है कि हम आपस में समस्या का निराकरण ढूंढने में अक्षम है। हमें विवादों का निपटारा यहां करना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कभी नही होता है। मैं यहां किसी पर आरोप नहीं लग रही हूं। अधिकरण ने पेयजल मुहैया कराने के लिए बंगलौर की मात्र एक तिहाई आबादी पर विचार किया और बंगलौर के लिए केवल 0.8 टीएमसी जल आवंटित किया। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। माननीय जलसंसाधन मंत्री ने कर्नाटक के भू-जल स्तर के संबंध में राज्य सभा में दिए अपने लिखित उत्तर में ऐसा बताया है। महोदय, हम लोग अत्यधिक दोहन

कर रहे हैं 175 तालुका में से 65 तालुका में जल की कमी है। पूर्वी मानसून के आगमन के पहले वहां बहुत पानी नहीं होता है और हम लोग भू जल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। दूसरी ओर हमलोग विश्व के तापमान में हो रही वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) की बात कर रहे हैं। मैंने हाल ही में वाशिंगटन डी.सी में जी-8 प्लस देशों के सम्मेलन में भाग लिया। महोदय, सरकार बढ़ते तापमान को रोकने के लिए कैसे कदम उठाएगी? इसका निराकरण किया जाना चाहिए।

क्या आप मुझे बताएंगे कि जनता को विश्वास में कैसे लिया जाए? आज विश्व में बंगलौर की ब्रांड वैल्यू है। यह वैल्यू घट रही है। महोदय, भारत में आप सभी मेरे भाई है और निसन्देह कर्नाटक भारत का भाग है। यदि आप कर्नाटक के साथ न्याय नहीं करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी। हमारा गौरव हमसे छिन जाएगा। इससे हमारे संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हम लोग राजनीतिज्ञ भी हैं। हमारी जनता हमारी "शवयात्रा" निकाल चुकी है। हमारा नाम कुत्तों में शुमार किया जाता है। हम अपने भोल-भाले किसानों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मैं इस सभा से इतना ही निवेदन कर रही हूं कि सभी चार राज्यों के साथ वार्त्ता करके हमारे साथ न्याय किया जाए। मैं अपने साथियों को यू.पी.ए. गठबंधन में दरार पैदा करने का अवसर नहीं देना चाहती हूँ। बीजेपी को यूपीए में दरार डालने की बात सपने में भी नहीं सोचनी चाहिये।

श्री जी० करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : ऐसा सपना कोई नहीं देख रहा है *(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश : ठीक है। ऐसा कभी-कभी हो जाता है। जानबूझकर हो या अनजाने में लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है।

अत: आपसे निवेदन है कि आप हमारे कृषकों के लिए खाद्य एवं जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि कर्नाटक भी भारत का ही एक हिस्सा है। केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर इन चारों दक्षिणी राज्यों के बीच चल रहे है जल विवाद का हल ढूंढे और कर्नाटक सरकार के साथ न्याय करे। सरकार हमें अपनी भावनाएं एवं विचार व्यक्त करने का अवसर दें। सरकार सभी राज्यों के साथ बातचीत करे और इस समस्या का निराकरण करने के लिए हमें विश्वास में लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करती हूं कि मुझे कुछ पत्र सभापटल पर रखने की अनुमति दी जाए। मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सत्तापक्ष के माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। प्रतिपक्ष के नेता और हमारे सम्मानीय नेता श्री आडवाणी जी ने अपने भाषण में इस विषय का उल्लेख किया था कि यह राष्ट्रपति जी का निजी भाषण नहीं होता है, यह सरकार का, यूपीए सरकार की नीतियों का लेखा-जोखा होता है, पॉलिसी स्टेटमेन्ट होता है। लेकिन मुझे दुख: के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस अभिभाषण में दी गई सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हूं। मैं इस बारे में कोई लम्बा भाषण नहीं दूंगा। मैं इस अभिभाषण को दो-तीन बार पढ़ चुका हूं और उस दिन भी मैं इसे ध्यान से सुन रहा था। इसे सुन तथा पढ़कर दो-तीन बिन्दु मेरे ध्यान में आए हैं, जिन्हें मैं सदन के सामने लाना आवश्यक समझता हूं।

अपराह्न 3.19 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन हुईं]*

महोदया, हम अपनी आजादी का साठवां साल मनाने जा रहे हैं तथा आजादी की प्रथम लड़ाई का भी डेढ़ सौवां साल मनाने जा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा वर्ष 2007-08 ग्याहरवीं योजना का पहला साल होने जा रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने कुछ विषयों को लाने का प्रयास किया है। मैं ग्याहरवीं योजना के दो विषय आपके सामने रखना चाहता हूं।

महोदया, अभिभाषण के समर्थन में काफी कुछ कहा गया है और कहा गया है कि हमारी जीडीपी की दर 9 प्रतिशत होने वाली है। मैं कल के इकोनोमिक टाइम्स का एक विषय कोट करता हूं, शायद आर.जे.डी. की ओर से सवाल उठाया गया है, यह किस प्रकार की नौ प्रतिशत की ग्रोथ है, किस प्रकार का विकास है, जहां आम आदमी को रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छूने लगें, यहां मेरा विपक्ष का आरोप नहीं है, यह सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों का अभिमत है। आज अखबारों में निकला है, सत्ता पक्ष की जो महामहिम नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने अपने दल के अन्दर एक भाषण में कहा है कि हमें महंगाई के कारण चुनाव हारना पड़ा। यह सदन की व्यवस्था की चर्चा करनी पड़ेगी कि किस धोखे में हम कहते हैं, किस ग्रोथ की आड़ में हम कहते हैं, जिसमें आम आदमी की बात कहने वाले लोग, आम आदमी की बात कहने वाली सरकार आम आदमी की धज्जियां उड़ाये।

[श्री धर्मेन्द्र प्रधान]

11वीं योजना के बारे में दो विषयों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, उसमें एक विषय रोजगार के बारे में कहा गया है और एक विषय आर. एण्ड आर. नीति विस्थापन नीति के बारे में कहा गया है। उसमें नौ विषय कहे गये हैं, लेकिन मैं सभी पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं दो विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं, एक रोजगार के बारे में और दूसरा विस्थापन नीति के बारे में। आज भी सदन में प्रश्नकाल के समय रोजगार के बारे में चर्चा हुई, लेकिन सत्ता पक्ष के पास उसका कोई जवाब नहीं है। मंत्री जी सुरेश पचौरी जी उत्तर दे रहे थे कि हां, एक तरह से उनको स्वीकार करना पड़ा कि आज रोजगार के लिए, नियुक्ति के लिए एक प्रकार से पाबन्दी है, आज उनको दिक्कत हो रही है, उत्तर देने में सत्ता को, सरकार को कि कितने लोगों को हमने नियुक्ति दी, कितने लोगों की हमने नियुक्ति खत्म की, कितनी पोस्टों को हमने एबोलिश किया आज यह डिबेट का विषय बन चुका है। इसी साल का उन्होंने इकोनोमिक सर्वे प्रस्थापित किया है, उन्हीं की सरकार का 2006-2007 को इकोनोमिक सर्वे हैं उसमें क्या उल्लेख होता है, उसमें सारे लोग स्वीकार करते है, कि आर्गेनाइज्ड सैक्टर में एम्प्लायमेंट में कटौती हुई है, कमी हुई है। यह उनके एम्पलायमेंट को आने वाले दिनों में सूचित करता हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। आज यह प्रमाणित करते हैं कि रोजगार के बारे में यह दिशाहीन सरकार है। इस सरकार को आये हुए तीन साल हो गये, आपकी विस्थापन नीति कहां गई? हर एक सत्र में, हर सैशन में आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हम चन्द दिनों में नई विस्थापन नीति को लाने वाले हैं। उनकी नेत्री सोनिया गांधी जी बाहर खूब जोरों से बोलती हैं कि हम मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्री कहते हैं कि नई विस्थापन नीति लाएंगे। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि तीन साल हो गये, आपकी विस्थापन नीति कहां है, आपकी जमीन अभिग्रहण नीति के परिवर्तित नियम कहां हैं? यह प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर यह उल्लेख है कि नई रिहैबिलिटेशन पालिसी आयेगी, कहां है वह? हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था, विशेष करके वामपंथी मित्र बड़े जोर से, यहां मेरे नेता नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के बारे में उनकी बड़ी चिन्ता हुई थी, गुजरात के बारे में मिस्त्री जी की चिन्ता छूटती नही। कई बार गुजरात में मेंडेट मिल चुका है। हम विस्थापन नीति से सम्बन्धित एक विषय पूछना चाहते हैं कि नन्दीग्राम में क्या हुआ, निहत्थे लोगों को वहां क्यों मारा, हल्दिया डैवलपमेंट एथारिटी के नाम पर क्यों नौटिस निकाला था, उसका उत्तर दीजिए? गुजरात में कई बार आपको मुंह छिपाना पड़ा, आप गुजरात पर मत जाइये। कई बार वहां हम लोगों को मेंडेट मिला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में, श्री धर्मेन्द्र प्रधान के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति जी, सिंगुर में क्या हुआ? *(व्यवधान)* आप कालाहांडी में आइये, आपको मैं दिखाता हूं कि कालाहांडी क्या है। *(व्यवधान)* आप नन्दीग्राम के बारे में चर्चा करिये, सिंगुर के बारे में चर्चा करिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मिस्त्री जी, कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैं सिंगुर के बारे में पूछना चाहता हूं, मिस्त्री जी, अपनी सरकार के माध्यम से उत्तर दिलवाइये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण कृपया सदन में अनुशासन बनाए रखे।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : कृपया जो व्यक्ति सदन में नहीं है, उसका नाम रिकार्ड पर न लायें।

[अनुवाद]

श्री दुम्मर एवं श्री मिस्त्री, कृपया बैठ जाइए, उन्हें बाधित मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : आपके गठबन्धन और आपकी पार्टी के नेता

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हरियाणा मे लोक सभा में आने वाले सदस्य कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के जमीन अधिग्रहण पर क्या वक्तव्य देते हैं, वहां क्या हुआ है, उसके ऊपर चर्चा हो। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप चेयर को एड्रेस करिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैं आपको ही एड्रेस करता हूं। वहां महामहिम राष्ट्रपति जी ने जमीन अधिग्रहण के बारे में और रिहैबिलिटेशन पालिसी के बारे में उल्लेख किया है। अंतर्विरोध में रहने वाली सरकार को उत्तर देना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से इसका उत्तर मांगते हैं। आपकी नीति देश के विकास के लिए हो, शिल्प समूह के लिए जमीन अधिग्रहीत हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज देश भर में एक ट्रांसपरेंट पालिसी नहीं है। केंद्र सरकार की इसके लिए क्या पहल है? तीन साल में सिर्फ आपने हवा में बातें की हैं, कुछ नहीं किया। आप कुछ करिए।

आज देश भर में एसईजेड के बारे में तर्क हो रहा है। तमाम लोगों में एसईजेड पर असहमति है। लेकिन आप खुद सिंगुर में और नंदीग्राम में जमीन देंगे। यह इनका दोहरी नीति है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री पी. करूणाकरन; कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : एसईजेड के बारे में आज देश भर में डिबेट हो रही है। प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य रखें कि सारे देश भर में जो उथलपुथल हो रही है, इस पर उनका अभिमत क्या है?

भारत निर्माण के बारे में यहां बहुत चर्चा हुई, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। दो-तीन प्राइमरी आब्जर्वेशन उसके बारे में आपके सामने आपके माध्यम से सदन के सामने लाऊंगा। नेशनल रूरल गारंटी स्कीम को सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कहा गया। आज भी उसमें एक सौ तीस जिलों को जोड़ा गया। मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं कि यह कानून, पालिसी, प्रोग्राम अधूरे हैं। कांग्रेस के मित्र बतायें कि जिन दो सौ जिलों में यह लागू हुआ है और जिन जिलों में यह लागू हो रहा है, तो क्या वहां जो पुराने चलने वाले पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कांटीन्यू हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। यह डिमांड रन प्रोग्राम है। नये प्रोग्राम की आड़ में पुराने प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। क्या आप कह सकते हैं कि उस जिले के सारे गरीब लोगों को काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक परिवार के केवल एक आदमी को काम मिल रहा है। हम मांग करते हैं कि इसे एक सौ दिन के लिए नहीं साल भर के लिए लागू करिए। इसे देश भर में लागू करिए, सभी के लिए लागू करिए। तभी आपकी निष्ठा प्रमाणित होगी। आप गरीब लोगों के साथ धोखा मत करिए। आप सर्वशिक्षा अभियान के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। हमने उसे एक्सपेंड किया और इन्हांस किया। मेरे मित्र मेहताब जी ने प्रश्न उठाए। आप जो पचास प्रतिशत भार राज्यों पर लादने वाले हैं, क्या राज्य उसके लिए तैयार है? जिन राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, क्या वे इसे कर पाएंगे? सत्तर प्रतिशत आपको देना चाहिए, हम इसकी मांग करते है।

महोदया, संचार मंत्री जी अभी सदन में बैठे हैं। अभी भाषण में कहा गया है कि यह ईयर आफ ग्रोथ है। मै। उड़ीसा के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। उड़ीसा में प्राइवेट पार्टिसिपेंट की जितनी कनेक्टिविटी है, उससे कम बीएसएनएल की है। बीएसएनएल तो कई सालों से वहां है। प्राइवेट प्लेयर चंद दिनों में आकर उड़ीसा जैसे प्रांत में क्यों आगे चले गए ओर सरकार कहां तक पहुंच पाएगी? ग्रामीण इलाके में सच में पहुंच पाएगी या महामहिम के माध्यम से भाषण मात्र करेगी। सरकार इसका उत्तर दे।

मैं अंत में एक और बात कहना चाहूंगा। मैं उड़ीसा से आता हूं। एक गरीब प्रांत से आता हूं। नियति ने हमें गरीब नहीं किया, जिन लोगों ने दिल्ली में शासन किया, जिस कांग्रेस ने लंबे समय तक दिल्ली में शासन किया, उनके षडयंत्र से मैं आज गरीब हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री आरून रशीद, कृपया बैठ जाइए, आप जब बोलते हैं, तब अपने भाषण में पूरा विवरण देते हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने लाना चाहता हूं। ग्यारहवीं योजना में बत्तीस नेशनल इंस्टीट्यूट शुरू होने वाले है। क्या मेरे उड़ीसा का हक नहीं कि हमें एक भी मिले? फातिमी जी ने खुद पटना में कहा था कि ग्यारहवीं योजना में तीन आईआईटीज होंगे। एक पटना में होगा, एक भुवनेश्वर में होगा और एक राजस्थान में होगा। उसे क्यों नहीं माना गया? इसका उत्तर भारत सरकार को देना होगा। ग्यारहवीं योजना में प्लान किया गया है, दिल्ली में पर कैपिटा 183 रूपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, पश्चिम बंगाल में 41 रूपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, कर्नाटक में 33 रूपए, पंजाब में 33 रूपए, लेकिन उड़ीसा में मात्र चार रूपए साठ पैसे ही खर्च

[श्री धर्मेन्द्र प्रधान]

होंगे। आप उड़ीसा के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हुडा कमेटी के माध्यम से बजट स्पीच के समय चिदंबरम जी ने कहा कि जो एक्सपोर्ट होगा, वह चाहे मैंगनीज हो, आयरन हो या क्रोमाइट हो उस पर हम दो-तीन सौ रूपए सेस लगाएंगे।

उड़ीसा जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसको क्या मिलेगा। हम मांग करते हैं कि ऐसे प्रान्त को नब्बे प्रतिशत दीजिए। कई दिनों से रॉयल्टी नहीं बढ़ाई गई। अभी मेहताब जी उल्लेख कर रहे थे, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। इसका एक ही उदाहरण है। केन्द्र सरकार के षडयंत्र से उड़ीसा 1200 करोड़ रुपये सालाना से वंचित हो रहा है। यह उड़ीसा के साथ अन्याय है। *(व्यवधान)*

पावर सैक्टर में आपने नियम बनाया है कि पासर जनरेशन हमारे यहां होगा। कोयला हमारे यहां हैं उसका इनवायर्नमैंटल बर्डन हमारे ऊपर आएगा। लेकिन हमारे पासर को जो प्रदेश यूज करेगा, उसे ड्यूटी देनी होगी। मैं मांग करता हूं कि जो जनरेटिंग स्टेट्स हैं, वहां भी पावर ड्यूटी को शेयर कीजिए।

अभी पानी के बारे में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच काफी चर्चा हो रही थी। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आज भारत सरकार दिशाहीन है। पंजाब ने कुछ कहा तो केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उड़ीसा के बंशधारा, नागाबड़ी, कटरा गुड़ा, आंध्र सरकार एकतरफा उड़ीसा के हित को अनदेखा करते हुए लाद रही है। भारत सरकार इस विषय में क्यों चुप है, प्रधान मंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए।

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तीन साल बाद भी क्यों नहीं बना? केवीके में स्पेशल पैकेज क्यों बंद किए? बिहार की तर्ज पर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? नेशनल हार्टीकल्चर मिशन को पूरे प्रदेश में लागू कीजिए। आज उड़ीसा भी नक्सली हिंसा से प्रभावित है। सम्भलपुर, देवगढ़, जाजपुर आदि इलाकों को भी लिस्ट में लाइए। भारत सरकार उसकी अनदेखी कर रही है।

अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह देश संघीय व्यवस्था में रहने वाला देश है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो षडयंत्र हो रहा है, संघ विरोधी मनोभाव हो रहा है, उससे वहां के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। भारत की संघीय व्यवस्था में उड़ीसा का पूरा विश्वास है, लेकिन उड़ीसा लम्बे समय तक चुप नहीं रह सकता। भारत सरकार, दिल्ली की कांग्रेस सरकार उड़ीसा के हित को अनदेखा कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण से उड़ीसा को निराशा हुई है। चाहे आईआईटी हो, एम्स हो, उड़ीसा की रायल्टी, उड़ीसा की मिनरल पॉलिसी के हक के बारे में हो, भारत सरकार के प्रधान मंत्री अपने उत्तर में इसका समाधान दें। यही मांग करते हुए और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दुबारा असहमति प्रकट करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं प्रो. रामदास को बोलने के लिए कहूँ, जो भी माननीय सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा माना जाएगा। प्रो. रामदास, अब आप बोलिए।

प्रो० एम० रामदास (पांडिचेरी) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं 23 फरवरी 2006 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देने के लिए पट्टाली मक्कल काचि एवं इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अय्या की ओर से महामहिम भारत के राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देते हुए, माननीय संसद सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारी पार्टी और हमारे अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से अति प्रसन्न हैं, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं तथा राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

महोदया, अभिभाषण सुनने और पढ़ने के बाद मेरी यह राय है कि मुझे यह अभिभाषण अपने आप में उत्कृष्ट, व्याख्यात्मक, ज्ञानप्रद, व्यापक एवं मूल्यांकनपरक लगा। इससे हमें आज की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की जानकारी मिलती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन तथा हमारे देश के विकास की ओर बढ़ते कदम की भी जानकारी मिलती है। अपने अभिभाषण में उन्होंने उन उपलब्धियों का भी जिक्र किया जिन्हें हम प्राप्त कर चुके हैं तथा जिन्हें प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है।

उनके अभिभाषण सुनने के बाद मुझे राबर्ट फ्रॉस्ट की याद आ गई जिन्होंने कहा था कि:

> "दि वुडस आर लवली डार्क एण्ड डीप बट आई हैव प्रोमिसिज टू कीप एण्ड माइल्ज टू गो, बिफोर आई स्लीप एण्ड माइल्ज टू गो, बिफोर आई स्लीप"

राष्ट्रपति के अभिभाषण में रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को समाहित किया गया है।

इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम राष्ट्रपति महोदय का आभार सिर्फ इस कारण से प्रकट कर रहे हैं कि उनके इस अभिभाषण में कई ऐसी विशेषताएं थी जो पहले के अभिभाषणों में नजर नहीं आयी।

सर्वप्रथम विशेषता मैनें यह देखी है कि इसमें मैडम सोनिया गांधी के सक्षम मार्गनिर्देश तथा विश्व विख्यात अर्थशास्त्री डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही सरकार का मूल्यांकन किया गया है। सरकार की ये सारी उपलब्धियां इस बात के प्रमाण हैं कि आज के लोकतंत्र में गठबंधन सरकार कैसे काम कर सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डां कलयगनर, पट्टाली मक्कल काचि के संस्थापक अध्यक्ष, डॉ. अय्या तथा सोनिया गांधी जी के व्यापक प्रयासों से यूपीए सरकार का गठन किया गया तथा इसे सुदृढ़ बनाया गया। उन्होंने आपस में संगठित होकर गठबंधन के इस युग में एक सफल सरकार की स्थापना की। अत: हम इस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई उपलब्धियां एवं किए गये कार्य वस्तुगत प्रकृति के हैं। उन्होंने सरकार की न तो प्रशंसा की और न ही चिंता के विषयों के लिए सरकार की निंदा की। उन्होंने सभी उपलब्धियों पर विचार किया तथा उनकी पहचान की तथा इससे भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की भी झलक मिलती है। उन्होंने अपने भाषण के पृष्ठ संख्या 19 के अंतिम पैरा में इस बात का सोदाहरण वर्णन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि:–

"माननीय सदस्यगण, हमारे देश में विकास के नये युग का आविर्भाव होने वाला है। हमारे देश के कामगारों, पेशेवरों एवं उद्यमियों के आत्मविश्वास तथा उनके उत्साह को देखकर हममें आशा का संचार हो जाता है। परंतु मेरी सरकार का मानना है कि विकास को सही मायने में सार्थक बनाने के लिए इसके लाभ को देश के हर तबके तक पहुंचाना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुन: प्राण फूंकने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच बढ़ती खाई को पाटने की आवश्यकता है।"

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के अंतिम पैरा में जो चित्रण किया है, क्या आज भारत की उपलब्धियों का इससे भी बेहतर आकलन किया जा सकता है?

उनके अभिभाषण की दूसरी अहम विशेषता यह है कि उन्होंने संसद सदस्यों को ऐसे मुद्दों से संबंधित पृष्ठभूमि प्रदान की है जिन पर वे बजट अथवा रेल बजट एक किसी अन्य विषय पर वाद-विवाद कर सकते हैं। उन्होंने मुद्रास्फीति, अवसंरचना, ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण और शहरों के बीच खाई, न्यूनतम साझा कार्यक्रम कृषि अवनयन, राजसहायता एवं राजकोषीय सुधार जैसी उन समस्याओं को सूचीबद्ध किया है जिनका आज हमारा देश सामना कर रहा है। अत: उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान कर ली गई है तथा उन्हें सूचीबद्ध कर लिया गया है जिनका सामना इस सरकार को इस वर्ष आम बजट या अन्य नीतिगत मानदंडों के रूप में करना है तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से संसद सदस्यों को उन मुद्दों से अवगत कराया गया है।

उनके अभिभाषण की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अपने आप में समग्रता लिए हुए है। कोई आधा अधूरा भाषण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह केवल सामाजिक मुद्दों पर ही जोर दे रहे हैं बल्कि उन्होंने देश के समग्रतरवादी विचार को लिया है। उन्होंने हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया है। अत: वह आर्थिक मुद्दों की बात करते है। वह कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अत: उन्होंने देश के सामाजिक मुद्दों को रेखांकित किया है। यह देश की राजव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। वह देश में अशांति के बारे में बात कर रहे हैं; और वह अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। अत: मुश्किल से ही ऐसा कोई क्षेत्र है जिसे महामहिम राष्ट्रपति ने नहीं छुआ है। अत: ये बातें महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को व्यापकता प्रदान करती है।

चौथी महत्वपूर्ण बात यह है। हमेशा की भांति किसी ने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति स्वप्न देख रहे हैं। वह दृष्टि और मिशन का स्वप्न देख रहे हैं ओर वह दृष्टि और मिशन उनके अपने अभिभाषण में परिलक्षित है। उनका कहना है मेरी दृष्टि एक सशक्त, आधुनिक, विस्तृत, धर्मनिर्पेक्ष और गतिशील भारत बनाने की है। यही बात उनके अभिभाषण में परिलक्षित है; किन्तु उनकी सर्वोत्तम दृष्टि पहले ही उनकी अपनी पुस्तक में उनके द्वारा स्पष्ट कर दी गई है– मैं नहीं जानता कि क्या मैं इस पुस्तक ''इंडिया 2020-ए विजन फॉर दि न्यू मिलेनियम'' को दिखा सकता हूं जिसकी पृष्ठ सं० 22 में यह दिया है कि

"भारत लम्बे समय से विकासशील राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा है। हम सामूहिक रूप से विकसित भारत के दूसरी राष्ट्रीय दृष्टि निर्धारित करें। मुझे विश्वास है कि यह पूरी तरह सम्भव है और यह कार्य 15-20 वर्षों में ही हो सकता है।

आम आदमी के मामले में विकसित देश के दर्जे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख रूपान्तरण से है ताकि इसे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक

[प्रो० एम० रामदास]

बनाया जा सके– यह राष्ट्र की प्रौद्योगिकीय शक्ति है, जो इसे विकसित दर्जे तक पहुंचाने की कुंजी है।"

कुछ वर्ष पहले जिन सब चीजों की परिकल्पना उन्होंने की थी वह पुन: उनके अभिभाषण में परिलक्षित है। अत: उनका यह अभिभाषण भावी भारत का सपना संजोये है।

पांचवें, यह राष्ट्र के लिए सम्बोधन है। एक राष्ट्र नौ प्रतिशत और दस प्रतिशत वृद्धि दर से विकास कर सकता है। इस वृद्धि दर के लाभ आम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्धि हो, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ। अत: अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर विचार करते समय हमे आम लोगों का ध्यान रखना है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने से सारी बढ़ी हुई आय आम आदमी, गरीब आदमी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य लोगों तक पहुंचेगी। यदि आप उनके अभिभाषण का पैरा दर पैरा विशलेषण करे तो सभी योजनाएं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, अंतत: इस तथ्य पर पहुंचती हैं कि वह आम आदमी के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि को बात कर रहे हैं। मुश्किल से ही ऐसा कोई पैरा है जिसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा के बारे में कोई निहितार्थ न हो। अत: मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को लोगों के अभिभाषण के रूप में देखूंगा क्योंकि यह लोगों के लिए और सामाजिक न्याय के लिए है।

यह कदाचित भारतीय इतिहास में राष्ट्रपति का ऐसा पहला अभिभाषण है जिसमें अन्य पिछड़े वर्गो का चार से अधिक स्थानों पर उल्लेख है। अत: इस देश के पचास प्रतिशत से अधिक लोग जो पिछड़े वर्गो के हैं– उन्हें इस श्रेणी की पहचान करने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्हे आजादी के गत साठ वर्षो में अब तक उपेक्षित छोड़ दिया गया है। हमारे विचार से राष्ट्रपति के अभिभाषण की यह विशेष बात है। इसके अतिरिक्त, वह मूल्यों की बात करते हैं। नि:संदेह यह मुद्रित भाषण में नहीं है लेकिन उन्होंने अपना अभिभाषण शुरू करने से पहले किसी और बात का उल्लेख किया था जो इस सभा में सभी सांसदों के लिए बहुत आवश्यक है उन्होंने कहा कि ईमानदारी प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति के पास ईमानदारी है तो घर में समरसता है, राष्ट्र में व्यवस्था है, और अंतत: दुनिया में शांति है। सम्भवत:.ईमानदारी के इन शब्दों में डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम को छोड़कर आज और कोई देश और दुनिया की समस्याओं का हल नहीं ढूढ़ सकता।

महोदया, किसी ने कहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कोरे वायदों का पुलिंदा है। मैं इस विचार से पूरी तरह असहमत हूं। मैं तो यही कहूंगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धताओं से भरा हुआ है और उन प्रतिबद्धताओं को असली रूप दिया गया है। आप यह देखिए कि यह सरकार किस ढंग से अस्तित्व में आई है। तीन वर्ष पहले जब हम संप्रग सरकार बनाने के लिए एक साथ मिले थे तो श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गठजोड़ में शामिल दलों तथा कांग्रेस पार्टी ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के रूप में हमारे लिए प्रगति का एक मार्ग तैयार किया। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) हमें दिया गया और हमने उन कार्यक्षेत्रों का उल्लेख किया है जिन क्षेत्रों में हम काम करने जा रहे हैं। यदि हम पिछले तीन वर्षो को देखे तो पायेंगे कि हमने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जिसकी प्रतिबद्धता की है, उसका 75 प्रतिशत आज कार्यान्वित किया जा चुका है। अत: हमने कोरे वायदे नहीं किए हैं किन्तु हमने वे कार्य किए है जो हम कर सकते थे और हम वही करते है जो हमने कहा है। डा. कलेग्नर के शब्दों में: "चीवडै चौल्वम चोलवदनी चिल्वम।" यह संप्रग सरकार के कार्य में परिलक्षित हैं। आप कैसे कहते हैं कि यह कोरे वायदों का पुलिंदा है? कोई जो इस अभिभाषण को निष्पक्ष रूप से पढ़ता है तो वे इस अभिभाषण की तुलना माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण से करें।

महोदया, मैं अपनी पार्टी में अकेला वक्ता हूं, और मुझे इस सभा में बोलने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदया : आपकी पार्टी को सात मिनट का समय आवंटित था किन्तु आपने पहले ही दस मिनट से अधिक समय ले लिया है। आप दो मिनट और अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

प्रो० एम० रामदास : महोदया, मैं जानता हूं कि आपको मुझसे सहानुभूति हैं। आप एक दयालु महिला हैं।

लोगों का कहना है कि यह अभिभाषण कोरे वायदो का पुलिंदा है। कृपया महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट के एक-एक शब्द को देखें। जो महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है बजट उसे ठोस बनाता है। उन सभी कार्यक्रमों, जिनका उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में था, उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा बजट में व्यावहारिक रूप दिया गया है। भारत निर्माण यहां परिलक्षित होता है; सर्वशिक्षा अभियान यहां परिलक्षित होता है; इसमें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिलक्षित होता है; और इन सबके लिए आवंटन किए गए है। अत: यह अभिभाषण सच्चे मन से की गयी प्रतिबद्धता को वास्तविकता में अनूदित करता है।

मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने की गई घोषणाओं और की गई कार्यवाई पर एक सुन्दर नोट तैयार किया है। यदि आप पिछले वर्ष अर्थात 2006-2007 के बजट देखें तो उन्होंने 73 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

अब तक 42 घोषणाएं वास्तविक रूप से क्रियान्वित की गई है; पर घोषणाओं के मामले में कार्रवाई की गई; 22 मामलों में आंशिक कार्रवाई की जा रही है; पांच मामालों में कार्रवाई की जा रही है; और चार मामलों में प्रगति की निगरानी की जा रही है। सभी घोषणाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। अत: महोदया, यह कहना ठीक नहीं है कि यह अभिभाषण कोरे वायदों का पुलिंदा है।

हमें राष्ट्रपति का आभारी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस का सही निरूपण किया है कि मुद्रस्फीति क्या है और मूल्य वृद्धि क्या है। इस सभा में किसी ने किसानों की आत्महत्याओं और मूल्य वृद्धि को आपस में जोड़ने का प्रयास किया है। मैं आर्थिक तर्काधार को नहीं समझता और यह आर्थिक सिद्धांत कहां से आया है- चाहे यह पश्चिमी देशों अथवा पूर्वी देशों से आया हो, मैं नहीं जानता। हो सकता है, किसानों द्वारा आत्महत्याएं बढ़ते मूल्यों का परिणाम हो, किन्तु यह बढ़ते मूल्यों के कारण नहीं हो सकती। मूल्य वृद्धि का कारण मांग और आपूर्ति बलों के मध्य असमानता है। आज मुद्रास्फीति है क्योंकि कुछ वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मांग क्यों बढ़ रही है? यह विकास की रफ्तार के कारण है जो हमने दी है। देश में विभिन्न परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे है और वे लोगों के हाथों में क्रेता शक्ति बन जाते हैं। बहुत अधिक पैसे बहुत कम सामान खरीदे जाने से मूल्यों में वृद्धि होती है। नि:संदेह, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सरकार को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना होगा, किन्तु हम राष्ट्रपति को इसका दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने मांग और आपूर्ति ताकतों के बारे में बात की है; जो एक सही व्यवस्था है।

सभापति महोदया : प्रो. रामदास, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है। आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करने का प्रयास करें।

प्रो० एम० रामदास : उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण कारक को भी रेखांकित किया है जो आज देश में प्रत्येक अर्थशास्त्री की चिन्ता है। उन्होंने कहा:

> "आर्थिक वृद्धि अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, अपितु यह रोजगार अवसरों को सृजित करने तथा आप और क्रय शक्ति का एक साधन मात्र है।

आर्थिक वृद्धि का यही सही तरीका है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी वृद्धि दर 9 प्रतिशत होने के बावजूद हम रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे हैं। आज सभी लोग रोजगार की तलाश में है, सभी लोग आय बढ़ाकर अपनी क्रय शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। यह कृषि, उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र की वृद्धि प्रक्रिया से प्राप्त नहीं की जा सकती है तो यह वृद्धि अर्थहीन है। अब राष्ट्रपति जी ने बड़े स्पष्ट और बेबाक ढंग से कहा है कि वृद्धि के साथ-साथ आय और रोजगार अवसरों में भी वृद्धि होना आवश्यक है।

उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि आज देश में जिस प्रकार विभिन्न तनाव व्याप्त है उसके लिए मानवीय रवैया अपनाना आवश्यक है। यह बात उनके अभिभाषण के पृष्ठ 14 से स्पष्ट होती है जिसमें उन्होंने कहा है कि:-

> "हमारी सरकार आतंकवादी और उग्रवादी ताकतों के विरूद्ध अत्यधिक सर्तकता बरतने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने को सर्वोच्च महत्व देती है कि सभी एजेंसियां अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी मूलभूत मानवाधिकारों का सम्मान करें।"

अत: वे देश में सहानुभूतिपूर्ण कदम उठाने का आवाहन कर रहे हैं ताकि यहां भाईचारा, विचारों की एकता और अन्य बातें कायम हो सकें।

मैडम मेरी अंतिम बात यह है कि उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए जल संबंधी मुख्य विवाद का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि यह देश का एक विवादपूर्ण मुद्दा है। यह संसद एक राष्ट्रीय संसद है और इसे राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करना है। वे भारत के राष्ट्रपति है और ये केवल राष्ट्रीय मुद्दों का उल्लेख करेंगे। अत: हम उन पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने अपने अभिभाषण में जल विवाद अथवा जल से संबंधित इस समस्या अथवा उस समस्या का उल्लेख नहीं किया है।

हमारे मित्रों ने यहां कहा है कि वे नियम 193 के अधीन चर्चा करना चाहते हैं। आप नियम 193 के अधीन चर्चा नहीं कर सकते हैं। अत: यह उनकी अपनी सूझबूझ थी कि उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया *(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : हम केवल सरकार को दोषी ठहरा रहे है।

प्रो० एम० रामदास : हालांकि सरकार प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसे पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों पर ध्यान देना चाहिए। इसके

[प्रो० एम० रामदास]

लिए मेरा सुझाव है कि सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में एक संसदीय समिति गठित करें। इसका निश्चितरूप से गठन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का सांविधिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसे और अधिक अनुदान देना चाहिए ताकि यह कार्यक्रमों पर निगरानी रख सके और पिछड़े वर्गों के विकास की गति को बढ़ा सके।

हमारी जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंयकों की 95 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यदि इस कल्याण को बढ़ावा देना है तो सरकार को असमान व्यक्तियों पर असमान ध्यान देना चाहिए ताकि हम आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकें। मेरे विचार में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इस दिशा की ओर ही इंगित करता है।

[हिन्दी]

*श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : विगत 23 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के समक्ष जो अभिभाषण प्रस्तुत किया, उसमें कोई नई चीज देखने को नहीं मिली है। वैसे तो इस अभिभाषण को सरकार ने अपने मनमाफिक तैयार किया है और अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की है, लेकिन जिन ज्वलंत समस्याओं के समाधान में वह विफल रही हैं उसे स्वीकार करने की तनिक भी ईमानदारी नहीं दिखाई है। अभिभाषण में जिन समस्याओं व मुद्दों का उल्लेख है उसमें बार-बार सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प की चर्चा तो की गयी है, लेकिन उसके समाधान का क्या ठोस उपाय किया जा रहा है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसे अभिभाषण के पैराग्राफ - 4 में मुद्रास्फीति और मंहगाई के बढ़ने की बात तो स्वीकार की गयी है, लेकिन इसे विकास और निवेश में हुई तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप लोगों की बढ़ रही आमदनी के नकली आवरण में लपेटने की असफल चेष्टा की गई है। इसमें कहा गया है कि पिछले 8 सप्ताहों के दौरान सरकार ने मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए अनेक राजकोषीय तथा आर्थिक कदम उठाए हैं, परन्तु यह स्वीकार करने का साहस नहीं जुटाया गया है कि इस दौरान मुद्रास्फीति की दर घटने के बजाय बढ़ी है। इसमें आगे कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए है। अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए था कि इस दिशा में सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं और उसका नतीजा क्या निकला है। सरकार को स्वीकार करना चाहिए था कि आज मंहगाई के चलते देश के करोड़ो गरीब लोगों को दो जून की दाल रोटी नसीब नहीं हो रही है। सब्जी खाने का तो वे सपना भी नहीं देख सकते। अभिभाषण के पैरा 6 में जिन 9 बड़ी चुनौतियों के पहचान की बात कही गयी है उसमें रोजगार ढांचे में बदलाव और नयी नौकरियों का सृजन भी है। इन चुनौतियों से निपटने का विश्वास तो जताया गया है लेकिन क्या तरीका होगा इसकी चर्चा नहीं है। इसमें इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रतिवर्ष कितने युवकों को नौकरियां दी जायेंगी। इस पैरा में यह जोड़ा जाना चाहिये कि सरकार यह कानून बनायेगी अथवा ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि जब तक शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उत्तर प्रदेश की तरह राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

इसी प्रकार पैरा 12 में सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न आहार कार्यक्रम की चर्चा की गयी है परन्तु शिक्षा के लिये आबंटित निधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए किसी ठोस उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है। पूरे देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की भी चर्चा अभिभाषण में नहीं है।

मैं मांग करता हूं के देश के प्रत्येक विकास खंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा इसमें जोड़ दी जाये। इसके साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित कराये जाने का उल्लेख भी अभिभाषण में जोड़ा जाये। साथ ही उत्तर प्रदेश की भांति पूरे देश में इंटर पास छात्राओं, महिलाओं के गरीबी रेखा के परिवारों को बीस हजार रूपया का कन्या विद्या धन के तहत चैक दिया जाये, जिससे शिक्षा क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें। अभिभाषण के पैरा 13 में कहा गया है कि कुपोषण उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है जिसके लिए आंगनबाड़ियों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। परन्तु इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि देश की लगभग 13 लाख आंगनबाड़ी कार्यक्रमी और उनकी सहायिकायें जो अत्यंत अल्प मानदेय पर कार्य कर रही हैं उन्हें कब तक वेतन भोगी कर्मचारी घोषित किया जायेगा तथा इनकी मांगों पर विचार के लिए जो समिति गठित की गयी थी उसने 31 दिसम्बर 2006 को अपनी जो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी, उस पर कब तक निर्णय लिया जायेगा। इसी प्रकार पैरा 15 में कहा गया है कि समय पर लिये गये और उपर्युक्त निर्णयों से गन्ना किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है और गन्ने की बकाया धनराशि अब तक के सबसे कम स्तर पर आ गयी है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि

*भाषण मध्य पटल पर रखा गया।

इसमें भारत सरकार का कितना योगदान है। इसी प्रकार इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि भारत सरकार के अधीन संचालित होने वाली जो चीनी मिलें वर्षों से बंद पड़ी हैं और जिनमें करोड़ों रूपये की संपत्ति लावारिस पड़ी हैं और उन्हें फिर से चालू कराने के लिये क्या उपाय किये जा रहें हैं। साथ ही इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर लागत खर्च के आधार पर लाभकारी मूल्य पूरे देश के लिए एक समान घोषित किया जायेगा। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की जर्जर और पुरानी हो गयी चीनी मिलों के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने का भी अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 18 में यह भ्रामक आकंडा प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2005-06 कृषि विकास की दर 6 प्रतिशत रही जबकि वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार की उदासीनता के चलते पिछले कई वर्षों से कृषि विकास की दर एक से लेकर दो फीसदी के बीच झूल रही है। इसी प्रकार विपणन माध्यमों में सुधार लाने तथा किसानों को बेहतर लाभ देने की बात तो कही गयी है लेकिन इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि खुदरा बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों के प्रवेश पर रोक लगाया जायेगा।

मान्यवर, अभिभाषण के पैरा 29 में कहा गया है कि सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नये निवेश को प्रोत्साहित करेगी। परन्तु इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उत्तर प्रदेश के दादरी में स्थापित होने वाले गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयत्र को गैस की आपूर्ति में उत्पन्न बाधा को भारत सरकार समाप्त करायेगी ताकि उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्य विद्युत आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। इसी प्रकार पैरा 35 में कहा गया है कि बुनकरों की सहायता के लिए एक केंद्रित व्यवस्था की गयी है परन्तु उन्हें सस्ता धागा उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

अत: में, मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिन बिंदुओं की ओर मैंने इशारा किया है जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है, उन्हें जोड़ दिया जाये।

*श्री वी०के० थुम्मर (अमरेली) : महोदया, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश की समस्याओं का जिक्र किया है और उसके लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का जिक्र किया है अगर हम इस पर ईमानदारी से काम करें तो हम नि:संदेह कई समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।

देश में किसान आज बहुत ही दुखी हैं क्योंकि उसको उसकी उपज की लागत भी नहीं मिल पा रही है जिसके कारण वह आज कृषि कार्य को करना पसन्द नहीं कर रहा है। इससे हमारे देश में कृषि उत्पादन कम हो रहा है हालांकि देश में नौ महीनों से अनाजों के दाम बढ़े हैं और सब्जी के दाम भी तिगुने हो गये हैं परन्तु किसानों को इस बढ़े मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है सारा का सारा प्रोफिट दलालों और व्यापारियों की जेब में जा रहा है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि महामहिम जी ने इस मंहगाई पर काफी चिंता व्यक्त की है परन्तु इसके लिए सार्थक कदम नौकरशाही द्वारा नहीं उठाये जा रहे हैं जो निंदनीय हैं। किसानों को 7 प्रतिशत पर ऋण दिये जाने का स्वागत है परन्तु इसे लागू भी किया जाये। आज देश में 2000 रूपये बैंक का लोन अगर किसान नहीं दे पाता है तो उसकी जमीन की कुर्की कर ली जाती है जबकि आज देश में 45 हजार करोड़ बैंकों का बड़ी-बड़ी कम्पनियों पर लोन बकाया है लोन का पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा है। बैंक आफ बड़ौदा की एक शाखा जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है वह किसानों के साथ मनमानी कर रही है ऋण का पैसा वापिस हो गया है और समझौता भी हो गया है परन्तु इस बैंक ने फिर मामले को न्यायलय में डाल दिया है। बैंक किसानों के खिलाफ ही कार्यवाही क्यों करते हैं बड़े-बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों नहीं करते है। इसमें सरकार की साख गिरती है।

मेरे गुजरात में किसानों पर बिजली वितरण कम्पनियां बहुत जुल्म ढा रही है उनकों हजारों रूपये के बिल दे रही है और इन बिल का आकलन किस तरह से हो रहा है लगता है अपने लाभ के लिए किसानों का शोषण कर रहे हैं कई जगहों पर तो किसानों को इन बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा जेल भेजने की धमकी दी जाती है। सरकार के जो कानून है और नियम है उनको नौकरशाही ठीक ढग से लागू नहीं करती है वे केवल कुछ उद्योगपतियों की सेवा करती है और उनके लाभ के लिए इन कानूनों का और नियमों का प्रयोग करती है। सरकार को ऐसे नौकरशाहों का पता लगाकर उन्हें तुरंत लोकहित में सेवा मुक्त करना चाहिए। इसी तरह से दिल्ली में जो प्राईवेट बिजली वितरण कम्पनियां हैं वह बिजली की चोरी अपने ठेकेदारों से करवा रही है और मीटरों में गड़बड़ इनके ठेकेदार के लोग कर रहे हैं परन्तु मीटर में गड़बड़ का आरोप बिजली उपभोक्ताओं पर लगा रही है और हमारे देश के विद्युत मंत्रालय के लोग सोए हुये हैं। अभी हाल ही में एक माननीय न्यायलय ने मीटर की खराबी को बिजली

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री वी०के० दुम्मर]

चोरी का परिभाषा से बाहर रखा है। जब यह प्राइवेट बिजली वितरण कम्पनियां मीटर गड़बड़ को चोरी मान रही है इन कम्पनियों के खिलाफ विद्युत मंत्रालय के लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया गया है। यह शंका पैदा करती है कि विद्युत मंत्रालय के कई भ्रष्ट अधिकारी इन शोषणकारी और मनमानीपूर्ण कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे यह प्राइवेट कम्पनियां मनमानी और शोषण कार्य करती रहे।

देश में कृषि विज्ञान केन्द्र जिलों में चल रहे हैं जो किसानों को नयी तकनीकी और उपायों को बताने के लिए परन्तु यह केन्द्र बेकार में भारत सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं इन केन्दों में क्या काम हो रहा है कौन सी तकनीकी नही आई है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यो की समीक्षा की जाये और निठल्ले बैठे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। मेरे अमरेली में कृषि विज्ञान केन्द्र एक सफेद हाथी है।

देश में वित आयोग स्थापित होते हैं जिसका गठन उद्योगपतियों और व्यापारियों में से होता है और नौकरशाही उनका साथ देते हैं और जब सरकार देश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करती है तो उद्योगपतियों और व्यापारियों से बातचीत की जाती है और किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाती है और इस वित्त आयोग द्वारा सांसदों के साथ भी कोई बातचीत नहीं की जाती है जिससे देश के किसानों की और ग्रामीण इलाकों की घोर उपेक्षा इस वित्त आयोग द्वारा की जाती है जो ठीक नहीं है।

आज देश में गई लोग न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और न्यायालय में जिस तरह से निर्णय हुए हैं उससे भारत सरकार और राज्य सरकारों की काफी किरकिरी हुयी है इसका मुख्य कारण हमारे देश के अधिकारी और नौकरशाहों का उत्तरदायी नहीं होना है। उनमें किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह समाचार पत्रों में देखा जा सकता है। यह सदन के कानूनों और सदन के पास किये समय समय जो कानून है उनको पालन सही ढंग से नहीं करते हैं उसको इस ढंग से लागू किया जाता है कि देश का किसान और गरीब और मजदूर को लाभ नहीं होता है उसके बदले देश के उद्योगपतियों को लाभ होता है जबकि कानून हम गरीब और मजदूर और किसानों की दशा सुधारने के लिए बनाते हैं। जरूरत है कि ऐसे नौकरशाही की पहचान की जाये। मेरा तो सुझाव है कि देश के जो आई०ए०एस० और आई०पी०एस० हैं इनके कार्यों की समीक्षा हर साल की जाये और इसके लिए एक कमेटी बने है और जिनको 50 प्रतिशत से कम नंबर आये हैं उनको सेवा से मुक्त किया जाये। आजकल इन वर्गों में लाभकारी क्षेत्रों के पदों पर काम करने की प्रवत्ति बढ़ रही है जिसके कारण इन क्षेत्रों में प्रतिभासम्पन्न एवं कुशल और इसी क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तियों को इन पदों से हटाया जा रहा जिसका यह प्रभाव है कि इन क्षेत्रों में लाभ कम होता जा रहा है। पोर्टस, बैंकिग, शिक्षा कल्याणकारी कार्य उद्योग और व्यापार संबंधी एवं निर्माणकारी कार्यों में आई०ए०एस० और आई०पी०एस० की कोई जरूरत नहीं है परन्तु इन पर यह लोग पदास्थापित हो रहे हैं। जबकि आई०ए०एस० और आई०पी०एस० का कार्य जिलों में कानून व्यवस्था ठीक करना है।

भ्रष्टाचार के संबंध में इस सदन को बताना चाहता हूं सभी सांसद मित्र जानते हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में जो मामले लाये जाते हैं उन पर यह अधिकारी मिलकर उनको रफा दफा कर देते हैं। इस संबंध में संसद की एक कमेटी भी बननी चाहिए जो सांसद द्वारा लाये गये भ्रष्टाचार की जांच करे क्योंकि जब सांसद भ्रष्टाचार के संबंध में मंत्रीगणों को पत्र लिखते हैं तो उनकी पावती भी नहीं दी जाती है और न ही उनको संसद के नियमानुसार अंतिम जवाब से अवगत करवाया जाता है। इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

*श्री मुंशी राम (बिजनौर) : महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए मुझे कहना है कि उत्तर भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कृषि आधारित क्षेत्र हैं, यहां की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है। कृषि के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपया अनुसंधान एवं फर्टिलाइजर अनुदान पर खर्च करती आ रही है परन्तु आज भी किसान मजबूरी में खेती कर रहा है। अधिकांश छोटे किसान अपनी जमीन को बेचकर मजदूरी करने लगे हैं, अर्थात सरकार द्वारा अनुसंधान पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद कृषि वैज्ञानिक ऐसी खोज नहीं कर पाये, जिससे किसान को उसकी लागत के अनुपात में उसकी फसल का मुनाफे वाला मूल्य मिल सके। सरकार को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

प्रदेश के कुल राजस्व का 70 प्रतिशत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाता है। उस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज का ब्यौरा इस अभिभाषण में नहीं किया गया। इस क्षेत्र के किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में दो तीन घंटे एवं शहरी क्षेत्रों में 6-8 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है, जिसके अभाव में किसान को 34 रूपये

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रति लीटर का डीजल प्रयोग करके फसलों की सिंचाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार लघु उद्योगों की हालत भी संतोषजनक नहीं है।

कृषि को लाभकारी बनाने के लिए इस क्षेत्र की जमीन काफी उपजाऊ हैं। ऐसी जमीन पर नहर एवं टयूब वैलों के माध्यम से फसलों की सिंचाई के लिए कम से कम 20 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति अच्छे बीज, सस्ती दरों पर खाद मुहैया कराने की जरूरत है। जिन क्षेत्रों में नहरों को नहीं पहुंचाया जा सकता हैं, वहां अधिक से अधिक टयूब वैल लगाकर खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त पैकेज की आवश्यकता है।

यह क्षेत्र अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है। यह क्षेत्र शिक्षा में भी काफी पिछड़ा हुआ हैं, भले ही सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के तहत 2000 उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय खोले गये हैं, परन्तु महामहिम के भाषण में इस क्षेत्र के लिए बालिका विद्यालय खोले जाने का कोई जिक्र नहीं है। अर्थात् इस क्षेत्र में केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय अधिक खोले जाने की आवश्यकता है। मौजूद समय से इस क्षेत्र के प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों की हालत दयनीय है। इनमें बच्चों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त नहीं किये गये हैं, अर्थात हमने भवन बनाने पर तो धन व्यय किया परन्तु शिक्षा दिलाने वाले अध्यापक नियुक्त नहीं किये, जिसके कारण दूर-दराज के क्षेत्रों में 300 से 400 बच्चों को पढ़ाने हेतु केवल एक या दो अध्यापक मात्र हैं। ऐसी दशा में बच्चे कैसे शिक्षित होंगे।

स्वास्थ्य के मामले में भी इस क्षेत्र में लखनऊ के पश्चात 450 किमी. की दूरी पर मेरठ में एक मेडिकल कॉलेज है। इसकी भी हालत ठीक नहीं है। गरीबी एवं मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में कराने के लिए अपना मकान एवं जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे डाक्टर एवं स्वास्थ्य केन्द्र हैं ही नही नहीं। इनके आसपास कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। सरकार अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। इसमें कम से कम इस प्रकार के चार मैडिकल कॉलेज अलग-अलग क्षेत्रों में खोले जाने की आवश्यकता है जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

शहरों के लिए तो सरकार द्वारा नवीनीकरण योजना के तहत विशेष पैकेज की बात कही गयी है परन्तु छोटे कस्बों एवं नगरों के बारे में सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों का बड़े शहरों की ओर पलायन रूक सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम सरकार द्वारा 200 से बढ़ाकर 330 जिलों में किया गया है। इस योजना को किन-किन जिलों में लागू किया गया है। क्योंकि यह क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। इसमें अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक गरीबी है। इसे पूरे क्षेत्र में लागू किये जाने की आवश्यकता है।

महामहिम राष्ट्रपति जी, देश में फैल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस योजना बनायी गयी है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भ्रष्टाचार की हालत यह हो गयी है कि एक-एक जिले में अधिकारियों द्वारा 50 लाख रूपये से लेकर एक करोड़ रूपये प्रतिमाह कमाने की होड़ बन गयी है। जिसका मुख्य कारण सरकार के पास अपने अधिकारियों की निगरानी के लिए अलग से कोई विभाग नहीं है जो यह देख सके कि काला धन लोग किसा प्रकार से इकट्ठा कर रहे हैं और उसका प्रयोग कब और कहां हो रहा है। काले धन का ही कारण है कि आज मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने सर छिपाने की जगह हासिल नहीं कर सकता। आवासों की कीमत 30, 50, 100 लाख रूपये है। जिन आवासों में चार पांच लाख रूपये की ईंट, सीमेंट, सरिया, लकड़ी आदि लगी है, काले धन के कारण उनकी लागत काफी अधिक हो चुकी है। जिस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भारतीयों को सरकार केरोसिन, गेहूं, चावल आदि के माध्यम से 25 से 30 हजार करोड़ रुपया अनुदान के रूप में देती है। परन्तु यह अनुदान अधिकांशत: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस अनुदान को सरकार सीधे गरीबी भत्ते के रूप में क्यों नहीं देती। जिस गरीब के नाम पर हम यह पैसा खर्च करते हैं, उसे हम सीधे न देकर काले धन के रूप में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों एवं लोगों को दे रहे हैं, अर्थात गरीबों को दिये जाने वाले अनुदान को बैंक के माध्यम से सीधा गरीबों को दिये जाने के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है। यदि यह धन गरीबी भत्ते के रूप में सीधे गरीब को देंगे, तो यह धन प्रवाह में आयेगा अन्यथा यह धन काले धन के रूप में इकट्ठा होगा।

महंगाई को समाप्त करने हेतु सबसे पहले सरकार खाद्य सामग्री को वायदा बाजार से मुक्त करे। गरीबों को अनुदान सीधा बैंक के माध्यम से दे एवं प्रतिदिन उपयोग की वस्तुओं को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु अपने बिक्री केन्द्र खोले, तभी मंहगाई पर हम काबू पा सकते हैं। बाजार में अधिक दामों पर बिक रही वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने का यही सही रास्ता होगा। जितना भी हम

[श्री मुंशी राम]

कानूनी प्रतिबंध लगायेंगे, उससे मूल्य निर्धारण नहीं होगा। उससे अधिकारियों की अवैध वसूली बढ़ जाती है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उपरोक्त बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे गंभीरता से लिया जाये क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह पश्चिमी क्षेत्र देश का अग्रणी गन्ना एवं चीनी उत्पादक क्षेत्र है। इसके लिए यह क्षेत्र को अतिरिक्त बजट आबंटित किया जाये, ताकि जो जनता सबसे अधिक राजस्व देती है, उसे भी सुविधा प्रदान हो सके।

[अनुवाद]

*श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदया, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूं। महोदय, राष्ट्रपति जी ने यह उल्लेख किया है कि हम चालू वर्ष में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर लेंगे और यह ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष हेतु अच्छा संकेत है। तथापि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु विशेषकर दैनिक खपत के उत्पाद की मांग के मद्देनजर, आपूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए और यह संकेत दिया गया है कि इसके फलीभूत होने में कुछ समय लग सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इन उत्पादों की आपूर्ति में अविलंब वृद्धि करे और मूल्यों में और वृद्धि को हर हालत में रोका जाए। मूल्य वृद्धि आम व्यक्ति के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है।

ग्यारहवीं पंचवर्षी योजना के दृष्टिकोण पत्र में अर्थव्यवस्था के समक्ष नौ बड़ी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है और कृषि क्षेत्र को पुन: गतिशील बनाना इसमें से एक है। जैसाकि मीडिया में प्रतिदिन प्रकाशित हो रहा है कि देश के कुछ भाग में किसानों द्वारा आत्महत्यायें की जा रही हैं सरकार को इसे रोकना चाहिए। कृषि क्षेत्र को पुन: गतिशील बनाने की दिशा में सरकार का यह प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्त्तव्य होना चाहिए।

ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन, ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कार्यान्वयन में पिछड़ने वाले राज्यों के संबंध में केन्द्र सरकार को लोगों के कल्याण हेतु इन परियोजनाओं में गति लाने के उद्देश्य से उन पर दबाव देना चाहिए।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरू, नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देश के प्रत्येक भाग में पहुंचे।

यह कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महत्वपूर्ण विधान अधिनियम किय गया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम को इसके उचित परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित किया जाए ताकि इस देश की महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार न हों और पुरुष वर्ग भी इस अधिनियम के अंतर्गत झूठे ढंग से प्रताड़ित न किए जाएं

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि देश में उच्चतर शिक्षा की लागत में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है अत: लोग विशेषकर निम्न आय और मध्यम वर्ग के लोग, प्रतिभावान होने के बावजूद भी उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को देश में निम्न आय और मध्यम वर्गीय लोगों की उच्चतर शिक्षा की आवश्कताओं को पूरा करने हेतु विशेषरूप से कोई कोष अथवा प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए। उक्त कोष प्राधिकरण द्वारा योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने के साथ-साथ अत्यंत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय कृषि नवीनता परियोजना (एनएआईपी) तत्काल शुरू की जानी चाहिए और सरकार को नारियल, चाय, काफी जैसी फसलों को पिछले एक दशक से मुश्किलों का सामना कर रही हैं, की उत्पादकता में सुधार करने हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिए। कृषि ऋणग्रस्तता की समस्या का अध्ययन कर रहे विशेषज्ञ समूह को शीघ्रतापूर्वक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देनी चाहिएं, जिससे कि किसानों को बचाया जा सके। द्वितीय हरित क्रांति लाने की नितांत आवश्यकता है। तथापि किसानों जो इन क्रांतियों का आधार होते हैं, को सभी प्रकार से सुरक्षा दी जानी चाहिए। नई पुनर्वास नीति को भू-अर्जन अधिनियम में त्वरित रूप से संशोधन करके तैयार किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति जी द्वारा मौसम में परिवर्तन और विश्वभर में इसके बढ़ते हुए तापमान का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में इंटरनेशनल पेनल आन क्लाइमेंट चेंज (आईपीसीसी) के चौथे मूल्यांकन रिपोर्ट जिसे 500 अग्रणी लेखकों और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है, यह उल्लेख किया गया है कि भारत विश्व भर में ग्रीन हाऊस से निकलने वाली कार्बन डायक्साइड के स्त्रोत का एक प्रमुख देश बनेगा, यदि इस संबंध में त्वरित रूप से सुरक्षोपाय नहीं किए गए। रिपोर्ट में विश्व के प्रथम जीव द्वीप सुंदरबन और कई अन्य द्वीपों की भूमि के जल

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में डूबने का अनुमान लगाया गया है और इसका उल्लेख किया गया है कि यदि इसके स्तर में इसी प्रकार की वृद्धि जारी रही तो आम द्वीपों का भी यही हाल होगा। तथापि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया। सुन्दरबन इस ग्रह का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसमें विशाल गरान वन, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर्स, नेशनल पार्क है और इस पार्क में विभिन्न प्रकार के अनेक जंगली जानवर हैं। यह क्षेत्र दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अत: सरकार को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और इस संबंध में त्वरित उपचारात्मक कदम उठाने पर विचार करना चाहिए।

वन्य जीव के बारे में कहा गया है कि सरकार ने टाइगर टास्क फोर्स (टाइगर कृतिक बल) की सिफारिशों के आधार पर अभयारण्यों तथा टाइगर संरक्षण प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों के गठन के लिए भी कुछ सुधारात्मक कदम उठाए है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि जंगली जानवरों के प्रति अपराधों से जंगली जानवरों को कोई मोहलत नहीं मिली है। सुन्दरवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है जिसमें एक नेशनल पार्क भी है जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर्स शामिल है। तथापि, सुन्दरवन की वर्तमान हालत विकसित/विकासशील देशों में मौजूद किसी पार्क अथवा रक्षित अभयारण्य की स्थिति जैसी नहीं है इस अभिभाषण में सुन्दरवन वन्यजीव की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।

सामाजिक न्याय क्षेत्र में यद्यपि सरकार दावा करती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु भरे न गए आरक्षित पदों की पिछली बकाया रिक्तियों को भरने में पर्याप्त प्रगति हुई है और शेष पद भरने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। तथापि, वास्तव में ऐसा नहीं है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए हजारों रिक्तियां अभी भी भरी जानी शेष है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार द्वारा शुरू की जा रही कार्य योजना/निर्धारित किए गए लक्ष्यों का कोई उल्लेख नहीं था।

यह भी बताया गया है कि सरकार पारम्परिक और नवीकरणीय संसाधनों दोनों से ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत के प्रति सचेत है। यह भी बताया गया है कि देश में अत्यधिक जल विद्युत क्षमता का उपयोग किया जाएगा। तथापि, सरकार ने सुन्दरबन नदी की प्रचुर ज्वार भाटीय तरंगों की शक्ति का पता लगाने के लिए विश्व की सबसे पहली ज्वारभाटीय परियोजना अर्थात दुर्गानदआनी मिली टाइटल प्रोजेक्ट दुर्गानदआनी लघु ज्वार भाटीय परियोजना की स्थापना करने में कोई रूचि नहीं दिखाई है। सुन्दरबन द्वीपों का समूह है और अधिकतर द्वीप घने हैं दिन के समय भी घने गरान वनों के कारण, वहां पारम्परिक ऊर्जा आपूर्ति का पहुंचना कठिन हो रहा है। तथापि, सरकार को सुन्दरवन की ऊर्जा समस्याएं कम करने के लिए प्राकृतिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में दुर्गानदआनी मिनी टाइटल प्रोजेक्ट सुन्दरबन के लिए अत्यधिक लाभदायक होगी और सरकार को इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपने प्रयास करना चाहिए

इसी प्रकार पर्यटन क्षेत्र में राष्ट्रपति जी ने परिस्थिति-पर्यटन की पर्यटन की अत्यधिक क्षमता के बारे में कोई उल्लेख नही किया। परिस्थिति की पर्यटन के लिए सुन्दरबन बहुत उपयुक्त स्थल है और इसे और अधिक विदेशी, पर्यटकों को आकृष्ट करने तथा देश में विदेशी मुद्रा लाने के उद्देश्य से परिस्थिति की पर्यटन स्थल के रूप में घोषित और विकसित किया जाना चाहिए और यह इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में दो-तीन प्वाइंट्स कहना चाहती हूं। मैं सबसे पहले उनकी सोच की गहराई के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने नौ चुनौतियों की बात कही है जिसमें कृषि में पुन: गतिशीलता और निर्धनों को आवश्यक जनसुविधाएं मुहैया कराने की बात कही है। इसके अलावा और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्वाइंट्स थे जैसे पर्यावरण आदि। मैं कृषि में पुन: गतिशीलता के बारे में कुछ कहूंगी, हमने यह बात कही है कि कृषि में पुन: गतिशीलता प्राप्त करें, मेरा प्रश्न यही है कि यह हम किस तरह से करेंगे? यह सच्चाई है कि हमारी आजादी को साठ साल हो गए हैं, हमने बहुत सी प्लानिंग की और बहुत सी योजनाएं बनाई, अरबों-खरबों रुपए गांव, क्षेत्रों और राज्यों में जा रहे हैं, यदि आप किसी क्षेत्र या गांव में जाएं तो आज भी गरीब का बच्चा बिना कपड़े के है, उसकी छोटी-छोटी जरूरतें आज भी वही हैं, आज भी उन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, आज भी इंदिरा आवास के तहत मकान नहीं मिल रहे हैं, आज भी उसे लाल कार्ड नहीं मिल रहा है। आज भी चाहे अंत्योदय योजना हो या अन्नपूर्णा हो, चाहे जो भी स्कीम हो वह जिन गरीबों के लिए बनी है, उन्हें नहीं मिल रही है। आज किसान की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? उन्हें कम से

[श्रीमती रंजीत रंजन]

कम सही वक्त पर खाद मिल जाए, उसकी कालाबाजारी न हो, सही वक्त पर अच्छे बीज मिल जाएं। अभी कुछ समय पहले बिहार में ओला पड़ा था, उससे पहले वहां गेहूं में बीज सिर्फ इसलिए नहीं हुए क्योंकि बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। हमारे पास पानी नहीं है, पानी की बात दूसरी तरह से लें तो बिहार में कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा होता है, हमारे यहां कैनाल की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास प्लानिंग है लेकिन हमारे पास नहरें तक नहीं हैं ताकि बाढ़ के पानी को बचा सकें। किसान को सही वक्त पर लोन नहीं मिल पाता है, हम जनरल बजट और राष्ट्रपति जी के भाषण में किसानों के लिए दु:ख प्रकट करते हैं लेकिन आज भी सच्चाई यही है कि किसानों के लिए गांव में लोन लेना बहुत जटिल समस्या है। यदि हम सही मायने में गांव से जुड़ना चाहते हैं तो मैं 70 प्रतिशत लोगों की बात कहना चाहूंगी क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उनको आज तक कोई भी हक हम नहीं दिला सके हैं। इसके साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में निर्धनों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही है। आज भी इन्दिरा आवास के तहत वही रोना है कि पांच से दस हजार रुपए लिए जाते हैं और इसके बावजूद इन्दिरा आवास योजना के तहत जिसे लाभ मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता है। आज भी जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसका बीपीएल लिस्ट में नाम नहीं है, इसमें उसका नाम है जिसका नहीं होना चाहिए।

आज निर्धनों की तीन मांगें हैं- रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के नाम पर चाहे अंत्योदय या अन्नपूर्णा योजना हो, हमारी आंखों के सामने डीलर मार्किट में तीन रुपए का गेहूं, तीन रुपए का चावल छ: रुपए में बेच आता है लेकिन उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। आज वृद्धा पेंशन छ: महीने या साल में मिलती है, उनके लिए दो सौ रुपए चाहे सरकार ने बढ़ाए हों या राज्य सरकार ने बढ़ाए हों लेकिन आज भी उन व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है। हम लोगों की आंखों के सामने जिस व्यक्ति को हजार रुपए देने होते हैं, सौ रुपए पर अंगूठा लगवाकर नौ सौ रुपए रख लिए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारी मुख्य रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम जमीन पर आज भी नहीं उतार पा रहे हैं। राजीव गांधी जी ने कहा था एक रुपए में से पन्द्रह पैसे ही गांव में पहुंचते हैं। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, हम सोच सकते हैं कि हम अपने गांवों में निर्धनों तक कितनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं। यह सच्चाई है कि हमें और अतिरिक्त योजनाओं की जरूरत नहीं है, यदि यही योजनाएं उन गरीबों तक सही मायने में पहुंच जाएं तो कम से कम गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा। चाहे आज हम जितना ऊपर चले जाएं, चाहे हमारा साइज जितना डेवलप कर गया है, चाहे हम अंतरिक्ष में चले गए हैं लेकिन यहां नीचे इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है कि दिनोंदिन गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। आज तक हम इस दीवार को आज तक पाट नहीं सके हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि चाहे मिड डे मील हो, चाहे स्वास्थ्य मिशन हो, चाहे ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे श्रम विकास योजना हो। हमें बहुत खुशी हुई थी कि हम लोग श्रम विकास योजना को बिहार के 17 जिलों में लेकर गये, जिसमें हमारा भी एक जिला बढ़ा। लेकिन श्रम विकास योजना में जिस तरह की घोटालेबाजी और जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर यदि गांव के लोग विद्रोह करते हैं तो कहा जाता है कि प्रधान मंत्री जी से जाकर पूछे। इसी तरह मिड डे मील योजना के तहत आज बच्चों को जो भोजन मिल रहा है, उसके कारण बहुत सारी जगहों पर बच्चें बीमार पड़ते हैं। कहीं पर चावल है तो सब्जी नहीं है, कहीं सब्जी है तो चावल नहीं है। चावल और सब्जी उठाने के लिए टीचर्स जाते हैं।

सभापति महोदया : इसमें स्टेट गवर्नमैन्ट को देखना चाहिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : मैं इस बात को कहना चाह रही हूं, हमारी यही विडम्बना है कि हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। भारत सरकार स्टेट गवर्नमैन्ट पर थोपती है और स्टेट गवर्नमैन्ट भारत सरकार पर थोपती है। लेकिन हमारा ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं है कि हम उन लोगों तक इन चीजों का लाभ पहुंचा सकें। मेरी मांग यही है कि हम इस मुद्दे पर प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारा ऐसा कोऑर्डिनेशन बने कि हम कम से कम अपनी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा पायें। आज भी हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर सोचते हैं कि हमने अपना काम कर लिया। मैं कहना चाहती हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी सहित हर व्यक्ति की सोच अच्छी है, लेकिन कोई भी अकेला आदमी इन चीजों का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, जब तक कि हमारा कोऑर्डिनेशन सिर्फ स्टेट और सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट के बीच ही नहीं, बल्कि उस ब्लाक के बी. डी.ओ. के साथ भी रहे, उस मुखिया के साथ भी रहे, जो उन गरीबों को अनाज पहुंचा रहा है। अन्यथा ये बातें सिर्फ भाषण में ही रह जाती हैं। आप आज गांव जाइये, दरिद्र आज भी दरिद्र है और अमीर अपनी सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है।

मैं आपसे दो-तीन बातें कहना चाहती हूं कि आज हमारी आजादी को साठ साल हो गये हैं। मैं जिस कोशी क्षेत्र से आती हूं, हमारे प्रथम राष्ट्रपति, डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने उस कोशी एरिया में कहा था कि यदि हमारी एक आंख पूरे देश पर है तो दूसरी आंख कोशी को विडम्बना पर रहेगी। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि वहां आज से साठ साल पहले एक बांध बना था। उस बांध की बीच की लम्बाई 24 किलोमीटर होनी थी, जिसे घटाकर आठ किलोमीटर कर दिया गया। उस समय डा. राजेन्द्र प्रसाद जी और जवाहर लाल नेहरु जी ने कहा था कि हमारी एक आंख कोशी के लोगों की ओर रहेगी, जो बांध के अंदर आते हैं। लेकिन आज तक न उन्हें पुनर्वास मिला और न बंधुआ सिस्टम से मुक्त किया गया। बल्कि उनकी जो जमीन हर साल कट कर नदी में चली जाती है, वे आज तक उसका टैक्स भर रहे हैं। फिर हम किस आजादी और किन योजनाओं की बात करेंगे। मैं कहना चाहूंगी कि उस बांध के अंदर आज 15 लाख की पापुलेशन रह रही है। लेकिन आज भी जब वे नदी से पार आते हैं तो वे हर बार दस रुपये आने से और दस रुपये जाने के देते हैं। मैं चाहूंगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी और यू.पी.ए. सरकार का ध्यान इस ओर जाए। वहां पर बलुवाह पुल की बात बहुत बार आई। स्टेट ने कहा कि यह भारत सरकार का मैटर है, यह करोड़ों-अरबों का मैटर है। लेकिन आज तक वहां आवागमन के लिए सड़क नहीं बनी। आज भी 15 लाख की पापुलेशन वहां गरीबी में रह रही है।

मैं कहना चाहूंगी कि हमने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत ध्यान से सुना और सारी चीजें हमें अच्छी लगीं। लेकिन मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगी कि एक समस्या हमारी देश की भावी पीढ़ी के लिए बहुत गंभीर होती जा रही है। इसमें निठारी कांड का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। कल भी मैंने एक न्यूज देखी कि आज हमारे सरकारी स्कूल सैक्स के अड्डे बन गये हैं। मात्र तेरह साल की लड़की को टीचर बहलाकर सैक्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि भारत सरकार की एक ऐसी संस्था बननी चाहिए, जिसकी नजर सारी स्टेट्स में हर गुमशुदा और किडनैपिंग के मामले पर हो। आज गुमशुदा और किडनैपिंग के जो कानून हैं, उनमें संशोधन करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति जी ने समझौता एक्सप्रैस के बारे में सबसे पहले बोला, लेकिन निठारी कांड एक बहुत ही घटिया और शर्मनाक हादसा है और यह सिर्फ एक कांड नहीं है, बहुत जगहों पर ऐसे कांड हो रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल-बच्चे महफूज नहीं हैं। इस तरह की घटनाएं आज बहुत जगहों पर हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगी कि इस तरह की कोई एक सरकारी संस्था बने, जो हर स्टेट में देखे कि कितने बच्चे गुमशुदा हैं और कितने वहां गुमशुदा और किडनैपिंग के मामले लिये गये हैं, उन मामलों पर पूरी नजर रखे और इस समस्या पर पूरी गंभीरता के साथ विचार हो।

महोदया, राष्ट्रपति जी ने अंत में कहा कि शहरों और गांवों के बीच बढ़ती हुई असमानता को दूर करना है। उनके अभिभाषण की सबसे मूल और सबसे बड़ी बात यही है, इसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि आज जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, जब तक स्टेट्स और भारत सरकार में ब्लाक और प्रखंड तक एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, तब तक हम अपनी योजनाओं और विकास को गांव के उस निर्धन तक नहीं पहुंचा पायेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदया, संसद के दोनों सदनों में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण को सर्वोत्तम रूप से उन समस्याओं जिन समस्याओं का देश आज सामना कर रहा है, से निपटने हेतु वही एक पारंपरिक, नैमित्तिक अनन्तिम और दिखावे का प्रयास मात्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

मैं रसमी तौर पर कह रहा हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि माननीय राष्ट्रपति लगभग उन सभी मुद्दों का उल्लेख करना चाहते थे जिन्हें उन्होंने समझा कि उन्हें उल्लेख करना चाहिए; अथवा लोग कह सकते थे कि उन्होंने उनका उल्लेख नहीं किया है। नि:संदेह मेरे प्रतिष्ठित मित्र प्रो. रामदास ने तर्क दिया कि उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि संसद ऐसे मुद्दोंर से निपटने के लिए अधिक सक्षम है। यदि आप उस तर्क को आगे बढ़ाएं तो उस मामले में राष्ट्रपति के अभिभाषण का कुछ अर्थ नहीं होना चाहिए क्योंकि लगभग इन सभी मुद्दों का संसद द्वारा निपटाया जा सकता है। किंतु इस विशेष अभिभाषण में कुछ आवश्यक समस्याओं, कुछ ज्वलंत मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए था जिनका देश आज सामना कर रहा है।

यह अभिभाषण ऐसे समय में दिया गया था जब वस्तुत: भारत की गणना एक विश्व शान्ति के रूप में की जाती है।

यह कहानी का एक भाग है। दूसरी ओर घरेलू मोर्चे पर हम ऐसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं कि आम आदमी शालीन

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

ढंग से अपना जीवन जीने में अत्यधिक कठिनाई महसूस कर रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति जी को इसकी व्याख्या करनी चाहिए और सरकार को एक व्यापक कार्यनीति के साथ आगे आना चाहिए कि वह इन मुद्दों से किस प्रकार निपटने जा रही हैं।

मैं कुछ समस्याओं का उदाहरण दूंगा। सबसे बड़ीर समस्या कृषि है। वास्तव में कृषि संकट में है। किसान महसूस करते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए हैं और इस जीवन में वे किसान पैदा हुए हैं। कृषि में जो कुछ निवेश करते हैं उन्हें उसका एक भाग भी नहीं मिलता। इसीलिए वे कर्ज के बोझ से लदे जीवन की यात्रा आरंभ करते हैं पर उन्हें आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है।

वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही है। भारत के एक सौ चालीस जिले नक्सल प्रभावित हैं। कुछ दिन पहले ही हमने नक्सलियों की गोलियों से अपने एक प्रतिष्ठित साथी को खो दिया, और इसीलिए हमे कल एक दिवंगत आत्मा को श्रृंद्धाजलि देनी पड़ी। इन दो चीज़ो- कृषि के संकट में होने और-ग्रामीण अर्थव्यवस्था के धराशायी होने के कारण नक्सलवाद बढ़ रहा है।

भारत में बेरोजगारी भी पहले से बहुत अधिक बढ़ रही है। वास्तव में एनएस एसओ द्वारा इस बारे में एक अध्ययन किया गया है। यह उनके अध्ययन का छप्पनावां चक्र है; इस चक्र के बारे में ठीक प्रकार से आश्वस्त नहीं हूं, किंतु इसमें कहा गया है कि गत 15-20 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद रोजगार में ठोस वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में प्रसंगवश इस बात पर आऊंगा कि इस अभिभाषण में जनसंख्या का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा किसी चूक द्वारा नहीं है अपितु जानबूझ कर इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

बात यह है कि कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और नक्सलवाद सभी एक दूसरे से जुड़ी समस्याएं हैं; यदि हमें एक समस्या से निपटने की आवश्यकता हे तो हमें सभी समस्याओं से एक साथ निपटना होगा। यदि आपको इन समस्याओं से एक साथ निपटने की आवश्यकता है तो हमें एक व्यापक कार्यनीति की जरूरत है। काफी लंबे समय से सरकार ने मान लिया था कि नक्सलवाद कानून-व्यवस्था की स्मस्या है। इससे भी आगे यह भी कहा गया कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए राज्य सरकारों को इससे निपटना होगा। दुर्भाग्यवश, कम से कम अब केन्द्र सरकार कह रही है कि इससे निपटने की, यदि ज्यादा नहीं, तो थोड़ी-बहुत जिम्मेदारी हमारी भी है। किंतु नक्सलवाद, कृषि, बेरोजगारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से उचित रूप से निपटने की जरूरत है।

इसके लिए किसान आयोग नामक एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। एक ख्यातिलब्ध खाद्य वैज्ञानिक डा. एम.एस. स्वामीनाथन ने इसकी अध्यक्षता की। इस आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। नि:संदेह इस बारे में राष्ट्रपति के भाषण में और बजट, जो उसके पश्चात संसद में प्रस्तुत किया गया था, मैं भी कोई उल्लेख नहीं है। किंतु आयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, क्या कार्रवाई की जानी है और यह कार्रवाई कैसे की जानी है आदि। अत: इससे पता चलता है कि इस सरकार के पास देश को इन चार समस्याओं से निपटने के लिए दिशा, कल्पना और इच्छा शक्ति की कमी है।

रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे इस सभा द्वारा पारित किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या का समाधान करने में असफल रहा है जैसी कि आशा की गई थी क्योंकि यह आधे अधूरे मन से किया गया उपाय था और जिसमें उन तैयारियों का अभाव था जो इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले की जानी चाहिए थी। इसलिए, दुर्भाग्य से, हमने इसे जोर शोर से शुरू किया था परंतु हम इस कार्यक्रम के उद्देश्य को प्रापत करने में सफल नहीं हो सके।

किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। वास्तव में, 16,000 करोड़ रुपये का पैकेज, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, इस समस्या को हल करने में असफल रहा है। एक अत्यंत अच्छी वेबसाइट है जिसे विदर्भ जन आंदोलन समिति कहा जाता है जिसमें इस पैकेज की घोषणा के बाद प्रत्येक दिन की जा रही आत्महत्याओं का आंकड़ा दिया जाता है। पैकेज की घोषणा के बाद आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यह सूझबूझ कमी और वास्तविक समस्या के बारे में समझ न पाने की कमजोरी दर्शाती है। इसलिए, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वास्तव में हमें इस मुद्दे का समाधान करने की जरूरत है। हम नक्सलवादियों को राष्ट्र विरोधी कहकर नकार नहीं सकते हैं क्योंकिद वे इसी देश में पैदा हुए हैं जो वास्तव में किसी उद्देश्य को लेकर लड़ रहे हैं और इसलिए हमें इस कृषि संबंधी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और नक्सलवाद पर समग्र रूप से विचार करना है।

दूसरा प्रश्न मुद्रास्फीति के बारे में है मुद्रास्फीति ने उच्च स्तर के उन दस अथवा पांच प्रतिशत व्यक्तियों, जिन पर इस प्रकार की

समस्या का असर नहीं पड़ा है, को छोड़कर समाज के लगभग सभी वर्गों की क्रय शक्ति को समाप्त कर दिया है आम आदमी गरीब व्यक्तियों की क्रय शक्ति अनेक क्षेत्रों में 30 प्रतिशत तक कम हो गई है, विशेषकर खाद्यान्नों की कीमतों में हो रही वृद्धि के कारण वे गरीब व्यक्ति जिनके परिवार के बजट का 50 प्रतिशत खाद्यान्न पर खर्च हो जाता है पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा, जिस मुद्दे के बारे में साझा न्यूनतम कार्यक्रम में चर्चा की गई है, इसके कारण अत्यंत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसलिए, मुद्रास्फीति के इस मुद्दे पर अत्यावश्यक रूप से ध्यान दिया जाना है लेकिन इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है। इसमें केवल इस बात का उल्लेख है कि आपूर्ति में बाधा है। इसमें यह भी उल्लेख है कि मांग के अनुरूप आपूर्ति करने में समय लगता है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। भारत में मांग बढ़ रही हैं। योजना आयोग सदैव इस बात का अनुमान लगा रहा है कि वृद्धि कर 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक रहेगी। आप कैसे कह सकते हैं कि आज मांग में हो रही वृद्धि से आश्चर्यचकित हैं और इसलिए आपूर्ति के पर्याप्त होने में समय लगेगा क्योंकि इसका अनुमान पहले ही लगाया गया था? एनडीसी ने दसवीं पंचवर्षीय योजना को पांच वर्ष पहले मंजूरी दे दी थी। इसलिए, यह कहना कि हम इस पर आश्चर्यचकित हैं कष्टकारी है। इसलिए आपूर्ति में बाधा थी और यह एक कारण हो सकता है, यह सरकार के लिए मुद्रास्फीति को रोकने एवं नियंत्रित करने का कोई बहाना नहीं हो सकता।

वास्तव में, यह कठिन समस्या है जिसे देश के चालू लेखा घाटे में देखा जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि अब देश घरेलू मांग, जो बढ़ रही है, को पूरा करने के लिए और आयात कर रहा है। 'द इकोनामिस्ट' जो कि लंदन से निकलने वाली विश्व की एक अत्यंत प्रतिष्ठित पत्रिका है, में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत संकट में है और यह शीघ्र ही अत्यंत कठिन दौर से गुजरने वाली है। अत: मेरे विचार से मुद्रास्फीति को वास्तव में प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने की आवश्यकता है।

देश के बुनियादी ढांचों में अव्यवस्था है। राष्ट्रपति जी इसके बारे में बात करते हैं लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि हमें अगले पांच वर्षों में अवसंरचना के मद पर 320 बिलियन डालर निवेश करने की आवश्यकता है। वास्तव में मुझे यह पता नहीं है कि हम धनराशि कहां से लाएंगें। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वास्तविक अवसंरचना जो हम बनाते हैं उसमें हमें लोगों के लिए बनाए जा रही अवसंरचना की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ हम जल का उदाहरण लेते हैं। अब तक इस प्रकार की गुणवत्ता वाले जल को पीने के लिए विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अत:, यह कहना कि हम लोगों को पेय जल उपलबध करा रहे हैं, इसमें से मुद्दा यह है कि क्या यह जल पीने योग्य है, सुरक्षित है और क्या यह वास्तव में लोगों को उन बीमारियों से मुक्त रख पायेगा जो इस प्रकार के जल को पीने से होती हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए और यह बिजली और परिवहन के मामले में भी सत्य है। हमें वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रपति जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि हम विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में भी विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से यही वह समय है जब हमें यह तय करना चाहिए कि विश्वस्तरीय क्या है और उस विश्वस्तरीय आधारभूत-ढांचे के लिए मानक तय किए जाने चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं।

सभापति महोदया : कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदया, कृपया मुझे उस समय का 20 प्रतिशत समय दीजिए जो आपने उस महिला को दिया है जो अभी मुझसे पहले बोली थी क्योंकि हमारे दल के सदस्यों की संख्या अधिक है। आप सदैव चाहती है कि मैं अपनी बात समाप्त कर दूं जबकि मैंने अभी बोलना शुरू भी नहीं किया है।

सभापति महोदया : मैंने आपको आठ मिनट का समय दिया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : जहां तक शिक्षा का संबंध है। 91.35 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल नहीं है। अत: विद्यालय का निर्माण करने का क्या उद्देश्य है जबकि 91.35 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल भी नहीं है? यह कष्टदायी बात है। अत: गुणवत्ता और मानक जो हम निर्धारित करते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आधारभूत ढांचे से संबंधित एक मुद्दा सगरमाला परियोजना से संबंधित है जिसके बारे में पूर्ववर्ती सरकार ने देश के सभी पत्तनों को आपस में जोड़ने और भीतरी प्रदेश का विकास करने की बात की थी। दुर्भाग्य की बात है कि उस परियोजना का अब कोई उल्लेख नहीं है। मैं सरकार से उस पर कार्य करने का अनुरोध करता हूं।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

आदिवासी और अनुसूचित जातियां वास्तविक सबसे पीड़ा का सामना कर रही हैं और उनका राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण में केवल उल्लेख किया जाता है। उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कम से कम उनके नाम का उल्लेख तो किया गया है। हमारे पास इससे अधिक करने के लिए कुछ नहीं है।

यह सरकार की रणनीति है। मैं महसूस करता हूं कि हमें उस पर अत्यंत गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति अच्छी नहीं है और आज हम भारत में जो देख रहे हैं और हम जिस ज्ञान अर्थव्यवस्था की बात करते हैं वह तभी संभव हो सकती है जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश करें। इसकी आवश्यकता न केवल अनुसंधान एवं विकास के लिए है बल्कि लोगों के लिए भी है। आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान अनेक विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत आकर्षक कैरियर का अवसर नहीं रह गया है। भारत के राष्ट्रपति एक वैज्ञानिक हैं लेकिन आप जानते हैं कि अनेक लोग इससे प्रेरणा ग्रहण नहीं कर रहे हैं और वैज्ञानिक बनने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि हमें वास्तव में इसे केवल अनुसंधान और विकास से संबंधित मुद्दे से अधिक मानव संसाधन संबंधी मुद्दे के रूप में देखने की जरूरत है।

मैंने जनसंख्या की बात की और देश में जनसंख्या की 1.8 प्रतिशत की वृद्धि से विकास संबंधी हमारे लाभों को क्षति पहुंच रही है। इसका कदाचित चूक से नहीं बल्कि जानबूझकर राष्ट्रपति ने अभिभाषण में उल्लेख नहीं है क्योंकि सरकार के अनेक अधिकारी जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप जनाकिकीय लाभांश प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका अर्थ यह होगा कि जनसंख्या में हमारी वृद्धि से लाभ मिलेगा। वास्तव में हमें जो चीज विकसित करने की आवश्यकता है वह जनसंख्या की गुणवत्ता है। हमें उनको शिक्षित करना है, प्रशिक्षित करना है और हमें उन्हें उस कार्य के स्तर तक लाना है जिसकी पेशकश हम उन्हें करते हैं। अत: यह कार्य करने के लिए हमें वास्तव में एक कार्यक्रम की जरूरत है किंतु यदि हम लोगों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यह कार्य स्वत: हो जाएगा। अत: हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना है। वास्तव में, अब हमारी जनसंख्या 1.1 बिलियन है और वर्ष 2005 तक हमारी जनसंख्या 1.6 बिलियन अथवा 1.8 बिलियन हो जाएगी जो हम सभी के समक्ष एक गंभीर चुनौती है।

महोदया, अब तक हमारी विदेश नीति सदैव एक ऐसा मुद्दा रही है जिस पर देश भर में सर्वसम्मति थी। दुर्भाग्यवश, हाल ही में हमारी विदेश नीति विवादास्पद बनती जा रही है। हमें भारत के पुराने समय विशेषकर अफ्रीका के बड़े परम्परागत मित्रों के साथ काम करना है। हम देख रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति अफ्रीका जा रहे हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की पेशकश कर रहे हैं। इस कारण हम अपने परम्परागत मित्रों को खो रहे हैं। अत: मैं समझता हूं कि हमारी विदेश नीति को इस पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदया : प्रभुजी, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको सात मिनट का ही समय दिया गया है किंतु आप पहले ही बारह मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदया, मैं समझता हूं कि एक दिन आपको कृपया मुझे बताना पड़ेगा कि एक व्यक्ति की पार्टी को इतना अधिक समय कैसे मिल जाता है। मैं अपनी पार्टी की ओर से बोलने वाला एकमात्र व्यक्ति हूं। हमारी पार्टी में बारह सदस्य हैं। पांच मिनट के बाद ही आपने मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कहना शुरू कर दिया।

महोदया, हमें खाड़ी देशों और अन्य स्थानों पर काम करने वाले अपने गरीब लोगों से इक्कीस बिलियन डालर प्राप्त होते हैं। विश्व में अन्य कोई ऐसा देश नहीं हैं जहां इतना अधिक पैसा बाहर से आता है। हम विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे इस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने को कह रहे हैं। यह आंकड़ा अब दस बिलियन तक पहुंच गया है। परंतु विदेशी निवेशक इस राशि से भी दोगुने से अधिक राशि ला रहे हैं। इसलिए, वास्तव में हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे गरीब कामगार जो ऐसे देशों में काम करते हैं उन्हें अधिक सुविधाएं मिलें।

महोदया, ऊर्जा क्षेत्र देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। हम अपनी आवश्यकता का दो-तिहाई से भी अधिक विदेश से आयात कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमें अपने विदेशी मुद्रा चालू खाते के संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ कुछ घरेलू मांगों को पूरा करने में अंत्यत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि श्री मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री थे और उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात की थी। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण

में मैं ऊर्जा संरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं पाता हूं। मुझे लगता है कि हमें इस पर वास्तव में सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदया, यह एक लोकतांत्रिक सभा है और मैं हमेशा अध्यक्षपीठ का आदर करता रहा हूं। परंतु मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि आप पांच मिनट बाद ही मुझे भाषण समाप्त करने के लिए कहने लग गयी हैं।

सभापति महोदया : मैं अन्य सदस्यों का समय आपको कैसे दे सकती हूं? इसलिए आप केवल एक मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : भारत में, यदि वास्तव में हमें अपने विकास की योजना अभी बनानी है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे मानव विकास सूचकांक से सुधार आए। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किये जाने वाला है। मानव विकास सूचकांक में भारत 170 देशों में 132वें स्थान पर है इसलिए, यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यदि एकल मुद्दे का जिक्र किया गया होता और यह कहा गया होता कि अब हमारा लक्ष्य भारत को मानव विकास सूचकांक के पायदान पर आगे बढ़ते देखना और यह सुनिश्चित करना है कि भारत अगले पांच वर्षों में शीर्ष 50 देशों में आ जाये तो मुझे लगता कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी कुछ चिंताओं का समाधान किया गया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी जैसे हमारे पक्ष एवं विपक्ष, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, यह बात सत्य है कि हमने स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई है और 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारी यह परिकल्पना है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक सपना देखा है और बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, जैसे कि समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ और हमारे तमाम साथी उसमें मारे गए, वहीं पर हमारे माननीय सुनील महत्तों जी की भी हत्या हुई। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमें आंतरिक सुरक्षा का और पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा भारत और लोकतंत्र मजबूत हो सकेगा तथा लोगों की सुरक्षा हो सकेगी। इसके पहले भी हम लोगों ने इसी संसद में चर्चा की थी, जब कि हमारा संविधान भी यह कहता है। संविधान में यह उद्धृत है कि सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आज हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हम कितने शिक्षित हुए हैं। हम जो शिक्षा के नाम पर अरबों-खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसका सही मायने में सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं, सब को शिक्षा मिल पा रही है या नहीं, सबको रोजगार दे पा रहे हैं या नहीं? तमाम तरीके से हम जो बजट का प्रावधान करते हैं, तमाम सारी योजनाएं लागू करते हैं, उसे सही मायने में अमलीज़ामा पहनाने की जरूरत है। उसमें कहीं न कहीं खामियां हैं, जिसकी वजह से यह योजना सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है।

सभापति महोदया, यूपीए सरकार भारत निर्माण की बात करती है। सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, टेलीफोन, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण पेयजल के तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। आप एक तरफ देखें कि सड़कों के माध्यम से जो चतुर्भुज सड़क विकास योजना या प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की तमाम जो योजनाएं हैं, वे ग्रामीण स्तर पर पहुंची हैं, लेकिन आज भी बहुत से दूर-सदूर के ऐसे क्षेत्र हैं, खास कर गांव के जो पूर्वे हैं, वे भी आज मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हैं, उन्हें जोड़ने की जरूरत है। हमारे तमाम ग्रामीण क्षेत्र समाज की मुख्य धारा से जुड़े क्योंकि किसी भी गांव का विकास तभी संभव है, जब वहां पर यातायात आवागमन के साधन सही हों। आपने देखा होगा कि आज बहुत से ऐसे भी गांव देहातों में हैं, जो पूर्वे हैं, वहां आज भी बिजली नहीं है, उन लोगों ने बल्ब तक अपने गांव में नहीं देखा है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम पर हम विद्युतीकरण कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे पूर्वे छूटे हुए हैं, जिनका विद्युतीकरण करने की जरूरत है। टेलीफोन एवं संचार के माध्यम से हमने विकास किया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जहां तक ग्रामीण आवास की बात की जाए, चाहे वह इंदिरा आवास हो या अन्य योजना हो। आज भी जरूरत इस बात की है कि इस महंगाई में कोई भी ग्रामीण किसान, बीपीएल धारक अपना एक मकान 25 हजार रुपए में नहीं बना सकता, क्योंकि एक कमरा बनाने में कम से कम 50 हजार रुपए चाहिए। उसमें बरामदा भी बनेगा तथा अन्य कई चीजें बनेंगी। तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तभी जाकर हमारी ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है, वह पूरी हो पाएगी। ग्रामीण पेयजल के बारे में तमाम योजनाएं हैं, लेकिन आज भी यह देखा गया है कि ग्रामीण स्तर पर लोग पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

महोदया, तमाम जगहों पर अगर सर्वे कराया जाए, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां दिन पर दिन वाटर लैवल डाउन होता चला जा रहा है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे वाटर लैवल ऊपर आ सके ताकि सभी को स्वच्छ पेयजल मिल सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 18 राज्यों के 3.2 लाख गावों को लिया गया है। इसके तहत आशा नाम की एक महिला की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा चाहे शिक्षा-मित्र, चाहे पंचायत-मित्र या आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत महिला कार्यकर्त्री हो या मुख्य सेविका हो, तमाम महिलाओं की ग्रामीण स्तर पर नियुक्ति की गई है, लेकिन देखा गया है कि चाहे वह शिक्षा से जुड़ी हुई हों या स्वास्थ्य से, हमारी वह अवधारणा पूरी नहीं हो पाई है जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम चलाए और उनकी नियुक्तियां कीं। हम उनके द्वारा गांवों के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे पाए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो बजट इन कामों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से गांवों में जा रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इस ओर हम गहनता से विचार करें और इसकी मॉनीटरिंग करें।

महोदया, मैं आपका ध्यान अभिभाषण में दिए गए जवाहर लाल नेहरु शहरी नवनिर्माण मिशन की तरफ दिलाना चाहूंगा। नगर विकास योजना के अंदर पहले चरण में 63 शहरों में इसे कार्यान्वित किया जाएगा, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हमारे बहुत से कस्बे इतने बड़े-बड़े हैं जो सही मायने में बड़े-बड़े शहरों के समान हैं। देखने की जरूरत है कि वहां जो स्लम बस्तियां हैं, जिनमें अनेक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, वहां न सड़कें हैं, न पेयजल है, न आवास की सुविधाएं हैं, न लाइट है और न ही वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। यह हमारे शहरों की स्थिति है। आज जरूरत इस बात है कि इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में बड़े-बड़े शहरों का चयन किया जाए और इस योजना को पूरे देश में लागू करने की जरूरत है।

महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश भर के 200 जिलों में लागू की गई है और इसमें अभी 50 जिलों को और जोड़ा गया है। इस योजना में जॉब कार्ड बनने चाहिए, लेकिन जो बी.पी.एल. के लोग मजदूरी करना चाहते हैं उनके जॉब कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। हो सकता है आप कह दें कि यह तो राज्य का मामला है, जिले का मामला है। इसे स्टेट देखे। जरूरत इस बात की है कि जब हम यहां से धन दे रहे हैं, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। यहां से जिस राज्य में पैसा जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए यहां से हर विभाग की एक टीम ग्रामीण स्तर पर जाकर देखे कि जो धन दिया गया है, उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं, और यदि सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो धन का सदुपयोग आपको सुनिश्चित करना चाहिए।

महोदया, अब मैं महिला एवं बाल विकास योजना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो बाल विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, उनके अपने कार्यालय या स्थान नहीं हैं। वे किसी के घर में चल रही हैं, तो किसी के घर के आंगन में। मेरा आग्रह है कि उनके लिए सही आवास, स्थान अथवा कार्यालय की व्यवस्था करें जिसमें वे चल सकें और सही मायने में महिलाएं बच्चों को पढ़ा सकें और उनका विकास हो सके। अत: उनके लिए आवास अथवा कार्यालय की जरूरत है, जिसमें वे बैठ सकें और ठीक प्रकार से काम चलना सकें।

महोदया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस सरकार ने 31 जिलों के लिए 16 हजरा करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। मैं मानता हूं कि समय-समय पर हमारे प्रधान मंत्री जी घोषणा करते रहते हैं। हमारे देश में 75 प्रतिशत किसान रहते हैं। 56 वर्षों की आजादी के बाद आज भी हमारे देश के किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान बैंकों से कर्जा ले लेते हैं, लेकिन उसे चुकता नहीं कर पाते क्योंकि उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलता जिसके कारण उन्हें घाटा उठाना पड़ता है और घाटे की खेती होने के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि, तूफान और बेमौसम बारिश के कारण आलू की खेती चौपट हो गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में और आर्थिक मदद की जरूरत है ताकि हम किसानों को सुविधा और सहायता दे सकें और किसान आत्महत्या करने से रूक सकें।

महोदया, अब मैं शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की छात्रवृत्ति की बात कहना चाहूंगा। जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह बहुत कम है। इस अभिभाषण में छात्रवृत्ति की जो घोषणा की गई है, वह भी अपर्याप्त है। आज के महंगाई के युग में एक गरीब को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है, वह बहुत कम है। उसमें वह कैसे बच्चे को खिला पाएगा, कैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए किताबें और वर्दी का इंतजाम कर पाएगा और कैसे बच्चे

को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करा पाएगा। सरकार ने जो मिड डे मील की योजना चालू की है, वह सही ढंग से नहीं चलने के कारण विफल हो रही है। इसलिए मेरी मांग है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। अब मैं आपका ध्यान अल्पसंख्यकों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई है।

न्यायमूर्ति राजन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत हो चुकी है। आजादी से पहले और उसके बाद का समय देखा जाए तो मुसलमानों में आरक्षण का प्रतिशत 15-20 था, लेकिन आज क्या कारण है कि यह अब सिमटकर 1-2 प्रतिशत तक ही रह गया है? शहरी और ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम और कमजोर तबके के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करके आगे बढ़ाने की जरूरत है।

महोदया, अभी रेल बजट प्रस्तुत हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश को रेल बजट में पूरी तरह से वंचित किया गया है। हम लोग गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं तो हमें मुश्किल से आधे घंटे का समय लगना चाहिए, लेकिन इसमें एक से डेढ़ घंटे का समय लगता है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : सभी ट्रेन्स उत्तर प्रदेश से होकर आती हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप डिस्टर्ब मत कीजिए, इन्हें बोलने दीजिए। आप अपने भाषण में अपनी बात कहिएगा।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : ट्रेंस आती तो हैं, लेकिन सभी बिहार से होकर के आती हैं। झा साहब, जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। ऐसा आप भी बोलते रहते हैं।

महोदया, नागर विमानन के बारे में अभिभाषण में कुछ कहा गया है। मैं इसी संदर्भ में आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इलाहाबाद में स्थित हवाई रनवे पर एक प्राइवेट हवाईअड्डा बने। चूंकि यह पर्यटन की दृष्टि से उत्तम क्षेत्र है, यहां पर कुंभ मेला लगता है, जिसमें देश-विदेश से सैलानी आते हैं। इसलिए यहां पर प्राइवेट एयरलाइंस के लिए प्राइवेट हवाईअड्डा बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें इससे संबंधित रोजगार के साधनों के बारे में सोचना होगा। ऐसे बहुत से स्थान हैं, जिनको संरक्षित करके हम रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार जो सदन द्वारा पारित किया गया है और हर व्यक्ति को सूचना का अधिकार दिया गया है लेकिन इसका सही मायने में आज भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसको सख्त बनाने की जरूरत है। जिस दिन हम सूचना के अधिकार को सख्त बना देंगे, उसी दिन पारदर्शिता होगी और ईमानदारी बढ़ेगी, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती वी. राधिका सेलवी** (तिरुचेन्दूर) : महोदय, हमारे माननीय राष्ट्रपति ने इस वर्ष की विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष के साथ अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह वर्ष इन दो समारोहों का वर्ष ही नही है बल्कि यह सत्याग्रह का भी शताब्दी वर्ष है।

हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चैन्नई में मेरिन विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही है, जिसके लिए तमिलनाडु की जनता की ओर से मैं राष्ट्रपतिजी को हार्दिक धन्यवाद देती हूं।

न्यायिक सुधार किए गए हैं जिससे हमारी न्याय प्रणाली में न्याय व्यवस्था प्रभावशाली और पारदर्शी होगी। छोटे-मोटे मामलों को त्वरित गति से निपटाने के लिए लचीली प्रक्रिया के साथ-साथ लोकहितकारी न्यायालयों की स्थापना के लिए ग्रामीण न्यायालय विधेयक लाया जा रहा है।

रेलवे का त्वरित गति से विकास हुआ है और उसका राजस्व संग्रह भी अच्छा है। हम कहते रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हैं। इसके लिए रेलवे कन्याकुमारी से चेन्नई और तूतीकोरिन से चेन्नई तक की अपनी रेल लाइन का दोहरीकरण कर रहा है। तूतीकोरिन अपनी सेतुसमुद्रम परियोजना के कारण तेजी से विकसित हो रहा है। तिरुचेन्दूर से तिरुनेलवेली आमान परिवर्तन कार्य पूरा होना वाला है। तिरुचेन्दूर एक सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल है। मैं तमिलनाडु के लोगों की ओर से तिरुचेन्दूर से चेन्नई के लिए चेन्दूर एक्सप्रेस नाम से एक अलग रेलगाड़ी चलाये जाने की मांग करती हूं।

हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह तेजी से बढ़ रहा है। तिरुचेन्दूर तीर्थस्थल होने के साथ-साथ एक पर्यटन स्थल भी है और यह तिरुचेन्दूर से चेन्नई तक फैला है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती वी. राधिका सेलवी]

महोदय, मुक्कुन्डल बीड़ी कामगारों के लिए प्रसिद्ध है और अधिकतर बीड़ी कामगार मुक्कुन्डल के आस-पास रहते हैं। दो वर्ष पूर्व यहां सभी सुविधाओं युक्त एक अस्पताल का निर्माण किया गया था परंतु बिना उपयुक्त जनशक्ति के यहां पर लोगों का इलाज केवल बाह्य रोगी के तौर पर ही होता है। इस ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यहां पर उपयुक्त मेडिकल और पैरा मेडिकल कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि गरीब बीड़ी कामगार और उनके परिवार के स्वास्थ्य की उचित निगरानी की जा सके। अधिकतर बीड़ी कामगार महिलाएं है। हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि कुपोषण की समस्या का उन्मूलन और बालक सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना है।

बीड़ी कामगार अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियों की आवश्यकता है। अधिकतर छात्र जब छात्रवृत्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उन्हें इससे वंचित कर दिया जाता है। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए और सभी योग्य छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति की आवश्यकता है उन्हें शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए।

हमारे नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलाईगनार एम. करुणानिधि उन सभी परिवारों को टैलिविजन सेट दे रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं ताकि वे अपने सामान्य ज्ञान में बढ़ोत्तरी कर सकें। इसी प्रकार केन्द्र सरकार उन बच्चों को जो नौवीं कक्षा में पढ़ते हैं कंप्यूटर दे सकती है। ताकि भारत का युवा वर्ग बहुत अच्छी जानकारी के साथ रह सके।

हमारी सूचना प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से हो रहा है और यह वैश्विक तौर पर अन्य देशों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है। हमारे राष्ट्रपति ने घोषणा की है वर्ष 2007 ब्राडबैंड वर्ष होगा। भारत के लोग इससे गौरवान्वित हैं। डी.एम.के. की ओर से इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : सभापति महोदया, संसद सदस्य होने के नाते मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव के इस गरिमामय अवसर पर सभा की कार्यवाही में भाग ले रहा हूं। सर्वप्रथम, मैं अपने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संसद के दोनों सदनों के साथ राष्ट्र को भी संबोधित किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण को हमेशा राष्ट्रीय नीति के व्यापक परिदृश्य के रूप में पेश किया जाता है। यह देखा गया है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वायदों और प्रतिबद्धताओं से मुंह नहीं मोड़ रही है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण इन शब्दों के साथ प्रारंभ होता है कि हमारे देश के लिए यह वर्ष बहुत खास है। हम अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी वर्ष हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ और सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। हमारे लिए ये अवसर सशक्त, आधुनिक, सामासिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील भारत के निर्माण हेतु अपनी प्रतिबद्धता को पुन: दोहराने का हैं।

महोदया, मैं कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आप जानती हैं कि इसी वर्ष पलासी के युद्ध की 250वीं वर्षगांठ भी है। एक तरह से पलासी युद्ध के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के राजनीतिक प्रभुत्व ने जोर पकड़ा था। नवाब सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे, की हार के बाद ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति ने पूरे भारत में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। बंगाल के महान क्रांतिकारी कवि जनरुल इस्लाम में इन शब्दों में अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है जिसे मैं अपनी मातृभाषा बांग्ला में कहना चाहूंगा।

कान्डारी तव गॉम्मुखे ओई पालशीर प्रान्तार
बान्गालीर खूने लाल होलो जेथा
क्लाईवेर खान्जोर,
ओई गांगाय डूबिया छे हाय भारोतेर दिवाकॉर
उदिवे शे रोवि आमादेरई खूने रॉगिया पूनारबार

अब, मैं इसका अंग्रेजी अनुवाद आपको बताता हूं जो कि इस प्रकार है:

"ओह ब्रेव हेल्मसमैन
थॉडर इज दी वास्ट एक्सटेंशन ऑफ दी फिल्ड ऑफ पलासी।
देयर इन ए सैंग्यूनरी बैटल
दी हीनस हंग्री स्वोई ऑफ लार्ड क्लाईव वाज इनकार्नाडाइन्ड
विद दे नोबल गय ऑफ बंगाली ब्लड
ए मी। दी सन ऑफ 'इंडिया'ज फ्रीडम सैंक लो इंटु दी डिस्टैंट
गेजिज?

इट विल बी वास्ट रैड बाई दी ब्लड-ऑफरिंग ऑफ अवर माइटी मार्टीयर टु कम अप अगेन

इट विल बी ए सेकेन्ड कमिंग स्प्लेंमिनश एण्ड प्रोफाऊण्ड।

महोदया, मैं इस सरकार का ध्यान पलासी के युद्ध और मुर्शिदाबाद के इतिहास की और आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मुर्शिदाबाद का इतिहास 1857 में हुए सैनिक विद्रोह से जुड़ा हुआ है। सैनिक विद्रोह की शुरूआत बेरहामपुर स्थित ब्रिटिश छावनी से हुई थी जो मुर्शिदाबाद जिले में है।

महोदया, कवि नज़रुल इस्लाम की भावना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में परिलक्षित हुई थी। दूसरी बात यह कि, जहां तक सत्याग्रह का संबंध है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक विश्व व्यापी सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें सभी महाद्वीपों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक वैश्विक सिविल समाज की स्थापना की गई थी। जहां तक सत्याग्रह का संबंध है कलकत्ता की प्रमुख भूमिका रही है क्योंकि जब पूरा देश दिल्ली में आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस समय महात्मा गांधी बेलियाघाट, कलकत्ता में उपवास पर बैठे हुए थे। उन्होंने कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर का हवाला देते हुए कहा था कि जब आपके आह्वान पर कोई नहीं आता है, तब आप अकेले ही आगे बढ़ें। उन्होंने अकेले विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने उस समय भयानक कलकत्ता दंगे के नाम से कुख्यात सांप्रदायिक दंगों का अकेले ही सामना किया। अत: मैं इस सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बेलियाघाट, कलकत्ता में महात्मा गांधी की याद में किसी संस्थान की स्थापना की जाए।

महोदया, हमारा आर्थिक विकास तीव्र गति से होता रहा है। इसमे किसी प्रकार संदेह नहीं है। परंतु कुछ विपक्षी दलों को इसमें संशय है। वे इसकी कटु निंदा कर रहे हैं तथा हमारी अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन पर विभिन्न प्रकार के संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी स्मरण शक्ति का लोप हो रहा है। एनडीए शासन काल के दौरान ऐसी मान्यता थी कि यह सरकार सम्पन्नता के बीच द्ररीद्रों की सरकार थी। एक ओर करोड़ों रुपये के खाद्यान्न सड़ रहे थे, वहीं दूसरी और भूख से मरने वाले लोगों की घटनायें घटित होना जारी था। अब वे सब कुछ भूल चुके हैं।

महोदया, यदि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन पर दृष्टिपात करते हैं, तो आपको यह जानकार खुशी होगी कि यह सकारात्मक गति से बढ़ रही है क्योंकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में भारतीय भागीदारी बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गई है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत अपनी क्रय शक्ति के आधार पर अमेरिका, चीन और जापान के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

महोदया, यहां तक कि विशेषज्ञों की भी राय है कि यदि विकास की यही गति कायम रहती है और यदि मौजूदा अर्थव्यवस्था द्वारा लंबी अवधि तक ऐसा ही लाभांश देना जारी रहता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक गति से विश्व में सुस्थापित हो जाएगी। दूर संचार नेटवर्क के मामले में विश्व में हमारा पांचवा स्थान है। हमारा देश विश्व में सर्वाधिक मोबाईल उपभोक्ता वाला चौथा देश बन गया है। निसंदेह इसमें कुछ उदासीन नकारात्मक पक्ष भी है। हमें इस की जानकारी होनी चाहिये क्योंकि कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो हम सभी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है क्योंकि आज की तारीख में 250 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रतिदिन एक डॉलर कमाने के आधार पर यह आकलन किया गया है कि 35 मिलियन लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। प्रतिदिन दो डॉलर से कम कमाने वाले लोगों की संख्या 80 प्रतिशत हो गई है।

तथापि ऐसा पहले भी देखा जा चुका है कि हमारी अर्थव्यवस्था नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष से भी अधिक की दर से विकसित हो रही है। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। वस्तुत: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ता रहा है। हमारी पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी काफी अभिरुचि दिखाई है।

महोदया, यह बहुत ही खुशी की बात है कि 2003 से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाजार पूंजीकरण में 257 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब विनिवेश प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ट्रेडिड बाजार पूंजीकरण 3,89,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

महोदया, हम लोगों के लिए उत्सव मनाने की घड़ी है कि हमारी वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह को पृथ्वी पर वापस लाने में सफलता मिल गई है जिसके फलस्वरूप हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक विशेष स्थान बनाने में सक्षम हो गये हैं। दावोस में हाल ही में संपन्न हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में एसआरआई-1 अभियान के लिए हमारे शिष्टमंडल की प्रशंसा की गई जिसे उन्होंने भारत की सर्वोत्तम ब्रांड इमेज का दर्जा दिया है।

[श्री अधीर चौधरी]

महोदया, मुझे मालूम है कि समयाभाव की समस्या है; फिर भी मैं कुछ और बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मुझे विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न हो रही स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रयास करने हेतु मौजूदा सरकार की प्रशंसा करनी होगी।

इस प्रश्न पर कि क्या ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण वांछनीय है, पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है क्योंकि कृषक समुदाय में पहले ही अनिश्चितता एवं आशंका की भावना उत्पन्न कर दी गई है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में सिंगूर तथा नंदीग्राम से कृषकों को जबरदस्ती उनकी भूमि से बेदखल कराए जाने से उनमें असंतोष व्याप्त हो गया है। इसलिए, कोई औद्योगिक पहल करने से पहले कृषको को विश्वास में लिया जाना चाहिए क्योंकि पारंपरिक रूप से पारिवारिक खाद्य सुरक्षा, संपूर्ण खाद्य सुरक्षा की मूलभूत परिकल्पना है। कृषिक समुदाय में भूमि को हमेशा परिवार का मुख्य आधार समझा जाता है। अत: किसी प्रकार की आशंका उन समुदायों के लिए अपशकुन होता है। मैं जानता हूं कि यदि अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर अग्रसर रखना है, तो हमें निम्न आर्थिक उत्पादकता को छोड़ उच्च आर्थिक उत्पादकता को अपनाना होगा।

महोदया, बहुत कुछ कहा गया है एवं किया गया है लेकिन हमें इस बात का काफी दु:ख है कि हमारे विशिष्ट साथी, श्री सुनील महतो हमारे बीच नहीं रहे जो नक्सलवादियों की गोली का शिकार हो गये। निसंदेह, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे प्रधानमंत्री सिक्ख समुदाय से हैं हमारे राष्ट्रपति मुस्लिम समुदाय से है तथा हमारी अध्यक्ष मैडम सोनिया गांधी क्रिश्चन समुदाय से हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर हमारा समाज अभी भी खंडित है। यदि समाज खंडित हो, तो हम अपने वांछित लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। आज की अधिकतर समस्याओं की जड़ इस तथ्य में निहित है कि मुनष्य अपने-आप को जानने में विफल रहा है। गांधी जी ने हमें खुद के अंदर देखने का उपदेश दिया है। अत: जब तक प्रत्येक भारतवासी अपने आप को भारतीय नहीं समझता तथा एक भारतवासी की भांति आचरण नहीं करता है, तब तक कोई वास्तविक एकीकरण, सौहार्द एवं सामंजस्य संभव नहीं हो सकता।

अत: संसद सदस्य होने के नाते यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य बनता है कि हम संगठित होकर देश के कल्याण की दिशा में प्रयास करें। यदि हम संगठित होकर कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास नहीं करते तथा अपनी ऊर्जा को आपस के छोटे-मोटे झगड़ों में व्यय करेंगे तो हम न तो अपनी एक भी आतंरिक समस्या को सुलझा पाएंगे और न ही उस चुनौती का सामना कर पाएंगे जो आज हमारे समक्ष है।

हमें अपना साहस और विश्वास कायम रखना होगा। अत: हमें अपनी जनता के हरेक तबके में परस्पर विश्वास एवं निष्ठा विकसित करनी चाहिए। यह हिंसा एवं तनाव का युग है। राष्ट्रीय अखंडता एवं सामाजिक एकता को कभी भी इतनी सहजता से नहीं लिया गया। हम इस अनुभूति के आधार पर नई आशा संजो रहे हैं कि ग्रामीण विकास, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन आई.सी.डी. कार्यक्रम नामक ''सामाजिक चिकित्सकों'' द्वारा सामाजिक टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू करके सामाजिक विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में हम सभी को शामिल होना होगा।

महोदया, हमारा देश एक महान देश है।

सभापति महोदया : आप पन्द्रह मिनट ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि ''मुझे भारत पर गर्व है। भारत दुनिया का महानतम देश है, ऐसा इसलिए नहीं कि मेरा जन्म भारत में हुआ है बल्कि इसलिए कि मैने इसमें महानतम् सद्गुणों की तलाश की।''

मैक्समूलर ने भी ऐसा ही कहा था।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : यह मेरा अंतिम वाक्य है।

सभापति महोदया : ठीक है, इस वाक्य के बाद आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : उन्होंने कहा ''यदि हमें पूरी दुनिया में किसी ऐसे देश को ढूंढना हो जो प्रकृति प्रदत्त संपदा, शक्ति एवं सौंदर्य से ओतप्रोत हो- जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जा सके- तो मैं भारत का नाम लूंगा।''

सभापति महोदया : यह बहुत बड़ा वाक्य है।

श्री अधीर चौधरी : ''यदि मुझसे पूछा जाता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां के लोगों ने अपने पसंदीदा उपहार

पूर्णरूपेण विकसित किए हैं तथा जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं पर गंभीरता से मनन किया है और उनका निदान ढूंढ निकाला है जिसमें से कुछ की ओर प्लेटो और कैंट जैसे विचारकों को पढ़ने वाले लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है, तो निश्चित रूप से मेरा ईशारा भारत की ओर होगा।''

[हिन्दी]

सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति महोदया, मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि मुझे संसद के दोनो सदनों में दिए गये राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

मैं इस राष्ट्रपति अभिभाषण का समर्थन करता हूं क्योंकि उस दिन केन्द्रीय कक्ष में दिए गये राष्ट्रपति अभिभाषण में न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में यूपीए की विफलता को अच्छी तरह उजागर किया गया है। यही कारण है कि मैं राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का समर्थन कर रहा हूं।

महोदया, हमारे देशवासियों को रोटी, कपड़ा, मकान और शांति चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए ये चारों घटक न केवल एक व्यक्ति के लिए जरूरी है बल्कि देश के लिए भी जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से जो कुछ उजागर हुआ है, उससे यह परिलक्षित होता है कि अपने वायदे के मुताबिक यूपीए सरकार देशवासियों को रोटी, कपड़ा मकान और शांति प्रदान करने में अकुशल और पूर्णरूपेण विफल रही है। मैं इतने विस्तार मे नहीं जाना चाहूंगा कि मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बात इस देश के लोगो को मालूम है, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है। आज इस देश में इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।

महोदया, हम अपने किसानों की किस्मत की तुलना उन पशुओं की किस्मत से कैसे कर सकते हैं जिन्हें हम पाल रहे हैं? यह बात खुले आम वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में कही गई है। यही कारण है कि किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। इस बात की चर्चा टीवी और अखबारो में भी है। हमारे माननीय सदस्यों एवं यूपीए के मंत्रियों को भी मालूम है देश में महंगाई के कारण किसानों के साथ क्या हो रहा है और आम आदमी की स्थिति क्या है।

यह बात यूपीए की माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं मान चुकी हैं कि पंजाब और उत्तराखण्ड में हार का कारण महंगाई है। यदि उत्तर प्रदेश में कल कुछ होता है, तो वह इस देश में मौसम और वर्षा की स्थिति के कारण होगा और इस देश की खातिर तथा इस देश के किसानों के खातिर यूपीए की माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा पुन: यह कारण नहीं दिया जाना चाहिए।

महोदया, अब मैं सुरक्षा पहलू पर आऊंगा। मैंने सचमुच इस बात की उम्मीद की थी कि देश की शांति के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को किन-किन चीजों का उल्लेख करना चाहिए था तथा यूपीए सरकार द्वारा किन किन चीजों द्वारा उल्लेख किए जाने की उम्मीद थी। जहां तक आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, असम में 70 लोगों की हत्या की गई है। असम में हिन्दी भाषी लोगों की हत्या की गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात की चर्चा नहीं की गई है। यह इस देश के वासियों के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है जहां असम में उल्फा द्वारा 70 हिन्दी भाषी लोगों की हत्या की गई है। यह तो और भी चिंता की अधिक बात है कि इस बात का उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं किया गया है।

यूपीए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में अपनी कुशासन की सच्चाई को छिपाना चाहती है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसा ही किया गया है। अत: यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। हम लोग समझौता एक्सप्रेस में हुई दुर्घटना को लेकर भी इतना ही चिंतित हैं। लेकिन असम में जो कुछ हुआ उस बात का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया जा सकता था।

असम में हुई 70 हिन्दी भाषियों की हत्या केवल बिहारियों का ही मसला नहीं है। यह आई एस आई की साजिश है जिसे वह उल्फा के जरिए अंजाम दे रहा है जिससे असम सरकार की की विफलता उजागार हुई है।

राष्ट्रपति अभिभाषण इस बात का उललेख नहीं किया गया है, यहां तक इस घटना के बारे में एक वाक्य भी नहीं लिखा गया हैं अत: यह बहुत बड़ी चिंता की बात है।

अब मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था के बारे में बोलना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने उम्मीद की थी कि यूपीए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति से निपटने के लिए क्या योजना बना

[श्री तापिर गाव]

रही थी। नागाओं, मणिपुरियों की समस्याएं तथा असम में उल्फा की समस्या वहां बहुत दिनों से बनी हुई हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के तथा देश के लोगों को यह उम्मीद थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एनएससीएन (आई एम) और भारत सरकार के बीच दशकों से चल रही नागा शांति वार्ता का उल्लेख किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसके बारे में एक पंक्ति भी नहीं लिखी गई है। पर्दे के पीछे आप कैसे इस देश में शांति लाएंगे?

अब चर्चा चल रही है। अब देशवासी एनएससीएन (आई एम) और भारत सरकार के बीच चल रही वार्ता की वास्तव में प्रशंसा करते हैं। दशकों पुरानी नागा समस्या का हल करने की यूपीए सरकार की भावी योजना एवं रूपरेखा के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

मणिपुरियों की तथा असम में उल्फा की पुरानी समस्याएं अभी भी वहां विद्यमान हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग उल्फा से वार्ता शुरू करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाल रहे है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भारत सरकार, यूपीए सरकार द्वारा बनाई जा रही योजना की रूपरेखा का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है।

असम में सरकार क्या चाहती है? वहां गुवाहाटी बाजार में बम विस्फोट हो रहे हैं। इसे नियंत्रित करना सत्तासीन सरकार के हाथ की बात है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस बात का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया जा सकता था। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पूर्वोत्तर क्षेत्र के समस्या-प्रवण राज्यों की समस्याओं को सुलझाने में यूपीए सरकार की पूर्ण असफलता का पता चलता है। यही कारण है कि मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि इस राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करने के मेरे पास कारण हैं क्योंकि इस अभिभाषण में हरेक चीज का पर्दाफाश हुआ है।

महोदया, असम में राष्ट्रीय खेलों के दौरान उल्फा गुवाहाटी में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं होने देने की धमकी दे रहा था। पन्द्रह दिनों के अंदर उन्होंने अपनी धमकी वापस ले ली। इस मुद्दे पर क्या हुआ? इसमें असम सरकार, उल्फा और आई एस आई के बीच पूरी साठगांठ है। इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं। एक ऐसे पुलिस अधिकारी को पुनः उसी विभाग का प्रभारी बना दिया गया है जहां रहते हुए वह एक आई एस आई एजेंट के भाग जाने का जिम्मेदार है हालांकि बाद में उसे गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लिया गया। यह देश के लिये, पूर्वोत्तर क्षेत्र, और देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है।

अब मैं विदेश नीति पर आता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे पड़ौसी देशों के संबंध में हमारी विदेशी नीति के बारे में कुछ ही पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र पर दावा कर रहा है सरकार चीन के साथ दसशारकी रणनीति आर मधुर संबंध बना रहे हैं। आप चीन के साथ किस प्रकार की दसशारकी रणनीति बना रहे हैं। वे इसकी रूपरेखा का स्पष्टतम उल्लेख कर सकते थे और वे अपनी विदेश नीति के अंतर्गत किस प्रकार के संबंध में चीन के साथ बना रहे हैं।

आज इस देश के लोग जानते हैं कि सभी भूमिगत संगठनों के मुख्यालय बांग्लादेश अथवा म्यांमार में है। संप्रग सरकार प्रशिक्षण शिविरों की समस्या सुलझाने के लिए बांग्लादेश के लिए किस प्रकार नीति अपना रही है? क्या वे पूर्वोत्तर क्षेत्रों के भूमिगत समूहों के प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर रहे हैं जो बांग्लादेश में स्थापित हैं और क्या वे बांग्लादेश में ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए संप्रग सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं? म्यांमार में भी अनेक प्रशिक्षण शिविर हैं संप्रग सरकार म्यांमार में भूमिगत कार्यकताओं के प्रशिक्षण की समस्या सुलझाने के लिए म्यांमार के प्रति किस प्रकार की विदेश नीति अपना रही है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों और इस देश में शांति ला सकते हैं।

हमारी महत्वपूर्ण बात भारत निर्माण है। अब माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 9.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें दस प्रतिशत को ब्लैकबोर्ड पर नापना है। इस देश के लोगों और किसानों को इस बात को ब्लैकबोर्ड पर नापना होगा। हमने वास्तविक रूप से कुछ नहीं देखा है। अंत: उनके भाषण में भारत निर्माण भारत बर्बाद के रूप में उजागर हुआ है। इसीलिए मेरे पास इस भाषण का समर्थन करने हेतु तर्क नहीं है।

अब नागर विमानन और रेलवे के क्षेत्र की ओर आइए। पूर्वोत्तर क्षेत्र से हम लोग और अन्य देशवासी पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल लाइनों के विस्तार हेतु शोर मचा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल लाइनो का विस्तार 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। इसे लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए; इसे वित्तीय व्यवहार्यता की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। रेलवे को पूर्वोत्तर क्षेत्र के आंतरिक भागों

से जोड़ना राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु चिंता की बात है और राष्ट्रीय एकता का मामला है। इसी प्रकार नागर विमानन का पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तार करना राष्ट्रीय एकीकरण का एक भाग है और इसकी तुलना लाभ और हानि के संदर्भ में और आर्थिक संदर्भ में नहीं की जानी चाहिए। अत: यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए भी चिंता की बात है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक भी वाक्य नहीं कहा गया है।

हम पूर्व की ओर देखो नीति, ('लुक ईस्ट पालिसी') का अनुसरण कर रहे हैं। गर्व से माननीय राष्ट्रपति महोदय से पूर्व की ओर देखो। नीति को पढ़ने के लिए कहा गया है। हमें पूर्व की ओर किस अर्थ में देखना होगा? हमें पूर्व, दक्षिणपूर्व एशियाई देशो की ओर देखना है। यह पाकिस्तान अथवा अरब देशों के माध्यम से नहीं होना चाहिए; यह या तो कोलकाता अथवा गुवाहाटी के माध्यम से होना चाहिए। अत: पूर्व की ओर देखो नीति के भीतर हमें अपनी रेल लाइनों का विस्तार दक्षिण पूर्व ऐशियाई देशों तक करना हैं। हमें अपनी विमान सेवाएं गुवाहाटी से दक्षिण पूर्व एशियाई देशो तक बढ़ानी हैं। यहां किसी कदम पर प्रकाश नहीं डाला गया है, कठिन शब्द पूर्व की ओर देखो नीति का ही उल्लेख किया गया है। यह संप्रग सरकार की पूर्ण विफलता है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में जिस बात पर प्रकाश डाला है वह साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जिसे हम तलाश कर रहे हैं, कि पूर्व की ओर देखो नीति कहां है। पूर्व की ओर देखे नीति दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इस नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर देखना चाहिए। अत: यह एक बड़ी चिंता है और इस चिंता का इस चर्चा में उल्लेख नहीं किया गया है।

हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री यहां बैठे हुए हैं। हमें प्रसन्नता है कि उन्होंने पंचायती राज के क्रियान्वयन हेतु सात गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंचायती राज को महत्व दिया गया है किंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे अनेक अन्य राज्य विशेषकर अरुणाचल प्रदेश राज्य है, हैं जहां शक्ति का कोई अंतरण नहीं है, वित्त का कोई अंतरण नहीं है, पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता का अंतरण नहीं है। आपके पंचायती राज क्रियान्वयन की जवाबदेही कहां है?...*(व्यवधान)* महोदया, भारत सरकार का देश भर में केंद्रीय प्रयोजित योजनाओं के उचित क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अनुदेश है कि पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों को इन सभी कार्यकलापो में शामिल किया जाना चाहिए। किंतु चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए शक्तियों का कोई अंतरण नहीं है।

माननीय राष्ट्रपति ने अभिभाषण में अनेक मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया और शीर्षक दिस किंतु यह सब संप्रग सरकार की पूर्ण विफलता को दर्शाता है। दो घण्टे पहले हम जल प्रबंधन के मुद्दे पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम की पूर्ण विफलता देख पाए। अत: नदियों को जाड़ने संबंधी नीति संप्रग सरकार की मुख्य कार्य सूची होनी चाहिए। मेरी ओर से यही सुझाव है ताकि इस सभा में शांति हो...*(व्यवधान)*

महोदया, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि जो माननीय राष्ट्रपति ने कहा है, उससे इस देश के लोग गुमराह हो रहे हैं।

*श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं 23 फरवरी, 2007 को संसद की दोनों सभाओं में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति ने देश के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के योग्य नेतृत्व में वर्तमान सरकार का नीति और कार्य प्रणाली की सराहना की है और उसकी जानकारी तो दी ही है और बल्कि उन्होंने उन कारकों की ओर भी संकेत दिया है जिनसे लोकतंत्र का समव्यन, संविधान में दिए गए सिद्धांत सुदृढ़ होते हैं और एक सशक्त, आधुनिक सर्वसमाही, धर्मनिरपेक्ष और अत्यंत प्रगतिशील राष्ट्र का सृजन संभव होता है।

मैं विशेषरूप से इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि अपने अभिभाषण में जिन बातों पर जोर दिया है, उनके माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बताए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों और उन कार्यक्रमों, जो अर्थव्यवस्था की नौ प्रतिशत की वृद्धि दर को बनाए रखेंगे और रोजगार के अधिक अवसरों, आय के अधिक साम्य वितरण की व्यवस्था करेंगे और जिनसे सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लाभों तक निर्धनतम लोगों की पहुंच हो सकेगी और वे अपने को निर्धनता, अज्ञानता और बीमारियों की बेड़ियों से आजाद कर सकेंगे, पर प्रकाश डाला है।

सरकार ने डा. मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के समर्थ नेतृत्व में पहली बार गांधी जी की दृष्टि और स्वप्न 'प्रत्येक आंख से आंसू पूछना' को परिभाषित किया गया है। अनथ प्रगति की प्रतिबद्धता को बताते हुए जिससे राष्ट्र की सझत्तता निर्धनतम व्यक्ति - आम आदमी तक पहुंचेगी, जिससे सकल राष्ट्रीय सम्पन्नता के उत्पादन हेतु एक नए स्वास्थ्य का निर्माण होगा जिसमें ग्रामीण रोजगार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना आईसीडीएस और जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शामिल है। भारत निर्माण के साथ इन कार्यक्रमों जिनमें ग्रामीण सड़कों, विद्युतीकरण, टेलीफोन•व्यवस्था, आवास, पेयजल और रेल के माध्यम से बेहतर संचार, के निर्माण के साथ ग्रामीण भारत के निवास पर बल दिया गया है, से राष्ट्र नि:संदेह तीव्र प्रगति कर सकेगा और ग्रामीण और शहरी भारत के मध्य इस समय व्याप्त विभाजन को पाटा जा सकेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित आर्थिक वृद्धि की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख किया है। इनमें सम्मिलित हैं (1) कृषि क्षेत्र में गतिशीलता लाना; (2) नये रोजगार के तरीके और रोजगार के अवसर पैदा करना; (3) गरीबों को मूलभूत सिविक सुविधाएं प्रदान करना (4) दक्षता का विकास करना; (5) बेहतर गुणवत्ता उत्पाद एवं सेवाएं (6) पर्यावरण सुरक्षा और लोगों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने उचित रूप से यह पहचान की है कि शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा प्रदान करने के तरीके में सुधार लाये जाने की आवश्यकता है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देकर समाज के सभी वर्गों को गुणवत्ता सम्पन्न शिक्षा तक पहुंच के मामले में सक्षम बनाना है।

माननीय महोदया, मैं सरकार का ध्यान मुख्यत: अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। साठ साल तक एक के बाद एक सरकार द्वारा शासन किये जाने के बावजूद भी अल्पसंख्यक हर दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, चाहे आर्थिक स्तर हो अथवा प्रशासनिक।

वर्तमान में एक वर्ष पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के गठन के बावजूद अभी भी स्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति का गठन नहीं हुआ है। सच्चर समिति ने मौजूद नियंत्रण का व्यापक रूप से उल्लेख किया है हमें अभी भी सक्षमकारी प्रावधान करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करनी है जिनमें मौजूद बाधाओं पर ध्यान दिया जा सकेगा। अल्पसंख्यकों को पीढ़ी दर पीढ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मौजूदा उपायों से उन्हें सफलता नहीं मिल सकती।

माननीय वित्त मंत्री ने एक अच्छे बैंकर के रूप में बताया कि बैंक उनको वित्तपोषण प्रदान करते हैं जो ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होते हैं- यह बात अल्पसंख्यकों को आसान शर्तों पर ऋण देने के संदर्भ में कही गई थी। यदि ऐसा ही चलता रहेगा तो एक वर्ग अपनी वृद्धि के लिए सक्षमकारी वित्त प्राप्त नहीं कर पाएगा।

समाज में हाशिये पर चले गए तबके की समस्याओं पर संवेदनशीलता से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन तबकों जिन्हें विकास के अवसरों में प्राथमिकता देने हेतु सक्षम नहीं बनाया गया है, को सम्मिलित करने में एकता का भाव दर्शाने की आवश्यकता है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि अपनी स्वतंत्रता के 60वें वर्ष में हम सत्याग्रह आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता की लड़ाई की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लेकिन 80 वर्षों से हमारे अनेको अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को उनके बलिदान के लिए याद नहीं किया गया है, उनके परिवारों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। उनका ध्यान नहीं रखा गया है। हमें इन लोगों के स्तर की जांच करने की आवश्यकता है और उन्हें सम्मान एवं आदर के साथ जीने योग्य बनाना है।

इनका तथा जिन अन्य नीतिगत पहलुओं का अभिभाषण में जिक्र किया गया है, उनसे राष्ट्र में जनता की आकांक्षाओं और स्वप्नों को मूर्तरूप प्रदान करने की दिशा में एक नये आत्मविश्वास का संचार होगा और भगवान ने चाहा तो आगामी वर्षों में इन प्रयासों के फल सामने आएगें।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए लोगों के सभी वर्गों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के लिए सरकार की सराहना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदया, आपका धन्यवाद।

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज होता है और इसमें उनके अपने विचार नहीं होते हैं। मुझे इस नीतिगत दस्तावेज से बहुत निराशा हुई है।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस वर्ष 9.2 प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख किया है; लेकिन इससे आम आदमी का कोई फायदा नहीं होता। जो भी संपत्ति हम सृजित कर रहे हैं, वह गरीबों में भी अति गरीब को मिलनी चाहिए तभी सामाजिक न्याय आ पाएगा। इसलिए भारत सरकार को इस दिशा में योजनाएं बनानी चाहिए।

एक तरफ वर्ष दर वर्ष विकास दर बढ़ रही है दूसरी तरफ गरीबी भी बढ़ रही है। धनी और अधिक धनी तथा गरीब और गरीब हो रहे हैं। हमें इन तबकों में इस विसंगति को दूर करना है।

इस समय मुद्रास्फीति का मुद्दा खतरनाक है। विश्व में औसत मुद्रास्फीति 2.5 प्रतिशत है। हमेशा हम इस सभा में और सभा से बाहर भी अपनी तुलना चीन से कर रहे हैं। लेकिन मुद्रास्फीति के मुद्दे पर हम अपनी तुलना चीन से नहीं कर रहे हैं। फरवरी के तीसरे सप्ताह में हमारी मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत है ऐसा विगत में कभी नहीं हुआ। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन सरकार को मुद्रास्फीति को रोकने हेतु कठोर उपाय करने चाहिए। आम आदमी का इस देश में रहना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार हम इस देश में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात कर रहे हैं। पहले हमारे पास देश में गेहूं और चावल का बफर स्टाक होता था। हम 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात कर रहे हैं फिर भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं।

कृषि के संबंध में हमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन करना है। हमें कार्पस फंड का सृजन करना है। यदि कभी फसल खराब हो जाती है तो हमें इस कार्पस फंड से किसानों को भुगतान करना होगा। स्वामीनाथन आयोग ने पुरजोर सिफारिश की थी कि फसल ऋण घटाकर चार प्रतिशत कर दिया जाए और तभी किसानों को लाभ होगा। लेकिन भारत सरकार ने उन सिफारिशों का क्रियान्वयन नहीं किया है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम) : क्या आप चाहते हैं कि ऋण की धनराशि घटाई जाए या क्या आप चाहते हैं कि ऋण राशि पर ब्याज दर घटाई जाए?

श्री किन्जरपु येरननायडु : फसल ऋण पर ब्याज को घटाकर चार प्रतिशत किया जाना चाहिए। तीसरी सिफारिश यह है कि जहां किसान ऋण के जाल में फंसे हैं वहां किसानों को दिए गए ऋण को हमें माफ कर देना चाहिये। प्रधानमंत्री द्वारा पैकेज की घोषणा के बाद भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 31 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? इसके क्या कारण हैं या इसके मूल कारण क्या हैं?...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद : ऐसा पूर्ववर्ती राजग सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : गत तीन वर्षों में 3968 किसानों ने आत्महत्या की है। यह किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक के लिए खतरनाक एवं शर्मनाक स्थिति है।

संप्रग सरकार गत तीन वर्षों में अपने घोषणा पत्र को लागू करने में असफल रही है; और ऐसा गत दो वर्षों में हुए चुनावों में देखने में आया है, चाहे यह केरल, बिहार, पंजाब या उत्तरांचल हो। कांग्रेस और इसके सहयोगी दल चुनाव हार गए। आपको इसके बारे में एक बार पुनः सोचना है।

कल संप्रग की अध्यक्ष सोनिया गांधीजी ने केन्द्रीय कक्ष में अपने भाषण में स्वीकार किया कि मूल्य वृद्धि के कारण पार्टी दो राज्यों में पराजित हुई है। सरकार क्या कर रही है?...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : सरकार क्या कर रही है? ऐसा समाचार पत्रों में आया है और यह वास्तविकता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए और समय बर्बाद मत कीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सरकार और संप्रग अध्यक्ष ने ऐसा महसूस किया है। उन्हें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिये अन्यथा इससे एक जटिल समस्या पैदा हो जायेगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आरून जी, उनकी बात में हस्तक्षेप न करें। बीच में जो बातें हो रही हैं उन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु : संविधान के अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भाषण की स्वतंत्रता और प्रेात की स्वतंत्रता सम्मिलित है। लोकतंत्र की रक्षा करने और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने मीडिया की निगरानी के नाम पर एक सरकारी आदेश संख्या 938 जारी किया है। हमें इसे रोकना है और मीडियम के विरुद्ध दायर किए गए आपराधिक मामलों के विरुद्ध लड़ना है। पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हुआ है? एनई

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

टीवी को दी गई मान्यता रद्द कर दी गई थी और उन्हें उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा था। हमें इस आपातकाल की अवधि से कुछ सीखना चाहिये। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार ले लिए गए थे और प्रेस पर पाबन्दियां लगा दी गई थी। अब हमें आपातकाल की अवधि से सबक लेने की जरूरत है। फिर भी, देश के कुछ भागों में मीडिया और प्रेस के खिलाफ अघोषित आपातकाल लगाया जा रहा है। हमें उन बातों का ध्यान रखना हैं प्रेस जो इस देश पर निगरानी रखती है, के बिना कोई अस्तित्व संभव नही हैं।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए। श्री आरुण कृपया बैठ जाइए बीच में की जा रही बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

श्री किन्जरपु येरननायडु : इस परिदृश्य में जब आंध्र प्रदेश एवं असम में मीडिया पर आक्रमण हो रहे हैं, हमें उन सरकारों पर प्रतिबंध लगाना है। माननीय प्रधानमंत्री और संप्रग की अध्यक्ष सोनिया जी को उन सरकारों की खिंचाई करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि मीडिया एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया पर आक्रमण रोकें।

आंध्र प्रदेश के साथ अनेक वादे किए गए थे और आंध्र प्रदेश के सभी संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री से संपर्क किया है... *(व्यवधान)*

श्री बालासोधरी बल्लभनेनी (तेनाली) : जब उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है, तो वे इन बातों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं?

सभापति महोदया : वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग के बारे में आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है। अब तक हमारी स्वतंत्रता के पश्चात् अनुच्छेद 356 लगभग सौ बार लगाया गया। जहां कहीं भी गैर-कांग्रेसी सरकारें सत्ता में थी, वहां अनुच्छेद 356 लगाया गया। देखिए बिहार झारखंड और गोवा में क्या हुआ? उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अनुच्छेद 356 लगाने का प्रयास किया था किंतु इसे बाद में वापिस ले लिया गया। मैं इसके लिए केन्द्र सरकार को दोष दे रहा हूं।

सभापति महोदया : कृपया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार रखिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : वे गैर कांग्रेसी सरकारों को बरखास्त करने के बारे में सोच रहे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के बारे में भी गत वर्ष दो सौ जिलों का चयन किया गया था और अब इस योजना को 330 जिलों तक बढ़ाया जा रहा है। गत वर्ष के बजट में दो सौ जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 11,300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे।

इस वर्ष के बजट में 330 जिलों के लिए केवल 12,000 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। जो कुछ चुनाव घोषणा पत्र और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित है, उसे देश भर में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तथापि, अंत में इसे 330 जिलों तक ही बढ़ाया गया है। क्या इस योजना को शेष वर्षों में पूरे देश में क्रियान्वित करना संभव है? क्या यह चुनावी वायदे का उल्लंघन नहीं है।

सभापति महोदया : येरननायडु जी, यह बजट पर सामान्य चर्चा नहीं है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : 330 जिलों के लिए निर्धारित बजट सौ दिन का रोजगार देने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। यह एक वर्ष में 36 दिन के लिए रोजगार हेतु ही पर्याप्त है।

नदियों को आपस में जोड़ना समय की जरूरत है। हमें देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है और अनेक माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपनी चिंता व्यस्त की है। हमें सिंचाई और पेयजल के प्रयोजन हेतु पानी की उपलब्धता की समस्या है। इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल नदियों को आपस में जोड़ना है। नदियों को आपस में जोड़कर हम सिंचाई हेतु पानी मुहैया करा सकते है, हम पेयजल मुहैया करा सकते हैं और लाखों लागों का रोजगार मुहैया करा सकते हैं।

अत: यह हाल समय की जरूरत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में भी उल्लेख किया है। पहले के राष्ट्रपति के अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति ने नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में उल्लेख किया था। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति ने इसका उल्लेख नहीं किया है।

महिला आरक्षण विधेयक लाना संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है। इस सरकार के पहले वर्ष में राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया था। तथापि, राष्ट्रपति के इस वर्ष के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। देश के नागरिक जानते हैं कि क्या सरकार महिला आरक्षण विधेयक को ला रही है अथवा इससे पीछे हट रही है।

अंत में मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वह मेरे सभी सुझावों का उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : सभापति महोदया, आपने मुझे तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे इस संदर्भ में सिविल सोसाइटी के नाम से एक किताब मिली है, शायद हमारे दूसरे माननीय सदस्यों को भी यह किताब मिली होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर यह किताब छपी है। इसमें 2004 में जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, उस वक्त इस प्रोग्राम को हाथी जैसा दिखाया गया था और तीन साल में इसका आकार आज बकरी जैसा हो गया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है। आने वाले अगले दो सालों में यह आकार कहां जायेगा, क्या होगा, पता नहीं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दो पैरा के बारे में बोलूंगा, क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं देंगी और समय कम भी है। 7 जून, 2004 को हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा नम्बर 39 में तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने के लिए कहा गया था और जिसके लिए काफी कोशिश भी की गई। वर्ष 2004 तक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चंद्रबाबू नायडु जी और तेलुगु देशम पार्टी की मार से कमजोर पड़ी हुई थी। उस वक्त तेलंगाना अलग राज्य की मांग करने वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ कांग्रेस पार्टी ने इलैक्शन कंटैस्ट किया और तेलंगाना राज्य देने के लिए वादा कर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में (सी एम पी) भी अलग राज्य का मुद्दा रखा गया था।

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी राष्ट्रपति जी का चौथा अभिभाषण हुआ, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, मुझे दुख होता है कि जो सी एम पी का डॉक्युमेंट गवर्नमेंट का है, इस डॉक्यूमेंट की कोई कद्र नहीं है। जब इसका कोई महत्व नहीं है, तो आम आदमी कैस भरोसा करेगा? मैं इस संदर्भ में चंद बातें आपके सामने रखूंगा। यूपीए सरकार और हमारे साफ-सुथरे, ईमानदान प्रधान मंत्री तथा नये जमाने की कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर हमें पूरा भरोसा था लेकिन जिस तरह से 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरु जी, जब तेलंगाना, आंध्र में मिलाने के लिए संशय में थे, उस वक्त आंध्र लॉबी के कांग्रेस के लोगों ने पंडित नेहरुजी के ऊपर दबाव डालकर, जब मद्रास प्रेसीडैंसी में जो आंध्र रीजन था, उसे और तेलंगाना को जबर्दस्ती आंध्र प्रदेश में मिलाने की कोशिश की, उस वक्त उन्होंने उन्हीं के शब्दों में कहा कि "मासूम तेलंगाना को नटखटी आंध्र से मिलाया जा रहा है।" यह मिलाप चलेगा तो चलेगा, वर्ना कभी भी अलग हो सकते हैं। उस वक्त फैजल अली कमीशन की रिपोर्ट में भी बिल्कुल साफ तौर से मैंशन किया गया था कि तेलंगाना में जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए और तेलंगाना की उन्नति के लिए तेलंगाना अलग राज्य बनना ही जरूरी है। उसके बावजूद भी पंडित जवाहर लाल नेहरु जी के ऊपर दबाव डालकर, आंध्र और तेलंगाना को मिलाया गया, हमारे विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में एक सब-कमेटी भी बनी थी, लेकिन उस कमेटी का भी जिक्र नही किया गया है।

यहां यू.पी.ए. के जितने भी घटक दल हैं, जिसमें मेजोरिटी घटक दलों ने जिस तरह से तेलंगाना के लिए लिखित में मदद की, उसी तरह से बीजेपी और एन.डी.ए. घटक दलों ने भी तेलंगाना अलग राज्य बनाने के लिए सहमति दी हैं। मैं इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार की तरफ से बार-बार कहा गया कि वामपंथियों की वजह से हम तेलंगाना नहीं बना पा रहे हैं। इस वजह से तेलंगाना मुद्दा पीछे हुआ, ऐसा कहा जाता रहा है। लेकिन मैं इस अवसर पर वामपंथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने क्लेरिटी देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के बारे में अपना मत अभी तक कुछ नहीं दिया है, लेकिन दूसरी पार्टीज को वह बदनाम करती है। हाल ही में सीपीएम पोलित ब्यूरो मैम्बर, श्री सीताराम येचुरी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कांग्रेस देना चाहती हे तो बराबर तेलंगाना बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक तेलंगाना के विषय में कुछ नहीं कहा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप तेलंगाना-कांग्रेस नहीं, बल्कि मोशन ऑफ थैंक्स पर कहिए।

श्री रविन्दर नाइक धारावत : मेरे कहने का मतलब यह है कि यू.पी.ए. सरकार ने अपना वादा तोड़कर आज तेलंगाना को... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप प्रेसीडेंशियल एड्रैस पर ही बोलें। आप मोशन ऑफ थैंक्स पर आइए। तेलंगाना-कांग्रेस की बात नहीं है। आप मोशन ऑफ थैंक्स पर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : तेलंगाना-कांग्रेस पर नहीं कहिए। प्रेसीडेंशिल एड्रैस पर बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्री रविन्दर नाइक धारावत : महोदया, मैं प्रेसीडेंशियल एड्रैस पर ही बोल रहा हूं। प्रेसीडेंशियल एड्रैस का कोई मतलब ही नही रहा। मैं यू.पी.ए. एजेंडा के लिए बोल रहा हूं। अभी तक तीन साल गुजर गये हैं, लेकिन तेलंगाना के बारे में कोई बात नहीं हुई है। इस संदर्भ में मैं वामपंथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपना मत दिया कि तेलंगाना राज्य बनना चाहिए। क्योंकि तेलंगाना की प्रजा चाहती है।

इस संदर्भ में मैं पैरा 27 का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें आदिवासियों के लिए कहा गया है। आज तक आदिवासियों के लिए जो पैसा यहां से जाता है, वह पैसा उन तक पहुंचता नहीं है। आज आदिवासियों में बहुत ज्यादा गरीबी व्याप्त है। उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है। इस संबंध में मैं राष्ट्रपति जी से गुजारिश करना चाहता हूं, कि संविधान में पांचवें और छठें शैडयूल के अंतर्गत डाइरेक्टली गवर्नर के जरिए, इन एरियाज में उन्नति करने का प्रावधान है लेकिन आज तक यहां से कोई डाइरेक्शन नहीं दिया गया और राज्य के राज्यपालों ने इस संबंध में कोई कार्यक्रम नहीं किया है। उनको पांचवे शैडयूल के अंतर्गत यह काम करना चाहिए, जहां आदिवासियों का शोषण होता हो।

मैं एक बात और आपके सामने लाना चाहता हूं कि आज आदिवासी इलाकों में गरीब आदिवासी बच्चों को बेच रहे हैं और मार रहे हैं। मैंने कई बार इस बारे में हाउस में भी यह मुद्दा उठाया है और प्रधान मंत्री जी को भी मैंने मेमोरेंडम दिया है और राज्य सरकार को भी दिया है लेकिन इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

सभापति महोदया, जहां आदिवासी इलाकों में बिना परमीशन के प्रोजैक्ट और इंडस्ट्रीज बन रही हैं जिनकी कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना इलाके को कृष्णा-गोदावरी नदी का पानी न देकर गरीब लोगों को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है।

सभापति जी, अपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदया, धन्यवाद।

सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की ओर से सच्चर समिति का गठन करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। किंतु मैं इसे आश्चर्यजनक पाता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने कहा है कि वे अभी एक कार्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब एक रिपोर्ट 30 नवम्बर को आ चुकी है, तो अब तक कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। सरकार को इस विषय में कुछ स्पष्टता दिखानी चाहिए थी कि वे सच्चर समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में क्या करना चाहते हैं?

सच्चर समिति की रिपोर्ट में विशेषकर शिक्षा के बारे में नौ अध्याय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्य मंत्री श्री फातमी की अध्यक्षता में एक उपसमिति बनाई गई थी। उन्होंने सभी मुस्लिम सांसदों को बुलाया। जहां तक शिक्षा का संबंध है हमने ठीक उन्हीं विषयों पर अपनी राय दी जो हम मुस्लिमों के उत्थान के लिए चाहते थे।

मुझे बताया गया है कि यह रिपोर्ट भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दे दी गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फातमी समिति की सिफारिशों का यहां उल्लेख नहीं किया गया है- इस रिपोर्ट में उसके एक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है; जबकि यह ज्ञात तथ्य है कि सच्चर समिति ने स्पष्टरूप से बताया है कि 6-15 आयु वर्ग के 25 प्रतिशत मुस्लिम बच्चों ने न तो स्कूल में पढ़ाई की है; न ही स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर बहुत अधिक है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि जब वह उत्तर दें तो वह इस विषय पर प्रकाश डालें कि फात्मी उपसमिति और सच्चर समिति का क्या हश्र होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम की बात कही गई है। पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम में ही साम्प्रदायिक दंगा पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही गई है। हम जानते हैं कि 2002 में गुजरात में जो हुआ। प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था और संप्रग सरकार ने भी वक्तव्य दिया था कि उन पीड़ितों, मृत व्यक्तियों जो गुजरात दंगों में मारे गए थे, को 1984 के दंगों में मारे गए सिक्खों की तर्ज पर मुआवजा

दिया जाएगा। यह घोषणा गत वर्ष नवम्बर-दिसंबर में किसी समय की गयी थी। हम देखते हैं कि इसमें इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक गुजरात में मारे गए लोगों को मुआवजा देने का संबंध है, सरकार की क्या नीति है। सरकार की क्या नीति है? वे मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं करते जब उन्होंने 1984 के सिख दंगों की तर्ज पर मुआवजे का भुगतान करने का वचन दिया था।

महोदया, पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम में ही पीड़ितों के पुनर्वास के बारे में बात कही गई है। उन परिवारों की संख्या 5000 से अधिक है जो अभी भी गुजरात में राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकार क्या करने जा रही है? हमें राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप बैठिए। आप अपनी बारी आने पर बोलिएगा, अभी उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : श्री ओवेसी, कृपया अपनी बात जारी रखिए। कृपया उनकी बात में बाधा न डालें। कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मेरा इरादा कभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि कभी कभी सच्चाई बहुत कड़वी होती है। इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : अगर मैम्बर्स बात करना चाहते हैं, तो बाहर जाकर कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदया, आपकी अनुमति से आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं अथवा उनकी अज्ञानता को बढ़ा भी सकता हूं। कृपया 26 फरवरी का 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' पढ़िए। आपका शब्दज्ञान सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। कृपया 26 फरवरी का 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' पढ़िए। महोदया, यदि आप चाहें तो मैं इसे आपको दे सकता हूं। 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दि 'इंडियन एक्सप्रेस' सभी ने प्रकाशित किया है। ये किसी मुस्लिम नेता के शब्द नहीं है।

सभापति महोदया : इसे न पढ़ें। आप अपने को राष्ट्रपति के अभिभाषण तक सीमित रखें।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं आपके विरुद्ध शिकायत नहीं कर रहा हूं। मेरी शिकायत केन्द्र सरकार के विरुद्ध है क्योंकि मुझे आशा है और मैं जानता हूं कि इससे कोई परिणाम सामने आ सकते हैं और यदि अवसर दिया जाए तो यह 2002 को भी दोहरा सकती हैं। हम सरकार से पूछ रहे हैं, न कि उनसे।

राष्ट्रपति ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की है। दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के समक्ष नौ बड़ी चुनौतियां हैं। मैं इसे वास्तव में आश्चर्यजनक पाता हूं कि मुस्लिमों के उत्थान के बारे में एक भी शब्द का उल्लेख नहीं है। जब प्रधानमंत्री मुस्लिमों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की जांच करने के लिए सच्चर समिति का गठन करने हेतु बहुत उदार थे, तो मैं चाहता था कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ दिया जाए। यदि कुछ नहीं दिया जाता, तो क्या होगा? तेरह प्रतिशत अल्पसंख्यक जिनकी साक्षरता दर 59 प्रतिशत है, वह दायित्व बन जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि देश आर्थिक रूप से भी आगे बढ़े, तो इसका आशय यह है कि मुस्लिमों को अधिकारपूर्ण हिस्सा दिया जाना चाहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री असादूद्दीम ओवेसी]

तस्लीमा नसरीन के मामले पर आते हुए मैं यहां सरकार की आलोचना करना चाहूंगा। यह सरकार तस्लीमा नसरीन को स्थायी वीजा देकर श्री राजीव गांधी की नीति से हट गई है। यह कैसे किया जा सकता है? सरकार अपने नेता की ही अपनी सु-आधारित नीति से हट गई है। सरकार ने किस आधार पर उसे स्थायी वीजा दिया है? वह राजनीतिक शरण चाहने वाली हैं?

किसी देश में राजनीति संरक्षण मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को उस देश में धार्मिक एवं साम्प्रदायिक आधार पर देश को बांटनेवाला वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहां माननीय दलाई लामा रह रहे हैं लेकिन उन्होंने समाज को बांटनेवाला कोई वक्तव्य कभी नहीं दिया है। तस्लीमा नसरीन को ऐसे वक्तव्य देने का क्या अधिकार है। वह मानवीय आधार पर वक्तव्य देती है लेकिन उससे समाज और राष्ट्र विभाजित होता है। सरकार से मेरी मांग है कि तस्लीमा नसरीन को दिया गया स्थायी वीजा वापस लिया जाए। उन्हें बंगलादेश वापस जाने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया राष्ट्रपति अभिभाषण तक ही सीमित रहे।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : पश्चिम एशिया संकट के मसले पर इसने सरकार से मक्का समझौते पर प्रतिक्रिया क्यों दिलवाई? पन्द्रह दिन के बाद आप मक्का समझौता के समर्थन में वक्तव्य जारी करते है। सरकार हमास प्रमुख खालेद माशाल को क्यों नहीं बुलाती है? आप फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री श्री इस्माईल हैनिये को क्यों नहीं बुलाते है। उनको बुलाइए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत-चीन मंच के तर्ज पर भारत-अरब मंच, इंडो-जीसीसी मंच अवश्य गठित किया जाना चाहिए। इज़रायल के साथ भारत की नजदीकी बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अरब वासी भारतीयों का अत्यधिक सम्मान करते हैं। वे भारत का अत्यधिक सम्मान करते हैं। विदेश नीति के दृष्टिकोण से इज़रायल के साथ हमारी नजदीकी अच्छी नहीं होगी। हमलोग सदा अरब वासियों के नजदीक रहे हैं। हमने सदा फिलिस्तीन के हित की बात की है। लेकिन यह सरकार भी उसी इजरायल हितैषी नीति का अनुसरण कर रही है जिसकी शुरूआत एनडीए की सरकार ने की थी। महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदया : आप बहुत ही बुद्धिमान और अच्छे सदस्य है। कृपया राष्ट्रपति अभिभाषण तक ही सीमित रहे और राष्ट्रपति अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव पर ही बोले।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : महोदया, मैं आपके साथ बहस करना नहीं चाहता हूं। राष्ट्रपति अभिभाषण के पृष्ठ 18 बिन्दु 55 में विदेश नीति की बात कही गई है। उसमें पश्चिम एशिया संकट के बारे में चर्चा की गई है।

सभापति महोदया : आप सभी बिंदुओं पर बोल सकते है लेकिन विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मैं केवल उसी बिंदु पर प्रकाश डाल रहा हूं। मुझे यहां-वहां की बातें करने की आदत नहीं है। मैं राष्ट्रपति अभिभाषण के चर्चा के दायरे में बोल रहा हूं।

अंतत: जहां तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम एवं इन सारी चीजों का संबंध हैं, मुझे आशा है कि सरकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाएगीं। आपको सक्रिय भूमिका निभाना होगा। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का राग अब बेअसर हो चुका है। जब सच्चर समिति की रिपोर्ट पर वाद-विवाद होता है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुस्लिमों के पिछड़ेपन के लिए कौन जिम्मेदार है। जिन-जिन राज्यों में पार्टिया 33 साल से सत्ता में है, उन राज्यों में मुसलमानो की क्या स्थिति है। मुझे आशा है कि जब प्रधानमंत्री उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं तो वे उन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगें जो मैने यहां उठाये हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : महोदया, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनो सदनों में दिए गये अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है।

2004 में यूपीए सरकार के आने के बाद से वार्षिक राष्ट्रीय आय की वृद्धि प्रति वर्ष 8 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसी वर्ष हम लोग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने जा रहे है। यूपीए सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दृष्टिपत्र में उन नौ प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है जो हमारी अर्थव्यवस्था के मार्ग में अवरोधक हैं। उन नौ चुनौतियों में से 'कृषि' को अधिक महत्व दिया गया है तथा उसे प्राथमिकता वाले मुद्दे के रूप में चिह्नांकित किया गया है। हमारे देश में 60 से 70 फीसदी

आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। क्षेत्रफल एवं सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। दो वर्षों के अंदर सब्जियों के उत्पादन में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आम और केले के विश्व उत्पादन में भारत की भागीदारी क्रमश: 39 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत है। 2004-05 के दौरान बागवानी उत्पाद में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है जो 1950-51 के 17 मीट्रिक टन से बढ़कर 2006-07 मे 100 मीट्रिक टन हो गया है। भारत में मत्स्य उत्पादन 1950-51 के 0.75 मीट्रिक टन से बढ़कर 2005-06 में 6.5 मीट्रिक टन हो गया।

तीस महीने के अंदर यूपीए सरकार ने गरीबों एवं दलितों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं सूचना का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए है। सरकार ने ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण संचार सेवा, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण पेय जलापूर्ति के विकास के लिए भारत निर्माण योजना के माध्यम से विपुल निधियां आवंटित की हैं। देश में शहरों में विकास के लिए ''जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन'' नामक नई योजना की शुरूआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार पूरे शहर में जलापूर्ति, स्वच्छता, जलनिकासी, बुनियादी सेवाएं एवं शहरी गरीबों के लिए सामाजिक आवास जैसी अवसंरचनात्मक सेवाएं प्रदान कर विकास करने की योजना बनाई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 63 शहरों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। यूपीए सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम गरीबों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा ग्रामीण अवसंरचना निर्माण करने वाले प्रमुख कार्यक्रम के रूप में उभरा है। यह योजना 200 जिलों में चल रही है और इससे 1.4 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में पांच लाख से भी अधिक कामगार लाभान्वित हो चुके हैं। आनेवाले पांच वर्षों के अंदर और अधिक शहरों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने की सरकार की योजना है। यूपीए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पंचायती राज के लिए एक पृथक मंत्रालय का गठन किया गया है तथा 250 जिलों से पिछड़ापन हटाने की योजना तैयार की गई है।

डा. मनमोहन सिंह जी के सक्षम नेतृत्व में शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए अधिक निधि उपलब्ध कराई गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत निर्धन बालिकाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं की मदद के लिए विगत तीन वर्षों के अंदर 2000 नए आवासीय विद्यालय संस्वीकृत किए गये। महिलाओं एवं बाल कल्याण से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए एक पृथक महिला और बाल विकास मंत्रालय का सृजन किया गया है। यूपीए सरकार ने अनु.जा., अनु.ज.जा. पिछड़े वर्ग तथा समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े तबको के लिए शिक्षा सुलभ कराने हेतु अधिक महत्व दिया है।

यूपीए सरकार ने सहकारी ऋण संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए 13000 करोड़ रुपये का पैकेज का आवंटित किया है तथा कृषकों को ऋण प्रदान करने के लिए भारी निधि आवंटित की गई है।

भारत की 110 करोड़ आबादी में से 70 प्रतिशत लोग कृषक हैं। हमारे देश के कई भागों में भारी संख्या में कृषकों ने आत्महत्याएं की हैं। व्यक्ति कृषको की मदद करने के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल के 31 जिलों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई। गरीब किसानों की मदद के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गये। हमारी सरकार के कारगर तंत्र के फलस्वरूप 2005-2006 के दौरान कृषि विकास दर बढ़कर 6 प्रतिशत हो गयी। यद्यपि हमारी सरकार ने कृषि ऋण के लिए भारी निधि आवंटित की है, तथापि कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रयकृत बैंक प्राधिकारी जरूरतमंदों को विधिवत ढंग से ऋण संवितरित नही कर रहे तथा किसान कार्ड नहीं दे रहे हैं। उदाहरणस्वरूप हमारे निर्वाचन क्षेत्र में थास्यानैकन पट्टी वेल्लाकोइल कनारा नामक बैंक प्राधिकारी अर्हक कृषकों को किसान कार्ड देने से इंकार कर रहे हैं।

हमारी यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्थान को महत्व दिया है। माननीय न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और उनकी रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है और यह रिपोर्ट देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति के बारे में है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यको के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है। 227,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। स्वर्ण चतुर्भुज कार्यक्रम लगभग पूरा होने

[श्री एस.के. खारवेनथन]

का है। यूपीए सरकार ने 4000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेनो वाला बनाए जाने तथा 6500 किलोमीटर को 6 लेनोवाला बनाए जाने की योजना को मंजूरी दे दी है।

यूपीए सरकार ने 30 महीनों के अंदर पहली बार इस देश के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के कल्याण के लिए कई कानून बनाए हैं। बालिकाओं को अपनी पैतृक संपत्ति में समान भागीदारी प्रदान करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में समुचित संशोधन किया गया है। न्यायाधीशों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए न्यायायाधीश जांच विधेयक भी पुर:स्थापित किया गया है जिस पर संसदीय स्थायी समिति सक्रिय रूप से विचार कर रही है। देश के गरीबों एवं दलितों के उत्थान के उद्देश्य से उन्हें पदोन्नति एवं अ.जा. अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण प्रदान करने हेतु भारत के संविधान में समुचित संशोधन किया गया है।

इस समय मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में केवल दो बाते कहना चाहता हूं।

मेरा पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है। यहां के अधिकांश लोग किसान, श्रमिक, कारीगर एवं खेतिहर मजदूर हैं। मेरे पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वेदासेंतुर नामक एक ऐसी जगह है जहां सूती वस्त्र की लगभग 100 मिलें हैं। मेरे डिंडिगुल जिले में सूती वस्त्र की 136 मिलें हैं। इन सूती वस्त्र मिलों में हजारों लोग कम करते हैं। भारत सरकार को और अधिक मिलों की स्थापना करने के नए-नए उद्यमियों की सहायता करनी चाहिए। अत: सरकार से हमारा आग्रह है कि वह डिंडिगुल जिले को सूती वस्त्र क्षेत्र घोषित करने के लिए आवश्यक निधि आवंटित करे।

महोदया, अब मुझे अपने भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

*इसके अतिरिक्त डिंडिगुल क्षेत्र के किसान सभी किस्म की शाक-सब्जियां उपजा कर देश के विभिन्न भागों में भेज रहे है। लेकिन किसानों को उनके उत्पाद की पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है। उन किसानों की सहायता करने के लिए सरकार को ओड्डानचट्रम, पलानी तथा नाथम जैसे तालुक मुख्यालयों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने के लिए स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर मुलानुर में किसान भारी मात्रा में चोब का उत्पादन कर रहे हैं। अत: मुलानपुर में चोब अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना अनिवार्य हो गया है।

इस समय मैं यूपीए सरकार से साग्रह निवेदन करूंगा कि वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सरकार को अंतरराज्यीय जल विवाद को सुलझाने के लिए कम से कम दक्षिणी भारत की नदियों को जोड़ने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 17 वर्ष बाद 5.2.2007 को अपना अंतिम निर्णय दिया था। उस निर्णय में अमरावती नदी घाटी की चर्चा की गई है। अमरावती नदी में बारहों महीने पानी रहता है जिससे अमरावती बांध से करूर तक 50 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। अमरावती नदी घाटी में 100 से भी अधिक पेयजल योजनाएं चल रही हैं। अमरावती नदी की पानी से सिंचाई करके किसान 3000 एकड़ भूमि में गन्ने की खेती करते थे लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अमरावती नदी घाटी के पांबर उप घाटी से केरल को 3 टीएमसी पानी देने का निदेश दिया गया है। इसके कारण अमरावती नदी से होने वाली सिचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उडुमालपेत से लेकर करुर तक बसे किसानों पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह उस क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय है। अत: यूपीए सरकार से अनुरोध है कि कावेरी जल विवाद अधिकरण के निर्णय में उपर्युक्त भूलों को सुधार कर अधिसूचित कराया जाए; अन्यथा इससे तमिलनाडु के धारापरम तालुक, उडुमालपेट तालुक तथा करुर जिले के किसानों, आम आदमियों तथा अन्य लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : माननीय सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके अभिभाषण का मैं स्वागत करती हूं। राष्ट्रपति जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह शासन की रीति-नीति का वक्तव्य होता है। इससे हम सब निरोश हैं। सिर्फ विपक्ष ही निराश नहीं है, बल्कि देश की जनता निराश है। देश की जनता इसलिए निराश है क्योंकि पंजाब, उत्तरांचल, केरल, बिहार, ये सारे राज्य इनके हाथ से चले गए। जनता ने जो

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

जनादेश इन्हें दिया था, वह तीन वर्षों में धीरे-धीरे इनके हाथ से खिसकता जा रहा है। इसके लिए मैं कहना चाहती हूं–

"करेंगे किसी की वे क्या रहनुमाई,
लुटाकर के जो खुद करवां आ गए।"

सभापति महोदया, जहां कांग्रेस बची है, यदि उनकी गिनती करें, तो कुछ राज्य ही इनके हाथ में रह गए हैं और वे भी जब चुनाव का समय आएगा, तब इनके हाथ से निकल जाएंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : श्रीमती करुणा जी, कृपया राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बोलिए।

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, मैं उसी पर बोल रही हूं। आपने सब को इजाजत दी है। मैं सबके भाषण सुन रही थी और मैंने लिखे हुए भाषण भी पढ़े हैं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ही बोल रही हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

इन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : मुझे क्या बोलना है, मुझे मालूम है। मैं भी आपकी तरह मैम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट हूं। एक महिला को बोलने दीजिए। मैं पहली बार संसद में चुनकर आई हूं। मुझे बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : करुणा जी, आप चैयर को संबोधित कीजिए।

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, मैं तो चैयर को ही एड्रेस कर रही हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप करुणा जी का टाइम खराब मत कीजिए। इन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, धीरे-धीरे जनादेश इनके हाथ से खिसकता जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली का जनादेश भी इनको दिखा देगा कि हम कहां पर खड़े हैं।

महोदया, गुजरात के विषय में यहां बहुत बात होती है। मधुसूदन जी यहां बैठे हैं, बासुदेव आचार्य जी हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, जो इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। मैं यही कहूंगी कि गुजरात पर आंसू मत बहाइए। गुजरात पर रोने वाले पश्चिम बंगाल में सिंगुर के लोगों के भी आंसू पोंछिए। सिंगुर के आंसू कौन पोंछेगा? गुजरात पर जनादेश मिल गया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बन गई है। गुजरात पर बार-बार क्यों आंसू बहाते हैं? गुजरात का विषय समाप्त हो चुका है और आने वाले समय में फिर से गुजरात पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, रोने से कुछ होने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : करुणा जी, आप प्वाइंट्स पर बोलिए, समय बहुत कम है। आपके पांच में से तीन मिनट पहले ही हो चुके हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, मैं प्वाइंट्स पर ही बोल रही हूं। मधुसूदन जी दो पंक्तियां आपके लिए हैं 'अपने चेहरे देखते नहीं लोग, आइना साफ करने की बात करते हैं।' आप अपने चेहरे के दाग देखिए और फिर इस देश की जनता के सामने जाइए।

महोदया, मैं दो विषयों पर अपनी बात कहना चाहूंगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं के आरक्षण का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन जी ने मुल्ला और मौलवियों के खिलाफ लिखा, तो उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया। अब उन्हें हमारे यहां शरण दी जा रही है, तो उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि वे एक महिला हैं, मुल्ला और मौलिवियों के खिलाफ लिखती है। यदि उनको भारत में शरण दिए जाने की बात होती है, तो उसका विरोध करते हैं। महिला आरक्षण की बात इसमें नहीं की गई है। मैं जानती हूं कि आप भी इसकी पक्षधर हैं। हम महिलाओं में इसे लेकर निराशा है। हमारी संसद का विश्व में 108वां नंबर है, जहां सिर्फ 44 महिलाएं सांसद बनकर आती हैं। हम कहां खड़े हैं? हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन अभिभाषण में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया है।

[श्रीमती करुणा शुक्ला]

महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा नम्बर 42 में सुरक्षा संगठनों और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की सभी बातों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इस देश के 55 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। कुछ दिन पहले हमने अपना एक नौजवान सांसद खो दिया है। वह काल के गाल में अचानक समा गया। पता नहीं हम भी किस दिन समा जाएं? उस नक्सलवाद के बारे में अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई है। देश नक्सलवाद की चपेट में आता जा रहा है, उस समस्या का हल कैसे होगा? उसके लिए कौन सी राष्ट्रीय नीति बनेगी? इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया है। वर्ष 2009 तक गांवों में बिजली पहुंचा देंगे, यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, कागज में लिखी हुई भी बहुत अच्छी लगती है, मार्च 2007 शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत से गांवों में बिजली का एक खम्भा भी खड़ा नहीं हुआ है। सभी सांसद इस बात से सहमत होंगे कि वहां बिजली कैसे आएगी, जहां बिजली का एक खम्भा भी खड़ा न हुआ हो?

महोदया, लोगों को महंगाई मार रही है। मैं ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूं। मैं गृहिणी से विधायक तथा सांसद बनी हूं। आर्थिक विकास दर जो कागजों में दिखाई देती है, इंग्लिश के अखबारों और मैगजिनों में दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी को यह दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी तो अभी भी गरीबी से मर रहा है। उसको दाल-रोटी खाने को नहीं मिल रही है। उसको जीने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। देश के नौजवान दिगभ्रमित हो रहे हैं। उनको संविधान पर विश्वास नहीं रहा, कानून पर भरोसा नहीं रहा, इस देश की सरकार पर उनकी आस्था खत्म हो गई। अब वे कहां जायें, किसके लिए जिएं, क्या काम करें। कोई दिशा बेरोजगारों को इसमें नहीं दी गई है।

मैं 2-3 विषय और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, वह भारत की आत्मा जो गांवों में बसती है, वे किसान हैं और किसानों के लिए हमने कुछ नहीं किया। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई एक बात नहीं कही गई कि किसानों को आत्महत्याएं करने से कैसे बचाया जायेगा। सिंचाई के संसाधन नहीं बढ़ाये गये और सिंचाई के संसाधन नहीं बढ़ेंगे, बिजली नहीं आयेगी तो इस देश का किसान कभी खुशहाल नहीं होगा और जब किसान खुशहाल नहीं होगा तो महान भारत देश के रहने वाले हम लोग भी कभी खुशहाल नहीं होंगे।

मैं इस अभिभाषण पर महामहिम राष्ट्रपति जी को श्रद्धा के साथ, क्योंकि वे इस देश के संत हैं, वे सरकार के अलावा जो कुछ बोलते हैं, हम लोग उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनको प्रणाम करती हूं, पर उन्होंने जो नीतिगत वक्तव्य दिया है, उसका विरोध करती हूं।

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : आदरणीय सभापति महोदया, यह सरकार सत्ता मे तीन साल पूरा करने जा रही है। जनता द्वारा इस सरकार को दिया गया जनादेश बिलिकुल स्पष्ट है। यह जनादेश एक अलग ही मार्ग का अनुसरण करने के लिए दिया गया था। लोगों की यह चाहत थी कि इस सरकार को एक अलग नए मार्ग को अपनाना चाहिए। ऐसा इस बोध के कारण है। इस सरकार को समर्थन देने वाले घटक दल और हमारे जैसे लोगों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत मिलजुल कर इस सरकार का गठन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार ने विगत लोक सभा निर्वाचन के परिणाम से कोई सबक नहीं लिया है और न ही इसने पंजाब और उत्तरांखड में संपन्न हुए निर्वाचन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को मिली शिकस्त से ही कुछ सीखा है।

सभी उत्पादों की कीमत आसमान छू रही है। सरकार इन उत्पादो की कीमत को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री इस मामले को एकदम महत्वहीन समझते है। स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि जब विकास दर नौ प्रतिशत है, तो मुद्रास्फीति लाज़मी है। लेकिन हमलोग उन देशों के बारे में भी जानते हैं जहां विकास दर यहां से अधिक है लेकिन मुद्रास्फीति कम है। उदाहरण के तौर पर चीन को लिया जा सकता है। वहां विकास दर दस प्रतिशत है लेकिन मुद्रास्फीति तीन प्रतिशत से कम है। वहां यह संभव कैसे है अत: इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि विकास दर अधिक रहते हुए भी मुद्रास्फीति एवं महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को बहुत ही कारगर ढंग से बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए।

गरीबों तक आवश्यक वस्तु पहुंचाने के लिए सरकार के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत ही कारगार साधन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या हुआ? क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ कर रही है।

गरीबों की गणना करना महज एक छलावा है। वे इसको गणना मनमाने ढंग से करते हैं। इस समय लाखों लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर है। दो सप्ताह पहले की बात है, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक गरीब महिला रोते हुए मेरे पास आई। उसने कहा कि गरीबी रेखा से उपर होने के कारण उसे राशन कार्ड नहीं दिया गया है। प्राधिकारियों का कहना है कि वह गरीबी रेखा से उपर है। मैने स्थानीय तहसीलदार से संपर्क किया। तब उसने कहा कि सूची में इनका नाम शामिल करने के लिए किसी और का नाम हटाना पड़ेगा। इस देश में क्या हो रहा है? सरकार मनमाने ढंग से गरीबी रेखा को परिभाषित कर रही है। यही कारण है कि कई जरूरतमंद लोगों का नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दर्ज नहीं हैं।

माननीय वित्तमंत्री का कहना है कि हमलोग कंप्यूटरीकरण करने जा रहे हैं। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर यही है? आप इसका कंप्यूटरीकरण करे या न करें लेकिन जनता चाहती है कि उन्हें आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से दी जाएं।...*(व्यवधान)* गेहूं की खरीद का क्या हुआ? सरकार ने सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बाजार में आ कर गेहूं की खरीद करने की अनुमति दे दी। इससे पहले कि भारतीय खाद्य निगम गेहूं खरीद सके, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाला सभी गेहूं खरीद लिया गया। अच्छा खासा उत्पादन होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम उतना गेहूं नहीं खरीद सका जितनी कि उसे उम्मीद रहती है। अत: इन सारी चीजों का क्या हुआ। सरकार उन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, हमारे देश में किसानों को गेहूं का जितना मूल्य दिया जाता है; उससे अधिक मूल्य देकर, गेहूं का आयात करने का निर्णय किया। उत्तर यह है कि आपको भारतीय खाद्य निगम को सुदृढ़ बनाना चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना चाहिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में और अधिक लोगों को शामिल करना चाहिए। सरकार की ओर से कारगर पहल करके मंहगाई और मुद्रास्फीति दोनो को नियंत्रित किया जा सकता है। अत: इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाने चाहिए...*(व्यवधान)*

अब मैं देश में दलितों एवं अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति के बारे में बोलना चाहता हूं। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान बंगलौर से लेकर गोरखपुर तक एवं पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर योजनाबद्ध ढंग से आक्रमण किए गये। कम से कम ऐसी 12 बड़ी घटनाएं घटित हुई जिसमें केरल भी शामिल है जहां सांप्रदायिक भावनाएं भड़कायी गयी तथा अल्पसंख्यकों पर नियोजित ढंग से हमले किए गये। सरकार ने इन मामलों में क्या किया? गुजरात दंगे के पीड़ितों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। केन्द्र सरकार इसके लिए क्या कर रही है? इस प्रस्ताव को लाने वाले श्री मधुसूदन मिस्त्री इस बात से भलीभांति वाकिफ है। गुजरात दंगों से पीड़ित हजारों लोग अल्पसंख्यक समुदाय के है और आज भी वे मुआवजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यदि गुजरात सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, तो केन्द्र सरकार को सीधे उन पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए।

दलितों पर आक्रमण भी बढ़ गये हैं। महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ बड़ी घटनाएं हुई? क्या सरकार ने हस्तक्षेप किया? यह जानने के लिए कि कोई समाज सभ्य है या असभ्य, सबसे बड़ा मापदण्ड वहां गुजर बसर करने वाले अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति एवं उनकी जीवन शैली है। अत: भारत में इन वर्गों एवं दलितों, जो कि हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं, पर अत्याचार अभी भी बड़े ही नियोजित ढंग से किया जा रहा है और कुछ स्थानों पर ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अत: इस पर रोक लगायी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

महोदया कृपया मुझे दो मिनट का समय और दिया जाए... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपकी पार्टी से एक और सदस्य को बोलना है।

एडवोकेट सुरेश कुरुप : महोदया, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा।

ये बिते दिनों की बात है जब हम गर्व से कहा करते थे कि हमारी विदेश नीति सशक्त साम्राज्यवादी विरोधी आधार पर आधारित है। लेकिन आज हम अमेरिका के छोटे-मोटे साथी होने पर गौरान्वित हो रहे हैं। भारत अपनी विदेश नीति के मामले मे अमेरिका के पदचिह्नों पर चल रहा है। हमें इन खामियों को तत्काल दुरूस्त करना चाहिए और मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारी जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, उसके विरुद्ध है।

महोदया, मेरा अन्तिम प्रश्न क्वात्रोच्चि के बारे में है। सौभाग्य से, क्वात्रोच्चि इस समय अर्जेंटिना में अभिरक्षा में है। इंटरपोल ने उन्हें अभिरक्षा में लिया था। उन्हें जमानत दे दी गयी लेकिन वह अब भी अर्जेंटिना में ही है। देश में इस बात पर संशय की स्थिति व्याप्त है कि सरकार उसके बारे में क्या करेगी।

इसी सरकार ने लंदन बैंक में उसके खाते पर लगाए गये प्रतिबंध हटाने के लिए गुप्त रूप से अनुमति दी थी। इस देश को इस संबंध

[एडवोकेट सुरेश कुरुप]

में कोई जानकारी दिए बिना एक अभियोजक वहां जाता है और लंदन न्यायालय में उसके बैंक खाते पर लगाए गये प्रतिबंध को हटाने के लिए आवेदन-पत्र देता है। वह उस खाते से सारे रुपये निकाल कर बच निकलता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैं जानती हूं। मैं इसे समझ सकती हूं। प्रत्येक बात जायज है लेकिन समय की कमी है। हम पांच मिनट का समय दे रहे हैं। आप पहले ही सात मिनट का समय ले चुके है। कृपया बीच में न बोलें।

(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरुप : इस सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि इससे इस सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अत: इस सरकार से मेरी अंतिम अपील यह है कि इसे एक अलग मार्ग का अनुसरण करना चाहिए; न कि उस मार्ग का जिसका अनुसरण एनडीए की सरकार ने किया था इस सरकार से उस रास्ते का अनुसरण करने की अपेक्षा नहीं है जिसका अनुसरण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने किया था। जनता ने अपना जनादेश ऐसा करने के लिए नहीं दिया है। यदि वे जनता के जनादेश को समझें, तो यह अच्छी बात है।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : महोदया, मै सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

मैं तमिल के अतुलनीय नेता, श्री वाइको की अध्यक्षता वाली तमिलनाडु की मारुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी की ओर से बोल रहा हूं।

हम 23 फरवरी, 2007 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गये महत्वपूर्ण भाषण के लिए लाए गये धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत और समर्थन करते हैं। घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण गरीब लोग अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि बढ़ती मंहगाई और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

कोयम्बटूर जिले के आरक्षित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, पोल्लाची से सदस्य के रूप में मेरे लिए यह खुशी की और उत्साहवर्द्धक बात है कि डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार सामाजिक न्याय को अधिक महत्व दे रही है और उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की खाली पड़ी बकाया आरक्षित सीटों को भरने की दिशा में सरकार ने काफी प्रगति की है और शेष बची सीटों को भी भरने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह निराशाजनक बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नदियों के अंतर्संयोजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे देश के कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा तथा सूखा प्रभावित क्षेत्र भी उपजाऊ भूमि हो जाएगी।

जैसा राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि हम इस वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपनी आजादी की 60वीं वर्षगांठ तथा प्रथम स्वाधीनता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं।

इस समय हम जिस आजादी एवं लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है का जश्न मना रहे हैं, जो कि निर्वाचन की आधारशिला पर आधारित है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका निभानी है।

तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के चुनाव, विशेषरूप से चेन्नई निगम के चुनाव के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि गुडों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा बूथ पर कब्जा करके अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मनमाने ढंग से मतदान करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। एक उच्च पुलिस अधिकारी को पता चला कि उनका वोट सुबह के ग्यारह बजे ही डाल दिया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा तीन माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी और उनमें से दो न्यायाधीशों ने पाया कि कई असंख्य फर्जी मत डाले गये एवं आश्चर्य की बात यह है कि कई चुनाव केन्द्रों पर सौ प्रतिशत से भी अधिक मत डाले गये...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर) : महोदया, वह चेन्नई निगम के निर्वाचन के बारे में बोल रहे हैं और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : उन्हें बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए। वह उसे पूरा कर रहे हैं। कृपया व्यवधान न डालें। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए। आप कार्यवाही-वृत्तांत में केवल डा. कृष्णन के भाषण को शामिल कीजिए।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : उन्हें बोलने दीजिए। कृपया बैठ जाइए। मुझे लगता है कि वह अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं। सभा की कार्यवाही को बाधित न करें।

डा. सी. कृष्णन : माननीय न्यायाधीशों ने तमिलनाडु राज्य सरकार तथा तमिलनाडु के निर्वाचन आयोग के प्राधिकारियों, दोनों की ओलाचना की है। हमें अपने लोकतंत्र की उच्च गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए भविष्य में इस प्रकार की हेराफेरी से बचने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 23 फरवरी 2007 को ऐसे महत्वपूर्ण भाषण देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय पोलिटिकल आदमी नहीं हैं इसलिए उन्होंने अपने भाषण में जो विचार व्यक्त किये, वे उनके नहीं है। हम राष्ट्रपति महोदय को पहले से पहचानते हैं। उनके जो विचार हैं, भारत के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, वे उसे व्यक्त नहीं कर पाये। हम जानते हैं कि वे बच्चों के माध्यम से भारत की युवा पीढ़ी को तैयार करने का काम जगह-जगह करते हैं और उनसे सीधा सवाल करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी को बच्चों से सीधा सवाल करने की आवश्यकता क्यों पड़े? महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्र के सर्वोपरि नेता हैं। आज देश में एक ऐसी शिक्षा पद्धति की जरूरत है, जिसे ग्रहण करके हम अपने देश को गौरवशाली राष्ट्र बना सकते हैं। देश में एक ऐसी शिक्षा पद्धति हो, जिससे अपने देश का गौरव बढ़े। इस देश के नागरिक उस शिक्षा पद्धति के आधार पर अपना पोटेंशियल बाहर लायें लेकिन यह नहीं हो सकता क्योंकि आज जो शिक्षा पद्धति है उसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जो सिस्टम होना चाहिए, उसमें जिस सम्पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है, वह उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम चाहते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। गांवों में स्कूल, कमरे और पूरे टीचर्स हो। लेकिन आज भी देश में जो परिस्थिति है, वह ठीक नहीं है। अभी हमारे मित्र यहां से चले गये हैं। हमारा उनसे कहना है कि वे गुजरात में आयें। हमने गुजरात में 1995 के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद, समाज परिवर्तन के लिए एक माहौल बनाया है कि कैसे हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ देश में एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हर गांव में स्कूल हो और उसमें सभी कमरे और टीचर्स हों ताकि विद्यार्थी वहां भर्ती हो सके। हमने गांवों में विद्या स्टाफ की भर्ती करके वहां पूर्ण संख्या में टीचर्स हों ताकि विद्यार्थी वहां भर्ती हो सके। हमने गांवों में विद्या स्टाफ की भर्ती करके वहां पूर्ण संख्या में टीचर्स की भर्ती कर दी है। हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ हम हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था करने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहे, तो उसे हम पूरा कर सकते हैं। हम अपने देश के नागरिकों को अच्छी शिक्षा देने के साथ-साथ अच्छा नागरिक बनाने को जो सपना संजोये हुए हैं, वह पूरा हो सकता है। ''सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा'' यह हम केवल शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा में आज क्या हो रहा है? जिन पुस्तकों में हमारा स्वाभिमान है, अपने देश का इतिहास है, उनको विकृत करने की जो प्रवृत्ति चल रही है, वह बंद होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, दूसरी बात यह है कि आजकल देश में लॉ एंड आर्डर की जो परिस्थिति है, उसे देखकर हम सब चिंतित है। आज माओवादी, नक्सलवाद और आतंकवाद के कारण पूरे देश की स्थिति विस्फोटक हुई है। हमारा गुजरात को गुजको का कानून पिछले चार वर्ष से बना हुआ है जिसे हमने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए बनाया है, लेकिन केन्द्र सरकार उसे पास नहीं कर रही है।...*(व्यवधान)* अभी मुझे बोलते हुए दो मिनट ही हुए हैं।

सभापति महोदया : आपको पता नहीं चलता लेकिन मेरे सामने घड़ी है।

डा. वल्लभभाई कथीरिया : मोहम्मद अफजल को फांसी देने की जो बात है, वह भी नहीं हो रही है। इस तरह लॉ एंड आर्डर का कोई काम नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों के लिए बहुत बातें कही गयी हैं। लेकिन 500 करोड़ रुपये केवल ड्रिप इरीगेशन के लिए है, जबकि रीवर के लिंकिंग की बात कहीं दिखाई नहीं दे रही है। किसानों के लिए कहा गया कि हमने उनके

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. वल्लभभाई कथीरिया]

लिए इतने काम किये लेकिन एग्रीकल्चर जीडीपी जो पहले 26.5 परसेंट थी, वह कम होकर 18.5 परसेंट हो गयी है। किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम जो करना चाहते हैं, वह हम कुछ नहीं कर सके।

सायं 6.00 बजे

ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के यूनाइटेड नेशन्स के फीगर्स हैं, उनमें आज हमारे देश का नम्बर 177 देशों में 126वां है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं और करप्शन के मामले में हमारा देश विश्व में सातवें स्थान पर है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। आप चाहे हैल्थ की बात करें, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या इम्प्लायमेंट की बात करें, हमारे देश की स्थिति खराब है। आज हमारे देश में अनइम्प्लायमेंट बहुत ज्यादा है। आज हमने बाल मजदूरी विरोधी कानून पास कर दिया है, लेकिन आज भी 15 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूर के रूप में देश में मौजूद हैं। आज गांवों में पीने के पानी की समस्या है, आज भी देश में 17.75 करोड़ मकानों में से 8.8 करोड़ मकान कच्चे हैं और उन पर छत नहीं है। आज 9.75 करोड़ यंग कपल्स के पास रहने के लिए एक कमरे का मकान है। यह हमारे देश की आर्थिक स्थिति है। देश के 40 प्रतिशत नागरिक 52 हजार झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुबह घोषणा की है, हमें इस मुद्दे पर वाद-विवाद को आज ही पूरा करना है तथा इस पर उत्तर कल दिया जायेगा। अत: मैं इस मुद्दे पर वाद-विवाद पूरा होने तक सभा की कार्यवाही का समय बढ़ाती हूं। मैं समझती हूं कि इस पर सभा सहमत है।

कुछ माननीय सदस्यगण : जी हां!

श्री एम. शिवन्ना : महोदया शून्यकाल का क्या होगा?

सभापति महोदया : यह वाद-विवाद, सभी माननीय सदस्यों के बोले जाने तक चलता रहेगा तथा उसके बाद हम तय करेंगे कि हम "शून्यकाल" शुरू करेंगे या नहीं।

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया : आज हम लोग देश के आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियां आ रही हैं, देश में एफडीआई आ रहा है, लेकिन इस विकास का लाभ किसे मिल रहा है? क्या देश के गरीब, दलित, आदिवासी, माइनारिटीज और किसान, इन सभी को इसका लाभ मिल रहा है? क्या स्त्रियों और बच्चों की स्थिति सुधर रही है?

सभापति महोदया : कथीरिया जी, आपकी पार्टी के कई अन्य माननीय सदस्यों को बोलना है। उनके लिए समय कम हो जाएगा।

डा. वल्लभभाई कथीरिया : मैडम में एक पंक्ति बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक कवि ने लिखा है कि यदि आप केवल काला-बाजारी, कर चोरी, रिश्वतखोरी को चालू रखने के लिए सपोर्ट करते रहेंगे और सत्ता की सेंधमारी में कुर्सी के लिए साथ बने रहेंगे तो लोग आपको सहन नहीं करेंगे। इस देश में लोग अब इससे तंग आ गए है।...*(व्यवधान)* हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की बात को यहां दोहराना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए, आप क्या कविता सुना रहे हैं।

डा. वल्लभभाई कथीरिया : मैडम, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास ग्रामीण विस्तार के विकास का बाधक बनता है, इसलिए वैश्वीकरण के जमाने में नयी जन्मती हुई चिन्ता की ओर हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ग्रामीण विकास एवं आर्थिक विकास को साथ-साथ रखना पड़ेगा।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : सभापति महोदया, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेने हेतु मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे अब्दुल कलाम को अपने मद और राष्ट्र की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के लिए बधाई देता हूं।

महोदया, हमारे माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 58 बिंदुओं में सरकार के विचार व्यक्त किए जिनमें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं, समग्र विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मुद्रास्फीति जवाहरलाल नेहरु शहरी पुनरूद्धार मिशन, सकल घरेलू उत्पाद के चौंतीस प्रतिशत तक निवेश दर में वृद्धि, मध्याह्न भोजन, सर्वशिक्षा अभियान,

*मूलत: कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

महिला और बाल विकास हेतु आवंटित धनराशि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्च शिक्षा, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय ऋण उपलब्धता, राष्ट्रीय कृषि, किसानों द्वारा आत्महत्या, प्रधानमंत्री को पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम, वन्यजीव का संरक्षण, रेलवे और एयरवेज आदि में उपलब्धियां शामिल हैं।

सायं 6.05 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1952 से, जब पहली बार देश में हमारी संसद का गठन किया गया था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस समूह के लिए इस सरकार द्वारा कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया है। जब मैं छात्र था तो मैं छात्रावास में रहता था। वह छात्रावास आज भी उसी स्थिति में हैं। आज भी इसमें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है। मुझे अब तक इस सरकार के कार्यकाल में कोई नया छात्रावास अथवा कालेज नहीं दिखा है। सरकार का कहना है कि उसे हर क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है किंतु निचले स्तर पर व्यावहारिक रूप से कुछ दिखाई नहीं देता है।

जहां तक सर्वशिक्षा अभियान का संबंध है, यह गरीब बच्चों को शिक्षा और मध्याहन भोजन उपलब्ध कराने के लिए वास्तव में एक अच्छी योजना है किंतु इस योजना के तहत कक्षा सात तक के बच्चे ही कवर किए जाते हैं। इस योजना का विस्तार जाति, वर्ग और नस्ल के आधार पर भेदभाव किए बिना बारहवीं कक्षा तक के बच्चों तक किया जाना चाहिए।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो गरीबी रेखा के नीचे और दूसरे गरीबी रेखा के ऊपर जो इससे लाभान्वित होते हैं। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को पहचान पत्र जारी करने में अत्यधिक भेदभाव बरता जाता है। अनेक लोग हैं जिन्हें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों हेतु कार्ड नहीं मिल पाए हैं। हमें इस संबंध में जनता की ओर से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वे हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। वे हमसे गरीबी रेखा से नीचे वाले कार्ड दिलाने में सहायता करने का अनुरोध कर रहे हैं। आम आदमी अपने बीपीएल कार्ड लेने के लिए जिला अधिकारियों और तहसीलदारों के पास जा रहे हैं। तब भी उन्हें बीपीएल कार्ड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। यह हमारे लिए शर्मनाक है। सरकार कहती है कि बफर स्टाक अत्यधिक मात्रा में हैं किंतु फिर सरकार लोगों को खाद्यान्न वितरण करने के लिए उचित तंत्र क्यों नहीं अपना रही है। सरकार ने हमारे देश में 'गरीबी हटाओ' योजना क्रियान्वित की है किंतु उसके बावजूद गरीबों की संख्या घटने की बजाय बढ़ रही है, धनी और अधिक धनी होते जा रहे हैं। यह बड़ी चिंता का मामला है और सरकार को इस प्रकार की असमानताओं को दूर करना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अपने अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति ने नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया है। मेरी राय है कि जब तक हम नदियों को जोड़ने के लिए कदम नही उठाते तब तक हमारा देश एक विकसित देश नहीं होगा। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी नदियों को आपस में जोड़ने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया है। देश में जल विवाद संबंधी समस्याओं का हल तलाश करने का एक मात्र रास्ता है। गत एक माह से कर्नाटक के कावेरी बेसिन स्थित लोग कावेरी अधिकरण के अंतिम अधिनिर्णय के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। मठों के स्वामी, छात्र, डाक्टर, वकील, छोटे बच्चे इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम) : महोदय, वह राष्ट्रपति के अभिभाषण से हट रहे हैं और कावेरी अधिकरण के अधिनियम की बात कर रहे है:—...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। वह अब अपनी बात समाप्त करने वाले हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम शिवन्ना के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एम. शिवन्ना : अत: मेरा केन्द्र से हस्तक्षेप करने और उन सभी चारों दक्षिणी राज्यों से बातचीत करने का अनुरोध है जो इस विवाद में शामिल हैं। साथ ही, हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करें क्योंकि यह देश की एक ज्वलंत समस्या है। यदि केन्द्र तत्काल कदम नहीं उठाता तो कर्नाटक की गलियों में रक्तपात हो जाएगा और स्थिति एक खतरनाक मोड़ ले लेगी जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान होगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बात कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए। वह अब अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री एम. शिवन्ना : महोदय, कृपया मुझे इस मुद्दे को उठाने का अवसर दीजिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

महोदय, अब तमिलनाडु के माननीय सदस्य इस चर्चा का विरोध कर रहे हैं। महोदय, आप मुझे बताइए कि यदि हम मुद्दे को यहां इस माननीय सदन में नहीं उठाते तो इस मुद्दे को हम कहां उठा सकते हैं। हमें कहां इंसाफ मिलेगा? मुझे कर्नाटक से संसद के सदस्य के रूप में चुना गया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। महोदय, यदि आप मुझे यहां कावेरी मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देते तो यह कर्नाटक के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। महोदय, कृपया मुझे यहां बोलने की अनुमति दीजिए क्योंकि राज्य में स्थिति बहुत खराब है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आरून रशीद, आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। जब आपकी ओर आपके दल के कोई माननीय सदस्य बोलेंगे तो उस समय वह उसका उत्तर उन्हें देंगे।

श्री शिवन्ना अब अपना भाषण कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एम. शिवन्ना : नक्सलियों ने हमारे साथी श्री सुनील महतो की हत्या कर दी है। मैं स्वयं उस जिले से आया हूं जहां हाथी दांत के तस्कर वीरप्पन ने अनेक लोगों की हत्या कर दी। वह आज जीवित नहीं हैं। किंतु हम राजनीतिज्ञों को खतरा है।

कर्नाटक राज्य सरकार ने मुझे दी गई सुरक्षा वापिस ले ली है। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि केन्द्र सभी माननीय संसद सदस्यों को उचित सुरक्षा प्रदान कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली (राजामुन्दरी) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में मुझे बोलने की अनुमति देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे 1 अप्रैल, 2007 से शुरू होने वाली ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीतियों, कृषि क्षेत्र में गतिशीलता की पुनर्बहाली, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनर्प्रयोज्य मिशन, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए सुधार लाने, अल्पसंख्यक विकास हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा विकास, रेलवे का विकास आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक सुधार, विदेश नीति और अंत में, वृद्धि नीति का विस्तार से उल्लेख किया है।

देश का राजकोषीय प्रबंधन राजस्व और राजकोषीय घाटे दोनों के नियंत्रण में रहने के कारण उचित दिशा में चल रहा है।

महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश ने लगातार द्वितीय वर्ष नौ प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हर प्रांत की है। मुझे इसकी भी प्रसन्नता है कि देश ने लगातार तीसरे वर्ष 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है।

महोदय, हमारे सुपुर्दगी तंत्र की कुशलता/अकुशलता चिंता का एक प्रमुख मुद्दा है और इसमें सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार और कार्य करने की अनिच्छा व्याप्त है। जबतक हम इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से ध्यान नहीं देगें हमारे सभी अच्छे कार्यों का अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होगा। देश में सुपुर्दगी तंत्र में सुधार लाने के इस मुख्य मुद्दे पर पूरी प्रणाली के उत्तरदायित्व में वृद्धि करके चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है। एक शिकायत यह रही है कि हमारे समाज में गत दो दशक से चारो तरफ सामाजिक मूल्यों में कमी आयी है। हमें यहां इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए अन्यथा लोगों की लोकतंत्र में रूचि कम हो जायेगी और वे अपनेआप को भाग्य के सहारे छोड़ना पसंद करेंगे। हम सभी-विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया और न्यायपालिका की कम से कम इस संस्थान में और अधिक गिरावट आने को रोकने की जिम्मेवारी है। हम एक खतरनाक दिशा की ओर अग्रसर हैं जहां जाने अथवा अनजाने में लोकतंत्र के उचित कार्यकरण और लोक हित हेतु प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए कतिपय संस्थाओं की दी गई अभ्युक्तियों का इन्हीं माननीय संस्थाओं द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यवसायिक हितों के लिए उपभोग किया जाता है।

हाल ही में जब मेरे ध्यान में यह लाया गया कि ''मार्गदर्शी'' फाइनेंसियर'' जिनका स्वामित्व प्रसंगवश उन्हीं व्यक्ति के पास है जो एक अन्य अग्रणी तमिल दैनिक के संपादक हैं और वे लोगों से नियम विरुद्ध कार्य करते हुए पूंजी संग्रहित कर रहे हैं, मैंने इस संबंध में भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार दोनों के पास 6 नवम्बर, 2006 को एक शिकायत दर्ज करायी। आश्चर्य की बात यह है कि इसके स्वामी द्वारा यह तथ्य स्वीकारने के बाद कि उन्होंने लोगों से 31 मार्च 2006 तक 2600 करोड़ रुपए संग्रहित किये हैं और 1800

करोड़ रुपए की हानि हुई है सरकार द्वारा 120 दिन के बाद तक की कोई कार्यवाही नहीं की गई है...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मैं माननीय सदस्य के भाषण का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन उनके द्वारा उल्लेख किया जा रहा मामला न्यायाधीन है। यह मामला उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में लंबित है। अत: माननीय सदस्य की ओर से इसका सभा में उल्लेख करना उचित नहीं है। यहां तक कि कावेरी न्यायाधिकरण जिसपर हम चर्चा कर रहे हैं। यह निर्णय न्यायाधिकरण का है...*(व्यवधान)* अत: मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस न्यायाधीन मामले पर सभा में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों और अन्य सभी लोगों को गुमराह किया है...*(व्यवधान)* मैं सच बोल रहा हूं और आप इस पर आपत्ति कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, कृपया मेरी बात सुने। उनके भाषण में जो कुछ भी आपत्तिजनक पाया जायेगा, उसे कार्यवाही वृत्तांत में निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय वे मीडिया और प्रेस पर हमला कर रहे हैं...*(व्यवधान)* यह मामला उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में भी लंबित है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं इस संबंध में आपका निर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि जो कुछ भी आपत्तिजनक है मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूं क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है। सदस्य महोदय को स्वयं ही इस मामले को नहीं उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा। श्री अरुण कुमार, यदि यह मामला न्यायाधीन है तो कृपया इसका उल्लेख नहीं करें।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति पेपर निकालता है या टीवी चैनल चलाता है, गैरकानूनी काम करता है, तो क्या उससे कोई पूछ नहीं सकता है? जब मैंने पूछा तो कहने लगे कि कांग्रेस वाला पूछ रहा है, कोई षडयंत्र हो रहा है। मैं समझता हूं और सोचता हूं कि भारत में किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी के बारे में कोई भी भारतवासी पूछ सकता है, प्रश्न खड़ा कर सकता है। ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने 2600 करोड़ पब्लिक से इल्लीगली लिया है

[अनुवाद]

जोकि इसके लिए हकदार नहीं है। रिजर्व बैंक द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि वे एक गैर-कानूनी कार्य कर रहे हैं। जब राज्य सरकार ने इस संबंध में हस्तक्षेप करते हुए वस्तुस्थिति के बारे में जांच करानी चाही तो उन्होंने कहा कि "नहीं मैं इस जांच को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।"

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं नियम-353 के अंतर्गत व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो..."

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ठहरिए। यह किस नियम के अंतर्गत है।

श्री अनंत कुमार : यह नियम 353 के अंतर्गत है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : आप इसे मानहानिकारक कैसे मानते हैं। श्री आडवाणी जी ने इसका कैसे उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

आप भूल गए हैं। आप उस समय सभा में नहीं थे। आडवाणी जी ने मेंशन किया था।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : मैं इस नियम को पढ़ता हूं।

(व्यवधान)

[श्री अनंत कुमार]

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नही लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी [1][पर्याप्त अग्रिम सूचना] न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके:

परंतु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।

यहां प्रश्न यह है कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष अथवा आपको कोई उचित नोटिस नहीं दिया है। जिस व्यक्ति के उपर आरोप लगाया जा रहा है वे अपना बचाव करने के लिए यहां उपस्थित नहीं है। अत: किसी सुनी सुनाई बात अथवा प्रेस रिपोर्ट के आधार पर वे श्री रामोजी राव और 'इनेडू' के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं जिसका हम घोर विरोध करते हैं।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : यह सुनी सुनाई बात पर आधारित नहीं है। आप मेरी बात सुनिए और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह मानहानिकारक है आप उनसे कार्यवाही वृत्तांत से इसे बाहर निकालने हेतु कह सकते हैं।

श्री अनंत कुमार : वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से रोकें जिसका कोई आधार नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को किसी के विरुद्ध आरोप लगाने से नहीं रोक रहा हूं। लेकिन मार्गदर्शी कर एक मामला उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में भी लंबित है। इसीलिए मैं आपसे उन्हें रोकने का निवेदन कर रहा हूं। यह मामला अभी भी न्यायाधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : वे किसी के विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं। हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन मार्गदर्शी का मामला अभी न्यायालयों में न्यायाधीन है। इसीलिए उन्हें इस मामले पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अदालत को इस पर अभी कार्यवाही करनी है। मान लीजिए यदि यह गैर-कानूनी कारोबार सिद्ध होगा तो न्यायालय उन्हें दंडित करेगा। यदि यह गैर-कानूनी कारोबार है भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें दंडित करेगा। हम अदालती मामले का अनावश्यक रूप से सभा में उल्लेख क्यों करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। यदि कोई आपत्तिजनक बातें कही गई है तो इसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकाल दिया जायेगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु : धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अरुण कुमार, आपसे भी अनुरोध है कि आप ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप न लगाएं जो सभा में उपस्थित नही है अथवा ऐसा मामला न उठाएं जो न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : नहीं, महोदय, न तो मैं अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा हूं और न ही अन्य बातें कह रहा हूं क्योंकि आडवाणी जी बोले थे, रिप्लाई में बोले थे।

अत: शिकायतकर्त्ता के रूप में मैं ही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला न्यायाधीन है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : मैंने आपको इसकी जानकारी दी है। मैं भी इस सभा का एक सदस्य हूं। मैं समझता हूं कि यह मेरी जिम्मेवारी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी और अन्य सदस्यों को इस बारे में सूचित करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आप सभा से अनुपस्थित किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : आप रिकॉर्ड की जांच कर लें। आडवाणी जी कहते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार रामोजी राव पर हमले कर रही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायडु, मैने ऐसा कई बार कहा है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आडवाणी जी के भाषण को उद्धृत करना चाहूंगा। "इतने वर्षों के बाद अपातकाल से सीख लेने की बजाय यह सरकार टी वी चैनल का मान्यता कार्ड वापस ले रही है। ठीक इसी प्रकार मुझे पता चला है कि आंध्र प्रदेश के बहुत ही सम्मानीय पत्रकार, श्री रामोजी राव पर हमले हो रहे है क्योंकि वह सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे हैं।"

श्री आडवाणी ने यही वक्तव्य दिया है। उन्होंने मार्गदर्शी का उल्लेख कहां किया है। वह जानते हैं कि यह न्यायालय में लंबित है। इसलिए उन्होंने मार्गदर्शी के बारे में कभी कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : ठीक है। यदि आप रामोजी के बारे में न कि मार्गदर्शी के बारे में बात करना चाहते है, तो रामोजी ही मार्गदर्शी के एक मात्र मालिक है...*(व्यवधान)* सच्चाई को छुपाने में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? खुल के बताइए, श्री येरननायडु। सच्चाई को छुपाने में आपकी इतनी दिलचस्पीर क्यों है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड बाद में देखूंगा। श्री येरननायडु, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : मेरी इसमें दिलचस्पी इसलिए है कि कुछ अवैध कार्य हो रहा है जिसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : तीन हजार करोड़ रुपये इल्लीगली ले जायेंगे और सदन में कोई बोल नहीं पायेगा, आप कैसी बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : यही कारण है कि हम विरोध कर रहे है...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : मैं श्री येरननायडु से बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अरुण कुमार, आपसे अनुरोध है कि आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : हमें मालूम है कि श्री रामोजी राव ने न्यायालय में एक हलफनामा दिया है जिसमे उन्होंने कहा है कि "मैं कांग्रेस के विरुद्ध हूं और मैने तेलगु देशम के लिए काम किया तथा उसे सत्ता में लाया।" मै यह समझ सकता है कि श्री येरननायडु इतने उत्तेजित क्यों हैं क्योंकि वह अपने पार्टी के नेता हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन यह बात मैं यहां इसलिए बता रहा हूं कि मैं इसे विभिन्न पार्टियों के माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है और इसकी जांच की जाए और यदि यह सच नही हैं, तो मेरी निंदा की जाए। मुझे इस बात की जानकारी है। यदि यह गलत पाया गया, तो मैं आपकी नजरों में झूठा साबित हो जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा बनना नहीं चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अरुण कुमार, यह मामला न्यायाधीन है। आपसे अनुरोध है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाने से बचना चाहिए जो इस सदन में उपस्थित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : मेरा आरोप यह है कि मेरे द्वारा शिकायत किए जाने के बाद 120 दिन गुजर चुके हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसने मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करके 3000 करोड़ रुपये इकट्ठे किये हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, आपस में मतभेद इस तरह है कि यह कठिन है...*(व्यवधान)* कृपया सरकार और सत्ताधारी पार्टी के बीच के मतभेद को नोट किया जाए। ...*(व्यवधान)*। कृपया इस बात को नोट किया जाए कि सरकार, सरकार होती है और लोक सभा सदस्य, लोक सभा सदस्य होते हैं। सरकार के खिलाफ मेरे पास शिकायत हो सकती है। आप ऐसा न समझें कि सरकार के खिलाफ मुझे शिकायत नही हो सकती है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अरुण कुमार, मैं आपसे पहले ही अनुरोध कर चुका हूं कि आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। कृपया मेरी बात सुनिये। यह मामला धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित है।

[हिन्दी]

जो आप मेन्शन कर रहे हैं, क्या वह प्रेसीडैन्ट एड्रेस से रिलेट करता है।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : मैं व्यवस्था में नीतियों की बात कर रहा हूं। *[हिन्दी]* अगर आप कहते हैं कि इस सिस्टम में वैल्यूज के बारे में यहां बोलने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रेसीडेन्ट एड्रेस पर जो कुछ बोलना है, वह बोलिए

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : वह बड़े आदमी है, इसलिए हमने उन्हें प्रणाम कर दिया। हम छोटे हैं, छोटों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री येरननायडु ने भी अपने भाषण में कहा है कि आंध्र प्रदेश में मीडिया पर आक्रमण किया जा रहा है...*(व्यवधान)*। उससे कुछ हुआ नहीं। मैं उसके बारे में भी कह रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रेसीडैन्ट एड्रेस पर नहीं बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : मैं यह भी कह रहा हूं कि यह मीडिया पर हमला नहीं है। यह मीडिया के किसी मालिक द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी क्रियाकलाप पर किया गया हमला है। ये लोग मीडिया मालिकों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे है न कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल ही अलग चीज है। जब हम प्रेस पर प्रहार करते है, तो यह गैरकानूनी है, जब हम किसी पत्रकार पर हमला करते है, तो यह गैरकानूनी है। जब हम गैरकानूनी गतिविधि रोकने की बात करते है, तो वे कहते हैं कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण है। ये लोग प्रेस स्वतंत्रता की आड़ में बचने की कोशिश कर रहे है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि "श्री रामोजी राव, आप दो टोपी पहन रहे है- एक उद्योगपति की तथा दूसरी पत्रकार की"। इस टोपी की आड़ में शरण मत लीजिए।

यही बात उच्चतम न्यायालय ने कही है। लेकिन श्री येरननायडु विपक्षी दल के सभी सदस्यों को सफलतापूर्वक यह विश्वास दिलाने में सफल हुए कि श्री रामोजी राव पर आक्रमण किया जा रहा है। यह सच नहीं है। मैं यह इस सम्मानीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता है कि कोई केवल इस कारण किसी गैरकानूनी गतिविधि का समर्थन करेगा कि वह मीडिया जगत की किसी जानी मानी हस्ती द्वारा किया जाता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रेसीडैन्ट एड्रेस पर नहीं बोल रहे है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद। अब श्री ए. आर शाहीन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : महोदय, मुझे हमेशा व्यवधान डाला गया है जिसके कारण मै अपना भाषण पूरा नहीं कर सका। मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी के भाषण में व्यवधान डालना मेरी मंशा नहीं थी। प्रत्येक माननीय सदस्य को उसके द्वारा उठाये गये मुद्दों के लिए पूरा सम्मान दिया जाता है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : महोदय, आपने बाधित नहीं किया है। दूसरे लोगों ने बाधित किया है और यही कारण है कि मैं विरोध कर रहा हूं और अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं। मैं इसे दर्ज कराना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, जाबिते की रूह से हर बजट सैशन से पहले खुतबाये सदारत पेश किया जाता है और खुतबाये सदारत के लिए मुल्क के अहलेदानिश और अहले अक्ल लोग इंतजार करते रहते हैं कि सरकार के पालिसी के बारे में और उन इक्दामात के बारे में सुने, जिन पर उन्होंने प्रायोरिटी फिक्स की होती है या जो अमलआवर हुए होते हैं। इस खुतबाये सदारत में जनाबे सदर ने बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया है और जाबिते वक्त की पाबंदी की वजह से मैं इख्तसार के साथ सिर्फ दो-तीन नुक्तों को उभारना चाहता हूं, जिसमे जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और कश्मीर की हालते जार और तालीमयाफ्ता नौजवान बेरोजगारों का बौहरान और कश्मीर में किसानों की हालत।

इससे पहले कि मैं इन नुक्तों की बात करूं, मैं एक दिलदोज़ वाक्ये का जिक्र करना चाहता हूं जो हालया समझौता एक्सप्रैस में इंसानियत-सोज़ी का वाक्या हुआ और जिसका जिक्र जनाबे-सदर ने अपने खुतबे में किया है, इस अफसोसनाक वाक्ये से इस मोहज्जिब मुल्क में इंसानों की रूहें हिल गईं और उन पत्थरदिल लोगों ने जिन्होंने इंसानों को जिंदा जलाकर दहशतगर्दी और अपनी इंसानियत-दुश्मनी को दुनिया भर में रूसवा किया। यहां के अवाम ने तहे-दिल से यह दुख महसूस किया और अलफ़ाज के लिए हाथ बेचते रहे कि उनके लवाहकीन के साथ किस तरह से हमदर्दी का इज़हार करें? दहशतगर्दी का वाक्या दुनिया में कहीं भी हो, हिन्दुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या अमरीका में हो या कहीं भी हो, यह काबिले-मज़म्मत है, यह इंसानियत के लिए एक ताबहपूर्ण पैगाम है लेकिन मैं इस मुकद्दस-ऐवान में कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी ने और जबरो-ज्यादती ने कभी इंसानी तहज़ीब के सफर को न रोका है और न रोक सकते हैं लेकिन वक़्ती तौर पर जो तकलीफ़ होती है, वे लोग तारीख का हिस्सा बनते हैं। समझौता एक्सप्रैस में जिन लोगों के लवाहकीन जान वहक हुए हैं। हम उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं और इस वाक्ये की मजम्मत करते हैं।

इसके बाद मैं मुख्तसरन जस्टिस सच्चर कमेटी के बारे में मुख्तसर जिक्र करूंगा। मेरे एक आदरणीय कुलीग ने कुछ उसका रेफरेंस दिया लेकिन मैं आपकी जवज्जोह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि शायद यह पहली बार है कि इस सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो काबिले-तहसीन है और जिसकी तारीफ किये बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। वे लोग जो इस ऐवान के बाहर मेरी बात सुनें, दुखी हो जाएंगे कि मैंने इतने जोरदार शुक्रिया के अलफाज क्यों कहे? मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक छोटा सा कदम भी अगर यहां की बेकस अकलियतों की बेहतरी के लिए उठे तो हमें उसे दिल से लगाना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन मैं यह कहे बगैर नही रह सकता कि यह सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, अगर यह एक तलवार है जो बेकसी में पड़ी हुई अकलियतों की जंजीर को तोड़ना चाहती है और उन्हें ईसानियत और तहज़ीब के साथ मिलाकर उनको जिंदा रहने का बाइज्जत हक देना चाहती है तो वहीं पर यह दुधारू तलवार भी है। हमारी अकलियतें यहां पचांस साल बेज़ारी की हालत में अपनी परेशानियों में रही। बदकिस्मती से जब हिन्दुस्तान में मुसलमानों का तकसीम हुआ, उसके बाद जो हालत यहां की मुस्लिम अकलियतों की हुई, उसमें उनको आधी सदी लगी है और उन्होंने बड़े अमन और सब्र के साथ, बड़े तहमुल के साथ अपनी मिट्टी के साथ, अपनी मुल्क की वफा के साथ जोड़कर रखा है लेकिन अब वे इस हालत से भी बेज़ार हो गये और मेहरबानी इसी एलायेंस सरकार की है इन्होंने वे सारे हालात, बजाप्ता इस मुकद्दस ऐवान के सामने लाए जो इस अकलियत के साथ गुजर रहे हैं। अब अगर इस पर अमल नहीं हुआ, अब अगर अशरफ अली फातमी साहब अपनी रिपोर्ट में खामोश हो गये और अब अगर यह हुआ कि इनके कदम लड़खड़ाने लगे तो यह होगा कि बदकिस्मती से इस खामोश अकलियत की इज्जत-ए-नफ्स को चोट पहुंचेगी और खुदा-न-खास्ता एक ऐसा माहौल पैदा होने का खतरा है जिसको हम बाद में रोक नहीं सकेंगे क्योंकि कश्मीर में मुझे इस बात का इल्म है कि जब कुछ चीजें हुईं और हमने वक्त पर उनका इलाज नहीं किया, जब कुछ ज्यादतियां हुईं और वक्त पर हमने इलाज नहीं किया, वक्त पर हमने कान नहीं धरे, जब कुछ मुश्किलें सामने आईं और वक्त पर हमने उनका हल नहीं किया तो एक तबाही का मंजर शुरू हो गया। बेशक वह तबाही वहां के कश्मीर के लिए भी हुई लेकिन मुल्क की भी उससे कोई कम मुश्किल पैदा नहीं हुई। मेरी दरख्वास्त है कि जस्टिस सच्चर कमेटी के लिए जो खुदबै-सदारत में अल्फाज इस्तेमाल किये हैं, वे वाकई काबिले-तासीन हैं और उसमें यह कहा गया कि ग्रोथ प्रोसैस में इस अकलियत को बराबर का शरीक बनाया जाएगा। यह काबिले-तासीन भी है लेकिन इसके अमल को हम देखना चाहेंगे।

इसके बाद कश्मीर का जिक्र आता है जिसे बदकिस्मती से हमें करना पड़ता है। वहां के हालात बेजार हैं। इसके साथ मुख्तसर तौर पर कहूंगा कि इस वादिये कश्मीर नज़ीर के जो हालात हैं, उन पर गौर किये जाने की जरूरत है। वहां तो कब्र बोलती हैं। खुतबो सदारत ने एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है कि हम उनकी परेशानियों को दूर करना जारी रखेंगे। मैं इस ऐवान में कहना चाहता हूं कि हालिंग टच इस्तेलाह के नाम से कश्मीर के लोग घबरा जाते हैं। हीलिंग टच के नाम पर जो लोगों को टच लगे हैं, अगर उन्हें देखा जाये तो इन्सानियत रो उठती है। जिस वक्त हीलिंग टच का सिलसिला कश्मीर में चला तो यह कहा गया कि इन बदकिस्मत लोगों को हीलिंग टच दिया जायेगा। उसके बाद हीलिंग टच की नजर में इनसानी हुकूक हो गए, उनकी तबाही का टच, बेरोजगारों के लिए मजीद तबाही का टच। उसके बाद अगर मुल्क में तालिबे-इलम तालीम हासिल करने या रोज़गार ढूंढने के सिलसिले में आये, तो जैसे ही आयें, वे गिरफ्तार हो जायें। उनको ईज़ा का टच इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वे सब देखें और देखें कि कश्मीर के लोग अपने कनविक्शन या अपने फससफे से इस बात पर कायम है कि ये मुल्क के लिबरल डैमोक्रेटिक ऑर्डर के हमारे जो उसूल हैं, उनके लिए हर मरहले कुरबानी के लिये तैयार हैं। इसके लिए उन्हें नजर अंदाज न किया जाये। मैं मुख्तसर में कश्मीर के तालीमयाफ्ता लोगों की बेरोज़गारी का मसला सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं।

जनाबेआला, मैं चाहता हूं कि खुतबे सदारत वे तहरीके शुक्रिया में खास तौर से इस बात का जिक्र किया जाये कि वहां जो तालीमयाफ्ता बेरोज़गार हैं, जो घुटन के माहौल में जी रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, उनके लिये सरकार फराखदिली से ऐसी पौलिसी बनाये जिससे वहां उन नौजवानों को काम मिल सके। मैं किसानों के मसायल को एक जुमले में कहना चाहूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार देखे कि हार्टिकल्चर इंडस्ट्री की क्या हालत है। आज उन्हें पैस्टिसाइड्स पर 25 परसेंट टैक्स देना पड़ता है। पहली सरकार ने एक बार सब्सिडी दी थी। वहां के सेबों के दरख्तों में जो बीमारी लगी हुई थी, उसे खतम करने के लिये मुसलसल सब्सिडी दी थी ताकि वह बीमारी दूर हो। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले पर गौर किया जाये।

मैं सरकारी बैंचों पर बैठने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा अमन दिया है। इसलिए ये यहां ट्रेजरी बैंचेज खाली हैं लेकिन श्री मणिशंकर अय्यर जी बैठे हुये हैं। उनमें सब्र है, वे नुक्तासंज हैं, नुक्तारस भी हैं। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरी बातें गौर से सुनी होंगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरी बातों पर तवज्जह दी जायेगी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

جناب عبدالرشید شاہین (بارہ مولہ): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ضابطہ کی رو سے ہر بجٹ سیشن سے پہلے خطبہ صدارت پیش کیا جاتا ہے اور خطبہ صدارت کے لئے ملک کے اہل دانش اور اہل عقل لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سرکار کی پالیسی کے بارے میں اور ان اقدامات کے بارے میں سنیں، جن پر انہوں نے پرایوریٹی فکس کی ہوتی ہے یا جو عمل آور ہوتے ہیں۔ اس خطبہ صدارت میں جناب صدر نے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا ہے، اور وقت کی پابندی کی وجہ سے میں اختصار کے ساتھ صرف دو۔ تین نکتوں کو ابھارنا چاہتا ہوں، جس میں جسٹس سچر کمیٹی کی رپورٹ اور کشمیر کی حالتِ زار اور تعلیم یافتہ نوجوان، بے روزگاروں کا بحران اور کشمیر میں کسانوں کی حالت۔ اس سے پہلے کہ میں ان نکتوں کی بات کروں، میں ایک دلدوز واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حالیہ سمجھوتہ ایکسپریس میں انسانیت۔سوزی کا واقعہ ہوا اور جس کا ذکر جناب صدر نے اپنے خطبے میں کیا ہے، اس افسوسناک واقعہ سے اس مہذب ملک میں انسانوں کی روحیں حل گئیں اور ان پتھر دل لوگوں نے جنہوں نے انسانوں کو زندہ جلا کر دہشت گردی اور اپنی انسانیت دشمنی کو دنیا بھر میں رسوا کیا۔ یہاں کے عوام نے تہہ دل سے یہ دکھ محسوس کیا اور الفاظ نہ تھے کہ انکے لواحقین کے ساتھ کس طرح سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ دہشت گردی کا واقعہ دنیا میں کہیں بھی ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، یا کہیں بھی ہو یہ قابل مذمت ہے، یہ انسانیت کے لئے ایک تباہ کن پیغام ہے لیکن میں اس مقدس ایوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی اور جبر و زیادتی نے کبھی انسانی تہذیب کے سفر کو نہ روکا ہے اور نہ روک سکتے ہیں لیکن وقتی طور پر جو تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ سمجھوتہ ایکسپریس میں جن لوگوں کے لواحقین جاں بحق ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس واقعے کی مزمت کرتے ہیں۔

اس کے بعد میں مختصر طور پر جسٹس سچر کمیٹی کے بارے میں ذکر کروں گا۔ میرے ایک محترم ساتھی نے کچھ اس کا ریفرینس دیا ہے لیکن میں آپکی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ

شاید یہ پہلی بار ہے کہ اس سرکار نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو قابلِ تحسین ہے اور جس کی تعریف کئے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ وہ لوگ جو اس ایوان کے باہر میری بات سنیں، دکھی ہو جائینگے کہ میں نے اتنے زوردار شکریہ کے الفاظ کیوں کہے؟ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا قدم بھی اگر یہاں کی بیکس اقلیتوں کی بہتری کے لئے اٹھے تو اسے ہمیں دل سے لگانا چاہئے اور اس کی سراہنا کرنی چاہئے۔ لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے اگر یہ ایک تلوار ہے جو بیکسی میں پڑی ہوئی اقلیتوں کی زنجیر کو توڑنا چاہتی ہے اور انہیں انسانیت اور تہذیب کے ساتھ ملا کر ان کو زندہ رہنے کا باعزت حق دینا چاہتی ہے تو وہیں پر یہ دودھاری تلوار بھی ہے۔ ہماری اقلیتیں یہاں پچاس سالوں سے ایک بیزاری کی حالت میں اپنی پریشانیوں میں رہی ہیں۔ بدقسمتی سے ہندوستان میں مسلمانوں کی تقسیم ہوئی، اس کے بعد جو حالت یہاں کے مسلم اقلیتوں کی ہوئی اس میں اس کو آدھی صدی لگی ہے اور انہوں نے بڑے امن اور صبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے ملک کی وفا کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ لیکن وہ اب اس حالت سے بھی بیزار ہو گئے اور یہ مہربانی اسی ایلائنس سرکار کی ہے انہوں نے وہ سارے حالات باضابطہ اس مقدس ایوان کے سامنے لائے جو اس اقلیت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اب اگر اس پر عمل نہیں ہوا، اب اگر اشرف علی فاطمی صاحب اپنی رپورٹ میں خاموش ہو گئے، اور اب اگر یہ ہوا کہ ان کے قدم لڑکھڑانے لگے تو یہ ہوگا کہ بدقسمتی سے اس خاموش اقلیت کی عزتِ نفس کو چوٹ پہنچے گی اور خدانہ خواستہ ایک ایسا ماحول پیدا ہونے کا خطرہ ہے جس کو ہم بعد میں روک نہیں سکیں گے۔ کیونکہ کشمیر میں مجھے اس بات کا علم ہے کہ جب کچھ چیزیں ہوئیں اور ہم نے وقت پر اس کا علاج نہیں کیا جب کچھ زیادتیاں ہوئی اور وقت پر ہم نے علاج نہیں کیا، وقت پر ہم نے کان نہیں دھرے جب کچھ مشکلیں سامنے آئیں اور وقت پر ہم نے ان کا حل نہیں کیا تو ایک تباہی کا منظر شروع ہو گیا۔ بے شک یہ تباہی وہاں کے کشمیریوں کے لئے بھی ہوئی لیکن ملک کی بھی اس سے کوئی کم مشکلیں پیدا نہیں ہوئی۔ میری درخواست ہے کہ جسٹس سچر کمیٹی کے لئے جو خطبہ صدارت میں الفاظ استعمال کئے

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

गए हैं वह वाकई काबिले तहसीन हैं, और इस में यह कहा गया है कि गरीब तबके पर प्रोसेस में इस अक्लियत को बराबर का शरीक बनाया जाएगा। यह काबिले तहसीन भी है लेकिन इस के अमल को हम देखना चाहेंगे।

इस के बाद कश्मीर का जिक्र आता है जिसे बदकिस्मती से हमें करना पड़ता है। वहां के हालात निहायत खराब हैं। इस के साथ मुख्तसर तौर पर कहूंगा कि इस वादी कश्मीर जन्नत नजीर के जो हालात हैं उन पर गौर किए जाने की जरूरत है। वहां तो कब्र भी बोलती है। खतबा सदारत में ने एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है कि We will continue to give the healing touch. में इस ऐवान में कहना चाहता हूं कि हीलिंग टच के एक्सप्रेशन के नाम से कश्मीर के लोग घबरा जाते हैं। हीलिंग टच के नाम पर जो लोगों को टच लगे हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो इंसानियत रो उठती है। जिस वक्त हीलिंग टच का सिलसिला कश्मीर में चला तो यह कहा गया कि इन बदकिस्मत लोगों को हीलिंग टच दिया जाएगा। इस के बाद हीलिंग टच की नजर में जो इंसानी हुकूक हैं, उन की तबाही का टच, बेरोजगारों के लिए तबाही का टच। इस के बाद अगर मुल्क में तालिब इल्म तालीम हासिल करने या रोजगार ढूंढने के सिलसिले में आएं, तो जैसे ही आएं वह गिरफ्तार हो जाएं, उस के लिए में सरकार से कहना चाहता हूं कि वह सब देखे और देखे कि कश्मीर के लोग अपने कनविक्शन या अपने फिलासफी में इस बात पर कायम हैं कि यह मुल्क के लिबरल डेमोक्रेटिक आर्डर के हमारे जो उसूल हैं, उन के लिए हर मरहले की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इस के लिए उन्हें नजरअंदाज न किया जाए। मैं मुख्तसर में कश्मीर के तालीम याफ्ता लोगों की बेरोजगारी का मसला सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं।

जनाब आली, मैं कहना चाहता हूं कि खतबा सदारत में खास तौर से इस बात का जिक्र किया जाए कि वहां जो तालीम याफ्ता बेरोजगार हैं, जो घुटन के माहौल में जी रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, उन के लिए सरकार फराखदिली से ऐसी पालिसी बनाए जिस से वहां के नौजवानों को काम मिल सके। मैं किसानों के मसायल को एक जुमले में कहना चाहूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार देखे कि हार्टीकल्चर इंडस्ट्री की क्या हालत है। आज उन्हें पेस्टीसाइड्स पर 25 फीसदी टैक्स

देना पड़ता है। पहली सरकार ने एक बार सब्सिडी दी थी। वहां के सेबों के दरख्तों में जो बीमारी लगी हुई थी, उसे खत्म करने के लिए मुसलसल सब्सिडी थी ताकि वह बीमारी दूर हो। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले पर गौर किया जाए।

मैं सरकार के बजट पेश करने वाले दिन सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमें आश्वासन दिया है। यह ट्रेजरी बेंचेज खाली हैं, लेकिन श्री मनी शंकर अय्यर जी बैठे हुए हैं, वह नुक्ता संज हैं, नुक्ता रस भी हैं। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरी बातें गौर से सुनी होंगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरी बातों पर तवज्जो दी जाएगी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) ; उपाध्यक्ष जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने राष्ट्रपति जी को जो कुछ कहलवाया, मैं उससे अपनी असहमति जताता हूं क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लिखा है:

[अनुवाद]

> "ये हमारे लिए एक मजबूत, आधुनिक, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रगतिशील भारत का निर्माण करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध होने का अच्छा अवसर है।"

[हिन्दी]

यह स्ट्रांग, माडर्न और इनक्लूज़िव इंडिया की जो बात कही गई है, मैं उनकी यह बात सुन रहा था। जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया तो कम से कम महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण में यह बताना चाहिये था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन यह शब्द नहीं आने से मैं बहुत दुखी हूं। इसके अलावा हम सब लोग अरुणाचल प्रदेश और नार्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में बार बार कहते रहते हैं।

उपाध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले श्रीमती सोनिया गांधी अरुणाचल प्रदेश गई थी। उनके साथ केन्द्र के मंत्री भी गये थे। वहां बहुत सारी घोषणायें की गईं लेकिन उन घोषणाओं का अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश में कहा था कि सरकार बॉर्डर ट्रेड रूट बनायेगी। सरकार द्वारा पॉलिसी की घोषणा की गई थी। अभी श्री अय्यर जी बैठे हुए हैं जो नार्थ ईस्ट स्टेट्स अफेयर्स के मंत्री हैं लेकिन उनको कोई रिफ्लैक्शन नहीं है।

हमारे यहां मनीगांव से चाइना के साथ मेचुका से, ताकसिंग से, बुमला से और किंजरमनी से ब्लेटिंग और खड़गताम से ट्रेड रूट बनाना था जिसका कोई जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। मुझे दुख हुआ वक्तव्य सुनकर। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमति जताता हूं कि माइनारिटीज़ के लिए जो घोषणाएं सरकार ने की हैं, वे बहुत अच्छी हैं लेकिन माइनारिटिज़्म पर वोट बैंक पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से इत्तिफाक रखता हूं, लेकिन साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में जो दो बड़ी कम्यूनिटीज़ हिन्दू और मुसलमान हैं, इनके अलावा जो छोटी-छोटी माइनारिटीज़ हैं, जो वाकयी में माइनारिटीज़ हैं - क्रिश्चियन्स हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, छोटी छोटी जो कम्यूनिटीज हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सच्चर कमेटी की बात ठीक है। अगर वह काम होता है तो ठीक है। सिख कम्युनिटी भी है। सभापति जी, आप खुद सिख कम्यूनिटी से आते हैं। मैं देखता हूं कि आर्थिक दृष्टि से बुद्धिस्ट्स और क्रिश्चियन्स ही सबसे ज्यादा बैकवर्ड हैं। उनके लिए कोई प्रावधान और घोषणा यहां से नहीं हुई। न राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और न ही बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने इसके बारे में कोई जिक्र किया। इस बात को लेकर हमारे यहां गलत धारणाएं बनी हैं। हिमालयन बैल्ट में जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वहां उनकी जो भोटी भाषा है, उसको संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए हमने बार बार ज्ञापन दिया है और इस मुद्दे को कई बार उठाया है। उसके बावजूद भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं आया। पिछली बार भोजपुरी को इनक्लूड करने का वक्तव्य जब मंत्री जी ने दिया था तो हम सोच रहे थे कि भोटी भाषा को भी इनक्लूड किया जाएगा लेकिन वैसा नहीं हुआ। हिमालयन क्षेत्र को सरकार ने बहुत पीछे छोड़ दिया है और अपने एजेन्डा में शायद उसको भूल गई है। इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि हिमालयन क्षेत्र के विकास के लिए सही कदम उठाए जाने चाहिए।

[श्री कीरेन रिजीजू]

उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्ष भगवान बुद्ध का 2550वां महापरिनिर्वाण वर्ष है। भगवान बुद्ध इस देश में पैदा हुए थे, यहां निर्वाण प्राप्त किया था और यहीं महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया। इन तीनों के सामूहिक सैलिब्रेशन की घोषणा हुई थी। माननीय प्रधान मंत्री जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं भी उसमें सदस्य हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी भी उसके सदस्य हैं। इतने बड़े ऑकैज़न को सरकार कैसे भूल सकती है और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। यह ठीक बात नहीं है। दुनिया भर के लोग इस देश को देखते हैं कि यह बुद्ध का जन्म स्थान है और इसी देश में बुद्ध को भूल गए, बुद्ध भगवान को कोई जिक्र नहीं है। इतने बड़े ऑकैज़न को सरकार कैसे भूल गई? इससे जो तकलीफ हुई है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों को, मैं उसके बारे में सरकार को बताना चाहता हूं। यह गलत बात है। यह सैक्यूलर देश है। आप इतने जोर-शोर से सैक्यूलरिज़्म की बात करते हैं और छोटी कम्यूनिटीज़ का ध्यान नहीं रखते, यह मेरी समझ से परे है। महोदय, आपको जानकारी होगी कि जब खालसा पंथ की स्थापना के 300 वर्ष का सैलिब्रेशन हुआ था, उसके लिए भी काफी पैसा दिया गया था लेकिन हमारे लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपये दिये गये हैं। आप जो माइनारिटीज़ की बात कहते हैं, उसके विपरीत आपकी पालिसी जा रही है और इससे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बुद्ध समुदाय के सभी लोगों को बहुत ठेस पहुंची है।

तालिबान हुकूमत ने बामियान में जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा गिराई, उसके लिए थाईलैन्ड और जापान ने कहा कि हम इसको फिर से बनाएंगे मगर भारत सरकार की तरफ से कोई पहल इसके बारे में नहीं हुई। यह भी होना चाहिए था। मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि विदेशी लोग भी जब इसके लिए तैयार हैं तो हम अपने देश को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं?

मैं बहुत ही कम समय में दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले आज ही ग्रामीण विकास मंत्री ने जो घोषणा की है नेशनल रूरल इंप्लायमैंट गारंटी एक्ट में, उसमें हमारे प्रदेश के सबसे पिछड़े वर्ग के जो दो जिले हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। मैं मांग करूंगा कि कुरूंगवे और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को जल्दी से एनआरईजीपी में शामिल किया जाए। एक इकोनॉमिक पैकेज की मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैंने पहले भी आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक इकोनोमिक पैकेज की मांग की थी। अभी हाल ही में युनिवर्सिटी बिल पास हुआ, अरुणाचल युनिवर्सिटी को सेंट्रल युनिवर्सिटी राजीव गांधी नाम से बनाया। मैंने कहा कि राजीव गांधी नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अरुणाचल का नाम हटाया है, उससे मुझे आपत्ति है। उस बात को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कॉलेजेस बहुत कम हैं - बंडेला कॉलेज, येरानाथन कॉलेज, धोनीपोलो कांति कॉलेज और जो युनिवर्सिटी है, उसके साथ-साथ हमारे तेजु में, देवमाली में कुछ कॉलेजेस हैं। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से जितनी जल्दी हो सके, एक स्पेशल इकोनोमिक पैकेज की घोषणा की जाए ताकि इतने सालों में आपने जो दुख पहुंचाया है, उसे थोड़ा कम कर सकें।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी 'बोचा' (बोम्बिली) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसद के दोनो सदनो को संबोधित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

सबसे पहले मैं कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जिन्होने मुझे चौदहवीं लोकसभा में भेजा है, के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने बोम्बिली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने हेतु मुझे चुना। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे पति श्री बोचा सत्यनारायन तेरहवीं लोकसभा के सदस्य थे। मैं इस महान सभा के विद्वान सदस्यों के बीच होने के अपनी विशेषाधिकार पर गौरान्वित हूं। यह मेरा प्रथम भाषण है, इसलिए, मैं आपका ध्यान चाहती हूं।

यह कांग्रेस पार्टी के लिए उपयुक्त अवसर है कि हम स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ और सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं। कांग्रेसियों ने आजादी और सत्याग्रह आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका अदा की थी। हम सभी को चाहिए कि राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक मजबूत भारत बनाने के लिए अपने को फिर से लगा देना चाहिए।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवादियों ने समझौता एक्सप्रेस पर आक्रमण किया। हम सभी निर्दोष लोगों की निर्गम हत्या की भर्त्सना करते हैं। यद्यपि पाकिस्तान कहता है कि देश में कोई आतंकवादी अड्डा नहीं है, लेकिन सीमापार से उग्रवाद बढ़ता जा रहा है।

चूंकि संप्रग सरकार अपने तीन वर्ष पूरा करने की ओर बढ़ रही है इसलिए देश में कुछ नई आशाओं एवं महत्वकांक्षाओं तथा साथ ही चुनौतियों ने दस्तक दी है। मेरे विचार से हमें इन अत्यावश्यक मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। गत तीन वर्षों से लगातार आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर बनाए रखना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। हमें बताया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि के नौ प्रतिशत रहने की आशा है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

लाखों लोग मध्यवर्ग की श्रेणी में प्रवेश कर रहे हैं। यदि हम औद्योगिक वृद्धि और आर्थिक वृद्धि के आंकड़े देखें तो हमें पता चलेगा कि वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ रहा है। हमारे निर्यात में भी वृद्धि परिलक्षित हो रही है। विदेशी निवेश भारत में काफी हो रहा है। निवेशक भारत में निवेश करने को उत्सुक हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक स्थिरता और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में पूरा विश्वास है। इसके लिए संप्रग सरकार और इसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी बधाई के पात्र हैं।

भारत में गरीबी बहुत अधिक है साथ ही कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी, कमजोर अवसंरचना और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं जैसी समस्याएं भी हैं। जब तक हम इन मुद्दो को प्रभावशाली ढंग से हल नहीं करेंगे तब तक सभी प्रकार की आर्थिक वृद्धि और सूचकांक के प्रति उत्साह आगे नहीं बढ़ेगा। जहां तक मुद्रास्फीति की बात है यह समाज के निर्धनतम तबकों के लिए चिंता का कारण है। खाद्यान्नों दालों, तिलहन, सब्जी और दैनिक प्रयोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है और वे स्थिर नही हैं।

सरकार द्वारा किए गए सच्चे प्रयासों के कारण मुद्रास्फीति की दर पहले से गिर रही है। तथापि, हमें अपने कृषि विकास पर फिर से ध्यान देना है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ हमें अधिक खाद्यान्न पैदा करना है। हमें और अधिक क्षेत्रों को सिचाई सुविधा प्रदान करनी है। हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी यही कर रहे हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मूल्यों पर नियंत्रण करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में आ रही गिरावट के लिए विश्व का बढ़ता तापमान भी जिम्मेदार है।

जैसाकि माननीय राष्ट्रपति ने सुझाव दिया है, हमे दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। संप्रग सरकार प्रशंसा की पात्र है क्योंकि इसने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए योजनाएं बनाई है और उपयुक्त वित्तपोषण का प्रावधान किया है। उदाहरणार्थ, 'भारत निर्माण का लक्ष्य ग्रामीण अवसंरचना को दृढ़ बनाना और भारत में परिवर्तन लाना है। जैसा कि हमें ज्ञात है, 70 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गांवों में रहती है। जब तक हम ग्रामीण अवसंरचना पर ध्यान नहीं देंगे तब तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना नहीं की जा सकती।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हमारे समाज के सबसे कमजोर और असहाय तबकों को सम्मिलित किया गया है। यदि मैं सही कह रही हूं तो इस योजना के अंतर्गत पहले ही 14 मिलियन परिवारों को कवर किया जा चुका है।

ग्रामीण रोजगार योजना को यदि उपयुक्त तरीके से लागू किया जाए तो यह समाज के कमजोर तबकों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण पदार्थों और टीकाकरण सुविधाओं में सुधार लाना है।

यहां, मैं उन लड़कियों के बारे में बताना चाहती हूं जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देती हैं। इसे रोकने की आवश्यकता है। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अधिक व्यावसायिक विद्यालय जो केवल लड़कियों के लिए ही हों, खोले जाने की अत्यावश्यकता है। इससे वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पायेंगी। यह चिंता की बात है कि स्वतंत्रता के 60 वर्षों बाद भी हम केवल 60 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर पाएं हैं। इसलिए निरक्षरता को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है और हमें इस पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत व्यय करना चाहिए।

क्या मैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के बारे में अपनी राय दे सकती हूं? जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रपति प्राय: कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक आधारों पर फिर से जान डालने की जरूरत है। शिक्षा के सभी स्तरों पर नीति और नैतिकता के दर्शन को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इससे कतिपय सीमा तक 'चरित्र निमार्ण' संभव हो सकेगा; जैसा कि हमारे राष्ट्रपति ने बताया है कि आलोचनात्मक सोच पैदा करने के लिए हमारी विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली में 'तर्कशास्त्र' को भी शामिल करने की आवश्यकता है। मैं महसूस करती हूं कि यह आज की अत्यावश्यकता है।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी 'बोचा']

हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना समय की आवश्यकता है। 'हरित भारत' कार्यक्रम को हर नागरिक तक पहुंचाने की जरूरत है और हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में परिस्थिति की शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं। इस अधिनियम को लचीला और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। हमे इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कृषि मजदूर इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी कमाने में समर्थ नही हो पाते क्योंकि वे रोड़ी और मिट्टी के कार्य में दक्ष मजदूर नहीं होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे इस कार्य में अपने नियमित कृषि कार्य के मुकाबले कम मजदूरी प्राप्त कर पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे गांवो से फायदे वाले स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों के इस प्रकार के प्रव्रजन को रोकने के लिए विभिन्न प्रबोधन कार्यक्रम को चलाकर उन्हें कार्य में दक्षता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

मध्याहन भोजन स्कीम के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि भारत विश्व का एक कुपोषित देश है। हम उन्हें उपयुक्त पोषण पदार्थ देने में सक्षम नहीं हैं, हमारे बच्चों की शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है। माननीय वित्त मंत्री ने इस उद्देश्य के लिए प्रारम्भिक रूप से 3500 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। मेरे विचार से यह सही दिशा में उठाया गयां कदम है। मुझे विश्वास है कि शहरी क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नवीकरण मिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

राज्य सरकारों और पंचायती राज्य संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें इन कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए लगाया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि तभी हम गरीबी और अन्य चुनौतियों का काफी हद तक सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भारत बना सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, क्या हम उनकी इसके लिए प्रशंसा करे कि उनका यह प्रथम भाषण उत्कृष्ट भाषण है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा भाषण है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं विशेषकर इस बात पर गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस सभा में चुनकर आने से पहले वे जिला परिषद की अध्यक्ष थीं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय अभिभाषण के पैरा 18 में कहा गया है कि ''गत वर्ष कृषि विकास दर छः प्रतिशत हो गयी थी।'' इस बात का स्पष्ट रूप से उसमे उल्लेख नहीं किया गया था कि इस वर्ष यह घटकर 2.3 प्रतिशत हो गयी है। मैं इस समय विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिन यदि कोई कदम तत्काल उठाए जाने की जरूरत है, तो वे उठाए जाने चाहिए।

उनमें से एक बात यह है कि सभी फसलों विशेष कर मसालों एवं नकदी फसलों का बीमा है। दूसरी बात मैं वृक्षारोपण के बारे में बताना चाहता हूं। किसानों की मदद बहुत सारे कार्यक्रमों के जरिए नहीं बल्कि विशिष्ट कार्यक्रमों के जरिए की जा सकती है जिससे उनके उत्पादों की कीमत बढ़ाई जा मके। वे लोग उत्पादों की घटती कीमत की गंभीर समस्या से जूझ रहे है। मैं उदाहरण के तौर पर एक फसल का उल्लेख करना चाहता हूं जिसकी केरल में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। इस उत्पाद का नाम वनिला है। इससे काफी विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सकेगा। जिन किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है, वे भारी संख्या में इसकी खेती करते हैं। लेकिन इस समय इसकी कीमत जो कभी 3000 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ करती थी, वह घटकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। किसानो को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया है? मैं इसे एक उदाहरण के रूप में उद्धृत करना चाहूंगा। यह बात भारतीय किसानों द्वारा पैदा किये जानेवाले कई उत्पादों पर लागू होती है।

ऑर्गेनिक खेती एक ऐसा पहलू है जिस पर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में जोर दिया गया है। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने विजन 2020 में इस पहलू पर अधिक जोर दिया है; उसमें भी उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की बात कही है। रासायनिक उर्वरकों के लिए कई सब्सिडियों की घोषणा की गई है। हमें इतनी ही राशि की सब्सिडी कार्बनिक उर्वरकों जैसे कि जैविक-उर्वरकों को दिए जाने पर भी विचार क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम वास्तव में बेहतर तरीके से इसका विस्तार कर सकेंगे।

जहां तक महंगाई का संबंध है, इसके बारे में कई सदस्यों ने कहा है। मैं इसी क्रम में बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी कदम प्रस्तावित हैं, उठाए जाने चाहिए, क्रियान्वित किए जाने चाहिए तथा महंगाई एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक कदम उठाए जाने चाहिए।

राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 30 में यह उल्लेख किया गया है कि- "रेलवे का कायाकल्प करने में मेरी सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली है।" यह बहुत ही अच्छा वक्तव्य है। लेकिन इसी से संबद्ध एक अन्य क्षेत्र में सरकार ने अपनी ही नीति उलट दी है। हाल में एक नया रेल मंडल स्थापित किया गया है। यह मां के अपने बच्चे से भी छोटे होने जैसी बात है। पालघाट नामक मंडल बड़े ही अव्यवस्थित रूप से विभाजित किया गया है - इसके 65 प्रतिशत क्षेत्र को अलग कर एक नए मंडल में जोड़ दिया गया है। इसी कारण से मैंने कहा कि बच्चे का आकार अपनी मां के आकार से भी बड़ा हो गया है।

यह बिल्कुल अस्वीकार्य है; अत: इसमे बदलाव करने की जरूरत है। सरकार के इस दावे को देखते हुए कि भारतीय रेल को सफलता मिली है, मैं सरकार से साग्रह निवेदन करूंगा कि वह इसमें विद्यमान विसंगतियों और इसके कारण हुए अन्याय को दूर करे। मेरा निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से लिया जाए।

अंत में, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कर्मचारियों की सुरक्षा की बात भी कही गई है।

सायं 7.00 बजे

वह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हमने आतंकवाद से जुड़ी कई समस्याओं का निराकरण किया है। भारत के लोग जिस कदर इस समस्या से जूझ रहें है कि यह हमारे लिए एक चुनौती बन गई है। भारत के तटवर्ती क्षेत्र जरा भी सुरक्षित नहीं है। यह भी सच है कि मेरे राज्य में इस बात को लेकर डर बना हुआ है कि मुल्लापेरियार बांध कभी भी टूट सकता है। यह बांध सौ साल से भी पहले का बना हुआ है। इस बांध का निर्माण इतने बेतरतीब ढंग से किया गया है कि विशेषज्ञों की राय है कि यह बांध किसी भी समय टूट सकता है...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि मैं वक्ता हूं। मैं इस समय बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है इस मसले पर बातचीत की जानी चाहिए। इसमें शामिल दोनो राज्यों को बातचीत में शामिल अवश्य करना चाहिए। क्या कोई राज्य आगे की बातचीत के लिए तैयार है? उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि आप बातचीत नहीं करते है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे संरक्षण प्रदान किया जाए, महोदय। मैं अपने साथियों का काफी सम्मान करता हूं। मैं तमिलनाडु की जनता का सम्मान करता हूं। जैसा कि मेरे मित्र, श्री चन्द्रप्पन एवं अन्य साथियों ने कहा है, हम तमिलनाडु की सचमुच प्रशंसा करते हैं। हम लोग मुल्लापेरियार बांध से पानी दे रहे है। उनमें इस मसले को लेकर कोई विवाद नहीं है। हम यह नहीं कह रहे है कि हम उन्हें अब पानी नहीं देंगे। हमारा कहना यह है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दो जिलों सहित मेरा जिला किसी भी समय पानी में बह सकता है। हो सकता है, मैं यहां नहीं रहूं। हो सकता है, हममें से कई लोग यहां अगले सत्र में न रहें। यही मुद्दा है...*(व्यवधान)* यह कोई कल्पना नहीं है। यह एक वाजिब शिकायत है। जैसा कि मेरे फ़ाजिल दोस्त ने आपत्ति की है। यदि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मसले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनुसरण करना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर बस इतना कहना चाहता हूं। मैं इस मसले पर कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहता।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा सात में जलापूर्ति के बारे में कहा गया है। पानी एक बुनियादी आवश्यकता है। हाल ही में जल बंटवारे के संबंध में एक निर्णय दिया गया है। केरल कावेरी नदी से 20 प्रतिशत पानी प्राप्त करने का हकदार है। ऐसा उस निर्णय में कहा गया है। मैं उस निर्णय का विरोध नहीं कर रहा हूं। हमारा राज्य इस संबंध में अपील कर रहा है कि उस निर्णय के अनुसार हम 100 टीएमसी पानी प्राप्त करने के हकदार हैं जबकि हमें केवल 30 टीएमसी पानी ही दिया जा रहा है। यह मेरी वास्तविक शिकायत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा न सोचा जाए कि इस मसले पर विचार-विमर्श नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा पहले ही बताया जा चुका है। मेरे विचार से यह एक ऐसा मसला है जिस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। मैं किसी दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता हूं। सभी राज्यों का हिस्सा निर्धारित है, चाहे यह कर्नाटक, तमिलनाडु केरल या पुडुचेरी हो, हमें आवश्यक लोकतांत्रिक बातचीत के आधार पर युक्तिसंगत ढंग से जल का बंटवारा करना चाहिए। अत: बातचीत का मार्ग बंद नहीं किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऊर्जा सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिसे राष्ट्रपति अभिभाषण में उचित महत्व नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि इसे जानबूझ कर छोड़ दिया गया है। इस पहलू पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारी तटवर्ती सीमाएं विशेषकर पश्चिमी एवं पूर्वी तट में तेल के विफल भंडार है। कोचिन के नजदीक हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि ओएनजीसी ने कोचीन हाई क्षेत्र में प्रथम कुआं खोदने का निर्णय लिया है लेकिन

[श्री पी.सी. थामस]

इसी दिशा में कार्य बहुत ही मंद गति से चल रहा है। सरकार से मेरा निवेदन है कि वह सुनिश्चित करे कि ऊर्जा क्षेत्र, जोकि काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, को उचित महत्व दिया जाये। साथ ही इस कोचीन हाई को महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र समझा जाए ताकि हम भारत की समस्या को बहुत हद तक हल कर सकें। यह मसला केवल मेरे राज्य का नही है बल्कि पूरे राष्ट्र का है।

[हिन्दी]

श्री अनिवाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण शुरू किया तो उसमें दो बातों का जिक्र आया कि हम अपने देश की आजादी की साठवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसका मतलब इस देश को आजाद करने के लिए 90 वर्ष हमने संघर्ष किया। हमें 60 वर्ष आजादी प्राप्त किए हो गए। आज 60 वर्ष बाद यह देश कहां खड़ा है? सभी माननीय सदस्यों ने, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, कोई न कोई बात ऐसी कही है, जिससे लगता है कि आम-आदमी तक विकास की बात नहीं पहुंच पायी। मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिससे पता चलेगा कि इस देश का कितना विकास हुआ है? माना जाता है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है, जहां प्रास्पेरिटी बहुत है। मैं वहां अपनी कांस्टीच्युएंसी का एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। मुझे एक गांव में जाने का मौका मिला। वहां जनता अपने पैसे इकट्ठे करके पुल बना रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको इस पुल से क्या फायदा है? उन्होंने बताया कि उस गांव के बच्चे दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। टायर के अंदर जो टयूब होती है, उस पर बैठकर वहां के बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं। जब बरसात होती है, तो दो-तीन महीने बच्चे पढ़ने नहीं जाते और स्कूल बंद कर दिया जाता है। आज इस देश की यह स्थिति है कि साठ वर्ष के बाद भी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं दे पाए। हम अपने बच्चों को एजूकेशन नहीं दे पाए। अगर इतना संघर्ष करने के बाद वे स्कूल में जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इस देश की व्यथा क्या है?

दूसरी बात, जब हम गुलाम थे और देश आजाद नहीं हुआ था, तब होशियारपुर से लाहौर तक एक गाड़ी जाती थी। लेकिन आज सिर्फ एक डीएमयू चलती है, जो होशियारपुर से जालंधर तक चलती है। हमने यह विकास किया है। इन दो उदाहरणों से यह बात समझ में आती है कि हमने उतनी उन्नति नहीं की है, जितनी कि अवनति की है। अभी बहुत से काम करने शेष हैं।

मैं एजूकेशन के संबंध में कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो पालिसी बनायी हैं, उसमें नवोदय विद्यालय का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, उसकी राशि निश्चित है। अगर महंगाई बढ़ती है, तो वह राशि नहीं बढ़ती, इसलिए उस फंड से बच्चों को उतना अच्छा भोजन नहीं दे पाते, जितना अच्छा उन्हें मिलना चाहिए। इस सारे प्रोसेस में इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं आया। मैं सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में कहना चाहूंगा। हमारी सरकार के समय में इसके संबंध में बातें हुयी कि सभी को शिक्षा मिले और वह अभियान चला। लेकिन इस अभियान को चलाते हुए इन बातों का ध्यान रखा गया कि स्कूल हों, बच्चे हों और टीचर हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अच्छे-अच्छे राज्यों में जहां आलरेडी बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी, आज वहां ड्राप-आउट इतना ज्यादा हो गया है कि वहां न तो स्कूलों में टीचर हैं और न ही बच्चे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, वे टीचर न होने के कारण माडल स्कूलों में या अच्छे स्कूलों में नही पढ़ सकते। वे हमेशा उन स्कूलों में जाना चाहते हैं, जहां गांव में उनके टीचर आ सकें। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान भी उस बात को पूरा नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि हम उस पालिसी को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। अगर पढ़ाई नहीं होगी, तो बच्चे कहां जाएंगे? जो पढ़े-लिखे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं हैं।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि इस सारे अभिभाषण में कहीं भी वह जिक्र नहीं आया, जिस ओर हमारी आज की पीढ़ी जा रही है। वह चीज क्या है? वह नशा है। आज का नौजवान नशे में डूबकर अपनी नौजवानी को खत्म कर रहा है, इसके साथ ही क्राइम की तरफ भी उसकी टैंडेंसी बढ़ रही है। जो नशा बढ़ रहा है और क्राइम की टैंडेंसी बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए कैसे उपाय किए जाएंगे? इस संबंध में एक भी बात इस अभिभाषण में और इस सरकार की पालिसी में नहीं आयी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते, तो कम से कम उन्हें सम्मानजनक भत्ता दिया जाए। क्योंकि जब बच्चे पढ़-लिख जाते हैं, तब अपने मां-बाप से मोबाइल के लिए पैसे मांगते हैं। स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे मांगते हैं, तब मां का जवाब आता है कि हमने तो आपको एमए पढ़ा दिया, बीएड पढ़ा दिया, एमटेक करा दिया और आप हमसे बीस रुपए मांग रहे हैं।

जब बच्चा यह बात सुनता है तो उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और कई बार वह ऐसे स्टैप ले लेता है कि अपने जीवन को भी खत्म कर देता है। इसे दूर करने के लिए एक बात का होना जरूरी है कि सरकार एश्योर करे कि अगर हम रोजगार नहीं दे सकते तो बच्चों को सम्मानजनक भत्ता देंगे।

विदेशों में जाने का बहुत बड़ा ट्रैंड चला हुआ है। बच्चे लीगल, इललीगल वे से विदेशों में जाते हैं। वे वहां पकड़े जाते हैं और जेलों में पड़े-पड़े सड़ जाते हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल

नहीं की जाती जिससे उन बच्चों को विदेशों की जेलों से लेकर आएं। मैं पंजाब के दोआबा रीजन से आता हूं। वहां के बहुत लोग विदेशों में गए हैं। बाहर के देशों में जब यहां के लोगों पर अत्याचार होता है तो ऐसा कोई फोरम नहीं है जिसके सामने उनके रिश्तेदार अपनी बात उठा सकें। मैं चाहूंगा कि सरकार विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा सेल बनाए जिससे वे अपनी परेशानी को रिड्रैस कर सकें। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को काफी समस्या आ रही है। यदि वहां उनका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो भारतीय एम्बेसी उनकी बात नहीं सुनती। वहां से इस बारे में काफी कम्प्लेंट्स आ रही हैं, लेकिन उन्हें सहायता देने का कोई प्रोवीजन नहीं है।

समझौता एक्सप्रैस गाड़ी पर हुए अटैक के बारे में यहां बात आई। इससे पहले मुंबई ब्लास्ट हुआ। टैरेरिस्ट्स बार-बार अटैक कर रहे हैं, कहकर अटैक कर रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय सिक्युरिटी इतनी कमजोर है कि उन्हें पकड़ नहीं पाती। यह बात देखने लायक है। अमरीका में एक बार अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद वह रिपीट नहीं हुआ। इंग्लैंड में ट्रेन में एक बार बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसके बाद रिपीट नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में क्या कमी है जिसके कारण टैरेरिस्ट्स बार-बार हमारी सिक्युरिटी को इधर-उधर करके अपने टारगेट को एचीव करते हैं। कम से कम देश के नागरिक सुरक्षित हों, ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए।

इस सारे अभिभाषण में टैरेरिस्ट्स अफैक्टेड फैमिलीज, चाहे वह कश्मीर की हों या पंजाब की हों, ठीक है पंजाब में पीस है, लेकिन पंजाब के टैरोरिस्ट्स अफैक्टेड लोगों को जो मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पाया है। वे आज घर से बेघर हैं, कश्मीर के लोग घर से बेघर हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का भी जिक्र नहीं हैं उन लोगों के मन में वेदना है। वे सोचते थे कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण देंगी तो कम से कम उनकी बातों का जिक्र किया जाएगा और सरकार उसे इम्प्लीमैंट करेगी।

मैं पंचायती राज मंत्री जी से मिलकर आया था। देश को आजाद हुए 60 वर्ष हो गए हैं। लोग कहते हैं कि अगर देश को देखना है तो गांवों में जाइए, अगर भगवान को मिलना है तो गांवों में जाइए। लेकिन आज देश के गांवों का यह हाल है कि वहां न पीने को स्वच्छ पानी है, न डाक्टर हैं। अगर सरपंच ने एक हजार रुपये भी खर्च करने होते हैं तो वह सरकार की तरफ देखता है। जब किसी कार्य में पचास हजार रुपये लगते हैं तो सरकार कहती है कि यह ज्यादा है, हम नहीं दे सकते। पंचायतें अपने पांवों पर खड़ी हों, उनका परमानैंट सोर्स ऑफ इनकम हो, जैसे म्युनीसिपैलिटीज हैं। शहरों का विकास हो रहा है, लोग शहरों की तरफ भागते हैं अगर पंचायतों के पास भी सोर्स ऑफ इनकम होगा, पंचायतें अपने पांवों पर खड़ी होंगी तो देश का विकास होगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे क्योंकि जब पंचायत के पास सोर्स होगा तो वह दो-चार लोगों को नौकरी देगी। आप देखें कि देशभर में कितनी पंचायतें हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री मणि शंकर अय्यर जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनका आदर करता हूं। मेरे ख्याल से वे इस बात पर ध्यान देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अगर इजाजत हो तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि अब पंजाब में सरकार बदली है और मैं उम्मीद रखता हूं कि माननीय सदस्य उस नई सरकार से कहेंगे कि जिस आगे के पथ पर हमें निकलना है, उसमें मेरा पूरा समर्थन होगा।

श्री अविनाश राय खन्ना : यह बात मैं अपने मुख्यमंत्री से आलरेडी कर चुका हूं। उसके लिए हम प्लान तैयार कर रहे हैं। कृपया आप सहयोग देंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। यहां किसानों के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ एक प्वाइंट कहूंगा कि जब तक किसान को आमदनी की ऐश्योरैंस नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। किसान या तो भगवान पर डिपेंड करता है या गवर्नमैंट पर डिपेंड करता है। दोनों उससे दुखी है। न भगवान खुश होता है और न गवर्नमैंट खुश होती है। हमारा कहना है कि यदि किसान को इनकम की ऐश्योरैंस हो जाये, तो उनको एक आशा रहेगी कि कम से कम मुझे हर फसल में यह आमदनी होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई के बारे में भी यहां बहुत कुछ कहा गया। मैं उस पर ज्यादा न बोलकर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि महंगाई के बारे में लोगों ने आपको रिजल्ट दिया है। आपकी दो सरकारें चली गयी हैं और तीसरी जाने वाली है इसलिए अब भी आप जाग जाइये। लोग कह रहे हैं कि 60 रुपये किलो दाल, रोटी खाइये किसके साथ। 60 रुपये किलो दाल से आम आदमी की रसोई बहुत महंगी हुई है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि देश की आम जनता के बारे में सोचने के लिए, आम जनता की बात करने के लिए जो पालिसीज बनती हैं, उनको इम्प्लीमैंट करने के लिए सरकार कमीटमैंट करे। इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : महोदय, मैं सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन हमें उनके भाषण पर कुछ आपत्तियां हैं। संप्रग सरकार ने अपनी सोच को जिस प्रकार व्यक्त किया है वह पूरे देश के लिए विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

है क्योंकि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से इस सरकार से अनेक आशाएं कर रहे थे। हमें आशावादिता, कुछ दूरदर्शिता और स्वर्णिम भविष्य की आशा थी।

'द लुक इस्ट पॉलिसी' के बारे में पृष्ठ संख्या 17 पर बताया गया है। इस 'द लुक इस्ट पॉलिसी' के माध्यम से डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार पूर्वोत्तर की युवा पीढ़ी को सकारात्मक ढंग से प्रेरित करना चाहती थी और हमें 'द लुक इस्ट पॉलिसी' से बहुत अधिक अपेक्षाएं थीं। हमने सोचा था कि देश की तथाकथित मुख्य धारा या मुख्य भूमि पूर्वोत्तर में संचार नेटवर्क का विकास करने हेतु पूर्वोत्तर पर ध्यान देगी और लोगों की भावनाओं और शिकायतों को समझने का प्रयास करेगी और इस प्रक्रिया में आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों के विकास के रूप में नया परिदृश्य सामने आयेगा। यह हमारी सकारात्मक सोच और आकांक्षा थी। लेकिन इस भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को जब असम का दौरा किया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से वादा किया था कि तिनसुकिया और डिब्रुगढ़ में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, तिनसुकिया में भी एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की जाएगी और स्टिलवेल रोड चालू करने का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के वादे उन्होंने किए थे और उनके अभिभाषण में इन बातों का नये सिरे से कोई उल्लेख नहीं है।

दूसरी तरफ जैसा कि आपको ज्ञात है, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र सीमा पार अर्थात बांग्लादेश से हो रहे अवैध आव्रजन से बुरी तरह प्रभावित हैं और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने 1985 में आल असम स्टूडेन्ट यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसे 'राजीव गांधी समझौता' के रूप में जाना जाता है। इस समझौते में यह वादा किया गया था। 15 अगस्त को लाल किले से यह कहा गया कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और समझौते के खण्ड के क्रियान्वयन द्वारा उनकी रक्षा की जाएगी। अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा और वास्तविक स्थानीय भारतीयों के अस्तित्व की रक्षा की जाएगी। यह प्रमुख वादा था जो 1985 में किया गया था। अब 2007 है। लगभग 22 वर्ष बीत गए हैं लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है। यहां तक की सीमा भी खुली हुई है। डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार ने 5 मई 2005 को इस समझौते के संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय में आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन और असम सरकार के साथ एक बैठक की थी।

उस विशेष बातचीत में यह वादा किया गया कि वास्तविक भारतीय नागरिको की पहचान की रक्षा करने के लिए सितम्बर 2007 तक नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। यह वादा किया गया था कि दिसंबर, 2006 के अंत तक सीमाएं सील कर दी जाएंगी। हम 2007 में प्रवेश कर चुके हैं। वह वादा भी तोड़ दिया गया है। अत: मैं संप्रग सरकार से एक विशेष अपील करता हूं कि यदि भारत के असम और पूर्वोत्तर भाग को देश का एक अभिन्न भाग माना जाता है तो राष्ट्र हित में इस मुद्दे पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

जैसा कि आपको ज्ञात है असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में आई.एस.आई. विदेशी खुफिया एजेन्सियां और अतिवादी समूह अत्यंत सक्रिय हैं। यह बात गृह मंत्री द्वारा संसद की दोनों सभाओं को बताई गई है। फिर संसद और सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? यह हम सभी के लिए दुखद स्थिति है। मैं आपके माध्यम से ईमानदारी से अपील करता हूं कि इस विशेष मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में विचार किया जाए। हम कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति आदि की बात करते हैं। लेकिन यदि हम सही दिशा में प्रयास नहीं करते हैं और यदि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने हेतु आक्रामक रूख अख्तियार नहीं करते हैं तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप भावी पीढ़ी को एक सकारात्मक भविष्य देने का आश्वासन कैसे दे सकते हैं?

आपको यह भी भली भांति ज्ञात है कि गत वर्ष असम राज्य सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। 20 लाख से अधिक किसान बुरी तरह प्रभावित हुए थे। भारत सरकार और कृषि मंत्रालय ने असम के लोगों से वादा किया था कि उन्हें विशेष मुआवजा दिया जायेगा। लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

जैसाकि आपको ज्ञात है कि असम राज्य बराक और ब्रहमपुत्र दोनों घाटियों में ब्रहमपुत्र नदी, और इसकी 138 सहायक नदियों से आने वाली बाढ़ और भूमि कटाव की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ और भूमि कटाव की यह समस्या गत पांच दशकों से असम की अर्थव्यवस्था के मूल आधार को तोड़ रही है। यह एक जायज मुद्दा है।

माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने रोमारिया डिब्रूगढ़ के दौरों के दौरान वहां के प्रभावित लोगों से वादा किया कि विशेष कदम उठाए जाएंगे और भारत सरकार इस पर राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार करेगी। लेकिन यहां पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अत:, इस मुद्दे पर असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए विचार किया जाना है।

शान्ति तथा नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस संबंध में असम में एक गंभीर समस्या

पैदा हो रही है। सरकार शान्ति और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी? वे राज्य में शान्ति की बहाली के लिए कैसे प्रयास करेंगे? वे आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? इस प्रसिद्ध अभिभाषण में इस मुद्दे का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसलिए मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सरकार को शीघ्र ही सभी उग्रवादी गुटों के साथ शान्तिपूर्ण बातचीत शुरू करने हेतु कुछ उपाय करने चाहिए ताकि शान्ति बहाल हो सके और राज्य एवं क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मोहतरम, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज सदन के खुतबे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश के हालात कहां हैं, उस पर खुतबे के अंदर बहुत सी कमियां हैं। जो बातें उसमें कहनी चाहिए थीं और जिन पर अमल होना चाहिए था, उनको कोई जिक्र नहीं किया गया है। अभी हमारे दोस्त असम का जिक्र कर रहे थे। असम में श्रीमती मनोरंजना के ऊपर हमला हुआ। उन्हें धमकी दी गई कि तुमने यहां का नक्शा और पिक्चर चैनल के जरिए क्यों दिखाया, इसलिए तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर सही पिक्चर किसी ने पेश की तो उस पर हमले की धमकी दी जाती है। आज मुल्क के अंदर जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, उनकी हालत का ताल्लुक है, तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मुसलमानों की हालत बहुत ही खराब है, यहां तक कि दलितों से भी नीचे है। उस रिपोर्ट के अंदर यह बिल्कुल साफ तौर से कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान भी इस देश के रहने वाले हैं। उन्होंने भी इस देश की आजादी के वक्त अपना खून-पसीना बहाया था और कुर्बानियां दी थीं। करीब 27,000 उलेमा उस वक्त शहीद हुए थे और देश आजाद कराया था।

हम चाहते हैं कि मुसलमानों को भी पूरा हक मिले, उन्हें अमन और शांति मिले, उनके हकूक की हिफाजत हो, उनकी गरीबी दूर हो, उनके बच्चों को पूरी तालीम दी जाए और उन्हें इस देश को मोअज़िज़ शहरी बनाने की पूरी कोशिश की जाए। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे साथ दोहरी पालिसी बरती जाती है। सच्चर आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात नहीं कही गई है, न ही इस खुतबे के अंदर ऐसा कुछ कहा गया है। जब तक इस देश में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनकी बदहाली दूर नहीं हो सकती, वे ऊपर नहीं उठ सकते और उनका वकार बहाल नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट चलाई है। उसमें हमारी यह मांग है कि मुसलमानों को तनासुब के एतबार के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके, उन्हें तालीम मिल सके और उनकी माली हालत बेहतर हो सके, जिससे वे भी इस मुल्क के बाइज्जत शहरी के नाते जिंदगी गुजार सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के अंदर तामीरी काम किया जाए।

हम मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। आज भी देश की भलाई के लिए, देश का मस्तक ऊंचा करने के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम पर एतमाद किया जाना चाहिए और काम करने का मौका देना चाहिए। मुसलमानों को देश का दो नम्बर का शहरी न समझकर उन पर भी एतबार किया जाना चाहिए, तभी वे पूरी जिम्मेदारी से अपने फराएज को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों को टेररिस्ट और उनके मदरसों को टैररिस्ट्स की पनाह की जगह कहा जाता है। टैररिज्म इस्लाम में बिल्कुल जुर्म है, गुनाह है। मुसलमान टैररिज्म को पंसद नहीं करता और न ही उसे बर्दाश्त करता है। हम टैररिज्म के सख्त खिलाफ हैं। हम लोग अमन और शांति को मानने वाले हैं। इसलिए मुसलमानों के साथ इस किस्म का जो सलूक होता है, वह मुनासिब नहीं है।

मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात में हुआ, मुरादाबाद में हुआ। जहां-जहां भी उनके साथ ज्यादती हुई है, सब लोग उसे जानते हैं। देश में बीसियों और पचासों बार रायट्स हुए हैं, लेकिन हमने उन्हें बर्दाश्त किया है। हम फिर भी हर हालत में मुल्क के हर भले काम में साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। लेकिन मुसलमानों के साथ इस किस्म की पालिसी अख्तियार करना, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी को मुसलमानों की युनिवर्सिटी न बताना या और मुस्लिम इदारों को पनपने न देना, यह पालिसी अगर रखी जाएगी तो मुल्क के हालात बिगड़ेंगे और इससे मुल्क तबाह हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों को भी अपने कांफिडेंस में लेकर उन पर एतबार करने की जरूरत है।

गुजरात में जो कुछ हुआ, आज तक मुसलमानों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया। इसी तरह से मुरादाबाद में जो दंगे हुए, उसमें भी मारे गए मुस्लिम लोगों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से देश की दूसरी कौमों के लोगों को मुआवजा दिया जाता है, मुसलमानों को भी दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होने की वजह से उनके अंदर यह एहसास पैदा होता है कि हमारे साथ दोहरी पालिसी बरती जा रही है, सौतेलेपन का बर्ताव किया जा रहा है। इस खुतबे के अंदर जो कुछ हमारे सदर-ए-जम्हूरिया ने फरमाया है या पालिसी के मुतल्लिक जो कुछ कहा गया है, उसके लिए तफसील का मौका नहीं है कि बहरहाल मैं उस पर रौशनी डाल सकता।

लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को इस खुतबे के अंदर जो यूपीए सरकार की पॉलिसी है, उसमें आज जितना एलोकेशन मुसलमानों की तालीम के लिए, उनकी तरक्की के लिए देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। उनके लिए कुल 381 करोड़ 60 लाख

[डा. शफीकुर्रहमान बर्क]

रुपया ही, सरकार की पालिसी के अंदर दिया गया है, जबकि एससी और एसटी को 17 हजार 870 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनको रुपया न दिया जाए, बल्कि ज्यादा दिया जाए लेकिन जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की स्थिति आज दूसरों के मुकाबले नीचे है तो मुसलमानों को भी ज्यादा मदद दी जानी चाहिए, उनको ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए और उनकी भलाई के लिए इसमें ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। ''हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती''।

डाक्टर शफीक उर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): मोहतरम, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज सदर के खुतबे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, इस देश के हालात कहां हैं, और इस पर खुतबे के अंदर बहुत सी कमियां हैं। जो बातें इस में कहनी चाहिये थीं और जिन पर अमल होना चाहिये था, उन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अभी हमारे दोस्त आसाम का जिक्र कर रहे थे। आसाम में शरीमती मनोरंजना के ऊपर हमला हुआ। उनको धमकी दी गई कि तुम ने यहां का नक्शा और पिक्चर चैनल के जरिये क्यों दिखाया इस लिये बहरहाल तुमको मार दिया जाएगा। अगर यही पिक्चर किसी ने पेश की तो उस पर हमले की धमकी दी जाती है। आज मुल्क के अंदर जहां तक मुसलमानों का तअल्लुक है, उनकी हालत का तअल्लुक है वह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, यहां तक दलितों से भी नीचे है। इस रिपोर्ट के अंदर यह साफ तौर से कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान भी इस देश के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस देश की आजादी के वक्त अपना खून पसीना बहाया था और कुर्बानियां दी थीं। करीब 27000 उलमा इस वक्त शहीद हुए थे और देश आजाद कराया था।

हम चाहते हैं कि मुसलमानों को भी पूरा हक मिले, उन्हें अमन और शांति मिले, उन के हुकूक की हिफाजत हो, उनकी गरीबी दूर हो, उन के बच्चों को पूरी तालीम दी जाए और उन्हें इस मुल्क का मोअज्जज शहरी बनाने की पूरी कोशिश की जाए। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे साथ दोहरी पालिसी बरती जाती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों को रिजरवेशन देने की बात नहीं कही गई है, मगर इस खुतबे के अंदर ऐसा कुछ कहा गया है। जब तक इस मुल्क में मुसलमानों को रिजरवेशन नहीं मिलेगा, उन की बदहाली दूर नहीं हो सकती, वह ऊपर नहीं उठ सकते और उन का वकार बहाल नहीं हो सकता। इस लिये मैं चाहता हूं कि हम लोगों मुसलिम रिजरवेशन मूवमेंट चलाएं। इस में हमारी यह मांग है कि मुसलमानों को तनासब के एतबार से रिजरवेशन दिया जाए, ताकि उन की गरीबी दूर हो सके, उन्हें तालीम मिल सके और उन की माली हालत बेहतर हो सके, जिस से वह भी इस मुल्क के बाइज्जत शहरी के नाते जिन्दगी गुजार सकें। इस लिये हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर तअमीरी काम किया जाए।

ہم مسلمانوں نے قربانیاں دیں ہیں آج بھی ملک کی بھلائی کے لئے ملک کا سر اونچا کرنے کے لئے اور ملک کی ترقی کے لئے ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں۔لیکن ہم پر اعتماد کیا جانا چاہیئے اور کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیئے۔مسلمانوں کو ملک کا دونمبر کا شہری نہ سمجھ کر ان پر بھی اعتبار کیا جانا چاہئے تا کہ وہ پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض کو انجام دے سکیں۔لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور ان کے مدرسوں کو ٹیررسٹس کی پناہ کی جگہ کہا جاتا ہے۔ٹیررزم اسلام میں بالکل جرم ہے، گناہ ہے۔مسلمان ٹیررزم کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اسے برداشت کرتا ہے۔ہم ٹیررزم کے سخت خلاف ہیں۔ہم لوگ امن اور شانتی کو ماننے والے ہیں۔اس لئے مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا جو سلوک ہوتا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔

مسلمانوں کا قتلِ عام گجرات میں ہوا، مرادآباد میں ہوا۔ جہاں جہاں بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں سب لوگ اسے جانتے ہیں۔ ملک میں بیسیوں، پچاسیوں بار رائٹس ہوئے ہیں۔لیکن ہم نے انہیں برداشت کیا ہے۔ہم پھر بھی ہر حالت میں ملک کے ہر بھلے کام میں ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے۔لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی پالیسی اختیار کرنا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مسلمانوں کی نہ بتانا، یا اور مسلم اداروں کو پنپنے نہ دینا یہ پالیسی اگر رکھی جائیگی تو ملک کے حالات بگڑینگے اور اس سے ملک تباہ ہو جائیگا۔اس لئے مسلمانوں کو بھی اپنے کانفیڈینس میں لیکر ان پر اعتبار کرنے کی ضرورت ہے۔

گجرات میں جو کچھ ہوا، آج تک مسلمانوں کے پریوار والوں کو معاوضہ نہیں دیا گیا۔اسی طرح سے مرادآباد میں جو دنگے ہوئے، اس میں بھی مارے گئے مسلم لوگوں کے پریوار والوں کو معاوضہ نہیں دیا گیا۔ میں چاہوں گا کہ جس طرح سے ملک کی دوسری قوموں کے لوگوں کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔مسلمانوں کو بھی دیا جائے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ دوہری پالیسی برتی جارہی ہے، سوتیلے پن کا برتاؤ کیا جارہا ہے۔اس خطبے

[डा. शफीकुर्रहमान बर्क]

کے اندر جو کچھ ہمارے صدرِ جمہوریہ نے فرمایا ہے یا پالیسی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس کے لئے تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ بہر حال میں اس پر روشنی ڈال سکتا۔ لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو اس خطبے کے اندر جو یو۔پی۔اے۔ سرکار کی پالیسی ہے، اس میں آج جتنا ایلوکیشن مسلمانوں کی تعلیم کے لئے، ان کی ترقی کے لئے دینا چاہئے تھا، وہ نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے لئے کل 381 کروڑ 60 لاکھ روپئے سرکار کی پالیسی کے اندر دیا گیا ہے، جبکہ ایس۔سی۔ اور ایس۔ٹی۔ ایک لاکھ 17 ہزار 870 کروڑ روپئے دیئے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو روپئے نہیں دئے جائیں، بلکہ زیادہ دئے جائیں، لیکن جیسا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے مسلمانوں کی حالت آج دوسروں کے مقابلے نیچے ہے تو مسلمانوں کو بھی زیادہ مدد دی جانی چاہئے، ان کو زیادہ پیسہ دیا جانا چاہئے۔ مسلم بچوں کی تعلیم اور ان کی بھلائی کے لئے اس میں زیادہ پیسہ دیا جانا چاہئے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنا بھاشن ختم کرتا ہوں۔ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया गया है।

माननीय राष्ट्रपति ने हमें इस बात का ब्यौरा दिया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी नीति को किस प्रकार अपनाया जाना है। इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और माननीय सदस्यों ने इस पर सवाल उठाए हैं। अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन्हें आरंभ किया गया है जैसे भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सुदृढ़ एवं सुविस्तारित सर्वशिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन का सार्वभौमिकरण और आईसीडीएस कार्यक्रम तथा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। ये ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण एवं विकास के लिए शुरू की गई हैं।

अब मैं भारत निर्माण योजना की बात करता हूं। इस योजना के अंतर्गत हजारों गांवों को जल की सुविधा प्रदान की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लाख महिला सहायकों की भर्ती करने का प्रस्ताव है। अनेक योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। गत वर्ष अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति की गई है। एक अन्य योजना 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के बारे में है। इसके अतिरिक्त एआईबीपी के अंतर्गत अन्य 9 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने कि दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त आवास योजना भी है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 'सेपरेट विन्डो' होने से इस कार्यक्रम के लिए एक वर्ष में 4000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अत: ये वे योजनाएं हैं

जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई हैं। हमें इन सभी योजनाओं की प्रशंसा करनी चाहिए।

माननीय राष्ट्रपति जी ने यह विचार व्यक्त किया है कि सरकार ने शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देने का निश्चय किया है युवा लोगों के राष्ट्र के रूप में भारत अपनी आबादी से लाभ तभी उठा सकेगा जब हम संभावनाशील क्षेत्रों और अपने बच्चों के बौद्धिक एवं भावात्मक विकास हेतु निवेश करेंगे।

अत: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें कई सुविधाएं दी गई हैं। इसके लिए बजट पहले ही आवंटित कर दिया गया था। इस बार भी मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से इस योजना को सुदृढ़ बनाया गया है। मुझे लगता है कि इस मध्याह्न भोजन योजना से लगभग 12 करोड़ विद्यार्थी लाभान्वित होंगें। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निरक्षरता का उन्मूलन करने के साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार करने एवं शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान के लिए यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली ये अच्छी योजनाएं हैं।

इस अवसर पर मैं सच्चर समिति के संबंध में एक बात बताना चाहता हूं।

मेरे अुनसार यदि समाज का कोई तबका शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है और उसे समाज के अन्य वर्गों के समतुल्य लाने के लिए उनकी मामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उन्हें कुछ अधिक सुविधाएं मुहैया कराए जाने में कोई बुराई नहीं है। न्यायमूर्ति सच्चर समिति ने देश के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। मेरे राज्य में जब श्री देवराज उर्स मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय कर्नाटक के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए श्री हवनूर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने एक सर्वेक्षण कराने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण एवं अनेकों अन्य सुविधाएं दी गई थी। उस समय अल्पसंख्यकों के रोजगार की विशेष नीति के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी। यह एक उदाहरण है।

महोदय, सच्चर समिति ने हमारे देश के मुसलमानों की शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का भी उल्लेख किया है। अत: महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सच्चर समिति रिपोर्ट का हवाला दिए जाने की सभी द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए तथा देश के मुसलमानों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक निधि आवंटित की जानी चाहिए। सच्चर समिति ने 100 ऐसे जिले की पहचान की है जहां शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमान बहुतायत में रह रहे हैं। उन जिलों में 100 से अधिक उच्चतर माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालय खोले जाने हैं। इन विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ उनमें छात्रावास की सुविधाएं भी मुहैया करायी जानी चाहिए ताकि मुस्लिम अल्पसंख्यकों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ सके। इससे हम ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम कर सकते है या पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं।

महोदय सच्चर समिति ने दूसरी सलाह यह दी है कि एक राष्ट्रीय वक्फ निगम की स्थापना की जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये की निधि का प्रस्ताव किया गया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रस्तावित राष्ट्रीय वक्फ निगम की स्थापना के लिए यदि 500 करोड़ रुपये की बजाय 1000 करोड़ रुपये का बजट दिया जाता है, तो हम इस देश के मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और बेहतर बना सकते हैं। इस सच्चर समिति के कारण अल्पसंख्यकों की जो भी आकाक्षाएं हों, यदि इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है तथा सच्चर समिति द्वारा सुझाए गये संस्थानों की स्थापना के लिए कदम नहीं उठाए जाते है, तों मुस्लिम समुदाय के लोगों के मनोबल में कमी आएगी।

सच्चर समिति द्वारा एक अन्य सुझाव अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के बारे में दिया गया था। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को दिया गया बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं है। इस समय केवल 300 करोड़ रुपये ही दिए गये हैं। अत: मेरा वित्त मंत्री से साग्रह निवेदन है कि देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये के मौजूदा बजटीय आवंटन को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर लाए गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले 20 सदस्यों की सूची मेरे पास उपलब्ध है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लंबे भाषण न देकर केवल अपने सुझाव सदन के सामने रखें।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नूर : उपस्थित नहीं

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर) : महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय को संसद के दोनो सदनों में अभिभाषण देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो पिछले कई वर्षों से उपेक्षित और पीड़ित हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के समग्र विकास के लिए कई कार्यक्रम का वर्णन किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषरूप से नागा बहुल क्षेत्रों में स्थायी रूप से शांति की स्थापना के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का कोई जिक्र नहीं किया गया हैं किसी सार्थक विकास के लिए शांति की स्थापना पहली शर्त होती है।

नागा राजनीतिक आंदोलन सबसे पुराना राजनीतिक आंदोलन है तथा यह देश की एक ज्वलंत समस्या है। यहां शांतिवार्ता पिछले दस वर्षों से चल रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा ही दूरदर्शितापूर्ण एवं महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत नागा इतिहास एवं उसकी स्थिति की अनूठी पहचान से भली भांति विदित है।

हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरु ने भी 13 मई 1956 को असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसके उद्धरण मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं:–

> ''उनकी शिकायतों में से एक शिकायत यह है कि हम अपने संविधान के अंतर्गत उन्हें विभिन्न राजनीतिक, क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। हमें इस पर विचार करना होगा कि उन्हें पुन: एक सूत्र में पिरोना संभव अथवा वांछनीय है। इसके अतिरिक्त हम उन्हें कितनी स्वायतता दें ताकि वे बिना किसी हस्तक्षेप के अपना जीवन निर्वाह कर सकें''

नागा लोगों के साथ आधुनिक भारत द्वारा किया गया प्रमुख अन्याय यह है कि बिना उनकी जानकारी एवं सहमति से उनकी भूमि का विभाजन किया गया है। नागा लोगों का विश्वास पुन: जीतने के लिए हमारे देश के नेताओं को दलगत भावना से उपर उठकर मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से आगे आना होगा ताकि उनके साथ जो अन्याय किया गया है उसे दूर किया जा सके।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राज्यों के पुनर्गठन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यावश्यक है। हमारे देश में समान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषायी, पारंपरिक पृष्ठभूमि के अनेक लोगों को एक ही राज्य में रखा गया है ताकि उन्हें मिलजुल विकास पथ पर अग्रसर होने का मौका दिया जा सके तथा उनकी आकांक्षाएं पुरी हो सके।

लेकिन नागा लोगों के मामले में राज्य की सीमाएं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं कि उनके एक साथ रहने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। पूर्वोत्तर में लाखों नागा लोग नागा आंदोलन के कारण प्रभावित एवं उपेक्षित हुए हैं।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि नागा आंदोलन कदाचित भी आतंकवादी आंदोलन नहीं है; यह आजादी के पहले से लेकर आज तक उन पर किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध एक जन आंदोलन है। सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच चल रही राजनीतिक वार्ता से यदि कोई सौहार्दपूर्ण हल निकल कर आता है, तो इससे निश्चित रूप से नागा लोगों का नया जीवन मिलेगा।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात बताना चाहता हूं जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती को पहचाना है लेकिन इसमें देश के जैवविविधता के प्रमुख केन्द्रों जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा हिमाल क्षेत्र के संरक्षण के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये क्षेत्र परिस्थितिकीय दृष्टि से काफी संवेदनशील हैं तथा ये क्षेत्र हमारे लिए हवा शुद्धीकरण हेतु फेफड़ों का काम करते हैं। देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए समयबद्ध तरीके से रणनीतियां बनाए जाने की जरूरत है।

इन जंगलों में रहनेवाले जनजातीय लोगों के लिए सक्रिय जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ व्यापक सतत् विकास कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। परिस्थितिक रूप से इन संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। योजनाकारों को सबसे महत्वपूर्ण यह बात ध्यान में रखनी है कि कृत्रिम रूप से तैयार किए गये वन चाहे कितना ही बड़े या विशाल क्यों न हों,

वे पारिस्थितिकीय महत्व के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक वनों की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए प्राकृतिक वनों को किसी भी कीमत पर संरक्षित रखना अपरिहार्य हो गया है, चाहे इसके लिये कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

यह अच्छी बात है कि सरकार ने अ.जा एवं अ.जा.जा समुदायों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े बकाया पदों को भरने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तथापि अ.जा. एवं अ.ज.जा. समुदाय जिस तरह से अन्याय एवं अपमान सह रहे हैं उसे मात्र इन्ही कदमों के जरिए ही समाप्त नहीं किया जा सकता है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में अ.जा. एवं अ.ज.जा. के ऐसे अनेक कर्मचारी है जिन्हें विभिन्न प्रकार के भेदभाव, विशेषकर पदोन्नति एवं नियुक्ति के मामले में, का शिकार होना पड़ा है। पिछडे लोगों विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। लेकिन इस संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रखण्ड स्तर पर जनजातीय लोगों के लिए समर्पित शैक्षणिक संस्थान, विशेषकर जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की जरूरत है ताकि वे लोग भी आधुनिक विश्व में अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।

जब तक यह सरकार त्वरित कार्रवाई करके पूरे तौर पर प्रतिबद्ध नहीं होगी, तब तक इस देश के लोग विशेषकर समाज के उपेक्षित वर्ग गर्व और सम्मान के साथ इस देश की उपलब्धि का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर माननीय श्री मधुसूदन मिस्त्री जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम महामहिम भारत के राष्ट्रपतिजी के प्रति 23 फरवरी, 2007 को संसद के दोनो सदनों में उनके द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिये अत्यधिक आभारी हैं।

महोदय, मणिपुर विधानसभा हेतु इस वर्ष 23 फरवरी 2007 को अंतिम चरण का मतदान होने के कारण मैं संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं ले सका लेकिन आज धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

पंजाब और उत्तराखंड में हुए चुनाव का विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने भाषण में व्यापक उल्लेख किया गया है और हो सकता है कि वे इसे हमारे दल की हार मानते हो। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे राज्य मणिपुर में हमारे दल का प्रदर्शन अच्छा रहा है और वहां हमने लगभग स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अन्य सदस्यों ने इसका जानबूझकर उल्लेख क्यों नहीं किया है और मुझे इसका खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय राज्य में हमारे दल की सफलता केंद्र में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील प्रबंधन की सरकार और इस गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के पर्यवेक्षण में अच्छे शासन की परिचायक है।

महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा अपने अभिभाषण में सभी अग्रगामी कार्यक्रमों जैसे मध्याह्न भोजन योजना का सार्वभौमिकरण; सर्व शिक्षा अभियान; भारत निर्माण, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन इत्यादि का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है।

मेरी समझ से राष्ट्रपतिजी का यह अभिभाषण जानकारी की दृष्टि से अपने आप में परिपूर्ण है। मुझे इस सभा को सूचित करते हुए विशेषरूप से प्रसन्नता हो रही है कि जब महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे, तो उस समय अपने राज्य में विधान सभा का सदस्य था। अब उनका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं अपने एक आदरणीय वरिष्ठ साथी एक अद्वितीय वैज्ञानिक भी हैं, के प्रति अपना विनम्र धन्यवाद प्रकट करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

जहां तक हमारे देश के गड़बड़ी वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, यूपीए के कई नवीन कार्यक्रमों को इस क्षेत्र में लागू किया गया है और इससे भी अच्छी बात यह है कि देश की वृद्धि दर अब लगभग 9 प्रतिशत हो गई है। मैं अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ कहना चाहूंगा कि राज्य के इस क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष श्रेणी वाले राज्यों का दर्जा दिया गया है। विशेष श्रेणी के इस धब्बे को मिटाने के लिए इस क्षेत्र के लिये अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान भारत सरकार इस क्षेत्र के लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने हेतु और अधिक ध्यान देगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां इनमें से कतिपय समस्याओं का उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे पहले विशेष सशस्त्र सेना अधिनियम, 1958 का निरनुमोदन किया जाना चाहिए। इस विशेष मांग को पूरा करने हेतु कुमारी आयरन छनू शर्मिला पिछले 6 वर्षों से भूख हड़ताल

[डा. टोकचोम मैन्या]

पर हैं। उन्हें दिल्ली लाया गया है। हाल ही में उन्हें वापिस मणिपुर भेजा गया है। वे इस अधिनियम का निरनुमोदन किए जाने की मांग कर रही हैं और भारत सरकार न्यायाधीश जीवन रेड्डी समिति के प्रतिवेदन पर सक्रियता से विचार कर रही है और वास्तव में इस समिति ने इस अधिनियम के निरनुमोदन की सिफारिश की है और हम अशान्त क्षेत्र की श्रेणी में आने वाले सभी राज्यों की इस विशेष समस्या के समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

दूसरी बात, जिसका अभी मेरे सहयोगी श्री मणि चारेनामै द्वारा उल्लेख किया गया है, भारत और एनएससीएन (आईएम) के बीच चल रही शांति वार्ता से संबंधित है। इस शांति वार्ता की शीघ्र सफल समाप्ति हम सभी के लिए अच्छी बात होगी। यह काफी लंबे समय से लंबित है। हम मानते हैं कि प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है और मैं इसके प्रति अत्यंत आशान्वित हूं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उग्रवाद, राजनैतिक अथवा अन्य इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाना आवश्यक हो गया है क्योंकि मेरे राज्य को इसके कारण अत्यधिक कठिनाई हो रही है। महामहिम, भारत के राष्ट्रपतिजी ने अपने अभिभाषण में इस बारे में उचित उल्लेख किया है।

मैं महामहिम द्वारा दिए गए विशिष्ट अभिभाषण के लिये उनके प्रति अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, सबसे पहले मैं राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने हेतु मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। महामहिम, राष्ट्रपतिजी ने अपने अभिभाषण में कई मुद्दों पर अपनी चिंता प्रकट की है। यद्यपि यूपीए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में महिलाओं के लिये आरक्षण का मामला शामिल किया गया है, तथापि एक लंबा समय बीतने पर भी विधेयक पारित नहीं किया जा सका है। राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह एक चिंता का विषय है। एनडीए की सरकार के सत्ता में रहने के समय मे इसे संसद के प्रत्येक सत्र में कार्यसूची में शामिल करते थे लेकिन महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं किया जा सका और इस प्रकार छः वर्ष बीत चुके हैं। यूपीए की सरकार भी अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरा कर चुकी है। कल 8 मार्च है और इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः कम से कम अभी भी हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि इस विधेयक को कार्यसूची में शामिल किया जाए। मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन करने और इसमें सुधार लाने के प्रश्न पर गठित सच्चर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसमें मुसलमान अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने हेतु कई सिफारिशें की गई हैं। लेकिन राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई बात नहीं कही गई है। मुसलमान अल्पसंख्यकों के संबंध में गठित सच्चर समिति ने शिक्षा और रोजगार के अवसरों में मुसलमान अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दिए जाने और मुसलमानों के बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में इनके लिए विशिष्ट विद्यालय खोलने की सिफारिश की है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में अपनी कार्ययोजना का उल्लेख करेंगे।

आज हमारे समक्ष मूल्य वृद्धि की स्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यूपीए की अध्यक्षा ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक गत अगस्त में बुलाई थी। उन्होंने मूल्य वृद्धि पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए इस पर चर्चा की थी। लेकिन अब तक इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। मुझे यह उल्लेख करते हुए खेद है कि केंद्र सरकार ने तेजी से हो रही मूल्य वृद्धि की रोकने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। केवल इस बजट में कमोडिटी ट्रेड लिस्टिंग के एक अंग के रूप में चावल और गेहूं के आन लाइन ट्रेड के संबंध में एक उल्लेख किया गया है।

यह कहा गया है कि वस्तुओं के सट्टा व्यापार को समाप्त किया जाएगा। कई ऐसे सामान व वस्तुएं हैं जिनका ऑन-लाईन व्यापार किया जाता है। इसकी वजह से इनकी कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव होता है जिसका मुख्य कारण स्टाक मार्केट में सट्टाबाजी है इसके लिए वस्तुओं के ऑनलाईन ट्रेडिंग के प्रभाव का आकलन करने हेतु इसे किसी समिति को सौंपे जाने एवं इस पर उनकी रिपोर्ट का इंतजार करने की बजाय आप सीधे आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्यान्नों यहां तक कि सोने को भी ऑन लाईन ट्रेडिंग के दायरे से हटा सकते हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कोई उत्साहवर्धक नहीं हैं। डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में क्रमशः 2 रुपये तथा 1 रुपये की कमी किए जाने की सरकार की हाल की घोषणा महज एक दिखावा है। यह ठीक ऐसा ही है जैसा कि भारी बोझ से दबे ऊंट की पीठ

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

से एक तिनका निकाल दिया गया हो। पेट्रोल और डीजल की कीमतो मे दो किस्तों में कमी किया जाना वो भी महज एक या दो रुपयों की कमी उचित नहीं है। जब कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, हम भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे हैं। लेकिन जब कभी इनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटी हैं, तब वे उसी अनुपात में नहीं घटाई गई हैं। 30 जून 2006 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत मात्र 53 डॉलर प्रति बैरल थी। अब यह घटकर 50 डॉलर प्रति बैरल हो गयी है। अत: सरकार से आग्रह है कि वह यहां भी इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुरूप रखें। यहां तक कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आती है, तब उसी अनुपात में तेल कंपनियों द्वारा कीमतों में कटौती नहीं की जाती है। अत: सरकार से आग्रह है कि तेल व्यापार की इस परिपाटी एवं नीतियों में बदलाव लाया जाए। इस तरह की सोच को समाप्त किया जाना चाहिए। एक विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए नौ नये जिलों की पहचान की गई है। इस बात का उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में भी किया गया है। लेकिन इसमें उन जिलों का नाम नहीं है जो इसके वास्तविक हकदार है तथा केरल का इडुक्की जिला उन्हीं में से एक है। इलायची की 'खेती से जुड़े कामगार' पिछले पांच वर्षों से बुरी तरह प्रभावित हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कीमतों में उतार-चढ़ाव एवं लाभकारी कीमत नहीं मिलने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अल्प्पुझा में नारियल एवं धान की खेती करने वाले किसान भी बुरी तरह प्रभावित हैं। गत 30 नवम्बर को जब मैं इस बात को माननीय कृषि खाद्य एवं कृषि मंत्री, श्री शरद पवार के संज्ञान में लाया था, तो उन्होंने अपने उत्तर में कहा था कि इडुक्की एवं अलप्पुझा, दोनो जिलों को उन जिलों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा जिन्हें पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि कृषि ऋण पर से ब्याज समाप्त कर दिया जाएगा तथा ऋण की शर्तें पुन: निर्धारित की जाएंगी। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मसाला बोर्ड को लिखे गये पत्र के उत्तर में अखबार में उनके नाम छपवाने से ऋणदाताओं की किरकिरी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में उल्लिखित सूची में इडुक्की और अलप्पुझा जिले का नाम नहीं है। अत: केन्द्र सरकार से साग्रह निवेदन है कि इडुक्की और अलप्पुझा, दोनों जिलों के खेतिहर कामगारों के रक्षार्थ आगे आएं और विशेष पैकेज प्रदान किए जाने वाले जिलों की सूची में इन्हें भी शामिल करें। पहले वहां इलायची बोर्ड था। अब इसके अभाव में इलायची की खेती करने वालों को इसकी लाभकारी कीमत, यहां तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। अत: मैं पुन: इलायची बोर्ड का गठन किए जाने के लिए सरकार से आग्रह करता हूं।

हमें राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के तहत चल रही योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वर्ष इसमें 120 नये जिलों को शामिल किया जा रहा है। मैं इस बात से व्यथित हूं कि पंजाब के कुछ जिलों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है। पंजाब देश का प्रथम राज्य है जहां हरित क्रांति को शत-प्रतिशत सफलता मिली। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि यदि पंजाब जैसे राज्य में खेतिहर मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश में खेतिहर मजदूरों की स्थिति कितनी दयनीय होगी। इडुक्की जिले में उपजायी जानेवाली इलायची विश्व प्रसिद्ध है। अत: मसाला बोर्ड से पृथक एक इलायची बोर्ड का पुनर्गठन करके देश के दक्षिणी भागों में विशेष कर इडुक्की जिले में इलायची की खेती को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है।

सायं 7.56 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन* हुए]

राष्ट्रपति अभिभाषण में देश के आर्थिक विकास की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। फिर भी रोजगार तथा रोजगार के अवसरों का सृजन एक दिवास्वप्न ही बना हुआ है। आज सुबह प्रश्न काल के दौरान भी माननीय कार्मिक मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि क्या सरकार नौकरी पर लगाए गये प्रतिबंध को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वह जरा भी संतोषजनक नही था। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि सरकारी क्षेत्र के रोजगार पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन साथ ही वह यह भी कह रहे थे कि कम से कम एक हजार रिक्तियों को सुव्यवस्थित किया है। यह जरा भी खुश होने की बात नहीं है कि एक ऐसे देश में, जहां 20 करोड़ युवक बेरोजगार है, हजारों रोजगार की कटौती की जा रही है।

अधिकांश रोजगार संविदागत रोजगार हैं। यदि सैंकड़ों या हजारों लोगों को रोजगार दिया भी जाता है, तो उन्हें संविदागत कामगारों के रूप में रोजगार दिया जाता है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन दिए जाने की बात तो दूर वे चिकित्सा सुविधाओं, बोनस तथा वृति (ग्रेच्युटी) से भी वंचित है। यहां तक कि सॉफ्टवेयर उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी स्थायी रूप से रोजगार प्रदान नहीं किए

[श्री पी. मोहन]

जाते हैं। यदि वहां आकर्षक वेतन पैकेज भी है, तो कुछ ही समय के लिए। इन सभी क्षेत्रों में आज रोजगार दिया जाता है, तो कल रोजगार से निकाल दिया जाता है।

इस देश में औद्योगिक विकास से स्थायी रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत संविदागत कामगारों को नियमित करना चाहिए। केन्द्र सरकार से मेरा साग्रह निवेदन है कि वह पूरे देश में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना सुनिश्चित करे। साथ ही, छोटे और मझोले उद्योगों के हितों की रक्षा किया जाना भी महत्वपूर्ण है। हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रखी हैं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि हमारे लाखों लोगों को छोटे और मझोले उद्यमों में ही रोजगार मिलता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि बड़ी, छोटी तथा मझोली औद्योगिक इकाइयों के उत्पाद पर एक समान उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इससे छोटे और मझोले उद्यमों का कोई भला होने नही जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हजारों लघु औद्योगिक इकाइयां एवं मझोले उद्योग बंद हो गये।

इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह घोषणा की गई कि ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयों को तब तक उत्पाद शुल्क के भुगतान से मुक्त रखा जाएगा जब तक कि उनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अनधिक है। ऐसा उत्पाद शुल्क के भुगतान से मुक्ति की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करके किया जाएगा। मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि की इस प्रवृति को देखते हुए मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस घोषणा से कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। यह कोई बहुत बड़ी छूट नहीं है। अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि गुणवत्ता मानक के लिए कोई समान उत्पाद शुल्क दर ढांचा या मापदंड निर्धारित न किया जाए।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि पंपसेट, टिन के कनस्तर एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित बैंडेज का विनिर्माण करने वाली छोटी एवं मझोली औद्योगिक इकाइयों को इस प्रकार की छूट प्रदान की जाए। उन्हें गुणवत्ता मानक प्रमाणन की कठोर प्रणाली से मुक्ति अवश्य मिलनी चाहिए। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

रात्रि 8.00 बजे

श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़ उत्तर) : महोदय, मैं अभिभाषण देने के लिए राष्ट्रपति महोदय का सचमुच आभारी हूं। साथ ही उस भाषण में विशेषकर उसके तीसरे एवं चौथे पैरा में उल्लिखित नीति से मुझे काफी निराशा हुई है। उन्होने उसमें मुद्रास्फीति एवं मूल्य नियंत्रण के उपायों का जिक्र किया है।

मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख हो रहा है कि इस देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं औद्योगिक मूल्य सूचकांक बढ़कर रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है। मैं कह रहा हूं कि उनमें रिकार्ड वृद्धि हुई है। दालों की कीमत बढ़कर 70-80 रुपये प्रति किलोग्रम से भी अधिक हो गयी है।

जब मैं किसी मध्यमवर्गीय परिवार के घर गया तो वह बता रहा था कि एक समय था जब हम जेबो में पैसा लेकर जाते थे और झोला भरकर किराने का सामान लाते थे। आज यह स्थिति बिल्कुल उलटी है। हम झोला भरकर पैसा ले जाते हैं और जेबो में सामान लाते हैं। आज की स्थिति यह है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है।

मणिशंकर अय्यर जी, आप बेशक हंस सकते हैं लेकिन मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं। मैं आश्रय कॉलोनी क्षेत्र में गया था। यह ऐसा क्षेत्र है जहां आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते है। यहां, बच्चे ब्रेड के दो-तीन टुकड़े खाकर सात बजे ही सो जाते है। मैने पूछा कि स्कूल जानेवाले ये बच्चे इतना जल्दी क्यों सो रहे हैं, तो उस घर के मालिक ने कहा:– ''चूकि मैं पिछले छह-सात महीने से रात का भोजन खिला पाने में असमर्थ हूं। इसलिए मैं उन्हें जल्दी सुला देता हूं।'' यह है स्थिति।

वे हमें बता रहें है कि विकास दर 8.9 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 9 प्रतिशत हो जाएगी। आप हरेक चीज की तुलना चीन से कर रहे हैं। चीन में विकास दर 15-16 प्रतिशत से अधिक है लेकिन मुद्रास्फीति दर दो प्रतिशत ही है। आप दूसरी चीजों की तुलना चीन से करते हैं। लेकिन जहां तक मुद्रास्फीति एवं विकास दर की बात है, आप इसकी तुलना चीन से करना नहीं चाहते हैं।

उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय से कहलवाया है कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी कि गरीब लोगों पर इस मुद्रास्फीति का दुष्प्रभाव न पड़े।

मैं इस सरकार से यह बता रहा हूं कि इसी वजह से जनता ने उन्हें उत्तराखण्ड और पंजाब में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी की माननीया अध्यक्षा भी यह बात सार्वजनिक रूप से

स्वीकार कर चुकी हैं। कम से कम अब समय आ गया है कि सरकार इस मुद्रास्फीति और महंगाई पर रोक लगाए अन्यथा पूरे देश की जनता इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : मणिपुर में हमें निर्वाचित किया गया है।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : वे मणिपुर से ही संतुष्ट हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद जोशी : वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भी बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)* आप ब्रेड में ही संतुष्ट रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। चिंता मत कीजिए। जनता उत्तराखण्ड और पंजाब में पहले ही आपको बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। यदि आप महंगाई पर रोक नहीं लगाते हैं, तो जनता आपको और आगे का रास्ता दिखाएगी। आप इसकी चिंता न करें।

महोदय, में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। पहले इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया था। अब इसमें 100 या 120 और जिलों को शामिल किया गया है। 100 जिलों के लिए 1100 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। 120 और जिलों को शामिल करने के लिए 100 दिन के काम के लिए इस बार मात्र 1200 करोड़ रुपये दिए गये हैं। वे इस योजना के बारे में काफी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। पिछले साल 100 जिलों के लिए इस प्रयोजन हेतु लगभग 1100 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था। इस योजना में 120 और जिलों को शामिल किए जाने के बाद बजटीय आवंटन में मात्र 100 करोड़ रुपये की वृद्धि किया जाना एक विडम्बना की ही बात है। 1100 करोड़ रुपये के बदले वे मात्र 1200 करोड़ रुपये दे रहे है, जो कि विडम्बना के अलावा और कुछ नहीं है।

मैं कृषि की बात कर रहा हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि कृषि ऋण अनुपात दो वर्षों के अंदर दोगुना हो जाएगा। कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए बिना वे ऐसा कैसे कर सकते हैं?

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए और अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री प्रहलाद जोशी : कृषि को एक पेशे के रूप में लाभकारी बनाया जाना चाहिए। एक ओर तो लोग महंगाई से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। जब तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है, तब तक यह कठिन होगा। मैं इन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए बिना एवं कृषकों को लाभकारी मूल्य प्रदान किए बिना आप चाहे जितना ऋण उन्हें दे दीजिए, वे ऋणी ही बने रहेंगें और इससे अधिक और कुछ नहीं होने वाला है।

इसके साथ ही फसल बीमा योजना के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। केवल अपने बजट भाषण में माननीय वित्तमंत्री ने कहा है कि यह योजना पूर्ववत जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि 2001-2002 में तत्कालीन एनडीए सरकार ने फसल बीमा योजना को अधिक लोकप्रिय बनाया था। लेकिन उससे क्या हुआ? वे इस मामले में और आगे सुधार नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री प्रहलाद जोशी : डा. एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा है कि फसल बीमा योजना को और सुदृढ़ बनाये जाने के साथ साथ इसे किसानो के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इसके बावजूद राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है।

जब कर्नाटक सरकार किसानों को चार प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर सकती है, तो भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती है? भारत सरकार को भी चार प्रतिशत की ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान करना चाहिए।

सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रहलाद जोशी : महोदय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

सभापति महोदय : दूसरे सदस्यों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

पांच मिनट से ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी : मैं अंतिम दो-तीन बातें बता रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया एक ही बात बताइए।

श्री प्रहलाद जोशी : राष्ट्रपति महोदय ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर एवं कश्मीर के संदर्भ में आंतकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चा की है। लेकिन आतंकवादियों का साया देश के दक्षिण भागों तक फैल चुका है। बंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हमला किया गया है। एक आतंकवादी को मैसूर में तथा दूसरे को हम्पी में गिरफ्तार किया गया जो कि एक धरोहर एवं पर्यटन केन्द्र हैं। उसका वीजा छह महीने के लिए था और वह भी एक पर्यटक वीजा था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह दो-ढाई वर्ष से इस देश में रह रहा था। लेकिन सरकार इस बात को समझती ही नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

जोशी जी अब आप कंक्लुड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी : अंत में, मैं राष्ट्रीय जल नीति की मांग करता हूं। अभी कावेरी जल विवाद हमारे सामने आया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे हुबली-धारवाड़ नामक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की बहुत ही गंभीर समस्या है और यह बहुत ही भयावह है। ऐसी स्थिति में हम इसे महादई नदी घाटी से मलपुरा नदी घाटी की ओर मोड़ना चाहते हैं जिसके लिए हम पिछले कई वर्षों से भारत सरकार के संपर्क में हैं। लेकिन इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने अपने संसाधनों से काम शुरू कर दिया है। लेकिन जहां तक वन क्षेत्र का संबंध है, पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी है। मेरी मांग यह है कि चूंकि यह पेयजल समस्या है, अत: पर्यावरण मंत्रालय तथा भारत सरकार को कालसा-बंदूरी नाला संयोजन परियोजना के लिए अनुमति दे देनी चाहिए।

मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखता हूं। अभी भी दो-तीन बातें बची हुई हैं। आप मुझे दो-तीन मिनट का और समय दीजिए।

सभापति महोदय : शुरू में ही आपको इसे सभापटल पर रख देना चाहिए था और अनुमति ले लेनी चाहिए थी।

श्री प्रहलाद जोशी : पहले इसकी अनुमति दी गई थी।

सभापति महोदय : ठीक है।

***श्री प्रहलाद जोशी** : आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस नीतिगत विवरण के समर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिसे सरकार द्वारा राष्ट्र के समक्ष रखा जाता है और यदि सरकार की यह नीति जनता के पक्ष में होती है, तो निश्चित रूप से उसे सभा का समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन विडम्बना की बात यह है कि राष्ट्रपति महोदय को भाषण देने के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए न कि उनके भाषण की विषय-वस्तु के लिए। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए प्रस्ताव का समर्थन किया जाए।

मैं सर्वप्रथम अभिभाषण के पैरा 3 और 4 के संबंध में बोलना चाहता हूं जो इस प्रकार है:

> "मेरी सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान 9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा प्रकृति एवं सामान्य नीति की दिशा को देखते हुए यह व्यवहारिक और साध्य है। यद्यपि, आर्थिक विकास ही अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम पूरे सामाजिक समूहों एवं क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करने, आय का समान रूप से वितरण करने और गरीब लोगों को दरिद्रता, अज्ञानता एवं बीमारी से मुक्त करने की आशा करते हैं।"

सरकार बढ़ती हुई महंगाई एवं मुद्रास्फीति एवं इसे रोकने के अपने संकल्प की बात स्वीकार करती है। इसमें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर लेने का दावा किया गया है। लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि सरकार 9 प्रतिशत की विकास दर वाली अर्थव्यवस्था में बढ़ती मुद्रास्फीति को लाज़मी कैसे बता रही है। यहां तक वित्त मंत्री भी अपने बजट भाषण में इस पहलू को उजागर करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

कृषि

मैं कृषि के प्रति सरकार के ढुलमुल रवैये को देखकर काफी निराश हूं जिसमें भारतीय किसानों के प्रति चिंता झलकती है। यू.पी.ए. सरकार भारतीय किसानों की स्थिति सुधारने एवं उनकी आंखों के आंसू पोछने का ढिंढोरा पीटकर सत्ता में आई थी। लेकिन इस सरकार

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

ने किसानों की दुर्दशा पर घडियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं किया है।

माननीय सदस्यगण कृषि के लिए ऋण उपलब्धता की वृद्धि से पहले ही अवगत हैं।

कृषि और संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह को दुगुना करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार हेतु 13000 करोड़ रुपये का पैकेज भी तैयार किया गया है और यह क्रियान्वयनाधीन है। कृषि अनुसंधान और नयी प्रौद्योगिकी के खेत तक अंतरण पर बल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना (एनएआईपी) को मंजूरी दी गई है। पौधारोपण फसलों जैसे नारियल, चाय और काफ़ी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अनेक नयी योजनाएं बनाई गई हैं।

किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने का केवल उल्लेख मात्र किया गया है। यह इस बात का स्पष्ट सबूत है कि सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ में जो कुछ हुआ उससे कोई सबक नहीं लिया है। ये परियोजनाएं और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आबंटन और सही दिशा में उठाए गए कुछ कदम हो सकते हैं लेकिन इसमें वर्तमान संकट जैसे किसानों की आय में वृद्धि करना जैसे महत्वपूर्ण पहलू का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अधिक ऋण देने से क्या-क्या हो सकता है? इससे आय बढ़े बिना ही किसानों पर ऋण का भार बढ़ता है। किसानों की आय की निगरानी की जानी चाहिए। भारतीय कृषि का संकट 1.5 लाख से अधिक किसानों द्वारा आत्महत्या करना है। गत वर्ष प्रधानमंत्री ने विदर्भ क्षेत्र का दौरा किया था, जहां प्रत्येक आठ घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है, उन्होंने 3000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन विदर्भ के किसानों के मामले में हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या जारी है और सबसे घृणास्पद बात यह है कि प्रति 8 घंटे में एक किसान द्वारा आत्महत्या की दर अब प्रति 4 घंटे में एक आत्महत्या तक हो गई है।

सरकार इस समस्या पर लीक से हटकर सोचने में असफल रही है बल्कि वह पैकेज की घोषणा करने और निधियों का आबंटन करने में ही आश्वस्त एवं गर्व का अनुभव कर रही है। किसान समुदाय की दो प्रमुख मांगों फसल ऋण पर ब्याज दर घटाकर 4% करने और पूरे देश के लिए फसल बीमा पर एक समान एक प्रतिशत प्रीमियम करने के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। इससे हम केवल एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ेगी और कृषि के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आएगी जिसका कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यदि किसानों और कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की यही चिंता है तो मैं व्यथित होकर यह कहता हूं कि सरकार को इस बात पर गर्व करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह कृषि को अपने एजेन्डे में बहुत उच्च स्थान दे रही है।

दूसरी बात मैं जनता के सूचना के अधिकार के प्रति सरकार के घोषित दृष्टिकोण के बारे में कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण इस पहलू से संबंधित है लेकिन इसके परिणाम निराशाजनक ही हैं। इस सच में यह बात समेकित है कि सरकार ने पूरे देश के लोगों की बात की है और यह पता चलता है कि क्वात्रोची की गिरफ्तारी के बारे में पूरे देश को 3 सप्ताह से अधिक समय तक अंधेरे में रखा गया। मुझे यह कहना चाहिए कि इस सरकार ने किस अतार्किक तरीके से एवं डरावनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

जब इनके नेता के भूतपूर्व सबसे अच्छे मित्र ओफावियो क्वात्रोची को गिरफ्तार करने का समाचार 'अर्जेन्टाइना फर्स्ट' से मिला तो विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने इस संबंध में असफल प्रयास करते हुए यह कहने के लिए सामने आए कि क्वात्रोची को कैद करने का कोई कारण नहीं था। ''1997 में जारी 'रेड कॉर्नर' नोटिस के साथ ही कैद करने के लिए जारी वारण्ट 2002 में मलेशिया में कैद करने के साथ ही कालातीत हो गया। मलेशिया की इस घटना के बाद सीबीआई ने कोई दूसरा वारण्ट जारी नहीं किया है।

इससे अनेक प्रश्न अपने आप खड़े होते हैं जैसे कि विवादास्पद ख्यातिप्राप्त इटली के कारोबारी की रक्षा करने की आवश्यकता एक मंत्री को क्यों महसूस हुई? भारत सरकार को उसकी बंदी को छिपाने के लिए अपनी तरह से व्याख्या क्यों देनी पड़ी? क्वात्रोची से संबंधित प्रश्नों के बारे में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को इतना रक्षात्मक क्यों होना पड़ा? जब भी इस शख्स की बात सामने आती है हर व्यक्ति डर क्यों जाता है? ऐसी कौन सी बात है जो उसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जोड़ती है?

क्या यही सूचना का अधिकार है जिसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है? यदि ऐसा है तो भगवान ही हमारे लोगों की रक्षा करेगा।

[श्री प्रहलाद जोशी]

देश की आन्तरिक सुरक्षा : अभिभाषण के पैरा 42 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले अर्थात राष्ट्र की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। यह निम्न प्रकार से पठनीय है;

> "मेरी सरकार पुलिस बल, सुरक्षा बल तथा आसूचना एजेंसियों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर तथा नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाए गए संकेन्द्रित तथा सर्वांगीण प्रयास अब सफल हो रहे हैं। मेरी सरकार आतंकवाद तथा उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करती है और उनसे निपटने के लिए कृतसंकल्प है। जहां हमारी सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियों ने आतंक फैलाने के आतंकवादी गुटों के कई प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है वहीं मुंबई तथा असम में और अभी हाल ही में, समझौता एक्सप्रेस पर हमले की दुखद ओर कायरतापूर्ण आतंकी घटनाएं हुई हैं। मेरी सरकार सामने आई इन सभी चुनौतियों से सख्ती से निपट रही है।"

आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने और इस चुनौती को स्वीकारने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कश्मीर, पूर्वी क्षेत्र, मुंबई आदि में आतंकवाद का उल्लेख किया गया है लेकिन इसमें देश के दक्षिणी भागों विशेषकर कर्नाटक में आतंकवादियों द्वारा फैलाए जा रहे आतंक का उल्लेख नहीं है जो अब तक आतंकवाद की चिंता एवं भय से मुक्त था।

गत अक्तूबर में कर्नाटक के मैसूर में दो आतंकवादियों को पकड़ने जाने से यह सिद्ध होता है कि आईएसआई एक पुराने जिहादी गुट 'अलबदर' का प्रयोग दक्षिण भारत में अफरा तफरी फैलाने में कर रही है। दिसंबर 2005 में भारतीय विज्ञान संस्थान पर किया गया अति भयंकर आक्रमण जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के एक गणितज्ञ की जान चली गई, ने इस बात की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के बाद अब दक्षिणी भारत भी आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र बनता जा रहा है जिससे यह पता चलता है कि अब भारत का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहां अचानक बम विस्फोट और नागरिकों और अन्य आसान लक्ष्यों पर आक्रमण होने की संभावना न हो जहां कि तथाकथित धर्म के नाम पर और पाकिस्तान से संरक्षण प्राप्त दुश्मनी का दर्शन काम कर रहा हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू, विशेषकर कर्नाटक और दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में, का कोई उल्लेख नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के केन्द्र कर्नाटक में आतंकवाद के प्रसार को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। हम्पी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केन्द्र माना जाता है और जो विश्व विरासत केन्द्र के रूप में जाना जाता है धीरे धीरे आतंकवाद का अड्डा बनता जा रहा है, इसमें एक आतंकवादी की आशंका का कोई उल्लेख नहीं है। सरकार को इस सच से अवगत होना चाहिए कि हम्पी में गिरफ्तार आतंकवादी पर्यटक वीजा पर आया था और छह माह की लंबी अवधि के बीत जाने के बाद भी उसे ठहरने की अनुमति दी गयी थी।"

सभापति महोदय : अब श्री आलोक मेहता बोलेंगे

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजादी के 60 वर्ष बीतने पर एक अभिभाषण के क्रम में महामहिम ने यू.पी.ए. सरकार के नेक इरादों, उसकी योजनाओं और नीतियों को इस अभिभाषण के माध्यम से संयुक्त अधिवेशन में हम लोगों के बीच रखा। इसके लिए मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से उनका तहेदिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

महोदय, मैं कुछेक मुद्दों पर जोर देना चाहता हूं जिन पर महामहिम ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया है। राष्ट्रपति जी ने यू.पी.ए. सरकार के वैल्यू सिस्टम के बिलकुल अनुरूप, आम अवाम से फ्रेंडली जो नीतियां हैं, उन्हें अपने भाषण में स्पष्ट किया है। सामाजिक न्याय पर जोर देने की बात महामहिम ने कही है। लंबे समय से शासक वर्ग की नीति और नीयत में अंतर रहा है। जो सिस्टम को कार्यान्वित करने वाले लोग हैं, उनमें हमेशा विसंगतियां रही हैं। उनमें कभी तालमेल नहीं रहा है जिसकी वजह से शोषितों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जो नीतियां अब तक बनाई जाती रहीं, उन्हें जमीन पर उतारने में हमेशा कठिनाई आती रही है। सामाजिक न्याय पर महामहिम ने जोर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि उसे कार्यान्वित करने पर भी उतना ही जोर देना चाहिए ताकि उसका लाभ जिनके लिए ये नीतियां बनाई जा रही हैं, उन तक पहुंचे। इनकी इम्पलीमेंटेशन और मॉनीटरिंग की जरूरत है।

महोदय, फार्म क्रेडिट को बढ़ाया गया है। मैं समझता हूं कि इससे आत्महत्या की जो घटनाएं हमारे दक्षिण पश्चिमी राज्यों और

देश के कई अन्य राज्यों में होती रही हैं, उन्हें रोकने में बहुत कामयाबी मिलेगी क्योंकि ऐसी घटनाएं उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा होती रही हैं जहां पर किसान गांव के महाजनों से अधिक दर पर कर्जा लेकर फसल बोते रहे हैं और फसल तबाह होने के कारण उन्हें आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस पर रोक लगेगी। ऋण संरचना के अंतर्गत सरकार की ओर से पूअर एग्रीकल्चरिस्ट्स को, छोटे और मार्जीनल किसानों को ऋण देने के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे उन्हें अपने जीवन-यापन में सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और दूसरी तरफ जो गरीब अवाम है, उसे भी महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, भारतीय रेल के दमदार प्रदर्शन ने इस देश में महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत सहयोग किया है। इस बात को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है और 10 हजार से 13 हजार तथा इस वर्ष 13 हजार से 20 हजार करोड़ के लाभ तक पहुंचने की बात कही गई है। इसके साथ-साथ आम अवाम और यात्रियों को राहत देने का काम किया गया है। मूल्य वृद्धि के कारकों में रेल का फ्रेट नहीं बढ़ना भी है। मालगाड़ी से ढोए जाने वाले सामान का मूल्य न बढ़ाए जाने से मूल्य वृद्धि को रोकने में सहायता मिली है।

हम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस ओर इशारा किया। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के विकास की दर 9 प्रतिशत प्रोजेक्ट की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि विकास के विकेन्द्रीकरण की बहुत आवश्यकता है। गांव के अंतिम छोर और समाज की अंतिम पंक्ति तक विकास की किरणों को पहुंचाने का जो इरादा सरकार का रहा है, उसे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अभिव्यक्त किया गया है।

महोदय, मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए भी सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। मूल्य वृद्धि न हो, महंगाई न बढ़े, यह केन्द्र बिंदु में होना चाहिए, इसके इर्द-गिर्द ही पूरे सिस्टम को डेव्लप करने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए। आप बार-बार प्वाइंट्स को रिपोट कर रहे हैं।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के विषय में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। विकास के कार्यों के लिए उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था। पुनर्वास न होने की वजह से छोटे और मार्जिनल किसानों में बहुत तबाही थी। उद्योगों के लिए ऊसर भूमि के अधिग्रहण की बातें कही गई थीं, लेकिन बड़े पैमाने पर कई राज्यों, में जिसमें बिहार भी शामिल है, बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि को औने-पौने दामों पर अधिग्रहीत करके उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। इसलिए इससे संबंधित कानून में संशोधन होना चाहिए। राज्य सरकारों का इंटेशन भी इस विषय में क्लीयर होना चाहिए ताकि आम जनता पर उसका असर न पड़े। पंजाब में सुना गया है कि एक उद्योगपति ने 50 हजार एकड़ भूमि को अधिग्रहीत किया है। मैं कहना चाहता हूं यदि यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो फिर उपजाऊ जमीन कम पड़ जाएगी और कृषि उपज पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए इन बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। श्री के. फ्रांसिस जार्ज।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। लाल कार्ड, इंदिरा आवास और बीपीएल योजना में ग्रास रूट पर बहुत सी विसंगतियां पाई जा रही हैं। इस संबंध में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, जो बीपीएल की सूची बनाई जा रही है, उसमें शामिल है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। श्री के. फ्रांसिस जार्ज।

श्री आलोक कुमार मेहता : इस तरह की विसंगतियां उसमें पाई जा रही हैं। इसलिए इन योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आम आवाम और गरीब लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और गलत लोग इसका लाभ न उठा सकें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं दो बार श्री जार्ज का नाम बुला चुका हूं। आपका भाषण अब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आलोक कुमार मेहता : अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, आपका धन्यवाद। मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति के संसद की दोनों सभाओं में दिए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

माननीय राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को संबोधित करते हुए देश में सर्वसमावेशी वृद्धि के एक नये शिल्प की बात की है। इस समावेशी वृद्धि के प्रमुख साधन प्रमुख कार्यक्रम हैं जिनकी घोषणा सरकार ने की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसके बारे में पूर्वाह्न में सभा में उल्लेख किया गया था। इस योजना में और अधिक जिलों को शामिल किया गया है जिसका स्वागत देश के सभी वर्गों ने किया है कि यह कदम अपने देश से गरीबी को समाप्त करने में बहुत कारगार होगा।

मैं इस बात के लिए सरकार का आभारी हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकांश भाग इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

इस 'फ्लैगशिप' कार्यक्रम की एक प्रमुख योजना सर्व शिक्षा अभियान है। मुझे यह जानकार खेद है कि सरकार धीरे धीरे इस कार्यक्रम से पीछे हट रही है। पहले केन्द्र सरकार इस परियोजना के लिए 75 प्रतिशत वित्तपोषण करती थी और राज्यों से इस बात की अपेक्षा की जाती थी कि वे इस परियोजना लागत का 25 प्रतिशत भुगतान करेंगे। अब केन्द्र अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 50 प्रतिशत करने के बारे में योजना बना रहा है।

यह एक प्रमुख कदम है जिसे सरकार ने उठाया है जिसके बारे में यह कहना व्यर्थ है कि यह हमारी भावी पीढ़ी को कुछ प्रदान करेगा। इससे विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटाना चाहिए। वास्तव में इससे कुछ प्राप्त होना चाहिए और सरकार को और प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए तथा इसे अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे हमारे विकास को और गति मिलेगी। हम कृषि की उपेक्षा नहीं कर सकते; जो कि हमारे देश का एक प्रमुख व्यवसाय है। वास्तव में ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र और इस वर्ष के बजट में कृषि विकास पर प्रमुख बल दिया गया है। लगभग सभी सदस्यों, जो पहले बोल चुके हैं, ने इसका उल्लेख किया था, और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। किसानों द्वारा आत्महत्याएं जारी हैं।

हमें किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के साथ-साथ सिंचाई, बेहतर फसल बीमा आदि जैसी सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है।

दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की है लकिन कई फसलों को, विशेषकर केरल के मामले में, सभी बागवानी फसलों एवं मसालों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत अभी तक शामिल नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पहलू पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाये।

एक मूल्य स्थिरता तंत्र की भी आवश्यकता है। पूर्ववर्ती एनडीए सरकार ने मूल्य स्थिरता तंत्र की शुरूआत की थी लेकिन वह कारगर नहीं रहा। मेरा अनुरोध यह है कि नकदी फसलों एवं मसालों के मामले में हमें खरीद एवं व्यापार कंपनी की आवश्यकता है जो किसानों से उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद की खरीद करके उसे देश में ही बेच सके। मौजूदा मसाला विपणन कंपनी केवल निर्यात पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करती है और उत्पाद को देश के भीतर नहीं बेच रही है। महानगरों में मसालों और नकदी फसलों की बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है।

डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। उस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट और इस समिति के निष्कर्षों की स्थिति पूर्ववर्ती समिति की रिपोर्टों जैसी नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि आयोग की प्रमुख सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी।

राष्ट्रपति ने देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात कही है। सच्चर समिति की रिपोर्ट आ चुकी है और हमें उम्मीद है कि सच्चर समिति की प्रमुख सिफारिशों को क्रियान्वित करके सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमानों के समक्ष आ रही समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा। यहां दलित मुस्लिम एवं दलित क्रिश्चियन नामक वर्ग भी हैं। दलित क्रिश्चियन एवं दलित मुसलमानों को इस देश में केवल इस कारण से आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष ने किसी विशेष धर्म को अपनाया है। उन्हें उनके उस अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए जो अधिकार

इस समाज के अन्य दलित पिछड़े वर्गों को दिया जा रहा है। जो लोग धर्मांतरण करके सिक्ख तथा बौद्ध धर्मावलम्बी बन गये हैं, वे सब आरक्षण का लाभ ले रहे हैं लेकिन जो लोग धर्मान्तरण कर क्रिश्चियन बन गये हैं, उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया है। सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई ठोस वक्तव्य नहीं दिया है, यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने इस विशेष पहलू के संबंध में सरकार की स्थिति के बारे में केन्द्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

महोदय, मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। देश के सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में मैं यह नहीं कहूंगा कि स्थिति बिगड़ रही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसमें सुधार हो रहा है। हमारे साथी, श्री सुनिल महतो की बड़ी ही दुखद स्थिति में मृत्यु हो गई। पूर्वोत्तर और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति के संबंध में मैं नहीं कहूंगा कि यह बिगड़ रही है लेकिन देश के सुरक्षा परिदृश्य में सुधार करने के लिए अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

महोदय, हमारे उन रक्षा कार्मिकों के बारे में आज सुबह प्रश्न काल के दौरान उल्लेख किया गया है जिन्हें भारत-पाक युद्ध के दौरान युद्धबंदी के रूप में पकड़ा गया था और जो आज भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। तीन दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि भारतीय वायु सेना के एक आदमी को युद्ध के दौरान मार गिराया गया और पाकिस्तानी प्रेस में रिपोर्ट छपी थी कि उसे जिंदा पकड़ा गया था।,

लगभग तीस वर्ष बीत चुके हैं और अब उसका एक साथी वक्तव्य दे रहा है कि ऐसी विश्वसनीय खबर है कि वह आज भी पाकिस्तान की जेल में है। माननीय विदेश मंत्री ने भी कहा है कि लगभग 70 से भी अधिक ऐसे मामले हैं। हाल ही में थल सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन कार्मिकों का पूरा विवरण है जिनके बारे में समझा जाता है कि वे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। सरकार को पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन बंदियों की अदला-बदली के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

भारत-चीन युद्ध के दौरान कुछ सदस्यों, जिन्हें किसी विशेष राजनीतिक विचाराधारा, साम्यवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ समझा जाता था, को थल सेना से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सेवा किसी व्यक्ति को केवल उसकी पिछली राजनीतिक आस्था के कारण थल सेना से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी जाये या उसकी सेवा समाप्त कर दी जाये वस्तुत: उनमें से अधिकांश की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। बहुतों की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

सरकार को उन्हें क्षमा प्रदान करने तथा उन्हे उनका लाभ वापस देने पर विचार करना चाहिए। विगत तीन वर्षों के सरकार के समग्र कार्य निष्पादन का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है। हमें उम्मीद है कि सरकार का कार्यनिष्पादन बेहतर रहेगा।

मैं अपनी बात पूरी करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूं। यदि हमें एक राष्ट्र के रूप विकास करना है, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का निदान केन्द्र सरकार द्वारा इमानदारी से किया जाना चाहिए। केरल के मामले में, मैं अपने तमिलनाडु के भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जब कावेरी अधिकरण के फैसले, मुल्लईपेरियार, बांध, पालघाट रेल मंडल के मामले का उल्लेख करूं, तो वे उत्तेजित न हों क्योंकि तमिलनाडु के भाईयों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हम एक दूसरे की सहायता करते रहे हैं। तमिलनाडु से केरल राज्य का कोई विरोध नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी मुद्दों को सभी संबंधितों की संतुष्टि के अनुरूप सुलझा लिया जाएगा और केन्द्र सरकार इन मुद्दों को सौहार्दपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से एवं भाईचारे से सुलझाने के लिए पहल करेगी।

[हिन्दी]

*श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने सरकार की बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है और सरकार ने अपनी बात महामहिम के द्वारा कहलवाई है, लेकिन मैं मानता हूं आज जो देश की हालत है, जो देश के लोग परेशान हैं, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, नवयुवक हो, व्यापारी हो या छोटा बालक हर एक के साथ कोई न कोई मुसीबत जुड़ी हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत हो चुकी है और सरकार उसके शुभ संकेत बता रही है, लेकिन अगर उसके मुताबिक होता है, तो बहुत ठीक है, लेकिन आज हम देखते है कि युवक बेकार है वह नौकरी के लिए तरस रहा है, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसे रोजगार नहीं है। आज भी प्रश्न काल के दौरान माननीय मंत्री जी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

ने अपने उत्तर में बताया कि लाखों की संख्या में जगह खाली हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। आज अनडिक्लियर मान कर देखा जाता है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज का युवक अपने राह से भटक रहा है।

इसलिए मेरी मांग है कि उन्हें उचित बेकारी भत्ता दिया जाय ताकि वह सम्मान की जिंदगी जी सकें। इसके साथ किसानों के बारे में भी राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया है, लेकिन जिन किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या करने जा रहे हैं, उनके लिए जो बात रखनी चाहिए वह नहीं रख रहे हैं। यूपीए सरकार को बने ढाई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक किसानों के लिए सही कदम नहीं उठाए गए हैं। किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। कीटनाशक दवाएं महंगी हो गयी हैं। घटिया किस्म का उर्वरक बाजार में मिल रहा है, अत: किसान भगवान के भरोसे जी रहा है। अंत में कोई रास्ता न दिखने के कारण आत्महत्या करता है। इसलिए मेरी मांग है कि किसानों की सभी फसलों को बीमा से सुरक्षित किया जाए। हर फसल के लिए दाम निश्चित किया जाए और बिजली, पानी और खाद किसान को समय पर मुहैया कराया जाय।

महोदय, मैं आपको गुजरात के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। आज गुजरात सरकार की ओर से किसानों को अपने खेत तक पानी दिया जाता है। नर्मदा नहर के द्वारा बड़े पैमाने पर गांव-गांव तक पानी पहुंचाया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात के अंतिम छोर, कच्छ तक अंदर का पानी पहुंचा है। अगर यही योजना बिना अवरोध पंद्रह-बीस साल पहले पूर्ण हुई होती तो आज गुजरात भी पंजाब की तरह आगे होता। लेकिन अंतिम दस साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उचित कदम उठाए और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ निश्चय के कारण गुजरात देश के नक्शे में नंबर 1 पर आकर खड़ा है। इतना ही नहीं, विदेशों से लोग गुजरात के अपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में आए और लगभग 63 हजार करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है, जिसके कारण देश के विकास में गुजरात एक बहुत बड़ा सहयोग देने वाला है।

मैं सुन रहा हूं कि बहुत सारे हमारे साथी सांसद बिजली के लिए चिल्ला रहे हैं। आज भी देश के गांवों में बिजली नहीं है। मिट्टी के दिए तले लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए रोशनी नहीं है। आटा पिसाने के लिए भी हमारी मां-बहनों को दूर-दराज के गांवों में जाना पड़ता है। लेकिन गुजरात ने एक अभियान चलाया और प्रत्येक गांव को सिंगल फेज बिजली देकर शहरों की तरह, उसे जगमगाया है। आज गुजरात के गांवों में रहने वाले नवयुवक गांव छोड़कर शहर की ओर नहीं भागते हैं। गांव में ही अपनी रोजी-रोटी ढूंढ लेते हैं। बहनें छोटे-मोटे गृह उद्योग चला रही हैं। आज गुजरात के किसान खुशहाल हैं। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने गुजरात का दौरा किया था और उन्होंने भी गुजरात की सराहना की और गुजरात के नक्शे कदम पर देश के अन्य राज्य भी चलें, ऐसी बात कही।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में शिक्षा पर बल देने के लिए कहा है। हर एक को शिक्षा मिले यानी की सर्व शिक्षा अभियान की बात कही है, लेकिन आज भी आजादी के 60 साल बाद गांवों में स्कूल नहीं हैं। स्कूल हैं, तो टीचर नहीं हैं और कहीं टीचर हैं, तो टेबल-कुर्सी, ब्लैकबोर्ड नहीं हैं। कैसे हमारा देश प्रगति करेगा? यूपीए सरकार भारत निर्माण की बात करती है, लेकिन आज का बालक कल का भारत है। अगर आज का बालक ही अनपढ़ रहा, शरीर से कमजोर, दुबला, पतला होगा, तो आने वाले भारत की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक गांव में स्कूल हो, प्रत्येक तीन गांव के बीच में हायर सेकेण्डरी स्कूल हो और हर तरह की सुविधा हो। तभी बीच में स्कूल छोड़कर जाने की जो समस्या है, वह खत्म होगी।

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति दयनीय है और उसका जीवन निर्वाह मुश्किल है। वह बच्चे को सही दूध नहीं पिला पाती है, उसकी देखभाल नहीं कर सकती है। परिणामस्वरूप फूल खिलने के पहले ही मुरझा जाते हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि जिस देश का बचपन भूखा हो, उस देश की जवानी क्या होगी? इसलिए गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाए, उसे उचित दवाईयां दी जाएं और बच्चों को दूध एवं पौष्टिक आहार मिले तभी बालक मजबूत बनेगा। महिलाओं पर अत्याचार के केस बढ़ रहे हैं, कहीं उसे दहेज के कारण जिंदा जलाया जाता है, तो कहीं भुखमरी के कारण उसका यौन शोषण होता है। शरीर पर पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं और वह अपमानित होकर जीवन जीती है। कहीं-कहीं महिलाओं को नंगा करके गांव में घुमाया जाता है।

मेरा मानना है कि ये जो महिलाएं हैं उनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाएं होती हैं। राष्ट्रपति जी ने अनुसूचित जाति,

जनजातियों के लिए बहुत सारे कदम उठाने की बात कही है, लेकिन आजादी के 60 साल के बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग वहीं के वहीं हैं। आज भी गांव में जनरल पानी के नल से पानी नहीं ले सकते हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सम्मान से बुलाए नहीं जाते। शादी में दुल्हा घोड़े पर बैठ नहीं सकता। बंधुआ मजदूर के नाते उनसे काम लिया जाता है। काम कराने के बाद मजदूरी नहीं दी जाती। अगर इन सबके लिए वह अपना सिर उठाता है तो उस पर अत्याचार किए जाते हैं। उनकी बस्ती को जलाया जाता है। सामूहिक नरसंहार किया जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाओं की चर्चा हमने लोकसभा में की है, फिर भी ये दर्दनाक घटनाएं घटती रहती हैं। यह हमारे सभी के लिए शर्म की बात है।

महोदय, मैंने गत फाइनेंस डिमांड में चर्चा के समय कहा था कि गुजरात के व्यापारी नेक हैं, ईमानदार हैं, सबसे ज्यादा इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज इत्यादि भरते हैं। उसकी तुलना में देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जिनमें यह सब भरा नहीं जाता, फिर भी अंतिम दो महीने से गुजरात के अंदर इन्कम टैक्स और एक्साइज की रेड करके गुजरात के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। हम किसी कर चोरी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, लेकिन गलत इरादों को ध्यान में रखकर अगर रेड की जाती है, तो उसे रोकना चाहिए और टैक्स देने वाले को उचित सम्मान देना चाहिए।

महोदय, आप जानते हैं कि गुजरात का कोस्टल एरिया सबसे लंबा है। वहां सुरक्षा की दृष्टि से गुजरात सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से और सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार की ओर से अधिक सहायता की आवश्यकता है। आतंकवादियों की नजर में गुजरात कांटे की तरह खटक रहा है। उन्होंने दूसरे राज्यों की तरह वहां भी आतंकवाद फैलाने का प्रयत्न किया है, लेकिन गुजरात सरकार की सतर्कता के कारण दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं। इसलिए मेरा पुनः अनुरोध है कि गुजरात सरकार ने भारत सरकार से जो मांग की हैं, उन्हें स्वीकृत किया जाए। लेटेस्ट हथियार पुलिस कर्मियों को दिया जाए, ताकि अन्य राज्यों की तरह गुजरात आतंकवादियों का अड्डा न बने।

महोदय, गुजरात सरकार ने सारे देश में रात्रि न्यायालय चलाने की पहल की है, जिससे गरीब, मजदूर व मध्यम वर्ग के लोगों को न्याय पाने में सरलता हो रही है, वरना उसे अपने कामकाज का दिन बिगाड़ कर कोर्ट में जाना पड़ता था। इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे गुजरात का उत्साह बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करें। गुजरात बार-बार जिन-जिन आफतों से जूझता रहा है चाहे वह समुंदर का तूफान हो, नदी की बाढ़ हो या भूकंप हो, हर बार गुजरात को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। संबंधित मंत्रियों एवं प्रधानमंत्रियों की ओर से आश्वासन दिया जाता है और आर्थिक पैकेज घोषित किए जाते हैं। बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक सरकार उन वादों से पीछे हटती रही है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है कि गुजरात को जो धनराशि सहयोग हेतु देनी है, वह तुरंत दी जाए, ताकि गुजरात अग्रसर है और अग्रसर बना रहे।

महोदय, एनडीए की सरकार के वक्त माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इंडिया शाइनिंग की बात कही गयी थी। भारत के लिए एक नया सपना संजोया था, वह सपना आज धीरे-धीरे यूपीए सरकार पूरा करने जा रही है। एनडीए की सरकार में भारत का बचपन था। आज यूपीए सरकार में वह जवान होता दिखाई दे रहा है। उसे भारत निर्माण कहें या इंडिया शाइनिंग कहें। आखिर में गांव आबाद तो देश आबाद और देश आबाद तो हम सभी आबाद। इसलिए मैं अंतिम चार पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं।

करना है भारत निर्माण,
तो किसानों का करो सम्मान,
मत करो दलितों का अपमान,
नौजवानों को उचित दो मान,
गरीबों को दिलाओ अन्न दान,
महिलाओं का रखो सम्मान,
बालकों को कराओ दूध-पान,
आतंकवाद का मिटाओ नामोनिशान,
तभी होगा भारत माता का बहु-मान,
सच्चा बनेगा भारत का नव-निर्माण।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति महोदय, आपकी इजाजत से मैं प्रेसीडेंट एड्रेस की तारीफ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ बातें इसमें इन्क्ल्यूड कराना चाहता हूं। जो इस खुतबे में थोड़ी सी कमी है, हम चाहते हैं कि उसे दूर किया जाए। जो समझौता एक्सप्रेस में हादसा हुआ है, वह बहुत ही दयनीय और बुरा है। हम इसको कंडेम करते हैं। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो जिंदगियां खोयी हैं, इस देश में और स्पेशली जम्मू और कश्मीर में और उनको जिस तरीके से डिस्करेज करने की बातें सो-काल्ड-लीडर और कुछ हुर्रियत के लोग इस तरीके

[चौधरी लाल सिंह]

से बयानबाजी कर रहे हैं, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर अगर इस देश में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेज को ही जाता है। जिन्होंने अपने परिवारों की परवाह न करते हुए अपनी जानें दी, अपने बच्चे यतीम किए और उनकी औरतें विधवा हुयीं। मैं आज उनको इस सदन से सेल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारी स्टेट को संभालकर रखा और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी डी-मिलिट्रीराइज्ड करने की बातें या सिक्योरिटी फोर्सेज को डिस्करेज करने की बातें कर रहे हैं। इस बारे में हमारी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों बड़ी सख्ती से नोटिस लिया और कहा कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं, अदरवाइज कुछ लोग सर पर चढ़ते जा रहे थे। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रेसीडेंट परवेज मुशर्रफ चल रहे हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि एक ज्वाइंट कमीशन की बातें जिस तरीके से वे कह रहे हैं, पहले सेल्फ रूल, फिर उसके बाद उन्होंने स्टाइल बदला है। लेकिन उनकी नीयत में यह है कि किसी भी तरीके से कश्मीर में आकर मेरा आदमी भी वहां बैठे। दोनों बैठें। इससे क्या होगा, यह हम जानतें हैं। जिस दिन एक व्यक्ति उनका और एक व्यक्ति हमारा बैठेगा, जिन्होंने कश्मीर की डैमोग्राफी चेंज कर दी, वह आपके वाले व्यक्ति को संभालकर फेंक देंगे और रोज उसके नारे लगा देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसपर जरूर विचार किया जाए। यह बहुत सीरियस मसला है। इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि वनवासियों और आदिवासियों को जो जंगलों में जगह देने की बात कही गई है, उसकी मैं ताइद करता हूं। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि हमारी स्टेट के जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, इसी तरह जो लोग पाकिस्तान से हमारे जम्मू कश्मीर में आए हैं, जो पीओके के लोग हैं तथा जो कश्मीर पंडित हैं, उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि वे लोग भी वहां इज्जत के साथ रह पाएं। यह मेरा सबमिशन है। मेरा सबमिशन है कि हमारी एक समस्या को भारत सरकार को दूर करना है। मेरी रिक्वैस्ट है कि जब अगला खुतबा बने तो जो पहाड़ी स्टेटस है, वह उन इलाके के लोगों को मिलना चाहिए। इसके साथ ही मेरा हम्बल सबमिशन है कि देश में बच्चों को एजूकेशन देने के मामले में लताड़ा जा रहा है, आज से नहीं बल्कि कुछ वर्षों से बच्चा एक मशीन बनकर रह गया है। कितने तरीके के एजूकेशन स्टाइल हैं-कहीं स्टेट बोर्ड, कहीं सीबीएसई और कहीं एनसीईआरटी है। हमारे देश में कोई एक कम्मीटिशन नहीं है। जब बच्चा पढ़कर बाहर आता है, कभी एक सब्जैक्ट के लिए ट्यूशन पढ़ता है, कभी दूसरे सब्जैक्ट के लिए पढ़ता है तो कभी तीसरे सब्जैक्ट के लिए पढ़ता है। इसके कारण आज बच्चों की हालत कमजोर हो रही है, उनकी हैल्थ डीटिरियोरेट हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश का बच्चा कमजोर होगा वह देश तगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा सबमिशन है कि इस विषय पर जरूर सोचा जाए और इस सिस्टम में थोड़ी तब्दीली करने की जरूरत है। इस देश में एक एजूकेशन होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बच्ची को उसके बाप ने कुछ कहा तो उसने कहा कि क्या मेरी एक टयूशन और लगा रहे हैं। क्या हमें बिल्कुल तरस नहीं आता? क्या हम लोग नहीं पढ़े हैं? नौवीं क्लास में डिजास्टर मैनेजमैंट, इनवायर्नमैंट पढ़ाया जाता है और हिन्दी खत्म करने का प्लान बनने जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के बारे में खास तौर से ध्यान दिया जाए।

रात्रि 8.32 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

इस समय राशन, पानी महंगा है। मैं रिक्वैस्ट करूगां कि किसानों की तरफ देखना होगा कि किसान का सौदा, उसकी व्हीट, पैडी, पल्सेज या और चीजों के बारे में ध्यान रखा जाए। उसे बराबर रेट मिलना चाहिए। जो डाउनट्रॉडन, गरीब, बीपीएल, पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, हम नहीं मानते कि यह मुस्लिम है, हिन्दु है, फलाना है, हम कहना चाहेंगे कि इकोनॉमिकली जो व्यक्ति तबाह और बरबाद है, उसे देखा जाए। यदि उसमें मुस्लिम ज्यादा होंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा, अगर हिन्दु होंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। कई बार ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट में कोई हिन्दु बनकर बैठा है, कोई मुस्लिम बनकर बैठा है, कोई सिख बनकर बैठ जाएगा, कोई एससी, कोई एसटी बनकर बैठ जाएगा। कभी पार्लियामेंटेरियन बने हैं कि इस देश की इकोनॉमी ठीक करनी है। देश के हर व्यक्ति की इकोनॉमी मजबूत की जाए, वह चाहे जिस भी जाति का हो। मैं इस रूतबे, खुतबे की, प्रेजीडैंट साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ था, ताईद करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के कार्यों विचारों एवं भविष्य की योजनाओं का वक्तव्य होता है। मैं उसका स्वागत करता हूं। किन्तु आज देश के जनजीवन में सरकार के कार्यों एवं नीतियों के प्रति गहन निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। सरकार महंगाई को रोकने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी तरह असफल रही है। निठारी की घटना ने सारी मानवता को झंकझोर दिया है।

अगर हम कृषि की बात करें, तो आज देश में किसानी घाटे का सौदा बन गया है। घाटे की पूर्ति के लिए सरकार ने किसानों के लिए कर्ज के दरवाजे खोल रखे हैं। कर्ज वसूली के लिए नियम, प्रक्रियाएं और ऋणदाता सरकारी एजेंसियों के जो तौर तरीके हैं, उन्होंने साहूकारों की बदनाम शैली को कई गुना पीछे छोड़ दिया है। खेती पर पूरी तरह आश्रित कोई भी किसान अब अपनी अगली पीढ़ी को किसानी में नहीं डालना चाहता। कृषि प्रधान देश में किसान विरोधी नीतियों के कारण आज भारत में किसानों के सामने जीवन-मरण की विकराल समस्या मुंह बाए खड़ी है।

हमारा देश कृषि प्रधान तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है। किसान को भारी भरकम ऋण देने के बारे में तो बात कही गयी है, किंतु पिछले वर्षों में कृषि लागत बढ़ने एवं अनियमित वर्षा से किसान टूट गया है तथा आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। सिर्फ कृषि ऋण देने से इस समस्या का हल नहीं होगा। उसको दिये गये ऋण की राशि माफ करने तथा सबसिडी की राशि को और बढ़ाने के बारे में कदम उठाये बगैर उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं किया जा सकता। उसको ट्रैक्टर, बुआई मशीन, थ्रैशर मशीन, खाद, बीज आदि चीजें कम कीमत पर और सबसिडी की राशि बढ़ाकर दिये जाने की आवश्यकता है। खेतों में पानी को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है तभी किसान आत्मनिर्भर होगा और उसके अंदर आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा। आज बहुत सारे राज्यों में पानी की उपलब्धता है किंतु जिन राज्यों में पानी की उपलब्धता है, वहां पर नहरों का जाल बिछाये जाने की आवश्यकता है। इसके बगैर हम किसान को आागे नहीं बढ़ा सकते हैं।

हमारे देश में फोर लेन एक्सप्रैस हाईवे मार्गों का निर्माण कार्य बड़ी तेज गति से चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कहा गया हैं। किंतु इस फोर लेन एक्सप्रैस हाईवे के निर्माण लिए जिन किसानों की जमीन ली गयी उनमें से बहुत सारे किसानों के पास दो-तीन एकड़ जमीन ही है। ऐसे किसानों की जो जमीन अधिग्रहीत की गई है, वे बदले में दूसरी भूमि के लिए भटक रहे है। वे मजदूर बन गये हैं। उनके पुनर्वास की कोई बात इस अभिभाषण में नहीं कही गयी है। उन्हें उतनी ही उपजाऊ भूमि दिलायी जानी चाहिए ताकि वह सुगमता से अपना जीवनयापन कर सकें।

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन से बड़े शहरों के विकास का तो कार्य होगा किंतु भारत की ज्यादातर आबादी गांवों कस्बों एवं छोटे शहरों में रहती है जहां मूलभूत सुविधाओं के विस्तारीकरण की बड़ी योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

आज महात्मा गांधी के देश में ऐसा लगता है कि उनका सपना खो रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुटीर उद्योगों के संरक्षण की कोई बात नहीं कही गयी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। खासतौर से गांवों में जो वस्तुएं पैदा होती हैं जैसे आलू, टमाटर, चना इत्यादि। आलू के चिप्स वहीं बनाये जायें। टमेटो सॉस गांव में बनायी जाये। हमारा किसान आलू पैदा करता है, वह तीन चार रुपये में आलू बेचता है जबकि वही आलू विदेशी कम्पनियों चिप्स बनाती हैं और इस देश में चिप्स का पैकेट 12 रुपये में बेचती हैं। गांव में ही किसान को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा, उसे प्रशिक्षण दिया जायेगा और मशीन उपलब्ध करायी जायेगी, तो वह आर्थिक रूप से समृद्ध होगा और गांव का विकास भी होगा।

गांवों से शहरों की ओर बढ़ते हुए पलायन को रोकने के लिए भी गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की बात कही गयी है किंतु सिर्फ 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। मैं इससे असहमत हूं। वहां का युवक बाकी के 265 दिन क्या कार्य करेगा, इस बारे में विचार नहीं किया जा रहा। 100 दिन के बजाय उनको स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। स्थायी रोजगार उपलब्ध कराये बिना वे लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के उचित प्रबंधन होने से जहां गांव की हस्तकला, शिल्पकला को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं जब व्यक्ति को गांव में ही रोजगार मिलेगा, तो वह शहर की तरफ नहीं आयेगा। शहरों में जनसंख्या का दबाव कम होगा। गांवों में तकनीकी शिक्षा एवं रोजगारमूलक शिक्षा को बढ़ाना चाहिए।

हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, तो देश के 6,51,604 प्राथमिक स्कूलों में से 15.67 प्रतिशत स्कूलों में एक या फिर एक भी शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक है, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता मानकों के अनुरूप नहीं है। इस स्थिति में देश के नौनिहालों का भविष्य क्या होगा? उच्चतर शिक्षा के प्रयासों में नये संस्थान बनाने की बात कही गयी है किंतु इसमें असमानता है। इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी मध्य प्रदेश में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। सरकार को बगैर भेदभाव के सागर, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना चाहिए तथा मध्य प्रदेश में भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान एवं भारतीय संस्थान बनाने की भी पहल करनी चाहिए।

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

एनडीए शासन के समय प्रारम्भ की गयी नदी जोड़ो परियोजना का क्रियान्वयन त्वरित गति से नहीं हो रहा है। इसमें तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता है। इससे नदियों में भराव होगा, सूखे वाले क्षेत्र भी हरे-भरे रहेंगे तथा किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में 1857 से आजादी की लड़ाई शुरू की गयी। वर्ष 1945 तक इस लड़ाई को हमारे देश के हिन्दु राजाओं ने एक साथ लड़ा वहीं मुस्लिम नवाबों ने भी कंधे से कंधा लगाकर आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। किन्तु आज बड़े दुख के साथ कहना है कि हमारे देश में राष्ट्रीयता का अभाव हो रहा है और प्रान्तीयता का भाव बढ़ रहा है।

हम सुबह से ही देख रहे हैं कि पाानी के वितरण को लेकर कई राज्यों में विवाद हो रहा है। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधनों पर देश की सारी जनता का अधिकार होता है। पानी के वितरण की समस्या कई राज्यों के बीच कटुता उत्पन्न कर रही है, इस चुनौती को स्वीकार कर समाधान ढूढ़ने होंगे। पानी के बिना जीवन एवं विकास अवरुद्ध हो जाता है। हमारे देश का सिल्क उद्योग गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। वाराणसी एवं बंगलौर के बुनकरों एवं निर्माताओं को चीन से आयातित सिल्क से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। सिल्क निर्माताओं को करों में छूट एवं सब्सिडी देने के बारे में कदम उठाये जाने चाहिए। विदेशी घुसपैठियों के कारण देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ता जा रहा है जिससे स्थान-स्थान पर अतिक्रमण तथा आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है तथा बाहर से आने वाले घुसपैठियों द्वारा कम मजदूरी पर कार्य करने से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। ये हमारे देश में आकर हमारे मजदूरों का हक छीन रहे हैं। दिल्ली, मुम्बई आदि बड़े महानगरों में रिक्शा चालक, टैक्सी चालक के रूप में बड़ी संख्या में बाहरी लोग कार्यरत हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और वे जिस गांव से आए हैं वहां के सरपंच या थाने से वैरीफिकेशन कराया जाना चाहिए।

महोदय, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि हम आज देश की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सरकार के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमारे देश में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने न पेंशन ली है, न रेलवे पास लिया है और न ही जमीन का टुकड़ा लिया है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पहचान करके उनके सम्मानित करने के बारे में सरकार को पहल करनी चाहिए। वे समय के ऐसे हस्ताक्षर हैं जो आज हमारे बीच हैं, कल नहीं रहेंगे किन्तु उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा।

महोदय, भारत निर्माण तब तक अधूरा है, जब तक कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, मकान, दवाई और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होता। आम आदमी की क्रयशक्ति जब तक नहीं बढ़ेगी, देश में खुशहाली नहीं आएगी।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए। यदि आपके पास लिखित भाषण है, तो आप उसे सभा-पटल पर रख सकते है और आप बोल भी सकते हैं ताकि समय की बचत हो।

डा. अरुण कुमार शर्मा : महोदय, मैं बोलना ही पंसद करूंगा और यथाशीघ्र अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम परिलक्षित होते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से मुख्य बात विकास की थी लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसी प्रमुख समस्याओं से निपटने में बुरी तरह से विफल रही है। प्रत्येक नागरिक को आजीविका की सुरक्षा की गारंटी के बिना प्रौद्योगिकीय विकास के जरिए सृजित विकास का विकास की प्रतिशत में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, चाहे वह कितनी ही क्यों न हो।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दो या तीन सकारात्मक पहलू हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहला ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है। ग्लोबल वार्मिंग अब एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिससे आने वाले समय में भारत को भी जूझना पड़ेगा। कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि यदि हम इस समस्या पर अभी गंभीरता से विचार नहीं करते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा।

यू.एन. पैनल द्वारा मौसम परिवर्तन के संबंध में की गई भविष्यवाणी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग

का व्यापक दुष्प्रभाव पड़ने वाला है और मुख्य रूप से भारत के निचले तटवर्ती क्षेत्रों के डूबने जैसी घटनाओं से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई के रिपोर्ट में 9 प्रतिशत तक की हानि होने की बात कही गई है लेकिन कतिपय अध्ययनों में बाढ़ आने तथा कृषि उत्पादकता में कमी आने जैसे सीधे प्रभाव की भविष्यवाणी तक की गई है। चावल के उत्पादन में 40 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है क्योंकि बुआई के मौसम और इसके फलस्वरूप फसल की विकास अवधि में परिवर्तन हो सकते हैं।

चूंकि विश्व तापमान में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं का केन्द्र बिंदु रहा है, इसलिए पूर्वोत्तर भारत की बर्फ के पिघलने से प्रवाहमान रहने वाली नदियां जिनमें ब्रह्मपुत्र शामिल है, हिमालय के हिमनदों (ग्लेशियरों) के तेजी से पिघलने के कारण भयंकर बाढ़ आ सकती हैं।

चीन के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तिब्बत के पठार में बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के हिमनद तेजी से पिघल सकते हैं और उनका पानी भारी मात्रा में ब्रह्मपुत्र नदी में आ सकता है। महोदय, जलवायु परिवर्तन की जरूरतों के मुताबिक कार्रवाई करने में हमारे देश की गति बहुत धीमी है। मुझे आशा है कि सरकार निकट भविष्य में इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा मिशन के बारे में है जिसे सरकार बहुत अच्छे ढंग से पेश कर रही है। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि अनेक विदेशी निवेशक भारत को छोड़कर अपना निवेश चीन और अन्य देशों में ले गये है क्योंकि हमारे पास कुशल कार्मिकों की कमी है। हमारे पास तीस से चालीस करोड़ बेरोजगार हैं किंतु जब तक हमारे पास कुशल कार्मिक नहीं होंगे तब तक कोई निवेशक नहीं आएगा और हमारे पास विदेशी निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसरों का समानुपात नहीं होगा। मुझे आशा है कि सरकार इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

एक अन्य सकारात्मक पहलू राष्ट्रीय पहचान पत्रों के बारे में था। हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। यह राष्ट्रीय नागरिक पंजीयक के रख रखाव पर आधारित होना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। इससे आतंकवादियों के आगमन पर रोक लगेगी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा। इससे हमें सहायता मिलगी। यह भारत जैसे देश के लिए सार्वभौमिक महत्व का है। क्योंकि सौ करोड़ से अधिक लोगों का प्रबंध करना कठिन है। सरकार द्वारा देश की सुरक्षा चिंताओं पर बहुत अधिक जोर न देने के मामले पर मैं स्वयं को विपक्ष के नेता और अन्य साथियों के साथ सम्बद्ध करता हूं। महोदय, जैसाकि आप भली भांति जानते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र, कश्मीर और सीमावर्ती राज्यों के माध्यम से आई.एस.आई. इन क्षेत्रों में बहुत सक्रिय है। आईएसआई द्वारा भारत को अस्थिर करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश का उपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा की है किंतु संप्रग सरकार इस स्थिति से निपटने में पूरी तरह से विफल हुई है। आतंकवादी संगठनों को राजनीतिक वार्ता के लिए सहमत नहीं किया गया है। किंतु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नही था। न ही इस दिशा में कोई सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि वहां कोई राजनीतिक हल ढूंढा जा सके और शांति बहाल की जा सके।

एक अन्य मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहता हूं, वह न केवल हिन्दी भाषी लोगों की हत्या के बारे में है बल्कि असम में असमियों और अन्य भाषाई समूहों के बारे में भी है। असम, पूर्वोत्तर भागों और देश के दूसरे भागों में निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। सरकारी तंत्र भी सुरक्षा एजेन्सियां अप्रिय स्थिति का पूर्वानुमान लगाने और उसे नियंत्रित करने में विफल रही है। यह रोज़मर्रा की बात हो गयी है। भाषण की स्वतंत्रता और मीडिया पर भी हमले के प्रयास हो रहे हैं। कुछ एजेन्सियों को ही मिटाया जा रहा है। असम में पूर्वोत्तर टेलीविजन को प्रतिबंधित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में ई-टीवी पर रोक लगा दी गयी। इसी प्रकार भाषण की स्वतंत्रता और प्रेस पर रोक लगाने के लिए वे आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक अन्य महत्वपूण पहलू 'लुक ईस्ट पॉलिसी' है। अब तक हम बहुत प्रसन्न थे कि इस नीति का बहुत प्रभाव होगा। किंतु यह 'लुक ईस्ट पॉलिसी' एक शैक्षणिक कार्य मात्र रह गयी है। हमें सीमावर्ती क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बड़े पैमाने पर अवसंरचना को विकास करना होगा। चीन के प्राधिकारी अवसंरचना विकास के लिए बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं। वे दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे पड़ौसी देशों में निवेश कर रहे हैं। वे बाजार और अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा है किंतु शैक्षणिक रूप से हमने नालंदा परियोजना का उल्लेख किया है। इस तरह कुछ नहीं होगा। अत: पड़ौसी देशों के साथ सीमा व्यापार करने के लिए मैं सरकार से निश्चित

[डा. अरुण कुमार शर्मा]

योजना और कार्यक्रम वाले व्यावहारिक दृष्टिकोण का आग्रह करता हूं। एक खुली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और दक्षिण-पूर्ण एशियाई देशों के साथ आर्थिक कार्यकलाप के लिए पूर्वोत्तर राज्य केन्द्र बिन्दु होने चाहिए।

बांग्लादेश को जलमार्ग खोलने के लिए सहमत किया जाना चाहिए। रेलवे नेटवर्क का विस्तार बांग्लादेश की सीमा तक किया जाना चाहिए ताकि यह आंदोलन व्यावहारिक हो सके...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चूंकि आप असम राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए मैंने आपको थोड़ा समय और दिया है।

डा. अरुण कुमार शर्मा : महोदय, चीन की सरकार जो भी कर रही है, हम उसका दस प्रतिशत भी नहीं कर रहे हैं। चीन की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश एक राज्य क्षेत्र पर दावा किया है। उन्होंने सीमाओं के आसपास कतिपय गतिविधियां शुरू की हैं। वे अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र के जल को अन्यत्र मोड़ने का प्रयास भी कर रहा है। जो हम कर रहे हैं वह संसद में चिकनी चुपड़ी बातें मात्र है किंतु आर्थिक आक्रमण की ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यह एक गंभीर मामला है और मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, आप भलीभांति जानते हैं कि बांग्लादेश की सीमाओं के साथ साथ घुसपैठ पिछले पचास वर्षों से चल रही है। असम समझौते पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे किंतु आज तक यह समझौता अपनी मूल भावना से क्रियान्वित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। इन अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो रहे हैं और वे राजनीतिक प्रणाली का एक भाग बन रहे हैं जिससे नस्ली अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है। यह एक गंभीर चिंता है। इसके परिणामस्वरूप भारत की सम्पूर्ण जनांकिकी में परिवर्तन हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में संतुलन बिगड़ सकता है जिससे कुल मिलाकर देश अस्थिर हो सकता हैं और जम्मू और कश्मीर के पश्चात्, असम राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अत: सरकार को इस संबंध में सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। पहले राष्ट्रीयता की पहचान की जानी चाहिए और तभी पहचान-पत्र जारी किए जाने चाहिए। सभी विदेशियों का पता लगाया जाना चाहिए और अपने देश से निर्वासित किया जाना चाहिए।

महोदय, अंत में, मैं सरकार से इस बात का अनुरोध करके अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि सरकार उल्फा, डीएसडी, एनडीएफबी, एनएससीएन और उन अन्य आतंकवादी संगठनों से शांति वार्ता शुरू करे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में गतिविधियां चला रहे हैं। यही एक रास्ता है जिससे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को समृद्ध, कुल मिलाकर भारत को समृद्ध बना सकते हैं।

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा लाए गए और माननीय सदस्य श्री संदीप दीक्षित द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम सबको संप्रंग सरकार के ढाई वर्षों की अल्प अवधि के भीतर प्राप्त नौ प्रतिशत की करिश्माई वृद्धि पर गर्व है। तथापि, हम आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हो सकते। महामहिम राष्ट्रपति ने 'अनन्य विकास' के बारे में सविस्तार बात की है।

विकास और वृद्धि के लाभ निम्नतम स्तर अर्थात् आम आदमी तक पहुंचने चाहिए जिनके प्रति संप्रंग सरकार पूर्णरूपेण वचनबद्ध है।

हम सभी हाल ही में रखे गए मुद्रास्फीति संबंधी रुझानों के बारे में चिन्तित हैं। मुद्रास्फीति गरीबों, दबे कुचलों, ग्रामीण शिल्पियों, किसानों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। राज्य सरकारों को जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर सख्ती से कार्रवाई करने हेतु प्रेरित किए जाने की जरूरत है। हमारी नीतियों को इस ढंग से बनाना होगा ताकि गरीब लोगों को उचित पोषण, उचित स्वास्थ्य परिचर्या, उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा और आवास प्राप्त हो सके।

''अनन्य विकास'' पर जोर देते समय क्षमताओं का सृजन करके सामाजिक न्याय और शैक्षणिक सशक्तीकरण का अधिक महत्व दिया गया है। जो लोग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, वे भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी केन्द्रीय संस्थाओं में आरक्षण दिए जाने के लिए सरकार के प्रति आभारी हैं। किंतु मैं उच्च वर्ग और इन प्रमुख संस्थाओं के प्रशासकों की मानसिकता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं जो क्रियान्वयन की

प्रक्रिया में विलय करने पर तुले हुए हैं। अवसंरचना और संकाय को बढ़ाने के नाम पर उन्होंने अत्यधिक बजटीय सहायता मांगी है। अत: यह सुझाव और अनुरोध है कि एक निगरानी तंत्र विकसित किया जाए ताकि अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह अतिविलंम्बित सामाजिक न्याय मिल सके।

मैं आपके ध्यान में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु छात्रवृत्ति के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों को लाना चाहता हूं। इन प्रावधानों को अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के अन्य वर्गों के लिए बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम सच्चर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद और भी प्रासंगिक हो गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र अलवर में मुस्लिम और सिख समुदाय अभी भी अत्यंत पिछड़े हैं। मैं मेयो समुदाय का उदाहरण देना चाहूंगा जहां विद्यालय नहीं जाने वाले अथवा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या अत्यधिक है और यहां शिक्षा पर कम आबंटन किया जाता है। अलवर के मेवात क्षेत्र और राजस्थान के भरतपुर जिलों के मेयो समुदाय के लिए आवासीय विद्यालयों और महाविद्यालयों को बड़ी संख्या में स्थापना कर इस समुदाय के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान करने की दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं सरकार के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से अत्यधिक पिछड़े मेयो समुदाय को केन्द्र सरकार की अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह इसे केंद्र की सूची में तत्काल शामिल करे।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति ने वन्य जीवों पर विशेष बल दिया है। अलवर जिले में सरिस्का खेलकूद अभ्यारण्य है। दुर्भाग्यवश, अवैध, शिकार के कारण सरिस्का से बाघ समाप्त हो गए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह सरिस्का में नए सिरे से बाघों को रखने का कार्य करे।

अंत में, महामहिम राष्ट्रपतिजी ने कृषि क्षेत्र में और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। लाभकारी मूल्य के बगैर इस देश के किसान कार्य नहीं कर सकते हैं। वास्तव में राजस्थान और विशेषकर मेरे जिले में सरसों की फसल बाजार में आ चुकी है। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक इसकी खरीद शुरू नहीं की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह राजस्थान सरकार और नैफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद शुरू किए जाने का कार्य सुनिश्चित कराए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : सभापति महोदय, चूंकि मैं महिला हूं इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे सदन में बोलने के लिए पूरा समय दिया जाए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, केंद्र सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा के सामने रखती है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में वर्तमान यूपीए की सरकार ने अपनी प्रपंचनाओं, प्रवचनों और तारीफों के माध्यम से यह सब कुछ करवाया है, इसे देख कर मुझे दुख होता है। जो अर्द्धसत्य बातें अभिभाषण में कही गई हैं, वह सुनकर और देख कर मुझे दुख है कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उन बातों को जनता के बीच रख कर पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। अभिभाषण के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि यह वर्ष स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई का वर्ष है और 150वीं वर्षगांठ है। यह सरकार हमारे महान देश के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष ही नहीं मानती है। यह सरकार तो इसे इतिहास की पुस्तकों में गदर या सिपाही विद्रोही कहती है। जब इतिहास की विकृति को दूर करने के लिए हम कहते हैं तो यह कहा जाता है कि ये तो भगवाकरण की बात कहते हैं। मैं केंद्र सरकार की उन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो पंथनिरपेक्षता और सर्वसमावेशी राष्ट्र की बात अभिभाषण में कही गई है। यह सरकार कहती तो है कि हम पंथनिरपेक्षता कर रहे हैं, लेकिन ये बातें गलत हैं, इस तरह की कोई बात यह सरकार नहीं करती है। पंथनिरपेक्षता के ऊपर तो बहुत गहरी चोट पहुंचाई जा रही है। सच्चर समिति का एक ही उदाहरण इस बात को साबित करने के लिए काफी है। सच्चर समिति के माध्यम से ये इस देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इस बात को कहते हैं कि मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार होगा। इससे ही बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किस ओर जा रही है।

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

रात्रि 9.00 बजे

सरकार ने अभिभाषण के तहत यह बात कहलवाई है। इसमें समझौता एक्सप्रेस के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसका उल्लेख हुआ है। वर्ष 2004 के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के मध्य जो समझौता हुआ था, मैं आपके माध्यम से उस तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। इसमें यह स्पष्ट बात हुई थी कि पाकिस्तान की किसी भी भूमि का प्रयोग भारत के विरोध में आतंकवाद के लिए नहीं किया जाएगा। इस तरह की बात उस समझौते में हुई थी। इससे आगे जितनी भी वार्ताएं हों, वह इसी आधारभूत शर्त के साथ ही होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार ने इस सहमति पर कभी भी जोर नहीं दिया। आतंकवाद की समस्या पहले से अधिक उग्र हो गई है। आज आंतरिक सुरक्षा की जो स्थिति देश में बनी है, वह सबके लिए चिंता का विषय हो गया है। जहां आतंकवाद से लड़ने के लिए कुछ अच्छे कानून बनने चाहिए, अच्छे कानून बनाना तो बहुत दूर की बात है, अभिभाषण में अच्छे कानून बनाए जाएंगे, इस ओर कोई संकेत नहीं किया गया। यहां तक कि जो पोटा कानून था, उसे भी इस सरकार ने समाप्त कर दिया। जब कहा गया कि उसे क्यों समाप्त किया गया तब बताया गया कि यह मुस्लिम विरोधी है जबकि पोटा मुस्लिम विरोधी नहीं मुजरिम विरोधी था। अगर पोटा होता तो हम शायद किसी तरह से आतंकवाद पर काबू पा सकते थे और इसीलिए एनडीए सरकार ने पोटा लागू किया था लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस सरकार ने आते ही पोटा जैसे कानून को, जो आतंकवाद पर किसी तरह का अंकुश लगा सकता था, उस कानून को हटा दिया।

महोदय, अफजल को फांसी देने के संदर्भ में अभिभाषण में कहीं कोई बात नहीं कही गई है। यह एक तरह से हमारे लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है और देश की सर्वोच्च संस्था के ऊपर कोई षडयंत्र रचकर आतंकवाद की शुरूआत कर सकता है। इस संबंध में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अफजल को फांसी देने के मामले को लंबित करते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट की राजनीति चल रही है। चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में वोट नहीं मिलेंगे, इस डर के मारे कर रहे हैं। अब तो वैसे भी यूपीए सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए ये जो कर रहे हैं उनको वोटों की चिंता है। ये लोग चाहते हैं कि तुष्टीकरण करके वोट हासिल करें। लेकिन मैं इस अभिभाषण के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए थी क्योंकि पूरे देश में महंगाई का मुद्दा ज्वलंत बना हुआ है और अब आम आदमी की बात करने वाली सरकार सत्ता में आई है।

महोदय, मुझे याद है लोगों को, जनता को गुमराह करना और किसी तरीके से वोट हासिल करना, ऐसी नीति कांग्रेस की हमेशा से ही रही है। वर्ष 1971 में जब आम चुनाव हो रहे थे, तब मैं बहुत छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी। उस समय मुझे ध्यान है इन्होंने नारा दिया था- गरीबी हटाओ, देश को बचाओ। तब ये गरीबों की बात करते थे और जब गरीबों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की तो उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया, लोकतंत्र ही समाप्त कर दिया और देश में एमेरजेंसी लगा दी। इतना सब कुछ करने के बाद जब इलैक्शन हुए तब 1991 में यह बात कही गई कि हमारी सरकार आते ही तीन महीने के अंदर महंगाई खत्म कर देगी, लेकिन सरकार के आने के बाद महंगाई कई गुना बढ़ गई। वर्ष 2004 के आम चुनाव हुए उसमें नारा था- कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ। यह नारा देकर आम आदमी की बात करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले लोग जब सरकार में आए, तो आम आदमी को ही भूल गए। अभिभाषण में कहीं आम आदमी और महंगाई की बात नहीं कही गई है। महंगाई जो इतना ज्वलंत मुद्दा है और बहुत से माननीय सांसदों ने इस बात को कहा है कि महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है, लेकिन किसी तरह की संवेदनशीलता आम आदमी के साथ नहीं है। इन्हें केवल वोट लेने के लिए आम आदमी चाहिए। महंगाई की जहां बात आती है, इन्हें वह कहीं नहीं दिखता है। आम आदमी का गला दबाने के लिए यह सरकार बैठी है, आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है।

यह दुख की बात है कि जिस आम आदमी के नाम पर यह गठबंधन सरकार सत्ता में आई, आज उसका जीवन कष्टपूर्ण होता जा रहा है। अभिभाषण में आम आदमी को भुला दिया गया है। यह कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। जहां एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, उस किसान के लिए इनके पास कुछ कहने को नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस अभिभाषण में अर्द्धसत्य बात कही गई है, देश को गुमराह करने की बात कही गई है। जब ये भारत निर्माण की बात करते हैं, अभिभाषण में कहते हैं कि भारत निर्माण करेंगे, भारत निर्माण क्या है - एनडीए सरकार में जितने कार्यक्रम बने थे, उन सब कार्यक्रमों को इकट्ठा करके भारत निर्माण का नाम दे दिया है।

आज देश जिस सम्पन्नता की ओर जा रहा है, वह इनसे पूर्व एन.डी.ए. की जो सारी नीतियां बनी थीं, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने कहा था कि वर्ष 2020 तक हम भारत देश को एक महान देश के रूप में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचायेंगे। वह जो उनका सपना था, उस सपने के तहत एक चैनल के अंदर सारे काम हुए थे, चाहे स्वर्ण चतुर्भुज योजना को हम लें, फोर लेन को लें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस देश के अंदर सारी आधारभूत व्यवस्थाएं सुधरीं। एक समय हम प्रोद्योगिकी क्षेत्र में सोच भी नहीं सकते थे कि मोबाइल फोन इतने आम हो जायेंगे। ये सब एन.डी.ए. सरकार की देन है। इस सरकार ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया है। जो एन.डी.ए. सरकार के काम थे, उन कामों का सब श्रेय लेकर सोचते हैं कि हम फोर लेन को सिक्स लेन में करेंगे। मैं राजस्थान राज्य के उदयपुर क्षेत्र से आती हूं। वहां का एक प्रस्ताव मैंने इन्हें दिया था कि ब्यावर से लेकर उदयपुर वाया भीमनाथ होकर फोर लेन करना है। उस फोर लेन के प्रस्ताव को अपने प्रस्ताव में लेने में इन्हें हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हमारा वोट बैंक कहां है। राजस्थान में बी. जे.पी. की सरकार है और केन्द्र में हम कांग्रेस के लोग बैठे हैं, हम उन्हें कैसे दे सकते हैं। यह छोटा काम भी वह नहीं कर सकते और दूसरी तरफ भारत निर्माण की बात करते हैं। ये सब थोथी बातें हैं।

सभापति महोदय, आप बार-बार कह रहे हैं कि समय कम है, लेकिन मैं एक बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने परमाणु ऊर्जा का भी उल्लेख किया है। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति, साहस और उनकी राष्ट्र गौरव के प्रति उनकी जो सम्पूर्ण समर्पण की भावना थी, उसी के कारण भारत में परमाणु विस्फोट हुए थे। आज जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उन्होंने उस समय इसकी बहुत आलोचना की थी और आज ये लोग संयुक्त राज्य में जाकर अमरीका के साथ परमाणु समझौता करते हैं और वह समझौता एक शर्मनाक समर्पण की कहानी है। अमेरिका एवं अन्य परमाणु शक्तियों के 250 के लगभग संयंत्रों में से मात्र 11 संयंत्र ही अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अधिकरण के पर्यवेक्षण में हैं, जबकि भारत सरकार ने अपने 14 संयंत्रों को इस अधिकरण के पर्यवेक्षण में देने पर सहमति दे दी है। सरकार कह रही है कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए समझौता किया गया है। किन्तु हमारे यहां अभी यूरेनियम के इतने भंडार हैं कि आगामी 30 वर्षों तक वे पर्याप्त हैं। सरकार उनके दोहन का कोई प्रयास नहीं कर रही है। इस संधि के एक-एक अनुच्छेद पर अमरिकी कांग्रेस में विस्तृत चर्चा हुई थी। उन्होंने इसमें कई प्रावधानों को उनके द्वारा पारित कानून में परिवर्तन कर दिया है। किन्तु यह सरकार इस संधि पर सदन व देश को विश्वास में लेने को ही तैयार नहीं है। यह समझौता भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान के साथ समझौते है। इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में पूरा देश जानता है। हम सभी लोग इस पर बहुत शर्म महसूस करते हैं।

महोदय, अभिभाषण में आंगनवाड़ियों की बात भी नहीं कही गई है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दयनीय स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। उन्हें दिया जाने वाला मानदेय अत्यधिक कम है। उससे वे अपना जीवनयापन भी नहीं कर सकती हैं। राजग सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर दोगुना किया था। पिछले चार वर्षों में मंहगाई बहुत बढ़ी है। इसलिए सरकार आंगनवाड़ी का काम देखने वाली सहयोगियों का मानदेय बढ़ाने, उन्हें चिकित्सा सुविधा देने के बारे में मौन है।

इसके अलावा इस सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से शिक्षा को महत्व देने की बात कही है। इन्होंने सत्ता में आते ही उन सभी राज्यों में, जहां भरतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अभी नहीं हैं, वहां एक-एक संस्थान प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। किंतु दुख की बात है कि अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2006-2007 के बजट में इन्होंने 90 लाख रुपयों की सांकेतिक राशि का प्रावधान किया था, किन्तु उसका कोई उपयोग नहीं किया गया। इस वर्ष के बजट में भी मात्र 90 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। अब इतनी सी राशि से लगभग 25 राज्यों में सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान किस प्रकार खोले जायेंगे। यह इस सरकार की कथनी और करनी का अंतर है।

इसी प्रकार इन्होंने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग पश्चिम, पूर्व दक्षिण एवं मध्य भारत में खोलने की बात कही है। वर्ष 2006-2007 के बजट में इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। किंतु कोई उपयोग नहीं हो पाया। अब फिर एक करोड़ रुपयों की प्रतीकात्मक राशि इन्होंने रखी है। यह इनकी शिक्षा के प्रति गंभीरता को दिखाती है।

महोदय, इस सरकार ने अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन व 6 लेन का बनाने का श्रेय लेने का प्रयास किया है। यह योजना राजग सरकार ने प्रारंभ की थी। समयबद्धता, गुणवत्ता एवं पर्याप्त वित्त पोषण के कारण पूरे विश्व में राजग सरकार ने भारत

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

को विशेष ख्याति दिलाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को, जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला एक अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग को 6 लेने का करने की बात कही जा रही है। मैंने कई बार इस सरकार को बताया कि इस मार्ग पर केवल ब्यावर से भीमनाथ होकर उदयपुर का 200 कि.मी. का खंड अभी भी 2 लेन का ही है। बाकी सारी मार्ग 4 लेन का बन चुका है। किंतु इसे 4 लेने बनाने हेतु सरकार ने अभी भी स्वीकृति नहीं दी है।

महोदय, अभिभाषण में राष्ट्रीय पहचान पत्र की बात कही गई है। अभी आयकर में स्थायी लेखा संख्या पत्रक लेना पड़ता है। इसी वर्ष कंपनी कानून में निदेशक पहचान क्रमांग लेने की अनिवार्यता की गई है। प्रस्तावित मर्यादित भागीदारी अधिनियम में भागीदारी पहचान क्रमांक लेने का प्रावधान किया गया है। बजट में वित्त मंत्री जी ने निवेश बाजार में एक पृथक पहचान पत्र रखने की बात कही है। चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र बनवा रहा है। अब क्या जितने विभाग, उतने पहचान पत्र रखने पड़ेंगे। ई-गवर्नेंस के नाम पर कंपनी विभाग ने पता देने वाले प्रत्येक फार्म पर किसी कंपनी सैक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणन आवश्यक कर दिया है। इससे छोटी-मोटी कंपनियों की पालना लागत बहुत बढ़ गई है। क्या ही ई-गवर्नेन्स है। यह सरकार आम आदमी की कठिनाइयां बढ़ाती जा रही है।

महोदय, कल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है और उसकी पूर्व संध्या पर जब हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात करते हैं तो उस अभिभाषण के अंदर महिला आरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हमारे देश के अंदर आधी जनसंख्या महिलाओं की है और फिर भी महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनहीनता है, इसके बारे में हम क्या कहें। चूंकि कांग्रेस की नीतियों को ही माननीय राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पढ़ा है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम महिला आरक्षण बिल लायेंगे। लेकिन तीन साल हो गये हैं और तीन सालों में एक बार भी उस बिल का ड्राफ्ट तक यहां प्रस्तुत नहीं किया गया कि हम किस रूप में उस बिल को चाहते हैं। मैं सोचती हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जहां देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, उसके बावजूद भी महिलाओं के बारे में संसद में बैठे हुए सारे लोग जो यू.पी.ए. की गठबंधन सरकार चला रहे हैं, इन सभी दलों का एक समझौता है। इन सबके गठबंधन की इस सरकार के चलते हुए भी महिलाओं के संदर्भ में ये कुछ नहीं कहते। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं चाहती हूं कि कम से कम जो बात कहते हैं या मैनिफैस्टो में लिखते हैं, जिसके आधार वोट हासिल करते हैं, कम से कम जनता के प्रति ये लोग जवाबदेह रहें और जो बात कहते हैं, उसे पूरा करके दिखायें और इस तरह से जनता और देश को अभिभाषण के माध्यम से कम से कम गुमराह करने का काम न करें। मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुए मंत्रियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगी। इसलिए संसद के समक्ष प्रस्तुत अभिभाषण में सरकार ने जो झूठी प्रवंचनाओं और अर्ध्यसत्य से राष्ट्र को भ्रमित करने का जो प्रयास काम किया है, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करूंगी कि वह इस अभिभाषण के प्रति अस्वीकृति प्रकट करते हुए सरकार के इन दुष्प्रयासों को विफल करने का प्रयास करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

"कांग्रेस के शासनकाल में ही कश्मीर से बहुत बड़ी संख्या में हमारे अपने ही देशवासी बेघर होकर अपने ही देश में शरणार्थी बनने का विवश हुए थे। आज असम में फिर हिन्दीभाषियों को आतंकवाद का निशाना बनाया जा रहा है। स्वयं सरकार के गृह मंत्रालय ने माना है कि नक्सली हिंसा की स्थिति दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। इस हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी आतंकवादी अब पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। क्या सशक्त एवं गतिशील भारत का यह चित्र हम रखना चाहते हैं। बांग्लादेश आज भारत विरोधी तत्वों की एक बड़ी शरण स्थली बन चुका है। पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी चक्र का यह एक भाग बन चुका है, किंतु यह सरकार इस खतरे की तरफ उदासीन है।

कांग्रेस कम्युनिस्ट गठजोड़, यूपीए की इस सरकार ने जब राजग से सत्ता संभाली थी, तब इसे एक उत्साहवर्धक वातावरण, तेजी से प्रगति करती अर्थव्यवस्था एवं अधिसंरचना क्षेत्रों में भारी निवेश विरासत में मिले थे। आज विकास की जो बातें कहीं जा रही हैं, प्रगति के जो गुण गाए जा रहे हैं, वे राजग सरकार की प्रतिस्पर्द्धा और पारदर्शिता के साथ निर्माण की नीतियों के कारण ही हैं। राजग सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखकर, आवश्यक वस्तुओं की प्रचुर आपूर्ति सुनिश्चित करके और रोजगार सृजन की तरफ विशेष ध्यान रख कर आम आदमी को खुशहाली से परिपूर्ण जीवन देने का प्रयास किया था।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. के.एस. मनोज, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

---

*..."भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं यथासंभव अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण पर श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने हेतु मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, महामहिम ने अपने भाषण में हमें स्मरण दिलाया कि हम स्वतंत्रता की 60वीं, भारत की आजादी के प्रथम वर्ष की 150वीं और सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं। मैं सरकार को हमारी संप्रभुता, हमारे राष्ट्रीय हित की रक्षा करने की इसकी प्रतिबद्धता का स्मरण दिलाता हूं और चाहता हूं कि यह अमरीकी सरकार अथवा ऐसी ही किसी पूंजीवादी ताकत के समक्ष सर्मपण नही करे।

हमें अपने देश की समाजवादी प्रकृति जो हमारे संविधान में वर्णित है की भी रक्षा करनी चाहिए। 9 प्रतिशत वृद्धि दर से सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने पर वर्ग महसूस करते हुए हम देख रहे हैं कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर भी बढ़ रहा है। हमारे कृषि क्षेत्र, जिस पर देश की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जीवनयापन के लिए निर्भर है, में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, केवल 2.6 प्रतिशत अथवा 3 प्रतिशत से कम है जो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। रोजगार विहीन वृद्धि प्राप्त करने के स्थान पर हमें रोजगार उपलब्ध कराने वाली वृद्धि दर प्राप्त करने की दिशा में ध्यान देना चाहिए।

आज हर कोई आवश्यक वस्तुओं के आसमान छू रहे मूल्य वृद्धि से चिंतित है। मुद्रास्फीति कर सबसे प्रतिकूल प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ता है क्योंकि उनकी क्रम क्षमता कम होती है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के स्तर पर कम करने के अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु कृषि उत्पादकता में सुधार लाने संबंधी उपाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को हस्तक्षेप भी कराया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यापीकरण होना चाहिए और उचित मूल्य की दुकानों से और अधिक वस्तुओं की आपूर्ति की जानी चाहिए जैसाकि केरल की सरकार ने किया है।

हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा देना के बच्चों की दशा बतायी गई है। हमारे देश के लगभग 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषित है। समेकित बाल विकास योजना और जिसे हम और अधिक व्यापक बनाने जा रहे हैं, के अस्तित्व में होने के बावजूद बच्चों की दशा में सुधार नहीं हो रहा है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह और अधिक आईसीडीएस केंद्र आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करे ताकि देश के अधिक से अधिक बच्चों को इसमें शामिल किया जा सके। आंगनवाड़ी में कार्य कर रहे संघरक्षकों और कार्यकर्ताओं को पर्याप्त भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कार्यकर्त्ताओं से बेहतर सेवा प्राप्त करने हेतु हमें उनके लिए पर्याप्त वेतन अथवा मानदेय का भुगतान करना होगा।

अपने भाषण में महामहिम ने अल्पसंख्यकों की दशा और इसमें सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख किया है। अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए सामान्य रूप से केवल मुस्लिम समुदाय का बोध होता है। हमारे देश में केवल मुस्लिम समुदाय की अल्पसंयकों की श्रेणी में नहीं है बल्कि इसमें इसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की शामिल हैं। अत: अल्पसंख्यक समुदाय की दशा सुधारने हेतु किया गया कोई उपाय केवल मुस्लिमों के प्रति न होकर सभी समुदायों के लिए होना चाहिए। इसमें इसाइयों, दलित इसाइयों और दलित मुस्लमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हमारे देश में पुन्नापरू - व्यालार और तेलंगाना आंदोलन चल रहे है और इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया गया है। लेकिन पुन्नापरा-व्यालर और अन्य संघर्ष से प्रभावित व्यक्तियों को केंद्र सरकार अथवा केंद्र से कोई सहायता अथवा कल्याणकारी उपाए प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अत: पुन्नापरा-व्यालर संघर्ष से प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार से सहायता दी जानी चाहिए।

हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर इसाइयों के विरुद्ध हमले में वृद्धि हो रही है। यह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में हो चुका है और इसाइयों के विरुद्ध हमले में वृद्धि हुई है। अत: सरकार को इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु उपाए करते हुए देश के अल्पसंख्यक समुदायों के मन में सुरक्षा की भावना बहाल करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त देश की सामूहिक सीमा खतरे में है। हाल ही में, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने स्वत: एक वक्तव्य दिया था कि हमारे तटीय क्षेत्र सुर्राक्षत नहीं है।

हाल ही में मेरे जिले अल्लपुजा में एक अज्ञात जहाज के तट पर आने के पश्चात उसमें सवार व्यक्तियों द्वारा तट पर उपलब्ध लोगों की सहायता से डीजल तेल की खरीद की गई और एटीएम से पैसा भी निकाला गया लेकिन जिला प्राधिकारी अथवा पुलिस को इस तथ्य

[डा. के.एस. मनोज]

की जानकारी नहीं है। अत: हमारे देश की समुद्री सीमा और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि ऐसी गतिविधियों रोकी जा सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (सरगुजा) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वह केवल कागजों पर है और सरकार के आचरण में दिखाई नहीं देता है। इसमें सर्वसमावेशी विकास कहां है? देश की आजादी के बाद लोगों में मजहब के आधार पर विभेद बढ़ा है और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है।

सभापति महोदय, किसानों की दुर्दशा पर हम सब ने यहां विचार किया है। हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों का स्तर यहां तक आ गया है कि वे आत्महत्यायें कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बड़ी-बड़ी बातें कहलवायी हैं। आप देखिये कि खेत में पैदा करने वाले माल और कारखानों तथा मिलों में तैयार माल के दामों में कितना अंतर है? किसान जो भी सामान खरीदता है, उसकी कीमत किसान को अधिक देनी पड़ती है जबकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु जब बेची जाती है तो उसके दाम घट जाते हैं। किसान को अपने उत्पादन का फायदा नहीं मिलता है। जब वह बीज खरीदता है तो उसे दाम कई गुना देने पड़ते हैं लेकिन जब अपना उत्पाद बेचने जाता है तो उसके दाम कई गुना कम होते हैं। इस तरह किसान जो ऋण लेता है, उसे कैसे दे पायेगा? अगर सरकार किसानों के प्रति यही नीति रखेगी तो उससे देश का भला नहीं होने वाला है। अगर किसानों की दशा ठीक नहीं होगी तो अच्छी बात नहीं होगी। इससे देश की दशा भी ठीक नहीं हो पायेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यही हालत शिक्षा के क्षेत्र में है। सरकार ने एक तरफ ग्रामीण भारत बना दिया, जहां एक विद्यालय में एक शिक्षक है जिसके पास पांच कक्षायें हैं, दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल हैं, कांवेंट स्कूल हैं। यहां एक अलग तरह का देश बन रहा है, शहर में एक अलग देश बन रहा है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन में विभेद है। समृद्धि थिरकती है। बड़ी बड़ी कम्पनियां बन गई हैं। एक तरफ कंगाली, तन पर एक चिथड़ा और स्वर्ण गहने वाली। देश में ऐसी स्थिति बन गई है। अभिभाषण में जितनी बातें कही गई हैं, उनमें से एक भी जमीन पर नहीं है। सरकार उन्हें ठीक करने के लिये कोशिश करे। राष्ट्र में जो विविधता है, देश का जो सौन्दर्य है, उसमें समरसता बनाये, लोगों को वोटों के लिये मत बांटिये। संसद पर आक्रमण करने वाले को कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दी गई फांसी की सजा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से देश को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इसलिये मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आये प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं सरकार को सावधान करता हूं कि वह व्यवस्था को ठीक करे अन्यथा इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में बिजली केन्द्रीय पूल से काट दी गई है, जिससे लोग परेशान हैं। इसलिये सरकार नीतियां ठीक करे, यह न देखे कि वहां बीजेपी की सरकार है। किसी राज्य में चाहे कोई पार्टी शासन में हो, बिजली काटना ठीक नहीं है।

केन्द्रीय पूल में हमारे छत्तीसगढ़ का जो हक है और जो बिजली काटी गई है, उतनी बिजली को जल्दी से जल्दी यह सरकार फिर से जोड़े और सारे देश को एक दृष्टि से देखे, अन्यथा नतीजे भुगतने के लिए यह पार्टी और सरकार तैयार रहे।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय, मुझे महामहिम, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, महामहिम द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि हम भारत की स्वतंत्रता की साठवीं वर्षगांठ और हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ तथा सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं। यह सही है, परंतु हमें हमारे समक्ष मौजूद कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना होगा।

अब, मैं सरकार द्वारा अंतिम रूप दी गई ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पर बोलना चाहूंगा। आज, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 134 जिलों को जोड़ा है परंतु मेरे जिले हवेरी, जो एक अत्यंत पिछड़ा जिला है, उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा

कि वह इसमें हेवेरी जिले को भी शामिल करें। इन्होंने महात्मा गांधी के दर्शन "ग्राम स्वराज" के अंतर्गत पिछड़ापन दूर करने के लिए लगभग 250 जिलों की भी पहचान की है, परंतु पुनः मेरे जिले को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें मेरे जिले को भी शामिल करे।

महोदय, इन्होंने उच्च और प्रौद्योगिकी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है और उस पर ध्यान केन्द्रित किया है। इस देश में, विदेश के विभिन्न भागों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की स्थापना करने जा रहे हैं। परंतु हमारे उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र, विशेषकर हुबली-धारवाड़ क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल करने पर विचार नहीं किया गया है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस क्षेत्र के बारे में भी विचार करे।

जहां तक किसानों का संबंध है वे कई फसलों का उत्पादन कर रहे हैं परंतु उन्हें उनकी उपज विशेषकर मिर्च के उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हम अपने क्षेत्र में मिर्च का अत्यधिक उत्पादन कर रहे हैं, परंतु हमारी उपज के लिए हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वह इस मुद्दे का समाधान करने के लिए एक मिर्च बोर्ड (चिली बोर्ड) की स्थापना करे।

जहां तक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है, वे कहते हैं कि छः लेन वाली सड़कों का निर्माण किया जाना है, परंतु इन्होंने मेरे क्षेत्र में चार लेन वाली सड़कों का निर्माण भी पूरा नहीं किया है। 282 कि.मी. से 404 कि.मी. तक वाली सड़क, जिसे सितंबर 2003 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वह अभी तक पूरी नहीं बन पाई है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं कन्नड़ में भी बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अंग्रेजी छोड़कर कन्नड़ में बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर : सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय जल नीति बनाये...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस समस्या अर्थात् कावेरी जल मुद्दे का समाधान दोनों राज्यों के साथ बातचीत कर करना चाहिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर) : महोदय, आप उन्हें इस मुद्दे को पुनः उठाने की अनुमति क्यों दे रहे है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने केवल अंग्रेजी में बोलने की सूचना दी है। कन्नड़ में बोले गए भाग को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे पता है कि आप यहां अंत तक रहेंगे। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। परंतु पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। तमिलनाडु के माननीय सदस्य इसे देख रहे हैं। वे भी यहां अंत तक रहेंगें। यह उनका निर्णय है। दोनों महिला संसद सदस्य इस परिस्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं कि कहीं कावेरी विवाद का तो जिक्र नहीं हो रहा।

(व्यवधान)

श्री मंजुनाथ कुन्नुर : महोदय, इस देश में यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि हम यहां क्या कर रहे हैं, कैसे हम इस देश की नदियों के जल का उपयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश और अन्य देश के बीच फरक्का बांध की समस्या का कोई समाधान नहीं है। नर्मदा बांध का कोई समाधान नहीं है। इन परिस्थितियों में हम इस देश में एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने के लिए बाध्य हैं।

केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच समस्या का समाधान करना चाहिए।

सभापति महोदय : अब, चर्चा समाप्त हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री इस वाद-विवाद का कल उत्तर देंगें।

अब सभा कल 8 मार्च, 2007 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 मार्च, 2007/17 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री अनन्त नायक श्री असादूद्दीन ओवेसी	121
2.	श्रीमती नीता पटैरिया श्री अनवर हुसैन	122
3.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री मनसुखभाई डी. वसावा	123
4.	श्री सांताश्री चटर्जी श्री टेक लाल महतो	124
5.	श्री हरिभाऊ राठौड़	125
6.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री गणेश सिंह	126
7.	श्री शिशुपाल एन. पटले प्रो. महादेवराव शिवनकर	127
8.	श्री अवतार सिंह भडाना श्री जे.एम. आरुन रशीद	128
9.	श्री काशीराम राणा	129
10.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री वी.के. दुग्मर	130
11.	श्री अधीर चौधरी श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	131
12.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्री बसुदेव आचार्य	132
13.	श्री अनिल बसु	133
14.	श्री रेवती रमन सिंह श्रीमती अर्चना नायक	134
15.	श्री मो. ताहिर श्री हंसराज गं. अहीर	135
16.	श्री संजय धोत्रे श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	136
17.	श्री के.एस. राव श्री रशीद मसूद	137
18.	श्री एम. श्री निवासुलु रेड्डी श्री बृज किशोर त्रिपाठी	138
19.	श्री एकनाथ महोदव गायकवाड श्रीमती निवेदिता माने	139
20.	श्री जोवाकिम बखला श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	140

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1182
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1087, 1131, 1186, 1257
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1212
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1134, 1158, 1193, 1242
5.	अजय कुमार, श्री एस.	1136
6.	अनंत कुमार, श्री	1145, 1149, 1236
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	1144, 1233

1	2	3
8.	अर्गल, श्री अशोक	1056, 1166
9.	आठवले, श्री रामदास	1132, 1272
10.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1070, 1226
11.	'बच्चदा', श्री बची सिंह रावत	1048, 1160, 1275
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1130, 1261
13.	बर्मन, श्री क्षितेन	1116, 1167
14.	बर्मन, श्री रनेन	1068, 1216
15.	बसु, श्री अनिल	1195
16.	बखला, श्री जोवाकिम	1167, 1240
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	1135
18.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1194
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1047, 1159, 1274
20.	बोस, श्री सुव्रत	1110
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1059, 1146, 1212, 1252
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1252, 1267
23.	चटर्जी, श्री सांताश्री	1191
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1105
25.	चिन्ता मोहन, डा.	1139
26.	चिंतन, श्री एन.एस.वी.	1101, 1204
27.	चौधरी, श्री पंकज	1138
28.	चौधरी, श्री अधीर	1185, 1193, 1252
29.	चर्चिल, श्री अलीमाऊ	1151
30.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1107, 1127, 1252
31.	देवरा, श्री मिलिन्द	1075, 1146, 1176, 1221, 1245
32.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1096, 1201, 1259
33.	धनराजू, डा. के.	1129, 1209
34.	धोत्रे, श्री संजय	1161, 1253
35.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1090, 1103, 1106, 1234, 1246
36.	फर्नान्डीज, श्री जार्ज	1081
37.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1091
38.	गायकवाड, श्री एकनाथ महोदव	1089, 1185, 1187, 1256
39.	गांधी, श्रीमती मेनका	1113, 1218
40.	गंगवार, श्री संतोष	1063, 1172, 1207, 1247
41.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1161, 1253
42.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1046
43.	हसन, चौधरी मुनव्वर	1093, 1198
44.	हुसैन, श्री अनवर	1171
45.	जगन्नाथ, डा. एम.	1092, 1197
46.	जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)	1097
47.	जयाप्रदा, श्रीमती	1088
48.	झा, श्री रघुनाथ	1122, 1223, 1252
49.	जिन्दल, श्री नवीन	1061, 1211, 1231

1	2	3
50.	जोगी, श्री अजीत	1148, 1235
51.	जोशी, श्री प्रह्लाद	1104, 1207, 1252
52.	करूणाकरन, श्री पी.	1108, 1209
53.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1168, 1241
54.	खां, श्री सुनील	1153
55.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1140, 1229
56.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1066, 1218, 1270
57.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1055, 1108, 1164, 1252
58.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1082, 1150, 1157
59.	कृष्ण, श्री विजय	1137, 1147, 1228
60.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1118
61.	लाहिरी, श्री समिक	1058
62.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1120
63.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	1155
64.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1146, 1238
65.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1080
66.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1074
67.	महरिया, श्री सुभाष	1150
68.	महतो, श्री नरहरि	1064, 1214
69.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1219
70.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1194
71.	महताब, श्री भर्तृहरि	1084, 1123
72.	माझी, श्री परसुराम	1188
73.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1057, 1071, 1085, 1112, 1221
74.	माने, श्रीमती निवेदिता	1089, 1185, 1252, 1256
75.	मनोज, डा. के.एस.	1109, 1210, 1263
76.	मसूद, श्री रशीद	1099, 1213, 1250
77.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	1078
78.	मेघवाल, श्री कैलाश	1157, 1218
79.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1129, 1209
80.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1268
81.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1077
82.	मोहन, श्री पी.	1090, 1220, 1252
83.	मो. ताहिर, श्री	1084, 1165, 1181, 1261
84.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1133
85.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1084, 1134, 1227
86.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	1060, 1269
87.	नन्दी, श्री अमिताभ	1246
88.	नायक, श्री अनन्त	1188, 1249
89.	नायक, श्रीमती अर्चना	1185
90.	निखिल कुमार, श्री	1185, 1252
91.	ओराम, श्री जुएल	1123, 1212, 1224
92.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1246, 1251

1	2	3
93.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1065, 1158, 1175, 1244
94.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1057, 1085, 1112, 1125, 1221
95.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1265
96.	पासवान, श्री सुकदेव	1156
97.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1052, 1206, 1212
98.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1084, 1202, 1260
99.	पटैरिया, श्रीमती नीता	1189
100.	पाठक, श्री ब्रजेश	1082, 1165, 1250, 1261
101.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1069, 1264
102.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	1084, 1099, 1165, 1250
103.	पिंगले, श्री देविदास	1261
104.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	1114, 1237
105.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	1177, 1251, 1261
106.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1105, 1227
107.	राजगोपाल, श्री एल.	1073, 1232
108.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1188
109.	रामदास, प्रो. एम.	1126
110.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1053, 1184
111.	राणा, श्री काशीराम	1192, 1251
112.	राव, श्री के.एस.	1196, 1254
113.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1104, 1128
114.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1087
115.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	1267
116.	रावले, श्री मोहन	1112, 1215
117.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	1051, 1217, 1241
118.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1137, 1152
119.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1049, 1102, 1162, 1185
120.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1179, 1255
121.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1086, 1114, 1125
122.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1170, 1190
123.	सज्जन कुमार, श्री	1076
124.	रिजीजू, श्री किरेन	1142, 1230
125.	साई प्रताप, श्री ए.	1252
126.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1062, 1099, 1173, 1180, 1185
127.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1111
128.	सरोज, श्री तूफानी	1083, 1178
129.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1107, 1208, 1262
130.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1124
131.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1072, 1183, 1185, 1192, 1248, 1251
132.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1143, 1231
133.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1087, 1186, 1257

1	2	3
134.	शिवनकर, प्रो. महोदवराव	1084, 1099, 1181, 1250
135.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	1119, 1164, 1207
136.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1067, 1169
137.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1190
138.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1102, 1205
139.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1084
140.	सिंह, श्री दुष्यंत	1100, 1188, 1203
141.	सिंह, श्री गणेश	1273
142.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1089, 1185, 1252, 1256
143.	सिंह, श्री मोहन	1185
144.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1145, 1271
145.	सिंह, श्री सुग्रीव	1084, 1202, 1260
146.	सिंह, श्री उदय	1141, 1193
147.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1206
148.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1098
149.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1054
150.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1079, 1174, 1243
151.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1188
152.	सुमन, श्री रामजीलाल	1120, 1139
153.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1086
154.	थामस, श्री पी.सी.	1121, 1222
155.	तुम्मर, श्री वी.के.	1052, 1206
156.	थुपस्तन, श्री छेवांग	1117
157.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1057, 1112, 1125
158.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1181, 1193
159.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1185, 1221, 1225, 1252
160.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1115
161.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1185
162.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1106
163.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	1154
164.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1266
165.	यादव, श्री बालेश्वर	1050, 1163, 1239
166.	यादव, श्री गिरिधारी	1115, 1219
167.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1099, 1181, 1250
168.	यादव, श्री राम कृपाल	1118, 1246
169.	यास्खी, श्री मधु गौड	1094, 1199
170.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1095, 1200, 1258

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	124, 126
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	127, 132, 136, 138
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
विदेश	:	121, 128, 134, 135, 139
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	122, 130, 140
प्रवासी भारतीय कार्य	:	131
पंचायती राज	:	125, 137
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	129
योजना	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	123, 133
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1150, 1159
कोयला	:	1064, 1068, 1126, 1167, 1191, 1193, 1217, 1240, 1242
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1047, 1048, 1051, 1052, 1055, 1060, 1065, 1082, 1083, 1090, 1093, 1095, 1098, 1101, 1106, 1107, 1116, 1117, 1118, 1127, 1130, 1134, 1140, 1141, 1143, 1146, 1148, 1156, 1160, 1161, 1169, 1186, 1189, 1195, 1202, 1204, 1208, 1215, 1233, 1239, 1243, 1250, 1256, 1271

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
विदेश	:	1066, 1071, 1094, 1097, 1100, 1104, 1119, 1125, 1183, 1192, 1221, 1238, 1245, 1248, 1253, 1259, 1260, 1267, 1268, 1269, 1270, 1273, 1274, 1275
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1050, 1057, 1067, 1070, 1072, 1074, 1078, 1081, 1084, 1085, 1087, 1088, 1089, 1102, 1108, 1109, 1110, 1113, 114, 1115, 1122, 1123, 1128, 1129, 1131, 1133, 1137, 1138, 1144, 1145, 1147, 1157, 1163, 1170, 1171, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1182, 1184, 1187, 1188, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1205, 1209, 1214, 1218, 1219, 1220, 1222, 1223, 1225, 1226, 1228, 1229, 1234, 1235, 1236, 1249, 1252, 1258, 1261, 1262, 1263
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1080, 1164, 1200, 1251, 1255, 1265
पंचायती राज	:	1152, 1190
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1063, 1075, 1086, 1111, 1124, 1180, 1216, 1231, 1246, 1272
योजना	:	1292, 1139, 1142, 1168, 1181, 1185, 1213, 1232, 1247, 1257
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1054, 1056, 1058, 1059, 1062, 1069, 1073, 1076, 1077, 1079, 1091, 1096, 1105, 1112, 1120, 1121, 1135, 1136, 1149, 1151, 1153, 1155, 1158, 1162, 1165, 1166, 1172, 1175, 1201, 1203, 1206, 1207, 1210, 1212, 1224, 1227, 1230, 1237, 1241, 1254, 1266
अंतरिक्ष		1046, 1053, 1179
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1049, 1061, 1099, 1264
युवक कार्यक्रम और खेल	:	1103, 1132, 1154, 1211, 1244.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

PLD

पी०एल०एस०-48/25/8/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रका
और श्रीइंटरप्राइजेज, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।